



सत्यमेव जयते

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा
31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा
राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

**State Finances Audit Report of the
Comptroller and Auditor General of India
for the year ended 31 March 2023**

Marathi



English

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

वर्ष 2024 चा अहवाल क्रमांक 1
Report No. 1 of the year 2024



सत्यमेव जयते

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
यांचा
31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा
राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



महाराष्ट्र शासन
वर्ष 2024 चा अहवाल क्रमांक 1

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
यांचा
31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा
राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

महाराष्ट्र शासन
वर्ष 2024 चा अहवाल क्रमांक 1

अनुक्रमणिका

| परिच्छेद | अनुक्रमणिका | पृष्ठ |
|--|--|-------|
| प्रस्तावना | | ix |
| कार्यकारी सारांश | | xi |
| प्रकरण I: आढावा | | |
| 1.1 | राज्याची रूपरेषा | 1 |
| 1.1.1 | राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न | 1 |
| 1.2 | राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा अहवालाचा आधार आणि दृष्टीकोन | 3 |
| 1.3 | शासकीय लेख्यांची रचना आणि अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेचा आढावा | 4 |
| 1.3.1 | वित्तव्यवस्थेचे संक्षिप्त चित्रण | 7 |
| 1.3.2 | शासनाची मत्ता आणि दायित्व यांचे संक्षिप्त चित्रण | 8 |
| 1.4 | राजकोषीय समतोल: तूट आणि एकूण ऋणांचे उद्दिष्ट साध्य करणे | 9 |
| 1.4.1 | मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरण विवरणपत्रातील प्रक्षेपित वित्तीय मापदंडांच्या लक्षांची चालू वर्षातील प्रत्यक्ष बरोबर तुलना | 10 |
| 1.4.2 | तूट/आधिक्यातील कल | 11 |
| 1.4.3 | भारत सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार कर्ज घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाची कामगिरी | 13 |
| 1.5 | लेखापरीक्षण तपासणीनंतरची तूट | 13 |
| प्रकरण II: राज्याची वित्तव्यवस्था | | |
| 2.1 | 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये प्रमुख राजकोषीय समुच्चयातील महत्त्वाचे बदल | 15 |
| 2.2 | निधीचे स्रोत आणि वापर | 16 |
| 2.3 | राज्याची संसाधने | 17 |
| 2.3.1 | राज्याची जमा | 18 |
| 2.3.2 | राज्याच्या महसुली जमा | 18 |
| 2.3.2.1 | महसुली जमांचा कल आणि वाढ | 18 |
| 2.3.2.2 | राज्याची स्वतःची साधनसंपत्ती | 21 |
| 2.3.2.3 | करेतर महसूल | 23 |
| 2.3.2.4 | केंद्र शासनाची हस्तांतरणे | 24 |
| 2.3.3 | भांडवली जमा | 28 |
| 2.3.4 | साधनसंपत्तीला चालना देण्याची राज्याची कार्यक्षमता | 29 |
| 2.4 | संसाधनांचा वापर | 29 |
| 2.4.1 | खर्चाची वृद्धी आणि रचना | 29 |
| 2.4.2 | महसुली खर्च | 31 |
| 2.4.2.1 | महसुली खर्चातील प्रमुख बदल | 32 |
| 2.4.2.2 | वचनबद्ध खर्च | 33 |
| 2.4.2.3 | राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमधील परतफेड न केलेली दायित्वे | 35 |
| 2.4.2.4 | अर्थसहाय्य | 36 |
| 2.4.2.5 | स्थानिक संस्था व इतर संस्थांना राज्य शासनाकडून वित्तीय सहाय्य | 37 |
| 2.4.3 | भांडवली खर्च | 38 |

| परिच्छेद | अनुक्रमणिका | पृष्ठ |
|--|--|-------|
| 2.4 | 2.4.3.1 भांडवली खर्चात मोठे बदल | 38 |
| | 2.4.3.2 भांडवली खर्चाची गुणवत्ता | 39 |
| | 2.4.4 खर्चाचा प्राधान्यक्रम | 40 |
| | 2.4.4.1 उद्देश्य शीर्ष-निहाय खर्च | 41 |
| 2.5 | लोक लेखे | 42 |
| | 2.5.1 निव्वळ लोक लेखे शिल्लक | 42 |
| | 2.5.2 राखीव निधी | 43 |
| | 2.5.2.1 एकत्रिकृत कर्ज निवारण निधी | 43 |
| | 2.5.2.2 राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी | 43 |
| | 2.5.2.3 हमी विमोचन निधी | 45 |
| | 2.5.2.4 राज्य पर्यायी वनीकरण निधी | 45 |
| | 2.5.2.5 इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर | 46 |
| | 2.5.2.6 केंद्रीय रस्ते व पायाभूत सुविधा निधीशी संबंधित व्यवहारांचा लेखाजोखा | 46 |
| | 2.5.2.7 राज्याच्या एकत्रिकृत निधी किंवा लोक लेख्याबाहेरील निधी | 46 |
| | 2.5.2.7.1 महाराष्ट्र निवारा निधी | 47 |
| 2.6 | लोक दायित्व व्यवस्थापन | 48 |
| | 2.6.1 दायित्व रूपरेषा: घटक | 49 |
| | 2.6.2 ऋणाची रूपरेषा: परिणतता आणि परतफेड | 53 |
| 2.7 | ऋण शाश्वतता विश्लेषण | 55 |
| | 2.7.1 कर्जाऊ निधीचा उपयोग | 59 |
| | 2.7.2 हमीची स्थिती - आकस्मिक दायित्वे | 60 |
| | 2.7.3 रोख शिलकीचे व्यवस्थापन | 61 |
| 2.8 | निष्कर्ष | 63 |
| 2.9 | शिफारशी | 64 |
| प्रकरण III: अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन | | |
| 3.1 | अर्थसंकल्प प्रक्रिया | 65 |
| | 3.1.1 वित्तीय वर्षातील एकूण तरतूद, प्रत्यक्ष संवितरणे आणि बचतीचा सारांश | 66 |
| | 3.1.2 भारीत आणि दत्तमत संवितरणे | 66 |
| | 3.1.3 अर्थसंकल्पीय कुशलता (मार्कमनशीप) | 67 |
| | 3.1.3.1 एकूण अर्थसंकल्पीय निष्पत्ती (आऊटटर्न) | 67 |
| | 3.1.3.2 खर्चाच्या घटकांची निष्पत्ती | 68 |
| 3.2 | विनियोजन लेखे | 68 |
| 3.3 | अर्थसंकल्पीय आणि लेखा प्रक्रियेच्या सचोटीवर टिप्पण्या | 68 |
| | 3.3.1 अनावश्यक किंवा अतिरिक्त पुरवणी अनुदाने | 68 |
| | 3.3.2 आकस्मिकता निधीमधून अग्रिमे | 69 |
| | 3.3.3 निधीचे अतिरिक्त/अनावश्यक पुनर्विनियोजन | 70 |
| | 3.3.4 अखर्चित रक्कम आणि प्रत्यार्पित विनियोजन आणि/अथवा मोठ्या प्रमाणात बचत/प्रत्यार्पण | 70 |
| | 3.3.4.1 बचतीमधील सातत्य | 72 |
| | 3.3.4.2 'निरंक' खर्चासह अनुदान | 72 |

| परिच्छेद | अनुक्रमणिका | पृष्ठ |
|---|--|-------|
| | 3.3.5 अतिरिक्त खर्च व त्याचे नियमितीकरण | 73 |
| | 3.3.5.1 2022-23 वर्षाशी संबंधित अतिरिक्त खर्च | 73 |
| | 3.3.5.2 मागील आर्थिक वर्षामधील अतिरिक्त खर्च नियमित करणे | 74 |
| | 3.3.6 भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी सहाय्यक अनुदाने | 74 |
| 3.4 | अर्थसंकल्पीय आणि लेखा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर टिप्पण्या | 74 |
| | 3.4.1 एकरकमी अर्थसंकल्पीय तरतुदी | 74 |
| | 3.4.2 अर्थसंकल्पातील प्रमुख धोरणात्मक घोषणा आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचा प्रत्यक्ष निधी | 75 |
| 3.5 | अर्थसंकल्पीय व लेखा प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेबद्दल टिप्पण्या | 75 |
| | 3.5.1 अर्थसंकल्पातील प्रक्षेपण आणि प्रत्यक्ष व अपेक्षित यांत्यातील तफावत | 75 |
| | 3.5.2 अर्थसंकल्पीय ओघ आणि अनुदानाचे पुनरावलोकन | 78 |
| | 3.5.2.1 खर्चाची घाई | 78 |
| | 3.5.3 निवडक अनुदानांचे पुनर्विलोकन | 80 |
| | 3.5.3.1 अनुदान एच-06 सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारतीवरील खर्च | 80 |
| | 3.5.3.2 अनुदान क्यू-03 - गृहनिर्माण | 82 |
| 3.6 | निष्कर्ष | 85 |
| 3.7 | शिफारशी | 86 |
| प्रकरण IV: लेख्यांची गुणवत्ता आणि वित्तीय प्रतिवेदन पद्धती | | |
| 4.1 | व्याज देणाऱ्या ठेवी/राखीव निधीवरील व्याजाच्या संदर्भात दायित्व न फेडणे/चुकते करणे | 87 |
| 4.2 | निधी थेट राज्य अंमलबजावणी अभिकरणांना हस्तांतरित | 88 |
| 4.3 | उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यास विलंब | 88 |
| | 4.3.1 अनुदानप्राप्त संस्थांची 'इतर' म्हणून नोंद | 90 |
| 4.4 | संक्षिप्त आकस्मिक देयके | 90 |
| 4.5 | वैयक्तिक ठेव खाती | 92 |
| 4.6 | गौण शीर्ष- 800 याचा अविवेकी वापर | 93 |
| 4.7 | मुख्य शीर्ष निलंबन व कर्ज, ठेवी आणि वित्तप्रेषण खालील थकित शिल्लक | 96 |
| | 4.7.1 कर्ज, ठेवी आणि वित्तप्रेषण शीर्षांतर्गत प्रतिकूल (अॅडव्हर्स) शिल्लक | 97 |
| 4.8 | विभागीय आकडेवारीचा ताळमेळ न घालणे | 97 |
| 4.9 | रोख शिल्लकचे ताळमेळ | 98 |
| 4.10 | लेखांकन मानकांचे अनुपालन | 98 |
| 4.11 | स्वायत्त संस्थांचे लेखे/पृथक लेखापरीक्षा अहवाल सादर करणे | 99 |
| 4.12 | विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/महामंडळे/कंपन्या | 101 |
| 4.13 | संस्था व प्राधिकरणे यांना दिलेल्या अनुदानाचा/कर्जाचा तपशील सादर न करणे | 101 |
| 4.14 | कालबद्धता आणि लेख्यांची गुणवत्ता | 102 |
| 4.15 | गैरव्यवहार, तोटा, चोऱ्या इ | 102 |
| 4.16 | राज्य वित्त लेखापरीक्षा अहवालावर पाठपुरावा | 103 |

| परिच्छेद | अनुक्रमणिका | पृष्ठ |
|--|---|-------|
| 4.17 | निष्कर्ष | 103 |
| 4.18 | शिफारशी | 103 |
| प्रकरण V: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी | | |
| 5.1 | प्रस्तावना | 105 |
| 5.2 | शासकीय कंपन्यांची व्याख्या | 105 |
| 5.3. | लेखापरीक्षणाचे महादेश (मॅन्डेट) | 105 |
| 5.4 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या आणि वित्तीय विवरणपत्रांची स्थिती | 106 |
| 5.5 | राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नामध्ये त्यांचे योगदान | 107 |
| 5.5.1 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या आर्थिक कामगिरीचा सारांश | 108 |
| 5.6 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील गुंतवणूक आणि अर्थसंकल्पीय सहाय्य | 109 |
| 5.6.1 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील समभाग धारण (इक्विटी होल्डिंग) आणि कर्ज | 109 |
| 5.6.2 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना अर्थसंकल्पीय सहाय्य | 110 |
| 5.7 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील समभाग गुंतवणुकीचे बाजार भांडवलीकरण | 111 |
| 5.8 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची पुनर्रचना, निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरण | 111 |
| 5.9 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना दिलेल्या थकित कर्जाचे विश्लेषण | 111 |
| 5.9.1 | 31 मार्च 2023 रोजी थकित दीर्घ मुदतीची कर्जे | 111 |
| 5.9.2 | कर्जाच्या दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी मालमत्तेची पर्याप्तता | 112 |
| 5.10 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून परतावा | 112 |
| 5.10.1 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी कमवलेला नफा | 112 |
| 5.11 | तोटा झालेले राज्य सार्वजनिक उपक्रम | 114 |
| 5.11.1 | झालेला तोटा | 114 |
| 5.11.2 | निव्वळ नफा/तोटा गुणोत्तर | 116 |
| 5.11.3 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे देय लाभांश | 116 |
| 5.12 | कर्ज सेवा | 117 |
| 5.12.1 | व्याज व्याप्ती गुणोत्तर | 117 |
| 5.13 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी | 118 |
| 5.13.1 | उपयोजित भांडवलावरील परतावा | 118 |
| 5.13.2 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या इक्विटीवरील परतावा | 119 |
| 5.13.3 | गुंतवणुकीवरील प्रत्यक्ष परताव्याचा दर | 121 |
| 5.13.4 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या निव्वळ संपत्तीचे अपक्षरण | 122 |
| 5.14 | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची पर्यवेक्षणाची भूमिका | 123 |
| 5.14.1 | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याद्वारे राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती | 123 |
| 5.14.2 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे वित्तीय विवरणपत्र सादर करणे | 123 |
| 5.14.2.1 | वेळेत सादर करण्याची गरज | 123 |
| 5.14.2.2 | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे वित्तीय विवरणपत्र तयार करण्याची कालबद्धता | 124 |
| 5.14.3 | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे पर्यवेक्षण - वित्तीय विवरणपत्राचे लेखापरीक्षण व पूरक लेखापरीक्षण | 125 |
| 5.14.3.1 | वित्तीय प्रतिवेदन संरचना | 125 |
| 5.14.3.2 | वैधानिक लेखापरीक्षकांद्वारे शासकीय कंपन्यांच्या वित्तीय विवरणपत्राचे लेखापरीक्षण | 125 |
| 5.14.3.3 | शासकीय कंपन्यांच्या वित्तीय विवरणपत्राचे पूरक लेखापरीक्षण | 125 |

| परिच्छेद | अनुक्रमणिका | पृष्ठ |
|----------|---|-------|
| 5.15 | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या पर्यवेक्षणाच्या भूमिकेचे परिणाम | 125 |
| 5.15.1 | कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 अन्वये राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वित्तीय विवरणपत्राचे लेखापरीक्षण | 125 |
| 5.15.2 | वित्तीय विवरणपत्राची सुधारणा | 126 |
| 5.15.3 | लेखापरीक्षकांच्या अहवालात सुधारणा | 126 |
| 5.16 | व्यवस्थापन पत्रे | 126 |
| 5.17 | निष्कर्ष | 126 |
| 5.18 | शिफारशी | 127 |

| | परिशिष्ट | परिच्छेद संदर्भ | पृष्ठ |
|-----|--|--------------------|-------|
| 1.1 | महाराष्ट्राची सामान्य माहिती | 1.1 | 129 |
| 2.1 | राज्य शासनाच्या वित्तव्यवस्थेवर आकडेवारीची समय मालिका | 2.2 | 130 |
| 2.2 | राज्याचे राजकोषीय प्राधान्य | 2.3.2.2 2.3.2.3 | 133 |
| 2.3 | कंपनीच्या लेखांशी शासकीय गुंतवणुकीचा ताळमेळ | 2.4.3.2 | 134 |
| 3.1 | अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्वाच्या संज्ञांची शब्दावली | 3.1 | 135 |
| 3.2 | 2022-23 दरम्यान अतिरिक्त पुरवणी तरतुदींसह (₹ 10 कोटी आणि अधिक) बंद झालेली अनुदाने/विनियोजने | 3.3.1 | 137 |
| 3.3 | 2022-23 दरम्यान निधीचे विनाकारण पुनर्विनियोजन | 3.3.3 | 139 |
| 3.4 | प्रत्येकी ₹ 10 कोटीपेक्षा जास्त आणि एकूण तरतुदीपेक्षा 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त बचत दर्शविणारी अनुदाने/विनियोजने | 3.3.4 | 142 |
| 3.5 | वर्ष 2022-23 दरम्यान मोठ्या प्रमाणात (₹ 100 कोटीपेक्षा अधिक बचत असलेली) अनुदाने/विनियोजने | 3.3.4 | 145 |
| 3.6 | 2018-19 ते 2021-22 दरम्यान सातत्याने ₹ 100 कोटीपेक्षा अधिक बचतीसह बंद केलेली अनुदाने | 3.3.4.1 | 148 |
| 3.7 | नियमितीकरण राहिलेला जास्तीचा खर्च | 3.3.5.2 | 150 |
| 3.8 | ज्या योजनांसाठी तरतूद (₹ 100 कोटी व त्याहून अधिक) केली होती परंतु, ती काढून घेतली किंवा कोणताही खर्च झाला नाही त्याचे तपशील | 3.4.2 | 152 |
| 3.9 | वर्ष 2022-23 दरम्यानचे तिमाही-निहाय सर्व अनुदानांचे विवरणपत्र | 3.5.2.1 | 154 |
| 4.1 | 2022-23 दरम्यान भारत सरकारकडून लक्षणीय थेट हस्तांतरण प्राप्त झालेली अंमलबजावणी अभिकरणे | 4.2 | 167 |
| 4.2 | प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांची विभाग-निहाय विभागणी | 4.3 | 169 |
| 4.3 | 2022-23 पर्यंत प्रलंबित तपशीलवार आकस्मिक देयकांचा तपशील | 4.4 | 170 |
| 4.4 | स्वायत्त संस्थांकडून लेखे/लेखापरीक्षा अहवाल सादर करण्यातील विलंब | 4.11 | 171 |
| 4.5 | लेखे अंतिम होण्याची स्थिती आणि विभागाद्वारे व्यवस्थापित व्यावसायिक आणि अर्ध व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये शासकीय गुंतवणुकीची स्थिती | 4.12 | 174 |
| 4.6 | अफरातफर, गैरवापर इत्यादी प्रकरणांचे विभाग-निहाय/काल-निहाय विभाजन | 4.15 | 176 |

| | परिशिष्ट | परिच्छेद संदर्भ | पृष्ठ |
|-----|---|-----------------|-------|
| 4.7 | शासकीय सामुग्रीची चोरी, अफरातफर/नुकसानीमुळे विभाग-निहाय/श्रेणी-निहाय शासनाला झालेल्या नुकसानीचा तपशील | 4.15 | 177 |
| 5.1 | भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक उपक्रमांची (एसपीएसयू) यादी आणि 30 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यांच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रांची स्थिती दर्शविणारे विवरण | 5.4 व 5.14.2.2 | 178 |
| 5.2 | 30 सप्टेंबर 2023 च्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण पत्रानुसार राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संक्षिप्त वित्तीय स्थिती आणि कार्य परिणाम | 5.5.1 | 184 |
| 5.3 | 30 सप्टेंबर 2023 रोजी समाप्त होणाऱ्या तीन वर्षांचा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उपयोजित भांडवलावरील परताव्याचा तपशील | 5.13.1 | 192 |
| 5.4 | 30 सप्टेंबर 2023 रोजी समाप्त होणाऱ्या तीन वर्षात राज्य शासनाची थेट इक्विटी गुंतवणूक असलेल्या शासकीय कंपन्या आणि वैधानिक महामंडळे यांच्याकडून इक्विटीवरील परतावा दर्शविणारे विवरण | 5.13.2 | 200 |
| 5.5 | 2000-01 ते 2022-23 या कालावधीत राज्य शासनाद्वारे ओतलेल्या गुंतवणुकीच्या वर्तमान किंमतीच्या तुलनेत गुंतवणुकीचे वर्ष-निहाय तपशील दर्शविणारे विवरण | 5.13.3 | 204 |
| 5.6 | 31 मार्च 2023 रोजी ऋणात्मक निव्वळ संपत्ती असणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी दर्शविणारे विवरण | 5.13.4 | 206 |
| 5.7 | तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सतत ऋणात्मक निव्वळ संपत्ती असणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी दर्शविणारे विवरण | 5.13.4 | 209 |
| 5.8 | राज्य सार्वजनिक उपक्रम ज्यांना व्यवस्थापन पत्रे जारी केली गेली त्यांची यादी दर्शविणारे विवरण | 5.16 | 210 |

उपोद्घात

संविधानाच्या अनुच्छेद 151 अन्वये राज्याचा वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना सादर करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

या अहवालाच्या **प्रकरण I** मध्ये राज्याच्या वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवालाचा आधार आणि दृष्टीकोन, अहवालाची रचना, शासकीय लेख्यांची रचना, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, महसुली आधिक्य/तूट, राजकोषीय आधिक्य/तूट इत्यादी प्रमुख राजकोषीय मापदंडांमधील कल यांचा समावेश आहे.

अहवालाच्या **प्रकरण II व III** मध्ये 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी राज्य शासनाच्या वित्तीय लेखे व विनियोजन लेख्यांच्या तपासणीतून उद्भवलेल्या बाबींचे लेखापरीक्षण निष्कर्ष आहेत. आवश्यक तेथे महाराष्ट्र शासनाकडून माहिती प्राप्त करण्यात आली आहे.

‘लेख्यांची गुणवत्ता आणि वित्तीय प्रतिवेदन पद्धती’ या विषयावरील **प्रकरण IV** हे राज्य शासनाचे विविध वित्तीय नियम, कार्यपद्धती आणि निर्देशांच्या अनुपालनाचा 2022-23 या कालावधीचा आढावा आणि स्थिती दर्शविते.

प्रकरण V मध्ये राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा आणि वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या पर्यवेक्षण भूमिकेचे परिणाम आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या लेख्यांचे पुरक लेखापरीक्षण यांचा समावेश आहे. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, 1971 (सुधारित) च्या कलम 19 अ मधील तरतुदीनुसार शासकीय कंपनी किंवा महामंडळाच्या लेख्यांसंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्याद्वारे विधिमंडळासमोर मांडण्यासाठी शासनाला सादर केला जातो.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचे अहवाल ज्यात विविध शासकीय विभागांमधील कामगिरी लेखापरीक्षण आणि अनुपालन लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष, वैधानिक महामंडळे, मंडळे आणि शासकीय कंपन्यांच्या लेखापरीक्षणातून उद्भवणारी निरीक्षणे आणि महसुली जमावरील निरीक्षणे स्वतंत्रपणे सादर केली जातात.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी जारी केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या मानकांनुसार हे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे.

टिप: मूळ इंग्रजी अहवालावरून अनुवादित; शंका समाधानासाठी कृपया इंग्रजी अहवाल पहावा.

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

या अहवालाविषयी

वर्ष 2022-23 या वर्षाकरिता राज्याच्या वित्तव्यवस्थेवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल राज्याच्या अर्थविषयक, अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन आणि लेख्यांची गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन पद्धती आणि राज्य वित्ताशी संबंधित इतर बाबींचा आढावा घेतो.

हा कार्यकारी सारांश या अहवालातील मजकूर आणि महत्त्वाची आकडेवारी आणि पैलू संक्षिप्त चित्रणाद्वारे ठळकपणे निदर्शनास आणतो, राजकोषीय शाश्वतता, अर्थसंकल्पाच्या हेतूच्या तुलनेत कामगिरी, महसूल आणि खर्च यांचे प्रक्षेपण, तफावतीची कारणे आणि त्याचे परिणाम याबद्दलचे अंतरंग (इनसाईट) प्रदान करतो.

महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न (सध्याच्या किमतीनुसार) 2018-19 मध्ये ₹ 25,28,854 कोटींवरून 2022-23 मध्ये 8.64 टक्के सरासरी वाढीच्या दराने वाढून ₹ 35,27,084 कोटींवर पोहोचले. राज्याचा अर्थसंकल्पीय खर्च 2018-19 मधील ₹ 4,16,791.38 कोटींवरून 2022-23 मध्ये 11.96 टक्के सरासरी वाढीच्या दराने वाढून ₹ 6,52,809.14 कोटींवर पोहोचला.

वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत स्थूल राज्य उत्पन्नात 13.48 टक्के वाढ झाली होती. महसुली जमा 21.71 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या आणि स्थूल राज्य उत्पन्नात महसुली जमेची टक्केवारी 2021-22 मधील 10.72 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 11.50 टक्के अशी सुधारली होती. या कालावधीत कर महसुलात 22.61 टक्के तर राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलात 25.60 टक्क्यांनी वाढ झाली. महाराष्ट्र राज्याचा एकूण खर्च (महसुली खर्च, भांडवली खर्च आणि कर्जे व अग्रिमे) 2021-22 मधील ₹ 3,98,792.31 कोटींवरून 18.84 टक्क्यांनी वाढून ₹ 4,73,922.42 कोटी झाला. त्यापैकी, महसुली खर्चात 2021-22 च्या तुलनेत 16.57 टक्के वाढ झाली. महसुली तूट 2021-22 च्या तुलनेत 88.17 टक्क्यांनी कमी होऊन ₹ 1,936.47 कोटी झाली, तर राजकोषीय तूट 2021-22 मधील ₹ 64,301.86 कोटींवरून 2022-23 मध्ये 5.13 टक्क्यांनी वाढून ₹ 67,601.87 कोटी झाली.

जमा-खर्चातील तफावत

जमा आणि खर्च यांच्यातील सततची तफावत वाढता राजकोषीय ताण सूचित करते. राज्याचा स्वतःचा कर महसूल, करेतर महसूल, राज्यांच्या हिश्याचे करातील हस्तांतरण, केंद्र सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने व हस्तांतरणे आणि ऋणेतर भांडवली जमा असे जमेचे वेगवेगळे स्रोत राज्याकडे आहेत. राज्य शासनाच्या खर्चात महसुली लेख्यांवरील खर्च तसेच भांडवली खर्चाचा (मत्ता निर्मिती, कर्जे व अग्रिमे, गुंतवणूक इत्यादी) समावेश होतो.

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महसुली जमा ₹ 2,78,996.27 कोटींवरून 11.31 टक्के सरासरी वार्षिक वाढीच्या दराने ₹ 4,05,677.93 कोटींवर पोहोचल्या. महसुली जमामध्ये सहाय्यक अनुदानाचा हिस्सा 2018-19 मधील 12.07 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 12.67 टक्के असा पोहोचला. केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य शासनाला वर्षभरात केंद्राचा हिस्सा म्हणून ₹ 16,240.57 कोटी प्राप्त झाले.

सेवांची सध्याची पातळी राखण्यासाठी आणि मागील दायित्वांच्या प्रदांनांसाठी महसुली खर्च केला जातो. म्हणून, राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि सेवेच्या जाळ्यात वाढ करण्यात याचा कोणताही परिणाम होत नाही. 2018-19 ते 2022-23 यादरम्यान महसुली खर्च ₹ 2,67,021.67 कोटींवरून (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 10.56 टक्के) ₹ 4,07,614.40 कोटी (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 11.56 टक्के) झाला. याच कालावधीत सरासरी वार्षिक 11.11 टक्के दराने वाढ होऊन याचा एकूण खर्चात मोठा वाटा (86 ते 91 टक्के) होता.

साधनांच्या पलीकडे केलेल्या खर्चाचा परिणाम

महसुली जमा आणि महसुली खर्च यातील तफावतीमुळे महसुली तूट/आधिक्य निर्माण होते. राज्याची महसुली तूट 2018-19 मधील ₹ 11,974.60 कोटींवरून (स्थूल उत्पन्नाच्या 0.48 टक्के) चालू वर्षात कमी होऊन ₹ 1,936.47 कोटी (स्थूल उत्पन्नाच्या 0.05 टक्के) झाली.

राज्य शासनाने भांडवली लेख्यात केवळ ₹ 61,643.61 कोटी खर्च केले. 2022-23 वर्षात हा खर्च एकूण खर्चाच्या 13 टक्के होता. भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या 70 टक्के होता. अशाप्रकारे, कर्जाक निधीचा मोठा हिस्सा हा भांडवली निर्मिती/विकास कामांसाठी वापरला जात होता हे दर्शविते.

राज्याचा एकूण खर्च आणि एकूण ऋणोत्तर जमा यांच्यातील तफावतीच्या परिणामी राजकोषीय तूट निर्माण होते. राज्याची राजकोषीय तूट 2018-19 मधील ₹ 23,015.33 कोटींवरून (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 0.91 टक्के) वाढून 2022-23 मध्ये ₹ 67,601.87 कोटी (स्थूल उत्पन्नाच्या 1.92 टक्के) झाली.

महसुली खर्चांतर्गत, वचनबद्ध खर्चाच्या प्रमाणाचा सर्वात मोठा हिस्सा होता. वचनबद्ध खर्च हा संसाधनांवर भारीत असतो आणि यामध्ये व्याज प्रदाने, वेतन व मजुरी यावरील खर्च आणि निवृत्तीवेतन यांचा समावेश होतो. 2022-23 दरम्यान व्याज प्रदाने, वेतन व निवृत्तीवेतन यावरील वचनबद्ध खर्चाचे प्रमाण 54.38 टक्के होते. वचनबद्ध खर्च हा 10.98 टक्के सरासरी दराने वाढला म्हणजेच 2018-19 मधील ₹ 1,40,787.57 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 2,21,674.00 कोटी झाला {2021-22 च्या तुलनेत 11.92 टक्क्यांची वाढ (₹ 23,612.26 कोटी)}.

वचनबद्ध खर्चाच्या व्यतिरिक्त, 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान अपरिवर्तनीय खर्च हा महसुली खर्चाच्या 13.90 टक्क्यांवरून 11.35 टक्के असा कमी झाला जे घटता कल दर्शविते. अपरिवर्तनीय खर्च हा 2021-22 मधील ₹ 40,417.64 कोटींवरून 14.48 टक्के वाढीची नोंद करून 2022-23 मध्ये ₹ 46,271.58 कोटी असा वाढला.

2022-23 मध्ये वचनबद्ध खर्च आणि अपरिवर्तनीय खर्च एकत्रितपणे ₹ 2,67,945.58 कोटी; महसुली खर्चाच्या 65.73 टक्के, होता. वचनबद्ध आणि अपरिवर्तनीय खर्च (ऊर्ध्वगामी) चढत्या कलामुळे शासनाला इतर प्राधान्य क्षेत्रे आणि भांडवल निर्मितीसाठी कमी वाव मिळतो.

वचनबद्ध नसलेल्या खर्चाचा मोठा भाग अर्थसहाय्ये आहेत

वचनबद्ध नसलेल्या खर्चात अर्थसहाय्याचा वाढता कल आहे, जो 2018-19 मधील ₹ 27,397.78 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 43,158.36 कोटी म्हणजेच 2018-19 मधील एकूण खर्चाच्या 10.26 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 10.59 टक्के असा वाढला. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागात ₹ 18,377.24 कोटी (एकूण अर्थसहाय्याच्या 42.58 टक्के) अर्थसहाय्याचा लक्षणीय वाटा होता.

हमीमुळे आकस्मिक दायित्वे

2022-23 मध्ये शासनाने ₹ 14,200 कोटींच्या कर्जावर हमी दिली. 2022-23 दरम्यान कोणतीही हमी आवाहित (इनव्होक) करण्यात आली नाही. तथापि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्त महामंडळ मर्यादित 2013-14 मध्ये आवाहित करण्यात आलेल्या ₹ 20.26 कोटींच्या हमीची फेड अद्याप केली नाही.

राजकोषीय शाश्वतता

तूट, कर्ज आणि दायित्वांची पातळी, अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जे, हमी, अर्थसहाय्य इत्यादी सारख्या स्थूल-राजकोषीय निकषांच्या (मॅक्रो-फिस्कल पॅरामीटर्स) अनुसार राजकोषीय शाश्वततेची तपासणी केली जाते. महसुल आणि खर्चातील तफावतीचा विचार केला तर एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे वचनबद्ध आणि अपरिवर्तनीय खर्च, ज्यात वेतन

आणि मजुरी, निवृत्तीवेतन प्रदाने, व्याज इत्यादी आणि इतर अपरिवर्तनीय खर्च जसे की केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी वचनबद्धता, राखीव निधीत हस्तांतरण, स्थानिक संस्थांमध्ये हस्तांतरण इत्यादींचा समावेश असतो.

राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन आवश्यकता आणि राजकोषीय मापदंडांचे अनुपालन

राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम/नियम हे स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार महसुली तूट, राजकोषीय तूट, कर्ज यासाठी मर्यादा विहित करतात. 2022-23 मध्ये महसुली आधिक्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत महसुली तूट (-) 0.05 टक्के होती; राजकोषीय तूट 3.50 टक्के मर्यादेच्या तुलनेत 1.92 टक्के; ऋण 18.14 टक्के मर्यादेच्या तुलनेत 18.73 टक्के होते.

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषणानुसार, महाराष्ट्र शासनाचे लोक ऋण हे 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान थकित लोक ऋणाच्या वार्षिक सरासरी 9.92 टक्के दराने वाढले. महाराष्ट्राचे लोक ऋण-स्थूल राज्य उत्पन्न गुणोत्तर 2018-19 मधील 13.25 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 14.72 टक्क्यांपर्यंत वाढले, जे स्थिरतेकडे नेणारे आहे असे मानता येणार नाही.

2018-19 ते 2022-22 या कालावधी दरम्यान राज्याने केवळ 2018-19 दरम्यान प्राथमिक आधिक्याची नोंद केली. 2018-19 ते 2020-21 दरम्यान जी-आर (डोमार गॅप) नकारात्मक (निगेटिव्ह) होता. कोविड-19 महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीच्या परिणामी 2020-21 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची नकारात्मक वाढ झाली होती. त्यानंतर, 2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान या दोन्ही वर्षांत प्राथमिक तुटीसहित जी-आर सकारात्मक झाला जे सूचित करते की स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण अखेरीस शून्यापेक्षा जास्त स्थिर पातळीवर विलीन झाला.

तसेच, लोक ऋणांचा मोठा हिस्सा हा पूर्वीच्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी वापरला गेला ज्यामुळे उत्पादनक्षम वापरसाठी कमी वाव मिळाला.

विश्लेषण आणि परिणामाची वर चर्चा केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती पाहिली तर असे निदर्शनास येते की ऋण स्थिरीकरण निर्देशांक सध्या निर्णायक चढत्या श्रेणीऐवजी स्थिर आहे. परिमाण विस्तार आणि प्राथमिक तूट यांचा समावेश असलेल्या ऋण स्थिरीकरण निर्देशांकात (2019-21) या काळात घट झाली आणि त्यानंतर महामारीनंतरच्या वर्षात हळुहळू वाढ दिसून आली. तथापि, ऋण स्थिरीकरणासाठी अद्याप ही स्थिती स्थिर अवस्थेत पोहोचलेली नाही. शिवाय, महामारीनंतर स्थूल राज्य उत्पन्नाशी लोक ऋण आणि स्थूल राज्य उत्पन्नाशी एकूण दायित्वात झालेली सुधारणा सूचित करते की कर्जाची स्थिती खराब झालेली नाही, परंतु ती अद्याप अशा उंबरठ्यावर पोहोचलेली नाही जिथे असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की कर्ज स्थिरीकरण वाढत्या कलाच्या मार्गावर आहे.

अर्थसंकल्पीय कामगिरी

एकूण खर्चाची निष्पत्ती

अर्थसंकल्पीय हेतू आणि अर्थसंकल्पीय अंमलबजावणीच्या परिभाषेत अर्थसंकल्पाच्या कामगिरीचे निर्धारण करण्यासाठी मूळ मंजूर रकमेची आधिक्य आणि बचत या दोन्हीच्या संदर्भात एकूण खर्चाच्या कोणत्या मर्यादेपर्यंत घसरण झाली याची तपासणी केली जाते. महसूल विभागात मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत घसरणीमधील विचलन (डेव्हिएशन) 4.74 टक्के होते. हे 101 अनुदानांमध्ये 0 ते ± 25 टक्के दरम्यान, 42 अनुदानांमध्ये ± 25 ते ± 50 टक्के दरम्यान, 21 अनुदानांमध्ये ± 50 ते 100 टक्के दरम्यान आणि 13 अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा अधिक विचलन झाल्याने होते. भांडवली विभागात मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत घसरणीमधील विचलन 10.24 टक्के होते. हे 75 अनुदानांमध्ये 0 ते ± 25 टक्के दरम्यान, 17 अनुदानांमध्ये ± 25 ते ± 50 टक्के दरम्यान, 12 अनुदानांमध्ये ± 50 टक्के ते 100 टक्के दरम्यान आणि 14 अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांइतके किंवा त्याहून अधिक विचलन झाल्याने होते. तथापि, भांडवली विभागातील दोन अनुदानांबाबत कोणतीही मूळ तरतूद करण्यात आली नव्हती.

खर्चाच्या रचनेतील निष्पत्ती

अंमलबजावणी दरम्यान मुख्य अर्थसंकल्पीय बाबींमधील पुनर्वाटपामुळे खर्चाच्या रचनेत किती फरक पडला आहे याकडेही अर्थसंकल्पाच्या कामगिरीत लक्ष दिले जाते. अंतिम अर्थसंकल्प आणि प्रत्यक्ष खर्च यातील तफावत किती आहे, हे या मोजमापातून दिसून येते. महसूल विभागात सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत निष्पत्तिमध्ये 16.68 टक्के विचलन होते. हे 107 अनुदानांमध्ये 0 ते ± 25 टक्के, 43 अनुदानांमध्ये ± 25 ते ± 50 टक्के, 18 अनुदानांमध्ये ± 50 टक्के ते 100 टक्के आणि 12 अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांइतके किंवा त्याहून अधिक विचलन झाल्याने होते. भांडवली विभागात सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत निष्पत्तिमध्ये 23.06 टक्के विचलन होते. हे 80 अनुदानांमध्ये 0 ते ± 25 टक्के, 17 अनुदानांमध्ये ± 25 ते ± 50 टक्के, 14 अनुदानांमध्ये ± 50 टक्के ते 100 टक्के आणि नऊ अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक विचलन झाल्याने होते.

असे निदर्शनास आले की वर्षभरात 38 दत्तमत अनुदानांमध्ये (प्रत्येक प्रकरणात ₹ 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक) एकूण ₹ 26,214.03 कोटींच्या प्राप्त झालेल्या पुरवणी तरतुदी अनावश्यक ठरल्या कारण ₹ 1,97,603.19 कोटींचा प्रत्यक्ष खर्च हा मूळ तरतुदीच्या स्तरापर्यंत पोहोचला नाही.

एकंदरीत अर्थसंकल्पीय विश्वासाहतेचे मूल्यमापन असे दर्शविते की प्रत्यक्ष खर्च आणि मूळ अंदाजपत्रक तसेच प्रत्यक्ष खर्च आणि अंतिम अंदाजपत्रक यांच्यातील विचलन सहा टक्के होते तरी विविध अनुदानांमध्ये 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त विचलन होते. शिवाय, असेही निदर्शनास आले की अनेक प्रकरणांमध्ये पुरवणी अनुदान होते तिथे मूळ अनुदानापर्यंतही खर्च झाला नव्हता. अशा विचलनांना सामोरे जाण्यासाठी विश्वासाह अर्थसंकल्पीय कार्यपद्धतीची आवश्यकता आहे.

लेख्यांची गुणवत्ता आणि वित्तीय प्रतिवेदन

लेख्यांची गुणवत्ता आणि वित्तीय प्रतिवेदनामध्ये अनुपालनातील त्रुटी, नियमितेतील कमकुवतपणा आणि वास्तविक खर्चाचा पुरावा देणाऱ्या त्या लेखा नोंदी किंवा समायोजन नोंदी प्राप्त होण्यास उशीर होण्याशी संबंधित मुद्दे, व्यवहार आणि घटना यांचा समावेश आहे. शासकीय लेख्यांबाहेर निधी ठेवणे (पार्किंग), न/कमी दायित्वे अदा करणे आणि व्यवहारांचे चुकीचे वर्गीकरण आणि विदा अंतर (डेटा गॅप) यासारख्या लेखे आणि वित्तीय प्रतिवेदन यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

अनुदाने/विनियोजने यातील जादा रकमांचे नियमितीकरण

संविधानाच्या अनुच्छेद 204 व 205 (1) (ब) नुसार अनुदाने/विनियोजने यातील जादा रकमांचे नियमितीकरण राज्य विधिमंडळाने करवयाचे आहे. असे निदर्शनास आले की 2022-23 मध्ये सहा दत्तमत अनुदाने आणि दोन भारतीय विनियोजनांमध्ये ₹ 71.66 कोटी अतिरिक्त खर्च झाले, जे नियमित करणे आवश्यक होते.

ताळमेळ

महाराष्ट्र कोषागार नियमावलीनुसार सर्व विभागांनी आपले खर्च व जमा यांचा महालेखाकार कार्यालयातील लेख्यांमध्ये नोंद केलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने एकूण खर्चाच्या 14.20 टक्के आणि जमेच्या 2.22 टक्के रकमांचा ताळमेळ केला नव्हता.

लेख्यांमध्ये चुकीचे वर्गीकरण

असे निदर्शनास आले की ₹ 3,440.70 कोटींच्या रकमा महसुली विभागाऐवजी भांडवली विभागात चुकीच्या अर्थसंकल्पित करून नोंदविल्या.

वैयक्तिक ठेव लेखांचे व्यवहार

वैयक्तिक ठेव लेखे असलेल्या संबंधित प्रशासकांनी कोषागार ताळमेळ करण्याच्या आवश्यकतेच्या अनुसार वैयक्तिक ठेव लेखांच्या केवळ 46 प्रशासकांनी (1,482 पैकी) त्यांच्या शिलकीशी ताळमेळ घेतला आणि पडताळणी केली. तसेच, ₹ 64.14 कोटी शिल्लक असलेल्या 155 वैयक्तिक ठेवी चालकांच्या लेख्यांमध्ये रकमा एक वर्षापेक्षा जास्त निष्क्रिय पडून होत्या आणि ₹ 21.23 कोटी शिल्लक असलेल्या 109 वैयक्तिक ठेवी चालकांच्या लेख्यांमध्ये रकमा तीन वर्षापेक्षा जास्त निष्क्रिय पडून होत्या.

एकल नोडल अभिकरणांना निधी

केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाने प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी अंमलबजावणी आणि निधी प्रवाह साठी एकल नोडल अभिकरण प्रणाली सुरू केली आहे. भारत सरकार आणि राज्य शासनाचा हिस्सा एकल नोडल अभिकरणांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीच्या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, 2022-23 दरम्यान, ₹ 28,227.39 कोटी (भारत सरकारचा ₹ 14,532.65 कोटींचा हिस्सा आणि राज्य शासनाचा ₹ 13,694.74 कोटींचा हिस्सा) एकल नोडल अभिकरणांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीच्या अहवालानुसार, 31 मार्च 2023 रोजी ₹ 16,938.47 कोटी हे एकल नोडल अभिकरणांच्या बँक खात्यांमध्ये अखर्चित पडून होते.

सशर्त अनुदानाच्या बदल्यात उपयोगिता प्रमाणपत्रे

सशर्त अनुदानाच्या बदल्यात उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक असतानाही 31 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाच्या 29 विभागांशी संबंधित ₹ 25,759.38 कोटींची 9280 उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती.

संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या बदल्यात तपशीलवार आकस्मिक देयके

तसेच, संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या माध्यमातून काढलेल्या आगाऊ रकमांच्या बदल्यात तपशीलवार आकस्मिक देयके सादर करण्याची आवश्यकता असून देखील 31 मार्च 2023 रोजी ₹ 4,185.96 कोटींच्या 1837 संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या बदल्यात तपशीलवार आकस्मिक देयके सादर करण्यासाठी प्रलंबित होती, त्यापैकी, ₹ 2,730.91 कोटींची 961 संक्षिप्त आकस्मिक देयके ही 2020-21 पर्यंतच्या कालावधीशी संबंधित होती.

प्रचलित नियम आणि संहितांच्या तरतुदींचे अनुपालन हे लेखे आणि वित्तीय प्रतिवेदनातील नियंत्रण आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी अभिप्रेत आहे. अनुपालन न केल्याने आणि विचलन याने लेखे आणि वित्तीय प्रतिवेदनेच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. सशर्त अनुदानाच्या बदल्यात उपयोगिता प्रमाणपत्रे वेळेवर सादर न करणे, संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या बदल्यात तपशीलवार आकस्मिक देयके सादर न करणे, वैयक्तिक ठेव लेखांमध्ये निधी ठेवल्याने लेखांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला.

राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे कामकाज

महाराष्ट्रात 31 मार्च 2023 रोजी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षण अधिकारक्षेत्रात राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील 110 उपक्रम होते, ज्यात 10 वैधानिक महामंडळे आणि 87 शासकीय कंपन्या (19 निष्क्रिय शासकीय कंपन्यांसह) आणि 13 शासन नियंत्रित इतर कंपन्या होत्या. लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की ज्यांचे 261 लेखे प्रलंबित आहेत अशा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील 96 उपक्रमांनी वित्तीय विवरणपत्रे सादर करण्यासंदर्भातील विहित मुदतीचे पालन केले नाही. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील 47 उपक्रमांनी कमावलेल्या ₹ 1,833.29 कोटींच्या एकूण नफ्यापैकी 90.93 टक्के योगदान केवळ राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील 10 उपक्रमांचे होते. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील 45 उपक्रमांना झालेल्या एकूण ₹ 3,623.40 कोटींच्या तोट्यापैकी ₹ 3,355.13 कोटींच्या तोटा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील चार उपक्रमांना झाला होता.

राज्य शासनाने राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या व्यवस्थापनांना त्यांची वित्तीय विवरणपत्रे वेळेत सादर करण्यासाठी आणि प्रलंबिततेचा निपटारा काटेकोरपणे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रभाव टाकावा. अंतिम केलेल्या लेख्यांच्या अभावी अश्या राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील शासकीय गुंतवणूक राज्य विधिमंडळाच्या देखरेखीबाहेर राहते. राज्य शासनाने तोट्यात असलेल्या राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील तोट्यांच्या कारणांचे विश्लेषण देखील करावे आणि त्यांचे कामकाज कार्यक्षम आणि फायदेशीर करण्यासाठी पावले उचलावीत. राज्य शासनाने निष्क्रिय शासकीय कंपन्यांचा आढावा घ्यावा आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवन/बंद करण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावा. राज्य शासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या 2012 च्या निर्णयानुसार नफा कमावणाऱ्या राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या व्यवस्थापनांवर लाभांश जाहीर करण्यासाठी प्रभाव टाकावा.

प्रकरण - I

आढावा

प्रकरण I: आढावा

1.1. राज्याची रूपरेषा

भारताच्या पश्चिम भागात महाराष्ट्र वसला असून पश्चिमेला अरबी समुद्राची सीमा आहे. याच्या वायव्येस गुजरात, उत्तरेस मध्य प्रदेश, पूर्वेस छत्तीसगड, आग्नेयेला तेलंगणा, दक्षिणेस कर्नाटक व नैऋत्येस गोवा ही राज्ये आहेत. याला 720 किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. हे भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने (3.08 लाख चौरस किलोमीटर) तिसरे सर्वात मोठे राज्य आहे आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे.

राज्याची लोकसंख्या 2013 मधील 11.49 कोटीवरून वाढून ती 2023 मध्ये 12.64 कोटी झाली, ज्यात दशकातील 9.98 टक्के वाढ नोंदवली गेली. अखिल भारतीय सरासरी 21.92 टक्क्यांच्या तुलनेत 2011-12 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी 17.35 टक्के होती. राज्यात 36 जिल्हे आणि 358 तालुके आहेत. राज्याचा साक्षरतेचा दर 82.30 टक्के असून तो अखिल भारतीय सरासरी 73 टक्क्यांपेक्षा नऊ टक्के अधिक आहे. (2011 च्या जनगणनेनुसार). **परिशिष्ट 1.1** मध्ये राज्याची रूपरेषा दाखविली आहे.

1.1.1 राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न

स्थूल राज्य उत्पन्न म्हणजे विशिष्ट कालावधीत राज्याच्या हद्दीत उत्पादित सर्व अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त वस्तू आणि सेवांचे मूल्य. स्थूल राज्य उत्पन्नामधील वाढ ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे सूचक आहे, कारण कालांतराने राज्याच्या आर्थिक विकासाच्या पातळीवर किती बदल झाले आहेत हे दर्शविते.

सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न आणि सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वार्षिक वाढीचा सध्याच्या किंमतीवरील कल **तक्ता 1.1** मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 1.1: देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत स्थूल राज्य उत्पन्नामधील कल (चालू किंमतीवर)


(₹ कोटीत)

| वर्ष | 2018-19 | 2019-20 ⁺⁺⁺ | 2020-21 ⁺⁺ | 2021-22 ⁺ | 2022-23 [§] (आगाऊ अंदाज) |
|---|----------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| भारत | | | | | |
| स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न (2011-12 मालिका) | 18899668 | 20103593 | 19829927 | 23471012 | 27240712 |
| स्थूल मूल्यवृद्धी (चालू किंमतीवर) | 17175128 | 18381117 | 18188780 | 21438883 | 24742871 |
| मागील वर्षाच्या तुलनेत स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाचा विकास दर (टक्केवारीत) | 10.59 | 6.37 | -1.36 | 18.36 | 16.06 |
| मागील वर्षाच्या तुलनेत मूल्यवृद्धीचा विकास दर (टक्केवारीत) | 10.77 | 7.02 | -1.05 | 17.87 | 15.41 |
| दरडोई देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न (₹ मध्ये) | 142424 | 149915 | 146301 | 171498 | 196983 |
| महाराष्ट्र | | | | | |
| स्थूल राज्य उत्पन्न (2011-12 मालिका) | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी (चालू किंमतीवर) | 2216768 | 2351135 | 2325838 | 2769435 | 2958694 |
| गेल्या वर्षाच्या तुलनेत स्थूल राज्य उत्पन्नाचा वाढीचा दर (टक्के) | 7.48 | 5.08 | -1.12 | 18.29 | 13.48 |
| गेल्या वर्षाच्या तुलनेत स्थूल मूल्यवृद्धीचा विकास दर (टक्केवारीत) | 7.38 | 6.06 | -1.08 | 19.07 | 6.83 |
| दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न (₹ मध्ये) | 207833 | 216365 | 211965 | 248632 | 279974 |
| स्त्रोत: सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (https://mospi.gov.in/web/mospi/download-tables-data/-/reports/view) | | | | | |
| § आगाऊ अंदाज + पहिला सुधारित अंदाज ++ दुसरा सुधारित अंदाज +++ तिसरा सुधारित अंदाज | | | | | |

महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न चालू किमतीनुसार 2018-19 मध्ये ₹ 25,28,854 कोटीवरून 2022-23 मध्ये 8.67 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने वाढून चालू किमतीनुसार ₹ 35,27,084 कोटीवर पोहोचले. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत स्थूल राज्य उत्पन्नाचा विकास दर 2020-21 वगळता देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाच्या वाढीच्या दरापेक्षा कमी होता.


देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत स्थूल मूल्यवृद्धी हा आर्थिक विकासाचा चांगला निर्देशांक मानला जात असल्यामुळे आणि कर आणि अर्थसहाय्याच्या (सबसिडी) परिणामाकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे भारत सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून आर्थिक विश्लेषणासाठी स्थूल मूल्यवृद्धी वापरले जात आहे. देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नाची गणना खाजगी उपभोग खर्च, शासकीय उपभोग खर्च आणि स्थूल स्थिर भांडवल निर्मिती किंवा गुंतवणूक खर्च यासह अर्थव्यवस्थेत झालेल्या विविध प्रकारच्या खर्चाची बेरीज म्हणून केली जाऊ शकते आणि केली जाते, जी अर्थव्यवस्थेतील मागणीच्या परिस्थितीवर मूलतः प्रतिबिंबित करते. अर्थसहाय्य आणि निव्वळ करांच्या उपचारांमध्ये दोन्ही परिमाण भिन्न आहेत. स्थूल मूल्यवृद्धीमध्ये करांचा समावेश नाही तर देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नामध्ये आहे. करांच्या समावेशाच्या या फरकांचा परिणाम म्हणून, देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न हे वास्तविक उत्पन्न परिस्थितीपेक्षा भिन्न असू शकते. धोरणकर्त्यांच्या दृष्टीकोनातून, म्हणूनच, अधिक चांगल्या विश्लेषणासाठी आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्यासाठी स्थूल मूल्यवृद्धी आणि स्थूल राज्य मूल्यवृद्धी विदाची तुलना करणे महत्वाचे आहे.

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीसाठी स्थूल राज्य उत्पन्न आणि स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीच्या वाढीचा कल **आलेख 1.1** मध्ये दर्शविला आहे.



(स्रोत: महाराष्ट्राचे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)

स्थूल राज्य उत्पन्नामधील क्षेत्रीय योगदानातील बदल हे अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या रचनेचे द्योतक आहे. गेल्या पाच वर्षांतील स्थूल राज्य उत्पन्नाची क्षेत्रवार वाढ **आलेख 1.2** मध्ये तपशीलवार दिली आहे.



(स्रोत: महाराष्ट्राचे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23)

(2019-20: तिसरा सुधारित अंदाज; 2020-21: दुसरा सुधारित अंदाज; 2021-22: पहिला सुधारित अंदाज; 2022-23: आगाऊ अंदाज)

आलेख 1.2 असे दर्शवितो की, 2021-22 दरम्यान, स्थूल राज्य मूल्यवृद्धीमध्ये योगदान देणाऱ्या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली, ज्याचे श्रेय कोविड-19 महामारीनंतर आर्थिक क्रियाकलापांच्या पुनर्प्राप्तीस दिले गेले.

1.2 राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा अहवालाचा आधार आणि दृष्टीकोन

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 151(2) नुसार, एखाद्या राज्याच्या लेखांशी संबंधित भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचे अहवाल राज्याच्या राज्यपालांना सादर करावे लागतात, जे ते राज्याच्या विधिमंडळासमोर ठेवतात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 151(2) अन्वये राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा अहवाल तयार करून सादर केला जातो.

महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई हे प्रारंभिक हिशेब ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या कोषागार, कार्यालये आणि विभागांनी सादर केलेल्या प्रारंभिक खात्यांमधून आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त झालेल्या विवरणपत्रांमधून दरवर्षी राज्याचे वित्तीय लेखे व विनियोजन लेखे तयार करते. या लेखांचे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून स्वतंत्रपणे लेखापरीक्षण केले जाते आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांद्वारे प्रमाणित केले जाते.

राज्याचे वित्तीय लेखे आणि विनियोजन लेखे हे या अहवालाचा मूळ विदा आहे. इतर स्रोतांचा विचार करून देखील विश्लेषण केले होते, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

- राज्याचा अर्थसंकल्प- अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत राजकोषीय निकष आणि प्राधान्यक्रमांचे मूल्यमापन करणे, तसेच त्याच्या अंमलबजावणीच्या परिणामकारकतेचे मूल्यमापन करणे आणि संबंधित नियम आणि विहित कार्यपद्धतींचे पालन करणे.
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई व महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाचे निकाल.
- विभागीय अधिकारी आणि कोषागारांकडून प्राप्त झालेली इतर आर्थिक आकडेवारी.

- स्थूल राज्य उत्पन्न विदा आणि राज्याशी संबंधित इतर विदा.
- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अहवाल.
- महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005.
- भारत सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे.

शासनाची उत्तरे, जिथे प्राप्त झाली आहेत, ती योग्य ठिकाणी या अहवालात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

1.3 शासकीय लेख्यांची रचना आणि अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेचा आढावा

राज्य शासनाचे लेखे तीन भागांत ठेवण्यात येतात:

1. राज्याचा एकत्रित (एकत्रीकृत) निधी (भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 266(1))

या निधीमध्ये राज्य शासनाला मिळणारा सर्व महसूल, राज्य शासनाने घेतलेली सर्व कर्जे (बाजार कर्जे, रोखे, केंद्र सरकारकडून घेतलेली कर्जे, वित्तीय संस्थांकडून कर्जे, राष्ट्रीय अल्पबचत निधीला देण्यात आलेले विशेष रोखे इ.), भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले अर्थोपाय अग्रिमे आणि राज्य शासनाला कर्जाच्या परतफेडीसाठी प्राप्त झालेल्या सर्व रकमा यांचा समावेश होतो. कायदानुसार आणि भारतीय संविधानात दिलेल्या उद्देशांसाठी आणि पद्धतीशिवाय या निधीतून कोणत्याही रकमेचा विनियोग करता येणार नाही. खर्चाच्या काही श्रेणी (उदा. घटनात्मक अधिकाऱ्यांचे वेतन, कर्जाची परतफेड इ.) ह्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारीत असतात (भारीत खर्च) आणि विधिमंडळाच्या मतदानाच्या अधीन नसतात. इतर सर्व खर्च (दत्तमत खर्च) विधिमंडळाद्वारे मतदानाने केले जातात.

2. राज्याचा आकस्मिक निधी (भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 267(2))

हा निधी अग्रधन स्वरूपाचा असतो, जो राज्य विधिमंडळाने कायदाने स्थापन केलेला आणि राज्य विधिमंडळाकडून अशा खर्चास मान्यता मिळेपर्यंत अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी आगाऊ रक्कम देता यावी यासाठी राज्यपालांच्या ताब्यात ठेवला जातो. झालेला खर्च हा राज्याच्या एकत्रित निधीच्या संबंधित कार्यात्मक मुख्यशीर्षामधून वजा (डेबिट) करून हा निधी परत (रीकूप) केला जातो.

3. राज्याचे लोक लेखे (भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 266(2))

वरील दिलेल्या व्यतिरिक्त, जेथे शासन बँकर किंवा विश्वस्त म्हणून कार्य करते तेथे शासनाकडून किंवा त्यांच्यावतीने प्राप्त होणा-या इतर सर्व लोक रकमा या लोक लेख्यांमध्ये जमा केल्या जातात. अल्पबचत आणि भविष्य निर्वाह निधी, ठेवी (व्याजधारक आणि व्याजरहित), अग्रिमे, राखीव निधी (व्याजधारक आणि व्याजरहित), वित्तप्रेषण आणि निलंबन (सस्पेन्स) शीर्ष (अंतिम नोंद प्रलंबित असेपर्यंत ही दोन्ही तात्पुरती शीर्ष आहेत) यासारख्या परतफेडीचा लोक लेख्यात समावेश आहे. शासनाकडे उपलब्ध निव्वळ रोख शिल्लक देखील; लोक लेख्यात समाविष्ट केली जाते. लोक लेखे विधिमंडळाच्या मतदानाच्या अधीन नसतात.

अर्थसंकल्प दस्तऐवज

भारतात प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या संदर्भात राज्य शासनाच्या अंदाजित जमा आणि खर्चाचे विवरणपत्र राज्याच्या विधिमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर सादर करणे घटनात्मक आवश्यकता आहे (अनुच्छेद 202). हे “वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र” हा मुख्य अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज आहे. शिवाय अर्थसंकल्पात महसुली खात्यावरील खर्च हा इतर खर्चापेक्षा वेगळा असणे आवश्यक आहे. यात खालील प्रमाणे समाविष्ट आहे:

- **महसुली जमामध्ये** कर महसूल, करेतर महसूल, केंद्रीय कर/शुल्काचा हिस्सा आणि भारत सरकारकडून अनुदाने यांचा समावेश आहे.
- **महसुली खर्चात** राज्य शासनाच्या त्या सर्व खर्चाचा समावेश होतो, ज्यामुळे भौतिक किंवा वित्तीय मालमत्ता तयार होत नाही. राज्य शासनाच्या विभागांच्या व विविध सेवांच्या सामान्य कामकाजासाठी होणारा खर्च, राज्य शासनाने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज प्रदाने आणि विविध संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान (जरी काही अनुदाने मालमत्ता निर्मितीसाठी असली तरी) यांच्याशी संबंधित आहे.


- **भांडवली जमांमध्ये हे समाविष्ट आहे:**
 - **ऋण जमा:** बाजार कर्ज, रोखे, वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे, अर्थोपाय अग्रिमे अंतर्गत निव्वळ व्यवहार, केंद्र सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे इत्यादी.
 - **ऋणतर जमा:** निर्गुतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न, कर्जाची वसुली व अग्रिमे.
- **भांडवली खर्चामध्ये** जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री, उपकरणे यावरील खर्च, भागभांडवलांमधील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक उपक्रम आणि इतर संस्थांना राज्य शासनाकडून कर्ज आणि अग्रिमे यांचा समावेश आहे.

सद्यस्थितीत आपल्याकडे राज्य शासनाकडे कार्यक्षम आणि काटकसरीची असे दोन्हीही असलेली एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली आहे.

| | व्यवहाराचे गुणधर्म | वर्गीकरण |
|---|---------------------------------|--|
| महालेखा नियंत्रक यांच्याद्वारे प्रमाणित केलेली मुख्य आणि गौण शीर्ष यांची यादी | कार्य- शिक्षण, आरोग्य इ./ विभाग | मुख्यशीर्षाखालील अनुदाने (4 अंकी) |
| | उप-कार्य | उप मुख्यशीर्ष (2 अंकी) |
| | कार्यक्रम | गौण शीर्ष (3 अंकी) |
| राज्यांना लवचिकता प्रदान | योजना | उप शीर्ष (2 अंकी) |
| | उप-योजना | सविस्तर शीर्ष (2 अंकी) |
| | आर्थिक स्वरूप/क्रियाकलाप | उद्देश शीर्ष (2 अंकी) पगार, गौण कामे इत्यादी. |

कार्यात्मक वर्गीकरणामुळे आपल्याला विभाग, कार्य, योजना किंवा कार्यक्रम आणि खर्चाचा उद्देश कळतो. आर्थिक वर्गीकरण प्रदाने ही महसूल, भांडवल, कर्ज इ. म्हणून संघटित करण्यास मदत करते. आर्थिक वर्गीकरण चार अंकी मुख्यशीर्षातील पहिल्या अंकाच्या तर्कसंगतेद्वारे साध्य केले जाते. उदा., 0 व 1 महसुली जमांसाठी, 2 व 3 महसुली खर्चासाठी इ. आर्थिक वर्गीकरण हे काही उद्देश शीर्षाच्या अंगभूत व्याख्या व वितरणाद्वारे साध्य केले जाते. उदाहरणार्थ, “पगार” उद्देश शीर्ष म्हणजे महसुली खर्च, तर “बांधकाम” उद्देश शीर्ष म्हणजे भांडवली खर्च. उद्देश शीर्ष हे अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजातील विनियोजनाचे प्राथमिक एकक आहे.

शासकीय लेखांच्या संरचनेचे सचित्र वर्णन पुढीलप्रमाणे:-



लोक ऋण आणि लोक दायित्व

या अहवालात 'लोक ऋण' यामध्ये बाजारातील कर्ज, संस्थात्मक कर्ज, राष्ट्रीय अल्पबचत निधीला देण्यात आलेले विशेष कर्जरोखे, केंद्र शासनाने दिलेले कर्ज इत्यादींचा समावेश आहे. यासाठी 6003 व 6004- लोक ऋण या मुख्य शीर्षाचा विचार करण्यात आला आहे.

याशिवाय लोक लेखांतर्गत 'अल्पबचत भविष्य निर्वाह निधी इ.', 'राखीव निधी' आणि 'ठेवी आणि अग्रिमे' यांच्याशी संबंधित व्यवहार असे आहेत की प्राप्त झालेल्या रकमांची परतफेड करण्याचे दायित्व शासनावर असते किंवा भरलेली रक्कम वसूल करण्याचा दावा केलेला असतो. लेखांतर्गत 'वित्तप्रेषण' आणि 'निलंबन' यांच्याशी संबंधित व्यवहारांमध्ये केवळ कोषागार आणि तिजोरी दरम्यान रोख रक्कम पाठविणे आणि विविध लेखा वर्तुळात हस्तांतरण यासारख्या व्यवहारांचे समायोजन करणे समाविष्ट आहे.

या अहवालात 8001 ते 8554 "अल्पबचत, भविष्य निर्वाह निधी इ.", 'राखीव निधी' आणि 'ठेवी आणि अग्रिमे' या प्रमुख शिर्षकांखालील व्यवहारांसह 6003 व 6004 या मुख्य शीर्षाखालील व्यवहारांचा समावेश करण्यासाठी या अहवालात 'लोक दायित्व' याचा समावेश करण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 202 नुसार राज्याचे राज्यपाल यांनी 2022-23 या वर्षासाठीच्या राज्याच्या अंदाजित जमा आणि खर्चाचे विवरण वार्षिक वित्तीय विवरणपत्राच्या स्वरूपात (ज्याला अर्थसंकल्प म्हणून संबोधले जाते) राज्य विधिमंडळासमोर ठेवले. अनुच्छेद 203 नुसार हे विवरणपत्र अनुदान/विनियोजन मागण्यांच्या स्वरूपात राज्य विधिमंडळात सादर केले व ते मंजूर झाल्यानंतर एकत्रित निधीतून आवश्यक रकमेच्या विनियोजनाची तरतूद करण्यासाठी अनुच्छेद 204 अन्वये विनियोजन विधेयक विधिमंडळात संमत केले.

राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा अहवाल तयार करण्यासाठी वित्तीय लेखे आणि विनियोजन लेखे यांचा मूळ विदा म्हणून समाविष्ट आहे. हे लेखे 2022-23 या वर्षातील राज्याच्या प्रत्यक्ष जमा आणि खर्चावर आधारित आहेत, ज्यात भारतीय रिझर्व बँकेने केलेल्या विविध आंतर-शासकीय आणि इतर समायोजनांचा समावेश आहे. या

जमा व खर्चाचा अंदाज अर्थसंकल्पात आहे आणि खर्चास राज्य विधिमंडळाने मान्यता दिली आहे, हे लक्षात घेऊन राज्याच्या 2022-23 च्या अंदाजपत्रकाचा बारकाईने अभ्यास करून अर्थसंकल्पातील अंदाजांच्या अनुषंगाने वर्षभरातील प्रत्यक्ष जमा व खर्चाचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेत अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील देण्यात आला असून अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करणे आणि खर्चाच्या कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य शासनाला मार्गदर्शन केले जाते. लेखापरीक्षण, अंदाजपत्रकाची छाननी आणि राज्य शासनाच्या इतर अर्थसंकल्पीय उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचे निकाल या अहवालाच्या प्रकरण III मध्ये तपशीलवार दिले आहेत.

1.3.1 वित्तव्यवस्थेचे संक्षिप्त चित्रण

2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत 2021-22 आणि 2022-23 या वर्षातील प्रत्यक्ष आर्थिक निकाल यांचे संक्षिप्त चित्रण खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

तक्ता 1.2: अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | घटक | 2021-22 प्रत्यक्ष | 2022-23 | | प्रत्यक्षशी अर्थसंकल्पीय अंदाजांची टक्केवारी | प्रत्यक्षशी स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी |
|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | | अर्थसंकल्पीय अंदाज | प्रत्यक्ष | | |
| 1 | कर महसूल | 275245.19 | 308113.46 | 337487.28 | 109.53 | 9.57 |
| | स्वतःचा कर महसूल | 220927.13 | 256525.71 | 277486.31 | 108.17 | 7.87 |
| | केंद्रीय कर/शुल्काचा हिस्सा | 54318.06 | 51587.75 | 60000.97 | 116.31 | 1.70 |
| 2 | करेतर महसूल | 19306.70 | 27128.13 | 16776.41 | 61.84 | 0.48 |
| 3 | सहाय्यक अनुदान व अंशदान | 38759.68 | 68185.64 | 51414.24 | 75.40 | 1.46 |
| 4 | महसुली जमा (1+2+3) | 333311.57 | 403427.23 | 405677.93 | 100.56 | 11.50 |
| 5 | कर्जे व अग्रिमे वसुली | 1178.88 | 2378.99 | 642.62 | 27.01 | 0.02 |
| 6 | इतर जमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | कर्जे आणि इतर दायित्वे ^(अ) | 64301.86 | 89598.34 | 67601.87 | 75.45 | 1.92 |
| 8 | भांडवली जमा (5+6+7) | 65480.74 | 91977.33 | 68244.49 | 74.20 | 1.93 |
| 9 | एकूण जमा (4+8) | 398792.31 | 495404.56 | 473921.55 | 95.66 | 13.44 |
| 10 | महसुली खर्च ज्यापैकी | 349685.89 | 427780.12 | 407614.40 | 95.29 | 11.56 |
| 11 | व्याज प्रदाने | 40158.04 | 46763.23 | 41689.16 | 89.15 | 1.18 |
| 12 | भांडवली खर्च ज्यापैकी | 49106.42 | 67624.43 | 66308.02 | 98.05 | 1.88 |
| 13 | भांडवली खर्च | 46670.39 | 65210.39 | 61643.61 | 94.53 | 1.75 |
| 14 | कर्ज आणि अग्रिमे | 2436.03 | 2414.04 | 4664.41 | 193.22 | 0.13 |
| 15 | एकूण खर्च (10+12) | 398792.31 | 495404.55 | 473922.42 | 95.66 | 13.44 |
| 16 | महसुली तूट (4-10) | (-)16374.32 | (-)24352.89 | (-)1936.47 | 7.95 | -0.05 |
| 17 | राजकोषीय तूट {(4+5+6)-15} | (-)64301.86 | (-)89598.33 | (-)67601.87 | 75.45 | -1.92 |
| 18 | प्राथमिक तूट (17-11) | (-)24143.82 | (-)42835.10 | (-)25912.71 | 60.49 | -0.73 |

स्त्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे
(अ) कर्जे व इतर दायित्वे : लोक ऋणाचे निव्वळ (जमा-संवितरणे) + आकस्मिकता निधीचे निव्वळ (जमा-संवितरणे)
+ लोक लेखाचे निव्वळ (जमा-संवितरणे) + आरंभिक व अंतिम रोख शिल्लकीचे निव्वळ

2022-23 दरम्यान राज्याचा प्रत्यक्ष कर महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा, ₹ 29,373.82 कोटी (9.53 टक्के) जास्त होता. 2022-23 मध्ये महसुली खर्च (₹ 4,07,614.40 कोटी) महसुली जमापेक्षा (₹ 4,05,677.93 कोटी) जास्त झाला, परिणामी महसुली तूट ₹ 1,936.47 कोटी झाली.

वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान वस्तु व सेवा कर भरपाई निधीतील अपुऱ्या शिल्लक रकमेमुळे केंद्र सरकारने कर्ज घेतले आणि राज्यांवर परतफेडीचे कोणतेही दायित्व नसणारे लागोपाठ कर्ज म्हणून राज्यांना दिले. महाराष्ट्राला 2021-22 मध्ये ₹ 13,782.36 कोटी आणि 2020-21 मध्ये ₹ 11,977 कोटीचे लागोपाठ कर्ज प्राप्त झाले.

1.3.2 शासनाची मत्ता आणि दायित्व यांचे संक्षिप्त चित्रण

शासकीय लेख्यांमध्ये शासनाची आर्थिक दायित्वे आणि केलेल्या खर्चातून निर्माण झालेली मत्ता यांचा समावेश असतो. दायित्वांमध्ये प्रामुख्याने देशांतर्गत कर्जे, भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे, लोक लेख्यांमधून जमा आणि राखीव निधी आणि मत्तांमध्ये प्रामुख्याने भांडवली खर्च आणि राज्य शासनाने दिलेली कर्जे आणि अग्रिमे आणि रोख शिल्लक यांचा समावेश असतो. 31 मार्च 2022 च्या संबंधित स्थितीच्या तुलनेत 31 मार्च 2023 पर्यंतच्या अशा दायित्वांचा आणि मत्तांचा सारांश तक्ता 1.3 मध्ये देण्यात आला आहे.

तक्ता 1.3: मत्ता आणि दायित्वांची संक्षिप्त स्थिती

(₹ कोटीत)

| दायित्वे | | | | मत्ता | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | 2021-22 | 2022-23 | टक्के वाढ | | 2021-22 | 2022-23 | टक्के वाढ | | |
| एकत्रित निधी | | | | | | | | | |
| ए | देशांतर्गत कर्ज | 445079.61 | 485782.24 | 9.15 | ए | दोबळ भांडवली खर्च | 435889.20 | 497532.81 | 14.14 |
| बी | भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे | 37955.69 | 47160.11 | 24.25 | बी | कर्जे आणि अग्रिमे | 28087.20 | 32108.99 | 14.32 |
| आकस्मिकता निधी | | 150.00 | 150.00 | 0 | | | | | |
| लोक लेखे | | | | | | | | | |
| ए | अल्पबचत, भविष्य निर्वाह निधी इ. | 29156.93 | 29733.37 | 1.98 | ए | अग्रिमे | 13.11 | 14.51 | 10.68 |
| बी | ठेवी | 81802.99 | 85526.83 | 4.55 | बी | वित्तप्रेषण | 0 | 0 | 0 |
| सी | राखीव निधी | 67435.73 | 73395.17 | 8.84 | सी | निलंबन आणि संकीर्ण | 0 | 0 | 0 |
| डी | वित्तप्रेषण | 1110.65 | 1639.14 | 47.58 | रोख शिल्लक | | 22556.61 | 20646.73 | (-)8.47 |
| | | | | | | 55135.68 | 60843.98 | 22.13 | |
| ई | निलंबन आणि संकीर्ण | 19952.23 | 30659.80 | 53.67 | एकूण रोख | | 77692.29 | 81490.71 | 4.89 |
| | | | | | महसुली लेख्यातील तूट | | 141495.75 [§] | 143433.36 | 1.37 |
| | | | | | संकीर्ण भांडवली जमा | | (-)533.72 | (-)533.72 | 0 |
| एकूण | | 682643.83 | 754046.66 | 10.46 | एकूण | | 682643.83 | 754046.66 | 10.46 |
| स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे § शासकीय लेख्यांमध्ये अंतिम केलेल्या रकमेचा समावेश (₹ 1.59 कोटी) | | | | | | | | | |

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, 2022-23 दरम्यान मत्त्यात 12.84 टक्के वाढ झाली, तर दायित्व मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.46 टक्क्यांनी वाढले. 2022-23 मध्ये वर्षाच्या अखेरीस राज्याची रोख शिल्लक ₹ 20,646.73 कोटी होती. मागील वर्षाच्या तुलनेत रोख शिल्लकीमध्ये 8.47 टक्के घट झाली होती.

1.4 राजकोषीय समतोल: तूट आणि एकूण ऋणांचे उद्दिष्ट साध्य करणे

जेव्हा शासन महसुलापेक्षा जास्त खर्च करते, तेव्हा त्याला तूट सहन करावी लागते. महसुली तूट, राजकोषीय तूट आणि प्राथमिक तूट असे शासकीय तूट आटोक्यात आणणारे विविध उपाय आहेत. तुटीचे स्वरूप हे शासनाच्या राजकोषीय व्यवस्थापनाच्या विवेकबुद्धीचे द्योतक आहे. शिवाय, तूट कशा प्रकारे भरून काढली जाते आणि उभारलेल्या संसाधनांचा वापर हे राज्याच्या राजकोषीय आरोग्याचे महत्त्वाचे द्योतक आहेत. या विभागात महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 अन्वये निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत महसुली व राजकोषीय तुटीच्या प्रत्यक्ष पातळीचे मूल्यमापन तसेच या तुटीचे स्वरूप, परिमाण आणि वित्तपुरवठा करण्याची पद्धत सादर करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 लागू केला असून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करून राजकोषीय व्यवस्थापनात आंतर-पिढीगत समता आणि दीर्घकालीन स्थूल आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. या अधिनियमात महसुली तूट उत्तरोत्तर दूर करणे, राजकोषीय तूट कमी करणे आणि राजकोषीय शाश्वततेशी सुसंगत विवेकी कर्ज व्यवस्थापन परिकल्पित केले आहे.

महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम फेब्रुवारी 2006 मध्ये तयार करण्यात आले आणि त्यानंतर वेळोवेळी त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 नुसार, राज्याचे एकूण दायित्व म्हणजे राज्याच्या एकत्रित निधी आणि राज्याच्या लोक लेख्यांतर्गत दायित्वे. अशाप्रकारे, 'एकूण प्रलंबित कर्ज/दायित्वे' या व्यापक व्याख्येत, एकत्रित निधीवरील दायित्वे, लोक लेख्यांवरील दायित्वे आणि राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी घेतलेली कर्जे आणि विशेष उद्देश वाहने (एसपीव्ही) आणि इतर समतुल्य संसाधनांद्वारे घेतलेली कर्जे, जिथे मुद्दल आणि/किंवा व्याज राज्याच्या अर्थसंकल्पातून दिले जाणार आहे.

स्थूल राज्य उत्पन्नाचे प्रमाण तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने राजकोषीय तूट आटोक्यात आणणे आणि 2011-12 नंतर महसुली आधिक्य कायम ठेवणे ही राज्याची प्रमुख राजकोषीय उद्दिष्टे होती. तथापि, त्यानंतरच्या काळात आणखी सुधारणा करून 2013-14 ते 2021-22 या कालावधीत '2011-12 नंतर महसूल आधिक्य' हे कलम (खंड) शिथिल करण्यात आले.

कोविड-19 महामारीमुळे राज्याच्या संसाधनांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त संसाधने उभी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2022-23 या वर्षासाठी राज्याला स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 0.5 टक्के अतिरिक्त कर्ज मर्यादा मंजूर केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियमावलीतील सुधारणेनुसार राजकोषीय तुटीची मर्यादा स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3.0 टक्क्यांवरून 3.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे.

गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत (2018-19 ते 2022-23) महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मध्ये विहित केलेल्या प्रमुख राजकोषीय निकषांचे कल विश्लेषण तक्ता 1.4 मध्ये दर्शिले आहे.

तक्ता 1.4 (ए) : 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत अधिनियमात विहित केलेल्या प्रमुख राजकोषीय उद्दिष्टांचे कल विश्लेषण

| राजकोषीय मापदंड | अधिनियमात निश्चित केलेली राजकोषीय उद्दिष्टे | साध्य (₹ कोटीत) | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| महसुली तूट (-)/आधिक्य (+) (₹ कोटीमध्ये) | महसुली आधिक्य 2021-22 नंतर ¹ | 11974.60 | (-)17115.63 | (-)41141.85 | (-)16374.32 | (-)1936.47 |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X |
| राजकोषीय तूट (-) (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार) | 3.5 टक्के | (-)23015.33 (-0.91) | (-)53886.19 (-2.03) | (-)71558.05 (-2.72) | (-)64301.86 (-2.07) | (-)67601.87 (-1.92) |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची 21 जानेवारी 2022 ची अधिसूचना

| राजकोषीय मापदंड | अधिनियमात निश्चित केलेली राजकोषीय उद्दिष्टे | साध्य (₹ कोटीत) | | | | |
|--|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| एकूण प्रलंबित दायित्वांचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी गुणोत्तर (टक्केवारीत) | लक्ष्य | 16.52 | 15.83 | 16.15 | 20.64 | 18.14 |
| | साध्य | 17.27 | 18.06 | 20.41* | 19.06* | 18.73 |
| | | X | X | X | ✓ | X |

स्रोत : संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे आणि अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज

* 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षात महाराष्ट्र शासनाला वस्तु व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटीचे सलग कर्ज मिळाले. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष खिडकीअंतर्गत घेतलेले कर्ज (2020-21 साठी ₹ 11,977 कोटी आणि 2021-22 साठी ₹ 13,782.36 कोटी) वित्त आयोगाने विहित केलेल्या कोणत्याही निकषांसाठी राज्याचे कर्ज मानले गेले नाही.

तक्ता 1.4 नुसार असे निदर्शनास येते की 2018-19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्याला केवळ 2018-19 मध्येच महसुली आधिक्य प्राप्त करता आले. 2021-22 मध्ये ₹ 16,374.32 कोटीची महसुली तूट 2022-23 मध्ये घटून ₹ 1,936.47 कोटी झाली. 2022-23 मध्ये राजकोषीय तूट 3.5 टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत दोन टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात राज्याला यश आले.

2022-23 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या संदर्भात प्रमुख वित्तीय समुच्चयासंदर्भात पंधराव्या वित्त आयोगाने निश्चित केलेली उद्दिष्टे आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात अंदाजित उद्दिष्टे **तक्ता 1.4 (बी)** मध्ये दर्शविली आहेत.

तक्ता 1.4 (बी): वर्ष 2022-23 मधील प्रमुख राजकोषीय समुच्चयासंदर्भातील लक्षाच्या तुलनेत साध्यता

| राजकोषीय संज्ञा (व्हेरियेबल) | पंधराव्या वित्त आयोगाने विहित केलेल्या लक्ष्यानुसार | अर्थसंकल्पातील लक्ष्य | प्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष टक्केवारीतील फरक | |
|---|---|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | पंधराव्या वित्त आयोगाचे लक्ष्य | अर्थसंकल्पातील लक्ष्य |
| महसुली तूट (-)/आधिक्य (+) स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 0.97 | (-)1.42 | (-)0.05 | (-) 1.02 | 0.73 |
| राजकोषीय तूट (-)/स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | (-)3.5 | (-)2.50 | (-)1.92 | 1.58 | 0.58 |
| एकूण प्रलंबित दायित्व/स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 27.5 | 18.14 | 18.73 | (-)9.16 | 0.20 |

स्रोत: पंधराव्या वित्त आयोगाची शिफारस, महाराष्ट्र शासनाची वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रे, वित्तीय लेखे

वर्ष 2022-23 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार राजकोषीय तूट आणि एकूण प्रलंबित दायित्व पंधराव्या वित्त आयोगाने निश्चित केलेल्या लक्ष्यांच्या आत होते. तथापि, राज्य शासनाला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या लक्ष्यानुसार महसुली आधिक्य साध्य करता आले नाही. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार महसुली तूट 0.05 टक्के होती.

1.4.1 मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरण विवरणपत्रातील प्रक्षेपित वित्तीय मापदंडांच्या लक्ष्यांची चालू वर्षातील प्रत्यक्ष बरोबर तुलना

महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियम, 2006 (2008 मध्ये सुधारित) मध्ये विहित केल्यानुसार, राज्य शासनाला विहित राजकोषीय निर्देशांकांचे लक्ष्य निश्चित करणारे मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्र राज्य विधिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक आहे. राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्रामध्ये 2022-23 साठी केलेले अंदाज आणि 2022-23 चा वार्षिक अर्थसंकल्प आणि वर्षातील प्रत्यक्ष यांच्यातील तफावत **तक्ता 1.5** मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 1.5: 2022-23 साठीच्या मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरण विवरणपत्रातील प्रक्षेपणाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष

| अ. क्र. | राजकोषीय संज्ञा | मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्रानुसार प्रक्षेपण | प्रत्यक्ष | तफावत (टक्केवारीत) |
|---------|---|---|-------------|--------------------|
| | | (₹ कोटीत) | | |
| 1 | स्वतःचा कर महसूल | 256525.71 | 277486.31 | 8.17 |
| 2 | करेतर महसूल | 27128.13 | 16776.41 | (-)38.16 |
| 3 | केंद्रीय करांचा हिस्सा | 51587.75 | 60000.97 | 16.31 |
| 4 | भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने | 68185.64 | 51414.24 | (-)24.60 |
| 5 | महसुली जमा (1+2+3+4) | 403427.23 | 405677.93 | 0.56 |
| 6 | महसुली खर्च | 427780.12 | 407614.40 | (-)4.71 |
| 7 | महसुली तूट (-)/आधिक्य (+) (5-6) | (-)24352.89 | (-)1936.47 | (-)92.05 |
| 8 | राजकोषीय तूट (-)/आधिक्य (+) | (-)89598.34 | (-)87601.87 | (-)24.55 |
| 9. | प्राथमिक तूट | (-)42835.11 | (-)25912.71 | (-)39.50 |
| 10 | एकूण प्रलंबित दायित्वे/ स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 18.14 | 18.73 | 3.25 |
| 11 | सध्याच्या किंमतीनुसार स्थूल राज्य उत्पन्न वाढीचा दर (टक्के) | 12.00 | 13.48 | 12.33 |


स्रोत: 2022-23 चे वित्तीय लेखे आणि अर्थसंकल्प दस्तऐवज

तक्ता 1.5 वरून असे निदर्शनात येते की, 2022-23 मध्ये महसुली तूट, राजकोषीय तूट आणि प्राथमिक तूट हे तिन्ही प्रमुख राजकोषीय निकष मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्रामधील प्रक्षेपणापेक्षा अनुक्रमे 92.05 टक्के, 24.55 टक्के आणि 39.50 टक्क्यांनी कमी होते, कारण महसुली खर्चात घट झाली आणि मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्रामधील प्रक्षेपणापेक्षा महसुली जमांत वाढ झाली.


2022-23 दरम्यान स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या एकूण थकबाकीचे गुणोत्तर (18.73 टक्के) मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण विवरणपत्रामधील प्रक्षेपणापेक्षा (18.14 टक्के) किंचित जास्त होते, परंतु पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या मर्यादेपेक्षा (27.5 टक्के) कमी होते.

1.4.2 तूट/आधिक्यातील कल

पाच वर्षांच्या कालावधीतील (2017-18 ते 2022-23) आधिक्य/तुटीचा कल आलेख 1.3 मध्ये दर्शविला आहे; स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत आधिक्य/तुटीचा कल आलेख 1.4 मध्ये दर्शविला आहे आणि राजकोषीय दायित्वे आणि स्थूल राज्य उत्पन्नाचा कल आलेख 1.5 मध्ये दर्शविला आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)




(स्रोत: महाराष्ट्राचे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 आणि संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

महसुली तूट दर्शविते की महसुली जमा ही महसुली खर्च भागविण्यासाठी अपुरी होती. मागील वर्षाच्या (2018-19 ते 2021-22) तुलनेत महसुली तूट 2022-23 मध्ये लक्षणीय घटून ₹ 1,936.47 कोटी झाली. 2022-23 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या गुणोत्तरात महसुली तूट 0.05 टक्के होती.

राजकोषीय तूट ही ऋणोत्तर जमा आणि एकूण खर्च यांच्यातील तफावत दर्शवते. ही तूट एकतर अतिरिक्त लोक ऋणाद्वारे किंवा लोक लेख्यांमधून अतिरिक्त निधी वापरून भरून काढली जाऊ शकते. राजकोषीय तूट सामान्यतः शासनाची निव्वळ वाढीव देणी किंवा त्याच्या अतिरिक्त कर्जाच्या गरजा दर्शविते. राजकोषीय तूट 2021-22 मधील ₹ 64,302 कोटीवरून 2022-23 मध्ये ₹ 67,602 कोटीवर पोहोचली. तथापि, स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या गुणोत्तरात राजकोषीय तूट 2021-22 मधील 2.07 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 1.92 टक्के इतकी घटली.

प्राथमिक तूट दर्शविते की 2021-22 च्या ₹ 24,144 कोटीच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये ऋणोत्तर जमापेक्षा प्राथमिक खर्च (व्याज प्रदाने वगळून एकूण खर्च) ₹ 25,913 कोटी होता.



(स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

वाढत्या देशांतर्गत ऋणांमुळे 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत एकूण प्रलंबित दायित्वात सातत्याने वाढ झाली आहे. वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाला वस्तु व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटींचे लागोपाठ कर्ज मिळाले. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागानुसार, विशेष खिडकीअंतर्गत घेतलेले कर्ज (2020-21 साठी ₹ 11,977 कोटी आणि 2021-22 साठी ₹ 13,782.36 कोटी) वित्त आयोगाने विहित केलेल्या कोणत्याही निकषांसाठी राज्याचे कर्ज मानले गेले नाही. 2022-23 दरम्यान राज्याची प्रलंबित राजकोषीय दायित्वात मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹ 54,459 कोटींनी (8.98 टक्के) वाढ झाली. 2022-23 दरम्यान एकूण राजकोषीय दायित्वांपैकी देशांतर्गत ऋण 73.52 टक्के, भारत सरकारचे कर्ज 7.14 टक्के आणि लोक लेखे दायित्व 19.34 टक्के होते. 2022-23 दरम्यान स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या गुणोत्तरात प्रलंबित कर्जाचे प्रमाण 18.73 टक्के होते, जे महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मध्ये (18.14 टक्के) निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा किंचित जास्त होते.

1.4.3. भारत सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार कर्ज घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाची कामगिरी

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 293 (3) मध्ये इतर गोष्टींबरोबरच अशी तरतूद आहे की, भारत सरकारने राज्याला दिलेल्या कर्जाचा काही भाग अजूनही थकीत असेल तर भारत सरकारच्या संमतीशिवाय राज्य कोणतेही कर्ज उभासू शकत नाही.

भारत सरकार, अर्थ मंत्रालय, व्यय विभागाने (मार्च 2021) 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाची निव्वळ कर्ज मर्यादा ₹ 1,23,448 कोटी² एवढी निश्चित केली आणि राज्य शासनाला निर्देश दिले की सर्व स्रोतांकडून घेतलेली वाढीव कर्जे या मर्यादेच्या आत राहतील. वर्ष 2022-23 साठी राज्यांची निव्वळ कर्ज मर्यादा निश्चित करताना भारत सरकारने निर्णय घेतला (मार्च 2022) की राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या/महामंडळे आणि इतर समतुल्य साधने जिथे मुद्दल आणि व्याज राज्याच्या अर्थसंकल्पातून किंवा कर/उपकर किंवा कोणत्याही राज्याच्या महसुलाद्वारे दिले गेले आहे ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 293(3) अन्वये संमती जारी करण्याच्या हेतूने राज्यानेच घेतलेले कर्ज मानले जाईल.

वित्तीय लेख्यांचे विवरणपत्र 6 नुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्य शासनाची वाढीव कर्जे आणि इतर दायित्वे ₹ 54,458.47 कोटी होती जी ₹ 1,23,448 कोटींच्या कर्जाच्या मर्यादेत राहिली.

1.5. लेखापरीक्षण तपासणीनंतरची तूट

महसुली खर्चाचे भांडवली म्हणून चुकीचे वर्गीकरण केल्यास तुटीच्या आकडेवारीवर परिणाम होतो. याशिवाय, सुस्पष्ट दायित्वे लांबणीवर टाकणे, एकत्रित निधीत उपकर/स्वामित्वधन जमा न करणे, नवीन निवृत्तीवेतन योजनेत अल्प अंशदान, कर्ज निवारण (सिंकिंग) व विमोचन (रिडेम्प्शन) निधी इत्यादींचाही महसूल आणि राजकोषीय तुटीच्या आकडेवारीवर परिणाम होतो. प्रत्यक्ष तुटीचे आकडे गाठण्यासाठी अशा अनियमिततेचा परिणाम बदलणे गरजेचे आहे.

2022-23 दरम्यान निधीतील कमी/अंशदान न करणे आणि चुकीचे वर्गीकरण/नोंद विचारात घेऊन प्रत्यक्ष आधिक्य/तुटीचे मूल्यमापन तक्ता 1.6 मध्ये केले आहे.

² राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालयाद्वारे प्रकाशित केलेल्या स्थूल राज्य उत्पन्न विदा आणि पंधराव्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेली कार्यपद्धती यांच्यावर आधारित 2022-23 च्या स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3.5 टक्के (₹ 35,27,084 कोटी).

तक्का 1.6: 2022-23 दरम्यान महसुली तूट आणि राजकोषीय तुटीवरील काही व्यवहारांचा परिणाम

| तपशील | महसुली तुटीवर होणारा परिणाम (ऊनोक्ती अंडरस्टेटमेंट) (+) / (अत्युक्ती ओव्हरस्टेटमेंट) (-) (₹ कोटीत) | राजकोषीय तुटीवर होणारा परिणाम (ऊनोक्ती) (+) (₹ कोटीत) | परिच्छेद संदर्भ |
|---|--|---|-------------------------------|
| महसुली आणि भांडवली खर्च यांच्यातील चुकीचे वर्गीकरण | (+)3440.70 | - | प्रकरण 3 परिच्छेद 3.3.6 |
| राखीव निधी आणि व्याज देणाऱ्या ठेवींवरील व्याजाचे समायोजन न करणे | (+)232.61 | (+)232.61 | प्रकरण 4 परिच्छेद 4.1 |
| एकत्रित कर्ज निवारण निधी | (+)1531.48 | (+)1531.48 | प्रकरण 2 परिच्छेद 2.5.2.1 |
| हमीदार विमोचन निधी | (+)42.85 | (+)42.85 | प्रकरण 2 परिच्छेद 2.5.2.3 |
| उपकर/शुल्क/अधिभार हस्तांतरित न करणे | (+) 1156.76 | (+) 1156.76 | प्रकरण 2 परिच्छेद 2.5.2.5. |
| एकूण | 6404.40 | 2963.70 | |
| स्त्रोत: 2022-23 चे वित्तीय लेखे | | | |

- भारत सरकार लेखांकन मानक (इंडियन गव्हर्नमेंट अकाउंटिंग स्टँडर्ड)-2 सहाय्यक अनुदानाची महसुली खर्चात नोंद करावी असे विहित करते. तथापि, राज्य शासनाने चुकीच्या पद्धतीने अर्थसंकल्पित केले आणि ₹ 3,440.70 कोटींचे सहाय्यक अनुदान महसूल विभागाएवजी भांडवली विभागात नोंदवले.
- राखीव निधी व व्याज देणाऱ्या ठेवी यामध्ये गुंतवणूक न करता पडून असलेल्या शिल्लक रकमेवर व्याज देणे राज्य शासनाला बंधनकारक होते. काही राखीव निधी व ठेवी आणि अग्रिमे यांच्यावर ₹ 232.61 कोटींचे व्याज दायित्वाची तरतूद केली नव्हती.
- एकत्रित कर्ज निवारण निधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्ये मागील वर्षाच्या अखेरीस त्यांच्या प्रलंबित दायित्वांच्या (लोक ऋण + लोक लेखे) किमान 0.5 टक्के रक्कम एकत्रित कर्ज निवारण निधीत जमा करू शकतात. 31 मार्च 2022 पर्यंत थकीत दायित्व ₹ 6,06,295.26 कोटी होते. तथापि, 2022-23 या वर्षामध्ये कर्ज निवारण निधीत ₹ 3,031.48 कोटी जमा होणे आवश्यक असताना राज्य शासनाने केवळ ₹ 1,500 कोटींचे अंशदान केले.
- राज्याच्या एकत्रित निधीअंतर्गत जमा करण्यात आलेला ₹ 1,156.76 कोटींचा उपकर (कामगार उपकर वगळता) राखीव निधीतील संबंधित निधी लेख्यांमध्ये वर्ग करण्यात आला नाही.

परिच्छेद 1.4.2 च्या **आलेख 1.3** आणि **आलेख 1.4** मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 2022-23 मध्ये महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट अनुक्रमे ₹ 1,936.47 कोटी (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 0.05 टक्के) आणि ₹ 67,601.87 कोटी (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1.92 टक्के) होती. **तक्का 1.6** मध्ये दर्शविलेल्या व्यवहारांचा विचार केल्यास प्रत्यक्ष महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट अनुक्रमे ₹ 8,340.87 कोटी (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 0.24 टक्के) आणि ₹ 70,565.57 कोटी (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 2.00 टक्के) होईल.

प्रकरण - II

राज्याची वित्तव्यवस्था

प्रकरण II: राज्याची वित्तव्यवस्था

प्रस्तावना

हे प्रकरण राज्याचे वित्तीय लेखे आणि राज्य शासनाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारावर राज्याच्या वित्त व्यवस्थेबाबत, 2021-22 च्या तुलनेत महत्त्वाच्या राजकोषीय आकडेवारीतील महत्त्वपूर्ण बदलांचे विश्लेषण, 2018-19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या कालावधीदरम्यान एकूण कल, राज्याच्या कर्जाची स्थिरता आणि महत्त्वाचे लोक लेखे व्यवहार या संदर्भात व्यापक दृष्टिकोन प्रदान करते.

2.1 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये प्रमुख राजकोषीय समुच्चयातील महत्त्वाचे बदल

खालील तक्ता 2.1 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मधील राज्य शासनाच्या राजकोषीय एकूण आकडेवारीमधील रकमेचा सारांश दर्शवितो. यामधील प्रत्येक निदर्शकांचे विश्लेषण पुढील परिच्छेदांमध्ये केले आहे.

तक्ता 2.1: 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मधील एकूण राजकोषीय सारांश

(₹ कोटीत)

| जमा | | | संवितरणे | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2021-22 | 2022-23 | | 2021-22 | 2022-23 |
| भाग-अ : महसुली लेखे | | | | | |
| स्वतःचा कर महसूल | 220927.13 | 277486.31 | सर्वसाधारण सेवा | 121745.32 | 130590.81 |
| करेतर महसूल | 19306.70 | 16776.41 | सामाजिक सेवा | 142523.26 | 163329.16 |
| केंद्रीय कर/शुल्कात राज्याचा हिस्सा | 54318.06 | 60000.97 | आर्थिक सेवा | 59454.77 | 80819.94 |
| भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने | 38759.68 | 51414.24 | सहाय्यक अनुदान व अंशदान | 25962.54 | 32874.49 |
| एकूण भाग-अ महसुली जमा | 333311.57 | 405677.93 | एकूण भाग-अ महसुली खर्च | 349685.89 | 407614.40 |
| भाग-ब: भांडवली लेखे व इतर | | | | | |
| संकीर्ण भांडवली जमा | 0 | 0 | भांडवली खर्च | 46670.39 | 61643.61 |
| | | | सर्वसाधारण सेवा | 2681.21 | 3526.56 |
| | | | सामाजिक सेवा | 4082.09 | 9134.20 |
| | | | आर्थिक सेवा | 39907.09 | 48982.85 |
| कर्जे आणि अग्रिमांची वसुली | 1178.88 | 642.62 | कर्जे आणि अग्रिमांचे संवितरण | 2436.03 | 4664.41 |
| लोक ऋण जमा | 90488.18 [#] | 87572.84 [@] | लोक ऋणांची परतफेड | 35934.66 [#] | 37665.79 [@] |
| आकस्मिकता निधीतून विनियोजने | 0.00 | 200.00 | आकस्मिकता निधीतून विनियोजने | 0.00 | 200.00 |
| आकस्मिकता निधी | 0.00 | 200.00 | आकस्मिकता निधी | 0.00 | 200.00 |
| लोक लेखा जमा | 119376.52 | 143466.93 | लोक लेखा संवितरणे | 100533.18 | 121973.69 |
| आरंभीची शिल्लक | 68597.29 | 77692.29 | अखेरीची शिल्लक | 77692.29 | 81490.71 |
| एकूण भाग-ब जमा | 279640.87 | 309774.68 | एकूण विभाग-ब संवितरणे | 263266.55 | 307838.21 |
| एकूण (अ+ब) | 612952.44 | 715452.61 | एकूण (अ+ब) | 612952.44 | 715452.61 |

[@] 91 दिवसांच्या विशेष आहरण सुविधेअंतर्गत असलेले व्यवहार वगळून (जमा व संवितरणे ₹ 7,129.25 कोटी)

[#] 91 दिवसांच्या विशेष आहरण सुविधेअंतर्गत असलेले व्यवहार वगळून (जमा व संवितरणे ₹ 98.43 कोटी)

स्त्रोत : संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये प्रमुख राजकोषीय समुच्चयातील फरक

| | |
|-------------------------|--|
| महसुली जमा | <ul style="list-style-type: none"> राज्याच्या महसुली उत्पन्नात 21.71 टक्क्यांनी वाढ झाली राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलात 25.60 टक्क्यांनी वाढ झाली करेतर महसुलात 13.11 टक्क्यांनी घट झाली केंद्रीय कर व शुल्कात राज्याचा हिस्सा 10.46 टक्क्यांनी वाढला भारत सरकारकडून प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यक अनुदानात 32.65 टक्क्यांनी वाढ झाली |
| महसुली खर्च | <ul style="list-style-type: none"> महसुली खर्चात 16.57 टक्क्यांनी वाढ झाली सर्वसाधारण सेवांवरील महसुली खर्चात 7.27 टक्क्यांनी वाढ झाली सामाजिक सेवांवरील महसुली खर्चात 14.60 टक्क्यांनी वाढ झाली आर्थिक सेवांवरील महसुली खर्चात 35.93 टक्क्यांनी वाढ झाली सहाय्यक अनुदानावरील खर्चात 26.62 टक्क्यांनी वाढ झाली |
| भांडवली जमा | <ul style="list-style-type: none"> ऋण भांडवली जमांमध्ये 4.54 टक्क्यांनी वाढ झाली ऋणेतार भांडवली जमांमध्ये 45.49 टक्क्यांनी घट झाली |
| भांडवली खर्च | <ul style="list-style-type: none"> भांडवली खर्चात 32.08 टक्के वाढ झाली सर्वसाधारण सेवांवरील भांडवली खर्चात 31.56 टक्क्यांनी वाढ झाली सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्चात 123.76 टक्क्यांनी वाढ झाली आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्चात 22.74 टक्क्यांनी वाढ झाली |
| कर्ज आणि अग्रिमे | <ul style="list-style-type: none"> कर्ज आणि अग्रिमे संवितरणात 91.48 टक्क्यांनी वाढ झाली कर्ज आणि अग्रिमे वसुलीत 45.49 टक्क्यांनी घट झाली |
| लोक ऋण | <ul style="list-style-type: none"> लोक ऋण जमांमध्ये 3.22 टक्क्यांनी घट झाली लोक ऋणांच्या परताव्यामध्ये 4.82 टक्क्यांनी वाढ झाली |
| लोक लेखे | <ul style="list-style-type: none"> लोक लेखा जमांमध्ये 20.18 टक्क्यांनी वाढ झाली लोक लेखा संवितरणात 21.33 टक्क्यांनी वाढ झाली |
| रोख शिल्लक | <ul style="list-style-type: none"> मागील वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये रोख शिल्लक ₹ 3,798 कोटींनी (4.89 टक्के) वाढली |

2.2 निधीचे स्रोत आणि वापर


तक्ता 2.2 मध्ये 2021-22 सह 2022-23 दरम्यान राज्याच्या निधीचे स्रोत आणि वापराच्या आकडेवारीची तुलना केली आहे. आलेख 2.1 आणि 2.2 मध्ये टक्केवारीच्या अनुसार 2022-23 दरम्यान एकत्रित निधीतून जमा आणि खर्चाचा तपशील सादर केला आहे.

2022-23 दरम्यान, राज्य शासनाने ₹ 4,05,677.93 कोटींच्या महसुली जमेच्या तुलनेत ₹ 4,07,614.40 कोटींचा महसुली खर्च झाला ज्यामुळे महसुली तूट ₹ 1,936.47 कोटी झाली.

तक्ता 2.2: 2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान निधीचे स्रोत आणि वापराचा तपशील

(₹ कोटीत)

| तपशील | | 2021-22 | 2022-23 | वाढ (+) घट (-) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| स्रोत | भारतीय रिझर्व्ह बँकेमधील आरंभीची रोख शिल्लक | 68597.29 | 77692.29 | 9095.00 |
| | महसुली जमा | 333311.57 | 405677.93 | 72366.36 |
| | कर्जे आणि अग्रिमांची वसुली | 1178.88 | 642.62 | (-)536.26 |
| | लोक ऋण जमा (निव्वळ) | 54553.52 | 49907.05 | (-)4646.47 |
| | लोक लेखा जमा (निव्वळ) | 18843.34 | 21493.24 | 2649.90 |
| | एकूण | 476484.60 | 555413.13 | 78928.53 |
| वापर | महसुली खर्च | 349685.89 | 407614.40 | 57928.51 |
| | भांडवली खर्च | 46670.39 | 61643.61 | 14973.22 |
| | कर्जे आणि अग्रिमांचे वितरण | 2436.03 | 4664.41 | 2228.38 |
| | आकस्मिकता निधी | 0 | 0 | 0.00 |
| | भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडील अखेरची रोख शिल्लक | 77692.29 | 81490.71 | 3798.42 |
| | एकूण | 476484.60 | 555413.13 | 78928.53 |
| स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे | | | | |



स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

परिशिष्ट 2.1 मध्ये 2018-19 ते 2022-23 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील राज्य शासनाच्या वित्तव्यवस्थेच्या आकडेवारीची समय मालिका देण्यात आली आहे.

2.3 राज्याची संसाधने

राज्याच्या संसाधनांचे वर्णन खालील प्रमाणे आहे:-

- महसुली जमा:** यामध्ये स्वतःचा कर महसूल, करेतर महसूल, केंद्रीय कर आणि शुल्कातील राज्याचा हिस्सा आणि भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने यांचा समावेश असतो.
- भांडवली जमा:** यामध्ये (ऋण आणि ऋणेतर भांडवली जमा) निर्गुतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न, कर्जे आणि अग्रिमे वसुली, देशांतर्गत स्रोतांमधून ऋण जमा (बाजार कर्जे, वित्तीय संस्था/वाणिज्यिक बँकांकडून घेतलेली कर्जे) आणि भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे यासारख्या विविध संकीर्ण भांडवली जमांचा समावेश असतो. महसुली आणि भांडवली जमा या दोन्ही राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग आहेत.
- निव्वळ लोक लेखा जमा:** जमा व संवितरण या संदर्भातील विवक्षित व्यवहार जसे की अल्पबचत, भविष्य निर्वाह निधी, राखीव निधी, टेवी, निलंबने, वित्तप्रेषणे इत्यादी, जे राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग नसतात. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 266(2) अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या लोक लेखांमध्ये ही ठेवली जातात आणि त्यासाठी राज्य विधिमंडळाची मंजूरी आवश्यक नसते. शासन या ठिकाणी बँकर म्हणून कार्य करते. संवितरणानंतरची शिल्लक रक्कम म्हणजे शासनाकडे वापरण्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी आहे.

2.3.1 राज्याची जमा

ओघ आलेख 2.1 मध्ये 2022-23 दरम्यानचे राज्याच्या जमेचे घटक चित्रित केले आहेत.



(स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

2.3.2 राज्याच्या महसुली जमा

या परिच्छेदामध्ये एकूण महसुली जमा आणि त्यांच्या घटकांमधील कल दिले आहेत. त्या पाठोपाठ केंद्र सरकारच्या जमा आणि राज्याच्या स्वतःच्या जमांमध्ये विभाजित करण्यात आलेल्या जमेचा कल दिलेला आहे. वित्तीय लेख्यांच्या विवरणपत्र 14 मध्ये शासनाच्या महसुली जमांचा तपशील दिलेला असतो. यात शासनाचे स्वतःचे कर व करेतर महसूल, केंद्रीय कर हस्तांतरणे व केंद्र शासनाकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदाने यांचा समावेश होतो.

2.3.2.1 महसुली जमांचा कल आणि वाढ


तक्ता 2.3 मध्ये 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या संदर्भात महसुली जमांचा कल आणि वाढ दर्शविली आहे. तसेच, स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या सापेक्ष महसुली जमांचा कल आणि महसुली जमांची रचना आलेख 2.3 आणि 2.4 मध्ये दिली आहे.

तक्ता 2.3: महसुली जमांचा कल

(₹ कोटीत)


| मापदंड | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| महसुली जमा | 278996.27 | 283189.58 | 269467.91 | 333311.57 | 405677.93 |
| महसुली जमांच्या वाढीचा दर (टक्के) | 14.51 | 1.51 | (-)4.85 | 23.69 | 21.71 |
| स्वतःचा कर महसूल | 187436.37 | 188947.56 | 164254.98 | 220927.13 | 277486.31 |
| करेतर महसूल | 15843.57 | 14297.00 | 15975.46 | 19306.70 | 16776.41 |
| भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने | 33662.12 | 43725.37 | 52733.46 | 38759.68 | 51414.24 |
| स्वतःचा कर आणि करेतर महसूल | 203279.94 | 203244.56 | 180230.44 | 240233.83 | 294262.72 |
| स्वतःच्या महसुलाच्या वाढीचा दर (टक्के) (कर व करेतर महसूल) | 10.37 | (-)0.02 | (-)11.32 | 33.29 | 22.49 |
| स्थूल राज्य उत्पन्न (2011-12 शृंखला) | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| स्थूल राज्य उत्पन्न वाढीचा दर (टक्के) | 7.48 | 5.08 | (-)1.12 | 18.29 | 13.48 |
| महसुली जमा/स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 11.03 | 10.66 | 10.26 | 10.72 | 11.50 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या संदर्भात महसुली जमांची प्लावकता ¹ | 1.588 | 0.231 | * | 1.321 | 1.611 |
| राज्याच्या स्वतःच्या महसुलातील बदल आणि स्थूल राज्य उत्पन्नामधील बदल यांचे गुणोत्तर | 1.135 | -0.003 | * | 1.857 | 1.668 |

* 2020-21 मध्ये आधार चलामध्ये (स्वतःचा महसुली जमा) दिलेल्या बदलाच्या संदर्भात राजकोषीय चलाच्या प्रतिसादाची प्लावकता दर्शविते स्थूल राज्य उत्पन्न आकडेवारीचा स्रोत: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन; संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे



(स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

¹ प्लावकता गुणोत्तर हे दिलेल्या मूळ चलामधील बदलाच्या संदर्भात राजकोषीय चलाची प्रतिक्रिया दर्शविते. उदाहरणार्थ, स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या संदर्भात महसुली वाढ 1.61 आहे याचा अर्थ असा आहे की स्थूल राज्य उत्पन्न जर एक टक्क्याने वाढले तर महसुली जमा तब्बल 1.61 टक्क्यांनी वाढते



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

- महसुली जमा 9.81 टक्के इतक्या चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने 45.41 टक्क्यांनी वाढून 2018-19 मधील ₹ 2,78,996.27 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 4,05,677.93 कोटी झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये महसुली जमेत 21.71 टक्के वाढ झाली.
- 2022-23 मध्ये महसुली जमांचा लक्षणीय भाग (73 टक्के) राज्याच्या स्वतःच्या स्रोतांमधून आला, तर केंद्रीय कर हस्तांतरण आणि सहाय्यक अनुदान यांनी एकत्रितपणे 27 टक्के योगदान दिले.
- महसुली खर्च (₹ 4,07,614.40 कोटी) महसुली जमांपेक्षा (₹ 4,05,677.93 कोटी) ₹ 1,936.47 कोटींनी अधिक झाल्याने महसुली तूट निर्माण झाली.
- दुसरीकडे 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत भारत सरकारकडून मिळणा-या सहाय्यक अनुदानात 52.74 टक्क्यांनी वाढ झाली. ती 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये ₹ 12,654.56 कोटींनी (32.65 टक्के) वाढली.
- आधार चलांमधील प्रत्यक्ष बदलांशी संबंधित राजकोषीय चलांमध्ये होणाऱ्या बदलांची परिवर्तनशीलता किंवा प्रतिसादाचे प्रमाण प्लावकता गुणोत्तर दर्शविते. एकापेक्षा जास्त दर राजकोषीय चलाचा आधार चलाशी जास्त प्रमाणात प्रतिसाद दर्शविते. जसे राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न वाढते तशी शासनाच्या महसुलाची गतीशीलतासुद्धा वाढली पाहिजे. 2022-23 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नात महसुली जमांची प्लावकता एकपेक्षा जास्त होती, जी स्थूल राज्य उत्पन्नापेक्षा महसुली जमा अधिक वेगाने वाढल्याचे दर्शविते.
- 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत स्थूल राज्य उत्पन्नाशी महसुली जमांचे गुणोत्तर 10.26 ते 11.50 टक्क्यांदरम्यान स्थिर राहिले.
- 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये स्वतःचा कर महसुल ₹ 56,559.18 कोटींनी (25.60 टक्के) वाढला, करेतर महसुल ₹ 2,530.29 कोटींनी (13.11 टक्के) घटला आणि केंद्रीय कर आणि शुल्कांमध्ये राज्याचा हिस्सा ₹ 5,682.91 कोटींनी (10.46 टक्के) वाढला, तर केंद्र सरकारकडून मिळणारे सहाय्यक अनुदान ₹ 12,654.56 कोटींनी (32.65 टक्के) वाढले.
- स्वतःच्या महसुली प्लावकतेच्या तुलनेत स्थूल राज्य उत्पन्नामधील बदलाशी सहाय्यक अनुदानातील बदलाचे गुणोत्तर वाढण्याचा कल अधिक अवलंबून असल्याचे दर्शवितो, तर घटता कल भारत सरकारच्या मदतीवर कमी अवलंबून असल्याचे दर्शवितो. शाश्वत स्थैर्य आणि विकासासाठी महसुली स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि स्थानिक करांचा आधार मजबूत करणे आवश्यक आहे.


2.3.2.2 राज्याची स्वतःची साधनसंपत्ती

केंद्रीय करामधील राज्याचा हिस्सा हा वित्त आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर ठरविला जातो. केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे सहाय्यक अनुदान हे केंद्रीय कर जमेच्या संकलनाचे प्रमाण आणि योजनांसाठी अपेक्षित केंद्रीय अर्थसहाय्य यावरून निर्धारित केले जाते.

अतिरिक्त साधनसंपत्तीला चालना देण्याची राज्याची कार्यक्षमता ही कर आणि करेतर जमांचा समावेश असलेल्या राज्याच्या स्वतःच्या साधनसंपत्तीच्या अनुषंगाने निर्धारित करायला हवी.

राज्याच्या कर महसुलात राज्य वस्तू व सेवा कर, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनांवरील कर, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क, जमीन महसूल, माल व प्रवासी कर इत्यादींचा समावेश होतो.

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत राज्याचा स्वतःचा कर महसूल **आलेख 2.5** मध्ये दर्शविला आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

2018-19 ते 2022-23 दरम्यान राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे घटक **तक्ता 2.4** मध्ये दर्शविले आहेत.

तक्ता 2.4: राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे घटक

(₹ कोटीत)

| महसुली शीर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक | प्रत्यक्ष |
| विक्री कर | 35724.61 | 37785.54 | 33159.76 | 45924.13 | 15200.00 | 54568.18 |
| राज्य वस्तू व सेवा कर | 82352.32 | 82601.59 | 69948.56 | 97304.89 | 119900.00 | 121255.55 |
| राज्य उत्पादन शुल्क | 15320.90 | 15428.34 | 15089.38 | 17220.71 | 22000.00 | 21507.02 |
| वाहनांवरील कर | 8613.19 | 8467.20 | 6655.12 | 9080.16 | 10500.00 | 11740.42 |
| मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क | 28545.05 | 28706.56 | 25427.71 | 35593.58 | 32000.00 | 45285.66 |
| जमीन महसूल | 2088.04 | 2154.55 | 2062.64 | 3064.66 | 4000.00 | 2431.41 |
| माल व प्रवासी कर | 837.05 | 773.39 | 13.30 | 393.53 | 1760.00 | 1582.11 |
| इतर कर | 13955.21 | 13030.40 | 11898.51 | 12345.47 | 51165.71 | 19115.96 |
| एकूण | 187436.37 | 188947.57 | 164254.98 | 220927.13 | 256525.71 | 277486.31 |

स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

राज्याचा स्वतःचा कर महसूल 2018-19 मधील ₹ 1,87,436.37 कोटींवरून 2022-23 मध्ये 10.30 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने ₹ 2,77,486.31 कोटीपर्यंत ₹ 90,049.94 कोटींनी वाढला. 2022-23 मध्ये राज्यातील स्वतःच्या कर महसुलाचा वाढीचा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत 25.60 टक्के होता आणि सामान्य राज्यांच्या सरासरीपेक्षा जास्त होता. (परिशिष्ट 2.2).

स्वतःच्या कर महसुलात प्रामुख्याने राज्य वस्तु व सेवा कर (43.70 टक्के), विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर (19.67 टक्के), मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क (16.32 टक्के), राज्य उत्पादन शुल्क (7.75 टक्के) आणि वाहनांवरील कर, जमीन महसूल, माल व प्रवासी कर आणि इतर (11.69 टक्के) यांचा समावेश होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत स्वतःच्या कर महसुलात झालेली वाढ ही मुळात उत्पादन शुल्कात झालेली वाढ, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमांतर्गत परवाना शुल्कात झालेली वाढ आणि राज्य वस्तु व सेवा कर अंतर्गत वाढलेली वसुली यामुळे झाली होती.

राज्य वस्तु व सेवा कर

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पुस्तकांनुसार राज्य वस्तु व सेवा करांची रक्कम ₹ 1,21,255.55 कोटी आहे, जी वित्तीय लेखांतील आकडेवारीशी जुळते. वर्ष 2022-23 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेची आकडेवारी आणि राज्य वस्तु व सेवा करांच्या वित्तीय लेखांमध्ये नोंदविण्यात आलेली आकडेवारी यात कोणताही फरक नव्हता.

महसुलाची थकबाकी व निर्धारणाची थकबाकी यांचे विश्लेषण

महसुलाची थकबाकी हे शासनाला देय असलेल्या महसुलाच्या वसुलीस विलंब झाल्याचे दर्शविते. त्याचप्रमाणे, निर्धारणाची प्रलंबितता दर्शविते की संभाव्य महसुलाच्या निर्धारणातील विलंबामुळे तो अवरुद्ध झाला. दोन्ही संभाव्य महसुली जमांपासून राज्याला वंचित ठेवतात आणि शेवटी महसुली तुटीवर परिणाम करतात.

विभागांनी सादर केल्यानुसार, वर्षाच्या प्रारंभी प्रलंबित प्रकरणे, निर्धारणासाठी नियत असलेली प्रकरणे, वर्षभरात निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे आणि वर्षाच्या अखेरीस निकाली निघण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या तक्ता 2.5 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 2.5: महसुली निर्धारणातील प्रलंबितता

(₹ कोटीत)

| महसुलाचे शीर्ष | आरंभीची शिल्लक (01 एप्रिल 2022) | 2022-23 मध्ये निर्धारणासाठी नियत असलेली नवीन प्रकरणे | निर्धारणासाठी नियत असलेली एकूण प्रकरणे | 2022-23 दरम्यान निपटारा झालेली प्रकरणे | अखेरची शिल्लक (31 मार्च 2023) | निपटार्याची टक्केवारी (5 ते 4) |
|---------------------------|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर | 670 | 1082 | 1752 | 931 | 821 | 53 |
| उसावरील खरेदी कर | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100 |
| प्रवेश कर | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| चैनीच्या वस्तूवरील कर | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 100 |
| एकूण | 782 | 1083 | 1865 | 1044 | 821 | 56 |

स्त्रोत: सहआयुक्त विक्री कर/मुख्यालय 3 यांचेकडून प्राप्त झालेली माहिती

विभागाने शोधून काढलेल्या कर चुकवेगिरीचा तपशील, परताव्याची प्रकरणे इत्यादी.

उत्पादन शुल्क व कर आकारणी विभागाने शोधलेली कर चुकवेगिरीची प्रकरणे, अंतिम झालेली प्रकरणे आणि उभारण्यात आलेल्या अतिरिक्त करासाठी करण्यात आलेली मागणी हे राज्य शासनाद्वारे करण्यात आलेल्या महसूल संकलन प्रयत्नांचे महत्वाचे निर्देशक आहे. परतावा प्रकरणांची तातडीने विल्हेवाट लावणे हे विभागाच्या कामगिरीचे महत्त्वपूर्ण निर्देशक आहे. परतावा प्रकरणांची मोठी प्रलंबितता लालफिती, व्यक्तीगत स्वारस्य, जलद पैशाचा (स्पीड मनीचा) प्रभाव इत्यादि दर्शविते.

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमांतर्गत कर चुकवेगिरी तक्ता 2.6 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 2.6 : उघडकीस आलेली कर चुकवेगिरी

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | महसुलाचे शीर्ष | 31 मार्च 2022 रोजी प्रलंबित असलेली प्रकरणे | 2022-23 दरम्यान शोधलेली प्रकरणे | एकूण | निर्धारण/तपास पूर्ण झाला आहे आणि शास्तिसह अतिरिक्त मागणी इत्यादि करण्यात आली आहे अशा प्रकरणांची संख्या | | 31 मार्च 2023 रोजी अंतिमीकरणासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या | दंडासह अतिरिक्त मागणी |
|---------|---|--|---------------------------------|-------|--|--------|---|-----------------------|
| | | | | | प्रकरणांची संख्या | रक्कम | | |
| 1. | विक्री, व्यापार यावरील कर/ मूल्यवर्धित कर | 186 | 238 | 424 | 354 | 996.04 | 70 | 996.04 |
| 2 | मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क | 10238 | 9498 | 19736 | 8519 | 59.61 | 11217 | 59.61 |

स्त्रोत: सहआयुक्त, विक्रीकर/मुख्यालय 3 यांचेकडून प्राप्त झालेली माहिती

2.3.2.3 करेतर महसूल

करेतर महसुलात व्याज जमा, लाभांश व नफा, खनिकर्म जमा, विभागीय जमा इत्यादींचा समावेश होतो. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील करेतर महसुलाचे घटक तक्ता 2.7 मध्ये दर्शविले आहेत.

तक्ता 2.7 : राज्याच्या करेतर महसुलाचे घटक

(₹ कोटीत)

| महसुली शीर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक | प्रत्यक्ष |
| व्याज जमा | 4191.28 | 3270.69 | 2286.27 | 2617.05 | 2843.11 | 2430.20 |
| लाभांश व नफा | 275.48 | 56.53 | 401.02 | 88.36 | 401.02 | 36.01 |
| राजकोषीय सेवा | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| इतर करेतर जमा | 11376.77 | 10969.54 | 13288.16 | 16601.27 | 23884.00 | 14310.19 |
| अ) मोठे व मध्यम पाटबंधारे | 284.47 | 133.95 | 103.71 | 414.46 | 3560.00 | 234.64 |
| ब) नगर विकास | 1358.37 | 1320.13 | 986.15 | 5557.29 | 5900.00 | 1708.46 |
| क) शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती | 210.86 | 411.73 | 1001.17 | 617.75 | 1001.17 | 483.97 |
| ड) अलोहीय खनिकर्म | 4056.71 | 3982.45 | 3918.31 | 4884.94 | 4975.00 | 5578.20 |
| ई) इतर किंवा संकीर्ण | 5466.36 | 5121.28 | 7278.82 | 5126.83 | 8447.83 | 6304.92 |
| एकूण | 15843.57 | 14297.00 | 15975.46 | 19306.70 | 27128.13 | 16776.41 |

स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत करेतर महसूल हा राज्याच्या एकूण महसुली जमांच्या चार ते सहा टक्के होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये त्यात ₹ 2,530.29 कोटींची (13.11 टक्के) घट झाली. नागरी जमीन (कमाल मर्यादा व विनियमन) अधिनियम, 1976 च्या कलम 20 अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनींकडून मिळणाऱ्या शुल्क/अधिमूल्य रकमेअंतर्गत महसुली संकलनात झालेली घट, संचालक, नगररचना यांनी केलेली अल्प वसुली आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1968 अन्वये कमी वसुली यामुळे ही घट प्रामुख्याने नगरविकास (₹ 1,708.46 कोटी) अंतर्गत झाली.


राज्यातील अतिरिक्त रोख शिल्लक गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज हा व्याज जमांचा एक प्रमुख स्रोत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या विनियमानुसार राज्याद्वारे राखण्यात आलेली रोख शिल्लक केंद्र सरकारच्या 14 दिवसांच्या कोषागार देयकांमध्ये गुंतविण्यात येते. तत्काळ गरजेपेक्षा जास्त रोख शिल्लक ही केंद्र शासनाच्या 91 दिवसांच्या कोषागार देयकांमध्ये गुंतविली जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुंतविल्याप्रमाणे 31 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाच्या रोख शिल्लक गुंतवणूक खात्यात ₹ 32,785.36 कोटी पडून होते. 2022-23 मध्ये रोख शिल्लक गुंतवणूक खात्यात ₹ 1,498.98 कोटी व्याज जमा झाले.

मागील वर्षीच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये राज्यातील करेतर महसुलाच्या वाढीचा दर (-)13.11 टक्के होता, तर सर्वसाधारण राज्यांचा सरासरी विकास दर 12.94 टक्के होता (परिशिष्ट 2.2).

2.3.2.4 केंद्र शासनाची हस्तांतरणे

केंद्र शासनाकडून होणारी हस्तांतरणे प्रामुख्याने वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असतात. केंद्र शासनाकडून होणा-या हस्तांतरणात केंद्रीय कर आणि शुल्क मधील राज्याचा हिस्सा आणि सहाय्यक अनुदान हे समाविष्ट आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने त्यांच्या 2021-2026 च्या मुख्य अहवालात 2021-2026 साठी राज्यांना विभाज्य (डिवीझीबल) करांच्या एकूण 41 टक्के हस्तांतरित करण्याची शिफारस केली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगानुसार (मुख्य अहवाल 2021-26) विभाज्य पूल मध्ये महाराष्ट्राचा हिस्सा 6.317 टक्के आहे.

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महसुली जमांच्या टक्केवारीनुसार केंद्राकडून झालेली हस्तांतरणे आलेख 2.6 मध्ये दर्शविली आहेत.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार (मुख्य अहवाल 2021-26), 2022-23 दरम्यान केंद्रीय करांमध्ये राज्याचा हिस्सा ₹ 60,000.97 कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹ 5,682.91 कोटींनी वाढला होता आणि केंद्र शासनाचे सहाय्यक अनुदान ₹ 51,414.24 कोटी होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹ 12,654.56 कोटींनी अधिक होते.

केंद्रीय कर हस्तांतरण

केंद्रीय कराच्या प्रत्यक्ष कर हस्तांतरणाच्या तुलनेत वित्त आयोगाची प्रक्षेपणे तक्ता 2.8 मध्ये दर्शविली आहेत.

तक्ता 2.8: केंद्रीय कर व शुल्कात राज्याचा हिस्सा: वित्त आयोगाच्या प्रक्षेपणाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष हस्तांतरण

(₹ कोटीत)

| वर्ष | केंद्रीय कर आणि शुल्कांच्या वाटपयोग्य निधी संचयातील (शेरेबल पूल) महाराष्ट्राचा परस्पर हिस्सा | वित्त आयोग अहवालामधील प्रक्षेपण* | प्रत्यक्ष कर हस्तांतरण | फरक |
|---------|---|--|------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015-16 | पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार | 32146.00 | 28105.95 | (-)4040.05 |
| 2016-17 | [महाराष्ट्र राज्याचा परस्पर हिस्सा =5.521 तक्ता 8.2 आणि सेवा करातील =5.674 तक्ता 8.3] | 37098.00 | 33714.90 | (-)3383.10 |
| 2017-18 | | 42869.00 | 37219.20 | (-)5649.80 |
| 2018-19 | | 49600.00 | 42054.20 | (-)7545.80 |
| 2019-20 | | 57452.00 | 36219.64 | (-)21232.40 |
| 2020-21 | | पंधराव्या वित्त आयोगाच्या (पहिला अहवाल [महाराष्ट्र राज्याचा परस्पर हिस्सा =6.135]) | 52465.00 | 36504.01 |
| 2021-22 | पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार (मुख्य अहवाल 2021-26) [महाराष्ट्र राज्याचा परस्पर हिस्सा =6.317] | 41603.17 | 54318.06 | 12714.89 |
| 2022-23 | | 46280.10 | 60000.97 | 13720.87 |

* संबंधित वर्षांचे वित्त आयोगाचे अहवाल

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत केंद्रीय करामधील राज्याच्या हिश्याच्या विविध घटकांचे हस्तांतरण तक्ता 2.9 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 2.9: केंद्रीय कर हस्तांतरण

(₹ कोटीत)

| शीर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| केंद्रीय वस्तू व सेवा कर | 10377.52 | 10277.86 | 10894.03 | 16016.73 | 16950.64 |
| एकात्मिक वस्तू व सेवा कर | 828.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निगम कर | 14621.85 | 12349.52 | 10979.94 | 15127.69 | 20125.45 |
| निगम कराव्यतिरिक्त उत्पन्नावरील कर | 10768.37 | 9676.68 | 11252.46 | 16519.71 | 19634.49 |
| सीमा शुल्क | 2980.37 | 2295.84 | 1969.98 | 3910.76 | 2358.10 |
| केंद्रीय उत्पादन शुल्क | 1980.63 | 1596.26 | 1231.49 | 2057.21 | 739.80 |
| सेवा कर | 390.29 | 0.00 | 151.51 | 627.83 | 93.76 |
| इतर कर ² | 106.98 | 23.48 | 24.60 | 58.13 | 98.73 |
| केंद्रीय कर हस्तांतरणे | 42054.20 | 36219.64 | 36504.01 | 54318.06 | 60000.97 |
| मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढीची टक्केवारी | 12.99 | (-)13.87 | 0.79 | 48.80 | 10.46 |
| महसुली जमेमध्ये केंद्रीय कर हस्तांतरणाची टक्केवारी | 15.07 | 12.79 | 13.55 | 16.30 | 14.79 |

स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

2022-23 मध्ये केंद्रीय कर हस्तांतरणात मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹ 5,682.91 कोटींची (10.46 टक्के) वाढ झाली होती. 'निगम कर', 'केंद्रीय वस्तू व सेवा कर' आणि 'निगम कराव्यतिरिक्त उत्पन्नावरील कर' अंतर्गत ही वाढ झाली होती. महसुली जमेची केंद्रीय कर हस्तांतरणाशी टक्केवारी 2021-22 मधील 16.30 टक्क्यांवरून घटून 2022-23 मध्ये 14.79 टक्क्यांवर आली.

² संपत्ती कर, उत्पन्न व खर्च यावरील इतर कर, विक्रेय वस्तू व सेवा यावरील इतर कर व शुल्क यांचा समावेश आहे

भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने

2018-19 ते 2022-23 दरम्यान भारत सरकारकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदान तक्ता 2.10 मध्ये तपशीलवार दिले आहे.

तक्ता 2.10: भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदाने

(₹ कोटीत)

| शीर्ष | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| योजनेतर अनुदाने | 8310.04 | 13690.19 | 309.92 ^{अब} | 1.01 | 0 |
| राज्य योजनांतर्गत योजनांसाठी अनुदाने | 1886.54 | 1723.42 | 0 | 0 | 0 |
| केंद्रीय योजनांतर्गत योजनांसाठी अनुदाने | 1326.17 | 1369.31 | 0.20 | 2.32 | 0.33 |
| केंद्रीय पुरस्कृत योजनांतर्गत योजनांसाठी अनुदाने | 13787.33 | 8806.56 | (-)12.24 | (-)0.48 | 0 |
| केंद्रीय पुरस्कृत योजनांसाठी अनुदाने | 22.04 | 1918.42 | 13733.52 | 11782.83 | 16240.57 |
| वित्त आयोग अनुदाने | 0 | 550.91 | 11550.00 ^अ | 7693.12 | 9968.35 |
| इतर हस्तांतरणे/राज्य/विधानमंडळ असलेले केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अनुदाने | 8330.00 | 15666.56 | 27152.06 ^ब | 19280.88 | 25204.99 |
| एकूण | 33662.12 | 43725.37 | 52733.46 | 38759.68 | 51414.24 |
| मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढीची टक्केवारी | 51.22 | 29.89 | 20.60 | (-)26.50 | 32.65 |
| महसुली जमेशी सहाय्यक अनुदानाची टक्केवारी | 12.07 | 15.44 | 19.57 | 11.63 | 12.67 |
| <p>अब) 2021-22 मध्ये वर्गीकरण बदल केल्यामुळे अनुदाने 07 वित्त आयोग अनुदाने व 08 इतर हस्तांतरणे</p> <p>अ) 2021-22 मध्ये वर्गीकरण बदल झाल्यामुळे 07 - वित्त आयोगाचे अनुदान -104- राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी सहाय्यक अनुदाने अंतर्गत घेतलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये सहाय्यक अनुदानापोटी अंशदान (₹ 3,222.00 कोटी)</p> <p>ब) 2021-22 मध्ये वर्गीकरण बदल झाल्यामुळे 08-इतर हस्तांतरणे/विधीमंडळे असलेली राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना अनुदान 106- राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीत अंशदानासाठी अनुदानापोटी अर्थसहाय्य (₹ 420.12 कोटी)</p> <p>स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे</p> | | | | | |

2022-23 वर्षादरम्यान महसुली जमांमध्ये सहाय्यक अनुदानाचा हिस्सा 12.67 टक्के होता. 2022-23 मध्ये केंद्र शासनाकडून राज्याला केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीच्या अनुदानाचा (₹ 16,240.57 कोटी) हिस्सा प्राप्त झालेल्या एकूण अनुदानाच्या 31.59 टक्के होता. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी वित्त आयोगाच्या अनुदानात ₹ 1,686.25 कोटी (47.81 टक्के) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत ₹ 1,016 कोटी (39.42 टक्के) इतकी लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे 2022-23 मध्ये भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदानामध्ये ₹ 12,654.56 कोटीची (32.65 टक्के) वाढ झाली.

केंद्रीय रस्ते आणि पायाभूत सुविधा निधीचे अनुदान 2021-22 मधील ₹ 390.27 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 1,084.15 कोटीपर्यंत वाढले. त्याचप्रमाणे, वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे झालेल्या महसुलाच्या नुकसानीपोटी प्राप्त झालेल्या भरपाईत 2021-22 च्या तुलनेत ₹ 6,286.62 कोटीची (35.25 टक्के) वाढ झाली.

तसेच, शालेय शिक्षणासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुदानात ₹ 1,312.06 कोटीची (108.57 टक्के), गृहनिर्माण ₹ 837.26 कोटीची (1,042.91 टक्के), नगरविकास ₹ 1,292.66 कोटीची (100 टक्के) वाढ झाली.

केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी अनुदान

2022-23 मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या ₹ 16,240 कोटींच्या अनुदानापैकी मोठी रक्कम खालीलप्रमाणे देण्यात आली.

- नागरी पुनरुत्थान अभियान- ₹ 1,146.58 कोटी (2021-22 मध्ये ₹ 394.53 कोटी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ₹ 1,676.07 कोटी (2021-22 मध्ये ₹ 1,249 कोटी)
- शाळेत मध्यान्ह भोजनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम- ₹ 1,592.41 कोटी (2021-22 मध्ये ₹ 490.75 कोटी)
- समग्र शिक्षा अभियान- ₹ 900 कोटी (2021-22 मध्ये ₹ 693.08 कोटी)

एकल नोडल अभिकरण

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नवी दिल्ली यांनी 3 मार्च 2021 च्या कार्यालय ज्ञापन क्र. 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 द्वारे अशी तरतूद केली आहे की प्रत्येक राज्य सरकार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकल नोडल अभिकरण नियुक्त करेल. एकल नोडल अभिकरण राज्य शासनाने शासकीय कामकाज करण्यासाठी अधिकृत केलेल्या अनुसूचित वाणिज्य बँकेत राज्य स्तरावर प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक नोडल खाते उघडेल. कार्यपद्धतीनुसार, राज्य शासन तदनुसृत राज्य शासनाचा हिश्यासहित त्यांच्या लेख्यांमधे प्राप्त झालेला केंद्राचा हिस्सा एकल नोडल अभिकरणाला हस्तांतर करेल.

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली अहवालानुसार, राज्य शासनाला वर्षभरात केंद्राच्या हिश्यापोटी ₹ 14,532.65 कोटी प्राप्त झाले. 31 मार्च 2023 पर्यंत शासनाने ₹ 14,532.65 कोटींचा केंद्राचा हिस्सा आणि ₹ 13,694.74 कोटींचा राज्याचा हिस्सा एकल नोडल अभिकरणांना हस्तांतरित केला. प्रत्यक्ष खर्चाची सविस्तर प्रमाणके आणि पुष्ट्यर्थ कागदपत्रे महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता) कार्यालयांना एकल नोडल अभिकरणांकडून प्राप्त झाली नव्हती. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली अहवालानुसार 31 मार्च 2023 रोजी अखर्चित ₹ 16,938.47 कोटी एकल नोडल अभिकरणांच्या बँक खात्यात पडून होते.

पंधरावा वित्त आयोग अनुदाने

पंधराव्या वित्त आयोगाने 2020-21 या आर्थिक वर्षाचा पहिला अहवाल आणि 2021-22 ते 2025-26 या वाढीव कालावधीसाठी अंतिम अहवाल असे दोन अहवाल सादर केले.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान, भारत सरकारकडून प्रत्यक्ष वाटप आणि राज्य शासनाकडून पंचायती राज संस्था आणि नागरी स्थानिक संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान यांचे तपशील तक्ता 2.11 मध्ये दिले आहेत.

तक्ता 2.11: पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारत सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान

(₹ कोटीत)

| पंधराव्या वित्त आयोगाची शिफारस (2022-23) | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| घटक | शिफारस | भारत सरकारने प्रत्यक्ष मुक्त केलेले | राज्य शासनाने मुक्त केलेले |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (i) पंचायती राज संस्थांना अनुदाने | 4461.00 | 3626.14 | 3626.14 |
| (अ) बद्ध अनुदान | 1784.40 | 1450.46 | 1450.46 |
| (ब) एकसंध अनुदान | 2676.60 | 2175.68 | 2175.68 |
| (ii) नागरी स्थानिक संस्थांना अनुदान* | 2197.00 | 1774.30 | 1774.30 |
| (अ) दशलक्षाहून अधिक शहरे (वातावरणातील हवेची गुणवत्ता तसेच घन कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेसाठी) | 1242.00 | 819.30 | 819.30 |
| (ब) दशलक्षाहून अधिक शहरे सोडून इतर (पिण्याचे पाणी, पर्जन्य जल संवर्धन, घन कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेसाठी बद्ध अनुदान) | 573.00 | 573.00 | 573.00 |
| (क) दशलक्षाहून अधिक शहरे वगळता (स्थानिक गरजांसाठी एकसंध अनुदान) | 382.00 | 382.00 | 382.00 |
| स्थानिक संस्थांसाठी एकूण | 6658.00 | 5400.44 | 5400.44 |
| राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (केंद्राचा हिस्सा) | 3383.00 | 3593.60 ³ | 3593.60 |
| राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (राज्याचा हिस्सा) | 1128.00 | | 1015.20 |
| आरोग्य क्षेत्रासाठी अनुदान | 1331.00 | 16.66 | 16.66 |
| एकूण | 11169.00 | 9010.70 | 10025.90 |

स्रोत: पंधरावा वित्त आयोग अहवाल आणि महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेली माहिती

* भारत सरकारच्या वितरण आदेशानुसार

³ यामध्ये 2020-21 चे ₹ 644.40 कोटी आणि 2022-23 चे परंतु 2023-24 मध्ये प्राप्त झालेल्या ₹ 433.80 कोटींचा समावेश आहे

राज्य वित्त आयोग

पंधराव्या वित्त आयोगाने 2021-2026 च्या त्यांच्या मुख्य अहवालात शिफारस केली होती की सर्व राज्यांनी राज्य वित्त आयोगांची स्थापना करावी आणि त्यांच्या शिफारशींवर कार्यवाही करावी आणि मार्च 2024 किंवा त्यापूर्वी राज्य विधिमंडळासमोर त्यावर केलेल्या कार्यवाहीबद्दल स्पष्टीकरणात्मक जापन सादर करावे. मार्च 2024 नंतर राज्य वित्त आयोग आणि या अटीच्या संदर्भात घटनात्मक तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या राज्याला कोणतेही अनुदान देण्यात येऊ नये.

महाराष्ट्राच्या 2020-25 या कालावधीसाठीचा पाचव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना मार्च 2018 मध्ये करण्यात आली आणि ऑगस्ट 2019 मध्ये शिफारशींसह त्यांचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला, जो डिसेंबर 2020 मध्ये राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आला.

आयोगाने 169 शिफारशी केल्या होत्या, त्यापैकी 134 शिफारशी राज्य शासनाने स्वीकारल्या. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची माहिती देण्यात (ऑक्टोबर 2023) आली नाही.

2.3.3 भांडवली जमा

भांडवली जमांमध्ये निर्गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न, कर्जे आणि अग्रिमांची वसुली, देशांतर्गत स्रोतांकडून ऋण जमा (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्था/व्यावसायिक बँकांकडून घेतलेली कर्जे) आणि भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे यासारख्या संकीर्ण भांडवली जमांचा समावेश होतो. राज्याच्या निव्वळ भांडवली जमा मध्ये लोक ऋण फेडल्यानंतर निव्वळ लोक ऋण जमा अधिक इतर भांडवली जमा समाविष्ट असतात.

भांडवली जमेच्या वाढीचा कल आणि त्याचे घटक तक्ता 2.12 मध्ये दिले आहेत.

तक्ता 2.12: भांडवली जमेच्या वाढीचा कल आणि त्याचे घटक

(₹ कोटीत)

| राज्याच्या जमेचे स्रोत | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| भांडवली जमा | 2513.01 | 34142.43 | 62541.72 | 55732.40 | 50549.67 |
| संकीर्ण भांडवली जमा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कर्जे आणि अग्रिमांची वसुली | 1604.29 | 1614.87 | 1612.35 | 1178.88 | 642.62 |
| ऋणोत्तर जमा | 1604.29 | 1614.87 | 1612.35 | 1178.88 | 642.62 |
| निव्वळ लोक ऋण जमा | 908.72 | 32527.56 | 60929.37 | 54553.52 | 49907.05 |
| देशांतर्गत ऋण | 1496.07 | 32610.31 | 46903.98 | 37043.37 | 40702.63 |
| वृद्धी दर (टक्क्यात) | (-)95.48 | 2079.73 | 43.83 | (-)21.02 | 9.88 |
| भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे | (-)587.35 | (-)82.75 | 14025.39 | 17510.15 | 9204.42 |
| वृद्धी दर (टक्क्यात) | (-)24.77 | (-)85.91 | 17049.11 | 24.85 | (-)47.43 |
| ऋण भांडवली जमांचा वृद्धी दर (टक्क्यात) | (-)97.19 | 3479.49 | 87.32 | (-)10.46 | (-)8.52 |
| ऋणोत्तर भांडवली जमांचा वृद्धी दर (टक्क्यात) | (-)9.77 | 0.66 | (-)0.16 | (-)26.88 | (-)45.49 |
| भांडवली जमांचा वृद्धी दर (टक्क्यात) | (-)92.62 | 1258.63 | 83.18 | (-)10.89 | (-)9.3 |
| स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे | | | | | |

राज्याच्या निव्वळ भांडवली जमा (निव्वळ लोक ऋण व ऋणोत्तर जमा) या 2022-23 मध्ये 9.30 टक्क्यांनी घटल्या. 2022-23 मध्ये भांडवली जमांमध्ये निव्वळ लोक ऋण जमेचा हिस्सा 98.73 टक्के होता. निव्वळ भांडवली जमेतील घट मागील वर्षाच्या तुलनेत भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमांमध्ये झालेल्या 47.43 टक्क्यांमुळे होती.

2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान भारत सरकारकडून निव्वळ कर्जे आणि अग्रिमांमध्ये झालेली वाढ ही वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटीचे लागोपाठ कर्ज प्राप्त झाल्यामुळे, जे सामान्यतः महसुली जमा म्हणून प्राप्त होते परंतु राज्य शासनाला 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान ऋण जमांच्या अंतर्गत लागोपाठ कर्ज म्हणून प्राप्त झाले होते, ज्यासाठी राज्याला परतफेडीचे कोणतेही दायित्व नव्हते.

2.3.4 साधनसंपत्तीला चालना देण्याची राज्याची कार्यक्षमता

साधनसंपत्तीला चालना देण्याची राज्याची कार्यक्षमता ही स्वतःचा कर आणि करेतर जमांचा समावेश असलेल्या राज्याच्या स्वतःच्या साधन संपत्तीच्या अनुषंगाने निर्धारित केली जाते. पंधरावा वित्त आयोग आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज (2022-23) यामधील निर्धारणेच्या प्रक्षेपणाच्या तुलनेत राज्याचा वर्ष 2022-23 चा स्वतःचा प्रत्यक्ष कर आणि करेतर जमा तक्ता 2.13 मध्ये दिले आहे.

तक्ता 2.13: 2022-23 च्या प्रक्षेपणांच्या तुलनेत स्वतःचा कर आणि करेतर जमा

(₹ कोटीत)

| | पंधराव्या वित्त आयोगाची प्रक्षेपणे | अर्थसंकल्पीय अंदाज | प्रत्यक्ष | प्रत्यक्षाच्या तुलनेत टक्केवारीत तफावत | |
|------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|--|--------------------------------|
| | | | | अर्थसंकल्पीय अंदाज | पंधराव्या वित्त आयोग प्रक्षेपण |
| स्वतःचा कर महसूल | 209782.00 | 256525.71 | 277486.31 | 8.17 | 32.27 |
| करेतर महसूल | 18117.00 | 27128.13 | 16776.41 | (-)38.16 | (-)7.40 |

स्त्रोत: 2022-23 चे वित्तीय लेखे, पंधरावा वित्त आयोग अहवाल, अर्थसंकल्पीय दस्तावेज

पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेले निर्धारण आणि अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत, राज्याद्वारे करेतर महसुली स्रोतांच्या संकलनात लक्षणीय घट दिसून आली.

2.4 संसाधनांचा वापर

राज्य शासनास राजकोषीय जबाबदा-यांच्या विधिविधानांच्या नियमांच्या चौकटीत खर्च करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, तर त्याच वेळी चालू असलेल्या राजकोषीय सुधारणा व राज्याची एकत्रीकरण प्रक्रिया ही भांडवली पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्राच्या विकासासाठी निर्देशित खर्चाच्या किंमतीवर होणार नाही याची सुनिश्चिती करावी. उप-परिच्छेदांसह हे परिच्छेद राज्यातील खर्चाचे विश्लेषण दर्शवितात.

2.4.1 खर्चाची वृद्धी आणि रचना

भांडवली खर्च: प्रकल्पाच्या पहिल्या बांधकामासाठी लागणारे सर्व शुल्क तसेच सेवेसाठी खुले करण्यापूर्वीच्या मधल्या काळात देखरेखीसाठी लागणारे शुल्क तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नियमांतर्गत मंजूर करण्यात आलेले अतिरिक्त काम आणि सुधारणासाठी लागणारे शुल्क इत्यादि भांडवली खर्च म्हणून वर्गीकृत करण्यात येतात.

महसुली खर्च: मालमत्ता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले परिरक्षा, दुरुस्ती, देखभाल व कार्यकारी खर्चावरील शुल्क, तसेच दिवसागणिक संस्था सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी आस्थापना आणि प्रशासकीय खर्चासह इतर सर्व खर्च महसुली खर्च म्हणून वर्गीकृत करण्यात येतात.

गेल्या पाच वर्षांत (2018-19 ते 2022-23) स्थूल राज्य उत्पन्नामधील एकूण खर्च, त्याची रचना आणि त्याचा सापेक्ष हिस्सा तक्ता 2.14 आणि आलेख 2.7 मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.


तक्ता 2.14: एकूण खर्च आणि त्याचे घटक

(₹ कोटीत)

| मापदंड | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| एकूण खर्च | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| महसुली खर्च | 267021.67 | 300305.21 | 310609.76 | 349685.89 | 407614.40 |
| भांडवली खर्च | 35049.05 | 36415.57 | 29686.70 | 46670.39 | 61643.61 |
| कर्जे आणि अग्रिमे | 1545.17 | 1969.86 | 2341.85 | 2436.03 | 4664.41 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी म्हणून | | | | | |
| एकूण खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न | 12.01 | 12.75 | 13.04 | 12.83 | 13.44 |
| महसुली खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न | 10.56 | 11.30 | 11.82 | 11.25 | 11.56 |
| भांडवली खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न | 1.39 | 1.37 | 1.13 | 1.50 | 1.75 |
| कर्जे आणि अग्रिमे/स्थूल राज्य उत्पन्न | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |

आलेख 2.7: एकूण खर्चाच्या हिश्यामधील कल

(टक्क्यांमध्ये)



(स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)


यावरून हे स्पष्ट होते की, एकूण खर्च हा 2018-19 मधील ₹ 3,03,615.89 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 4,73,922.42 कोटी इतका लक्षणीय वाढला. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार एकूण खर्च 2018-19 मधील 12.01 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 13.44 टक्क्यांवर पोहोचला होता.

उपक्रमांच्या बाबतीत, एकूण खर्चाचे विभाजन हे व्याज प्रदानासहित सर्वसाधारण सेवा, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा यावरील खर्च, सहाय्यक अनुदाने आणि कर्जे व अग्रिमे असे करता येईल. एकूण खर्चातील या घटकांचा सापेक्ष हिस्सा तक्ता 2.15 व आलेख 2.8 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 2.15 : खर्चाच्या विविध क्षेत्रांचा सापेक्ष हिस्सा

(टक्क्यांमध्ये)

| मापदंड | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| सर्वसाधारण सेवा | 28.43 | 29.91 | 30.75 | 31.20 | 28.30 |
| सामाजिक सेवा | 37.73 | 37.99 | 37.23 | 37.23 | 37.03 |
| आर्थिक सेवा | 27.03 | 25.67 | 26.00 | 24.94 | 27.58 |
| इतर (स्थानिक संस्थांना दिलेली अनुदाने आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलेली कर्जे व अग्रिमे) | 6.81 | 6.43 | 6.02 | 6.63 | 7.09 |
| स्त्रोत : संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

या घटकांचा सापेक्ष हिस्सा 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत किरकोळ आंतर-वर्षीय फरकांसह स्थिरता प्रदर्शित करतो.

2.4.2 महसुली खर्च

सेवांचा विद्यमान स्तर कायम राखण्यासाठी व मागील दायित्वाच्या प्रदानाकरिता महसुली खर्च करण्यात येतो. महसुली खर्चांमध्ये वेतन आणि मजुरी, व्याज प्रदाने, निवृत्तीवेतन, भांडवली कामांचे कार्यचालन आणि देखभाल यावरील खर्च, स्थानिक संस्था, सहकारी संस्था, अशासकीय संस्था आणि इतर यांना अर्थसहाय्य आणि हस्तांतरणे यांचा समावेश होतो.

प्रशासकीय सेवा, सामाजिक सेवा आणि आर्थिक सेवा यांसारख्या विविध कार्यात्मक श्रेणींमध्ये देखील खर्चाचे वर्गीकरण केले जाऊ शकते. सामाजिक आणि आर्थिक सेवांवरील खर्च, भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि मानव संसाधन विकासासाठी केला जातो आणि, म्हणून, उत्पादक मानला जातो, तर सामान्य प्रशासन आणि ऋण सेवांवरील खर्च अनुत्पादक मानला जातो.

एकूण महसुली खर्च, त्याचा वाढीचा दर, त्याचे एकूण खर्च आणि स्थूल राज्य उत्पन्न यांच्याशी गुणोत्तर व स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वाढीव बदलांच्या तुलनेत महसुली खर्चातील वाढीव बदलाचे गुणोत्तर तक्ता 2.16 मध्ये दर्शविले आहे. 2022-23 च्या महसुली खर्चाचे क्षेत्र-निहाय वाटप आलेख 2.9 मध्ये दिले आहे.

तक्ता 2.16: महसुली खर्च - मूलभूत मापदंड

(₹ कोटीत)


| मापदंड | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| एकूण खर्च | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| महसुली खर्च | 267021.67 | 300305.21 | 310609.76 | 349685.89 | 407614.40 |
| महसुली खर्चाचा वृद्धी दर (टक्के) | 10.54 | 12.46 | 3.43 | 12.58 | 16.57 |
| महसुली खर्च/एकूण खर्च (टक्के) | 87.95 | 88.67 | 90.65 | 87.69 | 86.01 |
| महसुली खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 10.56 | 11.30 | 11.82 | 11.25 | 11.56 |
| महसुली खर्च/महसुली जमा (टक्के) | 95.71 | 106.04 | 115.27 | 104.91 | 100.48 |
| स्थूल राज्य उत्पन्न | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाचा वृद्धी दर (टक्के) | 7.48 | 5.08 | (-)1.12 | 18.29 | 13.48 |

यांच्याशी महसुली खर्चातील बदलाचे गुणोत्तर

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
| स्थूल राज्य उत्पन्नामधील बदल | 1.409 | 2.453 | * | 0.688 | 1.229 |
| महसुली जमांमधील बदल | 0.727 | 8.307 | * | 0.531 | 0.764 |

स्रोत : संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

* स्थूल राज्य उत्पन्न आणि महसुली जमेतील नकारात्मक वाढीमुळे प्लावकता परिगणित करता आली नाही



(स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

2022-23 दरम्यान, महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या 86.01 टक्के होता. महसुली खर्चाचा वाढीचा दर 2021-22 मधील 12.58 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 16.57 टक्क्यांपर्यंत वाढला.

2.4.2.1 महसुली खर्चातील प्रमुख बदल

2022-23 ह्या चालू वर्षात आणि 2021-22 ह्या मागील वर्षात राज्याच्या महसुली खर्चाशी संबंधित विविध लेखाशीर्षांच्या अंतर्गत लक्षणीय तफावतीचा तपशील तक्ता 2.17 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 2.17: वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 दरम्यान महसुली खर्चातील बदल

(₹ कोटीत)

| लेखांचे मुख्य शीर्ष | 2021-22 | 2022-23 | वाढ (+)/घट (-) |
|---|----------|----------|----------------|
| 2216-गृहनिर्माण | 1568.15 | 3784.31 | 2216.16 |
| 2071-निवृत्तीवेतन आणि इतर निवृत्ती लाभ | 38513.30 | 43108.66 | 4595.36 |
| 2202-सामान्य शिक्षण | 64950.39 | 76076.91 | 11126.52 |
| 2217- नगर विकास | 12231.96 | 13300.33 | 1068.37 |
| 2225- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि अल्पसंख्याकांचे कल्याण | 16463.84 | 18745.51 | 2281.67 |
| 2435-इतर कृषी कार्यक्रम | 393.31 | 5582.13 | 5188.82 |
| 3604- स्थानिक संस्था आणि पंचायती राज संस्थांना नुकसान भरपाई आणि अभिहस्तांकन | 25962.54 | 32874.49 | 6911.95 |

स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

वर्ष 2022-23 दरम्यान सामान्य शिक्षण, इतर कृषी कार्यक्रम आणि स्थानिक संस्था व पंचायती राज संस्थांना नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकित रकमा देणे या खर्चात वाढ झाल्याने महसुली खर्चात लक्षणीय वाढ झाली.

2.4.2.2 वचनबद्ध खर्च

राज्य शासनाच्या महसुली लेख्यावरील वचनबद्ध खर्चात व्याज प्रदाने, वेतन व मजुरी आणि निवृत्ती वेतने यावरील खर्च यांचा समावेश असतो. ते शासकीय साधनसंपत्तीवर प्रथम भारीत असतात.

वर उल्लेखिलेल्या व्यतिरिक्त, निश्चित खर्चाच्या काही बाबी आहेत ज्या सामान्यतः फेरफार केल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा बदलल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा भांडवली खर्चासारख्या परिवर्तनीय व्यवहारांप्रमाणे वार्षिक स्तरावर आवश्यक असतात. उदाहरणार्थ, खालील बाबींना अपरिवर्तनीय खर्च मानले जाऊ शकते:

- (i) स्थानिक संस्थांना हस्तांतरण - वेतन आणि भत्यांसाठी स्थानिक संस्थांना वैधानिक हस्तांतरण (भांडवली खर्चासाठी वैधानिक हस्तांतरण/हस्तांतरण).
- (ii) राखीव निधीतील अंशदानाच्या वैधानिक गरजा - एकत्रित कर्ज निवारण निधीत अंशदान. हमी विमोचन निधी, राज्य आपत्ती शमन/प्रतिसाद निधी इत्यादी.
- (iii) आकस्मिकता निधीची भरपाई - वर्षभरात परत केलेली रक्कम.
- (iv) राखीव निधी/इतर संस्थेकडे उपकर हस्तांतरित करणे, जे कायदेशीररित्या आवश्यक आहे.
- (v) प्राप्त केंद्रीय निधीच्या तुलनेत केंद्र पुरस्कृत योजनांचा हिस्सा- एकल नोडल अभिकरणाला हस्तांतरित करावयाच्या/राज्याने खर्च केलेल्या राज्याच्या हिश्याची रक्कम.
- (vi) व्याजधारण निधीच्या शिल्लक रकमेवरील व्याजाचे प्रदान गुंतविल्याप्रमाणे भरणे आणि लोक ऋणावरील व्याज भारीत खर्च-व्याज प्रदाने म्हणून भरणे.

वचनबद्ध खर्चातील वाढता कल शासनाला विकास क्षेत्रासाठी कमी परिवर्तनशीलता मिळते. वचनबद्ध आणि परिवर्तनशील खर्च आणि त्याच्या घटकांच्या कलाचे विश्लेषण तक्ता 2.18 मध्ये दर्शविले आहे आणि महसुली खर्चातील वचनबद्ध खर्चाचा हिस्सा आलेख 2.10 मध्ये दर्शविला आहे

तक्ता 2.18: वचनबद्ध आणि परिवर्तनशील खर्चाचे घटक

(₹ कोटीत)


| वचनबद्ध खर्चाचे घटक | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| वेतन व मजुरी* | 80221.59 | 101981.24 | 100529.17 | 108791.45 | 125409.39 |
| निवृत्तीवेतनावरील खर्च | 26544.73 | 36077.52 | 41194.31 | 49112.25 | 54575.45 |
| व्याज प्रदाने | 34021.25 | 33560.73 | 36969.77 | 40158.04 | 41689.16 |
| एकूण | 140787.57 | 171619.49 | 178693.25 | 198061.74 | 221674.00 |
| परिवर्तनशील खर्चाचे घटक | | | | | |
| स्थानिक संस्थांना वैधानिक हस्तांतरण | 5209.07 | 7038.57 | 8633.00 | 4336.90 | 5400.44 |
| राखीव निधीतील अंशदान | 5066.88 | 18375.03 | 9780.54 | 14269.25 | 11424.22 |
| आकस्मिकता निधीची भरपाई | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| राखीव निधी/इतर संस्था यांना उपकर हस्तांतरण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्राप्त केंद्रीय निधीच्या तुलनेत केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या भाग भांडवलाचे अंशदान (राज्याचा हिस्सा + केंद्राचा हिस्सा) | 24705.90 | 18639.70 | 13145.50 | 21143.66 | 29214.31 |
| व्याजधारण निधीच्या शिल्लक रकमेवरील व्याजाचे प्रदान गुंतविल्याप्रमाणे भरणे आणि लोक ऋणावरील व्याज भारीत खर्च-व्याज प्रदाने म्हणून भरणे. | 121.58 | 472.65 | 702.85 | 667.83 | 232.61 |
| एकूण | 37103.43 | 52525.95 | 32261.89 | 40417.64 | 46271.58 |

| वचनबद्ध खर्चाचे घटक | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| महसुली जमेची टक्केवारी | | | | | |
| वचनबद्ध खर्च | | | | | |
| वेतन व मजुरी* | 28.75 | 36.01 | 37.31 | 32.64 | 30.91 |
| निवृत्तीवेतनावरील खर्च | 9.51 | 12.74 | 15.29 | 14.73 | 13.45 |
| व्याज प्रदाने | 12.19 | 11.85 | 13.72 | 12.05 | 10.28 |
| एकूण | 50.45 | 60.60 | 66.32 | 59.42 | 54.64 |
| अपरिवर्तनीय खर्च | | | | | |
| एकूण | 13.30 | 18.55 | 11.97 | 12.13 | 11.41 |
| महसुली खर्चाची टक्केवारी | | | | | |
| वेतन व मजुरी* | 30.04 | 33.96 | 32.37 | 31.11 | 30.77 |
| निवृत्तीवेतनावरील खर्च | 9.94 | 12.01 | 13.26 | 14.04 | 13.39 |
| व्याज प्रदाने | 12.74 | 11.18 | 11.90 | 11.48 | 10.22 |
| एकूण | 52.72 | 57.15 | 57.53 | 56.63 | 54.38 |
| अपरिवर्तनीय खर्च | | | | | |
| एकूण | 13.90 | 17.49 | 10.39 | 11.56 | 11.35 |
| बिगर-वचनबद्ध महसुली खर्च | 126234.10 | 128685.72 | 131916.51 | 151624.15 | 185934.64 |
| महसुली खर्चाची टक्केवारी | 47.27 | 42.85 | 42.47 | 43.36 | 45.62 |
| एकूण खर्चाची टक्केवारी | 41.58 | 38.00 | 38.50 | 38.02 | 39.23 |
| अर्थसहाय्य | 27397.78 | 28385.98 | 40861.58 | 29137.2 | 43150.79 |
| बिगर-वचनबद्ध खर्चाची टक्केवारी म्हणून अर्थसहाय्य | 21.70 | 22.06 | 30.98 | 19.22 | 23.21 |

* सहाय्यक अनुदानातून देण्यात येणारे वेतन समाविष्ट
स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

आलेख 2.10: एकूण महसुली खर्चांमध्ये प्रतिबद्ध खर्चाचा हिस्सा

(टक्क्यांमध्ये)



(स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

2022-23 दरम्यान वचनबद्ध खर्च हा राज्याच्या महसुली जमांच्या 54.64 टक्के आणि महसुली खर्चाच्या 54.38 टक्के होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत वचनबद्ध खर्च ₹ 23,612.26 कोटींनी (11.92 टक्के) वाढला.

वेतन व मजुरी

पाच वर्षांच्या कालावधीत (2018-19 ते 2022-23) वेतन आणि मजुरीवरील खर्च 2018-19 मधील ₹ 80,221.59 कोटींवरून ₹ 45,187.80 कोटी (56.33 टक्के) वाढून 2022-23 मध्ये ₹ 1,25,409.39 कोटी झाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षात महसुली खर्चातील त्याचा हिस्सा किंचित वाढला आणि 2022-23 मध्ये महसुली खर्चात त्याचा हिस्सा 30.77 टक्के होता.

व्याज प्रदाने

2022-23 मध्ये व्याज प्रदानांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ₹ 1,531.12 कोटींची (3.81 टक्के) वाढ झाली. चालू वर्षात व्याज प्रदानात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जासाठी भरलेले जास्त व्याज, अनुदानित, अशासकीय, व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज, अनुदानित अशासकीय माध्यमिक शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज आणि महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजनेवरील वाढीव खर्च यामुळे वाढ झाली.

निवृत्तीवेतन प्रदाने

नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भर्ती झालेल्या राज्य शासकीय कर्मचा-यांना निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांवर वर्षभरात ₹ 54,575.45 कोटी (महसुली खर्चाच्या 13.39 टक्के) खर्च झाला. मागील वर्षीच्या तुलनेत ₹ 5,463.20 कोटींची वाढ झाली होती. हे प्रामुख्याने नवीन निवृत्तीवेतन नियमावली, 1950 च्या कलम II अन्वये मंजूर सामान्य निवृत्ती वेतन लाभांव्यतिरिक्त मृत्यू-व-सेवानिवृत्ती-उपदान, 1 एप्रिल 1936 नंतरच्या सेवेसाठी निवृत्तीवेतन यावरील मोठ्या खर्चामुळे झाली होती.

2.4.2.3 राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमधील परतफेड न केलेली दायित्वे

शासनाने नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासकीय सेवेत रुजू होणाऱ्या सर्व नविन प्रवेशितांसाठी 'राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना' लागू केली. त्यांचे अंशदान सुरुवातीला लोक लेखा (मुख्य शीर्ष '8342-117-परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना') मध्ये वर्ग करण्यात आले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कर्मचारी आणि नियुक्ता या दोघांचेही अंशदान पुढील गुंतवणूकीसाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड/विश्वस्त बँकेकडे ठेवण्यात यावे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. राज्य शासन निधी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडकडे हस्तांतरित करण्यापूर्वी तो निधी विश्वस्त बँकेमध्ये एक चालू खाते उघडून बाजूला (पार्क) ठेवतो.

महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना प्रणाली (आर्किटेक्चर) स्वीकारली (ऑक्टोबर 2005) आणि 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर भर्ती झालेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू केली. मान्यताप्राप्त आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्था, अकृषिक विद्यापीठे आणि संलग्न अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठे, जिल्हा परिषद इत्यादी ज्यांना विद्यमान निवृत्ती वेतन योजना आणि सामान्य भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होती, अशा सेवांमध्ये भर्ती झालेल्या कर्मचा-यांनाही परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू होती.

राज्य शासनाने, नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर भर्ती झालेल्या राज्य शासन, जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शिक्षण संस्था, कृषी/अकृषिक विद्यापीठे आणि संलग्न अशासकीय महाविद्यालये, जलसंपदा विभागांतर्गतची महामंडळे यामध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचा-यांसाठीही राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ऑगस्ट 2014 मध्ये लागू केली. योजनेच्या संदर्भात, कर्मचारी त्याच्या/तिच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के अंशदान देतात आणि मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या 14 टक्के अंशदान राज्य शासनाद्वारे दिले जाते. वित्त मंत्रालयाच्या 31 जानेवारी 2019 च्या अधिसूचनेनुसार 01 एप्रिल 2019 पासून कर्मचा-यांच्या अंशदानाचा दर 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. संपूर्ण निधी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड/विश्वस्त बँकामार्फत नियुक्त व्यवस्थापकाकडे हस्तांतरित केला जातो.

2022-23 दरम्यान, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये एकूण अंशदान ₹ 6,608.51 कोटी (कर्मचार्यांचे अंशदान ₹ 2,421.72 कोटी आणि शासनाचे अंशदान ₹ 4,186.79 कोटी) होते. राज्य शासनाने लोक लेखा मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना यामध्ये ₹ 6,608.51 कोटी वर्ग केले. मुख्यशीर्ष 8342-117- परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना यामधून ₹ 8,194.05 कोटी नॅशनल सिव्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत आणि 31 मार्च 2023 पर्यंतची संचयी शिल्लक ₹ 7,646.60 कोटी नॅशनल सिव्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांच्याकडे हस्तांतरित करणे बाकी आहे.

अपरिवर्तनीय खर्च

अपरिवर्तनीय खर्च ज्यामध्ये इतर समाविष्ट घटकांबरोबर स्थानिक संस्थांना वैधानिक हस्तांतरण आणि राखीव निधीतील अंशदान जे 2018-19 मधील ₹ 37,103.43 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 46,271.58 कोटीपर्यंत वाढले. महसुली खर्चात अपरिवर्तनीय खर्चाचा हिस्सा 2021-22 मधील 11.56 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 11.35 टक्के होता. अपरिवर्तनीय खर्च (₹ 46,271.58 कोटी) मागील वर्षाच्या (₹ 40,417.64 कोटी) तुलनेत 2022-23 मध्ये 14.48 टक्क्यांनी वाढला.

2.4.2.4 अर्थसहाय्य

राज्य शासनाने सन 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत दिलेले अर्थसहाय्य तक्ता 2.19 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 2.19 : 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत अर्थसहाय्यावरील खर्च

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| अर्थसहाय्य (₹ कोटींमध्ये) | 27397.78 | 28385.98 | 40861.58 | 29137.20 | 43158.36 |
| महसुली जमेच्या टक्केवारीनुसार अर्थसहाय्य | 9.82 | 10.02 | 15.16 | 8.74 | 10.64 |
| महसुली खर्चाच्या टक्केवारीनुसार अर्थसहाय्य | 10.26 | 9.45 | 13.16 | 8.33 | 10.59 |

स्त्रोत : संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

अर्थसहाय्यावरील खर्च 2018-19 मधील ₹ 27,397.78 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 43,158.36 कोटीपर्यंत वाढला म्हणजेच 2018-19 मधील एकूण महसुली खर्चाच्या 10.26 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 10.59 टक्के झाला. चालू वर्षादरम्यान अर्थसहाय्याचा महसुली खर्चात 10.59 टक्के हिस्सा आणि महसुली जमांमध्ये 10.64 टक्के हिस्सा होता.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय, अन्न व नागरी पुरवठा आणि गृह या विभागांनी मोठ्या खर्चाची अर्थसहाय्य म्हणून नोंद केली.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ₹ 18,377.24 कोटींचे (42.58 टक्के) अर्थसहाय्य दिले. त्यापैकी, ₹ 6,000 कोटींचा मोठा हिस्सा 'प्रोत्साहन पॅकेज योजना' या योजने अंतर्गत अल्पविकसित भागात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात आलेल्या वित्तीय सहाय्यापोटी (व्याज माफी, मूल्यवर्धित करामध्ये सवलत, वीज शुल्कात सूट, मुद्रांक शुल्क माफी इत्यादी), वीज दरात कृषी पंप ग्राहकांना ₹ 5,808.10 कोटी आणि औद्योगिक ग्राहकांना ₹ 3,387.96 कोटी सवलत दिल्याने होता.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने एकूण ₹ 6,696.60 कोटी अर्थसहाय्य म्हणून खर्च केले, त्यापैकी ₹ 2,416.04 कोटी प्रधानमंत्री पीक विम्यातील राज्याच्या हिश्याशी संबंधित होते.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ₹ 6,641.36 कोटींचे अर्थसहाय्य दिले, त्यापैकी ₹ 5,440.65 कोटी महात्मा ज्योतीराव शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत राज्याच्या प्रोत्साहन लाभ योजनेशी संबंधित होते.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिलेल्या ₹ 3,587.06 कोटींचे अर्थसहाय्य मुख्यत्वे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत तूट भरून काढण्यासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य (₹ 1,782.62 कोटी) आणि केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत तूट भरून काढण्यासाठी ₹ 1,096.32 कोटी यांचा समावेश होता.

2.4.2.5 स्थानिक संस्था व इतर संस्थांना राज्य शासनाकडून वित्तीय सहाय्य

राज्य शासनाद्वारे स्थानिक संस्था आणि इतर संस्थांना अनुदाने आणि कर्जांच्या माध्यमातून वित्तीय सहाय्य पुरविण्यात येते. मागील वर्षाच्या तुलनेत 2022-23 दरम्यान स्थानिक संस्था आणि इतर संस्थांना अनुदाने आणि कर्जांच्या स्वरूपात पुरविण्यात आलेल्या सहाय्याचे परिमाण तक्ता 2.20 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 2.20: स्थानिक संस्थांना आर्थिक सहाय्य इ.

(₹ कोटीत)

| संस्था | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (अ) स्थानिक संस्था | | | | | |
| महानगरपालिका आणि नगरपालिका | 28958.48 | 30802.66 | 30101.99 | 36340.72 | 40832.22 |
| पंचायती राज संस्था | 21123.91 | 26620.62 | 28724.25 | 29417.83 | 37504.47 |
| एकूण (अ) | 50082.39 | 57423.28 | 58826.24 | 65758.55 | 78336.69 |
| (ब) इतर | | | | | |
| शैक्षणिक संस्था (अनुदानित शाळा, अनुदानित महाविद्यालये, विद्यापीठे इ.) | 31428.21 | 36674.10 | 35899.78 | 39536.97 | 47821.21 |
| विकास प्राधिकरणे | 1027.43 | 584.31 | 2303.49 | 1631.33 | 4511.15 |
| रुग्णालये आणि इतर धर्मादाय संस्था | 5707.03 | 5364.44 | 7345.86 | 9693.05 | 8030.81 |
| इतर संस्था | 34317.45 | 34158.76 | 29405.90 | 38152.96 | 49090.03 |
| एकूण (ब) | 72480.12 | 76781.61 | 74955.03 | 89014.31 | 109453.20 |
| एकूण (अ+ब) | 122562.51 | 134204.89 | 133781.27 | 154772.86 | 187789.89 |
| वेतनावर सहाय्यक अनुदान | 48137.42 | 60540.17 | 61045.62 | 65811.92 | 76234.13 |
| भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी सहाय्यक अनुदान | 1119.47 | 1234.66 | 1686.84 | 1254.48 | 1891.15 |
| वेतनेतर सहाय्यक अनुदान | 71183.93 | 69840.58 | 69002.46 | 84254.44 | 100188.57 |
| वस्तु रूपात दिलेले सहाय्यक अनुदान | 188.04 | 37.35 | 97.53 | 220.26 | 304.01 |
| महसुली खर्च | 267021.67 | 300305.21 | 310609.76 | 349685.89 | 407614.40 |
| महसुली खर्चाच्या टक्केवारीनुसार सहाय्य | 45.90 | 44.69 | 43.07 | 44.26 | 46.07 |
| स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |

2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये स्थानिक संस्था आणि इतर संस्थांना देण्यात येणा-या वित्तीय सहाय्यात ₹ 33,017.03 कोटींनी (21.33 टक्के) वाढले. राज्य शासनाने 2021-22 मधील ₹ 23,006.76 कोटींच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे उद्भवलेल्या महसुलाच्या नुकसानीसाठी महानगरपालिकांना ₹ 24,448.79 कोटींचे सहाय्य दिले.


2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत 'इतर' श्रेणीतील अनुदानित संस्थांना भरीव सहाय्य प्राप्त झाले. अनुदानित संस्थांची नोंद 'इतर' श्रेणी अंतर्गत करणे, आणि राज्य शासनाच्या संबंधित अनुदान देणाऱ्या विभागांकडे निर्माण केलेल्या मालमत्तेचा तपशील नसणे ही चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे असे व्यवहार अपारदर्शक होतात.

भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी देण्यात येणा-या वित्तीय सहाय्यात (भारत सरकार आणि राज्य शासन), वस्तुरूपी सहाय्यात, वेतन आणि वेतनेतर उद्देशासाठी देण्यात येणा-या वित्तीय सहाय्यात 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये

₹ 27,076.76 कोटींची (17.87 टक्के) वाढ झाली. मागील पाच वर्षांत वेतन व वेतनेतर घटकावरील सहाय्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचेही निदर्शनास आले. राज्य शासनाद्वारे देण्यात आलेल्या एकूण सहाय्यापैकी वेतन, वेतनेतर, भांडवली मालमत्तेची निर्मिती आणि वस्तुरूपातील सहाय्यक अनुदानात वित्तीय सहाय्याचा हिस्सा अनुक्रमे 40.60 टक्के, 53.35 टक्के, 1.01 टक्के आणि 0.16 टक्के होता.

2.4.3 भांडवली खर्च

भांडवली खर्च हा प्रामुख्याने रस्ते, इमारती इत्यादी सारख्या स्थिर पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरील खर्च असतो. पाच वर्षांच्या कालावधीतील (2018-19 ते 2022-23) एकूण खर्चाच्या तुलनेत भांडवली खर्चाचा कल आलेख 2.11 मध्ये दर्शविला आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

2022-23 दरम्यान, भांडवली खर्च (₹ 61,643.61 कोटी) एकूण खर्चाच्या 13 टक्के होता. 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये भांडवली खर्चात 32.08 टक्के (₹ 14,973.22 कोटी) वाढ झाली. 2022-23 मध्ये ₹ 61,643.61 कोटींच्या एकूण भांडवली खर्चापैकी ₹ 25,795.11 कोटी (41.85 टक्के) रस्ते आणि पुल यावर खर्च करण्यात आले. पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण कामांसाठीच्या ₹ 11,119.24 कोटी (18.04 टक्के) खालोखाल कृषी आणि संलग्न सेवांवर ₹ 7,252.92 कोटी (11.77 टक्के) खर्च करण्यात आले.

2.4.3.1 भांडवली खर्चात मोठे बदल

2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान राज्याच्या भांडवली खर्चासंदर्भात विविध लेखाशीर्षांतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल तक्ता 2.21 मध्ये अधोरेखित केले आहेत.

तक्ता 2.21: 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मधील भांडवली खर्च

| लेखांचे मुख्य शीर्ष | 2021-22 | 2022-23 | वाढ (+)/घट(-) |
|---|----------|----------|---------------|
| 5054-रस्ते आणि पुलांवरील भांडवली खर्च | 20487.61 | 25795.11 | 5307.50 |
| 4801- वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च | 1267.37 | 492.52 | (-)774.85 |
| 4702- लघु पाटबंधार्यांवरील भांडवली खर्च | 1677.90 | 1617.26 | (-)60.64 |
| 4701- मोठे व मध्यम पाटबंधार्यांवरील भांडवली खर्च | 8412.41 | 8699.91 | 287.50 |
| 4210- वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील भांडवली खर्च | 1612.26 | 1724.17 | 111.91 |
| 4402- मृद व जलसंधारणावरील भांडवली खर्च | 2096.82 | 2152.57 | 55.75 |

स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

2.4.3.2 भांडवली खर्चाची गुणवत्ता

एकूण ₹ 61,643.61 कोटींच्या भांडवली खर्चापैकी शासनाने ₹ 18,783.67 कोटी (भांडवली खर्चाच्या 30.47 टक्के) शासकीय महामंडळात प्रामुख्याने पाटबंधारे विकास महामंडळे (₹ 14,099.36 कोटी), ग्रामीण बँका (₹ 85.31 कोटी), शासकीय कंपन्या (₹ 4,504.91 कोटी) आणि सहकारी बँका/संस्था आणि स्थानिक संस्थांमध्ये (₹ 94.09 कोटी) गुंतविले होते.

शासनाने चालू वर्षात केलेल्या गुंतवणुकीचे आणि इतर भांडवली खर्चाचे विश्लेषण या विभागात नमूद केले आहे.

कंपन्या, महामंडळे आणि इतर संस्थांमधील गुंतवणुकीची गुणवत्ता

ज्या कंपन्या आणि महामंडळे तोट्यात आहेत आणि ज्यांची निव्वळ संपत्ती पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे, अशा कंपन्या आणि महामंडळांमधील भांडवली खर्च टिकाऊ नसतो.

तोट्यात असलेल्या कंपन्या, महामंडळे आणि सहकारी संस्था, ज्यांची निव्वळ संपत्ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे, अशा कंपन्या आणि महामंडळात केलेल्या गुंतवणुकीचा आणि दिलेल्या कर्जाचा परिणाम भांडवली खर्चाच्या गुणवत्तेवर होतो. सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गुंतविलेल्या भाग भांडवलातील गुंतवणुकीवरील परतावा आणि विविध संस्थांना देण्यात आलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचा इतिहास हा भांडवली खर्चाच्या गुणवत्तेचा महत्वपूर्ण निर्धारक आहे.

31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाने वैधानिक महामंडळे, ग्रामीण बँका, संयुक्त स्टॉक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांमध्ये ₹ 2,07,442.12 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली (तक्ता 2.22). या गुंतवणुकीवर 2022-23 करिताचा सरासरी परतावा 0.02 टक्के होता, तर याच कालावधीत शासनाने कर्जावर सरासरी 6.58 टक्के व्याज दिले.

तक्ता 2.22 : गुंतवणुकीवरील परतावा

| गुंतवणूक/परतावा/कर्जाचे मूल्य | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणूक (₹ कोटींमध्ये) | 153322.10 | 165024.85 | 173983.84 | 188658.45 | 207442.12 |
| गुंतवणुकीवरील परतावा (₹ कोटींमध्ये) | 275.48 | 56.53 | 401.02 | 88.36 | 36.01 |
| गुंतवणुकीवरील परतावा (टक्के) | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| शासकीय कर्जावरील सरासरी व्याजदर ⁴ (टक्के) | 7.83 | 7.32 | 7.19 | 6.96 | 6.58 |
| व्याजदर आणि परतावा यांच्यातील फरक (टक्के) | 7.65 | 7.29 | 6.96 | 6.91 | 6.56 |
| शासकीय कर्जावरील व्याज आणि गुंतवणुकीवरील परतावा ⁵ यांच्यातील फरक (₹ कोटींमध्ये) | 11729.14 | 12030.31 | 12109.28 | 13036.30 | 13613.68 |
| ⁵ वर्षाच्या अखेरीस असलेली गुंतवणूक x व्याज दर आणि परतावा यांच्यातील फरक स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |

सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांनी सादर केलेली माहिती असे दर्शविते की एकूण ₹ 193.81 कोटींची शासकीय गुंतवणूक (समभाग (इक्विटी): ₹ 54.00 कोटी आणि कर्ज: ₹ 139.81 कोटी) असलेल्या 22,905 संस्थांपैकी 11,219 संस्थांचा संचित तोटा ₹ 5,739.62 कोटी होता.

⁴ कर्ज व अग्रिमावर शासनाने दिलेला सरासरी व्याजदर = व्याज प्रदाने/[(राजकोषीय दायित्वांची मागील वर्षाची रक्कम + राजकोषीय दायित्वांची चालू वर्षाची रक्कम)/2]*100

शासकीय गुंतवणुकीचा कंपन्यांच्या लेख्यांशी ताळमेळ घालणे

राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये समभाग म्हणून शासकीय गुंतवणुकीची आकडेवारी सार्वजनिक उपक्रमांच्या लेख्यांमध्ये दिसून येणार्या आकडेवारीशी सहमत असणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या वित्तीय लेख्यांमधील आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या लेख्यांमधील तफावत शोधण्यासाठी आकडेवारीचा ताळमेळ करणे आवश्यक आहे. दोन्ही लेख्यांची छाननी केली असता असे दिसून आले की, वित्तीय लेख्यांनुसार, 34 सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये समभाग म्हणून शासकीय गुंतवणूक ₹ 1,29,762.69 कोटी होती, तर सार्वजनिक उपक्रमांच्या अभिलेख्यानुसार ती ₹ 2,31,213.91 कोटी होती. ₹ 1,01,451.22 कोटी रुपयांची तफावत होती, जी परिशिष्ट 2.3 मध्ये सविस्तर दर्शविली आहे. तफावत शोधण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने ताळमेळ करणे आवश्यक आहे.

संवितरित व वसुली झालेल्या कर्जाचे प्रमाण (2018-19 ते 2022-23)

सहकारी संस्था, महामंडळे व कंपन्यांमधील गुंतवणुकीबरोबरच राज्य शासन अनेक संस्था/संस्थांना कर्ज व अग्रिमे देते. भारत सरकार लेखा मानक-3 नुसार विशिष्ट अटी आणि शर्तींशिवाय मंजूर केलेली कर्जे उघड करणे आवश्यक आहे. अकार्यरत कंपन्यांविरुद्ध थकीत कर्जाची वसुली होण्याची शक्यता कमी आहे. 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान दिलेले कर्जे व अग्रिमांची सविस्तर स्थिती तक्ता 2.23 मध्ये दिली आहे.

तक्ता 2.23: कर्जे व अग्रिमांची स्थिती

(₹ कोटीत)

| कर्जाची रक्कम/व्याज जमा/कर्जाची किंमत | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| प्रलंबित कर्जाची आरंभीची शिल्लक | 25804.68 | 25745.56 | 26100.55 | 26830.05 | 28087.20 |
| वर्षभरात वाढलेली रक्कम | 1545.17 | 1969.86 | 2341.85 | 2436.03 | 4664.41 |
| वर्षभरात वसूल झालेली रक्कम | 1604.29 | 1614.87 | 1612.35 | 1178.88 | 642.62 |
| प्रलंबित कर्जाची अखेरची शिल्लक | 25745.56 | 26100.55 | 26830.05 | 28087.20 | 32109.00 |
| प्राप्त व्याज | 394.00 | 322.00 | 315.87 | 202.05 | 180.85 |
| शासनाने दिलेल्या कर्ज आणि अग्रिमावरील व्याज दर ⁵ (टक्केवारीत) | 1.53 | 1.24 | 1.19 | 0.74 | 0.60 |
| शासनाच्या थकित कर्जावर प्रदान केलेल्या व्याजाचा दर (टक्केवारीत) | 7.83 | 7.32 | 7.19 | 6.96 | 6.58 |
| प्रदान केलेल्या व्याजाच्या आणि प्राप्त झालेल्या व्याजाच्या दरातील फरक (टक्के) | (-)6.30 | (-)6.08 | (-)6.00 | (-)6.22 | (-)5.98 |
| स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |

2.4.4 खर्चाचा प्राधान्यक्रम

राज्यात चांगल्या सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता सामान्यतः त्याच्या खर्चाची गुणवत्ता दर्शवते. राज्य शासनाने विकास खर्चावर-जो सामाजिक आणि आर्थिक सेवांवरील खर्च आहे, अधिक लक्ष केंद्रित करून योग्य खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करणे महत्वाचे आहे. विकास खर्चावरील वाटप सुधारण्या व्यतिरिक्त, खर्चाच्या वापराची कार्यक्षमता भांडवली खर्चाशी (भांडवली खर्च + कर्जे आणि अग्रिमांचे संवितरण) एकूण खर्चाच्या गुणोत्तराने आणि शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांवर खर्च केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या प्रमाणात देखील दिसून येते. एकूण खर्चाशी या घटकांच्या सरासरी खर्चाचे गुणोत्तर जितके जास्त असेल तितकी खर्चाची गुणवत्ता चांगली मानली जाते.

⁵ शासनाने दिलेल्या कर्जे व अग्रिमावरील व्याजदर = प्राप्त व्याज / {आरंभीची शिल्लक + कर्जे व अग्रिमांची अंतिम शिल्लक/2} * 100

तक्ता 2.24 मध्ये 2018-19 हे आधारभूत वर्ष घेऊन 2022-23 दरम्यान एकूण खर्च, सामाजिक क्षेत्रातील खर्च, आर्थिक क्षेत्रातील खर्च आणि भांडवली खर्चाच्या संदर्भात राज्याच्या राजकोषीय प्राधान्याची तुलना सामान्य राज्यांशी केली आहे.

तक्ता 2.24 : 2018-19 आणि 2022-23 मध्ये राज्याचे राजकोषीय प्राधान्य

(टक्केवारीत)

| तपशील | एकूण खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न | सामाजिक क्षेत्रातील खर्च/एकूण खर्च | आर्थिक क्षेत्रातील खर्च/एकूण खर्च | भांडवली खर्च/एकूण खर्च | शिक्षणावरील खर्च/एकूण खर्च | आरोग्यावरील खर्च/एकूण खर्च |
|---|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्यांची सरासरी 2018-19 | 16.38 | 36.60 | 30.65 | 15.58 | 14.76 | 5.07 |
| महाराष्ट्र 2018-19 | 12.01 | 37.73 | 27.03 | 12.05 | 16.89 | 4.28 |
| सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्यांची सरासरी 2022-23 | 15.79 | 38.11 | 29.17 | 15.22 | 14.85 | 5.68 |
| महाराष्ट्र 2022-23 | 13.44 | 37.03 | 27.58 | 13.99 | 17.21 | 4.30 |

स्त्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23 आणि राज्य वित्त व्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल 2022-23 चा संकलन अहवाल

तक्ता 2.24 खालील गोष्टी दर्शवितो:


- स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात राज्य शासनाचा एकूण खर्च 2018-19 मधील 12.01 टक्क्यांवरून वाढून 2022-23 मध्ये 13.44 टक्क्यांवर गेला, तर याच कालावधीत सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्यांच्या सरासरीमध्ये तो 16.38 टक्क्यांवरून घटून 15.79 टक्क्यांवर आला.
- भांडवली खर्चामुळे मालमत्ता निर्मिती सुलभ होते ज्यामुळे उच्च वाढीच्या संधी निर्माण होतात. भांडवली खर्चाचे एकूण खर्चाशी असलेले गुणोत्तर 2018-19 मधील 12.05 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 13.99 टक्क्यांपर्यंत वाढले. सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्यांच्या सरासरीचे हे प्रमाण याच कालावधीत 15.58 टक्क्यांवरून घटून 15.22 टक्क्यांवर आले.
- महाराष्ट्रातील एकूण खर्चाशी शिक्षणावरील खर्चाचे गुणोत्तर 2018-19 मधील 16.89 टक्क्यांवरून वाढून 2022-23 मध्ये 17.21 टक्क्यांवर गेले, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्यांच्या सरासरीच्या बाबतीत ते याच कालावधीत 14.76 टक्क्यांवरून वाढून 14.85 टक्क्यांवर गेले.
- महाराष्ट्रातील आरोग्यावरील खर्चाचे एकूण खर्चाशी 2018-19 मधील 4.28 टक्के असलेले गुणोत्तर किंचित वाढून 2022-23 मध्ये 4.30 टक्क्यांवर गेले, जे 2022-23 मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील राज्यांच्या सरासरीच्या 5.68 टक्क्यांपेक्षा कमी होते.

2.4.4.1 उद्देश्य शीर्ष-निहाय खर्च

वित्तीय लेखे फक्त गौण शीर्ष स्तरापर्यंतचे व्यवहार दर्शवितात. उद्देश्य शीर्ष-निहाय खर्च, खर्चाचे प्रयोजन/उद्देश्य ह्या बाबतीत माहिती देतो. वर्ष 2022-23 करिता उद्देश्य शीर्ष-निहाय खर्च आलेख 2.12 मध्ये दर्शविला आहे.

आलेख 2.12: उद्देश शीर्ष-निहाय खर्च 2022-23

(टक्क्यांमध्ये)



(स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

महसुली खर्चात वेतन 30 टक्के, त्याखालोखाल सहाय्यक अनुदाने 24 टक्के, निवृत्तीवेतन 13 टक्के, व्याज 10 टक्के आणि अर्थसहाय्य 11 टक्के होते.

2.5 लोक लेखे

अल्प बचती, भविष्य निर्वाह निधी, राखीव निधी, ठेवी, निलंबने, वित्त प्रेषण इत्यादि विशिष्ट व्यवहारांच्या संदर्भात जमा आणि संवितरणे, जे एकत्रिकृत निधीचा भाग नसतात, ते संविधानाच्या अनुच्छेद 266(2) अंतर्गत स्थापिलेल्या लोक लेख्यात ठेवले जातात आणि राज्य विधानमंडळाद्वारे दत्तमत-अधीन नसतात. शासन याच्या संदर्भात बँकर म्हणून काम करते. वर्षादरम्यानच्या संवितरणानंतरची उर्वरित रक्कम ही शासनाकडे विविध उद्देश्याकरिता वापरण्यासाठी उपलब्ध असलेला निधी असतो.

2.5.1 निव्वळ लोक लेखे शिल्लक

राज्याच्या लोक लेख्यातील घटक-निहाय निव्वळ शिल्लक तक्ता 2.25 मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.

तक्ता 2.25 : लोक लेख्यातील घटक-निहाय निव्वळ शिल्लक

(₹ कोटीत)

| क्षेत्र | उपक्षेत्र | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| आय.- अल्प बचती, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादि | अल्प बचती, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादि | 491.75 | 1766.69 | 739.89 | 966.64 | 576.44 |
| जे.- राखीव निधी | (अ) व्याजधारक राखीव निधी | 500.87 | 3781.61 | 657.53 | 156.33 | 712.25 |
| | (ब) व्याजविरहीत राखीव निधी | (-)1073.50 | 6666.75 | 4512.62 | 8527.48 | 5247.20 |
| के.- ठेवी आणि अग्रिमे | (अ) व्याजधारक ठेवी | 3630.92 | 5886.57 | 5674.11 | 2105.43 | 1170.28 |
| | (ब) व्याजविरहीत ठेवी | 692.01 | (-)686.58 | 333.23 | 500.73 | 2553.55 |
| | (क) अग्रिमे | (-)0.39 ^६ | 3.67 | (-)1.20 | (-)2.51 | (-)1.40 |
| एल.-निलंबने आणि संकीर्ण | (अ) निलंबने | 49.32 | 289.60 | (-)329.48 | 112.51 | (-)29.85 |
| | (ब) अन्य लेखे | (-)3541.01 | 3265.52 | 29.13 | 7065.46 | 10737.42 |
| | (क) परदेशी सरकारकडील लेखे | 0 | 0 | 0.00 | (-)1.60 | 0.00 |
| | (ई) संकीर्ण | 0 | 0.01 | 0.00 | 1.60 | (-)1.15 |
| एम.-वित्तप्रेषण | (अ) धनप्रेष (मनीऑर्डर) आणि इतर वित्तप्रेषण | 160.90 | (-)1664.09 | 2128.66 | (-)595.18 | 524.50 |
| | (ब) आंतर-शासकीय समायोजन लेखे | (-)3.81 | (-)4.67 | (-)0.81 | 6.45 | 4.00 |
| एकूण | | 907.06 | 19305.08 | 13743.68 | 18843.34 | 21493.24 |

टीप: +ve डेबिट शिल्लक दर्शविते आणि -ve क्रेडिट शिल्लक दर्शविते. # निम्न पूर्णांकन

स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

तक्का 2.25 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, लोक लेखा खात्यातील निव्वळ शिल्लक 2021-22 मधील ₹ 18,843.34 कोटींवरून घटून 2022-23 मध्ये ₹ 21,493.24 कोटी झाली.

2.5.2 राखीव निधी

राज्य शासनाच्या लोक लेख्यांतर्गत विशिष्ट आणि नेमक्या कारणांसाठी राखीव निधी निर्माण केला जातो. हे निधी राज्याच्या एकत्रिकृत निधीतून अंशदाने किंवा अनुदानातून निर्माण केलेले असतात.

मार्च 2023 पर्यंत राज्यात 21 सक्रिय राखीव निधी विशिष्ट उद्देशांसाठी राखून ठेवले होते. यापैकी, 12 निधी कार्यरत (₹ 73,362.53 कोटी) व उर्वरित नऊ निधी अकार्यरत (₹ 32.64 कोटी) होते. 31 मार्च 2023 पर्यंत या निधीमधील एकूण जमा शिल्लक ₹ 73,395.17 कोटी होती, त्यापैकी ₹ 5,520.76 कोटी व्याजधारक राखीव निधी अंतर्गत आणि ₹ 67,874.41 कोटी व्याजविरहीत राखीव निधी अंतर्गत होते.

वर्षादरम्यानच्या राखीव निधीच्या व्यवहारांचा तपशील खालील परिच्छेदांमध्ये दिलेला आहे.

2.5.2.1 एकत्रिकृत कर्ज निवारण निधी

राज्य शासनाने दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने खुल्या बाजारातील कर्जांच्या परतफेडीसाठी रिझर्व्ह बँकेमार्फत चालविण्यात येणारा एकत्रित कर्ज निवारण निधी तयार (1999-2000) केला. महाराष्ट्राच्या एकत्रिकृत कर्ज निवारण निधीच्या घटनेनुसार राज्य शासनाने मागील वर्षाच्या अखेरीस खुल्या बाजारातील थकित कर्जापैकी एक ते तीन टक्के कर्ज या निधीत जमा करावयाचे असते. वर्ष 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्र. सीएसएफ.1017/सीआर-17/डब्ल्यूएम दिनांक 1 जुलै 2017 रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून शासनाच्या थकित दायित्वांच्या मुक्तीसाठी एकत्रिकृत कर्ज निवारण निधीचा वापर करण्याच्या उद्देशाने सन 2017-18 पासून लागू असलेल्या एकत्रिकृत कर्ज निवारण निधी योजनेत सुधारणा केली. रिझर्व्ह बँकेच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांनुसार, राज्यांना मागील वर्षाच्या अखेरीस त्यांच्या थकित दायित्वांच्या (देशांतर्गत कर्ज + लोक लेखा दायित्व) किमान 0.5 टक्के रक्कम निधीत जमा करणे आवश्यक आहे. 2022-23 दरम्यान राज्य शासनाने निधीमध्ये जमा करणे आवश्यक असलेल्या ₹ 3,031.48 कोटी ऐवजी ₹ 1,500 कोटी महसूल खात्यातून हस्तांतरित केले जे 1 एप्रिल 2022 रोजी ₹ 54,374.17 कोटींच्या एकूण प्रलंबित (खुल्या बाजार कर्ज) च्या 2.76 टक्के आणि 1 एप्रिल 2022 रोजी ₹ 4,45,079.61 कोटींच्या प्रलंबित दायित्वांच्या (देशांतर्गत कर्ज + लोक लेखा दायित्व) 0.34 टक्के होते. 31 मार्च 2023 रोजी या निधीचा एकूण संचय ₹ 60,004.03 कोटी होता.

2.5.2.2 राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने व तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार भारत सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 48 (एल) (अ) अन्वये चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, किडिंचा हल्ला, हिमवर्षाव आणि थंडी यांच्या लाट ग्रस्तांना तात्काळ मदत देण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्याकरीता 2010-11 मध्ये 9राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी“ ची स्थापना केली आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतील वार्षिक अंशदान भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्यात 75:25 या प्रमाणात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने सुलभ उपाययोजनांद्वारे धोके कमी करण्यासाठी समुदायआधारित स्थानिक उपक्रमांकरीता अल्प अनुदान देण्यासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीची निर्माण करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने 8121-122 राज्य आपत्ती निवारण निधी या मुख्य शीर्षांतर्गत 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीची निर्मिती केली नव्हती.

2022-23 दरम्यान राज्य शासनाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी भारत सरकारच्या हिश्यापोटी ₹ 2,706.40 कोटी प्राप्त झाले. राज्य शासनांचा वर्षभरातील हिस्सा ₹ 902.40 कोटी होता. राज्य शासनाने ₹ 3,608.80 कोटींची संपूर्ण रक्कम मुख्य शीर्ष 8121-122 राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत हस्तांतरित केली.

याव्यतिरिक्त, राज्य शासनाला 2022-23 साठी राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी भारत सरकारचा ₹ 676.60 कोटी हिस्सा प्राप्त झाला. 2022-23 मध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा ₹ 112.80 कोटी होता. राज्य आपत्ती निवारण निधी निर्माण झालेला नसल्याने राज्य शासनाने संपूर्ण रक्कम राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत वर्ग केला.

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

2022-23 मध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीत हस्तांतरित करण्यात आलेला एकूण निधी ₹ 4,608.80 कोटी⁶ होता त्यापैकी, ₹ 3,608.80 कोटी वर्षभरात खर्च झाले आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत निधीत ₹ 2,074 कोटी शिल्लक राहिले. राज्य शासनांनी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीला⁷ व्याज प्रदान करणे आवश्यक आहे. हे व्याज अर्ध-वार्षिक तत्त्वावर जमा करावयाचे असते. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या गुंतवणुकीवर मिळणा-या उत्पन्नासह राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीला मिळणारी रक्कम केंद्र शासनाच्या मुदत रोखे, लिलाव केलेली कोषागार देयके आणि अनुसूचित व्यावसायिक (शेड्युल्ड कमर्शियल) बँकांमधील इतर व्याज कमावणा-या ठेवींमध्ये गुंतवली जाणार आहे.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी या निधींचा तपशील तक्ता 2.26 मध्ये दिला आहे.

तक्ता 2.26: राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये भारत सरकार आणि राज्याचा हिस्सा

(₹ कोटीत)

| 01.04.2022 रोजी आरंभीची शिल्लक | 2022-23 दरम्यान प्राप्त झालेला भारत सरकारचा हिस्सा | 2022-23 दरम्यान राज्याचा हिस्सा | राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीकडून प्राप्त झालेले सहाय्य | 2022-23 मध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीला एकूण हस्तांतरित निधी | निधीतून संवितरण | 31.03.2023 रोजी शिल्लक |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|------------------------|
| 1074.00 | 3593.60 | 1015.20 | शून्य | 4608.80 | 3608.80 | 2074.00 |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

वर्ष 2022-23 दरम्यान नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य (मुख्य शीर्ष 2245) यासाठीच्या खर्चाचा तपशील तक्ता 2.27 मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

तक्ता 2.27: मुख्य शीर्ष 2245 वरील खर्चाचा तपशील

(₹ कोटीत)

| लेखाचे मुख्य शीर्ष | लेखाचे गौण शीर्ष | 2022-23 दरम्यानचा खर्च |
|--|---|------------------------|
| 2245-नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 02- पूर, चक्रीवादळे इ. | 101-अनुग्रह सहाय्य | 6743.90 |
| | 113- घरदुरुस्ती/पुनर्बांधणी यासाठी सहाय्य | 97.80 |
| | 115- जमिनीतील वाळू/गाळ/क्षार काढून टाकण्यासाठी शेतक-यांना सहाय्य | 49.85 |
| | 117- पशुधन खरेदीसाठी शेतक-यांना सहाय्य | 16.18 |
| | 118- हानी पोहोचलेल्या होड्या व मासेमारी साधनसामग्री यांची दुरुस्ती/ती नव्याने पुरविणे यासाठी सहाय्य | 13.18 |
| | 119- हानी पोहोचलेली हत्यारे व साधनसामग्री यांची दुरुस्ती/ती नव्याने पुरविणे तसेच कच्च्या, प्रक्रियाधीन व तयार मालाच्या नुकसानीसाठी कारागिरांना सहाय्य | 1.09 |
| | 800-इतर खर्च | 0.00 |
| | उप-एकूण 02 | 6922.00 |
| 2245- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 80- सर्वसाधारण | 800-इतर खर्च | 54.04 |
| | 911- वजा-अतिरिक्त प्रदान वसुली | -0.19 |
| | उप-एकूण 80 | 53.85 |
| | एकूण | 6975.85 |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

⁶ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती निवारण निधी (केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा)= ₹ 4,398.20 कोटी + राज्य आपत्ती निवारण निधी (केंद्राचा हिस्सा) 2021-22 शी संबंधित 2022-23 मध्ये प्राप्त झालेले ₹ 644.40 कोटी - राज्य आपत्ती निवारण निधी (केंद्राचा हिस्सा) 2022-23 शी संबंधित परंतु 2023-24 मध्ये प्राप्त झालेले ₹ 433.80 कोटी

⁷ राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सरासरी रेपो दर + दोन टक्के म्हणजेच 7.49 टक्के घेऊन व्याजाची प्रगणना केली जाते

2.5.2.3 हमी विमोचन निधी

बाराव्या वित्त आयोगाच्या अटीनुसार, राज्य शासनाने दिनांक 20 डिसेंबर 2018 च्या अधिसूचनेद्वारे राज्य स्तरीय उपक्रम किंवा इतर संस्था आणि लाभार्थ्यांनी विनंती केलेले इतर ऋण तसेच शासनाने जारी केलेल्या बंधपत्रातील हमीच्या संदर्भाने उद्धवणार्या प्रदानाच्या जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राज्य शासन हमी विमोचन निधी गठित केला. निधीमधील संचयाचा (जमेचा) उपयोग केवळ शासनाद्वारे जारी केलेल्या हमीच्या प्रदानाकरिता करण्यात यावा आणि संस्थांनी ज्यांच्या वतीने हमी दिलेली आहे अशाकरिता उपयोग करण्यात येऊ नये.

निधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय लेखा विभागाद्वारे प्रशासित केला जाईल आणि शासनाच्या सर्वसाधारण महसुलाच्या बाहेर ठेवण्यात येईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे निधीची गुंतवणूक केली जाते.

या निधीच्या घटनेनुसार राज्य शासनाने सुरवातीला 2019-20 पासून मागील वर्षाच्या अखेरीस प्रलंबित हमीच्या किमान एक टक्का रक्कम देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर 2027-28 पर्यंत एकूण थकबाकीच्या पाच टक्के पातळी गाठण्यासाठी अशा प्रलंबित रकमेच्या 0.5 टक्के रक्कम दरवर्षी निधीत जमा केली जाईल.

वर्षभरात राज्य शासनाने हमी विमोचन निधीअंतर्गत आवश्यक असलेल्या ₹ 256.32 कोटी ऐवजी ₹ 213.47 कोटी निधीत हस्तांतरित केले आणि वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने ₹ 78.41 कोटीची गुंतवणूक केली. 31 मार्च 2023 रोजी निधीतील रक्कम ₹ 1,236.72 कोटी होती जी 31 मार्च 2022 रोजी असलेल्या एकूण प्रलंबित हमीच्या (₹ 51,263.35 कोटी) 2.41 टक्के होती.

2.5.2.4 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधी

पर्यावरण व वन मंत्रालय, केंद्र सरकारद्वारे जारी केलेल्या सूचनांच्या अनुपालनार्थ वापरकर्ता अभिकरणाद्वारे प्राप्त झालेल्या रकमेसाठी राज्य शासनास राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. जमा झालेला पैसा प्रतिपूरक वनीकरण, नैसर्गिक पुनरुत्पादनास सहाय्य, वनांचे संवर्धन आणि संरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास, वन्यजीव संवर्धन आणि संरक्षण आणि इतर संबंधित कार्ये इत्यादींसाठी वापरण्यात यावा.

वापरकर्ता अभिकरणाद्वारे राज्य शासनाला प्राप्त झालेला पैसा राज्याच्या लोक लेखा खात्यातील व्याज धारण करणाऱ्या विभागा अंतर्गत मुख्य शीर्ष 8336-नागरी जमा खालील गौण शीर्ष स्तरावर 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण ठेव' यामध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. प्रतिपूरक वनीकरण निधी अधिनियम, 2016 च्या कलम 3(4) नुसार निधीच्या 90 टक्के रक्कम राज्याच्या लोक लेख्यामधील मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य आणि इतर राखीव निधीमध्ये हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे आणि जर केंद्र शासनाच्या निधिचा 10 टक्के हिस्सा मासिक आधारावर प्राप्त होत असेल तर उर्वरित 10 टक्के दरवर्षी राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधीमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. मुख्य शीर्ष '8336- नागरी ठेव' अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधी' आणि मुख्य शीर्ष 8121- सामान्य आणि इतर राखीव निधी अंतर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा' मधील उपलब्ध शिलकीवर व्याजाचा लागू दर हा केंद्रीय शासनाने वार्षिक आधारावर घोषित केलेल्या दरानुसार असेल. (पर्यावरण व वन मंत्रालय, केंद्र शासन यांच्याद्वारे ऑक्टोबर 2022 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार वर्ष 2022-23 साठी 3.35 टक्के)

वर्ष 2022-23 दरम्यान राज्य शासनास वापरकर्ता अभिकरणाद्वारे कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नाही आणि त्यामुळे राष्ट्रीय निधीमध्ये कोणतीही रक्कम जमा केली गेली नाही. राज्य शासनाला राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधीकडून कोणतीही रक्कम (मागील वर्षी ₹ 285.22 कोटी प्राप्त झाली) प्राप्त झाली नाही. शासनाने ₹ 448.64 कोटी खर्च मुख्य शीर्ष 8121- सर्वसाधारण आणि इतर राखीव निधीमध्ये वर्ग केला. 31 मार्च 2023 रोजी राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधीमधील एकूण शिल्लक ₹ 2,781.76 कोटी होती.

⁸ वापरकर्ता अभिकरण म्हणजे कोणतीही व्यक्ति, संस्था किंवा कंपनी किंवा केंद्र किंवा राज्य शासन यांच्या विभागाद्वारे वन जमीन वनेतर जमिनीच्या उद्देशासाठी वळती करणे किंवा रद्द करण्याची विनंती करणे किंवा केंद्र सरकारद्वारे अधिनियम किंवा नियमांतर्गत दिलेल्या परवानगीनुसार वन जमिनीचा वनेतर जमिनीच्या उद्देशासाठी वापर करणे

2.5.2.5 इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर

केंद्र शासनाने कामगारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी उपकर आकारणे आणि संकलन यासाठी इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1966 लागू केला. इतर गोष्टींबरोबरच, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे गठन करणे आणि अधिनियमा अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करण्यासाठी प्रत्येक राज्य शासनाद्वारे नियम तयार करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने अधिनियमा अंतर्गत इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन आणि सेवा शक्ती) नियम, 2007 तयार केले आणि महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली. शासनाद्वारे कामगार उपकर ठेव म्हणून जमा केलेल्या रकमेचे क्रियान्वयन/संचालनासाठी हे मंडळ जबाबदार आहे. सप्टेंबर 2022 पर्यंत मंडळाने ₹ 1,185.58 कोटी कामगार उपकर म्हणून जमा केले होते. विभागाने निधीमधून केलेल्या खर्चाचा आणि 31 मार्च 2023 रोजी उपलब्ध शिल्लक रकमेचा तपशील सादर केला नव्हता.

वर्ष 2022-23 दरम्यान शासनाने उपकर/शुल्क/अधिभार (कामगार उपकर वगळता) म्हणून ₹ 1,156.76 कोटी गोळा केले. गोळा केलेल्या एकूण ₹ 1,156.76 कोटीपैकी एकही रक्कम राज्य शासनाने निर्धारित निधीत हस्तांतरित केली नव्हती परिणामी महसुली तुटीत आणि राजकोषीय तुटीत त्याप्रमाणात ऊनोक्ती झाली.

2.5.2.6 केंद्रीय रस्ते व पायाभूत सुविधा निधीशी संबंधित व्यवहारांचा लेखाजोखा

राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामीण रस्ते, राज्य रस्ते (आंतरराज्य जोड रस्ते आणि आर्थिक महत्वाचे रस्ते) आणि पुलांच्या माध्यमातून लोहमार्गाच्या खालून किंवा त्यावरील रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी आणि मानवरहित- लोहमार्ग-रस्ते क्रॉसिंगवर योग्य सुरक्षा कामे उभारण्यासाठी निधीचे वाटप आणि संवितरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने 2001-02 मध्ये केंद्रीय रस्ते व पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरु केली.

भारत सरकार राज्य शासनाला विनिर्दिष्ट रस्ते प्रकल्पांवर खर्च करण्यासाठी केंद्रीय रस्ते व पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वार्षिक अनुदान देते. सध्याच्या लेखांकन पद्धतीनुसार, हे अनुदान सुरुवातीला “1601- केंद्र सरकारकडून सहाय्यक अनुदान” या मुख्य शीर्षखाली महसुली जमा म्हणून वर्ग केले जाईल. त्यानंतर अशाप्रकारे प्राप्त झालेली रक्कम राज्य शासनाद्वारे महसुली खर्च मुख्य शीर्ष “3054- रस्ते आणि पूल” मार्फत मुख्य शीर्ष “8449- इतर ठेवी-103-केंद्रीय रस्ते निधीमधून अर्थसहाय्य” अंतर्गत लोक लेख्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात यावी. ही प्रक्रिया सुनिश्चित करते की अनुदान प्राप्त झाल्यामुळे लेख्यामध्ये महसुली आधिक्यात अत्युक्ती किंवा महसुली तुटीत उन्योक्ती होणार नाही. केंद्रीय रस्ते निधी अंतर्गत विहित रस्त्यांच्या कामांवरील खर्च प्रथम संबंधित भांडवली किंवा महसुली खर्च विभाग (मुख्य शीर्ष 5054 किंवा 3054) अंतर्गत वर्ग केला जाईल आणि संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 किंवा-3054 यथास्थिती) मध्ये वजावट खर्च म्हणून मुख्य शीर्ष 8449 अंतर्गत लोक लेख्यातून परतफेड केली जाईल.

वर्ष 2022-23 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून ₹ 1,084.15 कोटी अनुदान प्राप्त झाले, जे केंद्रीय रस्ते निधी (मुख्य शीर्ष 8449-इतर ठेवी-103-केंद्रीय रस्ते निधीकडून सरकारी आर्थिक अनुदान) मध्ये हस्तांतरित करण्यात आले.

2.5.2.7 राज्याचा एकत्रिकृत निधी किंवा लोक लेख्याबाहेरील निधी

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 267 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून अनुच्छेद 266 (1) मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, एखाद्या राज्य शासनाला प्राप्त होणारा सर्व महसूल, त्या शासनाने कोषागार देयके, कर्जे किंवा अर्थोपाय अग्रिमाद्वारे उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जांच्या परतफेडीसाठी त्या शासनाला प्राप्त झालेले सर्व पैसे हे सर्व मिळून राज्याचा एकत्रिकृत निधी तयार होतो. अनुच्छेद 266 (2) मध्ये अशी तरतूद आहे की एखाद्या राज्य शासनाला किंवा त्यांच्या वतीने प्राप्त होणारा इतर सर्व सार्वजनिक पैसा, यथास्थिती, राज्याच्या लोक लेख्यात जमा केला जाईल.

एकत्रिकृत निधीबाहेर निधी निर्माण करून सार्वजनिक खर्चाची पूर्तता करण्यात आल्याचे उदाहरण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या यापूर्वीच्या राज्य वित्त अहवालात⁹ नमूद करण्यात आले होते. चालू वर्षात ही पद्धत खाली चर्चा केल्याप्रमाणे सुरु राहिली.

⁹ भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2019-20 व 2020-21 या वर्षांच्या राज्य वित्तीय अहवालातील अनुक्रमे परिच्छेद 1.2.3, परिच्छेद 1.5.2, परिच्छेद 1.2.3, परिच्छेद 4.1.1 व परिच्छेद 4.1.1

2.5.2.7.1 महाराष्ट्र निवारा निधी

(अ) गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी केंद्रीय सहाय्याद्वारे विविध गृहनिर्माण योजना राबविण्यासाठी शासनाच्या संसाधनांना पूरक करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र निवारा निधीची निर्मिती (मे 2010) केली. महाराष्ट्र निवारा निधीला महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांच्याकडून निधी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने गोळा केलेल्या जमिनीच्या अधिमुल्याच्या 90 टक्के रकमेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आवर्ती अंशदान प्राप्त होईल. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित निर्माण केलेल्या निधीचे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या लेखापरीक्षणाच्या धर्तीवर याचे लेखापरीक्षण केले जाईल आणि महाराष्ट्र निवारा निधीचे वार्षिक लेखे व लेखापरीक्षा अहवाल दरवर्षी विधिमंडळात सादर केला जाईल.

स्थापनेपासून मार्च 2023 पर्यंत महाराष्ट्र निवारा निधीला महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने गोळा केलेल्या जमिनीच्या अधिमुल्याच्या 90 टक्के रकमेच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून आवर्ती अंशदान असे ₹ 48,257.72 कोटी प्राप्त झाले.

2022-23 दरम्यान लेख्यातील जमा ₹ 5,887.91¹⁰ कोटी आणि प्रदाने ₹ 5,858.85¹¹ कोटी होती. महाराष्ट्र निवारा निधीच्या जमा व खर्चाचा लेखापरीक्षा अहवाल आणि वार्षिक लेखे राज्य विधिमंडळास सादर (सप्टेंबर 2023) करण्यात आले नव्हते.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे सेवा, अधिकार व शर्ती अधिनियम, 1971 च्या कलम 20 (1) अन्वये भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखापरीक्षण केलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण ह्या स्वायत्त संस्थेच्या अंतर्गत हा निधी निर्माण करण्यात आल्याने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 मध्ये औपचारिक दुरुस्ती करून महाराष्ट्र निवारा निधीची निर्मिती आणि त्यानंतर निधीची लेखापरीक्षण व्यवस्था भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे सेवा, अधिकार व शर्ती अधिनियम, 1971 अंतर्गत आवश्यक होती. तसेच, वित्त विभागाने महाराष्ट्र निवारा निधीला प्रशासकीय व आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडून निधीचे लेखापरीक्षण करावे असे निर्देश (ऑगस्ट 2017) गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. तथापि, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियमात अद्याप (सप्टेंबर 2023) दुरुस्ती झालेली नाही. महाराष्ट्र निवारा निधीला 12 वर्षे झाल्यानंतरही महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1976 मधील सुधारणा दुर्लक्षित राहिल्या.

(ब) महाराष्ट्र शासनाने निवारा निधीमधून प्रधानमंत्री आवास योजनेचा राज्याचा हिस्सा मुक्त करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2018 मध्ये घेतला. त्यानुसार, 2020-21 पर्यंत महाराष्ट्र निवारा निधीमधून राज्याचा हिस्सा ₹ 1,619.34 कोटी मुक्त करण्यात आला. भारत सरकारने केंद्र पुरस्कृत योजना निधी वाटप सुरळीत करण्यासाठी एक नवीन प्रणाली सुरू (एप्रिल 2021) केली. या प्रणालीनुसार, प्रत्येक राज्य शासनाला प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक एकल नोडल अभिकरण नियुक्त करावे लागते. एकल नोडल अभिकरण राज्य शासनाने शासकीय कामकाज करण्यासाठी अधिकृत केलेल्या अनुसूचित व्यावसायिक बँकेत राज्य स्तरावर प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी एक नोडल खाते उघडेल. योजनेसाठीचा निधी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे राज्यांना मुक्त केला जातो, ज्यामध्ये राज्याचा हिस्सा असलेल्या प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्य शासनाद्वारे केंद्र आणि राज्याच्या हिश्यासाठी स्वतंत्र वाहिनी (लाइन) उघडणे आणि दोन्ही घटकांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची आवश्यक तरतूद करणे समाविष्ट आहे.

¹⁰ यामध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमूल्य (मुंबई व कोकण मंडळ) ₹ 121.11 कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अधिमूल्य ₹ 176.90 कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना (केंद्रीय) यामधून प्रतिपूर्ति ₹ 743.62 कोटी, गुंतवणूक ₹ 4,596.50 कोटी, व त्यावरील व्याज ₹ 179.48 कोटी समाविष्ट आहेत


¹¹ यामध्ये गुंतवणूक रक्कम ₹ 5,152.00 कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना (केंद्रीय) एकल नोडल अभिकरण मधून ₹ 654.81 कोटी चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमूल्य परतफेड ₹ 26.17 कोटी

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थेला प्रतिसाद म्हणून, गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी भारत सरकारला माहिती दिली की प्रधानमंत्री आवास योजनेचा राज्य हिस्सा महाराष्ट्र निवारा निधीकडून एकल नोडल अभिकरणाला देण्यात आला आहे, जो एक अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्रोत आहे. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थेमध्ये अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्रोतामधून प्रदाने हस्तगत करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती आणि म्हणूनच सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थेमध्ये राज्याचा हिस्सा प्रतिबिंबित होत नव्हता. गृहनिर्माण विभागाने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थेमधील बिगर अर्थसंकल्पीय संसाधने जोडण्याची (मॅपिंग) व्यवस्था करण्याची विनंती केली. भारत सरकारने हे नाकारत (नोव्हेंबर 2022) राज्याचे हिस्से राज्याच्या कोषागाराद्वारे वळविण्याची सूचना केली, जी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थेशी एकात्मित होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 2022-23 मध्ये ₹ 917.91 कोटी केंद्रीय अनुदानाच्या तुलनेत प्रधानमंत्री आवास योजनेचा राज्याचा हिस्सा भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पात ₹ 611.28 कोटीची तरतूद केली.

एकल नोडल अभिकरणाची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थेमध्ये अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्रोत जोडण्यास भारत सरकारने दिलेला नकार ह्यामुळे, महाराष्ट्र निवारा निधी हा अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्रोत म्हणून सुरु ठेवण्याविषयी पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, कारण राज्य शासनाला केंद्र पुरस्कृत योजनेचा राज्याचा हिस्सा आता राज्याच्या कोषागाराद्वारे मुक्त करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र निवारा निधी अंतर्गत नियोजित कामे नियमित अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेद्वारे करणे योग्य ठरेल.

2.6 लोक दायित्व व्यवस्थापन

लोक दायित्वाचे व्यवस्थापन म्हणजे आवश्यक प्रमाणात निधी उभा करण्यासाठी, त्याची जोखीम आणि खर्चाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि शासनाने अधिनियमिती केलेल्या किंवा इतर कोणत्याही वार्षिक अर्थसंकल्पीय घोषणांद्वारे निर्धारित केलेल्या इतर सार्वभौम कर्ज व्यवस्थापन उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी शासनाच्या दायित्वाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी रणनीती तयार करून आणि अंमलात आणण्याची प्रक्रिया आहे. प्रलंबित दायित्वाची रक्कम आणि स्थूल राज्य उत्पन्नाशी टक्केवारी **आलेख 2.13** मध्ये दर्शविली आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

राज्याचे प्रलंबित कर्ज (राजकोषीय दायित्व) 2018-19 मधील ₹ 4,36,781.93 कोटीवरून वाढून 2022-23 अखेर ₹ 6,60,753.73 कोटी झाले. 2022-23 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रलंबित कर्जाचे असलेले 18.73 टक्के गुणोत्तर राजकोषीय जबाबदाऱ्या व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियमाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा (18.14 टक्के) अधिक होते.

2.6.1 दायित्व रूपरेखा: घटक

राज्य शासनाची एकूण दायित्वे ही लोक ऋण (देशांतर्गत ऋण आणि केंद्र शासनाकडून कर्जे) आणि लोक लेखातील दायित्वांद्वारे तयार होतात. राज्याच्या देशांतर्गत ऋणामध्ये बाजार कर्ज, रिझर्व्ह बँकेकडून अर्धोपाय अग्रिमे, राष्ट्रीय अल्पबचत निधीला देण्यात येणारे विशेष रोखे (सिक्युरिटीज) आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे इत्यादींचा समावेश होतो.

दायित्वांचा घटक-निहाय कल तक्ता 2.28 मध्ये दर्शविला आहे.


तक्ता 2.28: लोक दायित्वांचा घटक-निहाय कल

(₹ कोटीत)

| वित्तीय दायित्वांचे घटक | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| एकूण प्रलंबित दायित्वे (अ+ब) | 436781.94 | 479899.14 ⁵ | 548176.45 | 606295.26 | 660753.73 |
| लोक ऋण (अ) | 335020.67 | 367552.41 | 428481.78 | 483035.30 | 532942.35 |
| देशांतर्गत ऋण | 328521.95 | 361132.26 | 408036.24 | 445079.61 | 485782.24 |
| केंद्र शासनाकडून कर्जे | 6498.72 | 6420.15 | 20445.54 [#] | 37955.69 [#] | 47160.11 |
| लोक लेखा दायित्व (ब) | 101761.27 | 112346.73 | 119694.67 | 123259.96 | 127811.38 |
| (i) अल्प बचत, भविष्य निर्वाह निधी ई. | 25683.71 | 27450.40 | 28190.29 | 29156.93 | 29733.37 |
| (ii) व्याजधारक राखीव निधी | 203.46 | 3985.08 | 4642.62 | 4798.95 | 5511.20 |
| (iii) व्याजरहित राखीव निधी | 7884.68 | 7721.83 | 7665.02 | 7501.17 | 7040.07 |
| (iv) व्याजधारक ठेवी | 46192.77 | 52079.34 | 57753.45 | 59858.88 | 61029.16 |
| (v) व्याजरहित ठेवी | 21796.65 | 21110.07 | 21443.30 | 21944.03 | 24497.58 |
| प्रलंबित दायित्वांच्या वाढीचा दर (टक्केवारी) | 1.01 | 9.87 | 14.23 | 10.60 | 8.98 |
| स्थूल राज्य उत्पन्न | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| दायित्व/स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 17.27 | 18.06 | 20.86 | 19.51 | 18.73 |
| लोक ऋणांतर्गत एकूण जमा आणि इतर दायित्वे | 79505.99 | 130325.03 | 171674.22 | 156649.53 | 162828.08 |
| लोक ऋणांतर्गत एकूण परतफेड आणि इतर दायित्वे | 75138.11 | 87212.01 | 103396.91 | 98530.72 | 108369.61 |
| उपलब्ध निव्वळ निधी | 4367.88 | 43113.02 | 68277.31 | 58118.81 | 54458.47 |
| ऋणाची परतफेड/ऋण जमा (टक्के) | 94.51 | 66.92 | 60.23 | 62.90 | 66.55 |
| ⁵ केंद्रीय कर्जापोटी भरलेल्या ज्यादा हप्त्यावरील ₹ 3.58 कोटींची माफी आणि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे 2013-14 मध्ये समायोजित केलेली ₹ 7.76 कोटींची माफी परत/रद्द केल्यामुळे करण्यात आलेल्या प्रपत्र दुरुस्तीमुळे ₹ 4.18 कोटींनी वाढ झाली आहे. | | | | | |
| [#] 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाला वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटींचे सलग कर्ज प्राप्त झाले. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष खिडकी अंतर्गत घेतलेले कर्ज (2020-21 साठी ₹ 11,977 कोटी आणि 2021-22 साठी ₹ 13,782.36 कोटी) वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या कोणत्याही निकषांसाठी राज्याचे कर्ज मानले गेले नाही इत्यादी | | | | | |
| स्रोत : संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |


राज्याची एकूण दायित्वे 2018-19 मधील ₹ 4,36,781.94 कोटीवरून वाढून 2022-23 मध्ये ₹ 6,60,753.73 कोटी झाली, 51.28 टक्के झालेली वाढ ही प्रामुख्याने लोक ऋणात (₹ 1,97,921 कोटी) झालेली 59.08 टक्के आणि लोक लेखातील दायित्वांमध्ये (₹ 26,050.10 कोटी) झालेली 25.60 टक्के वाढ यामुळे होती. 2021-22 मधील 10.60 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये एकूण दायित्वे 8.98 टक्क्यांनी वाढली. स्थूल राज्य उत्पन्नाशी राजकोषीय दायित्वांचे गुणोत्तर 2018-19 मधील 17.27 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 18.73 टक्क्यांपर्यंत वाढले.

2022-23 मधील एकूण दायित्वांची रचना आलेख 2.14 मध्ये दर्शविली आहे.




(स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील घटक-निहाय दायित्वांचा कल आलेख 2.15 मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

2018-19 ते 2022-23 दरम्यान घेतलेल्या देशांतर्गत ऋणाच्या तुलनेत फेडलेले ऋण आलेख 2.16 मध्ये चित्रित केले आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण 2018-19 मधील ₹ 25,686.29 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 51,650.66 कोटींनी (201.08 टक्के) वाढून ₹ 77,336.95 कोटी झाले. 2022-23 मध्ये देशांतर्गत ऋणावरील व्याजापोटी ₹ 36,634.32 कोटी प्रदान करण्यात आले. तसेच, उभारलेल्या देशांतर्गत ऋणाच्या 2021-22 च्या 48 टक्क्यांच्या तुलनेत आधीच्या ऋणाच्या परतफेडीसाठी 2022-23 मध्ये 47 टक्के रक्कम वापरण्यात आली.

राजकोषीय तुटीतील महसुली तुटीचा हिस्सा हा सद्यस्थितीतील उपयोगासाठी घेतलेल्या कर्जाकडून निधीचा किती प्रमाणात वापर केला गेला हे दर्शवितो. महसुली तुटीशी राजकोषीय तुटीचे सातत्याने असणारे उच्च गुणोत्तर हे देखील सूचित करते की राज्याचा मालमत्तेचा आधार सातत्याने कमी होत आहे आणि कर्जाच्या भागाकडे (राजकोषीय दायित्वे) कोणत्याही मालमत्तेचा पर्याय (बॅकअप) नाही.

2022-23 दरम्यान राजकोषीय तूट भरून काढल्यानंतरची एकूण तूट (रोख शिल्लकीत वाढ) तक्ता 2.29 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 2.29 : 2022-23 मध्ये राजकोषीय तुटीला वित्तपुरवठा करणा-या घटकांतर्गत जमा आणि संवितरणे

(₹ कोटीत)

| तपशील | जमा | संवितरण | निव्वळ |
|--|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 बाजारातील कर्जे | 71995.77 | 29185.00 | 42810.77 |
| 2 केंद्र शासनाकडून कर्जे | 10235.89 | 1031.46 | 9204.43 |
| 3 राष्ट्रीय अल्पबचत निधीला जारी करण्यात आलेले विशेष रोखे | 0 | 5380.71 | (-)5380.71 |
| 4 वित्तीय संस्थांकडून कर्जे | 5341.20 | 2068.62 | 3272.58 |
| 5 अल्प बचत, भविष्य निर्वाह निधी इ. | 5912.69 | 5336.25 | 576.44 |
| 6 ठेवी आणि अग्रिमे | 60351.62 | 56629.19 | 3722.43 |
| 7 निलंबने आणि संकीर्ण | 11526.46 | 820.06 | 10706.40 |
| 8 वित्तप्रेषणे | 54251.90 | 53723.40 | 528.50 |
| 9 राखीव निधी | 11424.23 | 5464.78 | 5959.45 |
| 10 आकस्मिकता निधी | 200 | 200 | 0.00 |
| 11 आकस्मिकता निधीचा विनियोग | 200 | 200 | 0.00 |
| 12 एकंदर तूट | 231439.76 | 160039.47 | 71400.29 |
| 13 रोख शिल्लकीमध्ये वाढ (-)/घट (+) | 77692.29 (आरंभीची शिल्लक) | 81490.71 (अखेरची शिल्लक) | (-)3798.42 |
| 14 स्थूल राजकोषीय तूट | 309132.05 | 241530.18 | 67601.87 |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

तक्ता 2.30 मध्ये प्रतिबिंबित केल्याप्रमाणे राजकोषीय तुटीच्या वित्तपुरवठ्याच्या पद्धतीत रचनात्मक बदल झाला आहे.

तक्ता 2.30: राजकोषीय तुटीचे घटक आणि त्याचा वित्तीय आकृतीबंध


(₹ कोटीत)

| तपशील | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| राजकोषीय तुटीची रचना | 23015.33 | 53886.19 | 71558.05 | 64301.86 | 67601.87 |
| 1 महसुली तूट | 11974.60 | (-)17115.63 | (-)41141.85 | (-)16374.32 | (-)1936.47 |
| 2 निव्वळ भांडवली खर्च | (-)35049.05 | (-)36415.57 | (-)29686.70 | (-)46670.39 | (-)61643.61 |
| 3 निव्वळ कर्जे आणि अग्रिमे | 59.12 | (-)354.99 | (-)729.50 | (-)1257.15 | (-)4021.79 |
| राजकोषीय तुटीचा वित्तीय आकृतीबंध* | | | | | |
| 1 बाजारातील कर्जे | 3106.39 | 32996.31 | 50020.38 | 40781.64 | 42810.77 |
| 2 केंद्र शासनाकडून कर्ज | (-)587.35 | (-)82.75 | 14025.39 [#] | 17510.15 [#] | 9204.43 |
| 3 राष्ट्रीय अल्पबचत निधीस जारी केलेले विशेष रोखे | (-)5309.46 | (-)5380.71 | (-)5380.71 | (-)5380.71 | (-)5380.71 |
| 4 वित्तीय संस्थांकडून कर्ज | 3699.14 | 4994.71 | 2264.29 | 1642.44 | 3272.58 |
| 5 अल्प बचत, भविष्य निर्वाह निधी इ. | 491.75 | 1766.69 | 739.88 | 966.64 | 576.44 |
| 6 ठेवी आणि अग्रिमे | 4322.54 | 5203.66 | 6006.13 | 2603.65 | 3722.43 |
| 7 निलंबने आणि संकीर्ण | (-)3491.69 | 3555.13 | (-)300.30 | 7177.97 | 10706.40 |
| 8 वित्तप्रेषणे | 157.09 | (-)1668.76 | 2127.85 | (-)588.73 | 528.50 |
| 9 राखीव निधी | (-)572.63 | 10448.36 | 5170.15 | 8683.81 | 5959.45 |
| 10 आकस्मिकता निधीची परतफेड झाली नाही | 2000.00 | (-)1000.00 | (-)1000.00 | निरंक | निरंक |
| 11 आकस्मिकता निधीत/निधीतून विनियोजन | (-)2000.00 | (-)8000.00 | 10000.00 | निरंक | निरंक |
| 12 एकंदर तूट | 1815.78 | 42832.64 | 83673.06 | 73396.86 | 71400.29 |
| 13 रोख शिलकीत वाढ (-)/घट (+) | 21199.55 | 11053.55 | (-)12115.01 | (-)9095.00 | (-)3798.42 |
| 14 स्थूल राजकोषीय तूट | 23015.33 | 53886.19 | 71558.05 | 64301.86 | 67601.87 |
| 15 निव्वळ बाजारातील कर्जे/ राजकोषीय तूट (टक्के) | 13.5 | 61.2 | 69.9 | 63.4 | 63.33 |
| 16 निव्वळ भांडवली खर्च/मुदत ठेवी (टक्के) | 152.3 | 67.6 | 41.5 | 72.58 | 91.19 |
| स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |
| * सर्व आकडे संबंधित वर्षातील संवितरणाचे निव्वळ आहेत | | | | | |
| [#] 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षात महाराष्ट्र शासनाला वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटीचे कर्ज लागोपाट प्राप्त झाले. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष खिडकीअंतर्गत घेतलेले कर्ज (2020-21 साठी ₹ 11,977 कोटी आणि 2021-22 साठी ₹ 13,782.36 कोटी) वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या कोणत्याही निकषांसाठी राज्याचे कर्ज मानले गेले नाही | | | | | |

राजकोषीय तुटीच्या वित्तपुरवठ्यातून महसुली व कर्जविरहित जमापेक्षा निधीची गरज भागविण्यासाठी राज्याने घेतलेल्या विविध कर्जांचे प्रमाण स्पष्ट होते. महसुली तूट, निव्वळ भांडवली खर्च आणि निव्वळ कर्जे व अग्रिमे हे वित्तीय तुटीचे घटक आहेत.

तक्ता 2.29 आणि तक्ता 2.30 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 2021-22 आणि 2022-23 या कालावधीत राजकोषीय तुटीच्या वित्तपुरवठ्यात बाजारातील कर्जाचा हिस्सा 63 टक्क्यांवर स्थिर आहे. भांडवली खर्चात मुख्यत्वे वाढ झाल्याने राजकोषीय तूट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ₹ 3,300.01 कोटीनी वाढली. राजकोषीय तुटीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात निव्वळ भांडवली खर्च 2021-22 मधील 72.58 टक्क्यांपर्यंत 2022-23 मध्ये 91.19 टक्क्यांपर्यंत वाढला, जे हे दर्शवितो की कर्जाचा मोठा भाग भांडवली खर्चासाठी वापरला गेला.

स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात राजकोषीय तूट 2021-22 मधील 2.07 वरून 2022-23 मध्ये 1.92 पर्यंत कमी झाली, जी राजकोषीय दायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापनामध्ये निर्धारित केलेल्या 3.5 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा बरीच कमी होती. राजकोषीय तुटीचा वित्त पुरवठा आलेख 2.17 मध्ये दर्शविला आहे.



(स्रोत: 2022-23 साठीचे वित्तीय लेखे)

2.6.2 ऋणाची रूपरेषा: परिणतता आणि परतफेड

ऋणाची परिणतता (मॅच्युरिटी) आणि परतफेड रूपरेषा ऋण परतफेड किंवा ऋण सेवेसाठी शासनाकडून बांधिलकी दर्शविते. परिणत ऋणाची परतफेड वेळेवर केली जाते. बाजार कर्ज साधारणपणे 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार कर्ज उभारण्याकरिता भारीत (वेटेड) सरासरी व्याज दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “ग्रीन श्यू” “रिईश्यू” “बायबॅक” इत्यादी पर्यायांचा उपयोग केला जातो. 31 मार्च 2023 रोजी परिणत रूपरेषा तक्ता 2.31 मध्ये दर्शविली आहे.


तक्ता 2.31: राज्य ऋणाच्या परतफेडीची ऋण परिणत रूपरेषा

| परिणततेचे वर्ष | परिणतता रूपरेषा | रक्कम (₹ कोटीत) | | | प्रलंबित लोक ऋणाची परिणतता रूपरेषा (टक्क्यांमध्ये) |
|----------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | देशांतर्गत ऋण | भारत सरकारकडून कर्जे आणि अग्रिमे | एकूण प्रलंबित लोक ऋण | |
| 2023-24 पर्यंत | 0-1 | 35644.10 | 524.84 | 36168.94 | 6.79 |
| 2024-25 ते 2025-26 दरम्यान | 2-3 वर्षे | 74840.21 | 579.43 | 75419.64 | 14.15 |
| 2026-27 ते 2027-28 दरम्यान | 4-5 वर्षे | 89006.80 | 135.96 | 89142.76 | 16.73 |
| 2028-29 ते 2029-30 दरम्यान | 6-7 वर्षे | 74851.71 | 67.35 | 74919.06 | 14.06 |
| 2030-31 ते 2032-33 दरम्यान | 8-10 वर्षे | 146204.27 | 15.83 | 146220.10 | 27.44 |
| 2033-34 पासून पुढे | 10 वर्षांवरील | 41120.65 | 0.34 | 41120.99 | 7.72 |
| इतर ¹² | | 24114.50 | 45836.36 | 69950.86 | 13.13 |
| एकूण | | 485782.24 | 47160.11 | 532942.35 | 100.00 |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

¹² इतर मध्ये कर्जाची अशी रक्कम, जी राज्य शासनाने परतफेडीचे वेळापत्रक (शेड्यूल) दिले नाही हे दर्शित करतात


राज्य ऋणाची परिणतता रूपरेषा दर्शविते की 1-3 वर्षे, 4-7 वर्षे आणि 8-10 वर्षे या कालावधीत ऋणाची परतफेड करण्याची राज्याची जबाबदारी अनुक्रमे ₹ 1,11,588.58 कोटी, ₹ 1,64,061.82 कोटी आणि ₹ 1,46,220.10 कोटी असेल जे आलेख 2.18 मध्ये दर्शविले आहे.



(स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

थकीत लोक ऋणाची परिणत रूपरेषा दर्शविते की थकीत लोक ऋणापैकी 59.54 टक्के (₹ 2,75,650.4 कोटी) ज्यांचे परिणतता तपशील उपलब्ध आहेत (₹ 4,62,991.49 कोटी) ते पुढील सात वर्षांमध्ये परतफेड करायचे आहेत, त्या कालावधी दरम्यान शासनाच्या अर्थसंकल्पावर भार पडू शकतो. राज्य शासनाला कर्ज परतफेडीचे धोरण विचारपूर्वक आखावे लागेल आणि स्वतःचे कर व करेतर महसुली स्रोत वाढवावे लागतील.

बाजार कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक (मुद्दल व व्याज) आलेख 2.19 व तक्ता 2.32 मध्ये दर्शविले आहे.



(स्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती)

तक्ता 2.32: बाजार कर्जाचे परतफेडीचे वेळापत्रक व बाजार कर्जावरील व्याज

| अनु क्र. | परतफेडीचा कालावधी (वर्षे) | (₹ कोटीत) | |
|----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | बाजार कर्जाची परतफेड (मुद्दल) | बाजार कर्जाची परतफेड (व्याज) |
| 1 | 0-1 (2022-23 ते 2023-24) | 30262.35 | 30427.34 |
| 2 | 2-3 - 2024-25 ते 2025-26 | 64583.00 | 53025.83 |
| 3 | 4-5 (2026-27 ते 2027-28) | 80796.30 | 41913.69 |
| 4 | 6-7 (2028-29 ते 2029-30) | 68162.35 | 31267.50 |
| 5 | 8-10 (2030-31 ते 2032-33) | 141250.00 | 19999.30 |
| 6 | 10 पेक्षा जास्त | 38000.00 | 2156.06 |
| | एकूण | 423054.00 | 178789.72 |

स्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)- I, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती

वर दर्शविल्याप्रमाणे, राज्याला पुढील तीन आर्थिक वर्षांत म्हणजे 2025-26 पर्यंत ₹ 94,845.35 कोटी बाजार कर्ज आणि ₹ 83,453.17 कोटी व्याजाची परतफेड करावी लागेल. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत म्हणजेच 2027-28 पर्यंत ₹ 80,796.30 कोटी मुद्दल आणि ₹ 41,913.69 कोटी व्याज देय असेल. पुढील पाच वर्षांत 2027-28 पर्यंत मुद्दल परतफेड आणि व्याज यांचा वार्षिक खर्च अंदाजे ₹ 60,201.70 कोटी असेल.

2028-29 ते 2032-33 या कालावधीत ₹ 2,09,412.35 कोटींचे बाजार कर्ज आणि ₹ 51,266.80 कोटींचे व्याज देय असेल. म्हणून, राज्याला 2028-29 ते 2032-33 या कालावधीत सरासरी वार्षिक ₹ 52,135.83 कोटींची परतफेड करावी लागेल.

2.7 ऋण शाश्वतता विश्लेषण

राजकोषीय आणि ऋणाच्या मापदंडांच्या आधारे ऋण शाश्वतता विश्लेषण केले गेले आहे: डोमर दृष्टिकोन आणि संबंधित राजकोषीय जबाबदाऱ्या आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन लक्ष्यांसाठी दीर्घ-राजकोषीय मापदंडांचे अनुपालन, विश्लेषण-निष्पत्ती खालील परिच्छेदांमध्ये दिली आहे:

(अ) ऋणाची शाश्वतता म्हणजे काही कालावधीसाठी ऋण-राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्न गुणोत्तर स्थिर राखण्यासाठी राज्याची क्षमता म्हणून परिभाषित केली जाते. तक्ता 2.33 मध्ये 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीसाठी स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी, प्रलंबित ऋणाच्या वाढीचा दर, व्याज प्रदाने/महसुली जमा गुणोत्तर आणि राज्याकडे उपलब्ध निव्वळ कर्जानुसार कर्जाच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या ऋणाच्या शाश्वततेचे मूल्यमापन केले आहे. ऋण शाश्वतता निर्देशांकातील तफावतीचे विश्लेषण तक्ता 2.33 आणि आलेख 2.20 मध्ये दिले आहे

तक्ता 2.33: ऋण शाश्वतता निर्देशांक आणि कल

(₹ कोटीत)

| ऋण शाश्वतता निर्देशांक | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| प्रलंबित लोक ऋण ¹³ (वर्षाच्या 31 मार्च रोजी) | 335021.53 | 367548.23* | 428481.78# | 483035.30# | 532942.35 |
| प्रलंबित लोक ऋण वाढीचा दर | 0.27 | 9.71 | 16.58 | 12.73 | 10.33 |
| स्थूल राज्य उत्पन्न | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर | 7.48 | 5.08 | -1.12 | 18.29 | 13.48 |
| लोक ऋण/स्थूल राज्य उत्पन्न | 13.25 | 13.83 | 15.85 | 15.10 | 14.72 |
| प्रलंबित लोक ऋणाचा सरासरी व्याजदर ¹⁴ (टक्के) | 8.60 | 8.01 | 7.82 | 7.48 | 6.87 |
| प्रलंबित लोक ऋणावरील व्याज | 28764.07 | 28123.59 | 31119.91 | 34080.08 | 34897.58 |

¹³ प्रलंबित लोक ऋण म्हणजे शीर्ष 6003-देशांतर्गत ऋण आणि 6004- केंद्र शासनाकडून कर्ज व अग्रिमे या शिर्षाखालील प्रलंबित शिलकीची रक्कम

¹⁴ भरलेले व्याज (लोक ऋणाची आरंभीची शिल्लक + लोक ऋणाची अंतिम शिल्लक / 2) (टक्केवारीत)

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल


| ऋण शाश्वतता निर्देशांक | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| लोक ऋणावरील व्याज प्रदाने वगळता महसुली तूट/आधिक्य | 40738.67 | 11007.96 | (-)10021.94 | 17705.76 | 32961.11 |
| व्याज प्रदानामुळे महसुली तूट/आधिक्य | 11974.60 | (-)17115.63 | (-)41141.85 | (-)16374.32 | (-)1936.47 |
| महसुली जमांमध्ये व्याज प्रदानाची टक्केवारी | 10.31 | 9.93 | 11.55 | 10.22 | 8.6 |
| ऋण परतफेडीची ऋण जमेशी टक्केवारी | 96.51 | 41.28 | 30.25 | 39.71 | 43.01 |
| ऋण परतफेड | 25116.50 | 22868.24 | 26427.28 | 35934.66 | 37665.79 |
| ऋण जमा | 26025.21 | 55395.80 | 87356.65 | 90488.18 | 87572.84 |
| ऋण जमेच्या ¹⁵ टक्केवारीनुसार ऋण विमोचन | 207.03 | 92.05 | 65.88 | 77.37 | 82.86 |
| राज्याला उपलब्ध ¹⁶ निव्वळ ऋण | (-)27855.36 | 4403.97 | 29809.46 | 20473.44 | 15009.47 |
| ऋण जमेच्या टक्केवारीनुसार उपलब्ध निव्वळ ऋण | (-)107.03 | 7.95 | 34.12 | 22.63 | 17.14 |
| प्राथमिक तूट | 11005.92 | (-)20325.46 | (-)34588.28 | (-)24143.82 | (-)25912.71 |
| व्याज विस्तार ¹⁷ | (-)1.12 | (-)2.93 | (-)8.94 | 10.81 | 6.61 |
| प्रमाण विस्तार ¹⁸ | (-)3752.24 | (-)10769.16 | (-)38306.27 | 49431.53 | 33524.80 |
| ऋण स्थिरीकरण (परिमाण विस्तार+प्राथमिक तूट) | 7253.67 | (-)31094.62 | (-)72894.55 | 25287.70 | 7612.09 |
| <p>* केंद्रीय कर्जापोटी भरलेल्या अतिरिक्त हप्त्यावरील ₹ 3.58 कोटींची माफी आणि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे 2013-14 मध्ये समायोजित केलेली ₹ 7.76 कोटींची माफी परत/रद्द केल्यामुळे करण्यात आलेल्या प्रपत्र दुरुस्तीमुळे ₹ 4.18 कोटींच्या झालेल्या वाढीमुळे वित्त लेख्यांमध्ये 2020-21 मध्ये लोक ऋणाची आरंभीची शिल्लक ₹ 3,67, 548.23 कोटीवरून ₹ 3,67,552.41 कोटी अशी (2019-20 ची अंतिम शिल्लक) बदलण्यात आली</p> <p># 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षात वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटींचे लागोपाठ प्राप्त झालेले कर्ज या रकमांमध्ये समाविष्ट आहे.</p> <p>स्त्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे</p> | | | | | |

¹⁵ ऋण विमोचन= मुद्दल + व्याज

¹⁶ राज्य शासनाकडे उपलब्ध निव्वळ ऋण हे लोक ऋणांची परतफेड आणि लोक ऋणावरील व्याज प्रदाने यापेक्षा लोक ऋण जमा जितकी जास्त असेल तेवढे गणले जाते

¹⁷ व्याज विस्तार म्हणजे स्थूल राज्य उत्पन्न वाढीचा दर - व्याज दर

¹⁸ परिमाण विस्तार= (ऋण (आरंभीची शिल्लक) x (स्थूल राज्य उत्पन्न वाढीचा दर - व्याज दर). 2020-21 व 2021-22 या वर्षाकरिता लोक ऋण परिमाणित करताना वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या बदल्यात अनुक्रमे ₹ 11,977 कोटी आणि ₹ 13,782.36 कोटींचे लागोपाठ मिळालेले कर्ज वगळले आहे



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

- घटते ऋण-स्थूल राज्य उत्पन्नाचे गुणोत्तर स्थिरतेकडे नेणारे मानले जाऊ शकते. ऋण-स्थूल राज्य उत्पन्नाचे गुणोत्तर 2018-19 मधील 13.25 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 14.72 टक्क्यांपर्यंत वाढले, जे स्थिरतेकडे नेणारे मानले जाऊ शकत नाही. तथापि, 2021-22 मधील 15.10 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये तो किंचित कमी होऊन 14.72 टक्क्यांवर आला. तसेच, ऋण स्थिरीकरणाची स्थिती असे प्रतिपादित करते की प्राथमिक तुटीसह परिमाण विस्तार शून्य असेल तर ऋण-स्थूल राज्य उत्पन्नाचे गुणोत्तर स्थिर राहिल किंवा अखेरीस ऋण स्थिर होईल. दुसरीकडे, जर परिमाण विस्तारासह प्राथमिक तूट नकारात्मक राहिली, तर ऋण-स्थूल राज्य उत्पन्न गुणोत्तर वाढेल आणि जर ते सकारात्मक असेल तर ऋण-स्थूल राज्य उत्पन्न गुणोत्तर अखेरीस कमी होईल. **तक्ता 2.33** दर्शवितो की 2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान, परिमाण विस्तारासह प्राथमिक तूट सकारात्मक होती, जे हे दर्शविते की जर सध्याचा कल पाळला गेला तर ऋण/स्थूल राज्य उत्पन्नाचे गुणोत्तर परिणामतः कमी होईल.
 - प्राथमिक महसुली शिल्लक म्हणजे महसुली जमा आणि प्राथमिक महसुली खर्च यांच्यातील फरक असतो आणि वर्तमान महसुली खर्च भागविल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या महसुली जमेचा शिल्लक व्याज खर्च भागविण्यासाठी पुरेसा आहे की नाही हे दर्शविते. 2022-23 दरम्यान प्राथमिक तूट ₹ 25,912.71 कोटी होती, ज्यावरून प्राथमिक खर्चही कर्जाच्या निधीतून भागवावा लागला हे निदर्शनास येते.
 - व्याज प्रदानांचे महसुली जमेशी असलेले गुणोत्तर हे देखील ऋणाच्या शाश्वततेचे एक चांगले परिमाण आहे. हे गुणोत्तर 2018-19 मधील 10.31 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 8.6 टक्क्यांवर आले.
 - लोक ऋणाच्या परतफेडीची लोक ऋणाच्या जमेशी असलेली टक्केवारी जितकी जास्त तितके उत्पादकतेऐवजी ऋण फेडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऋणाचे प्रमाण जास्त असते. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत लोक ऋणाच्या परतफेडीचे लोक ऋण जमेशी असलेले गुणोत्तर 96.51 टक्के आणि 43.01 टक्के यादरम्यान होते, म्हणजेच बहुतेक लोक ऋणे पूर्वीच्या ऋणाच्या परतफेडीसाठी वापरली गेली आणि उत्पादनक्षम वापरासाठी कमी शिल्लक राहिली.
- (ब) ई. डी. डोमर [डोमर, 1944] यांच्या अभ्यासाच्या आधारे ऋणाच्या शाश्वततेवर विश्लेषण करण्यात आले. डोमर प्रतिमान (मॉडेल) मध्ये म्हटले आहे की सार्वजनिक कर्जबाजारीपणाची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आधार म्हणजे शासकीय कर्जाचे व्याजदर स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या वाढीपेक्षा जास्त नसावेत.

व्याजदर, स्थूल राज्य उत्पन्नाचा विकास दर आणि प्राथमिक अर्थसंकल्पीय शिल्लक यावर अवलंबून लोक ऋणाची गतिशीलता खालीलप्रमाणे आहे:

| जी-आर (जी-प्रत्यक्ष आर्थिक विकास दर; आर-प्रत्यक्ष व्याज दर) | एस<0 (प्राथमिक तूट) | एस>0 (प्राथमिक आधिक्य) |
|---|---|---|
| जी-आर>0 (मजबूत आर्थिक विकास) | स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण शून्यापेक्षा जास्त स्थिर पातळीवर पोहोचले पाहिजे | स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण शून्यापेक्षा कमी स्थिर पातळीवर गेले पाहिजे ज्यामुळे लोक बचत होईल |
| जी-आर<0 (मंद आर्थिक विकास) | स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण स्थिर पातळीवर न जाता अनिश्चित काळासाठी वाढले पाहिजे, | अपरिभाषित समाधान |

महाराष्ट्राच्या बाबतीत वरील निकष लागू करण्याचे परिणाम तक्ता 2.34 मध्ये दर्शविले आहेत.

तक्ता 2.34: डोमर मॉडेलवर आधारित ऋण शाश्वतता विश्लेषण

| वर्ष | प्रत्यक्ष वाढ (जी) | प्रत्यक्ष व्याज (आर) | जी-आर (डोमर तफावत) | प्राथमिक तूट (-) / अधिशेष (+) (एस) (₹ कोटींत) | टिप्पणी |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--|
| 2018-19 | 3.64 | 4.69 | -1.05 | 11005.92 | जी-आर< 0 आणि एस > 0 अपरिभाषित परिस्थिती |
| 2019-20 | 2.42 | 2.88 | -0.46 | -20325.46 | जसे जी-आर <0 आणि एस >0; स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण स्थिर पातळीवर न जाता अनिश्चित काळासाठी वाढले |
| 2020-21 | -7.30 | 0.97 | -8.27 | -34588.28 | |
| 2021-22 | 9.13 | 1.07 | 8.06 | -24143.82 | जी-आर > 0 आणि एस>0 म्हणून; स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण शून्यापेक्षा जास्त स्थिर पातळीवर पोहोचले पाहिजे. |
| 2022-23 | 6.78 | -0.73 | 7.51 | -25913 | |

स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे व वर्ष 2022-23 चा महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल

टीप: वास्तविक विकास दर स्थिर किंमतींवर स्थूल राज्य उत्पन्नासाठी मोजला जातो

वास्तविक व्याज दर हा महागाईसाठी समायोजित केलेला सामान्य व्याजदर आहे (एप्रिल आणि मे 2020 महिन्यांसाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक विदाच्या अनुपलब्धतेमुळे 10 महिन्यांचा सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक घेण्यात आला आहे)

2018-19 ते 2022-23 दरम्यान राज्याने केवळ 2018-19 या कालावधीत प्राथमिक आधिक्याची नोंद केली. 2018-19 ते 2020-21 या कालावधीत जी-आर (डोमर गॅप) नकारात्मक होता, जे स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात सार्वजनिक कर्ज अनिश्चित काळासाठी वाढू शकण्याचे निर्देशक आहे. कोविड-19 महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे 2020-21 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची नकारात्मक वाढ झाली होती. 2021-22 आणि 2022-23 दरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाच्या परिणामी जी-आर (डोमर गॅप) सकारात्मक झाला, त्यामुळे स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात लोक ऋण अखेरीस शून्यापेक्षा जास्त स्थिर पातळीवर विलीन होऊ शकते. तथापि, कर्जाच्या शाश्वततेचे मूल्यमापन करताना लोक लेखा दायित्वे आणि दैवी आपत्ती (फोर्स मॅज्यूर) आणि/किंवा महसुलाचे इतर कोणतेही न शोधलेले नुकसान यासारख्या घटकांचाही विचार करावा लागतो.

(क) मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरण निवेदनात निर्धारित उद्दिष्टांच्या तुलनेत कामगिरीचा तपशील तक्ता 2.35 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 2.35: निर्धारित उद्दिष्टांच्या तुलनेत साध्याचा तपशील

| राजकोषीय मापदंड | | मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरण निवेदनामध्ये निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत साध्य | | | | |
|---|----------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात महसुली तूट (-)/आधिक्य (+) | उद्दिष्ट | (-)0.55 | (-)0.68 | (-)0.29 | (-)0.34 | (-)0.68 |
| | साध्य | 0.47 | (-)0.64 | (-)1.57 | (-)0.53 | (-)0.05 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात राजकोषीय तूट (-) | उद्दिष्ट | (-)1.81 | (-)2.07 | (-)1.69 | (-)2.24 | (-)2.50 |
| | साध्य | (-)0.91 | (-)2.03 | (-)2.72 | (-)2.07 | (-)1.92 |
| एकूण प्रलंबित दायित्वांचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी गुणोत्तर (टक्केवारीत) | उद्दिष्ट | 16.52 | 15.83 | 16.15 | 20.64 | 18.14 |
| | साध्य | 17.27 | 18.06 | 20.86 | 19.51 | 18.73 |

स्रोत: मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण निवेदन आणि महाराष्ट्रासाठी संबंधित वर्षांचे प्रकटीकरण

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत 2020-21 चा अपवाद वगळता स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट राज्य शासनाने मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण निवेदनामध्ये निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या आत होती. राज्य शासन 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान 2021-22 वगळता ज्यामध्ये उद्दिष्टे निश्चित केलेली होती, एकाही वर्षात स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात प्रलंबित दायित्वांचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकले नाही

महसुली जमेच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वचनबद्ध खर्च 2021-22 मधील 59.42 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 54.64 टक्क्यांपर्यंत घटला. तथापि, 2020-21 चा अपवाद वगळता तो सातत्याने 50 टक्के ते 60 टक्क्यांच्या दरम्यान राहून, 66.32 टक्क्यांवर पोहोचला, त्यामुळे ऋण फेडण्यासह अन्य कारणांसाठी महसुली स्रोतांची मर्यादित उपलब्धता दिसून येते.

राजकोषीय शाश्वतता जोखीम:

- ऋण स्थिरीकरण निर्देशांक सध्या निर्णायक चढत्या श्रेणी ऐवजी स्थिर असल्याचे दिसून येते. परिमाण विस्तार आणि प्राथमिक तूट यांचा समावेश असलेल्या कर्ज स्थिरीकरण निर्देशांकात (2019-21) घट झाली आणि त्यानंतर महामारीनंतरच्या वर्षात हळूहळू वाढ दिसून आली. तथापि, कर्ज स्थिरीकरणासाठी अद्याप ही स्थिती स्थिर अवस्थेत पोहोचलेली नाही. शिवाय, महामारीनंतर स्थूल राज्य उत्पन्नाला लोक ऋण आणि स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या एकूण दायित्वात झालेली सुधारणा सूचित करते की कर्जाची स्थिती खराब झालेली नाही, परंतु ती अद्याप अशा उंबरठ्यावर पोहोचलेली नाही जिथे असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की कर्ज स्थिरीकरण वाढीच्या मार्गावर आहे.
- जरी 2022-23 या वर्षाचे प्रलंबित कर्ज मध्यम मुदतीच्या राजकोषीय धोरणानुसार केलेल्या अंदाजाच्या जवळपास राहिले असले तरी सांकेतिक (नॉमिनल) स्थूल राज्य उत्पन्न प्रक्षेपित पातळीवर पोहोचू शकले नाही. त्यामुळे, एकूण प्रलंबित दायित्वाची स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या गुणोत्तरासाठी निश्चित केलेली उद्दिष्टे राज्याला साध्य करता आली नाहीत.

2.7.1 कर्जाऊ निधीचा उपयोग

कर्जाऊ निधीचा उपयोग आदर्शपणे भांडवल निर्मिती आणि विकास कामांसाठी केला पाहिजे. सध्याचा वापर भागविण्यासाठी आणि प्रलंबित कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी कर्जाऊ निधीचा वापर करणे शाश्वत नाही. कर्जाऊ निधीचा वापर तक्ता 2.36 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 2.36 : कर्जाळ निधीचा उपयोग


(₹ कोटीत)

| वर्ष | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| एकूण कर्जे | 2 | 26025.21 | 55395.8 | 87356.65 | 90488.18 | 87572.84 |
| परतफेड | 3 | 25116.49 | 22868.24 | 26427.28 | 35934.66 | 37665.79 |
| निव्वळ भांडवली खर्च | 4 | 35049.05 | 36415.57 | 29686.70 | 46670.39 | 61643.61 |
| निव्वळ ऋण आणि अग्रिमे | 5 | 59.12 | 354.99 | 729.50 | 1257.15 | 4021.79 |
| महसुली खर्चाचा काही भाग निव्वळ उपलब्ध ऋणातून भागला | 6=2-3-4-5 | (-) 34199.45 | (-) 4243 | 30513.17 | 6625.98 | (-)15761.24 |

कंसातील आकडे एकूण कर्जांची टक्केवारी दर्शवितात
स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

राज्य शासनाचा महसुली खर्च भागविण्यासाठी महसुली जमा पुरेशा नव्हत्या. म्हणून, शासन महसुली खर्च भागविण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहिले. पंधराव्या वित्त आयोगानुसार, महसुली तूट कमी करण्यासाठी आणि अखेरीस दूर करण्यासाठी आणि सर्व कर्जे भांडवली खर्चासाठी वापरण्यास सक्षम करण्यासाठी राज्यांना महसुली तूट अनुदान दिले जात आहे. वित्त आयोगाच्या कालावधीच्या दुसऱ्या वर्षात म्हणजेच 2022-23 मध्ये राज्य शासनाने आपली महसुली तूट लक्षणीयरित्या 2021-22 मधील ₹ 16,374.32 कोटींवरून ₹ 1,936.47 कोटीपर्यंत कमी केली.

कर्ज म्हणून घेतलेल्या निधीच्या वापराचा कल आलेख 2.21 मध्ये दर्शविला आहे.



(स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

2.7.2 हमीची स्थिती - आकस्मिक दायित्वे

ज्या कर्जदारासाठी हमी देण्यात आली आहे त्या कर्जदाराने कसूर केल्यास राज्याच्या एकत्रिकृत निधीवरील दायित्वे म्हणजे हमी होय.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 293 नुसार राज्य शासनाकडून हमी देण्याची मर्यादा राज्य विधिमंडळाने निश्चित करणे आवश्यक आहे. तथापि, राज्य विधिमंडळाने अद्याप कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही. महाराष्ट्र राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 मध्ये सुद्धा राज्य शासनाद्वारे देण्यात येणाऱ्या हमी निश्चित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. राज्याने दिलेली एकूण हमी, जी 31 मार्च 2023 पर्यंत प्रलंबित होती, ती ₹ 49,632.84 कोटी होती (मुद्दल: ₹ 44,197.59 कोटी; व्याज: ₹ 5,435.25 कोटी). 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील प्रलंबित हमीचा सारांश तक्ता 2.37 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 2.37 : 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान दिलेली हमी

(₹ कोटीत)

| हमी | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| व्याजासह हमी दिलेली कमाल रक्कम [§] | 38378.26 | 58661.22 | 85717.46 | 81751.13 | 81751.13 |
| व्याजासह प्रलंबित हमीची संख्या | 25134.86 | 41179.07 [@] | 41579.94 [@] | 51263.35 | 49632.84 |
| प्रलंबित हमी/महसुली जमा (टक्के) | 9.01 | 14.58 | 15.43 | 15.38 | 12.23 |
| प्रलंबित हमी/स्थूल राज्य उत्पन्न (टक्के) | 0.98 | 1.51 | 1.53 | 1.60 | 1.41 |

[§] टीप: राज्य शासनाने दिलेल्या हमीसाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
[@] चुकीच्या वर्गीकरणाच्या दुरुस्तीमुळे (वित्त विभागाकडून प्राप्त विवरणपत्रानुसार) मागील वर्षीच्या तुलनेत वेगळे
 स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

हमी अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार राज्य शासनाकडून 2022-23 दरम्यान ₹ 14,200 कोटींची हमी दिली गेली जे तक्ता 2.38 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 2.38 : 2022-23 दरम्यान दिलेली हमी

| हमी क्रमांक | राज्य शासनाच्या हमीवर कर्ज प्राप्त झालेल्या संस्थांची नावे | कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थेचे नाव | एकूण हमी रक्कम (₹ कोटीत) | मुदत | टिप्पणी |
|-------------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------|
| 1/2022-23 | मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण | रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लि. | 12000.00 | एक वर्षासाठी वैध आहे | हमी शुल्क माफ |
| 2/2022-23 | मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. | पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. नवी दिल्ली | 2200.00 | लेटर ऑफ कम्फर्ट | |
| एकूण | | | 14,200.00 | | |

स्रोत: विधिमंडळात सादर केलेले हमी विवरणपत्र.

शासकीय हमी अधिनियम, 1977 अन्वये काही सहकारी संस्था वगळता देण्यात येणाऱ्या हमीसाठी शासन वार्षिक 20 पैसे ते ₹ 2 प्रति ₹ 100 पर्यंत हमी शुल्क आकारेल. 2022-23 दरम्यान राज्य शासनाला हमी शुल्कापोटी ₹ 1,588.71 कोटी प्राप्त झाले, जे 01 एप्रिल 2022 पर्यंतच्या प्रलंबित हमी रकमेच्या 3.10 टक्के (₹ 51,263.35 कोटी) होते. वसूल करावयाच्या ₹ 2,869.70 कोटींच्या हमी शुल्कापैकी 2022-23 या वर्षात ₹ 1,588.71 कोटी प्राप्त झाले, तर प्राय (रीसीव्हेबल) ₹ 1,280.99 कोटी शिल्लक आहेत.

2022-23 दरम्यान कोणतीही हमी देण्यात आली नाही. तथापि, 2013-14 मध्ये आवाहीत (इनव्होक) केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण वित्त महामंडळ मर्यादितच्या संदर्भात, राज्य शासनाने अद्याप ₹ 20.26 कोटींची हमी देणे बाकी आहे.

2.7.3 रोख शिलकीचे व्यवस्थापन

भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत झालेल्या करारानुसार राज्य शासनाला किमान ₹ 5.58 कोटी दैनंदिन रोख रक्कम बँकेत शिल्लक ठेवावी लागते. जर कोणत्याही दिवशी शिल्लक, मान्य किमान शिलकीच्या खाली आली तर कमतरतेची भरपाई वेळोवेळी सामान्य अर्थोपाय अग्रिमे/विशेष अर्थोपाय अग्रिमे/अधिकर्ष घेऊन केली जाते. 1 एप्रिल 2022 रोजी राज्य शासनाला सामान्य अर्थोपाय आणि अग्रिमांच्या कर्जाची मर्यादा ₹ 4,686 कोटी होती जी 31 मार्च 2023 पर्यंत कायम राहिली. 2022-23 मध्ये ₹ 7,129.25 कोटींच्या विशेष अर्थोपाय अग्रिमांचा लाभ सहा वेळा (मे 2022) घेण्यात आला. वर्ष 2022-23 दरम्यान ₹ 1.55 कोटींची रक्कम अर्थोपाय अग्रिमावरील व्याजापोटी समायोजित करण्यात आली.

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

राज्य शासनाने आपली अतिरिक्त रोख शिल्लक भारत सरकारच्या अल्प आणि दीर्घकालीन रोखे आणि कोषागार देयकांमध्ये गुंतविली. अशा गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा शीर्ष '0049-व्याज जमा' याखाली जमा केला जातो. रोख शिल्लक आणि त्यांची गुंतवणूक तक्ता 2.39 आणि तक्ता 2.40 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 2.39: रोख शिल्लक आणि त्यांची गुंतवणूक

(₹ कोटीत)

| | 01 एप्रिल 2022 रोजी आरंभीची शिल्लक | 31 मार्च 2023 रोजी अखेरची शिल्लक |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ए. सर्वसाधारण रोख शिल्लक | | |
| कोषागारांमधील रोख | 0.04 | 0.04 |
| भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडील ठेवी | 134.14 | (-)12637.29 |
| पारगमनातील वित्त प्रेषण - स्थानिक | 66.26 | 65.98 |
| एकूण | 200.44 | (-)12571.27 |
| रोख शिल्लक गुंतवणूक खात्यात गुंतवणुकी | 22109.76 | 32785.36 |
| एकूण (ए) | 22310.20 | 20214.09 |
| बी. इतर रोख रकमा आणि गुंतवणूक | | |
| विभागीय अधिकारी उदाहरणार्थ सार्वजनिक बांधकाम, वन अधिकारी यांच्याकडील रोख | 245.74 | 431.97 |
| विभागीय अधिकाऱ्यांकडे आकस्मिक खर्चासाठी स्थायी अग्रिमे | 0.67 | 0.67 |
| निश्चित केलेल्या निधीत गुंतवणूक | 55135.68 | 60843.98 |
| एकूण (बी) | 55382.09 | 61276.62 |
| एकूण (ए+बी) | 77692.29 | 81490.71 |
| प्राप्त झालेले व्याज | 4994.98 | 5790.48[@] |
| [@] कर्ज निवारण निधी गुंतवणुकीवर (नियमित गुंतवणुकीसह पुनर्गुंतवणूक) 2022-23 मध्ये वसूल झालेले ₹ 4,291.50 कोटी व्याज. म्हणून मुख्य शीर्ष 0049 गौण शीर्ष 110 - रोख शिल्लक ₹ 1,498.98 कोटींच्या गुंतवणुकीवर वसूल व्याज अंतर्गत समाविष्ट नाही स्त्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23 | | |


तक्ता 2.40: रोख शिल्लक गुंतवणूक लेखे (मुख्यशीर्ष-8673)

(₹ कोटीत)

| वर्ष | आरंभीची शिल्लक | अखेरची शिल्लक | वाढ (+)/घट (-) | प्राप्त व्याज |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2018-19 | 58373.60 | 35218.99 | (-)23154.61 | 3032.19 |
| 2019-20 | 35218.99 | 14743.48 | (-)20475.51 | 2065.37 |
| 2020-21 | 14743.48 | 29293.49 | 14550.01 | 977.12 |
| 2021-22 | 29293.49 | 22109.76 | (-)7183.73 | 1191.16 |
| 2022-23 | 22109.76 | 32785.36 | 10675.60 | 1498.98 |
| स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | |

राज्य शासनाच्या चालू वर्षाच्या अखेरीस ₹ 81,490.71 कोटींच्या रोख शिल्लक रकमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4.89 टक्क्यांनी (₹ 3,798.42 कोटी) वाढ दिसून आली. वरीलपैकी ₹ 32,785.36 कोटी रोख शिल्लक गुंतवणूक लेख्यामध्ये ठेवण्यात आले होते आणि त्यावर वर्षभरात ₹ 1,498.98 कोटी व्याज प्राप्त झाले. तसेच, कर्ज कमी किंवा टाळणे याकरिता विनियोग करण्यासाठी असलेल्या कर्ज निवारण निधीत ₹ 60,004.03 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली, ज्यावर ₹ 4,291.50 कोटींचे व्याज प्राप्त झाले. या निधीवर प्राप्त होणारे व्याज परत निधीमध्ये जमा केले जाते.

राज्य शासनाची 31 मार्च 2023 रोजीची सर्वसाधारण रोख शिल्लक ₹ 20,214.09 कोटी होती, जी राज्य शासनाच्या (₹ 4,73,922.42 कोटी) वर्षभरातील एकूण खर्चाच्या 4.27 टक्के होती.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

राज्याची 2018-19 ते 2022-23 या कालावधी दरम्यानची एकूण रोख शिल्लक गुंतवणूक आणि बाजार कर्जाबाबतची तुलना आलेख 2.22 मध्ये केलेली आहे. बाजार कर्जे उच्च व्याज दरावर घेण्यात आले. तथापि, कोषागारे देयकांमधील गुंतवणुकीवर कमी दराने व्याज प्राप्त झाले.

2.8 निष्कर्ष

- महसुली जमा 2018-19 मधील ₹ 2,78,996.27 कोटींवरून 45.41 टक्क्यांनी वाढून 2022-23 मध्ये 9.81 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने ₹ 4,05,677.93 कोटी इतकी वाढली. 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये महसुली जमांमध्ये 21.71 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2022-23 दरम्यान महसुली जमांचा एक लक्षणीय हिस्सा (73 टक्के) राज्याच्या स्वतःच्या स्रोतांमधून आला, तर केंद्रीय कर हस्तांतरण आणि सहाय्यक अनुदान यांनी एकत्रितपणे 27 टक्के अंशदान दिले.
- 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 दरम्यान स्वतःच्या कर महसुलात ₹ 56,559.18 कोटींची (25.60 टक्के) वाढ झाली, करेतर महसूल ₹ 2,530.29 कोटींनी (13.11 टक्के) कमी झाला आणि केंद्रीय कर आणि शुल्कांमध्ये राज्याचा हिस्सा ₹ 5,682.91 कोटींनी (10.46 टक्के) वाढला, तर भारत सरकारकडून प्राप्त होणार्या सहाय्यक अनुदानात ₹ 12,654.56 कोटींनी (32.65 टक्के) वाढ झाली.
- महसुली खर्च (₹ 4,07,614.40 कोटी) महसुली जमांपेक्षा (₹ 4,05,677.93 कोटी) ₹ 1,936.47 कोटींनी अधिक झाल्याच्या परिणामी महसुली तूट निर्माण झाली. तथापि, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की राज्य महसुली तूट 2021-22 मधील ₹ 16,374.32 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 1,936.47 कोटीपर्यंत खाली आणु शकली.
- राज्याचा एकूण खर्च 2018-19 मधील ₹ 3,03,615.89 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 4,73,922.42 कोटी इतका वाढला. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात एकूण खर्च 2018-19 मधील 12.01 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 13.44 टक्के इतका वाढला.
- 2022-23 दरम्यान महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या 86.01 टक्के होता. महसुली खर्चाचा वाढीचा दर 2021-22 मधील 12.58 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 16.57 टक्क्यांवर पोहोचला होता. महसुली लेख्यांमध्ये राज्य शासनाच्या वचनबद्ध खर्चात व्याज प्रदाने, वेतन व मजुरीवरील खर्च आणि निवृत्ती वेतन यांचा समावेश आहे. राज्याच्या महसुली खर्चात वचनबद्ध खर्चाचा हिस्सा 54.38 टक्के होता. अर्थसहाय्यवरील खर्च 2021-22 मधील ₹ 29,137.20 कोटींवरून 48.12 टक्क्यांनी विचारात घेण्याएवढा वाढून 2022-23 मध्ये ₹ 43,158.37 कोटी झाला होता. चालू वर्षात महसुली खर्चात अर्थसहाय्याचा हिस्सा 10.59 टक्के होता.

- भांडवली खर्च (₹ 61,643.61 कोटी) एकूण खर्चाच्या 13 टक्के होता. 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये भांडवली खर्चात 32.08 टक्के (₹ 14,973.22 कोटी) वाढ झाली होती. 2022-23 मधील एकूण ₹ 61,643.61 कोटीच्या भांडवली खर्चापैकी ₹ 25,795.11 कोटी (41.85 टक्के) रस्ते आणि पुलांवर खर्च करण्यात आले. पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रण कामांसाठी ₹ 11,119.23 कोटी (18.04 टक्के), तर त्याखालोखाल कृषी आणि संलग्न सेवांसाठी ₹ 7,252.92 कोटी (11.77 टक्के) खर्च करण्यात आले.
- 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाने वैधानिक महामंडळे, ग्रामीण बँका, संयुक्त स्टॉक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांमध्ये ₹ 2,07,442.12 कोटीची गुंतवणूक केली (तक्ता 2.22) 2022-23 यावर्षात या गुंतवणुकीवर सरासरी परतावा 0.02 टक्के होता, तर शासनाने त्यांच्या कर्जावर सरासरी 6.58 टक्के व्याज दिले होते.
- राज्याचे थकित कर्ज (राजकोषीय दायित्व) 2018-19 मधील ₹ 4,36,781.94 कोटींवरून 2022-23 च्या शेवटी ₹ 6,60,753.73 कोटी अशी वाढ झाली. 2022-23 दरम्यान थकीत कर्जाचे स्थूल राज्य उत्पन्नाचे 18.73 टक्के गुणोत्तर हे राजकोषीय व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियमाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा (18.14 टक्के) अधिक होते.
- राजकोषीय तूट मागील वर्षाच्या तुलनेत मुख्यत्वे भांडवली खर्चात वाढ झाल्याने ₹ 3,300.01 कोटींनी वाढली. राजकोषीय तुटीच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात निव्वळ भांडवली खर्च 2021-22 मधील 72.58 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 91.19 टक्क्यांपर्यंत वाढला, जो हे दर्शविते की कर्जाचा मोठा भाग भांडवली खर्चासाठी वापरला गेला. राज्याला 2022-23 मध्ये राजकोषीय तूट 3.5 टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 1.92 टक्क्यांवर आणण्यात यश आले.
- प्रलंबित लोक ऋणाची परिणत रूपरेषा हे दर्शविते की एकूण प्रलंबित लोक ऋणाच्या 51.34 टक्के (₹ 2,37,685.22 कोटी) ज्यासाठी परिणत तपशील उपलब्ध आहे (₹ 4,62,991.49 कोटी) पुढील सात वर्षांत परतफेड करावयाची आहे, ज्यामुळे त्या कालावधीत शासकीय अर्थसंकल्पावर ताण येऊ शकतो.
- कर्ज स्थिरता निर्देशक सध्या निर्णायक चढत्या श्रेणीऐवजी स्थिर आहे. महामारीनंतर स्थूल राज्य उत्पन्नावरील लोक ऋण आणि स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या एकूण दायित्वात झालेली सुधारणा सूचित करते की कर्जाची स्थिती खराब झालेली नाही, परंतु ती अद्याप अशा उंबरठ्यावर पोहोचलेली नाही जिथे असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की कर्ज स्थिरीकरण वाढीच्या मार्गावर आहे.

2.9 शिफारशी

- (i) शासनाने महसुली आधिक्याच्या स्थितीकडे वाटचाल करण्यासाठी कर आणि करेतर स्रोतांच्या माध्यमातून अतिरिक्त संसाधने सुसज्ज करण्याचा विचार करावा.
- (ii) शासनाने गुंतवणुकीतील पैशाला चांगले मूल्य मिळावे यासाठी पावले उचलावीत. अन्यथा, जास्त किमतीने घेतलेला कर्जाऊ निधी कमी आर्थिक परतावा देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतविणे सुरुच राहिल.
- (iii) राज्य शासनाने दीर्घकालीन राजकोषीय स्थैर्य सुनिश्चित करण्यासाठी कर्जाच्या पातळीवर संनियंत्रण आणि व्यवस्थापन करणे, खर्चाचे तर्कशुद्धीकरण करणे, अधिक स्रोतांचा शोध घेणे, महसुली आधार वाढविणे आणि महसुली उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यासाठी उपचारात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करावा.

प्रकरण - III

अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन

प्रकरण III

अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन

हे प्रकरण राज्य शासनाच्या वाटपाच्या प्राधान्यक्रमांचा आढावा घेते आणि अर्थसंकल्प तयार करण्यातील पारदर्शकता आणि त्याच्या अंमलबजावणीची परिणामकारकता यावर भाष्य करते. तसेच, धोरणात्मक पातळीवर घेतलेले निर्णय, प्रशासकीय स्तरावर निधीची वळवणूक न करता अंमलात आणले गेले किंवा कसे ह्याचा आढावा घेते. हे प्रकरण राज्याच्या विनियोजन लेख्यांच्या लेखापरीक्षणावर आधारित आहे.

3.1 अर्थसंकल्प प्रक्रिया

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 202 च्या अनुपालनानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अनुषंगाने त्या वर्षासाठी राज्याच्या अंदाजित जमा व खर्चाचे विवरणपत्र राज्य विधिमंडळासमोर सादर करावयाचे असते ज्याला “वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र” (अर्थसंकल्प) असे संबोधले जाते. खर्चाच्या अंदाजपत्रकात खर्चाच्या ‘भारीत’ आणि ‘दत्तमत’ बाबी¹ स्वतंत्रपणे दर्शविल्या जातात आणि महसुली लेख्यावरील खर्च इतर खर्चापासून वेगळा दर्शविला जातो. राज्य शासनाकडून कोणताही खर्च करण्यापूर्वी वैधानिक प्राधिकार पत्र आवश्यक आहे.

अर्थसंकल्पाशी निगडित संज्ञांची शब्दावली परिशिष्ट 3.1 मध्ये देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया सामान्यतः ऑगस्टमध्ये अर्थसंकल्पीय परिपत्रक जारी करण्यापासून सुरू होते, जे विभागांना पुढील आर्थिक वर्षासाठी त्यांच्या अंदाजांची रचना करण्यासाठी मार्गदर्शन करते. राज्यातील अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया आलेख 3.1 मध्ये दिली आहे.

आलेख 3.1: राज्यामधील अर्थसंकल्प तयारीची प्रक्रिया




¹ **भारीत खर्च:** खर्चाच्या काही निश्चित बाबी (उदाहरणार्थ, सांविधानिक प्राधिकार्यांचे वेतन, कर्जाचे परतावे इत्यादि) राज्याच्या एकत्रित निधीवर प्रभार आकारतात आणि हे खर्च विधिमंडळाच्या दत्तमताच्या अधीन नसतात

दत्तमत खर्च: इतर सर्व खर्च हे विधिमंडळाच्या दत्तमताच्या अधीन असतात.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका (प्रकरण IX) नुसार वित्त विभाग सर्व मंत्रालयांकडून अंदाजपत्रके प्राप्त करून वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे. विभाग प्रमुखांच्या सल्ल्यानुसार नियंत्रण अधिकारी विभागीय जमा आणि खर्चाची विभागीय अंदाजपत्रके तयार करतात आणि विहित मुदतीनुसार वित्त विभागाला सादर करतात. वित्त विभाग अंदाजपत्रकांची छाननी करतो आणि सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करतो ज्याला, 'अनुदानाकरिता मागणी' असे संबोधतात. अर्थसंकल्प तयार करताना अंदाज शक्य तितके प्रत्यक्ष आकडेवारीशी जुळणारे असावेत हे उद्दिष्ट असावे. अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेमध्ये विनिर्दिष्ट आहे की विशिष्ट बाबींवरील खर्चासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली रक्कम ही वर्षभरात खर्च करता येण्याएवढी असावी आणि ती जास्त किंवा कमी सुद्धा नसावी. ज्याप्रमाणे अंदाजपत्रकातील आधिक्य वित्तीय अनियमितता दर्शविते त्याचप्रमाणे अंदाजपत्रकातील बचत देखील तेवढीच वित्तीय अनियमितता प्रस्थापित करते. जमेची अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रके ही कर, शुल्क, फी इत्यादींच्या विद्यमान दरांवर आधारित असावी.

वर्ष 2022-23 मधील मूळ व पुरवणी अर्थसंकल्प, खर्च व बचत यासह राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेली एकूण रक्कम आलेख 3.2 मध्ये चित्रित केले आहे.



स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

3.1.1 वित्तीय वर्षातील एकूण तरतूद, प्रत्यक्ष संवितरणे आणि बचतीचा सारांश

300 अनुदाने/विनियोजने यांमध्ये 2022-23 मधील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदी, प्रत्यक्ष खर्च आणि बचतीची संक्षिप्त स्थिती तक्ता 3.1 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 3.1: 2022-23 दरम्यान अर्थसंकल्पीय तरतूद, संवितरणे आणि बचत

(₹ कोटीत)

| एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद | | संवितरणे | | बचत | |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|---------------------|
| दत्तमत | भारीत | दत्तमत | भारीत | दत्तमत | भारीत |
| 547921.89 | 104887.25 | 444090.50 | 89983.70 | 103831.39 (18.95) | 14903.55 (14.21) |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23
कंसातील आकडेवारी ही एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीतील बचतीची टक्केवारी आहे

3.1.2 भारीत आणि दत्तमत संवितरणे

संविधानाच्या अनुच्छेद 112 (2) नुसार वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात समाविष्ट केलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकात विधिमंडळाने मान्य केलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारीत

खर्च आणि राज्याच्या एकत्रित निधीतून प्रस्तावित इतर खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर सर्व रक्कम स्वतंत्रपणे दर्शविली जाईल आणि महसुली लेख्यावरील खर्च इतर खर्चापेक्षा वेगळा दर्शविला जाईल.

मागील पाच वर्षांतील (2018-19 ते 2022-23) एकूण भारतीय आणि दत्तमत संवितरण आणि बचतीचे कल विश्लेषण तक्ता 3.2 मध्ये दर्शविले आहेत.

तक्ता 3.2: 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान संवितरण आणि बचत

(₹ कोटीत)

| वर्ष | संवितरण | | बचत | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | दत्तमत | भारतीय | दत्तमत | टक्केवारी | भारतीय | टक्केवारी |
| 2018-19 | 278697.33 | 64237.70 | 69773.31 | 25.03 | 4083.05 | 6.35 |
| 2019-20 | 328039.77 | 63443.42 | 101966.86 | 31.08 | 3726.33 | 5.87 |
| 2020-21 | 320694.58 | 96353.79 | 104429.48 | 32.56 | 2811.71 | 2.91 |
| 2021-22 | 370445.46 | 82405.21 | 93242.70 | 25.17 | 18293.33 | 22.20 |
| 2022-23 | 444090.50 | 89983.70 | 103831.39 | 18.95 | 14903.55 | 14.21 |

स्त्रोत : संबंधित वर्षांचे विनियोजन लेखे

दत्तमत अनुदानांतर्गत संवितरणाच्या टक्केवारीत बचत ही 2018-19 मधील 25.03 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 18.95 टक्के इतक्या लक्षणीय प्रमाणात कमी झाली.

3.1.3 अर्थसंकल्पीय कुशलता (मार्कमनशीप)

3.1.3.1 एकूण अर्थसंकल्पीय निष्पत्ती (आऊटटर्न)

एकूण अर्थसंकल्पीय निष्पत्ती हे एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाचे प्रमाण/प्रत्यक्ष खर्च हे मंजूर रकमेपेक्षा कमी आणि मंजूर रकमेपेक्षा जास्त प्रमाणात मूळ मंजूर रक्कम प्रतिबिंबित करते.

तक्ता 3.3: मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष निष्पत्ती

(₹ कोटीत)

| तपशील | मूळ मंजूर अर्थसंकल्प | प्रत्यक्ष निष्पत्ती | प्रत्यक्ष आणि मूळ* मधील फरक |
|---------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| महसुली | 436214.15 | 415536.35 | (-)20677.80 |
| भांडवली | 132056.48 | 118537.85 | (-)13518.63 |
| एकूण | 568270.63 | 534074.2 | (-)34196.43 |

*तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्ष अधिक आकडा (+) म्हणून दर्शविला आहे आणि मूळ तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्ष कमी आकडा (-) म्हणून दर्शविला आहे
स्त्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

महसुली विभागात मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत निष्पत्तीमधील विचलन (डेव्हिएशन) 4.74 टक्के होते. हे 101 अनुदानांमध्ये 0 ते ± 25 टक्के दरम्यान, 42 अनुदानांमध्ये ± 25 ते ± 50 टक्के दरम्यान, 21 अनुदानांमध्ये ± 50 ते 100 टक्के दरम्यान आणि 13 अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा अधिक विचलन झाल्याने होते. तथापि, महसुली विभागातील तीन अनुदानांबाबत कोणतीही मूळ तरतूद करण्यात आली नव्हती.

भांडवली विभागात मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत निष्पत्तीमधील विचलन 10.24 टक्के होते. हे 75 अनुदानांमध्ये 0 ते ± 25 टक्के दरम्यान, 17 अनुदानांमध्ये ± 25 ते ± 50 टक्के दरम्यान, 12 अनुदानांमध्ये ± 50 टक्के ते 100 टक्के दरम्यान आणि 14 अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांहून अधिक किंवा त्याहून अधिक विचलन झाल्याने होते. तथापि, भांडवली विभागातील दोन अनुदानांबाबत कोणतीही मूळ तरतूद करण्यात आली नव्हती.

3.1.3.2 खर्चाच्या घटकांची निष्पत्ती

खर्चाच्या घटकांची निष्पत्ती ही अंमलबजावणी दरम्यान मुख्य अर्थसंकल्पीय बाबींमधील पुनर्वाटपामुळे खर्चाच्या रचनेत किती फरक पडला आहे हे मोजते.

तक्ता 3.4: अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत सुधारित अंदाज

(₹ कोटीत)

| तपशील | मूळ मंजूर अर्थसंकल्प | सुधारित अंदाज | प्रत्यक्ष निष्पत्ती | मूळ मंजूर अर्थसंकल्प आणि सुधारित अंदाज यामधील फरक | प्रत्यक्ष आणि सुधारित* यामधील फरक |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| महसुली | 436214.15 | 498740.59 | 415535.64 | 62526.44 | (-)83204.95 |
| भांडवली | 132056.48 | 154068.56 | 118537.85 | 22012.08 | (-)35530.71 |
| एकूण | 568270.63 | 652809.15 | 534073.49 | 84538.52 | (-)118735.66 |

*सुधारित अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष अधिक (+) आकडा म्हणून दर्शविला जातो आणि मूळ तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्ष कमी आकडा (-) म्हणून दर्शविला जातो
स्त्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

महसुली विभागात सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत निष्पत्तीमध्ये 16.68 टक्के विचलन होते. हे 107 अनुदानांमध्ये 0 ते ±25 टक्के, 43 अनुदानांमध्ये ±25 ते ±50 टक्के, 18 अनुदानांमध्ये ±50 टक्के ते 100 टक्के आणि 12 अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांहितके किंवा त्याहून अधिक विचलन झाल्याने होते.

भांडवली विभागात सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत निष्पत्तीमध्ये 23.06 टक्के विचलन होते. 80 अनुदानांमध्ये 0 ते ±25 टक्के, 17 अनुदानांमध्ये ±25 ते ±50 टक्के, 14 अनुदानांमध्ये ±50 टक्के ते 100 टक्के आणि नऊ अनुदानांमध्ये 100 टक्क्यांच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक विचलन झाल्याने होते.

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे राज्य शासनाच्या प्रत्येक वर्षासाठीच्या खर्चाची तुलना भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 204 आणि 205 अन्वये पारित केलेल्या विनियोजन अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले विविध उद्देशांसाठीची दत्तमत अनुदाने व भारीत विनियोजन यांच्या रकमेशी करते. विनियोजन लेखे स्थूल आधारावर असतात. हे लेखे मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद, पुरवणी अनुदाने, प्रत्यार्पण आणि पुनर्विनियोजन स्पष्टपणे दर्शवितात आणि अर्थसंकल्पातील भारीत आणि दत्तमत दोन्ही बाबींच्या संदर्भात विनियोजन अधिनियमांतर्गत प्राधिकृत केलेल्या सेवांच्या तुलनेत विविध विशिष्ट सेवांवरील प्रत्यक्ष भांडवली आणि महसुली खर्च दर्शवितात. अशाप्रकारे, विनियोजन लेखे निधीची उपयोगिता, वित्त व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या संनियंत्रणाला सुकर करतात आणि म्हणूनच वित्त लेख्यांना पूरक असतात.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक विनियोजनाची लेखापरीक्षा करताना खात्री करतात की, प्रत्यक्षात विविध अनुदानांतर्गत झालेला खर्च हा त्या वर्षासाठी विनियोजन अधिनियमानुसार प्राधिकृत केलेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने आहे आणि संविधानाच्या (अनुच्छेद 202) प्रावधानांतर्गत आकारण्यात येणारा खर्च इतका आकारला गेला आहे किंवा कसे. तसेच, झालेला खर्च हा कायदे, संबंधित नियम, विनियमन आणि निर्देश यांच्याशी सुसंगत आहे की नाही हे देखील तपासले जाते.

3.3 अर्थसंकल्पीय आणि लेखा प्रक्रियेच्या सचोटीवर टिप्पण्या

3.3.1 अनावश्यक किंवा अतिरिक्त पुरवणी अनुदाने

भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 205 सह महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद 169 आणि 170 हे पुरवणी अर्थसंकल्प किंवा पुरवणी अंदाजपत्रकाला कायदेशीर आधार प्रदान करतात. 2022-23 मध्ये पुरवणी तरतुदी (₹ 84,538.52 कोटी) ह्या मूळ तरतुदींच्या 14.88 टक्के (₹ 5,68,270.62 कोटी) होत्या.

वर्षभरात 38 दत्तमत अनुदानांमध्ये (प्रत्येक प्रकरणात ₹10 कोटी किंवा त्याहून अधिक) एकूण ₹ 26,214.03 कोटींच्या प्राप्त झालेल्या पुरवणी तरतुदी अनावश्यक ठरल्या कारण ₹ 1,97,603.19 कोटींचा प्रत्यक्ष खर्च हा मूळ तरतुदींच्या (₹ 2,41,614.91 कोटी) स्तरापर्यंत पोहोचला नाही जे परिशिष्ट 3.2 मध्ये तपशीलवार दिले आहे. ₹ 1,000 कोटीपेक्षा अधिक बचत असलेली आणि पुरवणी तरतूद अनावश्यक ठरलेली अनुदाने तक्ता 3.5 मध्ये दर्शविली आहेत.

तक्ता 3.5 : ₹ 1,000 कोटीपेक्षा अधिक बचत झालेली अनुदाने जेथे पुरवणी तरतूद अनावश्यक ठरली

(₹ कोटीत)

| अनुदान क्रमांक आणि तपशील | मूळ तरतूद | पुरवणी तरतूद | खर्च | मूळ तरतुदीमधून बचत (टक्केवारी) |
|---|-----------|--------------|----------|--------------------------------|
| महसुली विभाग दत्तमत | | | | |
| बी.1-पोलीस प्रशासन | 24583.07 | 134.20 | 19978.85 | (-)4604.22 |
| एफ.2-नगर विकास व इतर प्रगत सेवा | 15692.66 | 2146.35 | 12003.34 | (-)3689.32 |
| जी.6- निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ | 45448.34 | 2001.85 | 43017.19 | (-)2431.16 |
| एन.3- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण | 14779.37 | 3133.61 | 13010.53 | (-)1768.84 |
| ओ.3-ग्रामीण रोजगार | 3634.03 | 150.00 | 1863.57 | (-)1770.46 |
| टी.5- जनजाती क्षेत्र विकास उप-योजनेवरील महसुली खर्च | 11485.24 | 1836.17 | 9542.71 | (-)1942.53 |
| वाय.2- पाणीपुरवठा व स्वच्छता | 10861.85 | 716.16 | 3911.68 | (-)6950.17 |
| भांडवली विभाग | | | | |
| एच.8- सार्वजनिक बांधकामे, प्रशासकीय व कार्यचालन इमारतींवरील भांडवली खर्च | 3686.38 | 695.91 | 1855.24 | (-)1831.14 |
| आय. 5- पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च | 15037.04 | 1504.52 | 11551.26 | (-)3485.78 |
| एल.7- ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 5404.98 | 241.17 | 4119.83 | (-)1285.15 |
| ओ.10-इतर ग्रामविकासावरील कार्यक्रमांवर भांडवली खर्च | 5646.73 | 267.42 | 1705.45 | (-)3941.28 |
| स्त्रोत : विनियोजन लेखे 2022-23 | | | | |

वरील बाबी दर्शवितात की मूळ अनुदानाच्या तुलनेत बचत असूनही पुरवणी अनुदानाच्या तरतुदीमुळे निधीचा वापर करू शकणाऱ्या इतर विभागांना वंचित रहावे लागले. विभागाने निधीच्या गरजेचा अंदाज मजबूत करणे आणि पुरवणी तरतुदींच्या आधारांचा/कारणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

3.3.2 आकस्मिकता निधीमधून अग्रिमे

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 267(2) व 283(2) मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम 1956 अंतर्गत राज्याचा आकस्मिकता निधी निर्माण करण्यात आला आहे. अकल्पित आणि तातडीच्या स्वरूपातील खर्च जे विधिमंडळाची मान्यता प्राप्त होईपर्यंत स्थगित ठेवणे इष्ट नसते, फक्त ते खर्च भागविण्यासाठीच आकस्मिकता निधीमधून अग्रिमे दिली जातात. हा निधी अग्रधन स्वरूपात असतो.

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियमानुसार राज्याचा आकस्मिकता निधी निकाय (कॉर्पस) ₹ 150 कोटी आहे. 01 नोव्हेंबर 2022 च्या अध्यादेशानुसार तो ₹ 200 कोटींनी वाढविण्यात आला. वर्ष 2022-23 मध्ये राज्य शासनाने आकस्मिकता निधीतून ₹ 311.00 कोटी आहरीत केले आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत संपूर्ण रक्कम परत करण्यात आली.

2022-23 दरम्यान वित्त विभागाने जारी केलेल्या ₹ 311.00 कोटींच्या दोन मंजुरीपैकी ₹ 311.00 कोटींचे दोन आहरण या निधीमधून करण्यात आले. 2022-23 दरम्यान आकस्मिकता निधीतून आहरणाचा तपशील तक्ता 3.6 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 3.6: आकस्मिकता निधी मंजूरी आदेश आणि मंजूरीच्या तुलनेत उपयोगिता

(₹ कोटीत)

| अनु क्र. | मंजूरी संख्या आणि दिनांक | मुख्य शीर्ष/ अनुदान क्र. | आहरणाचे प्रयोजन | मंजूरी | खर्च | पुनर्भरण |
|---|--|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | सीएनएफ-2022/सी.आर.01/ अर्थसंकल्प-18/27/09/2023 | 5475/जी-08 | भागभांडवल व अनुषंगिक खर्चासाठी महा आर्क लि. | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
| 2 | सीएनएफ-2022/सी.आर.01/ अर्थसंकल्प-18/02/11/2022 | 5475/जी-08 | भागभांडवल व अनुषंगिक खर्चासाठी महा आर्क लि. | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| एकूण | | | | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
| स्रोत: संबंधित विभागाचे आकस्मिकता निधी मंजूरी आदेश आणि महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता) -I, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली माहिती | | | | | | |

3.3.3 निधीचे अतिरिक्त/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन म्हणजे बचतीची अपेक्षा असलेल्या एका विनियोजनाच्या अनुदानातील एका घटकामधील निधी दुसरा घटक जेथे अधिक निधीची आवश्यकता निश्चित केली जाते तेथे हस्तांतरित करणे. महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेच्या परिच्छेद 162 ते 164 नुसार, वित्त विभाग आणि सचिवालयाचा प्रशासकीय विभाग, विनियोजन अधीनयामांतील त्याच अनुदान/विनियोजनांतर्गत मुख्य शीर्ष, गौण शीर्ष अथवा उपशीर्षामधून इतर समान शीर्षामध्ये पुनर्विनियोजन मंजूर करू शकतात.

अनेक प्रकरणांमध्ये पुनर्विनियोजन अतिरिक्त ठरल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. परिशिष्ट 3.3 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, 48 प्रकरणांमध्ये पुनर्विनियोजन अनावश्यक ठरले, कारण पुनर्विनियोजित रकमेमुळे शेवटी प्रत्येक प्रकरणात ₹ 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक बचत झाली. वरील उदाहरणे ह्या वस्तुस्थितीचे निदर्शक आहेत की, आवश्यकतांचे पर्याप्त निर्धारण अर्थसंकल्पीय नियंत्रक अधिकारी करू शकले नाही आणि पुनर्विनियोजनापूर्वी खर्चासंदर्भातील माहिती अद्ययावत केली नाही.


3.3.4 अखर्चित रक्कम आणि प्रत्यार्पित विनियोजन आणि/अथवा मोठ्या प्रमाणात बचत/प्रत्यार्पण

सुमार खर्च संनियंत्रण कार्यंत्र आणि कमकुवत योजना अंमलबजावणी क्षमता/कमकुवत अंतर्गत नियंत्रणे यावर आधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद, आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस निधी मुक्त करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि मोठ्या प्रमाणात निधी शासकीय लेखांच्या बाहेर बँकांमध्ये राखून ठेवण्याच्या विभागाच्या प्रवृत्तीला उद्भूत करतात. अतिरिक्त बचतीमुळे इतर विभागदेखील वापरता येणाऱ्या निधीपासून वंचित राहतात.

विनियोजन लेखांच्या लेखापरीक्षणात असे निदर्शनास आले की 2022-23 मध्ये ₹1,18,734.94 कोटींच्या निव्वळ बचतीपैकी ₹81,572.29 कोटींची (एकूण बचतीच्या 68.70 टक्के) 71 अनुदानांमधील बचत प्रत्येक प्रकरणातील एकूण तरतुदीच्या 20 टक्के किंवा त्याहून अधिक होती जे परिशिष्ट 3.4 मध्ये दर्शविले आहे. तसेच, 71 अनुदानांमध्ये प्रत्येक प्रकरणात ₹ 100 कोटीपेक्षा जास्त बचत झाली होती जे परिशिष्ट 3.5 मध्ये दर्शविले आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेच्या परिच्छेद 173 मध्ये असे नमूद केले आहे की इतर शीर्षाखाली संभाव्य अकल्पित अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी किंवा नवीन खर्च ज्याची सामान्यतः पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाऊ शकते त्याची पूर्तता करण्यासाठी वितरण किंवा नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बचत राखीव ठेवू नये. सर्व बचती जेव्हा लक्षात येतात तेव्हा त्या तात्काळ प्रत्यार्पित कराव्यात. ज्या तरतुदींचा फायदेशीररित्या उपयोग करता येणार नाहीत त्या प्रत्यार्पित कराव्यात.

2022-23 दरम्यान 276 दत्तमत अनुदानातील एकूण बचतीसह एकूण तरतुदीच्या वापराची टक्केवारी आलेख 3.3 मध्ये दर्शविली आहे.



(स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23)

276 दत्तमत अनुदानांपैकी सहा अनुदानांमध्ये अतिरिक्त खर्च झाला, केवळ 124 अनुदाने त्यांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 90 ते 100 टक्के वापर करू शकले, ज्यामुळे ₹ 11,936.44 कोटींची बचत झाली, तर 22 अनुदाने केवळ 10 टक्केच अर्थसंकल्पीय तरतुदी वापरू शकल्या.

मोठ्या बचतीसाठी विभागांनी दिलेली कारणे जी विनियोजन लेख्यांमध्ये नमूद करण्यात आली आहेत ती पुढील परिच्छेदात दिली आहेत.

अनुदान एफ-2- नगरविकास व इतर प्रगत सेवा- मुख्य शीर्ष 2217- नगरविकास गौण शीर्ष 191-स्थानिक संस्था, महानगरपालिका इत्यादींना सहाय्य अंतर्गत स्मार्ट सिटी अभियानाची ₹ 1,116 कोटी (केंद्र हिस्सा) व ₹ 558.00 कोटी (राज्य हिस्सा) अर्थसंकल्पीय तरतूद मार्च 2023 मध्ये कोणतेही विशिष्ट कारण न देता पुनर्विनियोजन/प्रत्यार्पणाद्वारे काढून घेण्यात आली.

अनुदान एल-3- ग्रामविकास कार्यक्रम - मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, गौण शीर्ष 103-महिला कल्याण अंतर्गत अस्मिता कार्यक्रम (राज्य योजना) अंतर्गत ग्रामीण भागातील शाळकरी मुलींना सवलतीच्या दरात सॅनिटरी नॅपकिनस उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसहाय्य याकरिता पुरवणी मागणीद्वारे ₹ 262.39 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली. तथापि, शासनस्तरावर अस्मिता योजनेच्या अंमलबजावणीचा सुधारित आराखडा अंतिम न झाल्याने मार्च 2023 मध्ये ₹ 262.39 कोटींची संपूर्ण रक्कम प्रत्यार्पित करण्यात आली. तसेच, असे निदर्शनास आले की, 2018-19 दरम्यान पुरवणी मागणीद्वारे प्राप्त झालेले अंदाजपत्रकातील 55 टक्के रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या आधारे मार्च 2019 मध्ये प्रत्यार्पित करण्यात आली होती. 2019-20 ते 2021-22 या कालावधीतील संपूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद ही त्या आर्थिक वर्षातील मार्चमध्ये प्रत्यार्पित करण्यात आली. या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली नाही आणि अस्मिता कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध असलेल्या मागील वर्षाच्या निधीतून केलेला खर्च ही प्रत्यार्पणाची कारणे संबंधित वर्षाच्या विनियोजन लेख्यांमध्ये देण्यात आली.

अनुदान एल-7 ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च - मुख्य शीर्ष 4515- इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च, गौण शीर्ष 103-ग्रामविकास अंतर्गत पुरवणी मागणीद्वारे ₹ 228.40 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली. तथापि, एकल नोडल अभिकरण लेख्यांना उपशीर्ष जोडण्यात (मॅपिंग) तांत्रिक अडचण आल्याने ₹ 228.40 कोटींची संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पणाद्वारे काढून घेण्यात आली.

अनुदान वाय-2 पाणीपुरवठा व स्वच्छता- मुख्य शीर्ष 2215-पाणीपुरवठा व स्वच्छता-गौण शीर्ष 196-जिल्हा परिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य अंतर्गत एकात्मिक ग्रीड प्रक्रियेद्वारे मराठवाडा विभागासाठी पाणीपुरवठा योजनेसाठी ₹ 200 कोटींचे सहाय्यक अनुदान देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत अंमलबजावणी करणाऱ्या अभिकरणांकडून कोणतीही मागणी न झाल्याने ₹ 200 कोटींची संपूर्ण रक्कम प्रत्यार्पित करण्यात आली.

3.3.4.1 बचतीमधील सातत्य

बचतीमधील सातत्य म्हणजे दर वर्षी वाटप केलेल्या निधीचा पूर्ण वापर न करण्याची सातत्यपूर्ण प्रथा. मागील पाच वर्षात बचतीमधील सातत्यावरून असे निदर्शनास आले की विभागांमधील अर्थसंकल्पीय नियंत्रणे प्रभावी नव्हती आणि वर्षाकरिता निधी वाटप करताना मागील वर्षाचे कल विचारात घेतले नव्हते. अनुदानाची चाचणी-तपासणी केली असता, लेखापरीक्षेच्या असे निदर्शनास आले की 39 प्रकरणांमध्ये (परिशिष्ट 3.6) गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने ₹ 100 कोटींहून अधिक बचत झाली.

2018-19 ते 2022-23 या प्रत्येक आर्थिक वर्षात अनुदान क्यू-03 'गृहनिर्माण' अंतर्गत एकूण तरतुदीच्या 51 टक्के ते 98 टक्के दरम्यान आणि अनुदान ओ-10 'इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च' अंतर्गत 71 टक्के ते 89 टक्के दरम्यान बचत झाली.

3.3.4.2 'निरंक' खर्चासह अनुदान

2022-23 या आर्थिक वर्षात तीन अनुदानांतर्गत करण्यात आलेल्या ₹ 10 कोटींपेक्षा अधिक ₹ 69.51 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद वर्षअखेरीस अखर्चित राहिली. तक्ता 3.7 मध्ये तपशील दिले आहेत.

तक्ता 3.7: 'निरंक' खर्चासह अनुदान

(₹ कोटीत)

| अक्र | अनुदान | दत्तमत/भारत | एकूण तरतूद | प्रत्यक्ष खर्च | टिप्पणी |
|-------------|--|-------------|--------------|----------------|---|
| 1. | डी-01 व्याज प्रदाने | दत्तमत | 17.51 | 0.00 | नाबार्डकडून कर्ज प्राप्त न झाल्यामुळे संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 2. | डी-10 राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण | भारत | 15.00 | 0.00 | राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून कर्जाची तरतूद करण्यात आली; कोणतेही विशिष्ट कारण न देता संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 3. | एक्स-03 सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | दत्तमत | 37.00 | 0.00 | 13व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार आंगणवाडी केंद्रे बांधण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेतील कामांचा आढावा घेण्याचे वित्त विभागाचे निर्देश लक्षात घेऊन संपूर्ण रक्कम प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| एकूण | | | 69.51 | | |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

3.3.5 अतिरिक्त खर्च व त्याचे नियमितीकरण

संविधानाच्या अनुच्छेद 205 (1)(ब) मध्ये अशी तरतूद आहे की, आर्थिक वर्षादरम्यान कोणत्याही सेवेवर त्या सेवेसाठी, त्या वर्षी मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च झाला असेल तर, राज्यपालांनी अशा अतिरिक्तची मागणी विधिमंडळात सादर करावयास हवी. यावरून हे ध्वनित होते की आर्थिक वर्षाकरिता अनुदान/विनियोजनापेक्षा अतिरिक्त खर्च राज्य विधिमंडळाद्वारे नियमित करणे राज्य शासनाला अनिवार्य आहे. अधिक खर्चाच्या नियमितीकरणाबाबत जरी कालमर्यादा निर्धारित केली नसली तरी, अतिरिक्त खर्चाचे नियमितीकरण हे लोकलेखा समितीमध्ये विनियोजन लेख्यांवर चर्चा पूर्ण झाल्यावर केले जाते. असे करण्यात अपयश आल्यास संविधानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे आणि जनतेच्या पैशाच्या वापराबद्दल विधिमंडळाच्या कार्यकारिणीचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट विफल होते.

3.3.5.1 2022-23 वर्षाशी संबंधित अतिरिक्त खर्च

वर्षभराच्या तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च हा केवळ विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही तर तो चुकीच्या नियोजनाचेही निर्देशक आहे, जो खर्चाच्या प्रगतीचा माग त्या प्रयोजनाकरिता केलेल्या अर्थसंकल्पासोबत घेऊन टाळता येऊ शकतो. तथापि, 2022-23 या वर्षात ₹ 6,52,809.14 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत 300 अनुदान/विनियोजनांमध्ये ₹ 5,34,074.20 कोटी खर्च करण्यात आले. एकूण ₹ 1,18,734.94 कोटींची बचत झाली असली तरी सहा दत्तमत अनुदाने आणि दोन भारीत विनियोजनांमध्ये ₹ 71.66 कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला, ज्याचे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 205 नुसार नियमितीकरण आवश्यक होते.

2022-23 मध्ये तरतुदीपेक्षा अतिरिक्त खर्चासह बंद झालेली अनुदाने/विनियोजने ज्यांना नियमितीकरणाची आवश्यकता आहे ती तक्ता 3.8 मध्ये दर्शविली आहेत.

तक्ता 3.8: 2022-23 मध्ये ज्या अनुदाने/विनियोजनांमध्ये तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च झाला व जो नियमित करणे आवश्यक होते (₹ कोटीत)

| अक्र | दत्तमत/भारीत विनियोजनाचे नाव | एकूण अनुदान | खर्च | अधिक |
|------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| दत्तमत अनुदान | | | | |
| 1 | ओ-24 जिल्हा योजना - सिंधुदुर्ग | 144.60 | 144.66 | 0.05 |
| 2 | ओ-30 जिल्हा योजना-सांगली | 278.44 | 278.45 | 0.01 |
| 3 | ओ-43 जिल्हा योजना-अहमदनगर | 117.83 | 118.41 | 0.58 |
| 4 | ओ-70 जिल्हा योजना-गडचिरोली | 231.35 | 231.51 | 0.16 |
| 5 | ओ-74 जिल्हा योजना- अमरावती | 257.74 | 257.84 | 0.10 |
| 6 | डब्ल्यू -04 कला आणि संस्कृती | 432.89 | 481.08 | 48.19 |
| भारीत विनियोजन | | | | |
| 7 | जी-06 निवृत्तीवेतन आणि इतर निवृत्ती लाभ | 76.24 | 92.79 | 16.55 |
| 8 | टी-01 व्याज प्रदाने | 53.53 | 59.56 | 6.02 |
| एकूण | | 1592.62 | 1664.30 | 71.66 |
| स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23 | | | | |

3.3.5.2 मागील आर्थिक वर्षामधील अतिरिक्त खर्च नियमित करणे

वरील परिच्छेद 3.3.5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अतिरिक्त खर्च वाढीव कालावधीसाठी अनियमित राहिल्यास कार्यकात्यांवरील कायदेविषयक नियंत्रण सौम्य होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 205 नुसार अनुदान/विनियोजनापेक्षा अधिक खर्च राज्य विधीमंडळाकडून नियमित करून घेणे राज्य शासनाला अनिवार्य आहे. खर्च नियमित करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नसली तरी लोक लेखा समितीकडून विनियोजन लेख्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर अधिक खर्चाचे नियमितीकरण केले जाते. 42 अनुदाने व 15 विनियोजनांसंदर्भात वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठी ₹ 2,918.52 कोटींचा अधिक खर्च मार्च 2023 पर्यंत नियमितीकरणासाठी प्रलंबित होता जे परिशिष्ट 3.7 मध्ये तपशीलवार दिले आहे.

3.3.6 भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी सहाय्यक अनुदाने

सहाय्यक अनुदाने म्हणजे एका सरकारने दुसऱ्या सरकार, संस्था किंवा व्यक्तीला केलेल्या सहाय्याच्या किंवा अंशदानाच्या स्वरूपातील प्रदाने होय.

भारत सरकार लेखांकन मानक-2 नुसार अनुदानकर्त्याने अनुदानग्राहीला संवितरित केलेले सहाय्यक अनुदान महसुली खर्च म्हणून वर्गीकृत आणि लेखांकित करावयास हवे.

2018-19 ते 2022-23 साठी भांडवली खर्च म्हणून सहाय्यक अनुदानाचे चुकीचे वर्गीकरण तक्ता 3.9 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 3.9: सहाय्यक अनुदानाचे भांडवली खर्च म्हणून झालेले चुकीचे वर्गीकरण

(₹ कोटीत)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| सहाय्यक अनुदान भांडवली खर्च म्हणून नोंद केले | 1311.26 | 1580.59 | 1423.66 | 1662.63 | 3440.70 |
| एकूण खर्च | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| भांडवली खर्च | 35049.05 | 36415.57 | 29686.70 | 46670.39 | 61643.61 |
| भांडवली खर्चामध्ये सहाय्यक अनुदानाचा टक्क्यामध्ये हिस्सा | 3.74 | 4.34 | 4.80 | 3.56 | 5.58 |
| जर सहाय्यक अनुदानामधून होणारा खर्च महसुली खर्च मानला गेल्यास महसुली तूट (-)/महसुली अतिरिक्त (+) वरील परिणाम | 1311.26 | 1580.59 | 1423.66 | 1662.63 | 3440.70 |
| स्त्रोत : संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे | | | | | |

3.4 अर्थसंकल्पीय आणि लेखा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर टिप्पण्या

3.4.1 एकरकमी अर्थसंकल्पीय तरतुदी

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, परिशिष्ट X च्या परिच्छेद 53 आणि परिच्छेद 12 (ई) मध्ये असे निर्धारित करण्यात आले आहे की मागील तीन वर्षांतील अंदाज व प्रत्यक्ष यांच्यातील तफावतीच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पातील तरतुदीची तपासणी करून त्याआधारे प्रस्तावित रक्कम कमी करण्यात यावी. एकरकमी हा नियम म्हणून अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करू नये. 2022-23 साठी एकरकमी अर्थसंकल्पीय तरतुदी तक्ता 3.10 मध्ये दर्शविल्या आहेत.

तक्का 3.10: एकरकमी अर्थसंकल्पीय तरतुदी

(₹ कोटीत)

| अ क्र | अनुदान क्रमांक व लेखा शीर्ष | तरतूद | खर्च | टिप्पणी |
|--------------------------------|--|---------|------|--|
| 1 | ओ 10-(4515-800-01-01)- अर्थसंकल्पात नसलेल्या भांडवली खर्चाकरिता एकरकमी तरतूद (राज्य योजना) | 3792.60 | 0.00 | |
| 2 | जी02-(2070-800-02-01)- वेतन व भत्ते इ. करिता एकरकमी तरतूद | 1500.00 | 0.00 | संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली |
| 3 | ओ04-(2515-800-01-01)- अर्थसंकल्पात नसलेल्या महसुली खर्चाकरिता एकरकमी तरतूद (राज्य योजना) | 100.00 | 0.00 | |
| 4 | टी05-(2225-796-01-51)- अर्थसंकल्पात नसलेल्या महसुली खर्चाकरिता एकरकमी तरतूद | 51.86 | 0.00 | |
| स्त्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23 | | | | |

3.4.2 अर्थसंकल्पातील प्रमुख धोरणात्मक घोषणा आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचा प्रत्यक्ष निधी

वर्ष 2022-23 मध्ये शासनाने अनेक धोरणात्मक उपक्रम/योजना (₹ 10 कोटी व त्याहून अधिक) हाती घेतल्या त्या योजनांची मार्गदर्शक तत्त्वे/कार्यपद्धती मंजूर न होणे, प्रशासकीय मंजूरीअभावी कामे सुरु न होणे, अर्थसंकल्प मुक्त न करणे इत्यादी कारणांमुळे पूर्णपणे किंवा अंशतः कार्यान्वित होऊ शकल्या नव्हत्या. अशा योजनांमधील बचत इतर विभागांना निधीपासून वंचित ठेवते, ज्याचा ते वापर करू शकले असते.

16 योजनांतर्गत असे निदर्शनास आले की ₹ 6,994 कोटींचा मंजूर खर्च (मूळ+पुरवणी), जो प्रत्यार्पण/पुनर्विनियोजनाद्वारे पूर्णपणे काढून घेण्यात आला जो परिशिष्ट 3.8 मध्ये दर्शविला आहे. यावरून अर्थसंकल्पीय तरतूद अवास्तव प्रस्तावांवर आधारित होती हे सत्य प्रतिबिंबित होते.

3.5 अर्थसंकल्पीय व लेखा प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेबद्दल टिप्पण्या

3.5.1 अर्थसंकल्पातील प्रक्षेपण आणि प्रत्यक्ष व अपेक्षित यांच्यातील तफावत

अवास्तव प्रस्तावांवर आधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद, खर्चावर संनियंत्रण ठेवणारे कमकुवत कार्यतंत्र आणि कमकुवत योजना अंमलबजावणी क्षमता/कमकुवत अंतर्गत नियंत्रणे हे विविध विकासात्मक गरजांकरिता अपुरे इष्टतम वाटप करण्यात होते. काही विभागांतील अतिरिक्त बचतीमुळे इतर विभागांना निधीपासून वंचित रहावे लागते, ज्याचा त्यांना उपयोग करता आला असता.

2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय (मूळ/पुरवणी) तरतुदींच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्चाची संक्षिप्त स्थिती तक्का 3.11 मध्ये दिली आहे.

तक्ता 3.11: 2022-23 दरम्यान अर्थसंकल्पीय (मूळ/पुरवणी) तरतुदीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्चाची संक्षिप्त स्थिती


(₹ कोटीत)

| | खर्चाचे स्वरूप | मूळ अनुदान/ विनियोजन | पुरवणी अनुदान/ विनियोजन | एकूण | प्रत्यक्ष खर्च | बचत | बचत % |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| दत्तमत | I महसुली | 386357.07 | 60562.14 | 446919.21 | 370399.40 | (-)76519.81 | 17.12 |
| | II भांडवली | 76383.22 | 19462.07 | 95845.29 | 68826.69 | (-)27018.60 | 28.19 |
| | III कर्ज आणि अग्रिमे | 2414.04 | 2543.35 | 4957.39 | 4664.41 | (-)292.98 | 5.91 |
| एकूण दत्तमत | | 465154.33 | 82567.56 | 547721.89 | 443890.50 | (-)103831.39 | 18.96 |
| भारीत | IV महसुली | 49857.08 | 1964.30 | 51821.38 | 45136.96 | (-)6684.42 | 12.90 |
| | V भांडवली | 56.25 | 6.66 | 62.91 | 51.70 | (-)11.21 | 17.80 |
| | VI लोक ऋण | 53002.96 | 0.00 | 53002.96 | 44795.04 | (-)8207.92 | 15.49 |
| एकूण भारीत | | 102916.29 | 1970.96 | 104887.25 | 89983.70 | (-)14903.55 | 14.21 |
| आकस्मिकता निधीसाठी विनियोजन | | 200.00 | ... | 200.00 | 200.00 | ... | |
| एकूण | | 568270.62 | 84538.52 | 652809.14 | 534074.20 | (-)118734.94 | 18.19 |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय अतिरिक्त व बचत यांची माहिती खर्चावरील मासिक अहवालाद्वारे नियंत्रण अधिकाऱ्यांना नियमितपणे देत होते. मार्च 2023 मध्ये प्राथमिक आणि अंतिम लेखे बंद झाल्यानंतर देखील त्यांनी संबंधित विभागांकडे ही बाब उचलून धरली होती आणि नियंत्रण अधिकाऱ्यांना लक्षणीय तफावतीच्या कारणांच्या स्पष्टीकरणाबद्दल विनंती केली होती, परंतु स्पष्टीकरण प्राप्त झाले नव्हते (जून 2023).

मागील पाच वर्षांतील अर्थसंकल्पीय वापराची स्थिती आलेख 3.4 मध्ये दर्शविली आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे विनियोजन लेखे)

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील मूळ अर्थसंकल्प, सुधारित अंदाज, प्रत्यक्ष खर्च यांचा कल तक्ता.3.12 मध्ये

दर्शविण्यात आला आहे.


तक्का 3.12: मूळ अर्थसंकल्प, सुधारित अंदाज व प्रत्यक्ष खर्च

(₹ कोटीत)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| मूळ अर्थसंकल्प | 380734.44 | 431554.81 | 452136.69 | 503688.31 | 568270.62 |
| पुरवणी अर्थसंकल्प | 36056.94 | 65621.57 | 72152.87 | 60698.39 | 84538.52 |
| एकूण अर्थसंकल्प | 416791.38 | 497176.38 | 524289.56 | 564386.70 | 652809.14 |
| सुधारित अंदाज | 373234.54 | 416921.35 | 437390.51 | 496637.96 | 581268.25 |
| प्रत्यक्ष खर्च | 342935.03 | 391483.19 | 417048.36 | 452850.67 | 534074.20 |
| बचत | (-)73856.35 | (-)105693.19 | (-)107241.20 | (-)111536.03 | (-)118734.94 |
| मूळ तरतुदीच्या तुलनेत पुरवणी तरतुदीची टक्केवारी | 9.47 | 15.21 | 15.96 | 12.05 | 14.88 |
| एकूण तरतुदीच्या तुलनेत एकूण बचतीची/अतिरिक्तची टक्केवारी | 17.72 | 21.26 | 20.45 | 19.76 | 18.19 |
| एकूण अर्थसंकल्प - सुधारित अंदाज | 43556.84 | 80255.03 | 86899.05 | 67748.74 | 71540.89 |
| सुधारित अंदाज - प्रत्यक्ष खर्च | 30299.51 | 25438.16 | 20342.15 | 43787.29 | 47194.05 |
| एकूण अर्थसंकल्पाची टक्केवारी म्हणून (एकूण अर्थसंकल्प - सुधारित अंदाज) | 10.45 | 16.14 | 16.57 | 12.00 | 10.96 |
| एकूण अर्थसंकल्पाची टक्केवारी म्हणून (सुधारित अंदाज - प्रत्यक्ष खर्च) | 7.27 | 5.12 | 3.88 | 7.76 | 7.23 |

स्रोत : संबंधित वर्षाची वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रे व विनियोजन लेखे

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की मागील वर्षीच्या (2021-22) 12.05 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022-23 मधील ₹ 84,538.52 कोटीची पुरवणी तरतूद ही मूळ तरतुदीच्या 14.88 टक्के होती.



स्रोत : संबंधित वर्षाची वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रे व विनियोजन लेखे

वरील आलेखावरून असे दिसून येते की, 2018-19 ते 2022-23 या वर्षामध्ये सुधारित अंदाज हे राज्याच्या एकूण

अर्थसंकल्पापेक्षा कायम कमी होते. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील पुरवणी तरतुदी अनावश्यक ठरल्या कारण हा खर्च मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या स्तरापर्यंत देखील आला नाही.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेचा परिच्छेद 165 असे निर्धारित करते की ₹ 500 किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या निधीच्या पुनर्विनियोजनास मंजुरी देणारे आदेश आणि काही विशिष्ट गोष्टींचा समावेश असलेली किंवा ठळक वैशिष्ट्य, त्यांच्यामुळे प्रभावित झालेल्या उप-शीर्षमधील भर आणि वजावटीच्या कारणांचा विशेष उल्लेख करावा. तथापि, प्रशासकीय विभागांनी जारी केलेल्या पुनर्विनियोजन आदेशांची छाननी केली असता असे निदर्शनास आले की, 2022-23 दरम्यान झालेल्या पुनर्विनियोजनाच्या 1063 बाबींपैकी 68 बाबींबाबत (6.40 टक्के) कोणतेही विशिष्ट कारण देण्यात आले नव्हते. हे महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियमाच्या कलम 6 मध्ये परिकल्पित केलेल्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.

3.5.2 अर्थसंकल्पीय ओघ आणि अनुदानाचे पुनरावलोकन

3.5.2.1 खर्चाची घाई

सर्वसाधारण वित्तीय नियमांच्या नियम 62(3) मध्ये अशी तरतूद आहे की खर्चाची घाई विशेषतः आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात हे आर्थिक औचित्याचा भंग मानले जाते आणि ते टाळायला हवे.

मुंबई वित्तीय नियम, 1959 नुसार आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्चाचा ओघ टाळावा. नियमातील तरतुदीच्या विपरीत 13 अनुदाने जे तक्ता 3.13 मध्ये नमूद केले आहेत त्यात असे निदर्शनास आले की वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 100 टक्के खर्च झाला.

चौथ्या तिमाहीत 100 टक्के खर्च झालेल्या 13 अनुदानांचा तपशील तक्ता 3.13 मध्ये देण्यात आला आहे.

तक्ता 3.13: मार्च 2023 मधील खर्चाचा ओघ


(₹ कोटीत)

| अ क्र. | अनुदान क्रमांक | अनुदानाचा तपशील | वर्षभरातील एकूण खर्च | 2022-23 च्या चौथ्या तिमाहीतील खर्च |
|--------|----------------|---|----------------------|------------------------------------|
| 1 | बी08 | पूर नियंत्रण प्रकल्प | 1.75 | 1.75 |
| 2 | सी09 | इतर प्रशासकीय व सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 7.66 | 7.66 |
| 3 | के09 | आर्थिक व सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 31.84 | 31.84 |
| 4 | के10 | उद्योगांवरील भांडवली खर्च | 72.52 | 72.52 |
| 5 | यू01 | व्याज प्रदाने | 6.62 | 6.62 |
| 6 | व्ही05 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 2.91 | 2.91 |
| 7 | झेडए01 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 599.17 | 599.17 |
| 8 | झेडडी05 | शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च | 9.10 | 9.10 |
| 9 | झेडई02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च | 25.50 | 25.50 |
| 10 | झेडई03 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 0.43 | 0.43 |
| 11 | झेडएफ04 | सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च | 0.61 | 0.61 |
| 12 | झेडजी04 | अनुसूचित जातीच्या कल्याणावर भांडवली खर्च | 4.02 | 4.02 |
| 13 | झेडएच02 | सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण | 0.03 | 0.03 |

स्त्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या कार्यालयातून प्राप्त झालेली माहिती

परिशिष्ट 3.9 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, चौथ्या तिमाहीत झालेला खर्च 50 ते 100 टक्क्यांदरम्यान होता आणि केवळ मार्च 2023 महिन्यात झालेला खर्च 50.18 ते 100 टक्क्यांच्या दरम्यान होता.

मार्च महिन्यातील खर्चाची टक्केवारी जास्त असलेल्या अनुदान एन-03 अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2215 पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांचा महिना-निहाय खर्च तक्ता 3.6 मध्ये खाली दर्शविला आहे.




(स्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती)

असे निदर्शनास आले की मुख्य शीर्ष 2215 अंतर्गत अनुदान एन-03 अंतर्गत ₹ 739.47 कोटींच्या एकूण खर्चापैकी 98.96 टक्के (₹ 731.82 कोटी) खर्च मार्च 2023 मध्ये झाला.

जमा व खर्चाचा ओघ

2022-23 मध्ये राज्याच्या तिजोरीत जमेचा मासिक ओघ आणि संवितरण आलेख 3.7 मध्ये दर्शविले आहे.



(स्रोत: मासिक नागरी लेखे)

आलेख 3.7 वरून असे दिसून येते की मे, जून, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व जानेवारी या महिन्यात खर्चाच्या तुलनेत जमा अधिक होत्या. तथापि, वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांच्या तुलनेत मार्च 2023 मध्ये जमा आणि खर्च या दोन्हीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. तसेच, 2022-23 मधील खर्चाच्या स्वरूपाची छाननी केली असता असे उघड झाले की, राज्य शासनाने केवळ मार्च 2023 मध्ये ₹ 1,41,805 कोटींचा केलेला खर्च हा एकूण खर्च ₹ 5,34,074 कोटींच्या 26.55 टक्के होता.

आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात होणारा प्रचंड खर्च विवेकी आर्थिक व्यवस्थापनाशी विसंगत आहे आणि कमकुवत अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली आणि अर्थसंकल्पीय नियंत्रण/व्यवस्थापनाचा अभाव दर्शवितो.

3.5.3 निवडक अनुदानांचे पुनर्विलोकन

दोन निवडक अनुदानांच्या संदर्भात म्हणजेच अनुदान एच-6 सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती यावरील खर्च आणि अनुदान क्यू-3 गृहनिर्माण यांची अर्थसंकल्पीय कार्यपद्धती व खर्चावरील नियंत्रणाचे पुनर्विलोकन करण्यात आले ज्यामध्ये मूळ अनुदान, पुरवणी मागण्या आणि प्रत्यक्ष खर्च यामधील तफावतीच्या परिमाणाचे विश्लेषण करण्यात आले.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेत अशी तरतूद आहे की अनुदान प्रशासित करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांवर त्यांच्या नियंत्रणाखालील खर्चाच्या प्रगतीवर निरीक्षण ठेवण्याची तसेच खर्च मंजूर अनुदान किंवा विनियोजनांतर्गत राखण्याची जबाबदारी असते. अंदाजपत्रक वेळेवर आणि अचूकपणे तयार करणे तसेच त्यांच्या ताब्यात असलेले अनुदान त्याच बाबींवर खर्च केले ज्यासाठी त्यांची तरतूद केली होती हे सुनिश्चित करणे आणि आवश्यकता नसल्यास बचत प्रत्यार्पित करणे ह्या बाबी प्राधिकाऱ्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये अंतर्भूत असतात.

प्राधिकारी ह्या सूचनांचे कितपत पालन करित आहेत हे तपासण्याच्या दृष्टीने लेखापरीक्षेने 2019-20 ते 2022-23 ह्या कालावधीसाठी प्रशासकीय विभागाच्या खालील अनुदानांच्या अभिलेखांची चाचणी- तपासणी केली.

3.5.3.1 अनुदान एच-6 सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारतीवरील खर्च

(i) प्रस्तावना

या अनुदानांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारत, सामान्य शिक्षण, तंत्रशिक्षण, कला व संस्कृती, वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य, नगरविकास, कामगार व रोजगार, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय यासाठी महसुली खर्चाची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये (2059) सार्वजनिक बांधकाम, (2202) सामान्य शिक्षण, (2203) तंत्रशिक्षण, (2205) कला व संस्कृती, (2210) वैद्यकीय व सार्वजनिक आरोग्य, (2217) नगरविकास, (2230) कामगार व रोजगार, (2403) पशुसंवर्धन व (2405) मत्स्यव्यवसाय ह्या नऊ मुख्य शीर्षांचा समावेश आहे.

(ii) अर्थसंकल्प आणि खर्च

वर्ष 2020-21 ते 2022-23 या वर्षासाठी अनुदानांतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदी, प्रत्यक्ष संवितरण आणि बचतीची एकूण स्थिती तक्ता 3.14 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 3.14: अनुदान क्रमांक एच-06 अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदी व प्रत्यक्ष खर्चाचा तपशील

(₹ कोटीत)

| वर्ष | मूळ तरतूद | पुरवणी तरतूद | एकूण अनुदान/ विनियोजन | प्रत्यक्ष खर्च | बचत | बचतीची टक्केवारी |
|--|-----------|--------------|--------------------------|----------------|---------|---------------------|
| एच-06 सार्वजनिक बांधकाम आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारतीवरील खर्च | | | | | | |
| 2020-21 | 3059.20 | 100.00 | 3159.20 | 2052.84 | 1106.37 | 35.02 |
| 2021-22 | 3190.92 | 263.18 | 3454.10 | 2587.23 | 866.86 | 25.09 |
| 2022-23 | 3353.58 | 351.61 | 3705.20 | 3031.42 | 673.78 | 18.18 |
| स्रोत : संबंधित वर्षाचे विनियोजन लेखे | | | | | | |

तक्ता 3.14 असे दर्शवितो की 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत बचतीची टक्केवारी 18.18 टक्के ते 35.02 टक्के दरम्यान होती.

(iii) उपशीर्षांतर्गत अनुदानाच्या खर्चाची घाई

मुंबई वित्तीय नियम, 1959 अनुसार आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात खर्चाची घाई करणे टाळावयास हवे. खर्चाचा एकसमान प्रवाह ही योग्य अर्थसंकल्पीय नियंत्रणाची प्राथमिक गरज आहे. अनुदान एच 06 अंतर्गत एका उपशीर्षामध्ये 2022-23 च्या शेवटच्या तिमाहीत खर्चाच्या 41 टक्के ₹ 770.53 कोटी इतका खर्च झाला आणि मार्च 2023 मध्ये दोन उपशीर्षामध्ये खर्चाच्या 25 टक्क्यांहून अधिक ₹ 517.98 कोटी इतका खर्च झाला जे तक्ता 3.15 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 3.15: अनुदान एच06 अंतर्गत 2022-23 च्या शेवटच्या महिन्यात खर्चाची घाई

(₹ कोटीत)

| अक्र | उपशीर्ष | तपशील | एकूण खर्च | 2022-23 च्या चौथ्या तिमाहीतील खर्च | 2022-23 च्या चौथ्या तिमाहीतील एकूण खर्चाची टक्केवारी | मार्च 2023 मधील खर्च | मार्च 2023 मधील खर्चाची टक्केवारी |
|------|---------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2059 | सार्वजनिक बांधकाम | 1859.39 | 770.53 | 41.44 | 504.60 | 27.14 |
| 2 | 2217 | आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती | 41.09 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 32.57 |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिकेच्या परिच्छेद 173 नुसार, खर्च करणाऱ्या विभागांना जसे आणि जेव्हा बचत अपेक्षित असेल तेव्हा अनुदान/विनियोजन किंवा त्यातील काही भाग वित्त विभागाला प्रत्यार्पित करणे आवश्यक आहे. तसेच, आर्थिक वर्ष संपण्याची वाट न पाहता हा अंदाज येताच निधी प्रत्यार्पित करावा, जेणेकरून वित्त विभागाला अपेक्षित बचत इतर गरजू योजनांवर कार्यक्षमतेने पुन्हा वापरता येईल.

(iv) संपूर्ण तरतुदीचे प्रत्यार्पण

वर्ष 2022-23 च्या विनियोजन लेख्यांची छाननी केली असता असे निदर्शनास आले की, अनुदान एच-06 अंतर्गत दोन उपशीर्षाखालील ₹ 3.95 कोटींची संपूर्ण तरतूद पुनर्विनियोजनाद्वारे मार्च 2023 मध्ये प्रत्यार्पित करण्यात आली जे तक्ता 3.16 मध्ये तपशीलवार दर्शविले आहे.

तक्ता 3.16: अनुदान क्र. एच-06 अंतर्गत संपूर्ण तरतुदीचे प्रत्यार्पण दर्शविणारे तपशील

(₹ कोटीत)

| अक्र | तपशील | मूळ व पुरवणी अनुदान | पुनर्विनियोजित रक्कम | एकूण अनुदान | प्रत्यक्ष खर्च |
|--|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------|
| एच-06-सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय व कार्यचालन इमारत | | | | | |
| 1 | 2059-सार्वजनिक बांधकाम 001(49)(01) अधीक्षक अभियंता दक्षता पथक मुंबई-पर्यवेक्षण | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2059-सार्वजनिक बांधकाम 052(00) (02) सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यालयाचे संगणकीकरण | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

मार्च 2023 महिन्यातील ₹ 3.95 कोटींच्या संपूर्ण तरतुदीचे प्रत्यार्पण कोणतेही कारण न देता करण्यात आले.

3.5.3.2 अनुदान क्यू-03 - गृहनिर्माण

(i) प्रस्तावना

अनुदान क्यू -03 - गृहनिर्माण: मुख्य शीर्ष 2216-गृहनिर्माण याचा समावेश आहे. या अनुदानांतर्गत गृहनिर्माण मंडळे व महामंडळांना सहाय्याची तरतूद केली आहे.

(ii) अर्थसंकल्प आणि खर्च

वर्ष 2020-21 ते 2022-23 या वर्षांसाठी अनुदानांतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूदी, प्रत्यक्ष संवितरण आणि बचतीची एकूण स्थिती तक्ता 3.17 मध्ये देण्यात आली आहे.

तक्ता 3.17: अनुदान क्यू 03 अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूदी व प्रत्यक्ष खर्चाचा तपशील

(₹ कोटीत)

| वर्ष | मूळ तरतूद | पुरवणी तरतूद | एकूण अनुदान/ विनियोजन | प्रत्यक्ष खर्च | बचत | बचतीची टक्केवारी |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------|---------|---------------------|
| अनुदान क्यू-03 गृहनिर्माण | | | | | | |
| 2020-21 | 4473.17 | 0.55 | 4473.72 | 736.14 | 3737.58 | 83.55 |
| 2021-22 | 4535.16 | 0.67 | 4535.83 | 365.30 | 4170.53 | 91.95 |
| 2022-23 | 9283.10 | 0.00 | 9283.10 | 1699.09 | 7584.02 | 81.70 |
| स्रोत: संबंधित वर्षांचे विनियोजन लेखे | | | | | | |

वरील तक्त्यावरून असे स्पष्ट होते की, 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत अनुदान क्रमांक क्यू-03 मध्ये 81.70 टक्के ते 91.95 टक्के या दरम्यान सातत्याने बचत झाली. अनुदान क्यू-03 अंतर्गत केंद्र शासनाकडून मर्यादित निधी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण कडून अल्प मागणी आणि सुधारित अर्थसंकल्पात वित्त विभागाद्वारे तरतूदीमध्ये कपात करणे ही प्रत्यार्पणाची मुख्य कारणे होती.

(iii) उपशीर्षांतर्गत लक्षणीय बचत

वर्ष 2022-23 मध्ये अनुदान क्र. क्यू-03 अंतर्गत सहा उपशीर्षांमध्ये ₹ 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक बचत दिसून आली, जी एकूण तरतूदीच्या 30 टक्के ते 88.67 टक्क्यांच्या दरम्यान होती जी तक्ता 3.18 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 3.18 : अनुदान क्यू-03 अंतर्गत उपशीर्षनिहाय लक्षणीय बचत

(₹ कोटीत)

| अक्र | संगणक सांकेतांक | तपशील | एकूण अनुदान | प्रत्यक्ष | बचत | बचतीची टक्केवारी |
|---|----------------------|---|----------------|-----------|---------|---------------------|
| क्यू-03 - गृहनिर्माण (दत्तमत) | | | | | | |
| 1 | 2216-103(03) (06) | चंद्रपूरच्या नव्या वसाहतीचा विकास | 65.00 | 31.85 | 33.15 | 51.00 |
| मार्च 2023 मध्ये प्रत्यार्पित केलेली ₹ 33.15 कोटींची तरतूद या योजनेअंतर्गत झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित होती. | | | | | | |
| 2 | 2216-103(08) (01) | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के) | 8105.00 | 917.91 | 7187.09 | 88.67 |
| मार्च 2023 मध्ये ₹ 7,187.09 कोटींची तरतूद प्रत्यार्पित करण्याचा संबंध केंद्र सरकारद्वारे निर्बंधित केंद्रीय हिस्सा मुक्त करण्याशी लावला | | | | | | |

| अक्र | संगणक सांकेतांक | तपशील | एकूण अनुदान | प्रत्यक्ष | बचत | बचतीची टक्केवारी |
|--|----------------------|--|-------------|-----------|--------|------------------|
| 3 | 2216-103(08) (02) | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (राज्याचा हिस्सा 40 टक्के) | 905.50 | 611.28 | 294.22 | 32.49 |
| मार्च 2023 मध्ये ₹ 294.22 कोटींची तरतूद प्रत्यार्पित करण्याचा संबंध वित्त विभागाद्वारे राज्याचा हिस्सा मुक्त करण्याशी लावला. | | | | | | |
| 4 | 2216-103 (01)(04) | गृहनिर्माण योजना (पायाभूत सुविधा) | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 |
| मार्च 2023 मध्ये ₹ 40.00 कोटींची तरतूद प्रत्यार्पित करण्याचा संबंध महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाद्वारे कमी मागणीशी लावला. | | | | | | |
| 5 | 2216-800 (00)(02) | मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता शासकीय अंशदान म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला प्रदाने | 38.00 | 26.60 | 11.40 | 30.00 |
| मार्च 2023 मध्ये ₹ 11.40 कोटींची तरतूद प्रत्यार्पित करण्याचा संबंध सुधारित अंदाजपत्रकात वित्त विभागाने तरतूद कमी केल्याशी लावला. | | | | | | |
| 6 | 2216-800 (00)(05) | मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीला जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला उपकर वसुलीची प्रदाने | 38.00 | 26.60 | 11.40 | 30.00 |
| मार्च 2023 मध्ये ₹ 11.40 कोटींची तरतूद प्रत्यार्पित करण्याचा संबंध सुधारित अंदाजपत्रकात वित्त विभागाने तरतूद कमी केल्याशी लावला | | | | | | |
| स्त्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23 | | | | | | |

(iv) उपशीर्षांतर्गत सातत्याने बचत

(ए) चंद्रपूरच्या नवीन वसाहतीचा विकास

गृहनिर्माण विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात 1391.71 हेक्टर क्षेत्रावर चंद्रपूर वसाहत वसविण्याचा निर्णय (1998) घेतला. चंद्रपूर-बेल्लारपूर क्षेत्राच्या मंजूर प्रादेशिक आराखड्यात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नवीन चंद्रपूरच्या अधिसूचित क्षेत्रात विकासकामे करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली होती. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे प्रादेशिक घटक असलेल्या नागपूर गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळामार्फत विकास कामांची योजना राबविण्यात येत होती. नगरविकास विभागाने 30 जून 1998 च्या अधिसूचनेद्वारे सदर योजनेचा विकास आराखडा मंजूर केला. या योजनेत नवीन चंद्रपूर शहरातील वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, मुख्य रस्त्यांची कामे, भूसंपादनाची कामे, पूल उभारणी आदी कामांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र शासनाने 7 एप्रिल 2008 च्या शासन निर्णयाद्वारे ठरवले की नवीन चंद्रपूर शहराच्या विकासकामांसाठी लागणारा निधी प्रथम महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने खर्च करावा व त्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा. वर्ष 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीत अर्थसंकल्पातील तरतूद व झालेला खर्च तक्ता 3.19 मध्ये तपशीलवार दिला आहे.

तक्ता 3.19 : 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीतील अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि खर्च

(₹ कोटीत)

| वर्ष | तपशील | अर्थसंकल्पीय तरतूद | प्रत्यक्ष खर्च | बचत | बचतीची टक्केवारी |
|--|--|--------------------|----------------|---------------|------------------|
| 2019-20 | 2216 गृहनिर्माण | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 40 |
| 2020-21 | 103 गृहनिर्माण मंडळ, महामंडळ इत्यादींना सहाय्य | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100 |
| 2021-22 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100 |
| 2022-23 | 103(03)(6) चंद्रपूरच्या नवीन वसाहतीचा विकास | 65.00 | 31.85 | 33.15 | 51 |
| एकूण | | 265.00 | 61.85 | 203.15 | |
| स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे विनियोजन लेखे | | | | | |

वर्ष 2020-21 दरम्यान नियोजन विभागाने प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्याने आणि 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने सादर केलेल्या योजनेअंतर्गत झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या प्रस्तावांमध्ये राज्य शासनाने घेतलेल्या हरकतीची विहित मुदतीत सुधारणा न केल्याने संपूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रत्यार्पित/पुनर्विनियोजित करण्यात आली.

या योजनेसाठी सातत्याने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, वर्ष 2020-21 व 2021-22 साठी संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली असून 2022-23 या वर्षासाठी ₹65.00 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी केवळ ₹31.85 कोटी खर्च करण्यात आले. यावरून खर्चावरील सुमार संनियंत्रण आणि कमकुवत आर्थिक नियंत्रणे दिसून आली.

2019-20 ते 2022-23 या कालावधीसाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद ₹ 265.00 कोटी होती, त्यापैकी केवळ ₹ 61.85 कोटी खर्च करण्यात आले आणि ₹ 203.15 कोटीची (76 टक्के) शिल्लक तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. हे प्रकरण सचिव, गृहनिर्माण यांच्याकडे पाठविण्यात (ऑगस्ट 2023) आले. उत्तर प्रतिक्षेत आहे.

(बी) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

भारत सरकारने जून 2015 मध्ये वर्ष 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या योजनेची मुदत 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली. सध्या राज्यातील 397 शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीचे स्वरूप केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के आणि राज्याचा हिस्सा 40 टक्के असे आहे. सादर योजनेसाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांना अनुक्रमे संचालन अभिकरण आणि अभियान संचालनालय म्हणून अधिकृत करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि वेळोवेळी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, योजनेच्या लाभार्थ्यांना ₹ 1.5 लाख केंद्राचे सहाय्य आणि ₹ 1.00 लाख राज्याचा हिस्सा प्रति घर उपलब्ध करून दिला जाईल. गृहनिर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय स्त्रोत असलेल्या महाराष्ट्र निवारा निधीतून ₹ 1.00 लाख (प्रतिघर प्रति लाभार्थी) राज्याचा हिस्सा देण्यास मान्यता (फेब्रुवारी 2018) दिली.

2019-20 ते 2022-23 या कालावधीतील योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद, प्रत्यक्ष खर्च आणि बचत तक्ता 3.20 मध्ये तपशीलवार दिले आहे.

तक्ता 3.20 : 2019-20 ते 2022-23 या कालावधीतील अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च

(₹ कोटीत)

| वर्ष | घोषित योजना | अर्थसंकल्पीय तरतूद | प्रत्यक्ष खर्च | बचत | बचतीची टक्केवारी |
|---------|--|--------------------|----------------|---------|------------------|
| 2019-20 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (केंद्राचा हिस्सा 60%) | 6189.42 | 0.00 | 6189.42 | 100.00 |
| 2019-20 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (राज्याचा हिस्सा 40%) | 705.59 | 0.00 | 705.59 | 100.00 |
| 2020-21 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (केंद्राचा हिस्सा 60%) | 3500.00 | 663.45 | 2836.55 | 81.04 |
| 2020-21 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (राज्याचा हिस्सा 40%) | 699.50 | 0.00 | 699.50 | 100.00 |
| 2021-22 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (केंद्राचा हिस्सा 60%) | 3500.00 | 256.95 | 3243.05 | 92.66 |
| 2021-22 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (राज्याचा हिस्सा 40%) | 750.49 | 0.00 | 750.49 | 100.00 |
| 2022-23 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (केंद्राचा हिस्सा 60%) | 8105.00 | 917.91 | 7187.09 | 88.67 |
| 2022-23 | सर्वासाठी गृहनिर्माण- अंमलबजावणी अभिकरणांना अनुदाने (प्रधानमंत्री आवास योजना) (राज्याचा हिस्सा 40%) | 905.50 | 611.28 | 294.22 | 32.49 |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

या योजनेअंतर्गत केंद्राचा हिस्सा मुक्त न झाल्याने 2019-20 दरम्यान राज्याच्या हिश्याची संपूर्ण रक्कम प्रत्यार्पित करण्यात आली. 2020-21 दरम्यान विभागाने ₹ 699.50 कोटींची संपूर्ण तरतूद केंद्राचा हिस्सा मुक्त न झाल्याचे कारण देत प्रत्यार्पित केली होती. तथापि, केंद्र सरकारने 2020-21 मध्ये ₹ 633.45 कोटींचे अनुदान मुक्त केल्याचे दिसून आले. म्हणून, राज्याच्या हिश्याची संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्याचे विभागाने दिलेले कारण विरोधाभासी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार (फेब्रुवारी 2018) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असलेल्या 'महाराष्ट्र निवारा निधी' या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधनातून 2021-22 दरम्यान या योजनेचा खर्च करण्यात आला. 'महाराष्ट्र निवारा निधी' चा निधी आणि कार्यप्रणाली, या अहवालाच्या परिच्छेद 2.5.2.7.1 मध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अवास्तव प्रस्तावांवर आधारित अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे अत्याधिक बचत होते आणि इतर विभाग निधीपासून वंचित राहतात.

3.6 निष्कर्ष

- एकूण तरतुदीपैकी 18.19 टक्के निधी वापराविना राहिल्याने राज्य शासनाने राबविलेली अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया अधिक वास्तववादी असणे गरजेचे आहे. वर्षभरात झालेला एकूण खर्च मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा सहा टक्के कमी होता आणि पुरवणी अर्थसंकल्प मूळ अंदाजपत्रकाच्या 15 टक्के होता.
- महसूल व भांडवली विभागात चुकीचे वर्गीकरण झाल्याची प्रकरणे समोर आली.
- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 205 नुसार नियमित करणे आवश्यक असलेल्या ₹ 71.66 कोटींच्या सहा दत्तमत अनुदानांमध्ये अतिरिक्त खर्च आणि दोन भारतीय विनियोजनांमध्ये अतिरिक्त खर्च झाला. तसेच, वर्ष 2017-18 ते 2021-22 या वर्षासाठी 42 अनुदाने व 15 विनियोजनांचा ₹ 2,918.52 कोटींचा अतिरिक्त खर्च मार्च 2023 पर्यंत नियमितीकरणासाठी प्रलंबित होता.
- पुरवणी अनुदाने/विनियोजने तसेच पुनर्विनियोजन पुरेशा कारणाशिवाय प्राप्त करण्यात आली कारण मोठ्या रकमेचा वापर झाला नाही.

3.7 शिफारशी

- (i) राज्य शासनाने विभागांच्या गरजा आणि वाटप केलेल्या संसाधनांचा वापर करण्याची त्यांची क्षमता लक्षात घेऊन विश्वासार्ह गृहितकांवर आधारित वास्तववादी अर्थसंकल्प तयार करावे.
- (ii) बचतीला आळा घालणे, अनुदान/विनियोजनातील मोठ्या बचती आटोक्यात ठेवणे आणि अपेक्षित बचत निश्चित मुदतीत/वेळीच ओळखून ती प्रत्यार्पित करणे सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पाची योग्य अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण करण्यासाठी शासनाने एक योग्य नियंत्रण यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे.
- (iii) अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अतिरिक्त खर्चाच्या प्रलंबित नियमितीकरणाच्या सर्व प्रकरणांना प्राधान्य देण्यात यावे.

प्रकरण : IV

लेख्यांची गुणवत्ता आणि वित्तीय प्रतिवेदन पद्धती

प्रकरण : IV

लेख्यांची गुणवत्ता आणि वित्तीय प्रतिवेदन पद्धती

एक मजबूत अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली आणि संबंधित नियम आणि कार्यपद्धतींचे पालन हे सुशासनासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देते. आर्थिक नियम, कार्यपद्धती आणि निर्देशांचे पालन तसेच अशा अनुपालनाच्या स्थितीबद्दल प्रतिवेदन करण्याची कालबद्धता आणि गुणवत्ता हे अशाप्रकारे सुशासनाचे एक वैशिष्ट्य आहे. अनुपालन आणि नियंत्रणांवरील अहवाल, प्रभावी आणि कार्यान्वित असल्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि निर्णय घेण्यासह मूलभूत जबाबदारीची पूर्तता करण्यास शासनाला मदत करेल. या प्रकरणात राज्य शासनाच्या विविध प्राधिकार्यांनी सादर केलेल्या लेख्यांची गुणवत्ता आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागीय अधिकाऱ्यांकडून विहित आर्थिक नियम व विनियमांचे पालन न केल्याच्या बाबींवर भाष्य करण्यात आले आहे.

लेख्यांच्या परिपूर्णतेची संबंधित बाबी.

4.1 व्याज देणाऱ्या ठेवी/राखीव निधीवरील व्याजाच्या संदर्भात दायित्व न फेडणे/चुकते करणे

‘व्याज देणाऱ्या (व्याजी) ठेवी’ आणि ‘व्याज देणाऱ्या (व्याजी) राखीव निधी’ मधील रकमेवर व्याजाची तरतूद करणे आणि व्याज देणे हे शासनाचे दायित्व आहे.

31 मार्च 2023 रोजी ‘व्याज देणाऱ्या ठेवी’ व ‘व्याज देणाऱ्या राखीव निधी’ यामध्ये अनुक्रमे ₹ 59,858.87 कोटी आणि ₹ 4,798.95 कोटी शिल्लक होते, त्यावर शासनाने ₹ 3,876 कोटी आणि ₹ 14.04 कोटी व्याजाची तरतूद केली. ‘व्याज देणाऱ्या ठेवी’ आणि ‘व्याज देणारे राखीव निधी’ यांच्या व्याजाच्या संदर्भात, ₹ 232.61 कोटी प्रदान न करणे/कमी प्रदान केले होते, जे तक्ता 4.1 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 4.1: व्याज देणाऱ्या ठेवी/राखीव निधीच्या व्याजासंदर्भात दायित्व चुकते न करणे

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | निधी / ठेव | 01/04/2022 रोजी सुरुवातीची शिल्लक | प्रदान केलेल्या व्याजाच्या परिगणनेचा आधार | देय व्याज | व्याज प्रदान | प्रदान न केलेले व्याज |
|-------------|--|-----------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|
| 1 | मुख्य शीर्ष 8121 129 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधी | 3230.44 | पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक 4- 58/2019-एनएपीटी.2 दिनांक 10 ऑक्टोबर 2022 नुसार 2022-23 साठी 3.35 टक्के | 108.22 | | 108.22 |
| 2 | मुख्य शीर्ष 8121 122 राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी | 1074.00 | राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सरासरी रेपो दर + दोन टक्के म्हणजेच 7.49 टक्के यानुसार व्याजाची परिगणना केली. | 80.44 | | 80.44 |
| 3 | मुख्य शीर्ष 8121 आणि मुख्य शीर्ष 8115 अंतर्गत राखीव निधी | 494.51 | 2022-23 या वर्षासाठी सरासरी अर्थापाय व्याज दर 5.49 टक्के गृहीत धरून व्याजाची परिगणना केली. | 27.15 | 14.04 | 13.11 |
| | मुख्य शीर्ष 8336 नागरी ठेवी | 19.67 | | 1.08 | | 1.08 |
| | मुख्य शीर्ष 8338 स्थानिक निधीच्या ठेवी | 89.04 | | 4.89 | | 4.89 |
| | मुख्य शीर्ष 8342 इतर ठेवी | 452.97 | | 24.87 | | 24.87 |
| एकूण | | 5415.75 | | 246.65 | 14.04 | 232.61 |

स्त्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

व्याजाचे प्रदान न केल्याच्या परिणामी महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट यामध्ये त्या प्रमाणात उनोक्ती (अंडरस्टेटमेंट) झाली.

4.2 निधी थेट राज्य अंमलबजावणी अभिकरणांना हस्तांतरित

भारत सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य अंमलबजावणी अभिकरणांना थेट भरीव निधी हस्तांतरित करते. हा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्प/राज्य कोषागार प्रणालीद्वारे पाठविला जात नसल्याने राज्याच्या वित्तीय लेख्यामध्ये प्रतिबिंबित होत नाही आणि त्याप्रमाणात त्यामधून राज्याच्या जमा व खर्च तसेच इतर राजकोषीय घटक/मापदंड यांचे अनुमान काढता येत नाही.

1 एप्रिल 2014 पासून केंद्र पुरस्कृत योजना/अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य यांच्याशी संबंधित सर्व सहाय्य अंमलबजावणी अभिकरणांना न देता थेट राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.

2022-23 दरम्यान ₹ 13,075.13 कोटींचा केंद्रीय निधी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पाठविण्याऐवजी थेट राज्य अंमलबजावणी यंत्रणांकडे वर्ग करण्यात आला. हे संबंधित योजनांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होते.

हा वर्ग केलेला निधी वित्तीय लेख्यांच्या भाग II च्या परिशिष्ट VI मध्ये दर्शविला आहे. 2018-19 ते 2021-22 दरम्यान राज्य अंमलबजावणी अभिकरणांकडे हस्तांतरण करण्याचा कल वाढला होता परंतु 2022-23 मध्ये त्यात किंचित घट झाली जे तक्ता 4.2 मध्ये तपशीलवार दिले आहे.

तक्ता 4.2: 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान अंमलबजावणी अभिकरणांना थेट हस्तांतरित निधी

(₹ कोटीत)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| राज्य अंमलबजावणी अभिकरणांना थेट हस्तांतरण | 3004.46 | 7851.42 | 12599.90 | 14793.46 | 13075.13 |
| स्त्रोत : संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे | | | | | |

वर्ष 2022-23 दरम्यान 36 केंद्रीय योजनेतर्गत ₹ 13,075.13 कोटींची केंद्रीय हिस्सा राज्याच्या एकत्रित निधीला डावलून थेट अंमलबजावणी अभिकरणांना हस्तांतरित करण्यात आला जे परिशिष्ट 4.1 मध्ये तपशीलवार दिले आहे.

पारदर्शकतेशी संबंधित मुद्दे.

4.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यास विलंब

मुंबई वित्तीय नियम, 1959 मध्ये अशी तरतूद आहे की विशिष्ट कारणांसाठी वर्षभरात प्राप्त झालेल्या अनुदानासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांनी अनुदान वितरित केलेल्या संस्थांकडून उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावी आणि पडताळणीनंतर उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधित लेखा कार्यालयांना म्हणजेच महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई, प्रधान महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-II, महाराष्ट्र, नागपूर व अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांना मंजुरीच्या तारखेपासून, जर विनिर्दिष्ट केले नसेल, तर 12 महिन्यांच्या आत सादर करावे.

31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाच्या 29 विभागांना वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या संदर्भात नियत ₹ 25,759.38 कोटींची 9280 उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली नव्हती. तथापि, प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांमध्ये घट होऊन ती 2021-22 मधील ₹ 37,931.83 कोटींच्या 15057 उपयोगिता प्रमाणपत्रांवरून 2022-23 मध्ये ₹ 25,759.38 कोटींची 9280 उपयोगिता प्रमाणपत्रे अशी झाली. 31 मार्च 2023 रोजीची ₹ 25,759.38 कोटींची प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रे ही राज्याचा एकूण खर्चाच्या (₹ 4,73,922.42 कोटी) 5.43 टक्के इतकी होती. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यास झालेल्या विलंबाची स्थिती आणि वर्ष-निहाय तपशील अनुक्रमे तक्ता 4.3 आणि 4.4 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 4.3 : वर्ष-निहाय उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यातील प्रलंबितता

(₹ कोटीत)

| वर्ष* | प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या | रक्कम |
|----------------|---|-----------------|
| 2021-22 पर्यंत | 5514 | 17131.44 |
| 2022-23 | 3766 | 8627.94 |
| एकूण | 9280 | 25759.38 |

*नमूद केलेले वर्ष 'नियत वर्ष' याच्याशी संबंधित आहे, म्हणजेच रकमा आहरीत केल्यानंतर 12 महिने (2021- 22 आणि 2022-23 दरम्यान काढलेली देयके) ₹ 1,05,581.56 कोटी आणि प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्रे ₹ 96,953.62 कोटींची भर पडली आहे
 स्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय यांनी संकलित केलेली माहिती


तक्ता 4.4: सादर करण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचे वर्ष-निहाय विभाजन

(₹ कोटीत)

| वर्ष | उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या | रक्कम | टक्केवारी |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| 2014 पर्यंत ¹ | 729 | 6432.56 | 24.97 |
| 2014-15 | 34 | 306.23 | 1.19 |
| 2015-16 | 16 | 262.80 | 1.02 |
| 2016-17 | 132 | 271.56 | 1.05 |
| 2017-18 | 291 | 396.28 | 1.54 |
| 2018-19 | 670 | 1157.05 | 4.49 |
| 2019-20 | 972 | 2126.68 | 8.26 |
| 2020-21 | 1230 | 2212.69 | 8.59 |
| 2021-22 | 1440 | 3965.59 | 15.39 |
| 2022-23 | 3766 | 8627.94 | 33.49 |
| एकूण | 9280 | 25759.38 | 100 |

स्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय यांनी संकलित केलेली माहिती

वरील प्रकरणांतील उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न झाल्याने देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या पूर्ण वापराची पडताळणी होऊ शकली नाही. उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित असूनही संस्थांना अनुदाने मंजूर केली गेली हे अनुदान मंजूर करण्यातील नियंत्रणाचा अभाव दर्शविते. म्हणून, शासनाने पुढील अनुदान वितरित करण्यापूर्वी वर्षभराहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या अशा सर्व उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक वर्षासाठी स्वतंत्रपणे प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा विभाग-निहाय तपशील परिशिष्ट 4.2 मध्ये तपशीलवार दर्शविला आहे.



(स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

¹ यामध्ये 2001-02 कालावधीतील 0.13 कोटींच्या सादरीकरणासाठी प्रलंबित असलेल्या एका उपयोगिता प्रमाणपत्राचा समावेश आहे

आलेख 4.1 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर न केल्याची बहुसंख्य प्रकरणे नगरविकास विभाग (35.93 टक्के), नियोजन विभाग (16.25 टक्के) आणि ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभाग (11.52 टक्के) यांच्याशी संबंधित आहेत. उपयोगिता प्रमाणपत्रांच्या अभावी वितरित केलेले पैसे ज्या हेतूने देण्यात आले होते, ते त्याच कामासाठी वापरण्यात आले आहेत, याचीही शाश्वती नाही.

4.3.1 अनुदानप्राप्त संस्थांची 'इतर' म्हणून नोंद

सहाय्यक अनुदान म्हणजे एक शासकीय संस्था/संस्था/व्यक्तीने दुसऱ्या शासकीय संस्था/संस्था/व्यक्तीला केलेली मदत, देणग्या किंवा अंशदान या स्वरूपातील प्रदाने.

वित्तीय लेख्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत (2018-19 ते 2022-23) राज्याच्या एकूण खर्चापैकी 38 ते 40 टक्के खर्च हे सहाय्यक अनुदान आहे. तसेच असे निदर्शनास आले की गेल्या पाच वर्षांत 50 टक्क्यांहून अधिक सहाय्यक अनुदान विविध संस्थांना वितरित करण्यात आले ज्यांना 'इतर' असे वर्गीकृत करण्यात आले जे **तक्ता 4.5** मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 4.5 : 2018-19 ते 2022-23 या दरम्यान 'इतर' यांना वितरित करण्यात आलेल्या सहाय्यक अनुदानाचा तपशील

(₹ कोटीत)

| वर्ष | एकूण खर्च | एकूण वितरित करण्यात आलेले सहाय्यक अनुदान | एकूण खर्चाच्या टक्केवारीत सहाय्यक अनुदान | 'इतर' यांना वितरित सहाय्यक अनुदान | वितरित करण्यात आलेल्या एकूण सहाय्यक अनुदानाच्या टक्केवारीत 'इतर' यांना वितरित करण्यात आलेले सहाय्यक अनुदान |
|---------|-----------|--|--|-----------------------------------|--|
| 2018-19 | 303615.89 | 121017.33 | 39.86 | 72307.70 | 59.75 |
| 2019-20 | 338690.64 | 132235.02 | 39.04 | 77776.05 | 58.82 |
| 2020-21 | 342638.31 | 131439.43 | 38.36 | 68577.83 | 52.17 |
| 2021-22 | 398792.31 | 152336.85 | 38.20 | 84464.31 | 55.45 |
| 2022-23 | 473922.42 | 183125.48 | 38.64 | 97268.28 | 53.12 |

स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे

वित्तीय लेखे 2022-23 नुसार, सहाय्यक अनुदान (₹ 1,83,125.48 कोटी) हे राज्याच्या एकूण खर्चाच्या 38.64 टक्के (₹ 4,73,922.42 कोटी) इतके होते. एकूण ₹ 1,83,125.48 कोटीच्या सहाय्यक अनुदानापैकी ₹ 97,268.28 कोटी (53.12 टक्के) रक्कम ही 'इतर' म्हणून वर्गीकृत केलेल्या अनुदानित संस्थांना वितरित करण्यात आली. अनुदानित संस्थांच्या तपशीला अभावी लेख्यांच्या पारदर्शकतेवर आणि या सहाय्यक अनुदानाच्या बदल्यात उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्याच्या संनियंत्रणावर विपरीत परिणाम होतो.

राज्य शासनाने अशा संस्थांना उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यावर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रत्येक संस्थेकडील थकित रकमेच्या पडताळणीसाठी सांकेतांक नेमून देण्याचे कार्यतंत्र निर्माण करणे आवश्यक आहे.

4.4 संक्षिप्त आकस्मिक देयके

महाराष्ट्र कोषागार नियमावलीच्या नियम 282 (2) नुसार, कोषागारातून तात्काळ वाटपाची गरज असल्याशिवाय निधी काढता येत नाही. महाराष्ट्र कोषागार नियम 1968, सोबतच महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग विनियमन (फेब्रुवारी 2008) नुसार, आहरण आणि संवितरण अधिकाऱ्यांनी अंतिम खर्चाच्या समर्थनार्थ प्रमाणक असलेली प्रतिस्वाक्षरीत तपशीलवार आकस्मिक देयके ही संक्षिप्त आकस्मिक देयके काढल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत, वित्त विभागाच्या संमतीने प्रशासकीय विभागाने परवानगी दिल्याखेरीज, अशी आगाऊ रक्कम काढल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

वर्ष 2022-23 मध्ये काढलेल्या ₹ 525.37 कोटींच्या 1698 संक्षिप्त आकस्मिक देयकांपैकी मार्च 2023 मध्ये ₹ 438.55 कोटींची (83 टक्के) 363 संक्षिप्त आकस्मिक देयके काढण्यात आली. 31 मार्च 2023 पर्यंत ₹ 4,185.96 कोटींच्या एकूण 1837 संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या संदर्भात प्रतिस्वाक्षरीत तपशीलवार आकस्मिक देयके

प्राप्त झाली नव्हती. मार्चमध्ये संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या माध्यमातून काढलेल्या लक्षणीय रकमा हे दर्शविते की काढलेल्या रकमा ह्या प्रामुख्याने अर्थसंकल्पातील तरतुदी संपवण्यासाठी होत्या आणि अपुरे अर्थसंकल्पीय नियंत्रण दर्शविते. विभाग-निहाय तपशीलवार आकस्मिक देयकांची प्रलंबितता **परिशिष्ट 4.3** मध्ये दर्शविण्यात आली आहे. प्रलंबित तपशीलवार आकस्मिक देयकांचा वर्ष-निहाय तपशील **तक्ता 4.6** मध्ये दर्शविला आहे.


तक्ता 4.6 : प्रलंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या बदल्यात प्रलंबित प्रतिस्वाक्षरीत तपशीलवार आकस्मिक देयकांची वर्ष-निहाय प्रगती

(₹ कोटीत)

| वर्ष | काढलेली संक्षिप्त आकस्मिक देयके | | प्राप्त झालेली तपशीलवार आकस्मिक देयके | | 31 मार्च 2023 पर्यंत प्रलंबित तपशीलवार आकस्मिक देयके | |
|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------|
| | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम |
| 2020-21 पर्यंत | 1295 | 3147.85 | 334 | 416.94 | 961 | 2730.91 |
| 2021-22 | 606 | 1168.65 | 317 | 188.76 | 289 | 979.89 |
| 2022-23 | 1698 | 525.37 | 1111 | 50.21 | 587 | 475.16 |
| एकूण | 3599 | 4841.87 | 1762 | 655.91 | 1837 | 4185.96 |

स्त्रोत : प्रधान महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय यांनी संकलित केलेली माहिती

पाच प्रमुख विभागांच्या संदर्भात प्रलंबित प्रतिस्वाक्षरीत तपशीलवार आकस्मिक देयकांची स्थिती **आलेख 4.2** मध्ये दर्शविण्यात आली आहे.



(स्त्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23)

आलेख 4.2 नुसार प्रलंबित आकस्मिक तपशीलवार देयकांपैकी 55.01 टक्के रक्कम वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाशी (₹ 2,302.55 कोटी) आणि 30.56 टक्के सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी (₹ 1,279.06 कोटी) संबंधित आहे.

तीन विभाग (म्हणजेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नियोजन विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग) यांनी संक्षिप्त आकस्मिक देयकांचा वापर करून औषधे, वैद्यकीय उपकरणे इत्यादींची, हाफकिन जैव - औषध निर्माण महामंडळ मर्यादितच्या² माध्यमातून, नियमित खरेदीसाठी संपूर्ण वर्षभरात रकमा काढल्या. समायोजनासाठी

² सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शासकीय विभाग, स्थानिक संस्था इत्यादींना आवश्यक असलेली औषधे, वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी हाफकिन जैव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित मध्ये स्थापन केलेल्या खरेदी कक्षाद्वारे खरेदी करण्याचे आदेश जारी (जुलै 2017) केले. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभाग यांना आर्थिक अधिकार देण्यात (मार्च 2018) आले. या विभागांचे संचालक आणि प्रादेशिक प्रमुख हाफकिन जैव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादितच्या खरेदी कक्षाकडे आगाऊ म्हणून आकस्मिक देयकांवर निधी आहरीत करतील

प्रलंबित असलेल्या एकूण ₹ 3,671.23 कोटींच्या 952 प्रलंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या 87.70 टक्क्यांहून अधिक खरेदीसंदर्भातील संक्षिप्त आकस्मिक देयके वर्षअखेरीस असमायोजित राहिली.

संक्षिप्त आकस्मिक देयकांच्या माध्यमातून काढलेला निधी हा राज्याच्या एकत्रित निधीतील कार्यात्मक मुख्य शीर्षच्या समोर लेखांकीत केला जातो. जोपर्यंत प्रतिस्वाक्षरीत आकस्मिक देयकांच्या माध्यमातून दिलेल्या वेळेच्या मर्यादेत हिशोब निकाली निघत नाहीत, तोपर्यंत हा खर्च योग्य किंवा अंतिम म्हणता येणार नाही. तपशीलवार आकस्मिक देयके सादर न करणे हे विभाग तसेच कोषागारे यांच्या संनियंत्रणातील कमतरता दर्शविते.

4.5 वैयक्तिक ठेव खाती

वैयक्तिक ठेव खाती, ज्याला स्वीय प्रपंजी लेखे असे देखील म्हणतात, ह्या कोषागारात ठेवलेल्या बँकिंग खात्याच्या स्वरूपात असतात. महाराष्ट्र कोषागार नियम, 1968 चे नियम 494 व मुंबई वित्तीय नियम, 1959 चे नियम 12 अन्वये राज्याच्या महालेखाकारांशी सल्लामसलत करून शासनाच्या मान्यतेच्या आधारे कोषागार अधिकाऱ्यांकडे विशिष्ट कारणांसाठी वैयक्तिक ठेव खाते/स्वीय प्रपंजी लेखे उघडता येतात.

तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियमाच्या नियम 495 नुसार एकत्रित निधीमधून निधी हस्तांतरित करून विशिष्ट कारणांसाठी वैयक्तिक ठेव खात्यात आवश्यक निधी ठेवण्याकरिता महाराष्ट्र शासनला प्राधिकृत केले आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय असलेली वैयक्तिक ठेव खाती बंद करण्यात यावीत आणि अशा खात्यांमध्ये जमा असलेली शिल्लक रक्कम एकतर वैयक्तिक ठेव खातेधारकाला द्यावी किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करावी. ज्या प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक ठेव खाती एकत्रित निधीत खर्ची (डेबिट) पडतात, अशा प्रकरणांमध्ये एकत्रित निधीतील संबंधित सेवा शीर्षाला शिल्लक रक्कम उणे खर्ची (मायनस डेबिट) करून आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ती बंद करावी.

वैयक्तिक ठेव खाती ही वर्ष 2021-22 मधील 1652 वरून 2022-23 मध्ये 1482 अशी कमी झाली. 31 मार्च 2023 रोजी वैयक्तिक खात्यांमध्ये ₹ 11,254.38 कोटी शिल्लक होती जी राज्याच्या एकूण खर्चाच्या (₹ 4,73,922.42 कोटी) 2.37 टक्के इतकी होती. 2022-23 दरम्यान ₹ 26,263 कोटी रकमेची 176 वैयक्तिक ठेव खाती बंद झाली.

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीतील वैयक्तिक ठेव खात्यांची स्थिती तक्ता 4.7 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 4.7: 2022-23 दरम्यान वैयक्तिक ठेव खात्यांची स्थिती

(₹ कोटीत)

| वर्ष | आरंभीची शिल्लक | | वर्षभरात वाढ | | वर्षभरात बंद | | अखेरची शिल्लक | |
|---------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम | संख्या | रक्कम |
| 2018-19 | 2182 | 12229.30 | 10 | 22108.58 | 57 | 23384.35 | 2135 | 10953.53 |
| 2019-20 | 2135 | 10953.53 | 6 | 24135.37 | 57 | 24770.93 | 2084 | 10317.97 |
| 2020-21 | 2084 | 10317.90 | 0 | 16288.51 | 109 | 15800.66 | 1975 | 10805.82 |
| 2021-22 | 1975 | 10805.82 | 2 | 21065.32 | 325 | 21348.47 | 1652 | 10522.67 |
| 2022-23 | 1652 | 10522.67 | 6 | 26994.71 | 176 | 26263.00 | 1482 | 11254.38 |

स्रोत : संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

वैयक्तिक ठेवींमध्ये निधी ठेवल्याने ना केवळ प्रत्यक्ष खर्च न करताच सेवा शीर्षाखाली नोंदवून फुगवला जातो, शिवाय परिणामी प्रत्यक्ष खर्चावरील कोषागाराचे नियंत्रण सुद्धा कमी होते. 2022-23 मध्ये राज्याच्या एकत्रित निधीतून ₹ 26,994.71 कोटी वैयक्तिक ठेव खात्यात वर्ग करण्यात आले. यामध्ये मार्च 2023 मध्ये हस्तांतरित करण्यात आलेल्या ₹ 2,820.28 कोटीपैकी ₹ 24.80 कोटी मार्च 2023 च्या शेवटच्या कामाच्या दिवशी हस्तांतरित करण्यात आले.

संबंधित वैयक्तिक ठेव खात्यांच्या प्रशासकांबरोबर कोषागाराशी ताळमेळ करण्याच्या आवश्यकतेच्या अनुसार फक्त 46 वैयक्तिक ठेव खात्यांच्या प्रशासकांनी (1482 पैकी) ताळमेळ केला आणि त्यांची शिल्लक प्रमाणित केली.


महाराष्ट्र कोषागार नियम, 1968 असे नमूद करतो की ज्या योजना/प्रकल्पांसाठी लेखे उघडण्यात आले आहेत, त्याचे सविस्तर लेखे प्रशासक ठेवेल. तथापि, जर कोणतेही वैयक्तिक ठेव खाते एक वर्षाच्या कालावधीसाठी चालविले गेले नाही आणि अशा ठेव खात्यांची आवश्यकता संपली आहे असे मानण्याचे कारण असेल तर ते बंद केले जाईल. 31 मार्च 2023 रोजी ₹ 64.14 कोटी शिल्लक असलेल्या 155 चालकांची वैयक्तिक ठेव खाती एक वर्षापेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय होती आणि ₹ 21.23 कोटी असलेले 109 चालकांची वैयक्तिक ठेव खाती तीन वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय पडून होती.

4.6 गौण शीर्ष- 800 याचा अविवेकी वापर

‘इतर जमा/इतर खर्च’ संबंधित सर्वसमावेशक (ओम्नीबस) गौण शीर्ष 800 केवळ अशा प्रकरणांमध्येच वापरावयाचे असते जेव्हा लेख्यांमध्ये योग्य गौण शीर्षाची तरतूद केलेली नसते. गौण शीर्ष 800 अंतर्गत जमा व खर्चाच्या अविवेकी नोंदी केल्याने खात्यांमध्ये अपारदर्शकता येते.

2022-23 दरम्यान राज्य शासनाने ₹ 15,885.03 कोटींच्या खर्चाची 52 महसुली आणि भांडवली मुख्य शीर्षे जे एकूण महसुली व भांडवली खर्चाच्या (₹ 4,73,922.43 कोटी) 3.35 टक्के होते त्याचे 800-इतर खर्च या गौण शीर्षाखाली वर्गीकरण केले.

2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत एकूण खर्चाच्या टक्केवारीत गौण शीर्ष 800 - इतर खर्च याच्या वापराची व्याप्ती **आलेख 4.3** मध्ये दर्शविली आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

आलेख 4.3 वरून असे दिसून येते की, एकूण खर्चाचा भाग म्हणून गौण शीर्ष 800 - इतर खर्च याचा हिस्सा कमी झाला असून, त्याचा हिस्सा 2018-19 मधील 6.81 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.35 टक्के इतका कमी झाला आहे. दिलेल्या मुख्य शीर्षातील खर्चाचा बराचसा भाग गौण शीर्ष 800 - ‘इतर खर्च’ अंतर्गत वर्गीकृत केल्याची उदाहरणे **तक्का 4.8** मध्ये दिली आहेत.


तक्ता 4.8: 2022-23 मध्ये गौण शीर्ष 800- इतर खर्च अंतर्गत नोंदविलेला लक्षणीय खर्च

(₹ कोटीत)

| अ. क्र | मुख्य शीर्ष | तपशील | गौण शीर्ष 800 अंतर्गत खर्च | एकूण खर्च | टक्केवारी |
|--------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 4070 | इतर प्रशासकीय सेवांवरील भांडवली खर्च | 1373.60 | 1402.75 | 98 |
| 2 | 4055 | पोलिसांवर भांडवली खर्च | 260.60 | 557.20 | 47 |
| 3 | 2701 | मोठे व मध्यम पाटबंधारे | 617.93 | 1598.08 | 39 |
| 4 | 2216 | गृहनिर्माण | 1460.35 | 3784.31 | 39 |
| 5 | 2515 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रम | 2012.96 | 8288.13 | 24 |
| 6 | 2210 | वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य | 3879.04 | 17339.72 | 22 |

स्रोत : वित्तीय लेखे 2022-23

त्याचप्रमाणे, 2022-23 दरम्यान राज्य शासनाने 64 मुख्य शीर्षांशी संबंधित एकूण महसुली जमाच्या 1.92 टक्के (₹ 4,06,320.55 कोटी) ₹ 7,784.44 कोटींच्या जमेचे वर्गीकरण '800-इतर जमा' अंतर्गत केले होते. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत एकूण जमांच्या टक्केवारीत गौण शीर्ष 800- इतर जमा याच्या वापराची व्याप्ती **आलेख 4.4** मध्ये दर्शविली आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे)

आलेख 4.4 असे दर्शवितो की एकूण जमाचा भाग म्हणून गौण शीर्ष 800 - इतर जमा याचा हिस्सा कमी झाला आहे, त्याचा हिस्सा 2018-19 मधील 11.99 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 1.92 टक्के इतका कमी झाला होता. दिलेल्या मुख्य शीर्षातील जमांचा बराचसा भाग गौण शीर्ष 800 - 'इतर जमा' अंतर्गत वर्गीकृत केल्याची उदाहरणे **तक्ता 4.9** मध्ये दर्शविली आहेत.

तक्ता 4.9: 2022-23 दरम्यान बहुतांश जमा गौण शीर्ष 800 - इतर जमा अंतर्गत नोद केल्या.

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | मुख्य शीर्ष | तपशील | गौण शीर्ष 800 अंतर्गत जमा | एकूण जमा | टक्केवारी |
|---------|-------------|--|---------------------------|----------|-----------|
| 1 | 0216 | गृहनिर्माण | 121.13 | 121.15 | 99.98 |
| 2 | 0217 | नगरविकास | 1645.57 | 1708.46 | 96.32 |
| 3 | 0435 | इतर कृषी कार्यक्रम | 14.02 | 14.94 | 93.84 |
| 4 | 0235 | सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण | 395.26 | 428.87 | 92.16 |
| 5 | 0425 | सहकार | 117.42 | 130.71 | 89.83 |
| 6 | 0250 | इतर सामाजिक सेवा | 149.99 | 183.94 | 81.54 |
| 7 | 0202 | शिक्षण, क्रीडा, कला आणि संस्कृती | 287.30 | 374.65 | 76.68 |
| 8 | 0071 | निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांसाठी अंशदान आणि वसुली | 135.27 | 182.32 | 74.19 |
| 9 | 0029 | जमीन महसूल | 1779.64 | 2431.41 | 73.19 |
| 10 | 0070 | इतर प्रशासकीय सेवा | 545.47 | 850.37 | 64.15 |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

सर्वसमावेशक गौण शीर्ष 800 अंतर्गत मोठ्या रकमेचे वर्गीकरण आर्थिक अहवालातील पारदर्शकतेवर परिणाम करते आणि सर्वसमावेशक प्राधान्यक्रम आणि खर्चाच्या गुणवत्तेच्या योग्य विश्लेषणाचा विपर्यास होतो.

इतर जमा/इतर खर्चाशी संबंधित सर्वसमावेशक गौण शीर्ष 800 केवळ अशा प्रकरणांमध्ये वापरावे जेथे लेखांमध्ये मुख्य शीर्षांतर्गत योग्य त्या गौण शीर्षाची तरतूद केली नव्हती. त्याच मुख्य शीर्ष/इतर मुख्य शीर्ष अंतर्गत योग्य गौण शीर्ष उपलब्ध असतानाही गौण शीर्ष 800 अंतर्गत नोंद केल्यास त्याचा लेखांच्या पारदर्शकतेवर विपरीत परिणाम होतो. मुख्य शीर्ष व गौण शीर्षांच्या यादीमध्ये योग्य गौण शीर्ष उपलब्ध असूनही खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करून गौण शीर्ष 800 अंतर्गत नोंदी केल्याची काही उदाहरणे खाली दिली आहेत.

- मुख्य आणि गौण शीर्ष यांच्या यादीमधील मुख्य शीर्ष 3054- मार्ग व पूल अंतर्गत गौण शीर्ष-‘337- रस्ते कामे’ उपलब्ध असतानाही दोन प्रकरणांमध्ये ₹ 437 कोटी आणि ₹ 111.36 कोटीच्या रस्ते कामांशी संबंधित खर्च गौण शीर्ष 800 अंतर्गत नोंदविला.
- ग्रामविकास कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदांना ₹ 2,000.00 कोटींच्या सहाय्यक अनुदानावरील खर्च मुख्य शीर्ष 2515- इतर ग्रामविकास कार्यक्रम अंतर्गत गौण शीर्ष 101- पंचायती राज ऐवजी गौण शीर्ष 800 मध्ये नोंदविण्यात आला.
- समाजकल्याण संस्थांना ₹ 205.43 कोटींचे अनुदान मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण अंतर्गत गौण शीर्ष 107- स्वयंसेवी संस्थांना साहाय्य ऐवजी गौण शीर्ष 800 मध्ये नोंदविण्यात आले.
- स्वयंसेवी संस्थांना ₹ 102.45 कोटींचे सहाय्यक अनुदान (विशेष केंद्रीय कार्यक्रम) मुख्य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण अंतर्गत गौण शीर्ष 794- आदिवासी उपयोजनेसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य ऐवजी गौण शीर्ष 800 मध्ये नोंदविण्यात आले.
- मुख्य शीर्ष 4055-पोलिसांवरील भांडवली खर्च अंतर्गत सीसीटीव्ही निगराणी यंत्रणा बसवण्यासाठी ₹ 243.69 कोटींचा खर्च गौण शीर्ष -207 राज्य पोलीस ऐवजी गौण शीर्ष 800 अंतर्गत नोंदविण्यात आला.
- शिक्षण उपकरापोटी प्राप्त झालेल्या ₹ 131 कोटींची रक्कम मुख्य शीर्ष 0045- वस्तू व सेवांवरील इतर कर व शुल्क अंतर्गत गौण शीर्ष 108 - शिक्षण उपकर ऐवजी गौण शीर्ष 800 मध्ये चुकीचे वर्गीकरण केले.

मोजमापाशी संबंधित मुद्दे.

4.7 मुख्य शीर्ष निलंबन व कर्ज, ठेवी आणि वित्तप्रेषण खालील थकित शिल्लक

शासनाचे लेखे रोख तत्त्वावर ठेवले जातात. कोषागारे/अधिदान व लेखा कार्यालये यांनी समायोजनचे (सेटलमेंट) विवरणपत्र सादर न करणे, रिझर्व्ह बँकेकडून समाशोधन जापन (क्लिअरन्स मेमो) प्राप्त न होणे, प्रमाणके प्राप्त न होणे इत्यादी माहितीच्या अभावामुळे लेख्यांमध्ये अंतिम नोंद केली जाऊ शकत नाही असे जमा आणि प्रदानांचे व्यवहार प्रतिबिंबित करण्यासाठी शासकीय लेख्यांमध्ये “निलंबन शीर्ष” म्हणून ओळखले जाणारे काही मध्यस्थ/समायोजित लेखा शीर्ष उघडले जातात. हे व्यवहार अंतिमतः त्यांच्या संबंधित लेखा शीर्षांमध्ये नोंदवले गेल्यानंतर या मुख्य शीर्षांतर्गत व्यवहार उणे खर्ची (मायनस डेबिट) किंवा उणे जमा (मायनस क्रेडीट) याद्वारे समायोजित केली जातात. जर ह्या रकमा समायोजित केल्या नाही तर निलंबन शीर्षांतर्गत शिल्लक रकमांचा संचय होईल आणि शासकीय जमा आणि खर्च अचूकपणे प्रतिबिंबित होणार नाहीत. निलंबन व वित्तप्रेषण शीर्षांतर्गत शिल्लक **तक्ता 4.10** मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 4.10: निलंबन व वित्तप्रेषण शीर्षा अंतर्गत शिल्लक

(₹ कोटीत)

| गौण शीर्ष | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| मुख्य शीर्ष 8658 - निलंबन | खर्ची (डेबिट) | जमा (क्रेडीट) | खर्ची (डेबिट) | जमा (क्रेडीट) | खर्ची (डेबिट) | जमा (क्रेडीट) |
| 101 - अधिदान व लेखा कार्यालय निलंबन | 169.66 | 21.13 | 142.67 | 29.06 | 153.27 | 10.49 |
| निव्वळ | खर्ची 148.53 | | खर्ची 113.61 | | खर्ची 142.78 | |
| 102 - निलंबन लेखे- नागरी | 34.18 | 4.31 | 4.26 | 5.14 | 34.50 | 33.08 |
| निव्वळ | खर्ची 29.87 | | जमा (-) 0.88 | | खर्ची 1.42 | |
| 107 - रोख रकमा समायोजन निलंबन लेखे | 18.30 | 0.49 | 18.30 | 0.49 | 17.16 | 0.49 |
| निव्वळ | खर्ची 17.81 | | खर्ची 17.81 | | खर्ची 16.67 | |
| 109 - रिझर्व्ह बँक निलंबन (मुख्यालय) | (-) 1.43 | 3.08 | 5.86 | 14.48 | 0.61 | 18.75 |
| निव्वळ | खर्ची 4.51 | | जमा (-) 8.62 | | जमा 18.14 | |
| 110 - रिझर्व्ह बँक निलंबन- सीएओ | 440.00 | 371.42 | 43.71 | 3.03 | 381.95 | 376.14 |
| निव्वळ | खर्ची 68.58 | | खर्ची 40.68 | | खर्ची 5.81 | |
| 112 - स्रोतावर कर कपात निलंबन | (-) 18.33 | 146.43 | 0 | 180.41 | 653.76 | 827.88 |
| निव्वळ | 164.76 | | जमा (-) 180.41 | | जमा 174.12 | |
| मुख्य शीर्ष 8782-रोख रक्कम वित्तप्रेषण | | | | | | |
| 102 - सार्वजनिक बांधकाम वित्तप्रेषणे | 184501.22 | 186208.92 | 226577.76 | 227677.03 | 234775.23 | 236342.95 |
| निव्वळ | जमा 1707.70 | | जमा 1099.27 | | जमा 1567.72 | |
| 103 - वने वित्तप्रेषणे | 16394.16 | 16429.55 | 1935760.02 | 1940625.01 | 16394.16 | 16498.86 |
| निव्वळ | जमा 35.39 | | जमा 48.65 | | जमा 104.70 | |

स्रोत : संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे

वित्तीय लेखे शीर्षांतर्गत निव्वळ शिल्लक प्रतिबिंबित होते. थकित डेबिट आणि क्रेडिट स्वतंत्रपणे एकत्रित करून थकित शिल्लक काढली जाते.

4.7.1 कर्ज, ठेवी आणि वित्तप्रेषण शीर्षांतर्गत प्रतिकूल (अॅडव्हर्स) शिल्लक

प्रतिकूल शिल्लक म्हणजे जिथे उणे (निगेटिव) शिल्लक असू नये त्या लेख्यांच्या शीर्षाखाली दिसणारी उणे शिल्लक. उदाहरणार्थ, कोणत्याही कर्जाच्या किंवा अग्रिमांच्या लेख्यांच्या शीर्षासमोरील उणे शिल्लक ही मूळ अग्रिम रकमेपेक्षा जास्त परतफेड केल्याचे दर्शवते.

31 मार्च 2023 पर्यंत प्रतिकूल शिल्लक रकमेची सहा प्रकरणे होती. यामध्ये राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण (मुख्य शीर्ष 6003) - ₹ 76.11 कोटी, शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृतीसाठी कर्ज (मुख्य शीर्ष 6202) - ₹ 1.76 कोटी, पीक संवर्धनासाठी कर्ज (मुख्य शीर्ष 6401) - ₹ 0.77 कोटी, पशुसंवर्धनासाठी कर्ज (मुख्य शीर्ष 6403) - ₹ 9.55 कोटी, इतर कृषी कार्यक्रमांसाठी कर्ज (मुख्य शीर्ष 6435) - ₹ 0.02 कोटी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्ज इत्यादी (मुख्य शीर्ष 7610) ₹ 1.40 कोटी. ह्या प्रतिकूल शिल्लकी चुकीच्या वर्गीकरणामुळे होत्या, ज्यांचे पुनरावलोकन/सुधार सुरू आहे.

4.8 विभागीय आकडेवारीचा ताळमेळ न घालणे

महसूल/खर्चावर प्रभावी अर्थसंकल्पीय नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि लेख्यांमध्ये अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, यथास्थिती, महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई किंवा प्रधान महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-II, महाराष्ट्र, नागपूर किंवा अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्या कार्यालयांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीशी शासनाच्या जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ घालणे आवश्यक आहे.

वर्ष 2022-23 या वर्षात, शासनाच्या एकूण खर्चाच्या (₹ 4,30,462.95 कोटी) तुलनेत समयोचित ताळमेळ आणि खातेबदल नोंद (ट्रान्सफर एंट्री) याद्वारे समायोजित केलेले खर्च वगळून असे ताळमेळ हे फक्त ₹ 3,69,338.95 कोटी खर्चाचे (85.80 टक्के) पूर्ण केले गेले होते.


नियंत्रक अधिकाऱ्यांची संख्या आणि गेल्या तीन वर्षांतील खर्चाच्या ताळमेळेची व्याप्ती/प्रमाण यासंबंधीचा तपशील तक्ता 4.11 मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

तक्ता 4.11: खर्चाच्या आकडेवारीच्या ताळमेळाची स्थिती

| वर्ष | नियंत्रण अधिकारी/आहरण व संवितरण अधिकारी | | | |
|---------|---|----------------|--------------|------------------------|
| | एकूण संख्या | संपूर्ण ताळमेळ | अंशिक ताळमेळ | ताळमेळ मुळीच केला नाही |
| 2020-21 | 7075 | 6393 | 281 | 401 |
| 2021-22 | 7040 | 6572 | 233 | 235 |
| 2022-23 | 7065 | 6642 | 273 | 150 |

स्रोत : महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालय यांनी संकलित केलेली माहिती

समयोचित समायोजन आणि खातेबदल नोंद वगळून शासनाच्या एकूण जमांच्या (₹ 2,44,376.05 कोटी) तुलनेत ₹ 2,38,948.60 कोटींच्या (97.78 टक्के) जमांचे ताळमेळ पूर्ण झाले होते. 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीतील ताळमेळाची स्थिती आलेख 4.5 मध्ये दर्शविली आहे.



(स्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्तीय लेखे)

4.9 रोख शिल्लकचे ताळमेळ

महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता) यांच्या लेखापुस्तके (बूक ऑफ अकाऊंट) नुसार राज्याची रोख शिल्लक आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रतिवेदित केलेली रोख शिल्लक यात कोणताही फरक नसावा. 2022-23 या वर्षाच्या लेख्यानुसार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेनुसार रोख शिल्लकीमध्ये या वर्षात 31 मार्च 2023 रोजी ताळमेळ न केलेला फरक दर्शवितो जो तक्ता 4.12 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 4.12: रोख शिल्लक रकमेचा ताळमेळ न केलेला फरक

(₹ कोटीत)

| महालेखाकारांच्या लेखापुस्तकानुसार | भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रतिवेदित केल्यानुसार | फरक |
|-----------------------------------|---|----------------|
| 12,637.29 (जमा) | 13,006.65 (खर्ची) | 369.36 (खर्ची) |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

30 जून 2023 पर्यंत ताळमेळ न केलेला फरक ₹ 50.70 कोटी खर्ची (निव्वळ) पर्यंत कमी करण्यात आला होता.

प्रकटनाशी (डिसक्लोजर) संबंधित मुद्दे.

4.10 लेखांकन मानकांचे अनुपालन

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 150 नुसार भारताचे राष्ट्रपती भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सल्ल्यानुसार केंद्र आणि राज्यांच्या लेख्यांचे नमूना (फॉर्म) विहित करू शकतात. याशिवाय, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी 2002 मध्ये उत्तरदायित्व कार्यतंत्र वाढविण्यासाठी शासकीय लेखांकन आणि वित्तीय प्रतिवेदन मानके तयार करण्याकरिता शासकीय लेखांकन मानके सल्लागार मंडळ स्थापित केले. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सल्ल्यानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानके अधिसूचित केली आहेत.

भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या त्यांच्या अधिसूचनेनंतर खालील तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानके प्रभावी तारखेपासून अनिवार्य झाली.

1. शासनाने दिलेली हमी - भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 1
2. सहाय्यक अनुदानाचे लेखांकन व वर्गीकरण - भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 2
3. शासनाने दिलेली कर्जे आणि अग्रिमे - भारतीय शासकीय लेखांकन मानक 3

राज्य शासनाकडून संपूर्ण माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे भारतीय शासकीय लेखांकन मानकांच्या प्रकटन आवश्यकतांचे कोणत्या मर्यादेपर्यंत पालन केले गेले नाही ते तक्ता 4.13 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 4.13: लेखांकन मानकांचे अनुपालन

| अ.क्र | लेखांकन मानके | भारतीय शासकीय लेखांकन मानकांचे सार | राज्य शासनाकडून अनुपालन | कमतरतेचा परिणाम |
|-------|--|---|--|---|
| 1. | भारतीय शासकीय लेखांकन मानक-2: सहाय्यक अनुदानाचे लेखांकन आणि वर्गीकरण | सहाय्यक अनुदानाचा अंतिम वापर काहीही असो, अनुदानकर्त्याच्या लेखात महसुली खर्च म्हणून आणि अनुदानग्राहीच्या लेखात महसुली जमा म्हणून वर्गीकरण केले जाईल. | अंशतः पालन केले | संस्थांना देण्यात आलेल्या ₹ 3440.70 कोटीच्या सहाय्यक अनुदानाचे वर्गीकरण महसुली शीर्षावधी भांडवली शीर्षावधी करण्यात आले. पालन न केल्याने महसुली तूटीमध्ये त्या प्रमाणात ऊनोक्ती झाली. |
| 2. | भारतीय शासकीय लेखांकन मानक -3: शासनाने दिलेली कर्जे आणि अग्रिमे | हे मानक संपूर्ण, अचूक आणि एकसमान लेखांकन पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने आपल्या वित्तीय विवरणपत्रांमध्ये दर्शविलेल्या कर्जे आणि अग्रिमांच्या संदर्भात मान्यता, मोजमाप, मूल्यांकन आणि अहवाल देण्याशी संबंधित आहे | अंशतः पालन (वित्तीय लेखे विवरणपत्र 7 आणि 18) | कर्जदार गटातील थकबाकीची परतफेड, कायमस्वरूपी कर्जे, थकबाकीतील व्याज प्रदाने जर काही असेल याची माहिती शासनाने सादर केली नाही. व्याज/मुद्दल न भरल्यास महसुली व राजकोषीय तूटीवर परिणाम होऊ शकतो. |

4.11 स्वायत्त संस्थांचे लेखे/पृथक लेखापरीक्षा अहवाल सादर करणे

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति व सेवा) अधिनियम, 1971 च्या कलम 19 (3) नुसार, राज्यपाल/प्रशासक हे सार्वजनिक हितासाठी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना विनंती करू शकतात की, यथास्थिती, राज्याच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधिमंडळाने कायद्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या लेखांचे लेखापरीक्षण करावे आणि जर अशी विनंती प्राप्त झाली तर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अशा महामंडळाच्या लेखांचे लेखापरीक्षण करतील आणि अशा लेखापरीक्षणाच्या हेतूसाठी, अशा महामंडळांची पुस्तके आणि लेखे बघण्याचा अधिकार असेल.

कलम 19 व्यतिरिक्त, जेथे कोणत्याही कायद्याने किंवा त्याअंतर्गत कोणत्या संस्थेच्या किंवा प्राधिकरणाच्या लेखांचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपवले गेले नाही, तर यथास्थिती, राष्ट्रपती, किंवा एखाद्या राज्याचे राज्यपाल किंवा विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक यांनी तशी विनंती केल्यास, अशा संस्थेच्या किंवा प्राधिकरणाच्या लेखांचे लेखापरीक्षण त्याच्या आणि संबंधित शासन यांच्यामध्ये मान्य होईल अशा अटी व शर्तीवर करणे आणि अशा लेखापरीक्षणाच्या हेतूने, त्या संस्थेची किंवा प्राधिकरणाची पुस्तके आणि लेखे बघण्याचा अधिकार असेल (कलम 20).

वरील स्वायत्त संस्था आणि प्राधिकरणांच्या बाबतीत जर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे एकमेव लेखापरीक्षक आहेत तर लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी केले जाते. अशाप्रकारे, या संस्था आणि प्राधिकरण यांनी त्यांचे वार्षिक लेखे तयार करणे आणि लेखापरीक्षणासाठी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षण प्रमाणपत्राव्यतिरिक्त, आर्थिक लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, लेखापरीक्षा कार्यालय पृथक लेखापरीक्षा अहवाल जारी करते जो लेखांवरील लेखापरीक्षण प्रमाणपत्राचा भाग आहे. हे पृथक लेखापरीक्षा अहवाल राज्य विधिमंडळासमोर ठेवण्यात येतात.

महाराष्ट्र शासनाने पर्यावरण, गृहनिर्माण, उद्योग, पाटबंधारे, नगरविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या क्षेत्रात स्वायत्त संस्था स्थापित केल्या आहेत. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति व सेवा) अधिनियम, 1971 च्या कलम 19 आणि 20 अन्वये राज्यातील 27 स्वायत्त संस्थांच्या लेखांचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. लेखापरीक्षण सोपविणे, लेखापरीक्षणासाठी लेखे सादर करणे, पृथक लेखापरीक्षा अहवाल जारी करणे आणि स्वायत्त संस्थांद्वारे विधिमंडळात तो सादर करणे यांची स्थिती परिशिष्ट 4.4 मध्ये दर्शविली आहे.

जून 2023 मध्ये नियत असलेले 2022-23 या वर्षाचे लेखे एकाही स्वायत्त संस्थेकडून प्राप्त झाले नाही. स्वायत्त संस्थांच्या लेखांची प्रलंबितता तक्ता 4.14 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 4.14: संस्था किंवा प्राधिकरणांच्या लेखांची प्रलंबितता

| अ. क्र | संस्थेचे किंवा प्राधिकरणाचे नाव | लेखे केव्हापासून प्रलंबित | 2022-23 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या लेखांची संख्या |
|--------|--|---------------------------|---|
| 1 | महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण | 2022-23 | 1 |
| 2 | महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ | 2021-22 | 2 |
| 3 | महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण | 2022-23 | 1 |
| 4 | महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग | 2022-23 | 1 |
| 5 | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई | 2022-23 | 1 |
| 6 | महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई | 2021-22 | 2 |
| 7 | राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग | 2022-23 | 1 |
| 8 | मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई | 2022-23 | 1 |
| 9 | महाराष्ट्र खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई | 2022-23 | 1 |
| 10 | महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई | 2022-23 | 1 |
| 11 | महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई | 2022-23 | 1 |
| 12 | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव | 2020-21 | 3 |
| 13 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ | 2020-21 | 3 |
| 14 | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद | 2020-21 | 3 |
| 15 | प्रतिपूरक वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (कॅम्पा) | 2021-22 | 2 |
| 16 | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे | 2020-21 | 3 |
| 17 | कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे | 2021-22 | 2 |
| 18 | महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग | 2021-22 | 2 |
| 19 | महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद | 2019-20 | 4 |
| 20 | महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई | 2017-18 | 6 |
| 21 | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई | 2019-20 | 4 |
| 22 | महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण | 2022-23 | 1 |
| 23 | महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग | 2018-19 | 5 |
| 24 | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसर, पुणे | 2021-22 | 2 |
| 25 | महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग | 2016-17 | 7 |
| 26 | शुल्क नियामक प्राधिकरण | 2021-22 | 2 |
| 27 | प्रवेश नियामक प्राधिकरण | 2019-20 | 4 |

स्रोत : प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई व महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती

हिशेब सादर करण्यास आणि ते विधिमंडळात सादर करण्यास झालेल्या प्रचंड विलंबाच्या परिणामी ज्या संस्थांमध्ये शासकीय गुंतवणूक केली गेली त्या संस्थांच्या कामकाजाची विधिमंडळाने छाननी करण्यास विलंब झाला.

4.12 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/महामंडळे/कंपन्या

वाणिज्यिक आणि अर्ध-वाणिज्यिक स्वरूपाचे उपक्रम राबविणाऱ्या काही शासकीय विभागांच्या विभागीय उपक्रमांनी वार्षिक विहित नमुन्यात आर्थिक कामकाजाचे परिणाम दर्शवून प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) लेखे तयार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शासन त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करू शकेल. विभागीय व्यवस्थापित वाणिज्यिक आणि अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमांचे अंतिम झालेले लेखे त्यांचे एकूण आर्थिक आरोग्य आणि कार्यक्षमता दर्शवितात. लेखे वेळेत अंतिम न झाल्यास शासनाची गुंतवणूक लेखापरीक्षण/राज्य विधिमंडळाच्या तपासणीच्या बाहेर राहते. परिणामी, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारात्मक उपाययोजना वेळीच केल्या जाऊ शकत नाहीत. शिवाय या दिरंगाईमुळे यंत्रणात फसवणूक आणि जनतेच्या पैशाची गळती होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

शासकीय विभागप्रमुखांनी हे सुनिश्चित करावे की उपक्रमांनी असे लेखे तयार केले पाहिजेत आणि ते विशिष्ट मुदतीत लेखापरीक्षणासाठी महाराष्ट्राच्या प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I आणि महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II यांच्याकडे सादर करावेत. मार्च 2023 पर्यंत असे 44 उपक्रम होते, त्यापैकी कोणीही 2021-22 आणि 2022-23 चे लेखे तयार केले नव्हते. दूध वाहतूक योजना, मुंबई, वरळी 2008-09 पासून बंद आहे. विभाग-निहाय प्रपत्रे लेखे तयार करण्यातील प्रलंबितता आणि शासनाने केलेल्या गुंतवणुकीची स्थिती परिशिष्ट 4.5 मध्ये दिलेली आहे.

4.13 संस्था व प्राधिकरण यांना दिलेल्या अनुदानाचा/कर्जाचा तपशील सादर न करणे

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति व सेवा) अधिनियम, 1971 च्या कलम 14 अन्वये जेव्हा कोणत्याही संस्थेला किंवा प्राधिकरणाला राज्याच्या एकत्रित निधीतून अनुदान किंवा कर्जाद्वारे मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो तेव्हा भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यथास्थिती, संस्थेला किंवा प्राधिकरणाला लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून, त्या संस्थेच्या किंवा प्राधिकरणाच्या अशा सर्व जमा आणि खर्चाचे लेखापरीक्षण करतील आणि त्यांनी लेखापरीक्षण केलेल्या जमा आणि खर्चाचा अहवाल देतील. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति व सेवा) अधिनियम, 1971 च्या कलम 15 अन्वये, जेथे कोणत्याही विशिष्ट हेतूसाठी कोणतेही अनुदान किंवा कर्ज दिले जाते, तेव्हा भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक त्या प्रक्रियेची छाननी करतील ज्याद्वारे मंजूरी देणारे प्राधिकरण यांनी काही अटींची पूर्तता केल्याची खात्री करतील.

वरील कलमांतर्गत कोणत्या संस्था/निगम/प्राधिकरण यांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी तादात्म्य (आयडेंटिफाय) होण्यासाठी ज्या संस्थांना ₹ 25 लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक आर्थिक मदत देण्यात आली, कोणत्या हेतूने मदत देण्यात आली व संस्थांचा एकूण खर्च किती याची माहिती शासकीय विभागप्रमुखांनी दरवर्षी लेखापरीक्षणास सादर करणे आवश्यक आहे. वर्षभरात संस्थांना देण्यात आलेल्या अशा मदतीचा तपशील शासकीय विभागांकडून (ऑक्टोबर 2023) प्रतीक्षेत होता.

ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 11946 वार्षिक लेख्यासंदर्भात 2022-23 पर्यंत नियत असलेल्या वार्षिक लेख्यांची वर्ष-निहाय प्रलंबितता तक्ता 4.15 मध्ये दर्शविली आहे.

तक्ता 4.15 : संस्थांकडून नियत वार्षिक लेख्यांची वर्ष-निहाय प्रलंबितता

| प्रलंबितता वर्षांच्या संख्येत | लेख्यांची संख्या |
|-------------------------------|------------------|
| 0-1 | 2794 |
| 1-3 | 2899 |
| 3-5 | 1755 |
| 5-7 | 939 |
| 7-9 | 536 |
| 9 आणि त्यापेक्षा जास्त | 3023 |
| एकूण | 11946 |

स्त्रोत : प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई व महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडून आर्थिक मदत घेणाऱ्या संस्थांशी संबंधित लेखे सादर करण्याची प्रकरणे मुख्यतः प्रलंबित आहेत.

विविध संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान व कर्जाबाबत माहिती सादर न करणे व त्यांनी लेखे सादर न केल्याने निधीचा गैरवापर होण्याचा धोका वाढतो व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले जात आहे.

4.14 कालबद्धता आणि लेखांची गुणवत्ता

34 कोषागारे व एक आभासी कोषागार (लेखा ई-पावती), 176 वन विभाग, 165 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 181 पाटबंधारे विभाग, एक अधिदान व लेखा कार्यालय व भारतीय रिझर्व बँकेच्या सल्ल्यावरून राज्य शासनाचा हिशेब महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता) संकलित करतात. 2022-23 दरम्यान मासिक नागरी लेखांमध्ये एकही लेखे वगळण्यात आलेले नाहीत.

4.15 गैरव्यवहार, तोटा, चोऱ्या इ.

मुंबई आर्थिक नियम, 1959 मध्ये अशी तरतूद आहे की, कोषागार किंवा इतर कोणत्याही कार्यालय/विभागात अफरातफर, फसवणुकीने रक्कम काढणे/प्रदान किंवा अन्यथा आढळल्यास त्याची माहिती संबंधित कार्यालयाने तात्काळ पुढील उच्च प्राधिकार्यास तसेच प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई आणि महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर यांना द्यावी.

राज्य शासनाने मार्च 2023 पर्यंत ₹ 2023.80 लाखांचे अफरातफर, गैरव्यवहार आदींच्या 242 प्रकरणांची नोंद केली असून त्यावर अंतिम कार्यवाही प्रलंबित आहे. सर्व 242 प्रकरणांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांची वर्ष-निहाय रूपरेषा आणि या घटनांमधून समोर आलेल्या प्रत्येक प्रवर्गातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या परिशिष्ट 4.6 आणि परिशिष्ट 4.7 मध्ये सारांशित केली आहे.

पुढील विश्लेषणात कोणत्या कारणामुळे प्रकरणे प्रलंबित होती आणि तक्ता 4.16 मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते हे दर्शविते.

तक्ता 4.16 : गैरव्यवहार, तोटा, चोरी इ. प्रलंबित प्रकरणांची कारणे

(₹ कोटीत)

| अ.क्र | विलंब/प्रलंबित प्रकरणांची कारणे | प्रकरणांची संख्या | रक्कम |
|-------|---|-------------------|----------------|
| 1 | विभागीय कारवाईच्या प्रतीक्षेत | 24 | 89.21 |
| 2 | विभागीय कार्यवाही सुरू | 96 | 855.14 |
| 3 | निर्लेखित करण्यासाठीच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत | 40 | 52.23 |
| 4 | न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे प्रलंबित | 79 | 1026.35 |
| 5 | इतर कारणांमुळे प्रलंबित | 3 | 0.87 |
| | एकूण | 242 | 2023.80 |

स्त्रोत : प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I, महाराष्ट्र, मुंबई, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर व अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती

4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा अहवालावर पाठपुरावा

वर्ष 2008-09 पासूनचा राज्य वित्त लेखापरीक्षा अहवाल विधिमंडळात सादर केला जात आहे. राज्य लोकलेखा समितीने राज्य वित्त लेखा परीक्षा अहवाल 2016-17 च्या प्रकरण I वर चर्चा (मे 2019) करून 37 शिफारशी केल्या (लोकलेखा समिती अहवाल क्रमांक 68) 19 शिफारशींवरील कृती अहवाल प्राप्त झाले. या शिफारशींच्या अंमलबजावणीद्वारे दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेल्या त्रुटी वर्षानुवर्षे कायम आहेत आणि आमच्या अहवालात नोंदविल्या जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

4.17 निष्कर्ष

- प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांची रक्कम 2021-22 मध्ये ₹ 37,931.83 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 25,759.38 कोटींपर्यंत कमी झाली आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात दिरंगाई केल्याच्या परिणामी ना केवळ इच्छित हेतूसाठी देण्यात आलेल्या अनुदानाच्या वापराबाबत खात्रीचा अभाव होतो, परंतु विभागांकडून अनुदानग्राहिंना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वापरावरील संनियंत्रणात देखील कमतरता होते.
- 2022-23 दरम्यान 1698 संक्षिप्त आकस्मिक देयकाद्वारे काढलेल्या ₹ 525.37 कोटींपैकी मार्च 2023 मध्ये ₹ 438.55 कोटी (83 टक्के) किंमतीची 363 संक्षिप्त आकस्मिक देयके काढली गेली. मार्चमध्ये आकस्मिक संक्षिप्त देयकांच्या माध्यमातून काढलेली लक्षणीय रक्कम हे दर्शविते की हे आहरण प्रामुख्याने अर्थसंकल्पातील तरतुदी खर्ची करण्यासाठी होते आणि आपर्याप्त अर्थसंकल्पीय नियंत्रण दर्शविते.
- स्वायत्त संस्था/वाणिज्यिक उपक्रमांद्वारे हिशेब सादर करण्यास/अंतिम करण्यास विलंब झाला ज्यामुळे उत्तरदायित्व कमी होते आणि लेखे तयार करण्याचा हेतू नष्ट होतो.

4.18 शिफारशी

- (i) शासनाने सुनिश्चित करावे की विशिष्ट कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानासंदर्भात विभागांकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर होतील.
- (ii) शासनाने विचार करावा की नियमांतर्गत आवश्यकतेनुसार संक्षिप्त आकस्मिक देयकांचे समायोजन विहित कालावधीत व्हावे.

प्रकरण: V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी

प्रकरण V: राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी

5.1 प्रस्तावना

या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाच्या शासन नियंत्रित कंपन्या, शासन नियंत्रित इतर कंपन्या व वैधानिक महामंडळे यांच्या आर्थिक कामगिरीचा सारांश त्यांनी सादर केलेल्या लेख्यांमधून/माहितीतून आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या संनियंत्रणाच्या भूमिकेचे परिणाम मांडण्यात आले आहेत. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वित्तीय विवरणपत्राच्या पुरवणी लेखापरीक्षणाच्या परिणामी जारी केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या आणि वैधानिक महामंडळांच्या संदर्भात चालू वर्षात प्राप्त झालेल्या वित्तीय विवरणपत्रांवर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी जारी केलेल्या टिप्पण्यांचा परिणाम अधोरेखित केला आहे.

राज्याच्या विकासासाठी आणि तेथील लोकांच्या कल्याणासाठी व्यावसायिक स्वरूपाचे उपक्रम राबविण्यासाठी शासनाद्वारे राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची स्थापना केली जाते.

5.2 शासकीय कंपन्यांची व्याख्या

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 2(45) मध्ये शासकीय कंपनीची व्याख्या अशी कंपनी म्हणून केली गेली आहे ज्यात भरलेल्या भागभांडवलाच्या 51 टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा केंद्र शासन, किंवा कोणत्याही राज्य शासन किंवा शासनांकडे किंवा अंशतः केंद्र शासन आणि अंशतः एक किंवा अधिक राज्य शासनांकडे असेल आणि त्यात कंपनीचा समावेश असेल, जी शासकीय कंपनीची उपकंपनी आहे.

वैधानिक महामंडळांची स्थापना राज्य शासनाद्वारे केली जाते आणि त्यांच्या संबंधित विधिविधानांद्वारे शासित केली जाते.

याशिवाय, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या केंद्र शासन किंवा कोणत्याही राज्य शासन किंवा शासनाच्या किंवा अंशतः केंद्र शासन आणि अंशतः एक किंवा अधिक राज्य शासन यांच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित असलेल्या इतर कोणत्याही कंपनीला¹ या अहवालात शासन नियंत्रित इतर कंपन्या म्हणून संबोधले गेले आहे.

या अहवालात राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या शासन नियंत्रित कंपन्या, शासकीय नियंत्रित इतर कंपन्या आणि वैधानिक महामंडळे यांचा समावेश आहे.

5.3 लेखापरीक्षणाचे महादेश (मॅन्डेट)

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक शासकीय कंपन्यांसाठी वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करते आणि कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 139(5) आणि (7) अंतर्गत वित्तीय विवरणपत्राचे लेखापरीक्षण कसे करावे याबद्दल निर्देश जारी करते. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवा शर्ती) अधिनियम, 1971 च्या कलम 19 आणि त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या विनियमांसह कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 मधील तरतुदीनुसार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक शासकीय कंपन्या आणि शासन नियंत्रित इतर कंपन्यांचे लेखापरीक्षण करतात. कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 अन्वये वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षण अहवालावर पुरवणी लेखापरीक्षण करण्याचा आणि त्यावर अभिप्राय देण्याचा किंवा पूरक करण्याचा अधिकार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना आहे.

वैधानिक महामंडळे नियंत्रित करणाऱ्या परिणियमांमध्ये त्यांच्या वित्तीय विवरणपत्राचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करणे आणि राज्य विधिमंडळाला अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

¹ कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जारी (04.09.2014) केलेला कंपन्यांचा (अडचणी दूर करणे) सातवा आदेश, 2014

5.4 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या आणि वित्तीय विवरणपत्रांची स्थिती

वर्ष 2022-23 च्या सुरुवातीला भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षण अखत्यारीत महाराष्ट्रात 105 राज्य सार्वजनिक उपक्रम होते. 2022-23 या वित्तीय वर्षात सहा² राज्य सार्वजनिक उपक्रम भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षण अखत्यारीत आले असून वर्षभरात एक³ राज्य सार्वजनिक उपक्रम बंद करण्यात आला आहे. परिणामी, महाराष्ट्रात 31 मार्च 2023 रोजी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या अखत्यारीतील राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या 110 आहे. यामध्ये खालील प्रकारच्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश होता जे तक्ता 5.1 मध्ये दर्शविले आहे.

तक्ता 5.1: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रकारांचा तपशील

| तपशील | शासनाच्या नियंत्रणाखालील कंपन्या | वैधानिक महामंडळे | एकूण | शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर कंपन्या | एकूण |
|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6=4+5 |
| कार्यरत | 68 | 10 | 78 | 13 | 91 |
| निष्क्रिय | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| एकूण | 87 | 10 | 97 | 13 | 110 |

(स्रोत : राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार संकलित)

यापैकी एकही राज्य सार्वजनिक उपक्रम स्टॉक एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध नव्हता. या 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रलंबित लेख्यांची यादी आणि तपशील परिशिष्ट 5.1 मध्ये दर्शविला आहे.

19 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादितच्या, जरी शासनाने 25 ऑक्टोबर 2011 रोजी बंद करण्यास मान्यता दिल्यानंतरही, सात⁴ उपकंपन्या बंद करण्याचे काम प्रलंबित होते. या निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये ₹ 1,699.40 कोटींची गुंतवणूक आहे, ज्यात ₹ 298.28 कोटीचे भांडवल⁵ (राज्य शासन ₹ 271.23 कोटी आणि इतर ₹ 27.05 कोटी) आणि ₹ 1,401.12 कोटीचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज (राज्य शासन ₹ 332.69 कोटी आणि इतर ₹ 1,068.43 कोटी) यांचा समावेश आहे.

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक राज्याच्या आर्थिक वाढीस हातभार लावत नसल्यामुळे हे एक चिंताजनक क्षेत्र आहे.

30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत प्राप्त झालेल्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी या अहवालात समाविष्ट आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे स्वरूप आणि आर्थिक विवरणपत्राची स्थिती तक्ता 5.2 मध्ये दर्शविली आहे.

² महा आर्क मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पुणे रिंग रोड मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ जालना नांदेड एक्सप्रेस वे मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर मर्यादित, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मर्यादित, महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत तंत्रज्ञान मर्यादित

³ महा पर्यटन महामंडळ मर्यादित

⁴ एलोरा मिल्क प्रॉडक्ट लिमिटेड, मराठवाडा दुग्ध विकास महामंडळ मर्यादित, परभणी कृषी गोसंवर्धन मर्यादित, गोदावरी गारमेंट्स लिमिटेड, किनवट रूफिंग टाइल्स मर्यादित, मराठवाडा सिरॅमिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित, मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित

⁵ भागभांडवल अर्जाच्या रकमेसह ₹ 81.57 कोटी

तक्का 5.2: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे व्याप्तीक्षेत्र आणि स्वरूप

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे स्वरूप | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची एकूण संख्या | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत वित्तीय विवरणपत्र प्राप्त झालेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | | | | 30 सप्टेंबर 2023 रोजी वित्तीय विवरणपत्र प्रलंबित असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या |
|---------|---|--|--|--|---|------|---|
| | | | 2022-23 या कालावधीसाठी वित्तीय विवरणपत्र | 2021-22 या कालावधीसाठी वित्तीय विवरणपत्र | 2020-21 या कालावधीसाठी आणि त्यापूर्वीचे वित्तीय विवरणपत्र | एकूण | |
| 1. | शासनाच्या नियंत्रणाखालील कंपनी | 68 | 7 | 26 | 10 | 43 | 25 |
| 2. | शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर कंपनी | 13 | 3 | 2 | - | 5 | 8 |
| 3. | वैधानिक महामंडळे | 10 | 0 | 4 | - | 4 | 6 |
| 4. | एकूण कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम (1+2+3) | 91 | 10 | 32 | 10 | 52 | 39 |
| 5. | निष्क्रिय शासकीय कंपनी | 19 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 |
| 6. | एकूण निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रम (5) | 19 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 |
| 7. | एकूण (4+6) | 110 | 14 | 41 | 11 | 66 | 44 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत प्राप्त झालेल्या वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

या संदर्भातील सविस्तर विश्लेषण पुढे परिच्छेद 5.14.2.2 मध्ये दिले आहे.

5.5 राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये त्यांचे योगदान

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उलाढालीचे स्थूल राज्य उत्पन्नांशी गुणोत्तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे योगदान दर्शविते.

हाती घेतलेल्या उपक्रमांच्या स्वरूपाच्या आधारे, 45 सक्रिय शासन नियंत्रित कंपनी आणि सात वैधानिक महामंडळांच्या उलाढालीचे सात विभागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची उलाढाल शून्य⁶ आहे. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमधील या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उलाढालीच्या हिश्याच्या तुलनेत क्षेत्रनिहाय उलाढाल तक्का 5.3 मध्ये दर्शविली आहे:

तक्का 5.3: शासनाच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांच्या तुलनेत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उलाढालीचा तपशील

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | विभाग | संख्या | 2020-21 ची उलाढाल | महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची विभागनिहाय टक्केवारी | संख्या | 2021-22 ची उलाढाल | महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची विभागनिहाय टक्केवारी | संख्या | 2022-23 ची उलाढाल | महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची विभागनिहाय टक्केवारी |
|---------|----------------|--------|-------------------|---|--------|-------------------|---|--------|-------------------|---|
| 1 | ऊर्जा | 3 | 102140.30 | 3.89 | 4 | 100751.42 | 3.24 | 4 | 112847.35 | 3.20 |
| 2 | वित्त | 16 | 156.23 | 0.01 | 16 | 137.26 | 0.00 | 16 | 140.75 | 0.00 |
| 3 | सेवा | 2 | 7865.17 | 0.30 | 2 | 7628.92 | 0.25 | 2 | 2628.20 | 0.07 |
| 4 | पायाभूत सुविधा | 13 | 2134.44 | 0.08 | 12 | 2354.85 | 0.08 | 11 | 2415.73 | 0.07 |
| 5 | कृषी व तत्सम | 11 | 1807.94 | 0.07 | 12 | 1853.62 | 0.06 | 12 | 1727.81 | 0.05 |
| 6 | उत्पादन | 4 | 210.68 | 0.01 | 4 | 128.79 | 0.00 | 4 | 455.49 | 0.01 |
| 7 | संकीर्ण | 2 | 614.36 | 0.02 | 3 | 1613.72 | 0.05 | 3 | 1939.37 | 0.05 |

⁶ आठ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रथम लेख्यांची प्रतीक्षा आहे आणि उर्वरित 40 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची उलाढाल शून्य आहे

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | विभाग | संख्या | 2020-21 ची उलाढाल | महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची विभागनिहाय टक्केवारी | संख्या | 2021-22 ची उलाढाल | महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची विभागनिहाय टक्केवारी | संख्या | 2022-23 ची उलाढाल | महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची विभागनिहाय टक्केवारी |
|--|-------|--------|-------------------|---|--------|-------------------|---|--------|-------------------|---|
| एकूण उलाढाल | | | 114929.12 | 4.37 | | 114468.58 | 3.68 | | 122154.70 | 3.46 |
| महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न | | | 2627542 | | | 3108022 | | | 3527084 | |
| महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नांमध्ये उलाढालीची टक्केवारी | | | 4.37 | | | 3.68 | | | 3.46 | |

(स्रोत : महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार स्थूल राज्य उत्पन्नाची आकडेवारी आणि 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रानुसार उलाढालीची आकडेवारी)

महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नामध्ये राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे योगदान जरी 2021-22 मधील उलाढालीच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 6.71 टक्क्यांनी वाढले तरी या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची उलाढाल ही 2021-22 मधील 3.68 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 3.46 टक्क्यांपर्यंत घटली. मागील तीन वर्षांत स्थूल राज्य उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर⁷ 15.86 टक्के होता, तर राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उलाढालीचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर 3.10 टक्के होता.

2022-23 दरम्यान वीज क्षेत्रातील राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी एकूण उलाढालीच्या 92.38 टक्के उलाढालीचे योगदान दिले आहे.

5.5.1 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या आर्थिक कामगिरीचा सारांश

सर्व शासनाच्या नियंत्रित कंपन्या, वैधानिक महामंडळे आणि शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर कंपन्या यांच्या आर्थिक कामगिरीचा तपशील परिशिष्ट 5.2 मध्ये दर्शविला आहे. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या आर्थिक कामगिरीचा सारांश तक्ता 5.4 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 5.4: 30 सप्टेंबर 2023 रोजी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या आर्थिक कामगिरीचा सारांश

| तपशील | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | रक्कम (₹ कोटीत) |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| शासन नियंत्रित कंपन्या आणि वैधानिक महामंडळे | | |
| राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | 97 | |
| भरणा झालेले भांडवल ⁸ (समभाग अर्जाच्या प्रलंबित वाटप रकमेसह) | 93 | 347628.64 |
| दीर्घ मुदतीची कर्जे | 47 | 97991.69 |
| करोत्तर निव्वळ नफा ⁹ | 42 | 1781.72 |
| करानंतर निव्वळ तोटा | 42 | -3545.33 |
| ना नफा ना तोटा | 9 | - |
| दिलेला लाभांश | 6 | 4.66 |
| एकूण मत्ता | 93 | 653782.52 |

⁷ चक्रवाढ वार्षिक विकास दर $\left[\left(\frac{2022-23 \text{ चे मूल्य}}{2020-21 \text{ चे मूल्य}} \right)^{(1/2 \text{ वर्षे})} - 1 \right] * 100$

⁸ यामध्ये शून्य भरलेले भांडवल असलेल्या पाच राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा (महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन फाऊंडेशन, बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) समावेश आहे

⁹ यामध्ये 2022-23 मध्ये शून्य नफा/तोटा असलेल्या नऊ निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश आहे

| तपशील | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | रक्कम (₹ कोटीत) |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| निव्वळ मूल्य | 93 | 317566.95 |
| प्रथम लेखे प्रतीक्षेत | 4 | - |
| शासनाच्या नियंत्रणाखालील इतर कंपन्या | | |
| राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | 13 | |
| भरणा झालेले भांडवल + (समभाग अर्जाच्या प्रलंबित वाटप रकमेसह) | 9 | 6170.88 |
| दीर्घ मुदतीची कर्जे | 2 | 65.39 |
| करोत्तर निव्वळ नफा | 5 | 51.57 |
| करानंतर निव्वळ तोटा | 3 | -78.07 |
| ना नफा ना तोटा | 1 | - |
| दिलेला लाभांश | 1 | 0.84 |
| एकूण मत्ता | 9 | 10010.54 |
| निव्वळ मूल्य | 9 | 6171.65 |
| प्रथम लेखे प्रतीक्षेत | 4 | - |
| (स्रोत: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या नवीनतम अंतिम आर्थिक विवरणपत्रानुसार संकलित केलेली माहिती) | | |

5.6 राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील गुंतवणूक आणि अर्थसंकल्पीय सहाय्य

5.6.1 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील समभाग धारण (इक्विटी होल्डिंग) आणि कर्ज

31 मार्च 2023 रोजी 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये समभाग धारण आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात शासनाने केलेले क्षेत्रनिहाय एकूण अंशदान तक्ता 5.5 मध्ये खाली दिले आहे.

तक्ता 5.5: 31 मार्च 2023 रोजी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये राज्य शासनाची क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक

(₹ कोटीत)

| क्षेत्राचे स्वरूप | गुंतवणूक | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--|---|
| | एकूण समभाग | महाराष्ट्र शासनाचे समभाग | दीर्घ मुदतीची एकूण कर्जे | महाराष्ट्र शासनाची कर्जे | एकूण क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक | महाराष्ट्र शासनाची एकूण क्षेत्रनिहाय गुंतवणूक | महाराष्ट्र शासनाच्या एकूण गुंतवणुकीची क्षेत्रनिहाय टक्केवारी | महाराष्ट्र शासनाच्या गुंतवणुकीची क्षेत्रनिहाय टक्केवारी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2+4 | 7=3+5 | 8=7/6*100 | 9 |
| ऊर्जा | 172484.42 | 89216.21 | 107339.18 | 283.10 | 279823.60 | 89499.31 | 31.98 | 38.31 |
| वित्त | 2548.29 | 2461.39 | 491.01 | 195.09 | 3039.30 | 2656.48 | 87.40 | 1.14 |
| सेवा | 5700.50 | 5641.73 | 204.40 | 204.40 | 5904.90 | 5846.13 | 99.00 | 2.50 |
| पायाभूत सुविधा | 28623.89 | 932.99 | 32977.66 | 301.52 | 61601.55 | 1234.51 | 2.00 | 0.53 |
| कृषी व तत्सम | 139277.04 | 133841.39 | 243.31 | 1.10 | 139520.35 | 133842.49 | 95.93 | 57.29 |
| उत्पादन | 307.54 | 283.15 | 361.15 | 235.62 | 668.69 | 518.77 | 77.58 | 0.22 |
| संकीर्ण | 30.33 | 29.20 | 6.30 | - | 36.63 | 29.20 | 79.72 | 0.01 |
| एकूण | 348972.01 | 232406.06 | 141623.01 | 1220.83 | 490595.02 | 233626.89 | 47.62 | 100 |
| (स्रोत: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संकलित) | | | | | | | | |

31 मार्च 2023 रोजी, राज्य शासनाच्या 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये एकूण ₹ 2,33,626.89 कोटींच्या गुंतवणूकीत भाग भांडवल ₹ 2,32,406.06 कोटी (99.48 टक्के) आणि ₹ 1,220.83 कोटी (0.52 टक्के) दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या गुंतवणुकीचा जोर प्रामुख्याने कृषी व संलग्न क्षेत्र (57.29 टक्के) आणि वीज क्षेत्र (38.31 टक्के) यामध्ये होता.

मार्च 2023 अखेर राज्य शासनाची लक्षणीय गुंतवणूक (₹ 1,000 कोटीपेक्षा जास्त) असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी खालील तक्ता 5.6 मध्ये दिली आहे.

तक्ता 5.6: 31 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाची लक्षणीय गुंतवणूक

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे नाव | विभागाचे नाव | रक्कम (₹ कोटीत) |
|---------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होलिंग कंपनी लि. | उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार | 89216.21 |
| 2 | महाराष्ट्र कृषा खोरे विकास महामंडळ | जलसंपदा (सिंचन) | 35778.41 |
| 3 | कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ | जलसंपदा (सिंचन) | 10938.02 |
| 4 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ | जलसंपदा (सिंचन) | 47901.02 |
| 5 | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ | जलसंपदा (सिंचन) | 13071.45 |
| 6 | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ | जलसंपदा (सिंचन) | 23442.22 |
| 7 | महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ | जलसंपदा (सिंचन) | 2323.27 |
| 8 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | गृह (वाहतूक) | 5826.34 |

(स्रोत: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार संकलित)

5.6.2 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना अर्थसंकल्पीय सहाय्य

राज्य शासन वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना विविध स्वरूपात आर्थिक सहाय्य करते. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या मागील तीन वर्षांसाठी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या भागभांडवल, कर्जे/अनुदान, कर्जाची परतफेड/निर्लेखित आणि प्रलंबित हमीसाठी अर्थसंकल्पीय खर्चाचा संक्षिप्त तपशील खालील तक्ता 5.7 मध्ये दिला आहे.

तक्ता 5.7: शासकीय कंपनी आणि वैधानिक महामंडळे यांना अर्थसंकल्पीय सहाय्य संदर्भातील तपशीलाचे विवरणपत्रे (₹ कोटीत)

| अ क्र | तपशील | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | रक्कम | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | रक्कम | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | रक्कम |
| वीज क्षेत्रातील राज्य सार्वजनिक उपक्रम | | | | | | | |
| (i) | भाग भांडवल खर्च | - | - | - | - | 1 | 468.05 |
| (ii) | दिलेले अनुदान/अर्थसहाय्य | 1 | 10715.76 | 1 | 12141.97 | 1 | 13446.81 |
| (iii) | दिलेली कर्जे | - | - | - | - | 2 | 86.28 |
| (iv) | एकूण खर्च (i+ii+iii) | 1 | 10715.76 | 1 | 12141.97 | 4 | 14001.14 |
| (v) | कर्जाची परतफेड/निर्लेखन | - | - | - | - | - | - |
| (vi) | दिलेली हमी | - | - | 2 | 13867.93 | 1 | 5,244.00 |
| (vii) | प्रलंबित हमी वचनबद्धता | - | - | 1 | 14201.00 | 1 | 15,785.00 |
| वीज व्यतिरिक्त इतर | | | | | | | |
| (i) | भाग भांडवल खर्च | 1 | 0.30 | 2 | 3181.56 | 3 | 3,307.66 |
| (ii) | दिलेले अनुदान/अर्थसहाय्य | 4 | 1600.29 | 9 | 6182.74 | 12 | 3065.62 |
| (iii) | दिलेली कर्जे | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| (iv) | एकूण खर्च (i+ii+iii) | 5 | 1600.59 | 11 | 9364.30 | 16 | 6373.48 |
| (v) | कर्जाची परतफेड/निर्लेखन | - | - | - | - | - | - |
| (vi) | दिलेली हमी | 1 | 4000 | 1 | 0.43 | 1 | 6.78 |
| (vii) | प्रलंबित हमी वचनबद्धता | 1 | 48.49 | 5 | 907.25 | 5 | 317.27 |

(स्रोत: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार संकलित)

राज्य शासन राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांकडून मुद्दल आणि व्याजाच्या परतफेडीची हमी देवून कर्जाची रक्कम उभी करण्यास मदत करते. वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की वीज क्षेत्रातील राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या भाग भांडवल आणि अनुदान/अर्थसहाय्य आणि कर्ज यासाठी राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अर्थसंकल्पीय सहाय्य ₹ 12,141.97 कोटीवरून (2021-22) ₹ 14,001.14 कोटीपर्यंत (2022-23) वाढ झाली होती. वीज क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना भाग भांडवल, अनुदान/अर्थसहाय्य आणि कर्ज यासाठी देण्यात येणारे अर्थसंकल्पीय सहाय्य ₹ 1600.59 कोटी (2020-21) ते ₹ 6,373.48 कोटी (2022-23) ह्या दरम्यान होते.

तसेच, 2022-23 दरम्यान एका¹⁰ शासन नियंत्रित इतर कंपनीलासुद्धा अनुदान/अर्थसहाय्याच्या रूपात राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय सहाय्य ₹ 4.86 कोटी पुरविले होते.

वीज क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची हमी वचनबद्धता थकबाकी 2021-22 मधील ₹ 907.25 कोटींवरून 2022-23 मध्ये ₹ 317.27 कोटींपर्यंत कमी झाली. बँका/वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक कर्ज प्राप्त करण्यासाठी राज्य शासन, दिलेल्या कर्जाच्या आधारावर 0.50 ते दोन टक्के प्रतिवर्ष दराने हमी शुल्क वसूल करते. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार 2022-23 दरम्यान दोन राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून शासनाला ₹ 0.93 कोटींचे हमी शुल्क प्रदान केले गेले.

5.7 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील समभाग गुंतवणुकीचे बाजार भांडवलीकरण

बाजार भांडवलीकरण ज्या कंपन्या सूचीबद्ध आहेत त्यांच्या समभागांचे बाजार मूल्य दर्शविते. 31 मार्च 2023 रोजी, एकही राज्य सार्वजनिक उपक्रम सूचीबद्ध नव्हता.

5.8 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची पुनर्रचना, निर्गुतवणूक आणि खाजगीकरण

2022-23 या वर्षात कार्यरत तसेच निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची पुनर्रचना, निर्गुतवणुकीचे आणि खाजगीकरणाचे एकही प्रकरण घडले नाही.


5.9 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना दिलेल्या थकित कर्जाचे विश्लेषण

5.9.1 31 मार्च 2023 रोजी थकित दीर्घ मुदतीची कर्जे

31 मार्च 2023 रोजी, सर्व स्त्रोतांकडून 110 पैकी 53 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये एकूण दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची थकबाकी ₹ 1,41,623.01 कोटी होती. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या थकित दीर्घ मुदतीच्या कर्जात मागील वर्ष 2021-22 (₹ 1,09,096.23 कोटी) च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये निव्वळ ₹ 32,526.78 कोटीची वाढ झाली आहे.

31 मार्च 2023 रोजी एकूण दीर्घ मुदतीच्या थकित कर्जापैकी ₹ 1,220.83 कोटीचे कर्ज राज्य शासनाकडून होते, त्यापैकी लक्षणीय रक्कम (₹ 937.73 कोटी) ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्य सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित होती.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या थकित दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा वर्षनिहाय तपशील **आलेख 5.1** मध्ये दर्शविला आहे



(स्रोत: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार संकलित)

¹⁰ महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित

दीर्घ मुदतीचे कर्ज असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या 2021-22 मधील 54 वरून 2022-23 मध्ये 53 वर आली आहे. एकूण दीर्घ मुदतीच्या कर्जापैकी (₹ 1,41,623.01 कोटी) राज्य शासनाचे कर्ज ₹ 1,220.83 कोटी होते, त्यापैकी लक्षणीय रक्कम (₹ 689.42 कोटी) चार¹¹ ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि एक ऊर्जा क्षेत्रातील राज्य सार्वजनिक उपक्रम म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (₹ 198.64 कोटी) शी संबंधित होती.

5.9.2 कर्जाच्या दायित्वाची पूर्तता करण्यासाठी मालमत्तेची पर्याप्तता

एकूण मालमत्त्याचे दीर्घ मुदतीच्या कर्जाशी गुणोत्तर ही कंपनी पतदार राहू शकते की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतीपैकी एक आहे. पतदार (सॉल्व्हेंट) मानण्यासाठी, एखाद्या संस्थेच्या मालमत्त्याचे मूल्य त्याच्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. 31 मार्च 2023 रोजी थकित कर्ज असलेल्या 49 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील एकूण मालमत्त्याच्या मूल्यानुसार दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची व्याप्ती खाली तक्ता 5.8 मध्ये दिली आहे.

तक्ता 5.8: 31 मार्च 2023 रोजी एकूण मालमत्तेसह दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची व्याप्ती

| राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे स्वरूप | सकारात्मक व्याप्ती | | | | नकारात्मक व्याप्ती | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | दीर्घ मुदतीची कर्जे | मत्ता | कर्जाशी मत्तेची टक्केवारी | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | दीर्घ मुदतीची कर्जे | मत्ता | कर्जाशी मत्तेची टक्केवारी |
| | | (₹ कोटीत) | | | | (₹ कोटीत) | | |
| शासकीय कंपनी | 32 | 95793.00 | 348836.02 | 364.16 | 12 | 1411.80 | 110.69 | 7.84 |
| शासन नियंत्रित इतर कंपनी | 2 | 65.39 | 2367.65 | 3620.81 | 0 | - | - | - |
| वैधानिक महामंडळ | 3 | 786.89 | 50293.43 | 6391.42 | 0 | - | - | - |
| एकूण | 37 | 96645.28 | 401497.10 | 415.43 | 12 | 1411.80 | 110.69 | 7.84 |

(स्रोत: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त नवीनतम अंतिम आर्थिक विवरणपत्रानुसार संकलित केलेली माहिती.)

एकही राज्य सार्वजनिक उपक्रम स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये सूचीबद्ध नाही. नकारात्मक व्याप्ती असलेल्या 12 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी नऊ राज्य सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय होते आणि त्यांचे ₹ 1,310.32 कोटीचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज त्यांच्या मालमत्त्यापेक्षा (₹ 51.64 कोटी) जास्त होते. तसेच, नकारात्मक व्याप्ती असलेल्या तीन कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडे ₹ 101.48 कोटीचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज होते जे त्यांच्या मालमत्त्यापेक्षा (₹ 59.05 कोटी) जास्त होते.

5.10 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून परतावा

110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी, त्यांच्या नवीनतम आर्थिक विवरणपत्रानुसार, 47 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी नफा कमावला (42 शासन नियंत्रित कंपनी आणि पाच शासन नियंत्रित इतर कंपनी) आणि 45¹² (42 शासन नियंत्रित कंपनी आणि तीन शासन नियंत्रित इतर कंपनी) राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी तोटा नोंदविला. उर्वरित 18 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी दहा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ना नफा ना तोटा होते आणि उर्वरित आठ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी आपले पहिले वित्तीय विवरणपत्रसुद्धा सादर केले नाही.

5.10.1 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी कमवलेला नफा

या 47¹³ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा (38 शासन नियंत्रित कंपनी, चार वैधानिक महामंडळे आणि पाच शासन नियंत्रित इतर कंपनी) त्यांच्या नवीनतम आर्थिक विवरणपत्रांमध्ये नोंदविल्याप्रमाणे एकूण नफा ₹ 1,833.29 कोटी होता. क्षेत्रनिहाय तपशील खाली तक्ता 5.9 मध्ये दर्शविला आहे:

¹¹ महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित आणि महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ

¹² 45 शासन नियंत्रित कंपन्यांमध्ये 8 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश आहे ज्यांचा नफा शून्य आणि तोटा शून्य आहे कारण खर्च होलिंग कंपनीने केला होता

¹³ यात एक ना नफा ना तोटा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश आहे ज्याला नफा झाला आहे

तक्ता 5.9: क्षेत्रनिहाय नफा कमवणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा तपशील

| वर्ष | तपशील | नफा कमवणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | करोत्तर निव्वळ नफा (₹ कोटीमध्ये) | संचित तोटा/आधिक्य (₹ कोटीमध्ये) | निव्वळ संपत्ती (नेटवर्थ) (₹ कोटीमध्ये) |
|---------|----------------|---|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 2020-21 | ऊर्जा | 3 | 541.12 | -26205.21 | 121074.52 |
| | वित्त | 11 | 124.92 | 506.81 | 2297.96 |
| | सेवा | 2 | 1.02 | 13.94 | 34.59 |
| | पायाभूत सुविधा | 13 | 499.65 | -3006.05 | 8207.94 |
| | कृषी व तत्सम | 11 | 242.03 | 1310.29 | 52275.52 |
| | उत्पादन | 4 | 5.36 | 53.78 | 98.11 |
| | संकीर्ण | 2 | 43.37 | 156.37 | 181.32 |
| | एकूण | 46 | 1457.47 | -27170.07 | 184169.96 |
| 2021-22 | ऊर्जा | 3 | 1082.20 | 290.15 | 98491.38 |
| | वित्त | 10 | 89.42 | 580.50 | 2262.97 |
| | सेवा | 2 | 1.34 | 15.22 | 32.61 |
| | पायाभूत सुविधा | 10 | 49.39 | 594.67 | 7129.46 |
| | कृषी व तत्सम | 13 | 344.16 | 1849.17 | 61602.87 |
| | उत्पादन | 2 | 2.88 | -4.91 | 11.81 |
| | संकीर्ण | 3 | 24.87 | 174.85 | 199.80 |
| | एकूण | 43 | 1594.26 | 3499.65 | 169730.90 |
| 2022-23 | ऊर्जा | 3 | 1240.58 | -18949.97 | 128543.24 |
| | वित्त | 11 | 94.48 | 683.17 | 2433.77 |
| | सेवा | 2 | 1.34 | 15.35 | 32.74 |
| | पायाभूत सुविधा | 12 | 91.37 | 695.65 | 7257.61 |
| | कृषी व तत्सम | 13 | 369.15 | 2208.36 | 66782.84 |
| | उत्पादन | 3 | 3.77 | 46.80 | 65.59 |
| | संकीर्ण | 3 | 32.60 | 204.17 | 232.98 |
| | एकूण | 47 | 1833.29 | -15096.47 | 205348.77 |

(स्रोत : 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

नफा कमवणाऱ्या उच्चतम 10 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी तक्ता 5.10 मध्ये देण्यात आली आहे.

तक्ता 5.10: 2022-23 दरम्यान नफा कमवणाऱ्या 10 उच्चतम राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी

| अ. क्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची नावे | करोत्तर निव्वळ नफा | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या नफ्याची एकूण नफ्याशी टक्केवारी |
|--|---|--------------------|---|
| शासन नियंत्रित कंपन्या आणि वैधानिक महामंडळे | | | |
| 1 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित | 955.36 | 52.11 |
| 2 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित | 279.93 | 15.27 |
| 3 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित | 98.68 | 5.38 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळ मर्यादित | 93.62 | 5.11 |
| 5 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ | 69.37 | 3.78 |
| 6 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | 43.09 | 2.35 |
| 7 | कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ | 41.03 | 2.24 |
| 8 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित | 26.83 | 1.46 |
| 9 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित | 25.23 | 1.38 |
| शासन नियंत्रित इतर कंपन्या | | | |
| 1 | मिहान इंडिया मर्यादित | 33.79 | 1.84 |
| एकूण | | 1666.93 | 90.93 |

(स्रोत : 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

असे दिसून येते की 2022-23 मध्ये 47 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी कमवलेल्या एकूण नफ्यात वरील दहा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 90.93 टक्के योगदान दिले आहे. मिहान इंडिया मर्यादित वगळता हे राज्य सार्वजनिक उपक्रम मत्केदारीच्या परिस्थितीत काम करत आहेत.

क्षेत्रनिहाय नफ्याचा तपशील तक्ता 5.11 मध्ये दिला आहे.

तक्ता 5.11: क्षेत्रनिहाय नफा (2022-23 दरम्यान)

| क्षेत्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | करोत्तर नफा (₹ कोटीमध्ये) | एकूण राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या नफ्याशी क्षेत्राच्या नफ्याची टक्केवारी |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| ऊर्जा | 3 | 1240.58 | 67.67 |
| वित्त | 11 | 94.48 | 5.15 |
| सेवा | 2 | 1.34 | 0.07 |
| पायाभूत सुविधा | 12 | 91.37 | 4.98 |
| कृषी व तत्सम | 13 | 369.15 | 20.14 |
| उत्पादन | 3 | 3.77 | 0.21 |
| संकीर्ण | 3 | 32.60 | 1.78 |
| एकूण | 47 | 1833.29 | 100 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

2022-23 दरम्यान ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि कृषी व तत्सम क्षेत्रातील 28 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी सर्वाधिक ₹ 1,701.10 कोटीचा नफा कमवला, जो राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या एकूण नफ्याच्या 92.79 टक्के (₹ 1,833.29 कोटी) होता.

5.11 तोटा झालेले राज्य सार्वजनिक उपक्रम

5.11.1 झालेला तोटा

वर्ष 2022-23 मध्ये 45 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी (39 शासन नियंत्रित कंपन्या, तीन वैधानिक महामंडळे आणि तीन शासन नियंत्रित इतर कंपन्या¹⁴) त्यांच्या नवीनतम वित्तीय विवरणपत्रानुसार तोटा नोंदविला. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा एकूण निव्वळ तोटा 2021-22 मधील ₹ 4,388.37 कोटीवरून 2022-23 मध्ये ₹ 3,623.40 कोटीपर्यंत कमी झाला जो तक्ता 5.12 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 5.12: तोटा झालेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या

| वर्ष | क्षेत्र | तोटाचा असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | करानंतर निव्वळ तोटा (₹ कोटीत) | संचित तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती ¹⁵ (₹ कोटीत) |
|---------|----------------|---|-------------------------------|----------------------|--|
| 2020-21 | ऊर्जा | 5 | -125.76 | -8111.00 | 17297.55 |
| | वित्त | 5 | -21.17 | -798.69 | -561.25 |
| | सेवा | 2 | -939.88 | -4603.16 | 97.49 |
| | पायाभूत सुविधा | 12 | -414.37 | -959.73 | 12678.58 |
| | कृषी व तत्सम | 6 | -62.84 | 291.83 | 2616.12 |
| | उत्पादन | 12 | -72.77 | -1483.67 | -1197.06 |
| | संकीर्ण | 3 | -0.10 | -5.68 | -4.03 |
| | एकूण | 45 | -1636.89 | -15670.10 | 30927.40 |

¹⁴ नफा शून्य तोटा शून्य असलेल्या आठ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश आहे, कारण त्यांचा खर्च धारण (होल्टिंग) कंपन्यांद्वारे करण्यात येतो

¹⁵ निव्वळ संपत्ती म्हणजे भरणा झालेले भांडवल, मुक्त राखीव व आधिक्य वजा संचित तोटा आणि स्थगित (डेफर्ड) महसुली खर्चाची एकूण

| वर्ष | क्षेत्र | तोट्यात असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | करानंतर निव्वळ तोटा (₹ कोटीत) | संचित तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती ¹⁶ (₹ कोटीत) |
|---------|----------------|--|-------------------------------|----------------------|--|
| 2021-22 | ऊर्जा | 5 | -2966.26 | -33883.00 | 39760.03 |
| | वित्त | 6 | -26.88 | -814.42 | -594.04 |
| | सेवा | 2 | -716.15 | -5319.30 | -51.46 |
| | पायाभूत सुविधा | 16 | -530.04 | -5161.42 | 9298.32 |
| | कृषी व तत्सम | 4 | -62.82 | 292.22 | 2616.11 |
| | उत्पादन | 13 | -86.19 | -1530.79 | -1240.31 |
| | संकीर्ण | 2 | -0.03 | -1.97 | -0.46 |
| | एकूण | 48 | -4388.37 | -46418.68 | 49788.19 |
| 2022-23 | बीज | 5 | -1644.70 | -9253.37 | 16665.73 |
| | वित्त | 5 | -26.30 | -804.80 | -614.40 |
| | सेवा | 1 | -1146.57 | -8237.20 | -2610.86 |
| | पायाभूत सुविधा | 16 | -665.99 | -5529.04 | 16755.59 |
| | कृषी व तत्सम | 4 | -62.88 | 294.81 | 2618.70 |
| | उत्पादन | 12 | -76.58 | -1752.77 | -1343.50 |
| | संकीर्ण | 2 | -0.38 | -2.34 | -0.83 |
| | एकूण | 45¹⁷ | -3623.40 | -25284.71 | 31470.43 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

2022-23 या कालावधीत 45 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना झालेल्या ₹ 3,623.40 कोटी एकूण तोट्यापैकी (-) ₹ 3,355.13 कोटींच्या तोट्यात चार राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी योगदान दिले आहे. हे तोट्यातील चार राज्य सार्वजनिक उपक्रम, ज्यांना ₹ 200 कोटीपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे, ते **तक्ता 5.13** मध्ये दर्शविले आहेत.

39 शासन नियंत्रित कंपनी (₹ 2,322.19 कोटी), तीन वैधानिक महामंडळे (₹ 1,223.14 कोटी) आणि तीन शासन नियंत्रित इतर कंपनी (₹ 78.07 कोटी) यांनी करानंतरचा निव्वळ तोटा (-) ₹ 3,623.40 कोटी नोंदविला आहे.

तक्ता 5.13: संबंधित राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रांनुसार ज्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना ₹ 200 कोटीपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे

(₹ कोटीत)

| अ. क्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची नावे | करानंतर निव्वळ तोटा | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या तोट्याची एकूण तोट्याशी टक्केवारी |
|--------|---|---------------------|---|
| 1 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित | -1644.34 | 45.38 |
| 2 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | -1146.57 | 31.64 |
| 3 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सी लिंक मर्यादित | -297.67 | 8.22 |
| 4 | मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मर्यादित. | -266.55 | 7.36 |
| | एकूण | -3355.13 | 92.60 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

वरील **तक्ता 5.13** मध्ये दर्शविलेल्या चार राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 2022-23 दरम्यान 45 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना झालेल्या एकूण तोट्यात 92.60 टक्के योगदान दिले.

¹⁶ निव्वळ संपत्ती म्हणजे भरणा झालेले भांडवल, मुक्त राखीव व आधिक्य वजा संचित तोटा आणि स्थगित (डेफर्ड) महसुली खर्चाची एकूण

¹⁷ नऊ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी (ना नफा ना तोटा राज्य सार्वजनिक उपक्रम वगळून) कोणताही नफा किंवा तोटा नोंदविला नाही

5.11.2 निव्वळ नफा/तोटा गुणोत्तर

110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे एकूण क्षेत्रनिहाय निव्वळ नफा/तोटा गुणोत्तर खालील तक्ता 5.14 मध्ये दर्शविले आहे:

तक्ता 5.14: क्षेत्रनिहाय निव्वळ नफा/तोटा गुणोत्तर

| क्षेत्र | क्षेत्राचा निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | उलाढाल (₹ कोटीत) | निव्वळ नफा गुणोत्तर (टक्केवारीत) |
|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| ऊर्जा | (-)404.12 | 112847.35 | (-) 0.36 |
| वित्त | 68.18 | 140.75 | 48.44 |
| सेवा | (-) 1145.23 | 2628.20 | (-) 43.57 |
| पायाभूत सुविधा | (-)574.62 | 2415.73 | (-)23.79 |
| कृषी व तत्सम | 306.27 | 1727.81 | 17.73 |
| उत्पादन | (-) 72.81 | 455.49 | (-) 15.98 |
| संकीर्ण | 32.22 | 1939.37 | 1.66 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

5.11.3 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे देय लाभांश

वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी 2012 मध्ये शासन निर्णय जारी केला, त्यानुसार नफा कमवणाऱ्या सर्व राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना नफ्याच्या किमान पाच टक्के लाभांश जाहीर करणे आवश्यक होते. महाराष्ट्रातील 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 47 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 2022-23 मध्ये नफा कमवला होता. यापैकी, 31 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी संचित तोट्याशिवाय नफा कमवला असून त्यांना लाभांश देणे बंधनकारक आहे. तथापि, 2022-23 मध्ये केवळ सात राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी लाभांश जाहीर/प्रदान केला. 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षांच्या कालावधीत प्रदान केलेल्या/जाहीर केलेल्या लाभांशाचा तपशील खालील तक्ता 5.15 मध्ये दर्शविला आहे.

तक्ता 5.15: 2020-21 ते 2022-23 पर्यंत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे लाभांश प्रदाने.

(₹ कोटीत)

| वर्ष | महाराष्ट्र शासनाचे समभाग धारण (इक्विटी होल्डिंग) असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी वर्षभरात नफा कमवला आणि संचित तोटा झाला नाही | | एकूण समभाग (प्रलंबित वाटप वगळून) | महाराष्ट्र शासन समभाग | एकूण देय लाभांश | महाराष्ट्र शासनाला देय लाभांश | लाभांश जाहीर केलेल्या/प्रदान केलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | लाभांश जाहीर/प्रदान | महाराष्ट्र शासनाला प्रदान केलेली रक्कम | लाभांश देय गुणोत्तर (%) |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|--|-------------------------|
| | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | करोत्तर निव्वळ नफा | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5%*3 | 7=6*5/4 | 8 | 9 | 10 | 11=10/5*100 |
| 2020-21 | 27 | 671.30 | 58401.99 | 58321.60 | 33.56 | 33.52 | 7 | 14.39 | 13.32 | 0.023 |
| 2021-22 | 24 | 469.602 | 60987.29 | 60907.34 | 23.48 | 23.45 | 8 | 7.56 | 5.37 | 0.009 |
| 2022-23 | 31 | 543.64 | 150265.19 | 150184.77 | 27.18 | 27.17 | 7 | 5.50 | 3.85 | 0.003 |

(स्रोत: नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रानुसार संकलित केलेली माहिती आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेली माहिती)

सात सार्वजनिक उपक्रमांनी जाहीर केलेल्या लाभांशाचा तपशील खाली तक्ता 5.16 मध्ये दिला आहे.

तक्ता 5.16 : सन 2022-23 मध्ये देण्यात आलेल्या/जाहीर केलेल्या लाभांशाचा तपशील

(₹ कोटीत)

| अ. क्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची नावे | एकूण भरलेले भांडवल | राज्य शासनाचे समभाग | करोत्तर निव्वळ नफा | निव्वळ नफ्याच्या पाच टक्के | इक्विटी होल्डिंग नुसार महाराष्ट्र शासनाला देय लाभांश | लाभांश जाहीर/प्रदान | महाराष्ट्र शासनाला त्याच्या इक्विटी होल्डिंग नुसार जाहीर करण्यात / देण्यात आलेला लाभांश |
|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5%*5 | 7=6*4/3 | 8 | 9=8*4/3 |
| 1 | महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 5.50 | 3.00 | 5.25 | 0.26 | 0.14 | 0.28 | 0.15 |
| 2 | महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित | 4.18 | 2.05 | 12.49 | 0.63 | 0.31 | 0.84 | 0.41 |
| 3 | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी आणि शेळी विकास महामंडळ मर्यादित | 24.97 | 22.84 | 1.31 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.18 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | 8.71 | 4.36 | 43.08 | 2.15 | 1.08 | 2.16 | 1.08 |
| 5 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित. | 12.30 | 12.30 | 26.83 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 6 | पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित. | 3.06 | 3.06 | 9.23 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.65 |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित | 2.07 | 2.07 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| | एकूण | 60.79 | 49.68 | 98.73 | 4.94 | 3.42 | 5.50 | 3.85 |

(स्रोत: नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रानुसार संकलित केलेली माहिती आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेली माहिती)

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की या सात राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी किमान पाच टक्के लाभांश महाराष्ट्र शासनाला प्रदान केला आहे.

5.12 कर्ज सेवा

5.12.1 व्याज व्याप्ती गुणोत्तर

व्याज व्याप्ती गुणोत्तर एखाद्या कंपनीच्या थकित दीर्घ मुदतीच्या/अल्प मुदतीच्या कर्जावर व्याज देण्याची क्षमता निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते आणि कंपनीच्या व्याज आणि करांपूर्वीच्या उत्पन्नाला त्याच कालावधीच्या व्याज खर्चाने भागून गणना केली जाते. हे गुणोत्तर जितके कमी असेल तितकी कंपनीची कर्जावरील व्याज भरण्याची क्षमता कमी होईल. एक पेक्षा कमी व्याज व्याप्ती गुणोत्तर हे दर्शविते की कंपनी व्याजावरील खर्च भागविण्यासाठी पुरेसा महसूल प्राप्त करित नव्हत्या. 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत वित्त खर्च असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक व्याज व्याप्ती गुणोत्तराचा तपशील तक्ता 5.17 मध्ये देण्यात आला आहे.

तक्ता 5.17: व्याज व्याप्ती गुणोत्तर

| वर्ष | क्षेत्र | व्याज | व्याज आणि करापूर्वीचे उत्पन्न | थकित कर्ज आणि व्याज असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | व्याज व्याप्ती गुणोत्तर ≥ 1 असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या | व्याज व्याप्ती गुणोत्तर < 1 असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--|
| | | ₹ कोटीत | | | | |
| 2020-21 | ऊर्जा | 8965.54 | 10107.96 | 3 | 3 | 0 |
| | वित्त | 109.31 | 196.64 | 15 | 11 | 4 |
| | सेवा | 1.90 | -937.06 | 2 | 1 | 1 |
| | पायाभूत सुविधा | 751.65 | 519.26 | 7 | 3 | 4 |
| | कृषी व तत्सम | 4.85 | 65.67 | 6 | 6 | 0 |
| | उत्पादन | 60.11 | -8.72 | 5 | 2 | 3 |
| | संकीर्ण | 0.58 | 13.92 | 1 | 1 | 0 |
| | एकूण | 9893.94 | 9957.67 | 39 | 27 | 12 |
| 2021-22 | ऊर्जा | 9692.49 | 7844.68 | 3 | 1 | 2 |
| | वित्त | 96.44 | 145.73 | 14 | 10 | 4 |
| | सेवा | 4.36 | -710.23 | 2 | 1 | 1 |
| | पायाभूत सुविधा | 759.18 | 280.84 | 10 | 4 | 6 |
| | कृषी व तत्सम | 4.73 | 32.75 | 5 | 5 | 0 |
| | उत्पादन | 62.08 | -17.82 | 4 | 1 | 3 |
| | संकीर्ण | 73.26 | 96.10 | 2 | 2 | 0 |
| | एकूण | 10692.54 | 7672.05 | 40 | 24 | 16 |
| 2022-23 | ऊर्जा | 9124.82 | 8491.17 | 3 | 2 | 1 |
| | वित्त | 95.58 | 143.17 | 14 | 11 | 3 |
| | सेवा | 2.03 | -1142.99 | 2 | 1 | 1 |
| | पायाभूत सुविधा | 785.06 | 200.64 | 9 | 4 | 5 |
| | कृषी व तत्सम | 0.88 | 105.81 | 5 | 5 | 0 |
| | उत्पादन | 62.47 | -8.85 | 4 | 1 | 3 |
| | संकीर्ण | 14.04 | 49.05 | 2 | 2 | 0 |
| | एकूण | 10084.88 | 7838.00 | 39 | 26 | 13 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

वरील तक्त्यावरून असे लक्षात येते की ज्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची दीर्घ मुदतीची कर्जे होती त्यांच्यातील व्याज व्याप्ती गुणोत्तरात लक्षणीय फरक पडलेला नाही. व्याज व्याप्ती गुणोत्तर एक किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या 2020-21 मध्ये 27 वरून 2022-23 मध्ये 26 अशी कमी झाली होती. त्याचप्रमाणे एक पेक्षा कमी व्याज व्याप्ती गुणोत्तर असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संख्याही 2020-21 मध्ये 12 वरून 2022-23 मध्ये 13 पर्यंत वाढली होती.

5.13 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची आर्थिक कामगिरी

5.13.1 उपयोजित भांडवलावरील परतावा

उपयोजित भांडवलावरील परतावा हा एक नफा एकक (मेट्रिक) आहे जो एखाद्या कंपनीचा दीर्घ मुदतीचा नफा आणि कंपनीद्वारे एकूण भांडवल किती कार्यक्षमतेने वापरले जाते हे मोजतो. उपयोजित भांडवलावरील परताव्याची गणना एखाद्या कंपनीच्या व्याज आणि करापूर्वीच्या उत्पन्नाला उपयोजित भांडवलाद्वारे¹⁸ भागून केली जाते.

2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा क्षेत्रनिहाय एकत्रित उपयोजित भांडवलावरील परतावा तक्ता 5.18 मध्ये दिले आहे.

¹⁸ उपयोजित भांडवल = भरणा झालेले भागभांडवल अधिक मुक्त राखीव (फ्री रिजर्व) आणि अधिशेष (सरप्लस) अधिक दीर्घ मुदतीची कर्जे वजा संघित तोटा वजा स्थगित महसुली खर्च

तक्ता 5.18: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या भांडवलावरील परतावा

| वर्ष | क्षेत्र | व्याज आणि करांपूर्वीचे उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारीत) |
|---------|----------------|--|--------------------------|---|
| 2020-21 | ऊर्जा | 10110.64 | 198554.71 | 5.09 |
| | वित्त | 228.33 | 3078.09 | 7.42 |
| | सेवा | -936.97 | 338.86 | -276.51 |
| | पायाभूत सुविधा | 601.09 | 33598.72 | 1.79 |
| | कृषी व तत्सम | 235.55 | 122820.52 | 0.19 |
| | उत्पादन | -8.02 | -795.17 | -1.01 |
| | संकीर्ण | 56.29 | 188.44 | 29.87 |
| | एकूण | 10286.91 | 357784.17 | 2.88 |
| 2021-22 | ऊर्जा | 7853.21 | 201105.85 | 3.91 |
| | वित्त | 169.02 | 2970.60 | 5.69 |
| | सेवा | -710.14 | 191.35 | -371.12 |
| | पायाभूत सुविधा | 305.67 | 41712.49 | 0.73 |
| | कृषी व तत्सम | 350.82 | 151385.08 | 0.23 |
| | उत्पादन | -20.74 | -894.00 | -2.32 |
| | संकीर्ण | 97.50 | 231.10 | 42.19 |
| | एकूण | 8045.34 | 396702.47 | 2.03 |
| 2022-23 | ऊर्जा | 8496.10 | 209048.91 | 4.06 |
| | वित्त | 173.40 | 3144.74 | 5.51 |
| | सेवा | -1142.89 | -2367.92 | -48.27 |
| | पायाभूत सुविधा | 247.16 | 56166.09 | 0.44 |
| | कृषी व तत्सम | 353.32 | 156561.16 | 0.23 |
| | उत्पादन | -8.28 | -946.88 | -0.87 |
| | संकीर्ण | 49.44 | 238.24 | 20.75 |
| | एकूण | 8168.25 | 421844.34 | 1.94 |

(स्रोत : 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंतच्या नवीनतम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

असे निदर्शनास आले की 2020-21 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये व्याज आणि करांपूर्वीचे उत्पन्न कमी झाल्याने आणि उपयोजित भांडवलामध्ये वाढ झाल्यामुळे राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा उपयोजित भांडवलावरील परतावा 2020-21 मधील 2.88 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये 1.94 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. 2022-23 या वर्षासाठी 76 कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि नऊ निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उपयोजित भांडवलावरील परताव्याचे प्रतिनिधित्व करण्यात आले. उर्वरित 25 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये (आठ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांसह ज्यांचे पहिले लेखे प्रतीक्षेत होते) उपयोजित भांडवलावरील परतावा शून्य होता कारण एकतर व्याज आणि करांपूर्वीचे उत्पन्न किंवा उपयोजित भांडवल शून्य होते. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या तीन वर्षासाठी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उपयोजित भांडवलावरील परताव्याचा तपशील परिशिष्ट 5.3 मध्ये देण्यात आला आहे.

5.13.2 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या इक्विटीवरील परतावा

इक्विटीवरील परतावा (रिटर्न ऑन इक्विटी) हे वित्तीय कामगिरीचे मोजमाप आहे जे व्यवस्थापन कंपनीच्या मालमत्तेचा नफानिर्मिती साठी किती प्रभावीपणे वापर करित आहे याचे मूल्यांकन करते आणि याची गणना निव्वळ नफा उत्पन्नाला (म्हणजे करोत्तर निव्वळ नफा) भागधारकांच्या निधीने भागून केली जाते. हे टक्केवारी म्हणून दर्शविले जाते आणि निव्वळ उत्पन्न आणि भागधारकांचा निधी दोन्ही सकारात्मक संख्या असल्यास कोणत्याही कंपनीसाठी गणना केली जाऊ शकते.

एखाद्या कंपनीच्या भागधारकांच्या निधीची गणना भरणा झालेले भांडवल आणि मुक्त राखीव आणि आधिक्य, कमी संचित तोटा आणि स्थगित महसुली खर्च जोडून केली जाते आणि सर्व मालमत्ता विकल्यास आणि सर्व कर्जांची

परतफेड केल्यास कंपनीच्या भागधारकांसाठी किती शिल्लक राहिल हे दर्शविते. सकारात्मक भागधारक निधी असे दर्शवितो की कंपनीकडे त्याच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता आहे, तर नकारात्मक भागधारक निधीचा अर्थ असा आहे की दायित्वे हे त्याच्या मालमत्तेपेक्षा जास्त आहेत. जिथे राज्य शासनाने निधी गुंतविला आहे अशा 58 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या¹⁹ बाबतीत इक्विटीवरील परताव्याची गणना करण्यात आली आहे. 2022-23 या कालावधीसाठी इक्विटीवरील परताव्याचे राज्य सार्वजनिक उपक्रमनिहाय तपशील परिशिष्ट 5.4 मध्ये दिले आहेत.

2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित भागधारक निधी आणि भांडवलावरील परताव्याचा तपशील तक्ता 5.19 मध्ये देण्यात आला आहे.

तक्ता 5.19: राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या भांडवलावरील परतावा

| वर्ष | क्षेत्र | ज्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांसाठी इक्विटीवरील परतावा गणना केली आहे त्यांची संख्या | करोत्तर निव्वळ नफा (₹ कोटीत) | भागधारक निधी (₹ कोटीत) | इक्विटीवरील परतावा (टक्केवारीत) |
|---------|----------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2020-21 | ऊर्जा | 2 | 19.73 | 86005.87 | 0.02 |
| | वित्त | 17 | 101.39 | 1573.55 | 6.44 |
| | सेवा | 2 | -938.93 | 126.15 | -744.30 |
| | पायाभूत सुविधा | 13 | 427.82 | 452.88 | 94.47 |
| | कृषी व तत्सम | 14 | 178.72 | 132044.19 | 0.14 |
| | उत्पादन | 6 | -64.75 | -1045.12 | -6.20 |
| | संकीर्ण | 5 | 43.28 | 198.35 | 21.82 |
| | एकूण | 59 | -232.74 | 219355.87 | -0.11 |
| 2021-22 | ऊर्जा | 2 | 8.68 | 86079.83 | 0.01 |
| | वित्त | 17 | 60.18 | 1646.20 | 3.66 |
| | सेवा | 2 | -714.87 | -21.52 | -3321.89 |
| | पायाभूत सुविधा | 13 | 25.04 | -2200.71 | -1.14 |
| | कृषी व तत्सम | 14 | 280.82 | 151130.66 | 0.19 |
| | उत्पादन | 6 | -82.04 | -1147.52 | -7.15 |
| | संकीर्ण | 5 | 19.66 | 230.82 | 8.52 |
| | एकूण | 59 | -402.53 | 235717.76 | -0.17 |
| 2022-23 | ऊर्जा | 1 | 5.29 | 92352.05 | 0.01 |
| | वित्त | 17 | 66.73 | 1795.19 | 3.72 |
| | सेवा | 2 | -1145.30 | -2580.94 | -44.38 |
| | पायाभूत सुविधा | 13 | 33.29 | -2144.81 | -1.55 |
| | कृषी व तत्सम | 14 | 304.49 | 156303.97 | 0.19 |
| | उत्पादन | 6 | -71.72 | -1197.72 | -5.99 |
| | संकीर्ण | 5 | 32.22 | 238.17 | 13.53 |
| | एकूण | 58 | -775.00 | 244765.91 | -0.32 |

(स्रोत: 30 सप्टेंबर 2023 रोजी नवीनतम वित्तीय विवरणपत्राच्या आधारे संकलित केलेली माहिती)

वरील तक्त्यावरून दिसून येते की, 2022-23 मध्ये 58 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा इक्विटीवरील परतावा (-)0.32 टक्के होता. यामध्ये 35 नफा कमावणार्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा आणि 15 तोट्यात असलेल्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश होता, त्यापैकी 2022-23 मध्ये इक्विटीवरील परतावा अनुक्रमे 0.34 टक्के आणि (-)27.69 टक्के होता. आठ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी कोणताही नफा किंवा तोटा नोंदविला नाही. शिवाय, वरील तक्त्यावरून असेही दिसून येते की राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे निव्वळ उत्पन्न 2020-21 मधील

¹⁹ यात महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाचा समावेश आहे, जो थेट शासनाच्या ताब्यात आहे, परंतु भागभांडवल नाही

(-)₹ 232.74 कोटींवरून 2022-23 मध्ये (-)₹ 775.00 कोटींपर्यंत लक्षणीयरित्या कमी झाले, परिणामी इक्विटीवरील परतावा 2020-21 मधील (-)0.11 टक्क्यांवरून 2022-23 मध्ये (-)0.32 टक्क्यांपर्यन्त कमी झाला. वरील 58 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 55 शासन नियंत्रित कंपन्यांच्या बाबतीत करोत्तर निव्वळ नफा (-)₹ 787.44 कोटी होता, तर या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील भागधारकांचा निधी ₹ 2,44,355.94 कोटी होता. त्याचप्रमाणे, तीन शासन नियंत्रित इतर कंपन्यांच्या बाबतीत, करोत्तर निव्वळ नफा ₹ 12.44 कोटी होता, तर या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील भागधारक निधी ₹ 409.97 कोटी होता. 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत भागधारक निधीत वाढ झाली असली तरी निव्वळ उत्पन्न नकारात्मक असल्याने भांडवलावर नकारात्मक परतावा मिळाला. 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या तीन वर्षांसाठी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या इक्विटीवरील परताव्याचा तपशील **परिशिष्ट 5.4** मध्ये देण्यात आला आहे.

5.13.3 गुंतवणुकीवरील प्रत्यक्ष परताव्याचा दर

गुंतवणुकीवरील प्रत्यक्ष परतावा इक्विटी आणि तत्सम विनाव्याज भांडवल त्यांच्या वेळेच्या मूल्यासाठी समायोजित केल्यानंतर ज्या नफ्याने आणि कार्यक्षमतेने वापरले गेले आहे त्याचे मोजमाप करते आणि गुंतवणुकीवर वास्तविक परतावा दराशी तुलना केल्यास महत्वाचे ठरते, जे पुरातन (हिस्टोरीक) खर्चाच्या आधारावर मोजल्या गेलेल्या अशा सर्व गुंतवणुकीच्या बेरजेने करोत्तर नफ्याला भागून मोजले जाते.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये राज्य शासनाची लक्षणीय गुंतवणूक लक्षात घेता, अशा गुंतवणुकीवर प्रत्यक्ष परताव्याचा दर आवश्यक आहे. केवळ गुंतवणुकीच्या पुरातन खर्चावर आधारित परताव्याची पारंपारिक गणना गुंतवणुकीवरील प्रत्यक्ष परताव्याच्या दराच्या पर्याप्ततेचे योग्य सूचक असू शकत नाही कारण अशी गणिते पैशाच्या सध्याच्या मूल्याकडे दुर्लक्ष करतात. गुंतवणुकीच्या पुरातन मूल्याच्या तुलनेत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणुकीच्या वर्तमान मूल्यावरील प्रत्यक्ष परताव्याच्या दराचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणुकीचे वर्तमान मूल्य मोजले गेले आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत प्रत्येक वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणुकीचा पुरातन खर्च सध्याच्या मूल्यावर आणण्यासाठी, राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गुंतविलेल्या मागील गुंतवणूक/वर्षनिहाय निधीला शासकीय कर्जावरील वर्षनिहाय सरासरी व्याज दराने वाढविण्यात आले आहे, जे संबंधित वर्षासाठी निधीची किमान किंमत मानली जाते.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणुकीची वर्तमान मूल्य खालील गृहीतकांच्या आधारे मोजली गेली.

- प्रत्यक्ष परतावा दर मोजण्यासाठी निर्गुंतवणुकीशिवाय गुंतवलेले भांडवल गुंतवणूक म्हणून गणले गेले आहे.
- व्याजमुक्त कर्ज आणि भांडवलामध्ये रुपांतरित व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध झालेला निधी गुंतवणूक म्हणून गणला गेला आहे.
- संबंधित वित्तीय वर्षासाठी शासकीय कर्जावरील सरासरी व्याजदर सध्याच्या मूल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी चक्रवाढ दर म्हणून स्वीकारला गेला कारण ते वर्षासाठी निधीच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या खर्चाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि म्हणूनच किमान अपेक्षित प्रत्यक्ष परतावा दर मानले जातात.

2022-23 पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुरातन खर्चाच्या आधारावर भांडवल आणि व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमधील शासनाच्या गुंतवणुकीची वर्षनिहाय स्थिती **परिशिष्ट 5.5** मध्ये देण्यात आली आहे.

तक्ता 5.20 मध्ये 2017-18 ते 2022-23 या कालावधीतील गुंतवणुकीच्या पुरातन खर्चाच्या वर्तमान मूल्याचा विचार करून राज्य शासनाच्या गुंतवणुकीच्या प्रत्यक्ष परताव्याची दर गणना दर्शविली आहे.

तक्ता 5.20: राज्य शासनाने राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा वर्षनिहाय तपशील आणि 2022-23 पर्यंत त्यांचे सध्याचे मूल्य

(₹ कोटीत)

| वित्तीय वर्ष | वर्षाच्या सुरुवातीला गुंतवणुकीचे वर्तमान मूल्य | वर्षभरातील गुंतवणूक | वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणूक | शासकीय कर्जावरील सरासरी व्याजदर (टक्केवारीत) | वर्षाच्या अखेरीस एकूण गुंतवणुकीचे सध्याचे मूल्य | वर्षभरातील निधीचा खर्च वसूल करण्यासाठी कमीतकमी अपेक्षित परतावा | वर्षभरातील करोत्तर एकूण उत्पन्न | प्रत्यक्ष परतावा दर (टक्केवारीत) |
|--------------|--|---------------------|---------------------------|--|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| i | ii | iii | iv=ii+iii | v | vi=iv* (1+(v÷100)) | vii = iv* (v÷100) | viii | ix=viii* 100 / vi |
| 2017-18 | 344433.91 | 8535.84 | 352969.75 | 8.00 | 381207.33 | 28237.58 | -3347.01 | -0.88 |
| 2018-19 | 381207.33 | 1933.32 | 383140.65 | 7.80 | 413025.62 | 29884.97 | 72.59 | 0.02 |
| 2019-20 | 413025.62 | 10151.16 | 423176.78 | 7.30 | 454068.68 | 30891.90 | 674.73 | 0.15 |
| 2020-21 | 454068.68 | 1253.98 | 455322.66 | 7.19 | 488060.36 | 32737.70 | -179.42 | -0.04 |
| 2021-22 | 488060.36 | 6380.05 | 494440.41 | 6.96 | 528853.46 | 34413.05 | -2794.11 | -0.53 |
| 2022-23 | 528853.46 | 641.27 | 529494.73 | 6.58 | 564335.48 | 34840.75 | -1790.11 | -0.32 |

(स्रोत : नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रानुसार संकलित केलेली माहिती आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेली माहिती)

2022-23 या वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्र शासनाने राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीत 2017-18 च्या ₹ 3,52,969.75 कोटीवरून ₹ 5,29,494.73 कोटीपर्यंत वाढ झाली होती. वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की, 2017-18 ते 2022-23 या कालावधीत प्रत्यक्ष परतावा दर (-)0.88 ते 0.15 टक्के या दरम्यान होता.

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या कालावधीसाठी गुंतवणुकीच्या सध्याच्या मूल्यावर एकत्रित परतावा दर आणि प्रत्यक्ष परतावा दर तक्ता 5.21 मध्ये खाली दर्शविला

तक्ता 5.21: 2022-23 मध्ये संपलेल्या वर्षासाठी गुंतवणुकीच्या सध्याच्या मूल्यावर एकत्रित प्रत्यक्ष परतावा दर

| वित्तीय वर्ष | एकूण उत्पन्न /तोटा (-) | गुंतवणुकीच्या पुरातन किमतीवर राज्य शासनाची वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणूक (₹ कोटीत) | परताव्याचा दर (टक्के) | गुंतवणुकीच्या सध्याच्या किमतीवर राज्य शासनाची वर्षाच्या अखेरीस गुंतवणूक (₹ कोटीत) | प्रत्यक्ष परतावा दर (टक्के) |
|--------------|------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------------|
| | (अ) | (ब) | (क)={ (अ) / (ब) } * 100 | (ड) | (ई)={ (अ) / (ड) } * 100 |
| 2022-23 | (-)1790.11 | 232406.06 | (-)0.77 | 564335.48 | (-)0.32 |

(स्रोत: नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रानुसार संकलित केलेली माहिती आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेली माहिती)

5.13.4 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या निव्वळ संपत्तीचे अपक्षरण

निव्वळ संपत्ती (नेटवर्थ) म्हणजे भरणा झालेले (पेडअप) भांडवल, मुक्त राखीव आणि आधिक्य वजा (मायनस) संचित तोटा आणि स्थगित महसुली खर्च यांची बेरीज. हे मूलतः मालकांसाठी एखाद्या संस्थेचे मूल्य काय आहे याचे मोजमाप आहे. नकारात्मक निव्वळ संपत्ती हे दर्शविते की संचित तोटा आणि स्थगित महसुली खर्चामुळे मालकांची संपूर्ण गुंतवणूक नष्ट झाली आहे.

31 मार्च 2023 रोजी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या नवीनतम वित्तीय विवरणपत्रानुसार 41 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना ₹ 50,098.55 कोटीचा संचित तोटा झाला होता, 49 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये ₹ 9,717.76 कोटीचे संचित आधिक्य होते आणि 12 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना ना संचित तोटा ना संचित नफा झाला होता.

संचित तोट्यात गेलेल्या 41 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 13 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांसह 31 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची निव्वळ संपत्ती पूर्णपणे नष्ट झाली होती. 31 मार्च 2023 रोजी या 31 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या ₹ 7,551.83 कोटींच्या भरणा झालेल्या भांडवलाच्या तुलनेत एकूण नकारात्मक निव्वळ संपत्ती (₹ 9,887.19 कोटी) होती. वरील 31 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचा तपशील **परिशिष्ट 5.6** मध्ये देण्यात आला आहे. तसेच ज्यांची निव्वळ संपत्ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे अशा 31 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 22²⁰ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची निव्वळ संपत्ती **परिशिष्ट 5.7** मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे (तपशीलवार उत्पन्न आणि खर्चासह) तीन वर्षांहून अधिक काळ सतत कमी होत गेली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित (₹ 2,948.11 कोटी), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (₹ 2,610.86 कोटी), महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित (₹ 1,013.63 कोटी) आणि महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित (₹ 1,006.74 कोटी) या कंपन्यांच्या निव्वळ संपत्तीत सर्वाधिक घट दिसून आली.

5.14 भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांची पर्यवेक्षणाची भूमिका

5.14.1 भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याद्वारे राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 139 (5)/(7) नुसार शासकीय कंपनी आणि शासन नियंत्रित इतर कंपन्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करतात, ज्यात असे नमूद केले आहे की शासकीय कंपनी किंवा शासन नियंत्रित इतर कंपन्याबाबतीत वैधानिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी वित्तीय वर्ष सुरु झाल्यापासून 180 दिवसांच्या आत आणि प्रथम लेखापरीक्षकाच्या बाबतीत नोंदणीपासून 60 दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांना पूरक लेखापरीक्षण करण्याचा आणि वैधानिक लेखापरीक्षकाच्या लेखापरीक्षण अहवालावर अभिप्राय देण्याचा किंवा पूरक करण्याचा अधिकार आहे. काही महामंडळांच्या नियमनानुसार त्यांच्या वित्तीय विवरणपत्राचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल राज्य विधिमंडळाला सादर करणे आवश्यक आहे.

5.14.2 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे वित्तीय विवरणपत्रे सादर करणे

5.14.2.1 वेळेत सादर करण्याची गरज

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 394 नुसार शासकीय कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. वार्षिक अहवाल तयार झाल्यानंतर वार्षिक अहवाल लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रतिसह भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या टिप्पण्या किंवा दिलेल्या पूरक लेखापरीक्षण अहवालासह शक्य तितक्या लवकर विधिमंडळासमोर सादर केला पाहिजे. वैधानिक महामंडळे नियमन करणाऱ्या संबंधित अधिनियमांमध्ये जवळजवळ समान तरतुदी अस्तित्वात आहेत. ही यंत्रणा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गुंतवलेल्या सार्वजनिक निधीच्या वापरावर आवश्यक वैधानिक (लेजिस्लेटिव) नियंत्रण प्रदान करते.

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 96 नुसार प्रत्येक कंपनीला वर्षातून एकदा भागधारकांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. असेही नमूद करण्यात आले आहे की एका वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपासून दुसऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत 15 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी जाऊ नये. शिवाय, कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 129 नुसार वित्तीय वर्षासाठीचे लेखापरीक्षण केलेले वित्तीय विवरणपत्र त्यांच्या विचारार्थ संबंधित वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठेवावे लागतील. परिणामी, पुढील वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत वित्तीय विवरणपत्रे तयार करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठेवणे आवश्यक आहे.

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 129 (7) मध्ये कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 129 मधील तरतुदींचे पालन न केल्यास कंपनीच्या संचालकांसह जबाबदार व्यक्तींना दंड आणि तुरुंगवासासारखा दंड आकारण्याची तरतूद आहे.

²⁰ राज्य सार्वजनिक उपक्रम एकतर सरकारी अनुदान/अर्थसहाय्य/कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या नियमित व्यवसायातून कमी उत्पन्न करून कार्यरत आहेत

5.14.2.2 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे वित्तीय विवरणपत्र तयार करण्याची कालबद्धता

31 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्रात भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रम होते. या 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 19 राज्य सार्वजनिक उपक्रम निष्क्रिय आहेत. उर्वरित 91 कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम (10 वैधानिक महामंडळांसह), एकूण 14 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांद्वारे लेखापरीक्षणासाठी 2022-23 वर्षाचे वित्तीय विवरणपत्र सादर केले. 10 वैधानिक महामंडळांसह 96 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे वित्तीय विवरणपत्र विविध कारणांमुळे प्रलंबित होते. तथापि, चार वैधानिक महामंडळांसह 52 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत मागील वर्षाचे 70 वित्तीय विवरणपत्र सादर केले आहेत. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी वित्तीय विवरणपत्र सादर करण्यातील प्रलंबिततेचा तपशील तक्ता 5.22 मध्ये दर्शविण्यात आला आहे.

तक्ता 5.22: 31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षासाठी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून प्राप्त झालेल्या वित्तीय विवरणपत्रांची स्थिती

| तपशील | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षण अधिकार क्षेत्रांतर्गत राज्य सार्वजनिक उपक्रम | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|------|
| | शासन नियंत्रित कंपन्या | शासन नियंत्रित इतर कंपन्या | वैधानिक महामंडळे | एकूण |
| 31 मार्च 2023 रोजी राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची एकूण संख्या | 87 | 13 | 10 | 110 |
| कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम ज्याकडून सन 2022-23 साठीचे वित्तीय विवरणपत्र प्राप्त झाले | 7 | 3 | 0 | 10 |
| निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रम ज्याकडून सन 2022-23 साठीचे वित्तीय विवरणपत्र प्राप्त झाले | 4 | - | - | 4 |
| वित्तीय विवरणपत्र सादर करण्यातील प्रलंबितता असलेले राज्य सार्वजनिक उपक्रम | 76 | 10 | 10 | 96 |
| प्रलंबित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या | 211 | 23 | 27 | 261 |
| प्रलंबिततेचे विभाजन | परिसमापन (लिव्हिडेशन) अंतर्गत राज्य सार्वजनिक उपक्रम | - | - | - |
| | निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रम जे परिसमापनखाली नाहीत | 35 | - | 35 |
| | 'इतर' (कार्यरत आणि देय) | 176 | 23 | 226 |
| 'इतर' प्रवर्गातील प्रलंबिततेचे वर्ष-निहाय विश्लेषण | एक वर्ष (2022-23) | 34 | 4 | 42 |
| | दोन वर्षे (2021-22 आणि 2022-23) | 14 | 2 | 18 |
| | तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक | 128 | 17 | 166 |

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र कार्यालयाने संकलित केल्याप्रमाणे)

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी आणि थकबाकीतील वित्तीय विवरणपत्राची स्थिती **परिशिष्ट 5.1** मध्ये दर्शविली आहे. 10 वैधानिक महामंडळांपैकी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ वगळता आठ वैधानिक महामंडळांचे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे एकमेव लेखापरीक्षक आहेत.

सर्व वैधानिक महामंडळांचे 2022-23 या वर्षासाठीचे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र 30 सप्टेंबर 2023 रोजी प्रलंबित होते. शिवाय, पाच वैधानिक महामंडळांचे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र²¹ तीन ते आठ वर्षांच्या कालावधीपासून प्रलंबित होते.

लेखे सादर करण्यास होणारा विलंब लेखापरीक्षा अहवालाद्वारे वेळोवेळी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला जात आहे. वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र आणि त्यांचे लेखापरीक्षण नसल्यामुळे त्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना वितरित केलेले अनुदान आणि कर्जाचा योग्य वापर आणि त्यांच्या हिशेबाची खात्री देऊ शकत नाही. राज्य शासनाच्या अपुन्या संनियंत्रणाव्यतिरिक्त, वित्तीय विवरणपत्र सादर न करणे हे महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निधीवर या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून उत्तरदायित्वाचा अभाव दर्शविते.

²¹ महाराष्ट्र कृषिा खोरे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ

5.14.3 भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांचे पर्यवेक्षण - वित्तीय विवरणपत्रांचे लेखापरीक्षण व पुरक लेखापरीक्षण

5.14.3.1 वित्तीय अहवाल संरचना

कंपन्यांना कंपनी अधिनियम, 2013 च्या अनुसूची III मध्ये विहित नमुन्यात आणि राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिवेदन प्राधिकरणाशी (नॅशनल फिनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी) सल्लामसलत करून आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशींची तपासणी केल्यानंतर, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था (ICAI) यांनी शिफारस केल्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केलेल्या अनिवार्य लेखा मानकांचे पालन करून वित्तीय विवरणपत्र तयार करणे आवश्यक आहे. वैधानिक महामंडळांनी त्यांचे वित्तीय विवरणपत्र त्यांच्या संबंधित नियमांनुसार विहित नमुन्यात, जे भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांशी सल्लामसलत करून तयार केले गेले आहेत आणि अशा महामंडळांचे नियमन करणाऱ्या अधिनियमनातील वित्तीय विवरणपत्राशी संबंधित असलेल्या इतर कोणत्याही विशिष्ट तरतुदीनुसार तयार करणे आवश्यक आहे.

5.14.3.2 वैधानिक लेखापरीक्षकांद्वारे शासकीय कंपन्यांच्या वित्तीय विवरणपत्रांचे लेखापरीक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 139 अन्वये भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी नियुक्त केलेले वैधानिक लेखापरीक्षक शासकीय कंपन्यांच्या वित्तीय विवरणपत्रांचे लेखापरीक्षण करतात आणि कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 नुसार त्यावर आपला अहवाल सादर करतात.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या लेखापरीक्षणात वैधानिक लेखापरीक्षकांनी त्यांना सोपविलेली कामे योग्य आणि प्रभावीपणे पार पाडावीत या एकंदरीत उद्देशाने वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या कामगिरीवर संनियंत्रण ठेवून पर्यवेक्षणाची भूमिका बजावतात. हे कार्य ते खालील शक्ति/अधिकार वापरून करतात:

- कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143(5) अन्वये वैधानिक लेखापरीक्षकांना निर्देश देणे; आणि
- कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143(6) अन्वये वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालावर पुरक किंवा टिप्पणी करणे.

5.14.3.3 शासकीय कंपन्यांच्या वित्तीय विवरणपत्रांचे पुरक लेखापरीक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 किंवा इतर संबंधित अधिनियमांतर्गत विहित वित्तीय अहवाल चौकटीनुसार वित्तीय विवरणपत्र तयार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी एखाद्या संस्थेच्या व्यवस्थापनाची आहे.

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 139 अन्वये भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी नियुक्त केलेले वैधानिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखापाल संस्था यांच्या मानक लेखापरीक्षण पद्धती आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षणाच्या आधारे कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 अन्वये वित्तीय विवरणपत्रावर मत व्यक्त करण्यास जबाबदार असतात. वैधानिक लेखापरीक्षकांनी कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 अन्वये लेखापरीक्षा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

निवडक शासकीय कंपन्यांच्या प्रमाणित वित्तीय विवरणपत्रासह वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालाचा भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून पुरक लेखापरीक्षण करून आढावा घेतला जातो. अशा पुनरावलोकनाच्या आधारे कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 (6) अन्वये नोंदविण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षण निरीक्षणे संबंधित राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करावयाची असतात.

5.15 भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या पर्यवेक्षणाच्या भूमिकेचे परिणाम

5.15.1 कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 अन्वये राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वित्तीय विवरणपत्रांचे लेखापरीक्षण

30 सप्टेंबर 2023 रोजी 14 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी वर्ष 2022-23 साठीचे वित्तीय विवरणपत्र सादर केले. तसेच, 52 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 2013-14 ते 2021-22 या मागील वर्षांसाठीचे 70 वित्तीय विवरणपत्रे सादर केली.

अहवाल कालावधीत, 28 वित्तीय विवरणपत्राच्या संदर्भात पुनरावलोकन न करण्याचे प्रमाणपत्र जारी केले गेले आणि 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत 43 वित्तीय विवरणपत्राचे पुनरावलोकन केले गेले, ज्यात पुनरावलोकन कालावधीपूर्वी प्राप्त झालेल्या परंतु पुनरावलोकन कालावधीत अंतिम केलेल्या वित्तीय विवरणपत्राचा समावेश आहे.

5.15.2 वित्तीय विवरणपत्राची सुधारणा

30 सप्टेंबर 2023 रोजी संपलेल्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या वित्तीय विवरणपत्रावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी केलेल्या पुरक लेखापरीक्षणाचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यापूर्वी वित्तीय विवरणपत्रामध्ये सुधारणा केली.

5.15.3 लेखापरीक्षकांच्या अहवालात सुधारणा

2022-23 मध्ये भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी केलेल्या वित्तीय विवरणपत्राच्या पुरक लेखापरीक्षणाचा परिणाम म्हणून वैधानिक लेखापरीक्षकांच्या अहवालात सुधारणा करण्याचे एकही प्रकरण नाही.

5.16 व्यवस्थापन पत्रे

वित्तीय लेखापरीक्षणाच्या उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट म्हणजे लेखापरीक्षक आणि कॉर्पोरेट संस्थेच्या कारभाराची जबाबदारी असलेल्यांवर वित्तीय विवरणपत्राच्या लेखापरीक्षणातून उद्भवणाऱ्या लेखापरीक्षण बाबींवर संवाद प्रस्थापित करणे.

राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या वित्तीय विवरणपत्रावरील भौतिक निरीक्षणे कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 143 (6) अंतर्गत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी केलेली टिप्पणी म्हणून नोंदविली होती. या टिप्पण्यांव्यतिरिक्त भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी वित्तीय अहवालात किंवा अहवाल प्रक्रियेत आढळलेल्या अनियमितता किंवा त्रुटीही सुधारात्मक कारवाईसाठी 'व्यवस्थापन पत्रां' द्वारे व्यवस्थापनाला कळविण्यात आल्या होत्या. सर्वसाधारणपणे (अ) लेखा विषयक धोरणांचा वापर व विवेचन (ब) लेखापरीक्षणामुळे होणारे समायोजन आणि (क) संबंधित राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनाने पुढील वर्षात सुधारात्मक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिलेल्या काही माहितीचा अपुरा खुलासा किंवा खुलासा न करणे. ज्या 30 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना व्यवस्थापन पत्रे देण्यात आली त्यांची यादी परिशिष्ट 5.8 मध्ये देण्यात आली आहे.

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 रोजी भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्रात 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रम होते, त्यापैकी 91 कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि 19 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रम आहेत. 110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 39 कार्यरत राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि पाच निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत एकही वित्तीय विवरणपत्र सादर केले नाही. वित्तीय विवरणपत्र सादर न केल्यामुळे गुंतवणुकीचा व खर्चाचा योग्य हिशेब झाला आहे की नाही आणि राज्य शासनाने ज्या हेतूने ही रक्कम गुंतविली होती, तो साध्य झाला की नाही, याची खात्री नाही.

2022-23 मध्ये 52 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी वार्षिक उलाढाल ₹ 1,22,154.70 कोटी नोंदविली, जी महाराष्ट्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3.46 टक्के इतकी आहे.

या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये भांडवल आणि दीर्घकालीन कर्जांमध्ये राज्य शासनाची गुंतवणूक ₹ 2,33,626.89 कोटी होती, तर 31 मार्च 2023 अखेर एकूण गुंतवणूक ₹ 4,90,595.02 कोटी होती.

110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 47 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना नफा (₹ 1,833.29 कोटी), तर 45 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना तोटा (₹ 3,623.40 कोटी) आणि 10 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना नफा किंवा तोटा झाला नाही. 31 मार्च 2023 रोजी 41 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना ₹ 50,098.55 कोटींचा संचित तोटा झाला होता.

110 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांपैकी 2022-23 या वर्षासाठी निर्धारित वेळेत (30 सप्टेंबर 2023) केवळ 14 राज्य सार्वजनिक उपक्रमांकडून वित्तीय विवरणपत्र प्राप्त झाले होते. आठ राज्य सार्वजनिक उपक्रमांनी स्थापनेपासून स्वतःचे पहिले वित्तीय विवरणपत्र सादर केलेले नाही.

5.18 शिफारशी


- (i) महाराष्ट्र शासनाने तोट्यात असलेल्या सर्व राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा आणि त्यांची आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
- (ii) शासनाने वैयक्तिक राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना वित्तीय विवरणपत्र वेळेत सादर करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यासाठी आणि थकित कमी करण्यासाठी काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना आवश्यक सूचना द्याव्यात.
- (iii) शासनाने निष्क्रिय शासकीय कंपन्यांचा आढावा घ्यावा आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन/बंद करण्याबद्दल योग्य निर्णय घ्यावा.
- (iv) महाराष्ट्र शासनाच्या 2012 च्या निर्णयानुसार लाभांश जाहीर करण्यासाठी शासनाने नफा कमवणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनावर प्रभाव टाकावा.

मुंबई
दिनांक 29 एप्रिल 2024

सिलेसिना साने.
(सी. एम. साने)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I
महाराष्ट्र, मुंबई

प्रतिस्वाक्षरीत

नवी दिल्ली
दिनांक 6 मे 2024


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

परिशिष्टे

| परिशिष्ट - 1.1 (संदर्भ: परिच्छेद 1.1; पृष्ठ: 1) महाराष्ट्राची सामान्य माहिती | | | | |
|--|---------|-------------------------|------------|----------|
| निर्देशक | वर्ष | परिमाण | महाराष्ट्र | भारत |
| भौगोलिक क्षेत्र | 2011 | लाख चौरस किमी | 3.08 | 32.87 |
| लोकसंख्या | 2011 | कोटी | 11.24 | 122.02 |
| दशकातील लोकसंख्या वाढ प्रक्षेपण [§] | 2013-23 | टक्केवारी | 9.98 | 11.68 |
| लोकसंख्या घनता | 2011 | व्यक्ति प्रती चौरस किमी | 365 | 382 |
| | 2023 | | 365 | 411 |
| साक्षरता दर | 2011 | टक्केवारी | 82.30 | 73.0 |
| बालमृत्यू दर | 2020 | प्रति 1000 जीवित जन्म | 16 | 28 |
| जन्माच्या वेळी आयुमान | 2016-20 | वर्षे | 72.95 | 70.00 |
| दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या | 2011-12 | टक्केवारी | 17.35 | 21.92 |
| देशांतर्गत स्थूल उत्पन्न ⁺ | 2022-23 | ₹ कोटींमध्ये | 3527084 | 27240712 |
| स्थूल राज्य उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर | 2013-23 | टक्केवारी | 8.81 | 10.34 |
| दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्न | 2022-23 | ₹ | 279974 | 196983 |
| दरडोई स्थूल राज्य उत्पन्नाचा चक्रवाढ वार्षिक विकास दर | 2013-23 | टक्केवारी | 7.78 | 9.12 |

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

महाराष्ट्राचे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

§ आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग लोकसंख्या प्रक्षेपण

+ पहिला सुधारित अंदाज

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट - 2.1 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| (संदर्भ: परिच्छेद 2.2; पृष्ठ: 17) | | | | | | | | | | |
| राज्य शासनाच्या वित्तव्यवस्थेवर आकडेवारीची समय मालिका | | | | | | | | | | |
| (₹ कोटीत) | | | | | | | | | | |
| | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
| भाग अ: जमा | | | | | | | | | | |
| 1. महसुली जमा | 278996.27 | | 283189.58 | | 269467.91 | | 333311.57 | | 405677.93 | |
| (i) कर महसूल | 187436.37 | (67) | 188947.57 | (67) | 164254.98 | (61) | 220927.13 | (66) | 277486.31 | (68) |
| कृषी उत्पन्नावरील कर | - | - | - | - | 0.02 | (0) | 0.01 | (0) | 0 | (0) |
| राज्य वस्तु आणि सेवा कर | 82352.32 | (44) | 82601.59 | (44) | 69948.56 | (43) | 97304.89 | (44) | 121255.55 | (30) |
| विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर | 35724.61 | (19) | 37785.54 | (20) | 33159.76 | (20) | 45924.13 | (21) | 54568.18 | (13) |
| राज्य उत्पादन शुल्क | 15320.90 | (8) | 15428.34 | (8) | 15089.38 | (9) | 17220.71 | (8) | 21507.02 | (5) |
| वाहनांवरील कर | 8613.19 | (5) | 8467.20 | (4) | 6655.12 | (4) | 9080.16 | (4) | 11740.42 | (3) |
| मुद्रांक व नोंदणी शुल्क | 28545.05 | (15) | 28706.55 | (15) | 25427.71 | (15) | 35593.58 | (16) | 45285.66 | 11) |
| जमीन महसूल | 2088.04 | (1) | 2154.55 | (1) | 2062.64 | (1) | 3064.66 | (1) | 2431.41 | (1) |
| माल व प्रवासी कर | 837.05* | - | 773.39 | (0) | 13.30 | (0) | 393.53 | (0) | 1582.11 | (0) |
| इतर कर | 13955.21 | (8) | 13030.41 | (7) | 11898.49 | (7) | 12345.46 | (6) | 19115.96 | (5) |
| (ii) करेतर महसूल | 15843.57 | (6) | 14297.00 | (5) | 15975.46 | (6) | 19306.70 | (6) | 16776.41 | (4) |
| (iii) केंद्रीय कर व शुल्कात राज्याचा हिस्सा | 42054.20* | (15) | 36219.64 | (13) | 36504.01 | (14) | 54318.06 | (16) | 60000.97 | (15) |
| (iv) भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदान | 33662.13 | (12) | 43725.37 | (15) | 52733.46 | (20) | 38759.68 | (12) | 51414.24 | (13) |
| 2. संकीर्ण भांडवली जमा | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3. कर्जे आणि अग्रिमांची वसुली | 1604.29 | | 1614.87 | | 1612.35 | | 1178.88 | | 642.62 | |
| 4. एकूण महसूल व ऋणेतर भांडवली जमा (1+2+3) | 280600.56 | | 284804.45 | | 271080.26 | | 334490.45 | | 406320.55 | |
| 5. लोक ऋण जमा | 26025.21 | | 57153.41 | | 118515.91 | | 90586.61 | | 94702.09 | |
| देशांतर्गत ऋण (अर्थोपाय अग्रिमे आणि अधिकर्ष वगळून) | 25686.29 | | 54459.30 | | 72360.25 | | 71863.03* | | 77336.95 | |
| अर्थोपाय, अग्रिमे व अधिकर्ष अंतर्गत निव्वळ व्यवहार | - | | 1757.61 | | 31159.26 | | 98.43 | | 7129.25 | |
| भारत सरकार' कडून प्राप्त झालेली कर्जे व अग्रिमे | 338.92* | | 936.50 | | 14996.40 | | 18625.15 | | 10235.89 | |
| 6. आकस्मिक निधीतून विनियोजन | 1528.00 | | 7350.00 | | 11500.00 | | 0.00 | | 200.00 | |
| 7. आंतर-राज्य समायोजन | - | | - | | - | | - | | -- | |
| 8. एकत्रित निधीमध्ये एकूण प्राप्ती (4+5+6+7) | 308153.77 | | 349307.86 | | 401096.17 | | 425077.06 | | 501222.64 | |
| 9. आकस्मिक निधी जमा | 3528.00 | | 15350.00 | | 10500.00 | | 0.00 | | 200.00 | |
| 10. लोक लेखे जमा | 90664.57 | | 119634.33 | | 88531.23 | | 119376.52 | | 143466.93 | |
| 11. राज्याची एकूण जमा (8+9+10) | 402346.34 | | 484292.19 | | 500127.40 | | 544453.58 | | 644889.57 | |
| भाग ब: खर्च | | | | | | | | | | |
| 12. महसुली खर्च (15 ची टक्केवारी) | 267021.67 | | 300305.21 | | 310609.76 | | 349685.89 | | 407614.40 | |
| सामान्य सेवा (व्याज प्रदानांसहित) | 84764.50 | (32) | 100050.28 | (33) | 103853.75 | (33) | 121745.32 | (35) | 130590.81 | (32) |
| सामाजिक सेवा | 109390.99 | (41) | 122947.33 | (41) | 122023.44 | (39) | 142523.26 | (41) | 163329.16 | (40) |
| आर्थिक सेवा | 52758.97 | (20) | 56043.43 | (19) | 64336.19 | (21) | 59454.77 | (17) | 80819.94 | (19) |
| सहाय्यक अनुदान व अंशदान | 20107.21 | (8) | 21264.17 | (7) | 20396.38 | (7) | 25962.54 | (7) | 32874.49 | (8) |
| 13. भांडवली खर्च (15 ची टक्केवारी) | 35049.05 | | 36415.57 | | 29686.70 | | 46670.39 | | 61643.61 | |
| सामान्य सेवा | 1533.27 | (4) | 1250.45 | (3) | 1496.39 | (5) | 2681.21 | (6) | 3526.56 | (6) |
| सामाजिक सेवा | 4341.15 | (12) | 4288.07 | (12) | 3593.24 | (12) | 4082.09 | (9) | 9134.2 | (15) |
| आर्थिक सेवा | 29174.63 | (83) | 30877.05 | (85) | 24597.07 | (83) | 39907.09 | (86) | 48982.85 | (79) |
| कंसातील आकडे प्रत्येक उपशीर्षाच्या बेरजेची टक्केवारी (पूर्णांकित) दर्शवितात. | | | | | | | | | | |
| # निम्न पूर्णांकन | | | | | | | | | | |

1 रिजर्व बँकेकडून घेतलेले अर्थोपाय अग्रिमे समाविष्ट आहेत

| परिशिष्ट - 2.1 (पुढे ...) | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| (₹ कोटीत) | | | | | |
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| 14. कर्जे व अग्रिमांचे संवितरण (15 ची टक्केवारी) | 1545.17 | 1969.86 | 2341.85 | 2436.03 | 4664.41 |
| 15. एकूण (12+13+14) | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| 16. लोक ऋणाची परतफेड | 25116.49 [#] | 24625.85 | 57586.54 | 36033.09 | 44795.04 |
| देशांतर्गत ऋण (अर्थोपाय अग्रिमे व अधिकर्ष वगळून) | 24190.22 | 21848.99 | 25456.27 | 34819.66 | 36634.32 |
| अर्थोपाय अग्रिमे व अधिकर्ष अंतर्गत निव्वळ व्यवहार | 0.00 | 1757.61 | 31159.26 | 98.43 | 7129.25 |
| भारत सरकार ² कडून कर्जे व अग्रिमे | 926.27 [#] | 1019.25 | 971.01 | 1115.00 | 1031.47 |
| 17. आकस्मिक निधीत विनियोजन | 3528.00 | 16350.00 | 1500.00 | 0.00 | 200.00 |
| 18. एकत्रित निधीतून एकूण संवितरण (15+16+17) | 332260.38 | 378666.49 | 401724.85 | 434825.40 | 518917.46 |
| 19. आकस्मिक निधीतून संवितरण | 1528.00 | 16350.00 | 11500.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20. लोक लेखे संवितरण | 89757.51 | 100329.25 | 74787.55 | 100533.18 | 121973.69 |
| 21. राज्याकडून एकूण संवितरण (18+19+20) | 423545.89 | 486345.74 | 488012.40 | 535358.58 | 641091.15 |
| भाग क: तूट | | | | | |
| 22. तूट(-)/ आधिक्य (+) (1-12) | 11974.60 | (-)17115.63 | (-)41141.85 | (-)16374.32 | (-)1936.47 |
| 23. राजकोषीय तूट(-)/ आधिक्य (+) (4-15) | (-)23015.33 | (-)53886.19 | (-)71558.05 | (-)64301.86 | (-)67601.87 |
| 24. प्राथमिक तूट (-)/ आधिक्य (+) (23-25) | 11005.92 | (-)20325.46 | (-)34588.28 | (-)24143.82 | (-)25912.71 |
| भाग ड: इतर माहिती | | | | | |
| 25. व्याज प्रदाने (महसुली खर्चामध्ये समाविष्ट) | 34021.25 | 33560.73 | 36969.77 | 40158.04 | 41689.16 |
| 26. स्थानिक संस्था इत्यादिना वित्तीय सहाय्य | 122562.51 | 134204.89 | 133781.27 | 154772.86 | 187789.89 |
| 27. अर्थोपाय अग्रिमे/अधिकर्षाचा लाभ घेतला (दिवस) | | | | | |
| अर्थोपायाचा लाभ (दिवस) | निरंक | निरंक | निरंक | 1 | निरंक |
| अधिकर्षाचा लाभ (दिवस) | निरंक | 91 | 91 | निरंक | 91 |
| 28. अर्थोपाय अग्रिमे/ अधिकर्ष यावरील व्याज | - | 0.35 | 15.74 | 0.01 | 1.55 |
| 29. स्थूल राज्य उत्पन्न | 2528854 | 2657371 ⁺⁺⁺ | 2627542 ⁺⁺ | 3108022 ⁺ | 3527084 ³ |
| 30. प्रलंबित राजकोषीय दायित्व (वर्ष-अखेर) | 436781.93 | 479899.14 ³ | 548176.45 | 606295.26 ⁴ | 660753.73 |
| 31. प्रलंबित हमी (वर्ष-अखेर) (व्याजासहित) | 25134.86 | 41279.47 | 41775.48 | 51263.35 | 49632.84 |
| 32. कमाल रक्कमेची हमी (वर्ष-अखेर) | 38378.26 | 58661.22 | 85717.46 | 81751.13 | 81751.13 |

² रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेले अर्थोपाय अग्रिमे समाविष्ट आहेत.

³ प्रपत्र दुरुस्ती

⁴ प्रभावी प्रलंबित राजकोषीय दायित्व ₹ 592512.90 कोटी असेल, कारण भारत सरकारच्या व्यय विभागाने निर्णय घेतला की वित्त आयोगाद्वारे विहित केलेल्या कोणत्याही निकषांसाठी ऋण जमा अंतर्गत लागोपाट कर्ज म्हणून प्राप्त झालेला ₹ 13782.36 कोटींचा वस्तू व सेवा कर मोबदला राज्याचे ऋण मानले जाणार नाही.

[#] निम्न पूर्णांकन

⁵ आगाऊ अंदाज; + प्रथम सुधारित अंदाज; ++ द्वितीय सुधारित अंदाज; +++ तृतीय सुधारित अंदाज

| परिशिष्ट - 2.1 (समाप्त) | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| (₹ कोटीत) | | | | | |
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| भाग ई: राजकोषीय आरोग्य निदर्शक | | | | | |
| I साधनसंपत्ती सुसज्जता | | | | | |
| स्वतःचा कर महसूल/स्थूल राज्य उत्पन्न | 7.41 | 7.11 | 6.25 | 7.11 | 7.87 |
| स्वतःचा करेतर महसूल/ स्थूल राज्य उत्पन्न | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.48 |
| केंद्रीय हस्तांतरण/स्थूल राज्य उत्पन्न | 1.66 | 1.36 | 1.39 | 1.75 | 1.70 |
| II खर्चाचे व्यवस्थापन | | | | | |
| एकूण खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न | 12.01 | 12.75 | 13.04 | 12.83 | 13.44 |
| एकूण खर्च/महसुली जमा | 108.82 | 119.60 | 127.15 | 119.65 | 116.82 |
| महसुली खर्च/एकूण खर्च | 87.95 | 88.67 | 90.65 | 87.69 | 86.01 |
| सामाजिक सेवांवरील खर्च/एकूण खर्च | 37.73 | 37.99 | 37.24 | 37.23 | 37.03 |
| आर्थिक सेवांवरील खर्च/एकूण खर्च | 27.03 | 25.67 | 26.00 | 24.94 | 25.85 |
| भांडवली खर्च/एकूण खर्च | 11.54 | 10.75 | 8.66 | 11.70 | 13.99 |
| सामाजिक व आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च/एकूण खर्च | 11.04 | 10.38 | 8.23 | 11.03 | 12.26 |
| शैक्षणिक, क्रीडा, कला व संस्कृती/एकूण खर्च | 16.89 | 18.47 | 18.19 | 17.24 | 17.20 |
| आरोग्य व कुटुंब कल्याण/एकूण खर्च | 4.28 | 4.34 | 4.99 | 5.28 | 4.30 |
| III राजकोषीय असमतोलांचे व्यवस्थापन | | | | | |
| महसुली तूट/स्थूल राज्य उत्पन्न | 0.47 | -0.64 | -1.57 | -0.53 | -0.05 |
| राजकोषीय तूट/स्थूल राज्य उत्पन्न | -0.91 | -2.03 | -2.72 | -2.07 | (-)1.92 |
| प्राथमिक तूट (आधिक्य)/स्थूल राज्य उत्पन्न | 0.44 | -0.76 | -1.32 | -0.78 | (-)0.73 |
| महसुली तूट (आधिक्य)/ राजकोषीय तूट | (-)52.03 | 31.76 | 57.49 | 25.46 | 2.86 |
| IV राजकोषीय दायित्वांचे व्यवस्थापन | | | | | |
| राजकोषीय दायित्व/स्थूल राज्य उत्पन्न | 17.27 | 18.06 | 20.86 | 19.51 | 18.73 |
| राजकोषीय दायित्व/ महसुली जमा | 156.55 | 169.46 | 203.43 | 181.90 | 162.88 |
| V इतर राजकोषीय आरोग्य निदर्शक | | | | | |
| गुंतवणुकीवर परतावा | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| आर्थिक मत्ता/दायित्व | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| स्त्रोत: संबंधित वर्षाचे वित्त लेखे | | | | | |

| परिशिष्ट - 2.2 | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|
| (संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.2, 2.3.2.3; पृष्ठ: 21 आणि 24) | | | | | | |
| राज्याचे राजकोषीय प्राधान्य | | | | | | |
| गुणोत्तर | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | अखिल भारतीय | सर्वसाधारण राज्य | महाराष्ट्र | अखिल भारतीय | सर्वसाधारण राज्य | महाराष्ट्र |
| एकूण खर्च/स्थूल राज्य उत्पन्न | 16.7 | 16.05 | 12.83 | 16.5 | 15.79 | 13.44 |
| महसुली खर्च/एकूण खर्च | 85.3 | 85.59 | 87.69 | 84.7 | 84.78 | 86.01 |
| भांडवली खर्च/एकूण खर्च | 14.7 | 14.41 | 12.31 | 15.3 | 15.22 | 13.99 |
| एकूण प्राप्ती/स्थूल राज्य उत्पन्न | 19.3 | 18.46 | 13.67 | 18.7 | 17.89 | 14.00 |
| महसुली जमा/एकूण जमा | 71.4 | 71.37 | 78.43 | 73.1 | 73.03 | 82.14 |
| भांडवली खर्च/एकूण जमा | 28.6 | 28.63 | 21.57 | 26.9 | 26.97 | 17.86 |
| सामाजिक क्षेत्र खर्च/एकूण खर्च | 38.1 | 38.32 | 37.23 | 38.2 | 38.11 | 37.03 |
| आर्थिक क्षेत्र खर्च/एकूण खर्च | 28.3 | 28.43 | 24.94 | 28.8 | 29.17 | 27.58 |

| वित्तीय माहिती | 2021-22 ते 2022-23 वाढ | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------|
| | अखिल भारतीय | सर्वसाधारण राज्यांची सरासरी | महाराष्ट्र |
| महसुली जमा | 13.2 | 13.41 | 21.71 |
| स्वतःचा महसुली कर | 19.7 | 19.78 | 25.60 |
| करेतर महसूल | 14.3 | 12.94 | -13.11 |
| केंद्रीय कर व शुल्कात राज्याचा हिस्सा | 7.5 | 7.25 | 10.46 |
| भारत सरकारकडून सहाय्यक अनुदान | 5.7 | 5.49 | 32.65 |
| एकूण जमा | 10.6 | 10.83 | 16.22 |
| महसुली खर्च | 11.8 | 11.45 | 16.57 |
| भांडवली खर्च | 16.9 | 18.93 | 35.03 |
| कर्ज व अग्रिमाचे संवितरण | 72.6 | 75.33 | 91.48 |
| एकूण खर्च | 12.6 | 12.53 | 18.84 |
| शिक्षणावर महसुली खर्च | 13.0 | 13.21 | 17.36 |
| आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणावर महसुली खर्च | 1.8 | 0.88 | -4.07 |
| वेतन व मजुरी यावरील महसुली खर्च | 8.7 | 8.52 | 14.67 |
| निवृत्ती वेतनावर महसुली खर्च | 11.3 | 11.38 | 11.12 |
| अर्थसहाय्यावर महसुली खर्च | 15.2 | 15.24 | 48.10 |
| स्त्रोत: संबंधित वर्षांचे वित्तीय लेखे | | | |

| परिशिष्ट 2.3 | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------|
| (संदर्भ: परिच्छेद 2.4.3.2; पृष्ठ: 39) | | | | |
| कंपनींच्या लेखांशी शासकीय गुंतवणुकीचा तालमेळ | | | | |
| अ. क्र. | सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची नावे | सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या अभिलेखांनुसार | वित्तीय लेखांनुसार | फरक (₹ कोटीत) |
| 1 | महाराष्ट्र मस्त्योद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 4.04 | 5.81 | 1.77 |
| 2 | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित | 50.00 | 400.00 | 350.00 |
| 3 | कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित | 3.24 | 34.20 | 30.96 |
| 4 | साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित | 424.50 | 554.36 | 129.86 |
| 5 | महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ मर्यादित | 8.00 | 160.46 | 152.46 |
| 6 | महाराष्ट्र लघुउद्योग्य विकास महामंडळ मर्यादित | 14.50 | 14.40 | 0.10 |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | 88.71 | 33.11 | 55.60 |
| 8 | महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित | 568.57 | 630.89 | 62.32 |
| 9 | मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित | 400.70 | 567.69 | 166.99 |
| 10 | शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 83.59 | 68.59 | 15.00 |
| 11 | वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित | 198.85 | 199.87 | 1.02 |
| 12 | महाराष्ट्र आर्क मर्यादित | 0 | 311.00 | 311.00 |
| 13 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ मर्यादित | 7.96 | 7.95 | 0.01 |
| 14 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 773.56 | 4,318.83 | 3,545.27 |
| 15 | महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादित | 0.25 | 0.49 | 0.24 |
| 16 | महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा निधी विश्वस्त कंपनी मर्यादित | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 17 | महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मर्यादित | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 18 | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | 17.57 | 18.21 | 0.64 |
| 19 | महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित | 15.39 | 15.89 | 0.50 |
| 20 | महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित | 14.95 | 10.05 | 4.90 |
| 21 | महिला आर्थिक विकास महामंडळ | 3.39 | 3.52 | 0.13 |
| 22 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ होल्डिंग कंपनी मर्यादित | 89216.21 | 899.41 | 88316.80 |
| 23 | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित | 0 | 2571.95 | 2571.95 |
| 24 | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ | 35778.41 | 42407.02 | 6628.61 |
| 25 | कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ | 10938.02 | 11617.95 | 679.93 |
| 26 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ | 47901.02 | 6146.03 | 41754.99 |
| 27 | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ | 13071.45 | 15667.09 | 2595.64 |
| 28 | गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ | 23442.22 | 34566.67 | 11124.45 |
| 29 | महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ | 2323.27 | 1816.00 | 507.27 |
| 30 | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ | 0 | 34.27 | 34.27 |
| 31 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | 5626.34 | 6135.57 | 509.23 |
| 32 | भारतीय दुग्धविकास महामंडळ | 0 | 0.30 | 0.30 |
| 33 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रनिर्माण महामंडळ मर्यादित | 236.15 | 234.79 | 1.36 |
| 34 | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित | 0 | 306.21 | 306.21 |
| | एकूण | 231213.91 | 129762.69 | 101451.22 |

| परिशिष्ट - 3.1 (संदर्भ: परिच्छेद 3.1 पृष्ठ 65) अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्वाच्या संज्ञांची शब्दावली | |
|--|--|
| 1. | वर्षाचे 'लेखे' किंवा 'प्रत्यक्ष' - 1 एप्रिल रोजी सुरु होणाऱ्या आणि पुढील वर्षाच्या 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षातील जमा आणि संवितरणाच्या रकमा ज्या अंतिमतः लेखांकन प्राधिकाऱ्याच्या पुस्तकांमध्ये (नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांद्वारे लेखापरीक्षा केल्याप्रमाणे) नोंदवल्या गेल्या आहेत. तात्पुरत्या लेख्यांचा संदर्भ लेखापरीक्षण न झालेल्या लेख्यांशी आहे |
| 2. | योजनेचे 'प्रशासकीय मान्यता' प्रस्ताव किंवा कार्य- सक्षम प्राधिकार्याद्वारे खर्च करण्याच्या प्रयोजनाकरिता औपचारिक स्वीकृती. अर्थसंकल्पात निधीच्या तरतुदीनुसार कार्याकरिता आर्थिक मंजूरी म्हणून प्रशासकीय मान्यता जारी केली आहे त्या विशिष्ट वर्षाकरिता उपयोगात आणले जाते. |
| 3. | 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' - ह्याला अर्थसंकल्प म्हणून सुद्धा संबोधले जाते, प्रत्येक वित्तीय वर्षाकरिता केंद्र/राज्य शासनाचे अंदाजित जमा आणि खर्चाचे विवरणपत्र, जे संसद/राज्य विधिमंडळ यांचे समक्ष ठेवले जाते. |
| 4. | 'विनियोजन' - विनियोजनाच्या विविध प्राथमिक घटकांतर्गत संसद/विधिमंडळ यांचेद्वारे प्राधिकृत रक्कम अथवा त्याचा काही भाग संवितरण अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असतो. |
| 5. | 'भारित खर्च' - संविधानाच्या तरतुदी अंतर्गत जो खर्च विधिमंडळासमक्ष दत्तमत म्हणून प्रस्तुत केला जात नाही. |
| 6. | 'भारत/राज्याचा एकत्रित निधी' - संघ/राज्य शासनाचा संपूर्ण महसूल, त्या अनुषंगाने काढलेले कर्ज आणि कर्जाची परतफेड म्हणून प्राप्त झालेली रक्कम मिळून भारत/राज्याचा एकत्रित निधी तयार होतो. संविधानामध्ये प्रदान केलेल्या रितीनुसार आणि प्रयोजनाकरिता तसेच कायद्याच्या व्यतिरिक्त कोणतीही रक्कम ह्या निधीमधून विनियोजित करता येऊ शकत नाही. |
| 7. | 'आकस्मिक निधी' - हा अग्रधन स्वरूपातील रोखीचा अग्रिम आहे. आकस्मिक निधीचा उद्देश वर्षादरम्यान अकल्पित खर्च भागविण्याकरिता, ज्याची अधिकृतता संसद/राज्य विधिमंडळाद्वारे प्रलंबित आहे, त्या करिता कार्यकारी/शासनाला अग्रिमाचे प्रदान करण्याचा आहे. संसद/विधिमंडळ यांचेद्वारे पुरवणी मागण्या मंजूरी अनुसार आहरित रक्कम आकस्मिकता निधीमध्ये परतफेड केली जाते. |
| 8. | 'नियंत्रक अधिकारी (अर्थसंकल्प)' - म्हणजे असा अधिकारी ज्याला विभागाने खर्च करण्याच्या किंवा महसुलाच्या संकलनावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सोपविलेली असते. ह्या संज्ञेमध्ये विभागाचे प्रमुख आणि प्रशासक सुद्धा अंतर्भूत असतात. |
| 9. | 'आहरण आणि संवितरण अधिकारी' - म्हणजे कार्यालयाचे प्रमुख किंवा अन्य इतर अधिकारी ज्याला राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने देयके आहरित करणे आणि राज्य शासनाच्या वतीने प्रदान करण्याकरिता नियुक्त केले आहे. ह्या संज्ञेमध्ये कार्यालयाचे प्रमुख सुद्धा अंतर्भूत आहेत जिथे ते स्वतः असे कार्य करीत असतात. |
| 10. | 'अतिरिक्त अनुदान' - अतिरिक्त अनुदान म्हणजे मूळ/पुरवणी अनुदानाद्वारे तरतुदीला परवानगी असलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त खर्चाची रक्कम, ज्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 115/205 अंतर्गत अतिरिक्त अनुदानाला संसद/विधिमंडळ यांचेकडून नियमितीकरण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. |
| 11. | 'नवीन सेवा' - संविधानाच्या अनुच्छेद 115(1)(अ)/205(1)(अ) मध्ये उपबंधित आहे की, नवीन सेवा म्हणजे नवीन धोरणात्मक निर्णयामुळे उद्भवलेला खर्च, जो पहिले संसद/राज्य विधिमंडळाला सूचित केला नव्हता, ज्यात नवीन क्रियाकलाप अथवा गुंतवणुकीचे नवीन रूप समाविष्ट आहे. |
| 12. | 'सेवेचे नवीन साधन' - म्हणजे विद्यमान क्रियाकलापांच्या महत्त्वपूर्ण विस्तारामुळे होणारा तुलनेत मोठा खर्च. |
| 13. | 'लोक लेखा' - म्हणजे संविधानाच्या अनुच्छेद 266(2) नुसार लोक लेखा. जमा आणि संवितरण जसे ठेव, राखीव निधी, वित्तप्रेषण इत्यादी जे एकत्रित निधीचा भाग होत नाही, ते लोक लेख्यात अंतर्भूत केले जातात. लोक लेख्यामधून संवितरण हे संसद/विधानमंडळाच्या मतांच्या अधीन नाही, कारण पैसा भारताच्या/राज्याच्या एकत्रित निधीमधून काढला जात नाही. |
| 14. | 'पुनर्विनियोजन' - म्हणजे विनियोजनाच्या एका घटकाची बचत ही दुसऱ्या घटकामध्ये समान अनुदान किंवा भारत विनियोजना अंतर्गत अतिरिक्त खर्च भागविण्याकरिता, सक्षम प्राधिकार्याद्वारे हस्तांतरित करणे. |
| 15. | 'सुधारित अंदाज' - म्हणजे आर्थिक वर्षाचे संभाव्य जमा किंवा खर्चाचे अंदाज जे अगोदर नोंदणी झालेल्या व्यवहारासंदर्भात आहे तसेच आधीच जारी केलेल्या आदेशांच्या संदर्भात उर्वरित वर्षाबद्दल असतील, त्या वर्षादरम्यान तयार केले जातात. |
| 16. | 'अनुदानाकरिता पुरवणी मागण्या' - म्हणजे विधिमंडळासमोर ठेवलेल्या पुरवणी मागण्यांचे निवेदन, त्या वर्षाच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात अधिकृत केलेल्या आर्थिक वर्षाच्या आणि त्याहून अधिक खर्चाच्या आवश्यकतेच्या पुढील खर्चाची अंदाजे रक्कम दर्शविणे. पुरवणी मागणी प्रतिकात्मक (टोकन), तांत्रिक किंवा मूलभूत/रोख असू शकते. |

| परिशिष्ट - 3.1 (समाप्त) | |
|-------------------------|---|
| | ए) पुरवणी रोख मूळ अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा जास्त असते, परिणामी मागणी/अनुदानाच्या वाटपामध्ये वाढ होते. हा अंतिम उपाय म्हणून आणि यथायोग्य कार्यासक्ती (ड्यू डीलिजन्स) याद्वारे प्राप्त केला पाहिजे. सध्या ही पद्धती शासनाने अनुसरली आहे. |
| | बी) प्रत्येक मागणीमध्ये चार विभाग असतात जसे, महसूल दत्तमत, महसूल भारीत, भांडवली दत्तमत, भांडवली भारीत. तांत्रिक पुरवणी, विधिमंडळाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर एका विभागाची बचत दुसऱ्या विभागात वापर करण्याची परवानगी असते. |
| | सी) प्रतिकात्मक (टोकन) पुरवणी हे अनुदानातील त्याच विभागात बचतीच्या वापराची परवानगी देते. |
| 17. | ‘मुख्य शीर्ष’ - लेख्यांचे मुख्य शीर्ष म्हणजे राज्याच्या जमा आणि संवितरणाच्या नोंदी आणि वर्गीकरण करण्याकरिताचे प्रयोजन. मुख्य शीर्ष विशेषतः एकत्रित निधी अंतर्गत असते, जे सामान्यतः शासनाचे कार्य जसे कृषी, शिक्षा, आरोग्य इत्यादीशी संलग्न असते. |
| 18. | ‘उप मुख्य शीर्ष’ - उप मुख्य शीर्ष म्हणजे जेव्हा गौण शीर्ष असंख्य असतात आणि सहजपणे अशा दरम्यानचे शीर्ष एकत्रितपणे गटबद्ध केले जाऊ शकतात, तेव्हा मुख्य शीर्ष आणि त्याखालील गौण शीर्ष यांच्या दरम्यान ओळखले जाणारे एक दुय्यम शीर्ष. |
| 19. | ‘गौण शीर्ष’ - म्हणजे मुख्य शीर्ष किंवा उप मुख्य शीर्षाचे दुय्यम शीर्ष. गौण शीर्ष हे मुख्य शीर्षाचे दुय्यम शीर्ष म्हणून ओळखले जाते, जे मुख्य शीर्षाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हाती घेतलेल्या कार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करते. |
| 20. | ‘उप शीर्ष’ - म्हणजे लेख्याचे घटक जे गौण शीर्षालगतचे दुय्यम शीर्ष जे साधारणतः गौण शीर्ष किंवा कार्यक्रमांतर्गत योजना किंवा संघटनेला दर्शविते. |
| 21. | ‘मुख्य काम’ - म्हणजे मूळ काम, अंदाजित किंमत ज्यामध्ये विभागीय शुल्क अंतर्भूत जी शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त |
| 22. | ‘लहान काम’ - म्हणजे मूळ काम, ज्यामध्ये विभागीय शुल्क अंतर्भूत नाही जी शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त नाही. |
| 23. | ‘सुधारित अनुदान किंवा विनियोजन’ - विनियोजनामधील कोणत्याही उप शीर्षाला नियत केलेली एकूण रक्कम जी पुनर्विनियोजनानंतर लागू होते किंवा सक्षम प्राधिकारीद्वारे अतिरिक्त किंवा पुरवणी अनुदानाला मंजुरी. |
| 24. | ‘पुरवणी किंवा अतिरिक्त अनुदान किंवा विनियोजन’ - म्हणजे आर्थिक वर्षादरम्यान विनियोजन अधिनियमातील अंतर्भूत तरतूद, त्या वर्षाच्या विनियोजन अधिनियमात पूर्वी समाविष्ट केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त खर्च भागविण्यासाठी अधिनियमात तरतूद. |
| 25. | ‘नवीन खर्चाची अनुसूची’ - म्हणजे पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावित नवीन बाबींचे विवरणपत्र. |
| 26. | ‘प्रतिकात्मक (टोकन) मागणी’ - म्हणजे नाममात्र किंवा प्रतिकात्मक रकमेसाठी विधानमंडळाकडे केलेली मागणी उदाहरणार्थ, मंजूर अर्थसंकल्प अनुदानाच्या बचतीतून नवीन सेवेचा संपूर्ण खर्च भागविण्याचा प्रस्ताव. |

| परिशिष्ट - 3.2 (संदर्भ: परिच्छेद 3.3.1; पृष्ठ 68) 2022-23 दरम्यान अतिरिक्त पुरवणी तरतुदीसह (₹ 10 कोटी आणि अधिक) बंद झालेले अनुदान/विनियोजन (₹ कोटीत) | | | | | | |
|---|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| अ. क्र. | अनुदान क्र. | तपशील | मूळ | पुरवणी | प्रत्यक्ष खर्च | मूळ तरतुदीपैकी बचत |
| महसूल (दत्तमत) | | | | | | |
| 1 | ए.4 | सचिवालय आणि संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | 1285.23 | 22.78 | 635.69 | -649.54 |
| 2 | ए.6 | माहिती आणि प्रसिद्धी | 343.29 | 25.8 | 121.95 | -221.33 |
| 3 | बी.1 | पोलीस प्रशासन | 24583.07 | 134.2 | 19978.85 | -4604.22 |
| 4 | बी.7 | आर्थिक सेवा | 1594.61 | 457.22 | 1054.03 | -540.58 |
| 5 | सी.1 | महसूल आणि जिल्हा प्रशासन | 3148.5 | 61.02 | 2781.27 | -367.23 |
| 6 | सी.7 | वने | 3743.14 | 66.06 | 2792.85 | -950.29 |
| 7 | डी.3 | कृषी सेवा | 10217.51 | 2318.03 | 9836.16 | -381.35 |
| 8 | डी.4 | पशुसंवर्धन | 1494.15 | 94.87 | 1367.17 | -126.98 |
| 9 | इ.3 | सचिवालय आणि इतर सामाजिक सेवा | 549.9 | 40.42 | 410.27 | -139.62 |
| 10 | एफ.2 | नगर विकास व इतर प्रगत सेवा | 15692.66 | 2146.35 | 12003.34 | -3689.32 |
| 11 | जी.6 | निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ | 45448.34 | 2001.85 | 43017.19 | -2431.16 |
| 12 | एच.6 | सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती | 3353.58 | 351.61 | 3031.42 | -322.16 |
| 13 | आय.3 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 2346.41 | 93.74 | 1753.83 | -592.58 |
| 14 | जे.1 | न्यायदान | 2786.37 | 255.01 | 2512.12 | -274.26 |
| 15 | एल.3 | ग्रामविकास कार्यक्रम | 11075.3 | 4013.15 | 10190.85 | -884.45 |
| 16 | एन.3 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण | 14779.37 | 3133.61 | 13010.53 | -1768.84 |
| 17 | ओ.3 | ग्रामीण रोजगार | 3634.03 | 150 | 1863.57 | -1770.46 |
| 18 | आर.1 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 13935.34 | 2842.91 | 13156.9 | -778.44 |
| 19 | एस.1 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 4810.44 | 455.61 | 4263.62 | -546.82 |
| 20 | टी.5 | जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरील महसुली खर्च | 11485.24 | 1836.17 | 9542.71 | -1942.53 |
| 21 | डब्ल्यू.2 | सर्वसाधारण शिक्षण | 9258.89 | 303.74 | 9120.16 | -138.74 |
| 22 | वाय.2 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 10861.85 | 716.16 | 3911.68 | -6950.17 |
| 23 | झेडए.2 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 2839.27 | 41.77 | 2153.97 | -685.38 |
| 24 | झेडसी.1 | संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडळे | 327.56 | 97.36 | 291.31 | -36.26 |
| 25 | झेडएच.3 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 605.63 | 20.68 | 449.17 | -156.46 |
| | | एकूण | 200199.68 | 21680.12 | 169250.61 | -30949.07 |

| परिशिष्ट - 3.2 (समाप्त) | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | अनुदान क्र. | तपशील | मूळ | पुरवणी | प्रत्यक्ष खर्च | मूळ तरतूदीपैकी बचत |
| भांडवली (दत्तमत) | | | | | | |
| 26 | बी10 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 2571.1 | 425 | 2458.66 | -112.44 |
| 27 | बी.11 | शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे | 94.04 | 100 | 68.69 | -25.35 |
| 28 | सी.10 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 1177.94 | 14.01 | 975.98 | -201.96 |
| 29 | डी.9 | मत्स्य व्यवसायावरील भांडवली खर्च | 173.51 | 16.8 | 62.62 | -110.89 |
| 30 | एच.8 | सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती यांवरील भांडवली खर्च | 3686.38 | 695.91 | 1855.24 | -1831.14 |
| 31 | आय.5 | पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च | 15037.04 | 1504.52 | 11551.26 | -3485.78 |
| 32 | के.11 | ऊर्जा प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च | 2047 | 702.4 | 1345.81 | -701.19 |
| 33 | एल.7 | ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 5404.98 | 241.17 | 4119.83 | -1285.15 |
| 34 | एन.4 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 966 | 156.07 | 699.71 | -266.29 |
| 35 | ओ.10 | इतर ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 5646.73 | 267.42 | 1705.45 | -3941.28 |
| 36 | आर.3 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्यसेवांवरील भांडवली खर्च | 49.94 | 22.49 | 48.84 | -1.1 |
| 37 | टी.6 | जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरील महसुली खर्च | 1164 | 44.13 | 996.49 | -167.52 |
| 38 | झेडएच.5 | मृद व जलसंधारणावरील भांडवली खर्च | 3396.57 | 343.99 | 2464 | -932.57 |
| | | एकूण | 41415.23 | 4533.91 | 28352.58 | -13062.66 |
| | | एकूण बेरीज | 241614.91 | 26214.03 | 197603.19 | -44011.73 |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

| परिशिष्ट - 3.3 (संदर्भ : परिच्छेद 3.3.3, पृष्ठ 70) 2022-23 दरम्यान निधीचे विनाकारण पुनर्विनियोजन (₹ कोटीत) | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|--|---------|--------|----------------|---------|-----------|--------|
| अ. क्र. | मागणी | उपशीर्ष | तपशील | मूळ | पुरवणी | पुनर्विनियोजित | एकूण | प्रत्यक्ष | बचत |
| 1 | ए-4 | 205200090 058 | ई-गव्हर्नन्सचे प्रकल्प राबविण्यासाठी सेतु महाराष्ट्र संस्थेला सहाय्यक अनुदान (सेतु) | 457.00 | 0.00 | 50.00 | 507.00 | 250.00 | 257.00 |
| 2 | ए-4 | 205200090 002 | सामान्य प्रशासन विभाग | 77.41 | 0.54 | 10.32 | 88.27 | 73.32 | 14.95 |
| 3 | ए-4 | 207000114 015 | विमानचालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन | 50.40 | 0.00 | 8.60 | 59.00 | 44.45 | 14.55 |
| 4 | ए-6 | 222001105 038 | चित्रपट निर्मिती | 6.81 | 10.80 | 0.30 | 17.91 | 4.24 | 13.67 |
| 5 | बी-1 | 205500111 044 | रेल्वे पोलीस | 528.56 | 0.00 | 2.32 | 530.88 | 455.23 | 75.65 |
| 6 | बी-1 | 205500003 002 | पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय | 189.78 | 2.00 | 1.88 | 193.66 | 159.19 | 34.47 |
| 7 | बी-5 | 205600101 003 | मध्यवर्ती कारागृह | 280.42 | 0.00 | 1.05 | 281.47 | 248.80 | 32.67 |
| 8 | सी-2 | 203003001-010 | नोंदणी महानिरीक्षक व जिल्हा निबंधक | 183.50 | 0.00 | 19.19 | 202.70 | 175.15 | 27.54 |
| 9 | सी-6 | 224502101 024 | इतर बाबी | 0.16 | 0.00 | 10.00 | 10.16 | 0.00 | 10.16 |
| 10 | डी-3 | 240100113 बी07 | मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (सर्वसाधारण) (योजना) | 600.00 | 0.00 | 99.38 | 699.38 | 543.38 | 156.00 |
| 11 | ई-2 | 220201103 380 | मुंबई महानगरपालिका (केंद्र पुरस्कृत योजना((केंद्र हिस्सा) वगळता शालेय पोषण कार्यक्रम | 1081.80 | 0.00 | 46.69 | 1128.49 | 979.43 | 149.06 |
| 12 | ई-3 | 220400104 179 | शिकवणी केंद्रांची स्थापना | 78.37 | 3.38 | 38.71 | 120.46 | 75.43 | 45.03 |
| 13 | एफ-2 | 221780191 091 | महानगर पालिकांच्या क्षेत्रात प्राथमिक सुविधांच्या विकासाकरिता विशेष तरतूद | 950.00 | 256.23 | 10.00 | 1216.23 | 1120.20 | 96.03 |
| 14 | जी-1 | 204000101 005 | विक्रीकर विभाग | 632.55 | 68.88 | 0.26 | 701.69 | 685.90 | 15.79 |
| 15 | एच-6 | 205980001-120 | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर | 57.75 | 0.00 | 0.50 | 58.25 | 42.68 | 15.57 |
| 16 | एच-6 | 205980001-263 | अधिक्षक अभियंता, दुग्धव्यवसाय बांधकाम मंडळ, मुंबई | 36.30 | 0.00 | 1.04 | 37.33 | 22.11 | 15.22 |
| 17 | आय-3 | 270180001-996 | अधिक्षक अभियंता आणि प्रशासक, लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव | 77.43 | 0.00 | 0.36 | 77.79 | 43.61 | 34.17 |
| 18 | आय-3 | 240200102-050 | विस्तार व सुधारणा | 32.12 | 0.00 | 2.20 | 34.32 | 24.30 | 10.02 |
| 19 | आय-5 | 470180190-एच66 | विदर्भ औद्योगिक विकास महामंडळास (उर्वरित महाराष्ट्र) भाग भांडवल अंशदान | 1242.07 | 0.00 | 198.55 | 1440.62 | 764.45 | 676.17 |
| 20 | आय-5 | 470180190-जे72 | महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळास (उर्वरित महाराष्ट्र) भाग भांडवल अंशदान | 164.58 | 0.00 | 6.48 | 171.07 | 10.80 | 160.27 |
| 21 | आय-5 | 470180190-जे80 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (बळीराजा जलसंजीवनी योजना) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) | 768.75 | 0.00 | 145.67 | 914.42 | 768.75 | 145.67 |

| परिशिष्ट 3.3 (पुढे ...) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------|--|---------|--------|----------------|---------|-----------|--------|
| (₹ कोटीत) | | | | | | | | | |
| अ. क्र. | मागणी | उपशीर्ष | तपशील | मूळ | पुरवणी | पुनर्विनियोजित | एकूण | प्रत्यक्ष | बचत |
| 22 | आय-5 | 470180190-जे79 | महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (बळीराजा जलसंजीवनी योजना) (राज्य हिस्सा) (उर्वरित महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) | 165.00 | 0.00 | 71.85 | 236.85 | 115.50 | 121.35 |
| 23 | आय-5 | 470180190-जे86 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (बळीराजा जलसंजीवनी योजना) (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) | 256.25 | 0.00 | 61.30 | 317.55 | 255.75 | 61.80 |
| 24 | आय-5 | 470280190-499 | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान | 95.72 | 0.00 | 8.71 | 104.43 | 75.29 | 29.14 |
| 25 | आय-5 | 470280190-492 | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान | 65.65 | 0.00 | 8.71 | 74.36 | 47.52 | 26.84 |
| 26 | आय-5 | 470180001-676 | अधिकक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ, पुणे | 39.42 | 0.00 | 0.03 | 39.44 | 26.34 | 13.11 |
| 27 | आय-5 | 470280190-748 | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान | 18.80 | 0.00 | 6.35 | 25.15 | 13.43 | 11.73 |
| 28 | एल-2 | 205300093 ए056 | जिल्हा परिषदांना अनुदाने (आस्थापना अनुदाने) सुधारित आकृतीबंध पद्धती | 2659.06 | 254.00 | 10.00 | 2923.06 | 2806.04 | 117.02 |
| 29 | एल-7 | 505404337 523 | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत नवीन रस्ते व पूल बांधणी व अस्तित्वातील रस्त्यांचे दर्जांनतीकरण (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा 40 टक्के) | 773.78 | 0.00 | 53.63 | 827.41 | 509.98 | 317.43 |
| 30 | एन-3 | 222503800 363 | स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने (अनुसूचित जाती योजना) | 145.00 | 0.00 | 29.95 | 174.95 | 102.45 | 72.50 |
| 31 | एन-3 | 222501277 334 | अनुसूचित जातीतील मुले व मुली यांच्याकरिता शासकीय वसतिगृहे सुरु करणे व त्यांचे परिरक्षण नवीन वसतिगृहे | 315.00 | 0.00 | 14.26 | 329.26 | 271.46 | 57.80 |
| 32 | एन-3 | 222501277डी11 | अनुसूचित जातीच्या मुलांसाठी व मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरु करणे (अनुसूचित जाती योजना) | 210.00 | 0.00 | 4.86 | 214.86 | 182.86 | 32.00 |
| 33 | एन-3 | 222501001 009 | सामाजिक न्याय संचालनालय (मागासवर्ग शाखा) | 134.73 | 0.00 | 4.79 | 139.52 | 120.56 | 18.96 |
| 34 | आर-1 | 221001110 ए014 | मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये | 1160.98 | 97.00 | 1.04 | 1259.02 | 1205.64 | 53.38 |
| 35 | आर-1 | 221006800 306 | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 यांच्या कलम 187 अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदाने | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 49.11 | 20.89 |

| परिशिष्ट 3.3 (समाप्त) | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|---|--------|--------|----------------|--------|-----------|-------|
| (₹ कोटीत) | | | | | | | | | |
| अ. क्र. | मागणी | उपशीर्ष | तपशील | मूळ | पुरवणी | पुनर्विनियोजित | एकूण | प्रत्यक्ष | बचत |
| 36 | एस-1 | 221005105 सी249 | ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई | 163.06 | 29.19 | 2.00 | 194.25 | 177.12 | 17.13 |
| 37 | एस-1 | 221005105 सी315 | स्व. श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे | 53.35 | 14.17 | 0.09 | 67.61 | 52.63 | 14.98 |
| 38 | एस-1 | 221005105 सी269 | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड | 75.10 | 7.94 | 6.21 | 89.25 | 75.77 | 13.48 |
| 39 | एस-1 | 221001110 सी174 | गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई | 86.05 | 1.58 | 5.85 | 93.48 | 80.57 | 12.91 |
| 40 | एस-1 | 221005105 507 | राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर | 55.53 | 8.13 | 3.39 | 67.05 | 54.96 | 12.09 |
| 41 | एस-1 | 221005105 सी255 | वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद | 108.87 | 5.55 | 8.00 | 122.42 | 110.83 | 11.59 |
| 42 | एस-1 | 221005105 एफ09 | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, चंद्रपुर | 46.08 | 2.79 | 1.59 | 50.46 | 39.36 | 11.10 |
| 43 | एक्स-1 | 223502102 सी22 | बेबी केअर किट योजना (योजना) | 80.00 | 0.00 | 24.00 | 104.00 | 80.00 | 24.00 |
| 44 | एक्स-1 | 223602101 212 | आदर्श आंगणवाडी कार्यक्रम (कार्यक्रम) | 78.11 | 0.00 | 21.00 | 99.11 | 75.67 | 23.44 |
| 45 | झेडसी-1 | 201102103 007 | महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय | 84.66 | 10.00 | 1.20 | 95.86 | 81.70 | 14.16 |
| 46 | झेडई-1 | 223502200 ए13 | अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान | 70.00 | 0.00 | 54.75 | 124.75 | 33.50 | 91.25 |
| 47 | झेडई-1 | 223502198 बी08 | अल्पसंख्यांक बहुल ग्राम पंचायतींना सहाय्यक अनुदान | 80.00 | 0.00 | 57.95 | 137.95 | 66.48 | 71.47 |
| 48 | झेडई-1 | 223502200 बी22 | राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान (योजना) | 15.00 | 0.00 | 3.80 | 18.80 | 5.89 | 12.91 |

स्त्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट - 3.4 (संदर्भ: परिच्छेद 3.3.4; पृष्ठ: 70) | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------|---------|------------|-----------|---------|--------------------|
| प्रत्येकी ₹ 10 कोटीपेक्षा जास्त आणि एकूण तरतुदीपेक्षा 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त बचत दर्शविणारे अनुदान/विनियोजन (₹ कोटीत) | | | | | | | | |
| अ. क्र. | अनुदान क्र. | तपशील | मूळ | पुरवणी | एकूण तरतूद | प्रत्यक्ष | बचत | रक्कम प्रत्यार्पित |
| महसूल (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 1 | ए01 | राज्यपाल व मंत्रिमंडळ | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 22.34 | 14.66 | 14.97 |
| 2 | ए04 | सचिवालय व संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | 1285.23 | 22.78 | 1308.01 | 635.69 | 672.32 | 671.32 |
| 3 | ए05 | सामाजिक सेवा | 213.26 | 225.56 | 438.82 | 232.44 | 206.37 | 221.50 |
| 4 | ए06 | माहिती व प्रसिद्धी | 343.29 | 25.80 | 369.09 | 121.95 | 247.14 | 247.14 |
| 5 | ए07 | नागरी विमानचालन | 590.55 | 0.00 | 590.55 | 413.44 | 177.11 | 177.11 |
| 6 | बी04 | सचिवालय व इतर सर्वसाधारण सेवा | 80.53 | 4.11 | 84.64 | 62.99 | 21.64 | 21.14 |
| 7 | बी07 | आर्थिक सेवा | 1594.61 | 457.22 | 2051.83 | 1054.03 | 997.80 | 997.80 |
| 8 | सी06 | नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य | 11308.46 | 3600.00 | 14908.46 | 11801.56 | 3106.91 | 3350.16 |
| 9 | सी07 | वने | 3743.14 | 66.06 | 3809.20 | 2792.85 | 1016.35 | 0.00 |
| 10 | डी01 | व्याज प्रदाने | 0.00 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 17.51 | 17.51 |
| 11 | डी03 | कृषी सेवा | 10217.51 | 2318.03 | 12535.54 | 9836.16 | 2699.38 | 2692.91 |
| 12 | डी05 | दुग्धव्यवसाय विकास | 451.95 | 6.72 | 458.67 | 251.39 | 207.28 | 207.58 |
| 13 | डी06 | मत्स्यव्यवसाय | 248.50 | 119.88 | 368.38 | 274.29 | 94.09 | 94.11 |
| 14 | डी07 | सचिवालय व इतर आर्थिक सेवा | 57.15 | 0.30 | 57.45 | 36.82 | 20.63 | 21.67 |
| 15 | ई03 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 549.90 | 40.42 | 590.32 | 410.27 | 180.04 | 179.80 |
| 16 | एफ02 | नगरविकास व इतर प्रगत सेवा | 15692.66 | 2146.35 | 17839.01 | 12003.34 | 5835.68 | 5832.97 |
| 17 | एफ03 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 245.63 | 1.66 | 247.29 | 127.42 | 119.88 | 120.15 |
| 18 | जी02 | इतर आर्थिक व संकीर्ण सेवा | 1801.16 | 0.00 | 1801.16 | 264.48 | 1536.68 | 1536.67 |
| 19 | जी04 | सचिवालयीन- सर्वसाधारण सेवा | 50.62 | 4.00 | 54.62 | 43.61 | 11.01 | 11.02 |
| 20 | एच04 | सचिवालय व इतर आर्थिक सेवा | 82.10 | 0.00 | 82.10 | 52.67 | 29.43 | 0.00 |
| 21 | आय03 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 2346.41 | 93.74 | 2440.15 | 1753.83 | 686.32 | 0.00 |
| 22 | आय04 | सचिवालयीन- आर्थिक सेवा | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 38.19 | 41.38 | 0.00 |
| 23 | जे02 | सचिवालय व इतर सामाजिक आणि आर्थिक सेवा | 201.42 | 4.17 | 205.59 | 163.40 | 42.18 | 42.14 |
| 24 | के04 | कामगार व सेवायोजन कौशल्य विकास | 338.82 | 2.93 | 341.75 | 222.79 | 118.96 | 118.81 |
| 25 | एल03 | ग्रामविकास कार्यक्रम | 11075.30 | 4013.15 | 15088.45 | 10190.85 | 4897.59 | 4897.73 |
| 26 | एल04 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा | 82.10 | 0.82 | 82.92 | 27.93 | 54.99 | 54.87 |
| 27 | एम02 | अन्न, साठवण व वखार | 3210.67 | 1943.27 | 5153.94 | 3970.35 | 1183.59 | 1182.95 |

| परिशिष्ट - 3.4 (पुढे ...) | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | अनुदान क्र. | तपशील | मूळ | पुरवणी | एकूण तरतूद | प्रत्यक्ष | बचत | रक्कम प्रत्यार्पित |
| 28 | एम03 | सचिवालय व इतर आर्थिक सेवा | 132.73 | 3.22 | 135.95 | 104.19 | 31.76 | 31.33 |
| 29 | एन03 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण | 14779.37 | 3133.61 | 17912.98 | 13010.53 | 4902.46 | 4937.39 |
| 30 | ओ01 | जिल्हा प्रशासन | 966.57 | 0.00 | 966.57 | 678.55 | 288.02 | 287.95 |
| 31 | ओ02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 300.04 | 0.00 | 300.04 | 169.19 | 130.85 | 130.84 |
| 32 | ओ03 | ग्रामीण रोजगार | 3634.03 | 150.00 | 3784.03 | 1863.57 | 1920.46 | 1920.27 |
| 33 | ओ04 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रम | 100.12 | 0.00 | 100.12 | 0.06 | 100.06 | 100.06 |
| 34 | ओ07 | सचिवालयीन- आर्थिक सेवा | 141.32 | 7.00 | 148.32 | 101.72 | 46.60 | 46.91 |
| 35 | कयू03 | गृहनिर्माण | 9283.10 | 0.00 | 9283.10 | 1699.09 | 7584.01 | 7584.02 |
| 36 | आर01 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 13935.34 | 2842.91 | 16778.25 | 13156.90 | 3621.34 | 3621.93 |
| 37 | टी02 | सहकार | 104.76 | 0.00 | 104.76 | 82.66 | 22.10 | 22.14 |
| 38 | टी05 | जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरील महसुली खर्च | 11485.24 | 1836.17 | 13321.41 | 9542.71 | 3778.70 | 3781.25 |
| 39 | यू04 | पारिस्थितिकी व पर्यावरण | 473.45 | 0.00 | 473.45 | 220.62 | 252.83 | 252.83 |
| 40 | डब्ल्यू 06 | सचिवालयीन- सामाजिक सेवा | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 13.85 | 11.95 | 11.91 |
| 41 | वाय02 | पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता | 10861.85 | 716.16 | 11578.01 | 3911.68 | 7666.33 | 7666.16 |
| 42 | झेडए02 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 2839.27 | 41.77 | 2881.04 | 2153.89 | 727.15 | 725.90 |
| 43 | झेडसी01 | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिमंडळे | 327.56 | 97.36 | 424.92 | 291.31 | 133.61 | 126.17 |
| 44 | झेडडी02 | कला आणि संस्कृती | 328.72 | 583.08 | 911.80 | 687.56 | 224.24 | 223.58 |
| 45 | झेडडी04 | पर्यटन | 1814.00 | 0.00 | 1814.00 | 821.17 | 992.83 | 990.04 |
| 46 | झेडइ01 | अल्पसंख्याक विकास | 784.28 | 0.20 | 784.48 | 406.65 | 377.84 | 376.21 |
| 47 | झेडएच03 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 605.63 | 20.68 | 626.31 | 449.17 | 177.14 | 180.72 |
| | | एकूण | 138850.72 | 24546.64 | 163397.36 | 106170.15 | 57227.20 | 557729.64 |
| भांडवली (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 48 | ए09 | सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च | 159.10 | 432.73 | 591.83 | 457.90 | 133.93 | 133.93 |
| 49 | बी11 | शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे | 94.04 | 100.00 | 194.04 | 68.69 | 125.35 | 125.04 |
| 50 | डी08 | पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च | 14.87 | 0.00 | 14.87 | 2.53 | 12.34 | 12.34 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट - 3.4 (समाप्त) | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| (₹ कोटीत) | | | | | | | | |
| अ. क्र. | अनुदान क्र. | तपशील | मूळ | पुरवणी | एकूण तरतूद | प्रत्यक्ष | बचत | रक्कम प्रत्यार्पित |
| 51 | डी09 | मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च | 173.51 | 16.80 | 190.31 | 62.62 | 127.69 | 127.69 |
| 52 | इ04 | शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 203.97 | 103.33 | 103.33 |
| 53 | एफ05 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 1126.20 | 6220.00 | 7346.20 | 5053.82 | 2292.38 | 2292.38 |
| 54 | एच08 | सार्वजनिक बांधकामे, प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती यांवरील भांडवली खर्च | 3686.38 | 695.91 | 4382.29 | 1855.24 | 2527.05 | 0.00 |
| 55 | एच09 | प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी भांडवली खर्च | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 22.48 | 49.52 | 0.00 |
| 56 | आय05 | पाटबंधार्यांवरील भांडवली खर्च | 15037.04 | 1504.52 | 16541.56 | 11551.26 | 4990.30 | 0.00 |
| 57 | के09 | आर्थिक व सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 62.11 | 0.00 | 62.11 | 31.84 | 30.27 | 30.27 |
| 58 | के10 | उद्योगांवरील भांडवली खर्च | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 72.52 | 75.48 | 75.48 |
| 59 | के11 | ऊर्जा प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च | 2047.00 | 702.40 | 2749.40 | 1345.81 | 1403.59 | 1403.59 |
| 60 | एल07 | ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 5404.98 | 241.17 | 5646.15 | 4119.83 | 1526.32 | 1526.31 |
| 61 | एम04 | अन्न, साठवण व वखार यांवरील भांडवली खर्च | 13623.76 | 0.00 | 13623.76 | 9387.87 | 4235.89 | 4267.29 |
| 62 | एन04 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 966.00 | 156.07 | 1122.07 | 699.71 | 422.36 | 426.20 |
| 63 | ओ10 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च | 5646.73 | 267.42 | 5914.15 | 1705.45 | 4208.70 | 4210.90 |
| 64 | आर03 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 49.94 | 22.49 | 72.43 | 48.84 | 23.59 | 23.59 |
| 65 | एस04 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्यावरील भांडवली खर्च | 1022.47 | 0.00 | 1022.47 | 742.14 | 280.33 | 280.29 |
| 66 | व्ही03 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 392.80 | 0.00 | 392.80 | 225.11 | 167.69 | 170.16 |
| 67 | व्ही05 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 2.91 | 66.09 | 66.09 |
| 68 | एक्स03 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 |
| 69 | झेडसी03 | शासकीय कर्मचार्यांना कर्जे इत्यादी | 201.08 | 0.00 | 201.08 | 1.00 | 200.08 | 200.08 |
| 70 | झेडएफ04 | सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च | 29.86 | 0.00 | 29.86 | 0.61 | 29.25 | 29.25 |
| 71 | झेडएच05 | पाटबंधार्यांवरील भांडवली खर्च | 3396.57 | 343.99 | 3740.56 | 2464.00 | 1276.56 | 1276.57 |
| | | एकूण | 53767.74 | 10703.50 | 64471.24 | 40126.15 | 24345.09 | 16817.78 |
| | | एकूण | 192618.46 | 35250.14 | 227868.60 | 146296.30 | 81572.29 | 72547.42 |

स्रोत: विनियोजन लेखे 2022-23

| परिशिष्ट - 3.5 | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----------|---------|----------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|
| (संदर्भ: परिच्छेद 3.3.4, पृष्ठ: 70) | | | | | | | | | |
| वर्ष 2022-23 दरम्यान मोठ्या प्रमाणात | | | | | | | | | |
| (₹ 100 कोटीपेक्षा अधिक बचत असलेले) अनुदान/विनियोजन | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | अनुदान | तपशील | मूळ | पुरवणी | एकूण | प्रत्यक्ष | बचत | प्रत्यर्पित | प्रत्यर्पित रक्कम वगळून बचत |
| महसूल (वत्तमत) | | | | | | | | | |
| 1 | ए04 | सचिवालय व संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | 1285.23 | 22.78 | 1308.01 | 635.69 | 672.32 | 671.32 | 1.00 |
| 2 | ए05 | सामाजिक सेवा | 213.26 | 225.56 | 438.82 | 232.44 | 206.37 | 221.5 | -15.13 |
| 3 | ए06 | माहिती व प्रसिद्धी | 343.29 | 25.8 | 369.09 | 121.95 | 247.14 | 247.14 | 0.00 |
| 4 | ए07 | नागरी विमानचालन | 590.55 | 0 | 590.55 | 413.44 | 177.11 | 177.11 | 0.00 |
| 5 | बी01 | पोलीस प्रशासन | 24583.07 | 134.2 | 24717.27 | 19978.85 | 4738.42 | 4740.78 | -2.36 |
| 6 | बी03 | परिवहन प्रशासन | 3305.03 | 1374.17 | 4679.2 | 3936.24 | 742.96 | 742.95 | 0.01 |
| 7 | बी07 | आर्थिक सेवा | 1594.61 | 457.22 | 2051.83 | 1054.03 | 997.8 | 997.8 | 0.00 |
| 8 | सी01 | महसूल व जिल्हा प्रशासन | 3148.5 | 61.02 | 3209.52 | 2781.27 | 428.25 | 0 | 428.25 |
| 9 | सी06 | नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य | 11308.46 | 3600 | 14908.46 | 11801.56 | 3106.91 | 3350.16 | -243.25 |
| 10 | सी07 | वने | 3743.14 | 66.06 | 3809.2 | 2792.85 | 1016.35 | 0 | 1016.35 |
| 11 | डी03 | कृषि सेवा | 10217.51 | 2318.03 | 12535.54 | 9836.16 | 2699.38 | 2692.91 | 6.47 |
| 12 | डी04 | पशुसंवर्धन | 1494.15 | 94.87 | 1589.02 | 1367.17 | 221.86 | 221.72 | 0.14 |
| 13 | डी05 | दुग्धव्यवसाय विकास | 451.95 | 6.72 | 458.67 | 251.39 | 207.28 | 207.58 | -0.30 |
| 14 | ई02 | सर्वसाधारण शिक्षण | 64042.88 | 3182.54 | 67225.42 | 65157.98 | 2067.43 | 2072.35 | -4.92 |
| 15 | ई03 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 549.9 | 40.42 | 590.32 | 410.27 | 180.04 | 179.8 | 0.24 |
| 16 | एफ02 | नगरविकास व इतर प्रगत सेवा | 15692.66 | 2146.35 | 17839.01 | 12003.34 | 5835.68 | 5832.97 | 2.71 |
| 17 | एफ03 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 245.63 | 1.66 | 247.29 | 127.42 | 119.88 | 120.15 | -0.27 |
| 18 | जी02 | इतर राजकोषीय व संकीर्ण सेवा | 1801.16 | 0.00 | 1801.16 | 264.48 | 1536.68 | 1536.67 | 0.01 |
| 19 | जी06 | निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ | 45448.34 | 2001.85 | 47450.19 | 43017.19 | 4433 | 4467.42 | -34.42 |
| 20 | एच05 | मार्ग व पूल | 6772.11 | 2968.52 | 9740.63 | 9258.68 | 481.95 | 0 | 481.95 |
| 21 | एच06 | सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्याचालन इमारती | 3353.58 | 351.61 | 3705.19 | 3031.42 | 673.78 | 0 | 673.78 |
| 22 | आय 03 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 2346.41 | 93.74 | 2440.15 | 1753.83 | 686.32 | 0 | 686.32 |
| 23 | जे01 | न्यायदान | 2786.37 | 255.01 | 3041.38 | 2512.12 | 529.26 | 460.37 | 68.89 |
| 24 | के04 | कामगार व सेवायोजन व कौशल्य विकास | 338.82 | 2.93 | 341.75 | 222.79 | 118.96 | 118.81 | 0.15 |
| 25 | के06 | ऊर्जा | 7879 | 4997.49 | 12876.49 | 12467.58 | 408.91 | 408.91 | 0.00 |
| 26 | के07 | उद्योग | 3904.91 | 2765.17 | 6670.08 | 6481.39 | 188.69 | 424.62 | -235.93 |
| 27 | एल02 | जिल्हा प्रशासन | 6927.34 | 1162 | 8089.34 | 7522.53 | 566.81 | 566.08 | 0.73 |
| 28 | एल 03 | ग्रामविकास कार्यक्रम | 11075.3 | 4013.15 | 15088.45 | 10190.85 | 4897.59 | 4897.73 | -0.14 |
| 29 | एम02 | अन्न, साठवण व वखार | 3210.67 | 1943.27 | 5153.94 | 3970.35 | 1183.59 | 1182.95 | 0.64 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट - 3.5 (पुढे ...) | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | अनुदान | तपशील | मूळ | पुरवणी | एकूण | प्रत्यक्ष | बचत | प्रत्यर्पित | प्रत्यर्पित रक्कम वगळून बचत |
| 30 | एन03 | अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण | 14779.37 | 3133.61 | 17912.98 | 13010.53 | 4902.46 | 4937.39 | -34.93 |
| 31 | ओ01 | जिल्हा प्रशासन | 966.57 | 0 | 966.57 | 678.55 | 288.02 | 287.95 | 0.07 |
| 32 | ओ 02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 300.04 | 0 | 300.04 | 169.19 | 130.85 | 130.84 | 0.01 |
| 33 | ओ 03 | ग्रामीण रोजगार | 3634.03 | 150 | 3784.03 | 1863.57 | 1920.46 | 1920.27 | 0.19 |
| 34 | ओ 04 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रम | 100.12 | 0 | 100.12 | 0.06 | 100.06 | 100.06 | 0.00 |
| 35 | क्यू03 | गृहनिर्माण | 9283.1 | 0 | 9283.1 | 1699.09 | 7584.01 | 7584.02 | -0.01 |
| 36 | आर01 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 13935.34 | 2842.91 | 16778.25 | 13156.9 | 3621.34 | 3621.93 | -0.59 |
| 37 | एस 01 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 4810.44 | 455.61 | 5266.05 | 4263.62 | 1002.42 | 1012.3 | -9.88 |
| 38 | टी05 | जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरील महसुली खर्च | 11485.24 | 1836.17 | 13321.41 | 9542.71 | 3778.7 | 3781.25 | -2.55 |
| 39 | यू04 | परिस्थितिकी व पर्यावरण | 473.45 | 0 | 473.45 | 220.62 | 252.83 | 252.83 | 0.00 |
| 40 | व्ही02 | सहकार | 1660.45 | 6601.62 | 8262.07 | 7758.5 | 503.58 | 511.06 | -7.48 |
| 41 | डब्ल्यू02 | सर्वसाधारण शिक्षण | 9258.89 | 303.74 | 9562.63 | 9120.16 | 442.47 | 442.49 | -0.02 |
| 42 | एक्स01 | सामाजिक सुरक्षा व पोषण आहार | 4042.05 | 1873.79 | 5915.84 | 5340.53 | 575.31 | 568.48 | 6.83 |
| 43 | वाय02 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 10861.85 | 716.16 | 11578.01 | 3911.68 | 7666.33 | 7666.16 | 0.17 |
| 44 | झेडए02 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 2839.27 | 41.77 | 2881.04 | 2153.89 | 727.15 | 725.9 | 1.25 |
| 45 | झेडसी01 | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिमंडळे | 327.56 | 97.36 | 424.92 | 291.31 | 133.61 | 126.17 | 7.44 |
| 46 | झेडडी02 | कला व संस्कृती | 328.72 | 583.08 | 911.8 | 687.56 | 224.24 | 223.58 | 0.66 |
| 47 | झेडडी04 | पर्यटन | 1814 | 0 | 1814 | 821.17 | 992.83 | 990.04 | 2.79 |
| 48 | झेडई01 | अल्पसंख्याक विकास | 784.28 | 0.2 | 784.48 | 406.65 | 377.84 | 376.21 | 1.63 |
| 49 | झेडजी03 | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण | 3721.41 | 1843.23 | 5564.64 | 4805.63 | 759.02 | 757.8 | 1.22 |
| 50 | झेडएच 03 | मृद व जलसंधारण | 605.63 | 20.68 | 626.31 | 449.17 | 177.14 | 180.72 | -3.58 |
| | | एकूण | 334665.64 | 54812.07 | 389477.71 | 313946.35 | 75531.39 | 72737.25 | 2794.14 |
| भांडवली (वत्तमत) | | | | | | | | | |
| 51 | ए09 | सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च | 159.1 | 432.73 | 591.83 | 457.9 | 133.93 | 133.93 | 0 |
| 52 | बी10 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 2571.1 | 425 | 2996.1 | 2458.66 | 537.44 | 585.94 | -48.5 |
| भांडवली (वत्तमत) | | | | | | | | | |
| 53 | बी11 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 94.04 | 100 | 194.04 | 68.69 | 125.35 | 125.04 | 0.31 |
| 54 | सी10 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 1177.94 | 14.01 | 1191.95 | 975.98 | 215.97 | 0 | 215.97 |
| 55 | डी09 | पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च | 173.51 | 16.8 | 190.31 | 62.62 | 127.69 | 127.69 | 0 |

| परिशिष्ट - 3.5 (समाप्त) | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | अनुदान | तपशील | मूळ | पुरवणी | एकूण | प्रत्यक्ष | बचत | प्रत्यर्पित | प्रत्यर्पित रक्कम वगळून बचत |
| 56 | ई04 | शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च . | 307.3 | 0 | 307.3 | 203.97 | 103.33 | 103.33 | 0 |
| 57 | एफ05 | सामाजिक सेवांवरिल भांडवली खर्च | 1126.2 | 6220 | 7346.2 | 5053.82 | 2292.38 | 2292.38 | 0 |
| 58 | एफ07 | नगरविकासासाठी कर्जे | 1548.3 | 1649 | 3197.3 | 2986.56 | 210.74 | 0.04 | 210.7 |
| 59 | एच07 | सामाजिक सेवा व इतर आर्थिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च | 14151.8 | 8325.56 | 22477.36 | 20847.23 | 1630.14 | 0 | 1630.14 |
| 60 | एच08 | सार्वजनिक बांधकामे, प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती यांवरील भांडवली खर्च | 3686.38 | 695.91 | 4382.29 | 1855.24 | 2527.05 | 0 | 2527.05 |
| 61 | आय05 | पाटबंधार्यावरील भांडवली खर्च | 15037.04 | 1504.52 | 16541.56 | 11551.26 | 4990.3 | 0 | 4990.3 |
| 62 | के11 | ऊर्जा प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च | 2047 | 702.4 | 2749.4 | 1345.81 | 1403.59 | 1403.59 | 0 |
| 63 | एल07 | ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 5404.98 | 241.17 | 5646.15 | 4119.83 | 1526.32 | 1526.31 | 0.01 |
| 64 | एम04 | अन्नावरील भांडवली खर्च | 13623.76 | 0 | 13623.76 | 9387.87 | 4235.89 | 4267.29 | -31.4 |
| 65 | एन04 | सामाजिक सेवांवरिल भांडवली खर्च | 966 | 156.07 | 1122.07 | 699.71 | 422.36 | 426.2 | -3.84 |
| 66 | ओ10 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरिल भांडवली खर्च | 5646.73 | 267.42 | 5914.15 | 1705.45 | 4208.7 | 4210.9 | -2.2 |
| 67 | एस04 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्यावरील भांडवली खर्च | 1022.47 | 0.00 | 1022.47 | 742.14 | 280.33 | 280.29 | 0.04 |
| 68 | टी06 | जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरिल भांडवली खर्च | 1164 | 44.13 | 1208.13 | 996.49 | 211.64 | 211.57 | 0.07 |
| 69 | व्ही03 | सामाजिक सेवांवरिल भांडवली खर्च | 392.8 | 0.00 | 392.8 | 225.11 | 167.69 | 170.16 | -2.47 |
| 70 | झेडसी03 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे . | 201.08 | 0.00 | 201.08 | 1.00 | 200.08 | 200.08 | 0.00 |
| 71 | झेडएच05 | पाटबंधार्यावरील भांडवली खर्च | 3396.57 | 343.99 | 3740.56 | 2464 | 1276.56 | 1276.57 | -0.01 |
| एकूण | | | 73898.10 | 21138.71 | 95036.81 | 68209.34 | 26827.48 | 17341.31 | 9486.17 |
| एकूण | | | 408563.74 | 75950.78 | 484514.52 | 382155.69 | 102358.87 | 90078.56 | 12280.31 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट - 3.6 (संदर्भ: परिच्छेद 3.3.4.1; पृष्ठ: 72) | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2018-19 ते 2021-22 दरम्यान सातत्याने ₹ 100 कोटीपेक्षा अधिक बचतीसह बंद केलेली अनुदाने (₹ कोटीत) | | | | | | |
| अ. क्र. | अनुदानाची संख्या आणि नाव | एकूण अनुदानाच्या टक्केवारीशी बचतीची रक्कम | | | | |
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| महसूल दत्तमत | | | | | | |
| 1 | ए04- सचिवालय व संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | 462.38 (33.06) | 527.27 (40.13) | 650.59 (57.17) | 354.89 (30.5) | 672.32 (51.4) |
| 2 | बी01-पोलीस प्रशासन | 1426.59 (10.43) | 1332.3 (7.56) | 4807.56 (23.59) | 4111.43 (18.9) | 4738.43 (19.17) |
| 3 | बी03- परिवहन प्रशासन | 333.0 3(15.94) | 882.07 (33.85) | 241.69 (7.62) | 1728.4 (39.19) | 742.97 (15.88) |
| 4 | सी01- महसूल व जिल्हा प्रशासन | 638.25 (27.77) | 580.62 (20.99) | 689.09 (24.26) | 541.76 (18.19) | 428.25 (13.34) |
| 5 | सी07- वन | 481.3 (17.06) | 1170.36 (36.11) | 1135.09 (36.38) | 1012.92 (30.12) | 1016.35 (26.68) |
| 6 | डी03- कृषी सेवा | 1790.18 (23.46) | 2342.02 (25.46) | 3116.51 (31.88) | 2123.15 (20.99) | 2699.39 (21.53) |
| 7 | डी04- पशुसंवर्धन | 161.51 (14.8) | 316.28 (21.16) | 343.18 (25.44) | 250.41 (17.36) | 221.86 (13.96) |
| 8 | इ02- सर्वसाधारण शिक्षण | 7318.33 (14.81) | 5826.17 (9.95) | 7512.96 (12.69) | 6771.6 (10.73) | 2067.43 (3.08) |
| 9 | इ03- सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 110.95 (26.87) | 147.58 (44.94) | 270.35 (58.48) | 266.51 (51.91) | 180.04 (30.5) |
| 10 | एफ02- नगर विकास आणि इतर प्रगत सेवा | 4016.56 (31.05) | 5818.92 (40.24) | 8916.7 (52.75) | 2961.01 (20.11) | 5835.68 (32.71) |
| 11 | जी02- इतर राजकोषीय व संकीर्ण सेवा | 9802.7 (96.69) | 1522.58 (87.86) | 1549.9 (85.28) | 2546.31 (90.77) | 1536.67 (85.32) |
| 12 | एच05- मार्ग व पूल | 220.12 (4.17) | 1371.32 (19.08) | 2954.36 (43.14) | 1843.62 (24.69) | 481.95 (4.95) |
| 13 | एच06- सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय आणि कार्यचालन इमारती | 696.87 (25.83) | 519.73 (17.73) | 1106.37 (35.02) | 866.86 (25.1) | 673.78 (18.18) |
| 14 | आय03- पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 430.43 (21.4) | 438.65 (19.84) | 684.46 (29.69) | 672.34 (28.71) | 686.32 (28.13) |
| 15 | जे01- न्यायदान | 348.81 (19.42) | 361.54 (16.7) | 635.1 (27) | 591.52 (23.22) | 529.27 (17.4) |
| 16 | एल02- जिल्हा प्रशासन | 592.72 (13.16) | 305.69 (5.41) | 365.68 (6.04) | 495.81 (7.1) | 566.81 (7.01) |
| 17 | एल03- ग्रामविकास कार्यक्रम | 1807.25 (22.2) | 3857.82 (35.61) | 5197.77 (42.3) | 6735.29 (48.08) | 4897.6 (32.46) |
| 18 | एम02- अन्न, साठवण व वखार | 208.61 (8.67) | 914.5 (29.95) | 958.62 (28.32) | 355.79 (11.44) | 1183.59 (22.96) |
| 19 | ओ03- ग्रामीण रोजगार | 3960.53 (76.99) | 4091.9 (79.62) | 2069.4 (76.15) | 1591.13 (53.02) | 1920.46 (50.75) |
| 20 | ओ04- इतर ग्रामविकास कार्यक्रम | 505.23 (99.99) | 2175.44 (100) | 100.91 (99.79) | 100.06 (99.94) | 100.06 (99.94) |
| 21 | क्यू03-गृहनिर्माण | 706.71 (51.29) | 7029.6 (98.36) | 3737.58 (83.55) | 4170.53 (91.95) | 7584.02 (81.7) |
| 22 | आर01- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 2181.51 (20.18) | 2140.79 (18.47) | 2155.44 (16.7) | 3790.63 (22.27) | 3621.35 (21.58) |
| 23 | एस01- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 467.12 (14.17) | 525.94 (13.51) | 1062.72 (22.63) | 959.09 (19.45) | 1002.42 (19.04) |
| 24 | टी05- जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरील महसुली खर्च | 3148.46 (44.69) | 2644.61 (33.83) | 3259.72 (35.04) | 4748.6 (42.93) | 3778.7 (28.37) |

| परिशिष्ट - 3.6 (समाप्त) | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | अनुदानाची संख्या आणि नाव | एकूण अनुदानाच्या टक्केवारीशी बचतीची रक्कम | | | | |
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| 25 | व्ही02-सहकार | 5523.66 (44.97) | 14176.42 (67.19) | 1430.45 (7.43) | 329.81 (12.82) | 503.58 (6.1) |
| 26 | डब्ल्यू02- सर्वसाधारण शिक्षण | 1082.55 (16.3) | 2212.79 (27.44) | 1242.18 (15.06) | 1176.9 (13.23) | 442.48 (4.63) |
| 27 | एक्स01- सामाजिक सुरक्षा व पोषण आहार | 670.22 (14.64) | 912.04 (17.77) | 1146.99 (20.94) | 357.82 (6.71) | 575.31 (9.72) |
| 28 | वाय02- पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 2436.6 (48.11) | 4562.6 (69.04) | 3625.97 (65.82) | 6282.32 (74.88) | 7666.33 (66.21) |
| 29 | झेडए02- सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 557.7 (27.69) | 844 (32.84) | 837.01 (32.63) | 894.41 (33.05) | 727.15 (25.24) |
| 30 | झेडडी04- पर्यटन | 104.34 (22.36) | 393.74 (66.67) | 1030.46 (82.44) | 760.48 (51.49) | 992.83 (54.73) |
| 31 | झेडइ01- अल्पसंख्याक विकास | 268.18 (65.69) | 308.28 (57.93) | 415.2 (67.82) | 355.07 (41.03) | 377.84 (48.16) |
| भांडवली दत्तमत | | | | | | |
| 32 | बी10- आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 595.83 (30.03) | 861.15 (45.15) | 1112.33 (62.03) | 476.61 (20.98) | 537.44 (17.94) |
| 33 | एच08- सार्वजनिक बांधकामे, प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती यांवरील भांडवली खर्च | 780.94 (41.24) | 1202.08 (62.08) | 1407.91 (55.12) | 2986.1 (65.79) | 2527.05 (57.67) |
| 34 | आय05- पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च | 859.41 (6.81) | 1872.33 (14.53) | 4508.03 (35.16) | 3398.07 (23.11) | 4990.3 (30.17) |
| 35 | एल07- ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 1020.95 (36.21) | 1371.47 (48.81) | 1700.48 (59.91) | 826.73 (19.76) | 1526.31 (27.03) |
| 36 | एम04- अन्न, साठवण व वखार यांवरील भांडवली खर्च | 245.83 (5.45) | 596.06 (9.13) | 2527.62 (22.28) | 3319.36 (25.5) | 4235.89 (31.09) |
| 37 | एन04- सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 917.63 (89.18) | 205.78 (62.3) | 248.13 (75.64) | 212.22 (35.38) | 422.36 (37.64) |
| 38 | ओ10- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च | 3655.18 (80.74) | 7316.26 (88.95) | 5467.6 (84.91) | 4921.54 (76.82) | 4208.7 (71.16) |
| 39 | टी06-जनजाती क्षेत्र विकास उप योजनेवरील भांडवली खर्च | 147.24 (15.95) | 212.05 (30.51) | 228.54 (26.99) | 408.42 (46.22) | 211.64 (17.52) |
| स्रोत: महालेखाकार (लेखे व अनुज्ञेयता)-I, महाराष्ट्र मुंबई यांच्या व्हाऊचर लेवल कंपायलेशन यांच्याकडून प्राप्त झालेली माहिती | | | | | | |

| परिशिष्ट - 3.7 (संदर्भ: परिच्छेद 3.3.5.2; पृष्ठ: 74) नियमितीकरण राहिलेला जास्तीचा खर्च (₹ कोटीत) | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| वर्ष | अनुदान क्र / विनियोजन | अनुदानाचा तपशील/विनियोजन | जास्तीची रक्कम ज्याला नियमिततेची आवश्यकता आहे | नियमितीकरणाची स्थिती |
| 2017-18 | बी-01 | पोलीस प्रशासन | 0.10 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | सी-09 | प्रशासकीय सेवा आणि इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 0.47 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | सी-11 | राज्य शासनाचे अंतर्गत कर्ज | 0.005 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | डी-01 | व्याज प्रदाने | 1.83 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | जी-06 | निवृत्ती वेतन आणि इतर निवृत्ती लाभ | 6.86 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | एल-01 | व्याज प्रदाने | 9.34 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-22 | जिल्हा योजना-रत्नागिरी | 0.27 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -27 | जिल्हा योजना- पुणे | 0.03 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -31 | जिल्हा योजना - सांगली | 0.0001 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -43 | जिल्हा योजना - अहमदनगर | 0.0038 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -46 | जिल्हा योजना - औरंगाबाद | 0.68 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -47 | जिल्हा योजना - औरंगाबाद | 0.03 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -48 | जिल्हा योजना - जालना | 0.21 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -49 | जिल्हा योजना - जालना | 1.09 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -53 | जिल्हा योजना - नांदेड | 2.54 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -59 | जिल्हा योजना - उस्मानाबाद | 0.48 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -74 | जिल्हा योजना - अमरावती | 0.30 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -81 | जिल्हा योजना - बुलढाणा | 0.0019 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | टी-02 | सहकार | 21.88 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | | डब्ल्यू-07 | प्रादेशिक असमतोल निवारणावरील महसुली खर्च | 1.03 |
| | 15 अनुदाने आणि 5 विनियोजन | | 47.15 | |
| 2018-19 | सी-06 | नैसर्गिक आपत्तीवर दिलासा | 943.19 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | सी-11 | राज्य शासनाचे अंतर्गत कर्ज | 0.0007 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | एच-08 | सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय आणि कार्यशील इमारतींवरील भांडवली खर्च | 0.0001 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | एल-01 | व्याज प्रदाने | 2.71 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-18 | जिल्हा योजना - ठाणे | 0.0007 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-52 | जिल्हा योजना नांदेड | 0.07 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-58 | जिल्हा योजना - उस्मानाबाद | 0.0022 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-68 | जिल्हा योजना - चंद्रपूर | 0.16 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-78 | जिल्हा योजना - यवतमाळ | 0.03 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | | 6 अनुदाने आणि 3 विनियोजन | | 946.16 |
| 2019-20 | सी06 | नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य | 965.370 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | जी01 | विक्रीकर प्रशासन | 0.049 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | के07 | उद्योग | 0.901 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | एन01 | व्याज प्रदाने | 0.008 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ28 | जिल्हा योजना - सातारा | 0.004 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | एस05 | शासकीय कर्मचार्यांना कर्जे | 11.846 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | यू01 | व्याज प्रदाने | 0.109 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | 3 अनुदाने आणि 4 विनियोजन | | 978.29 | |

| परिशिष्ट - 3.7 (समाप्त) | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| (₹ कोटीत) | | | | |
| वर्ष | अनुदान क्र / विनियोजन | अनुदानाचा तपशील/विनियोजन | जास्तीची रक्कम ज्याला नियमिततेची आवश्यकता आहे | नियमितीकरणाची स्थिती |
| 2020-21 | जी-06 | निवृत्ति वेतन आणि इतर निवृत्ति लाभ | 420.01 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-18 | जिल्हा योजना-ठाणे | 0.028 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-26 | जिल्हा योजना -पुणे | 0.011 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -31 | जिल्हा योजना -सांगली | 0.003 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -47 | जिल्हा योजना- औरंगाबाद | 0.005 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -77 | जिल्हा योजना- अकोला | 0.001 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -78 | जिल्हा योजना- यवतमाळ | 0.17 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ -85 | जिल्हा योजना- पालघर | 0.0004 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | टी-01 | व्याज प्रदान | 40.337 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | | 8 अनुदाने आणि 1 विनियोजन | | 460.57 |
| 2021-22 | सी-05 | इतर सामाजिक सेवा | 0.02 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | जी-06 | निवृत्ति वेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ | 467.39 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-27 | जिल्हा योजना पुणे | 0.02 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-32 | जिल्हा योजना सोलापूर | 0.12 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-38 | जिल्हा योजना धुळे | 0.01 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-42 | जिल्हा योजना अहमदनगर | 0.15 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-54 | जिल्हा योजना बीड | 2.68 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-71 | जिल्हा योजना गडचिरोली | 0.99 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-77 | जिल्हा योजना अकोला | 0.02 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | ओ-82 | जिल्हा योजना वाशिम | 0.14 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | जी-06 | निवृत्ति वेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ | 14.39 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | झेडए-02 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 0.42 | अद्याप नियमित करणे बाकी आहे |
| | | 10 अनुदाने आणि 2 विनियोजन | | 486.35 |
| 42 अनुदाने आणि 15 विनियोजन | | | 2918.52 | |
| स्रोत: संबंधित वर्षाचे विनियोजन लेखे | | | | |

| परिशिष्ट 3.8 (परिच्छेद 3.4.2, पृष्ठ: 75) | | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|---|--|
| ज्या योजनांसाठी तरतूद (₹ 100 कोटी व त्याहून अधिक) केली होती परंतु, ती काढून घेतली किंवा कोणताही खर्च झाला नाही त्याचे तपशील | | | | | |
| अ. क्र. | मागणी क्र. | लेखाचे शीर्ष | खर्च (मूळ+पुरवणी) (₹ कोटीत) | सुधारित खर्च (पुनर्विनियोजनानंतर) (₹ कोटीत) | संपूर्ण रकमेच्या पुनर्विनियोजन/प्रत्यार्पणाची कारणे |
| 1 | सी06 | 2245-01-102-009-पिण्याच्या पाण्याचा आपत्कालीन पुरवठा | 200.00 | 0.00 | मुसळधार पावसामुळे कृषिक पिकांच्या झालेल्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य पुरविण्यासाठी इतर योजनांकडे निधी वळविणे |
| 2 | डी03 | 2401-00-113-B40-नाबार्डकडून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत पुरवणी अनुदान देण्यासाठी समर्पित सूक्ष्म सिंचन निधी अंतर्गत कर्ज | 333.38 | 0.00 | राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) कडून कर्ज प्राप्त झाले नाही |
| 3 | एफ02 | 2217-80-191-991-स्मार्ट सिटी अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा 50 टक्के) | 1116.00 | 0.00 | संपूर्ण तरतूद कोणतेही योग्य कारण न देता काढून घेण्यात आली |
| 4 | एफ02 | 2217-80-191-992- स्मार्ट सिटी अभियानासाठी महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा 25 टक्के) | 558.00 | 0.00 | संपूर्ण तरतूद कोणतेही योग्य कारण न देता काढून घेण्यात आली |
| 5 | एल03 | 2235-02-103-C12-अस्मिता योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील शाळांमधील मुलींना सवलतीच्या दराने सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याकरिता अर्थसहाय्य (राज्य योजना) | 262.39 | 0.00 | राज्य स्तरावर अस्मिता योजनेच्या अंमलबजावणीचा सुधारित आराखडा अंतिम न झाल्याने संपूर्ण तरतुदीचे प्रत्यार्पण |
| 6 | एल03 | 3054-04-196-291-मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांच्या व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदांना संप्रयोजन अनुदान | 300.00 | 0.00 | वित्त विभागाने सुधारित अंदाजपत्रकातील तरतुदीमध्ये केलेल्या कपातीमुळे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून कामाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले नाहीत |
| 7 | एल07 | 4515-00-103-094-प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना (केंद्र हिस्सा 100 टक्के) | 228.40 | 0.00 | उपशीर्षाकरिता एकल नोडल अभिकरणांचे नकाशन करण्यात आलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे संपूर्ण तरतूद काढून घेण्यात आली. |
| 8 | आर01 | 2210-01-110-H18-नागरी आरोग्यवर्धन केंद्रे (अनिवार्य) | 774.13 | 0.00 | 15व्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेले अनुदान केंद्र शासनाने मुक्त न केल्यामुळे संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 9 | आर01 | 2210-01-110-H46-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य सुविधा अभियान (केंद्र हिस्सा 60 टक्के) | 111.10 | 0.00 | केंद्राचा हिस्सा केंद्र शासनाने मुक्त न केल्याने संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |

| परिशिष्ट 3.8 (समाप्त) | | | | | |
|-----------------------|------------|--|-----------------------------|---|--|
| अ. क्र. | मागणी क्र. | लेख्याचे शीर्ष | खर्च (मूळ+पुरवणी) (₹ कोटीत) | सुधारित खर्च (पुनर्विनियोजनानंतर) (₹ कोटीत) | संपूर्ण रकमेच्या पुनर्विनियोजन/प्रत्यार्पणाची कारणे |
| 10 | टी05 | 2215-01-796-985-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र योजना) | 800.00 | 0.00 | जल जीवन अभियाना अंतर्गत केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्राचा हिस्सा एस्करो खात्यामध्ये परस्पर जमा केल्याने संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 11 | टी05 | 2225-02-796-आदिम जमातींच्या विकासासाठी केंद्र क्षेत्र योजना (केंद्र हिस्सा 100 टक्के) | 100.00 | 0.00 | केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या प्रमाणात झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चांमुळे संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 12 | वाय02 | 2215-02-107-983-स्वच्छ भारत अभियान (केंद्र हिस्सा) केंद्र पुरस्कृत योजना | 1410.60 | 0.00 | केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 13 | वाय02 | 2215-01-196-ए02-मराठवाडा विभागाकरिता एकात्मिक ग्रिड पद्धतीने पाणी पुरवठा योजनेसाठी सहाय्यक अनुदान | 200.00 | 0.00 | अंमलबजावणी अभिकरणांकडून मागणी प्राप्त न झाल्याने संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 14 | वाय02 | 2215-01-102-996-प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती (कार्यक्रम) | 150.00 | 0.00 | क्षेत्रीय कार्यालयांकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न झाल्याने (₹ 1840.61 लाख) आणि निधीचे इतर योजनेसाठी पुनर्विनियोजन केल्याने संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 15 | झेडसी03 | 4216-01-051-177-मनोरा आमदार निवास, मुंबईचा पुनर्विकास (योजना) | 200.00 | 0.00 | कोणतेही योग्य कारण न देता संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| 16 | झेडजी03 | 2225-03-277-ई99-इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती केंद्र पुरस्कृत योजना 100 टक्के | 250.00 | 0.00 | केंद्र शासनाने केंद्रीय हिस्सा मुक्त न केल्याने संपूर्ण तरतूद प्रत्यार्पित करण्यात आली. |
| एकूण | | | 6994.00 | 0.00 | |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट 3.9 (संदर्भ: परिच्छेद 3.5.2.1; पृष्ठ: 78) वर्ष 2022-23 दरम्यानचे तिमाही-निहाय सर्व अनुदानांचे विवरणपत्र (₹ कोटीत) | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|---------|
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| ए01 | राज्यपाल व मंत्रिपरिषद | 71.22 | 11.36 | 11.37 | 10.57 | 19.11 | 8.28 | 52.42 | 36.46 | 15.79 |
| ए02 | निवडणुका | 374.03 | 35.22 | 85.64 | 71.87 | 120.87 | 69.15 | 313.61 | 38.54 | 22.05 |
| ए03 | लोकसेवा आयोग | 106.23 | 11.41 | 28.49 | 41.31 | 19.11 | 7.79 | 100.31 | 19.05 | 7.77 |
| ए04 | सचिवालय व संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | 1308.02 | 62.30 | 84.71 | 229.97 | 258.71 | 202.53 | 635.69 | 40.70 | 31.86 |
| ए05 | सामाजिक सेवा | 438.81 | 26.80 | 29.54 | 88.67 | 87.43 | 34.49 | 232.44 | 37.61 | 14.84 |
| ए06 | माहिती व प्रसिद्धी | 369.10 | 17.39 | 21.21 | 20.83 | 62.52 | 48.09 | 121.95 | 51.26 | 39.43 |
| ए07 | नागरी विमानचालन | 590.55 | 0.05 | 52.91 | 153.79 | 206.69 | 60.78 | 413.44 | 49.99 | 14.70 |
| ए08 | जनगणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ए09 | सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च | 591.83 | 0.00 | 3.19 | 2.35 | 452.35 | 442.92 | 457.90 | 98.79 | 96.73 |
| ए10 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 10.42 | 1.37 | 2.65 | 2.59 | 2.57 | 1.51 | 9.19 | 28.02 | 16.48 |
| बी01 | पोलीस प्रशासन | 24722.28 | 4967.23 | 5632.02 | 4968.75 | 4415.01 | 1918.38 | 19983.01 | 22.09 | 9.60 |
| बी02 | राज्य उत्पादन शुल्क | 214.77 | 50.97 | 57.64 | 53.86 | 50.86 | 23.59 | 213.33 | 23.84 | 11.06 |
| बी03 | परिवहन प्रशासन | 4779.20 | 734.66 | 684.19 | 635.38 | 1972.00 | 1374.29 | 4026.24 | 48.98 | 34.13 |
| बी04 | सचिवालय व इतर सर्वसाधारण सेवा | 84.63 | 15.10 | 15.78 | 17.96 | 14.15 | 6.66 | 62.99 | 22.46 | 10.58 |
| बी05 | तुरुंग | 525.16 | 96.93 | 110.68 | 135.10 | 123.29 | 61.16 | 465.99 | 26.46 | 13.12 |
| बी06 | सर्वसाधारण सेवा | 7.62 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | 4.05 | 3.89 | 5.14 | 78.87 | 75.72 |
| बी07 | आर्थिक सेवा | 2051.83 | 249.00 | 95.32 | 394.93 | 314.78 | 314.78 | 1054.03 | 29.86 | 29.86 |
| बी08 | पूर नियंत्रण प्रकल्प | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00 | 100.00 |
| बी09 | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| बी10 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 2996.10 | 121.30 | 530.33 | 362.28 | 1444.76 | 1438.56 | 2458.66 | 58.76 | 58.51 |
| बी11 | शासकीय कर्मचारी इत्यादींना, कर्जे | 194.04 | 0.87 | 9.12 | 6.73 | 51.97 | 49.61 | 68.69 | 75.66 | 72.21 |
| बी12 | पूर नियंत्रणसाठी कर्जे | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सी01 | महसूल व जिल्हा प्रशासन | 3209.52 | 651.41 | 733.97 | 658.52 | 737.36 | 327.87 | 2781.27 | 26.51 | 11.79 |
| सी02 | मुद्रांक व नोंदणी | 418.77 | 65.21 | 92.09 | 83.21 | 172.05 | 48.13 | 412.56 | 41.70 | 11.67 |
| सी03 | व्याज प्रदाने | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सी04 | सचिवालय व इतर सर्वसाधारण सेवा | 70.89 | 12.18 | 16.52 | 14.28 | 14.13 | 9.04 | 57.11 | 24.74 | 15.83 |

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| सी05 | इतर सामाजिक सेवा | 53.78 | 7.08 | 18.12 | 10.69 | 12.41 | 6.70 | 48.29 | 25.69 | 13.88 |
| सी06 | नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य | 14908.47 | 117.11 | 4408.87 | 3036.57 | 4239.01 | 3676.42 | 11801.56 | 35.92 | 31.15 |
| सी07 | वने | 3809.20 | 524.48 | 563.73 | 651.14 | 1053.50 | 663.25 | 2792.85 | 37.72 | 23.75 |
| सी08 | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.10 | 0.70 | 4.90 | 42.86 | 14.29 |
| सी09 | इतर प्रशासकीय व सामाजिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 7.44 | 7.66 | 100.00 | 97.17 |
| सी10 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 1191.95 | 0.00 | 173.12 | 171.21 | 631.65 | 530.00 | 975.98 | 64.72 | 54.30 |
| सी11 | देशांतर्गत ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| सी12 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 151.25 | 0.00 | 21.51 | 18.33 | 106.91 | 68.05 | 146.75 | 72.85 | 46.37 |
| डी01 | व्याज प्रदाने | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 13.77 | 100.00 | 0.00 |
| डी02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.98 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.55 | 39.56 | 28.57 |
| डी03 | कृषि सेवा | 12535.86 | 1237.89 | 2734.71 | 1572.58 | 4291.29 | 2351.90 | 9836.47 | 43.63 | 23.91 |
| डी04 | पशु संवर्धन | 1589.06 | 278.12 | 356.95 | 320.71 | 411.39 | 200.92 | 1367.17 | 30.09 | 14.70 |
| डी05 | दुग्धव्यवसाय विकास | 459.17 | 48.79 | 67.17 | 54.19 | 81.34 | 56.58 | 251.50 | 32.34 | 22.50 |
| डी06 | मत्स्यव्यवसाय | 368.40 | 16.50 | 32.81 | 65.72 | 159.26 | 97.97 | 274.29 | 58.06 | 35.72 |
| डी07 | सचिवालय व इतर आर्थिक सेवा | 57.45 | 5.00 | 11.36 | 7.55 | 12.92 | 9.87 | 36.82 | 35.07 | 26.81 |
| डी08 | कृषि सेवांवरील खर्च | 14.87 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | 1.89 | 1.26 | 2.53 | 74.80 | 49.56 |
| डी09 | पशुसंवर्धनावरील भांडवली खर्च | 190.31 | 0.00 | 12.53 | 2.96 | 47.14 | 44.66 | 62.62 | 75.27 | 71.31 |
| डी10 | मत्स्यव्यवसायावरील भांडवली खर्च | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डी11 | देशांतर्गत ऋण | 21.47 | 0.00 | 0.61 | 2.49 | 17.93 | 16.43 | 21.02 | 85.27 | 78.17 |
| ई01 | व्याज प्रदाने | 2671.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2657.45 | 666.28 | 2657.45 | 100.00 | 25.07 |
| ई02 | सर्वसाधारण शिक्षण | 67227.31 | 18345.96 | 14507.20 | 15024.46 | 17281.82 | 8020.17 | 65159.45 | 26.52 | 12.31 |
| ई03 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 590.31 | 34.17 | 78.89 | 57.94 | 239.27 | 208.25 | 410.27 | 58.32 | 50.76 |
| ई04 | शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च | 307.30 | 0.64 | 31.83 | 23.01 | 148.49 | 98.77 | 203.97 | 72.80 | 48.42 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| ई05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींसाठी कर्ज | 11.76 | 0.00 | 0.46 | 1.05 | 4.47 | 1.92 | 5.98 | 74.71 | 32.08 |
| एफ01 | व्याज प्रदाने | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एफ02 | नगर विकास व इतर प्रगत सेवा | 17839.04 | 789.85 | 1302.66 | 3007.34 | 6903.50 | 3715.86 | 12003.34 | 57.51 | 30.96 |
| एफ03 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 247.30 | 5.06 | 7.34 | 46.31 | 68.70 | 66.23 | 127.42 | 53.92 | 51.98 |
| एफ04 | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे | 26503.76 | 8128.75 | 6240.47 | 6652.16 | 5442.90 | 3421.21 | 26464.28 | 20.57 | 12.93 |
| एफ05 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 7346.20 | -4.85 | 126.17 | 306.32 | 4626.18 | 4585.85 | 5053.82 | 91.54 | 90.74 |
| एफ07 | नगर विकासासाठी कर्ज | 3197.30 | 0.00 | 539.14 | 1149.45 | 1297.97 | 1297.97 | 2986.56 | 43.46 | 43.46 |
| एफ08 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज | 4.80 | 0.57 | 0.96 | 0.89 | 1.25 | 1.25 | 3.67 | 34.15 | 34.15 |
| जी01 | विक्रीकर प्रशासन | 1021.73 | 220.84 | 285.00 | 243.75 | 244.26 | 127.96 | 993.84 | 24.58 | 12.88 |
| जी02 | इतर आर्थिक व संकीर्ण सेवा | 1801.16 | 9.74 | 9.16 | 11.69 | 233.89 | 7.82 | 264.48 | 88.44 | 2.96 |
| जी03 | व्याज प्रदाने व ऋण सेवा | 42526.52 | 8245.65 | 8436.62 | 9097.70 | 11651.13 | 3077.15 | 37431.10 | 31.13 | 8.22 |
| जी04 | सचिवालयीन - सर्वसाधारण सेवा | 54.62 | 9.82 | 15.02 | 8.74 | 10.03 | 6.00 | 43.61 | 23.00 | 13.76 |
| जी05 | कोषागार व लेखा प्रशासन | 482.29 | 118.64 | 117.04 | 105.77 | 122.50 | 63.43 | 463.95 | 26.40 | 13.67 |
| जी06 | निवृत्तिवेतन व इतर सेवानिवृत्ति लाभ | 47526.43 | 13113.45 | 11791.84 | 9456.60 | 8748.09 | 1763.01 | 43109.98 | 20.29 | 4.09 |
| जी07 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 144.50 | 27.59 | 30.49 | 25.15 | 50.10 | 25.45 | 133.33 | 37.57 | 19.09 |
| जी08 | इतर प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 633.70 | 127.12 | 0.00 | 20.58 | 486.00 | 386.00 | 633.70 | 76.69 | 60.91 |
| जी09 | सार्वजनिक ऋण व आंतरराज्यीय तडजोड | 51956.09 | 17372.97 | 9590.15 | 5798.33 | 11001.94 | 5260.20 | 43763.40 | 25.14 | 12.02 |
| जी10 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्ज | 145.96 | 0.29 | 11.37 | 30.17 | 98.27 | 96.55 | 140.10 | 70.15 | 68.91 |
| जी निरंक | आकस्मिकता निधीचे विनियोजन | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| एच02 | इतर प्रशासनिक व सामाजिक सेवा | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.27 | 0.50 | 89.95 | 55.09 |
| एच03 | गृहनिर्माण | 737.55 | 21.69 | 87.29 | 59.73 | 534.24 | 374.98 | 702.96 | 76.00 | 53.34 |

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| एच04 | सचिवालय व इतर आर्थिक सेवा | 82.10 | 11.33 | 15.12 | 14.06 | 12.15 | 4.60 | 52.67 | 23.07 | 8.73 |
| एच05 | मार्ग व पूल | 9740.78 | 996.47 | 1352.65 | 1260.39 | 5649.17 | 2952.69 | 9258.68 | 61.01 | 31.89 |
| एच06 | सार्वजनिक बांधकामे आणि प्रशासकीय व कार्यचालन इमारती | 3710.76 | 545.69 | 786.25 | 654.48 | 1049.79 | 633.55 | 3036.21 | 34.58 | 20.87 |
| एच07 | सामाजिक सेवा व इतर आर्थिक सेवा यांवरील भांडवली खर्च | 22477.37 | 3276.36 | 2799.33 | 4321.14 | 10450.40 | 8063.15 | 20847.23 | 50.13 | 38.68 |
| एच08 | सार्वजनिक बांधकामे, प्रशासकीय कार्यचालन इमारती यांवरील भांडवली खर्च | 4437.29 | 20.28 | 321.79 | 400.32 | 1156.85 | 856.42 | 1899.24 | 60.91 | 45.09 |
| एच09 | प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी भांडवली खर्च | 72.00 | 0.00 | 0.08 | 4.13 | 18.27 | 13.39 | 22.48 | 81.26 | 59.54 |
| एच11 | इतर सामाजिक आर्थिक सेवांसाठी कर्जे | 44.82 | 1.30 | 0.16 | 9.96 | 28.88 | 27.08 | 40.29 | 71.67 | 67.20 |
| आय01 | व्याज प्रदाने | 1214.85 | 242.25 | 240.79 | 250.22 | 254.63 | 254.63 | 987.89 | 25.78 | 25.78 |
| आय02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 2.00 | 0.02 | 0.39 | 0.19 | 0.47 | 0.39 | 1.07 | 44.49 | 36.61 |
| आय03 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 2440.15 | 269.20 | 318.09 | 279.28 | 887.25 | 129.95 | 1753.83 | 50.59 | 7.41 |
| आय04 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा | 79.57 | 7.96 | 11.58 | 8.08 | 10.57 | 4.94 | 38.19 | 27.69 | 12.94 |
| आय05 | पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवली खर्च | 16541.76 | 1644.66 | 2096.08 | 2198.50 | 5612.06 | 3708.59 | 11551.31 | 48.58 | 32.11 |
| आय06 | देशांतर्गत ऋण | 1021.20 | 172.84 | 134.79 | 232.41 | 481.16 | 362.77 | 1021.19 | 47.12 | 35.52 |
| आय07 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 65.29 | 1.24 | 13.64 | 17.77 | 29.00 | 26.34 | 61.66 | 47.04 | 42.71 |
| जे01 | न्यायदान | 3597.36 | 682.22 | 790.30 | 746.17 | 800.97 | 351.87 | 3019.66 | 26.53 | 11.65 |
| जे02 | सचिवालय व इतर सामाजिक आणि आर्थिक सेवा | 205.65 | 36.72 | 41.72 | 31.03 | 54.00 | 26.83 | 163.47 | 33.03 | 16.41 |
| जे03 | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 5.28 | 0.00 | 7.33 | 72.05 | 0.00 |
| जे04 | सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च | 13.00 | 0.31 | 1.61 | 3.32 | 6.08 | 0.49 | 11.32 | 53.70 | 4.31 |
| जे05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 26.50 | 0.00 | 2.46 | 3.84 | 17.96 | 8.48 | 24.26 | 74.02 | 34.97 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| के01 | विक्रेय वस्तु व सेवा यांवरील इतर कर व शुल्क | 66.10 | 14.72 | 19.25 | 14.09 | 16.60 | 6.28 | 64.66 | 25.67 | 9.72 |
| के03 | लेखनसामग्री व मुद्रण | 217.35 | 44.41 | 45.18 | 38.49 | 64.33 | 39.67 | 192.41 | 33.44 | 20.62 |
| के04 | कामगार व सेवायोजन | 341.75 | 40.26 | 44.45 | 47.29 | 90.79 | 67.44 | 222.79 | 40.75 | 30.27 |
| के05 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 83.33 | 70.83 |
| के06 | ऊर्जा | 12876.49 | 0.00 | 4845.76 | 2482.64 | 5139.18 | 5138.96 | 12467.58 | 41.22 | 41.22 |
| के07 | उद्योग | 6670.08 | 34.10 | 670.86 | 1311.79 | 4464.65 | 3123.53 | 6481.39 | 68.88 | 48.19 |
| के08 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा | 30.18 | 5.57 | 7.86 | 5.50 | 4.44 | 2.20 | 23.38 | 19.01 | 9.43 |
| के09 | आर्थिक व सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 62.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.84 | 31.55 | 31.84 | 100.00 | 99.11 |
| के10 | उद्योगांवरील भांडवली खर्च | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.52 | 72.52 | 72.52 | 100.00 | 100.00 |
| के11 | उर्जेवरील भांडवली खर्च | 2749.40 | 0.00 | 37.94 | 2.46 | 1305.41 | 1006.46 | 1345.81 | 97.00 | 74.78 |
| के13 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 11.87 | 1.62 | 0.54 | 1.31 | 7.48 | 4.90 | 10.95 | 68.33 | 44.75 |
| एल01 | व्याज प्रदाने | 1803.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 882.51 | 259.35 | 882.52 | 100.00 | 29.39 |
| एल02 | जिल्हा प्रशासन | 8089.35 | 1736.83 | 2034.86 | 1794.87 | 1955.97 | 809.20 | 7522.53 | 26.00 | 10.76 |
| एल03 | ग्रामविकास कार्यक्रम | 15088.44 | 932.35 | 1716.89 | 2181.98 | 5359.63 | 3606.39 | 10190.85 | 52.59 | 35.39 |
| एल04 | सचिवालयीन - आर्थिक सेवा | 82.92 | 6.14 | 9.11 | 5.87 | 6.81 | 2.55 | 27.93 | 24.38 | 9.12 |
| एल05 | स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे | 4977.38 | 0.00 | 155.68 | 818.24 | 3751.66 | 2797.90 | 4725.58 | 79.39 | 59.21 |
| एल07 | ग्रामविकासावरील भांडवली खर्च | 5646.15 | 210.00 | 634.49 | 1443.60 | 1831.74 | 1086.21 | 4119.83 | 44.46 | 26.37 |
| एल08 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 1.32 | 0.48 | 0.45 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 28.17 | 0.00 |
| एम01 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण व कल्याण | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 45.45 | 45.45 |
| एम02 | अन्न, साठवण व वखार | 5179.47 | 118.09 | 392.47 | 134.92 | 3349.98 | 2651.87 | 3995.47 | 83.84 | 66.37 |
| एम03 | सचिवालय व इतर आर्थिक सेवा | 135.95 | 20.94 | 26.47 | 24.33 | 32.45 | 17.35 | 104.19 | 31.15 | 16.65 |
| एम04 | अन्नावरील भांडवली खर्च | 13623.76 | 1007.65 | 1532.02 | 2692.59 | 4155.61 | 2999.08 | 9387.87 | 44.27 | 31.95 |
| एम05 | इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 6.76 | 5.27 | 7.19 | 93.95 | 73.19 |

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| एम06 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 5.58 | 0.20 | 0.68 | 1.09 | 3.34 | 2.76 | 5.31 | 62.94 | 52.02 |
| एन01 | व्याज प्रदाने | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 100.00 | 0.00 |
| एन02 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 1440.85 | 135.05 | 105.14 | 259.68 | 887.68 | 673.08 | 1387.54 | 63.98 | 48.51 |
| एन03 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण | 17913.04 | 909.98 | 2288.78 | 2911.03 | 6900.74 | 5289.84 | 13010.53 | 53.04 | 40.66 |
| एन04 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 1122.07 | 0.00 | 74.65 | 185.10 | 439.96 | 430.01 | 699.71 | 62.88 | 61.46 |
| एन05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 3.26 | 0.38 | 0.24 | 0.77 | 1.55 | 0.82 | 2.93 | 52.75 | 28.14 |
| एन06 | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग | 2645.32 | 2.77 | 12.47 | 69.63 | 2557.61 | 2301.33 | 2642.47 | 96.79 | 87.09 |
| एन07 | जिल्हा योजना | 81.03 | 0.17 | 5.44 | 2.95 | 72.26 | 68.54 | 80.81 | 89.42 | 84.82 |
| एन08 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण | 2.29 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 1.88 | 1.60 | 1.90 | 99.19 | 84.41 |
| ओ01 | जिल्हा प्रशासन | 966.57 | 12.19 | 40.43 | 30.08 | 595.85 | 550.08 | 678.55 | 87.81 | 81.07 |
| ओ02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 300.04 | 0.00 | 4.01 | 1.44 | 163.74 | 163.34 | 169.19 | 96.78 | 96.54 |
| ओ03 | ग्रामीण रोजगार | 3854.03 | 21.13 | 525.71 | 250.15 | 1136.13 | 925.78 | 1933.13 | 58.77 | 47.89 |
| ओ04 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रम | 100.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 67.74 | 45.80 |
| ओ06 | इतर वैज्ञानिक संशोधन | 78.10 | 0.00 | 16.40 | 46.07 | 15.63 | 0.00 | 78.10 | 20.01 | 0.00 |
| ओ07 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा | 153.40 | 20.39 | 24.14 | 21.05 | 39.66 | 28.55 | 105.24 | 37.68 | 27.13 |
| ओ08 | पर्यटन | 1.45 | 0.20 | 0.29 | -9.81 | 10.19 | 0.08 | 0.87 | 1170.72 | 8.77 |
| ओ09 | जनगणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी | 1595.76 | 14.23 | 18.46 | 15.18 | 1518.41 | 1511.12 | 1566.28 | 96.94 | 96.48 |
| ओ10 | इतर ग्रामविकास कार्यक्रमांवरील भांडवली खर्च | 5914.15 | 18.43 | 183.45 | 316.47 | 1187.10 | 893.49 | 1705.45 | 69.61 | 52.39 |
| ओ11 | डोंगराळ क्षेत्रांवरील भांडवली खर्च | 200.00 | 0.31 | 6.64 | 11.24 | 149.55 | 136.83 | 167.74 | 89.16 | 81.57 |
| ओ12 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 85.31 | 0.00 | 0.00 |
| ओ13 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 2.90 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 2.24 | 2.24 | 2.74 | 81.71 | 81.71 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| ओ14 | जिल्हा योजना-मुंबई शहर | 264.70 | 0.00 | 0.21 | 0.89 | 263.60 | 165.10 | 264.70 | 99.59 | 62.37 |
| ओ15 | जिल्हा योजना - मुंबई शहर | 50.30 | -2.81 | -0.18 | 0.11 | 50.49 | 43.60 | 47.61 | 106.04 | 91.58 |
| ओ16 | जिल्हा योजना - मुंबई उपनगर | 749.47 | 21.67 | 0.95 | 114.77 | 611.14 | 525.05 | 748.53 | 81.65 | 70.14 |
| ओ17 | जिल्हा योजना - मुंबई उपनगर | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 86.99 | 84.21 | 90.08 | 96.57 | 93.49 |
| ओ18 | जिल्हा योजना-ठाणे' | 412.02 | 0.46 | 19.39 | 28.01 | 364.15 | 292.72 | 412.02 | 88.38 | 71.05 |
| ओ19 | जिल्हा योजना-ठाणे | 205.98 | 2.63 | 7.34 | 6.02 | 189.98 | 128.43 | 205.98 | 92.23 | 62.35 |
| ओ20 | जिल्हा योजना - रायगड | 237.90 | 0.02 | 6.04 | 9.19 | 222.64 | 216.39 | 237.90 | 93.59 | 90.96 |
| ओ21 | जिल्हा योजना - रायगड | 82.10 | 0.09 | 1.58 | 4.93 | 75.50 | 72.94 | 82.10 | 91.96 | 88.84 |
| ओ22 | जिल्हा योजना - रत्नागिरी | 196.52 | 0.01 | 3.37 | 7.15 | 185.99 | 154.09 | 196.52 | 94.64 | 78.41 |
| ओ23 | जिल्हा योजना - रत्नागिरी | 74.48 | 0.11 | 1.24 | 1.83 | 71.30 | 59.83 | 74.48 | 95.73 | 80.34 |
| ओ24 | जिल्हा योजना - सिंधुदुर्ग | 144.60 | 1.26 | 0.52 | 4.86 | 138.02 | 111.66 | 144.66 | 95.41 | 77.19 |
| ओ25 | जिल्हा योजना - सिंधुदुर्ग | 37.40 | 0.04 | 0.98 | 1.13 | 35.22 | 29.01 | 37.36 | 94.26 | 77.66 |
| ओ26 | जिल्हा योजना - पुणे | 733.64 | 0.55 | 43.50 | 52.71 | 633.10 | 452.65 | 729.86 | 86.74 | 62.02 |
| ओ27 | जिल्हा योजना - पुणे | 141.36 | 0.74 | 7.46 | 20.54 | 106.42 | 84.94 | 135.16 | 78.74 | 62.84 |
| ओ28 | जिल्हा योजना-सातारा | 327.72 | 0.02 | 0.47 | 3.05 | 324.17 | 271.23 | 327.72 | 98.92 | 82.76 |
| ओ29 | जिल्हा योजना-सातारा | 83.28 | 0.00 | 0.17 | 3.94 | 77.99 | 72.64 | 82.11 | 94.99 | 88.46 |
| ओ30 | जिल्हा योजना-सांगली | 278.44 | 0.58 | 30.78 | 9.66 | 237.43 | 180.07 | 278.45 | 85.27 | 64.67 |
| ओ31 | जिल्हा योजना-सांगली | 85.56 | 0.15 | 5.57 | 3.74 | 75.66 | 73.67 | 85.13 | 88.88 | 86.54 |
| ओ32 | जिल्हा योजना - सोलापूर' | 426.89 | 0.01 | 2.05 | 41.65 | 383.06 | 243.58 | 426.78 | 89.76 | 57.08 |
| ओ33 | जिल्हा योजना - सोलापूर | 100.11 | 0.00 | 0.11 | 12.37 | 87.56 | 59.20 | 100.03 | 87.53 | 59.18 |
| ओ34 | जिल्हा योजना - कोल्हापूर | 316.22 | 0.14 | 1.00 | 9.61 | 300.21 | 281.83 | 310.97 | 96.54 | 90.63 |
| ओ35 | जिल्हा योजना - कोल्हापूर | 108.78 | 0.12 | 2.38 | 6.52 | 90.75 | 86.00 | 99.77 | 90.96 | 86.19 |
| ओ36 | जिल्हा योजना-नाशिक | 466.98 | 12.50 | 19.84 | 31.62 | 402.58 | 302.16 | 466.55 | 86.29 | 64.77 |
| ओ37 | जिल्हा योजना-नाशिक | 133.02 | 3.05 | 9.78 | 11.47 | 108.60 | 90.01 | 132.90 | 81.72 | 67.73 |
| ओ38 | जिल्हा योजना-नाशिक | 176.18 | 0.13 | 1.69 | 1.22 | 173.15 | 164.23 | 176.18 | 98.28 | 93.22 |
| ओ39 | जिल्हा योजना-धुळे | 59.82 | 0.00 | 1.07 | 0.98 | 57.77 | 55.79 | 59.82 | 96.57 | 93.26 |
| ओ40 | जिल्हा योजना - जळगाव | 360.63 | 5.77 | 21.95 | 39.11 | 293.80 | 215.95 | 360.63 | 81.47 | 59.88 |
| ओ41 | जिल्हा योजना - जळगाव | 91.37 | 1.64 | 4.94 | 3.40 | 81.38 | 63.40 | 91.37 | 89.07 | 69.39 |
| ओ42 | जिल्हा योजना - अहमदनगर | 439.17 | 4.80 | 13.32 | 19.19 | 401.82 | 338.84 | 439.13 | 91.50 | 77.16 |

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| ओ43 | जिल्हा योजना - अहमदनगर | 117.83 | 9.08 | 5.97 | 21.63 | 81.73 | 70.79 | 118.41 | 69.02 | 59.79 |
| ओ44 | जिल्हा योजना - नंदुरबार | 116.39 | 1.18 | 0.82 | 5.57 | 108.66 | 103.69 | 116.23 | 93.49 | 89.21 |
| ओ45 | जिल्हा योजना - नंदुरबार | 28.61 | 0.19 | 0.37 | 1.58 | 26.42 | 24.38 | 28.56 | 92.50 | 85.36 |
| ओ46 | जिल्हा योजना - औरंगाबाद | 370.68 | 0.43 | 5.28 | 9.80 | 352.07 | 302.29 | 367.57 | 95.78 | 82.24 |
| ओ47 | जिल्हा योजना - औरंगाबाद | 129.32 | 0.33 | 4.35 | 2.90 | 119.74 | 99.58 | 127.33 | 94.04 | 78.21 |
| ओ48 | जिल्हा योजना-जालना | 217.99 | 0.08 | 0.36 | 3.64 | 213.91 | 192.77 | 217.99 | 98.13 | 88.43 |
| ओ49 | जिल्हा योजना-जालना | 64.01 | 0.44 | 0.52 | 1.79 | 61.25 | 52.53 | 64.01 | 95.69 | 82.07 |
| ओ50 | जिल्हा योजना - परभणी | 227.21 | 0.00 | 0.26 | 2.19 | 224.76 | 198.62 | 227.21 | 98.92 | 87.42 |
| ओ51 | जिल्हा योजना - परभणी- भांडवल | 23.79 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 23.18 | 22.52 | 23.79 | 97.44 | 94.66 |
| ओ52 | जिल्हा योजना-नांदेड | 309.03 | 0.01 | 10.57 | 23.18 | 275.06 | 255.31 | 308.83 | 89.07 | 82.67 |
| ओ53 | जिल्हा योजना - नांदेड भांडवल | 90.97 | 0.00 | 1.98 | 0.30 | 88.70 | 86.70 | 90.97 | 97.50 | 95.30 |
| ओ54 | जिल्हा योजना - बीड | 290.84 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 277.76 | 261.14 | 278.26 | 99.82 | 93.85 |
| ओ55 | जिल्हा योजना- बीड | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | 58.76 | 58.38 | 74.34 | 79.04 | 78.53 |
| ओ56 | जिल्हा योजना-लातूर | 249.80 | 0.01 | 0.63 | 7.27 | 241.88 | 220.43 | 249.80 | 96.83 | 88.25 |
| ओ57 | जिल्हा योजना-लातूर | 52.20 | 0.00 | 1.26 | 1.79 | 49.15 | 43.64 | 52.20 | 94.16 | 83.59 |
| ओ58 | जिल्हा योजना - उस्मानाबाद | 254.99 | 0.00 | 0.01 | 7.83 | 247.15 | 238.90 | 254.99 | 96.93 | 93.69 |
| ओ59 | जिल्हा योजना-उस्मानाबाद-भांडवल | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 44.44 | 41.23 | 45.01 | 98.73 | 91.60 |
| ओ60 | जिल्हा योजना-हिंगोली | 146.37 | 0.01 | 0.00 | 1.16 | 145.19 | 139.19 | 146.37 | 99.20 | 95.10 |
| ओ61 | जिल्हा योजना - हिंगोली भांडवल | 53.63 | 0.80 | 0.25 | -0.73 | 53.31 | 51.30 | 53.63 | 99.40 | 95.65 |
| ओ62 | जिल्हा योजना - नागपूर | 520.31 | 0.00 | 0.59 | 6.23 | 513.47 | 477.94 | 520.29 | 98.69 | 91.86 |
| ओ63 | जिल्हा योजना - नागपूर | 157.69 | 0.00 | 1.12 | 7.67 | 143.14 | 130.75 | 151.93 | 94.22 | 86.05 |
| ओ64 | जिल्हा योजना- वर्धा | 178.39 | 0.00 | 1.08 | 7.92 | 169.39 | 151.22 | 178.39 | 94.96 | 84.77 |
| ओ65 | जिल्हा योजना - वर्धा- भांडवल | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 43.94 | 41.84 | 46.61 | 94.27 | 89.78 |
| ओ66 | जिल्हा योजना-भंडारा | 152.72 | 0.02 | 0.79 | 8.43 | 143.48 | 119.93 | 152.72 | 93.95 | 78.53 |
| ओ67 | जिल्हा योजना - भंडारा - भांडवल | 22.28 | 0.00 | 0.17 | 0.79 | 21.15 | 17.97 | 22.11 | 95.66 | 81.30 |
| ओ68 | जिल्हा योजना - चंद्रपूर | 258.70 | 0.00 | 0.18 | 9.87 | 248.65 | 226.32 | 258.70 | 96.12 | 87.48 |
| ओ69 | जिल्हा योजना - चंद्रपूर- भांडवल | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 59.88 | 54.69 | 69.30 | 86.41 | 78.92 |
| ओ70 | जिल्हा योजना - गडचिरोली | 231.35 | 0.00 | 2.94 | 28.05 | 200.52 | 158.75 | 231.51 | 86.61 | 68.57 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| ओ71 | जिल्हा योजना - गडचिरोली-भांडवल | 68.65 | 0.00 | 0.33 | 6.72 | 61.60 | 53.30 | 68.65 | 89.73 | 77.64 |
| ओ72 | जिल्हा योजना-गोंदिया | 146.68 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 139.47 | 98.38 | 146.68 | 95.09 | 67.07 |
| ओ73 | जिल्हा योजना - गोंदिया - भांडवल | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 52.88 | 42.00 | 53.32 | 99.18 | 78.77 |
| ओ74 | जिल्हा योजना - अमरावती | 257.74 | 0.26 | 0.16 | 6.07 | 251.35 | 213.29 | 257.84 | 97.48 | 82.72 |
| ओ75 | जिल्हा योजना - अमरावती- भांडवली | 92.26 | 0.00 | 0.05 | 2.60 | 89.56 | 88.25 | 92.21 | 97.12 | 95.71 |
| ओ76 | जिल्हा योजना-अकोला | 157.05 | 1.71 | 0.86 | 16.08 | 138.40 | 130.55 | 157.05 | 88.13 | 83.13 |
| ओ77 | जिल्हा योजना - अकोला- भांडवल | 56.95 | 0.00 | 3.46 | 1.46 | 52.03 | 50.32 | 56.95 | 91.36 | 88.36 |
| ओ78 | जिल्हा योजना - यवतमाळ | 248.53 | 1.30 | 4.03 | 13.78 | 224.38 | 213.67 | 243.49 | 92.15 | 87.75 |
| ओ79 | जिल्हा योजना - यवतमाळ | 107.47 | 0.18 | 1.56 | 8.34 | 93.04 | 88.57 | 103.12 | 90.22 | 85.89 |
| ओ80 | जिल्हा योजना - बुलढाणा | 238.45 | 0.03 | 0.89 | 3.05 | 234.29 | 225.98 | 238.27 | 98.33 | 94.84 |
| ओ81 | जिल्हा योजना - बुलढाणा | 87.55 | 0.50 | 2.12 | 3.89 | 81.04 | 78.89 | 87.55 | 92.56 | 90.11 |
| ओ82 | जिल्हा योजना-वाशिम | 156.49 | 0.00 | 0.64 | 6.94 | 148.91 | 143.92 | 156.49 | 95.16 | 91.97 |
| ओ83 | जिल्हा योजना - वाशिम - भांडवल | 47.51 | 0.00 | 1.29 | 3.37 | 42.85 | 41.08 | 47.51 | 90.19 | 86.45 |
| ओ84 | जिल्हा योजना पालघर | 169.16 | 0.55 | 8.04 | 2.99 | 157.59 | 149.04 | 169.16 | 93.16 | 88.11 |
| ओ85 | जिल्हा योजना - पालघर | 62.84 | 0.15 | 1.51 | 3.05 | 58.12 | 52.64 | 62.84 | 92.49 | 83.77 |
| पी01 | सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा | 3.88 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.29 | 2.91 | 21.70 | 9.98 |
| पी02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पी03 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे. | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| क्यू01 | व्याज प्रदाने | 40.90 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 34.39 | 52.09 | 0.00 |
| क्यू02 | इतर प्रशासनिक सेवा | 3.31 | 0.56 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 2.12 | 26.37 | 21.44 |
| क्यू03 | गृहनिर्माण | 9283.10 | 5.99 | 7.21 | 5.88 | 1680.01 | 203.49 | 1699.09 | 98.88 | 11.98 |
| क्यू04 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा | 11.03 | 2.02 | 2.74 | 2.15 | 1.38 | 0.66 | 8.29 | 16.60 | 8.00 |
| क्यू06 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 1.52 | 0.88 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| आर01 | वैद्यकीय सेवा व सामाजिक आरोग्य | 16848.79 | 2185.14 | 3688.21 | 2238.74 | 5050.13 | 2643.88 | 13162.22 | 38.37 | 20.09 |
| आर02 | सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | 17.92 | 3.56 | 4.88 | 3.85 | 2.62 | 1.24 | 14.91 | 17.55 | 8.29 |
| आर03 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च | 72.43 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 48.62 | 47.55 | 48.84 | 99.56 | 97.36 |
| आर04 | कुटुंब कल्याणासाठी कर्जे | 64.43 | 0.00 | 2.49 | 10.55 | 48.72 | 43.47 | 61.76 | 78.88 | 70.39 |

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| एस01 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य | 5266.06 | 884.65 | 1118.69 | 912.93 | 1347.35 | 815.67 | 4263.62 | 31.60 | 19.13 |
| एस02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.21 | 68.57 | 20.00 |
| एस03 | सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | 43.63 | 2.69 | 4.88 | 2.33 | 24.10 | 21.45 | 34.01 | 70.87 | 63.09 |
| एस04 | वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च | 1022.47 | 0.03 | 323.71 | 0.58 | 417.81 | 391.54 | 742.14 | 56.30 | 52.76 |
| एस05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 10.00 | 0.45 | 1.03 | 2.60 | 4.46 | 3.70 | 8.54 | 52.19 | 43.30 |
| टी01 | व्याज प्रदाने | 53.53 | 0.00 | 7.07 | 9.69 | 42.79 | 23.96 | 59.56 | 71.86 | 40.24 |
| टी02 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण | 104.76 | 17.06 | 21.42 | 16.49 | 27.69 | 15.56 | 82.66 | 33.50 | 18.83 |
| टी03 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.47 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 57.46 | 38.67 |
| टी04 | सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | 21.25 | 2.81 | 3.89 | 2.79 | 2.57 | 1.03 | 12.06 | 21.32 | 8.54 |
| टी05 | जनजाति क्षेत्र विकास उप योजनेवरील महसुली खर्च | 13321.41 | 1254.24 | 1509.94 | 1559.00 | 5219.54 | 3810.18 | 9542.71 | 54.70 | 39.93 |
| टी06 | जनजाति क्षेत्र विकास उप योजनेवरील भांडवली खर्च | 1208.13 | 3.92 | 39.71 | 176.65 | 776.20 | 610.47 | 996.49 | 77.89 | 61.26 |
| टी08 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 13.81 | 0.56 | 0.60 | 0.74 | 11.34 | 10.47 | 13.24 | 85.63 | 79.04 |
| टी09 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण | 1739.31 | 23.82 | 56.07 | 269.41 | 1386.19 | 1014.63 | 1735.49 | 79.87 | 58.46 |
| टी10 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांच्या कल्याणावर भांडवली खर्च/व्यय | 367.13 | 3.35 | 4.49 | 15.68 | 342.73 | 318.13 | 366.25 | 93.58 | 86.86 |
| टी11 | जनजाति क्षेत्र विकास उप योजनेसाठी कर्जे | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 115.84 | 103.98 |
| यू01 | व्याज प्रदाने | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 100.00 | 100.00 |
| यू02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| यू03 | सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | 7.11 | 1.30 | 1.78 | 1.22 | 0.79 | 0.36 | 5.09 | 15.44 | 7.14 |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| यू04 | परिस्थितिकी व पर्यावरण | 473.45 | 0.00 | 11.14 | 63.00 | 146.48 | 142.03 | 220.62 | 66.40 | 64.38 |
| यू05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 57.84 | 56.21 |
| व्ही01 | व्याज प्रदाने | 13.90 | 0.00 | 2.32 | 1.35 | 2.78 | 2.36 | 6.45 | 43.12 | 36.63 |
| व्ही02 | सहकार | 8262.09 | 132.31 | 1249.32 | 2221.42 | 4155.46 | 2239.64 | 7758.50 | 53.56 | 28.87 |
| व्ही03 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 392.80 | 7.23 | 68.66 | 0.00 | 149.22 | 149.22 | 225.11 | 66.29 | 66.29 |
| व्ही04 | देशांतर्गत ऋण | 10.69 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| व्ही05 | आर्थिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 100.00 | 100.00 |
| व्ही06 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 12.93 | 0.42 | 1.28 | 1.37 | 9.44 | 7.40 | 12.52 | 75.44 | 59.14 |
| डब्ल्यू 01 | व्याज प्रदाने | 463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.95 | 12.08 | 441.95 | 100.00 | 2.73 |
| डब्ल्यू02 | सर्वसाधारण शिक्षण | 9562.65 | 2707.43 | 2250.21 | 2090.77 | 2071.75 | 1073.46 | 9120.16 | 22.72 | 11.77 |
| डब्ल्यू03 | तंत्र शिक्षण | 2642.27 | 431.00 | 544.42 | 590.24 | 1008.53 | 662.46 | 2574.19 | 39.18 | 25.73 |
| डब्ल्यू04 | कला व संस्कृती | 432.89 | 45.94 | 63.94 | 45.73 | 325.47 | 317.84 | 481.08 | 67.65 | 66.07 |
| डब्ल्यू05 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 25.93 | 22.22 |
| डब्ल्यू06 | सचिवालयीन-सामाजिक सेवा | 25.80 | 2.82 | 4.29 | 2.60 | 4.14 | 2.28 | 13.85 | 29.91 | 16.47 |
| डब्ल्यू07 | प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी महसुली खर्च | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डब्ल्यू08 | इतर सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डब्ल्यू09 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 30.48 | 0.00 | 0.14 | 6.98 | 21.71 | 9.08 | 28.83 | 75.31 | 31.50 |
| एक्स01 | सामाजिक सुरक्षा व पोषण आहार | 5915.84 | 1011.89 | 949.62 | 1510.05 | 1868.96 | 1447.77 | 5340.53 | 35.00 | 27.11 |
| एक्स02 | सचिवालयीन - सामाजिक सेवा | 14.43 | 1.46 | 2.17 | 2.19 | 4.37 | 3.55 | 10.19 | 42.84 | 34.84 |
| एक्स03 | सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| एक्स04 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 7.52 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 4.30 | 4.06 | 4.72 | 90.95 | 85.92 |
| वाय01 | व्याज प्रदाने | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 100.00 | 100.00 |
| वाय02 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 11579.01 | 130.33 | 384.44 | 1075.75 | 2322.17 | 1983.79 | 3912.68 | 59.35 | 50.70 |
| वाय03 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 75.00 | 50.00 |
| वाय04 | लहान/लघु पाटबंधारे | 52.55 | 11.47 | 14.13 | 10.97 | 11.26 | 4.30 | 47.83 | 23.54 | 9.00 |
| वाय05 | सचिवालयीन-आर्थिक सेवा | 26.20 | 3.56 | 6.08 | 4.10 | 8.93 | 6.42 | 22.68 | 39.40 | 28.31 |

| परिशिष्ट 3.9 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| वाय06 | आर्थिक व सामाजिक सेवांवरील भांडवली खर्च | 209.63 | 6.25 | 7.87 | 5.63 | 183.62 | 91.01 | 203.37 | 90.29 | 44.75 |
| वाय07 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 5.08 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 1.24 | 1.10 | 1.59 | 78.17 | 69.19 |
| झेडए01 | व्याज प्रदाने | 599.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.17 | 327.84 | 599.17 | 100.00 | 54.72 |
| झेडए02 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 2881.14 | 450.69 | 598.04 | 412.76 | 692.51 | 407.54 | 2154.01 | 32.15 | 18.92 |
| झेडए03 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 26.16 | 0.00 | 5.25 | 5.61 | 13.53 | 10.80 | 24.39 | 55.47 | 44.28 |
| झेडसी01 | संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिमंडळे | 427.09 | 51.10 | 58.98 | 56.48 | 126.35 | 79.13 | 292.91 | 43.14 | 27.02 |
| झेडसी02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 25.05 | 24.19 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |
| झेडसी03 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 201.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 0.00 |
| झेडडी01 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 13.35 | 1.89 | 2.69 | 2.11 | 2.82 | 1.83 | 9.51 | 29.66 | 19.22 |
| झेडडी02 | कला व संस्कृती | 911.80 | 24.95 | 65.98 | 61.05 | 535.58 | 480.11 | 687.56 | 77.90 | 69.83 |
| झेडडी 03 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 75.00 | 0.00 |
| झेडडी04 | पर्यटन | 1814.00 | 0.97 | 3.56 | 15.74 | 800.90 | 613.78 | 821.17 | 97.53 | 74.75 |
| झेडडी05 | शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील भांडवली खर्च | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 6.58 | 9.10 | 100.00 | 72.31 |
| झेडडी06 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 1.08 | 0.00 | 0.10 | 0.66 | 0.30 | 0.30 | 1.05 | 28.28 | 28.28 |
| झेडई01 | अल्पसंख्याक विकास | 784.49 | 32.32 | 156.87 | 39.90 | 177.55 | 158.78 | 406.65 | 43.66 | 39.05 |
| झेडई02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यांवरील भांडवली खर्च | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 100.00 | 100.00 |
| झेडई03 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 100.00 | 0.00 |
| झेडएफ01 | सचिवालय-सर्वसाधारण सेवा | 18.57 | 2.98 | 4.66 | 3.09 | 4.01 | 2.43 | 14.73 | 27.20 | 16.49 |
| झेडएफ02 | कला व संस्कृती | 26.24 | 1.54 | 2.96 | 5.74 | 11.85 | 8.04 | 22.09 | 53.65 | 36.38 |
| झेडएफ03 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडएफ04 | सार्वजनिक बांधकामांवरील भांडवली खर्च | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 100.00 | 0.00 |
| झेडएफ05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 1.23 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| झेडजी01 | व्याज प्रदाने | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 16.87 | 30.93 | 100.00 | 54.56 |
| झेडजी02 | सचिवालय व इतर सामाजिक सेवा | 48.35 | 2.02 | 3.43 | 2.64 | 32.71 | 23.07 | 40.80 | 80.16 | 56.54 |

| परिशिष्ट 3.9 (समाप्त) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अनुदान | तपशील | अर्थसंकल्प | 1 तिमाही | 2 तिमाही | 3 तिमाही | 4 तिमाही | मार्च | एकूण खर्च | 4 तिमाही % | मार्च % |
| झेडजी03 | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण | 5564.65 | 240.93 | 734.47 | 1157.41 | 2672.83 | 1543.10 | 4805.63 | 55.62 | 32.11 |
| झेडजी 04 | अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील भांडवली खर्च | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 100.00 | 100.00 |
| झेडजी05 | गृहनिर्माणासाठी कर्जे | 1.32 | 0.00 | 0.58 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| झेडएच01 | व्याज प्रदाने | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडएच02 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 | 100.00 |
| झेडएच03 | पाटबंधारे, वीज व इतर आर्थिक सेवा | 626.31 | 90.86 | 113.31 | 90.10 | 154.90 | 103.04 | 449.17 | 34.49 | 22.94 |
| झेडएच04 | सचिवालय- आर्थिक सेवा | 15.41 | 2.08 | 3.11 | 2.22 | 2.67 | 1.67 | 10.08 | 26.48 | 16.60 |
| झेडएच05 | पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च | 3740.56 | 0.14 | 54.91 | 851.60 | 1557.35 | 1371.16 | 2464.00 | 63.20 | 55.65 |
| झेडएच06 | राज्य शासनाचे देशांतर्गत ऋण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडएच07 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 2.54 | 0.00 | 0.07 | 0.58 | 1.67 | 1.21 | 2.33 | 71.83 | 52.13 |
| झेडआय01 | व्याज प्रदाने | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडआय02 | सचिवालय सामाजिक सेवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडआय03 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडआय04 | सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| झेडआय05 | शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना कर्जे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 568270.63 | 99034.75 | 108788.07 | 109134.47 | 217116.91 | 135384.00 | 534074.20 | 40.65 | 25.35 |

| परिशिष्ट 4.1 | | | |
|--|---|---|---|
| (संदर्भ: परिच्छेद 4.2; पृष्ठ: 88) | | | |
| 2022-23 दरम्यान भारत सरकारकडून लक्षणीय थेट हस्तांतरण प्राप्त झालेली अंमलबजावणी अभिकरणे | | | |
| अ. क्र. | भारत सरकारच्या योजनेचे नाव | अंमलबजावणी अभिकरणांचे नाव | 2022-23 दरम्यान भारत सरकारने मुक्त केलेले (₹ कोटीत) |
| 1 | प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान)-[3624] | कृषि विभाग, महाराष्ट्र | 5664.50 |
| 2 | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाखाली अन्नधान्यांच्या विकेंद्रीत प्रापणासाठी अन्न अर्थसहाय्य -[9533] | अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन | 2725.75 |
| 3 | राष्ट्रीय एड्स व एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम -[9316] | महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था | 2081.50 |
| 4 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम -राज्यघटक [9219] | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राज्य निधी संघटना महाराष्ट्र (घटक) | 1779.20 |
| 5 | खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना-[1261] | जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र | 292 |
| 6 | अटल भूजल योजना- [3282] | अटल जल - राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन घटक, महाराष्ट्र | 190.95 |
| 7 | पर्यावरण व हवामान संशोधन - प्रतिमानकरण निरीक्षण पद्धती आणि सेवा -[0335] | कृषि विद्यापीठे | 46.15 |
| 8 | सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत साखरेवर देय अर्थसहाय्य-[3043] | अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन | 45.93 |
| 9 | भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनाचा (हायब्रिड व) जलद गतीने अंगीकार करण्यासाठी व निर्मिती करण्यासाठी योजना-[3382] | पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादित | 33.00 |
| 10 | भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनाचा (हायब्रिड व) जलद गतीने अंगीकार करण्यासाठी व निर्मिती करण्यासाठी योजना-[3382] | बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन उपक्रम | 31.88 |
| 11 | भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनाचा (हायब्रिड व) जलद गतीने अंगीकार करण्यासाठी व निर्मिती करण्यासाठी योजना-[3382] | नवी मुंबई महानगर परिवहन उपक्रम | 31.20 |
| 12 | इतर स्वायत्त मंडळे (डीएई)-[3774] | शैक्षणिक विद्यापीठे | 20.58 |
| 13 | बीज आणि लागवड सामग्री उप-अभियान -[3031] | महाराष्ट्र राज्य बीज महामंडळ मर्यादित | 20.28 |
| 14 | संशोधन प्रशिक्षण आणि अभ्यास आणि इतर रस्ते सुरक्षा योजना -[0848] | परिवहन आयुक्त कार्यालय | 19.24 |
| 15 | कृषि गणना व सांख्यिकी यावरील एकात्मिक योजना -[9005] | कृषि विद्यापीठे | 12.21 |
| 16 | भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनाचा (हायब्रिड व) जलद गतीने अंगीकार करण्यासाठी व निर्मिती करण्यासाठी योजना-[3382] | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | 11.00 |
| 17 | ग्रामविकास कार्यक्रम आणि जिल्हा नियोजन प्रक्रियेचे बळकटीकरण करण्यासाठी व्यवस्थापन सहाय्य -[0821] | यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, (यशदा) | 10.31 |
| 18 | राष्ट्रीय एड्स व एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम -[9316] | मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था | 10.13 |
| 19 | राष्ट्रीय सेवा योजना-[9230] | महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना कक्ष | 9.75 |
| 20 | महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्था -[0671] | महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्था, वर्धा | 8.50 |
| 21 | भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनाचा (हायब्रिड व) जलद गतीने अंगीकार करण्यासाठी व निर्मिती करण्यासाठी योजना-[3382] | नागपूर महानगरपालिका | 7.20 |
| 22 | राष्ट्रीय दुग्धशाळा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम -[9148] | महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित | 6.57 |
| 23 | अंतराळ विज्ञान प्रवर्तन -[2792] | शैक्षणिक विद्यापीठे | 3.44 |
| 24 | कृषि गणना व सांख्यिकी यावरील एकात्मिक योजना -[9005] | कृषि आयुक्तालय | 2.76 |

| परिशिष्ट 4.1 (समाप्त) | | | |
|---|---|---|---|
| अ. क्र. | भारत सरकारच्या योजनेचे नाव | अंमलबजावणी अभिकरणांचे नाव | 2022-23 दरम्यान भारत सरकारने मुक्त केलेले (₹ कोटीत) |
| 25 | पंचायत प्रोत्साहन-[1813] | यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, (यशदा) | 2.71 |
| 26 | विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थाविषयक आणि मानवी क्षमता निर्मिती -[1817] | शैक्षणिक विद्यापीठे | 2.57 |
| 27 | खेलो इंडिया-[3102] | जिल्हा क्रीडा संकुल समिती, अमरावती | 1.55 |
| 28 | आस्थापना खर्च (ईएफ व सीसी)-[3493] | डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण | 1.37 |
| 29 | बंधपत्रित कामगारांसाठी ऐच्छिक अभिकरणे आणि सहाय्याची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी सहायक अनुदान यासह राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प -[0598] | राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प समिती | 0.98 |
| 30 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-[9145] | कृषि विद्यापीठे | 0.70 |
| 31 | केंद्रीय माहिती आयोग आणि माहितीचा अधिकार - [1951] | यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, (यशदा) | 0.53 |
| 32 | आस्थापना खर्च(आयपीपी)-[3462] | महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ मुंबई | 0.36 |
| 33 | नवोपक्रम तंत्रज्ञान विकास व नेमणूक -[1819] | शैक्षणिक विद्यापीठे | 0.26 |
| 34 | विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थाविषयक आणि मानवी क्षमता निर्मिती -[1817] | कृषि विद्यापीठे | 0.05 |
| 35 | जैवतंत्रशास्त्र संशोधन आणि विकास -[0150] | शैक्षणिक विद्यापीठे /कृषि विद्यापीठे | 0.02 |
| 36 | आयुष्य स्थापना खर्च -[3463] | शैक्षणिक विद्यापीठे | 0.01 |
| एकूण | | | 13075.13 |
| स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23; सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली | | | |

| परिशिष्ट- 4.2 (संदर्भ: परिच्छेद 4.3; पृष्ठ: 89) प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांची विभाग निहाय विभागणी | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|
| अ. क्र. | विभाग | प्रमाणपत्रांची संख्या | रक्कम (₹ कोटीत) |
| 1 | नगर विकास | 493 | 9254.93 |
| 2 | नियोजन | 4433 | 4185.85 |
| 3 | ग्रामविकास आणि जलसंधारण | 647 | 2966.75 |
| 4 | उद्योग, उर्जा आणि कामगार | 31 | 1698.27 |
| 5 | समाज कल्याण व विशेष सहाय्य | 770 | 1467.67 |
| 6 | आदिवासी विकास | 699 | 1422.87 |
| 7 | शालेय शिक्षण आणि क्रीडा | 394 | 1284.23 |
| 8 | पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य | 175 | 737.84 |
| 9 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 36 | 717.18 |
| 10 | सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग | 81 | 310.26 |
| 11 | महसूल आणि वने | 252 | 287.19 |
| 12 | जलसंपदा विभाग | 14 | 243.91 |
| 13 | कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय | 211 | 228.70 |
| 14 | गृह | 100 | 220.60 |
| 15 | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग कल्याण विभाग | 80 | 153.76 |
| 16 | अल्पसंख्यांक विकास | 96 | 153.71 |
| 17 | महिला व बाल विकास | 321 | 120.48 |
| 18 | पर्यावरण | 49 | 94.19 |
| 19 | सार्वजनिक आरोग्य | 114 | 70.43 |
| 20 | कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता | 7 | 29.50 |
| 21 | अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण | 89 | 25.19 |
| 22 | वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये | 14 | 22.38 |
| 23 | उच्च आणि तंत्र शिक्षण | 22 | 22.21 |
| 24 | सामान्य प्रशासन | 41 | 16.63 |
| 25 | मृद व जलसंधारण विभाग | 72 | 13.94 |
| 26 | विधी व न्याय विभाग | 12 | 5.39 |
| 27 | सार्वजनिक बांधकाम | 12 | 3.19 |
| 28 | गृहनिर्माण | 14 | 1.93 |
| 29 | मराठी भाषा विभाग | 1 | 0.20 |
| | एकूण | 9280 | 25759.38 |

स्त्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

| परिशिष्ट - 4.3 | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|
| (संदर्भ: परिच्छेद 4.4; पृष्ठ: 91) | | | |
| 2022-23 पर्यंत प्रलंबित तपशीलवार आकस्मिक देयकांचा तपशील | | | |
| अ. क्र. | विभाग | आकस्मिक संक्षिप्त देयकांची संख्या | रक्कम (₹ कोटीत) |
| 1 | वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये | 761 | 2302.55 |
| 2 | सार्वजनिक आरोग्य | 216 | 1279.06 |
| 3 | गृह | 240 | 252.39 |
| 4 | नियोजन | 102 | 231.95 |
| 5 | वित्त | 31 | 40.83 |
| 6 | सामान्य प्रशासन | 174 | 32.60 |
| 7 | अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण | 29 | 26.34 |
| 8 | शालेय शिक्षण आणि क्रीडा | 16 | 8.80 |
| 9 | आदिवासी विकास | 11 | 3.53 |
| 10 | पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य | 8 | 1.39 |
| 11 | सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य | 15 | 1.38 |
| 12 | महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय | 1 | 1.28 |
| 13 | उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग | 24 | 0.99 |
| 14 | ग्रामविकास व जलसंधारण | 65 | 0.91 |
| 15 | महसूल आणि वने | 32 | 0.54 |
| 16 | महिला आणि बाल विकास | 12 | 0.41 |
| 17 | विधी व न्याय | 47 | 0.39 |
| 18 | सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग | 23 | 0.21 |
| 19 | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्ग विभाग | 2 | 0.20 |
| 20 | मराठी भाषा विभाग | 3 | 0.07 |
| 21 | उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार | 8 | 0.03 |
| 22 | सार्वजनिक बांधकाम | 1 | 0.03 |
| 23 | रोजगार आणि स्वयंरोजगार विभाग | 2 | 0.02 |
| 24 | जलसंपदा | 3 | 0.02 |
| 25 | कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता | 5 | 0.01 |
| 26 | नगर विकास | 1 | 0.01 |
| 27 | जलसंधारण | 1 | 0.01 |
| 28 | गृहनिर्माण | 2 | 0.004 (₹40000) |
| 29 | अल्पसंख्यांक विकास | 1 | 0.002 (₹20000) |
| 30 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 1 | 0.004 (₹40000) |
| एकूण | | 1837 | 4185.96 |

स्रोत: वित्तीय लेखे 2022-23

परिशिष्ट - 4.4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.11; पृष्ठ: 99)

स्वायत्त संस्थांकडून लेखे/लेखापरीक्षा अहवाल सादर करण्यातील विलंब

| अ. क्र. | संस्थेचे नाव | भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम, 1971 च्या कलमांतर्गत लेखापरीक्षाचा/सोपवणूकीचा कालावधी | कोणत्या वर्षापर्यंत लेखे सादर केले | लेखापरीक्षणाला लेखे सादर करण्याची नियत तिथी | लेखे सादर करण्यातील विलंब | | कोणत्या कालावधी पर्यंत पृथक लेखापरीक्षा अहवाल जारी केला | विधिमंडळासमोर पृथक लेखापरीक्षा अहवाल सादर |
|---------|---|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | लेखे प्राप्त झाल्याची तारीख | विलंबाचा कालावधी (महिन्यांमध्ये) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुंबई | 01/04/2023 ते 31/03/2028 कलम 20(1) | 2021-22 | जून 2022 | 28/11/2022 | 05 | 2021-22 | 2020-21 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल ऑगस्ट 2023 मध्ये सादर केला गेला. |
| 2 | मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई | 01/04/2019 ते 31/03/2024 कलम 20(1) | 2021-22 | जून 2022 | 1/11//2022 | 04 | 2021-22 | 2020-21 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर 2022 मध्ये आणि 2021-22 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल ऑगस्ट, 2023 मध्ये सादर केला गेला. |
| 3 | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई | 01/04/2017 ते 31/3/2022 कलम 20(1) | 2018-19 | जून 2019 | 7/01/2022 | 30 | 2018-19 | 2017-18 आणि 2018-19 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल 19/07/2023 रोजी सादर केला गेला. |
| 4 | महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळ, पुणे | 01/04/2021 ते 31/03/2026 कलम 19(3) | 2020-21 2021-22 | जून 2021 जून 2022 | 02/01/2023 03/04/2023 | 18 09 | 2020-21 | 2018-19 आणि 2019-20चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल विधिमंडळात सादर केला गेला. |
| 5 | कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे | 01/04/2018 ते 31/03/2023 कलम 19(3) | 2020-21 | जून 2021 | 12/09/2022 | 15 | 2020-21 | 2017-18 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर 2020 मध्ये सादर केला |
| 6 | महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई | 01/04/2016 ते 31/03/2021 कलम 20(1) | 2020-21 2021-22 | जून 2021 जून 2022 | 15.6.2022 17.7.2023 | 12 13 | 2020-21 | 2015-16 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल 27/11/2018 रोजी सादर केला गेला. |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई | 01/04/2018 पासून पुढे कलम 19(3) | 2020-21 2021-22 | जून 2021 जून 2022 | 11/5/2023 11/5/2023 | 23 11 | 2021-22 | 2018-19 आणि 2019-20चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर 2022 मध्ये सादर केला गेला. |
| 8 | महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई | 01/04/2018 ते 31/03/2023 कलम 20(1) | 2020-21 2021-22 | जून 2021 जून 2022 | 21/11/2022 08/05/2023 | 17 10 | 2020-21 | 2018-19 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल 19/07/2021 रोजी आणि 2019-20 चा स्वतंत्र लेखापरीक्षण अहवाल 27/12/2021 रोजी सादर केला गेला. |
| 9 | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई | 01/04/2016 ते 31/03/2021 कलम 20(1) | 2021-22 | जून 2022 | 29/12/2022 | 06 | 2021-22 | 2020-21 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल 22/12/2022 रोजी सादर केला गेला. |
| 10 | महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण | 01/04/2020 ते 31/03/2025 कलम 20(1) | 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 | जून 2018 जून 2019 जून 2020 जून 2021 जून 2022 | 09/06/2022 09/06/2022 09/06/2022 04/01/2023 04/01/2023 | 48 36 24 18 06 | 2021-22 | 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल जुलै 2023 मध्ये सादर केला गेला. |
| 11 | राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग | 01/04/2010 पासून पुढे अस्तित्वात असे पर्यंत कलम 19(3) | 2021-22 2022-23 | जून 2022 जून 2023 | 31/10/2022 24/08/2023 | 04 02 | 2021-22 | 2020-21 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल ऑगस्ट 2022 मध्ये सादर केला गेला 2021-22 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल मार्च 2023 मध्ये सादर केला गेला. |

31 मार्च 2023 रोजी संपलेल्या वर्षाचा राज्य वित्तव्यवस्था लेखापरीक्षा अहवाल

| परिशिष्ट - 4.4 (पुढे...) | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 12 | महाराष्ट्र खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई | 01.04.2021 ते 31.03.2026 कलम 20 (1) | 2020-21 2021-22 | सप्टेंबर 2021 सप्टेंबर 2022 | 02/01/2023 03/04/2023 | 03 06 | 2020-21 | 2019-20 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल 15/03/2022 रोजी सादर केला गेला. |
| 13 | महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई | राज्य जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे लेखापरीक्षण, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम, 1971 च्या कलम 19 (2) अंतर्गत केले | 2016-17 | जून 2017 | 10/11/2017 | 04 | 2016-17 | पृथक लेखापरीक्षा अहवाल अद्याप सादर करावयाचा आहे |
| 14 | महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम, 1971 च्या कलम 19 (2) अंतर्गत लेखापरीक्षण केले | 2017-18 | जून 2018 | 22/02/2022 | 44 | 2017-18 | 2017-18 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल मार्च 2023 मध्ये सादर केला |
| 15 | महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम, 1971 च्या कलम 19(2) व मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 च्या नियम 35 (2) नुसार लेखापरीक्षण केले गेले. | 2018-19 2019-20 2020-21 | जून 2019 जून 2020 जून 2021 | 23/09/2022 23/9/2022 23/09/2022 | 38 26 15 | 2020-21 | 2002-03 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल अद्याप सादर करावयाचा आहे |
| 16 | महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग | महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम 2004 च्या कलम 12 (3) सह भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम 1971 च्या कलम 19 (3) अंतर्गत, लेखापरीक्षण केले | 2015-16 | जून 2016 | 15/11/2021 | 65 | 2015-16 | 2015-16 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल मार्च 2022 मध्ये सादर केला गेला. |
| 17 | महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम 1971 चे कलम 19 (2) | 2019-20 | जून 2020 | 23/06/2021 | 12 | 2019-20 | 2019-20 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल 28/12/2021 रोजी सादर केला गेला. |
| 18 | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड क्षेत्र पुणे | 01/04/2022 ते 31/03/2027 कलम 20 (1) | 2021-22 | जून 2022 | 07/7/2023 | 12 | 2020-21 | 2017-18 ते 2020-21 या कालावधीचा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर-2022 मध्ये सादर केला गेला |
| 19 | महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम 1971चे कलम 19 (2) | 2021-22 | जून 2022 | 07/10/2022 | 03 | 2021-22 | 2020-21 या वर्षाचा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल मार्च-2022 मध्ये सादर केला गेला |
| 20 | महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग | विद्युत अधिनियम, 2003 च्या कलम 104 सह भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियम 1971 चे कलम 19 (2) | 2022-23 | जुलै 2023 | 01/08/2023 | 0 | 2021-22 | वर्ष 2017-18 ते 2021-22 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल विधिमंडळात सादर केला गेला |

| परिशिष्ट - 4.4 (समाप्त) | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|--|----------------------|---------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 21 | तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव | 01.04.2012 ते 31.03.2023 कलम 19(3) | 2019-20 | जून 2020 | 29/12/2021 | 18 | 2019-20 | 2019-20 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर-2022 मध्ये सादर केला गेला |
| 22 | विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर | 31.03.2022 पर्यंत कलम 19(3) | 2020-21 2021-22 | जून 2021 जून 2022 | 26/7/2023 26/7/2023 | 25 13 | 2019-20 | 2019-20 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर-2022 मध्ये सादर केला गेला |
| 23 | गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद | 31.03.2024 पर्यंत भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियमाच्या कलम 19(3) अंतर्गत | 2019-20 | जून 2020 | 23/02/2022 | 20 | 2019-20 | 2019-20 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल ऑगस्ट-2023 मध्ये सादर केला गेला |
| 24 | महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद | 01/04/2001 पासून भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियमाच्या कलम 19(3) अंतर्गत | 2018-19 | जून 2019 | 1/09/2019 | 26 | 2018-19 | 2014-15 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल मार्च 2018 मध्ये सादर केला गेला |
| 25 | पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरण | 01.04.2011 पासून भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियमाच्या कलम 20 (1) अंतर्गत | 2019-20 2020-21 | जून 2020 जून -2021 | 17/03/2023 27/03/2023 | 33 21 | 2018-19 | पृथक लेखापरीक्षा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही |
| 26 | शुल्क नियामक प्राधिकरण | 18.03.2016 ते 31.03.2021 भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियमाच्या कलम 20(1) अंतर्गत | 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 | जून 2018 जून 2019 जून 2020 जून 2021 | 21/07/22 07/10/22 07/10/22 07/10/22 | 49 39 27 15 | 2020-21 | 2016-17 चा पृथक लेखापरीक्षा अहवाल डिसेंबर -2022 मध्ये प्रस्तुत केला गेला |
| 27 | प्रवेश नियामक प्राधिकरण | 22/08/2019 ते 31/03/2024 भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या सेवा, शर्ती व अटी अधिनियमाच्या कलम 20 (1) अंतर्गत | आत्ताच्या तारखेपर्यंत लेखे प्राप्त झाले नाहीत | - | - | - | - | - |

महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सोपवणुक अद्याप प्राप्त झाली नाही
 स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) । महाराष्ट्र, मुंबई आणि महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयांकडून प्राप्त झालेली माहिती

| परिशिष्ट - 4.5 | | | | |
|--|--|----------------------------|---|--|
| (संदर्भ: परिच्छेद 4.12; पृष्ठ: 101) | | | | |
| लेखे अंतिम होण्याची स्थिती आणि विभागाद्वारे व्यवस्थापित व्यावसायिक आणि अर्ध व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये शासकीय गुंतवणुकीची स्थिती | | | | |
| अ. क्र. | उपक्रमाचे नाव | लेखे कधी पर्यंत अंतिम झाले | अंतिम लेखानुसार गुंतवणूक (₹ कोटी मध्ये) | विलंबाने लेखे तयार करण्याची कारणे/ अभिप्राय |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| कृषी, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास आणि मस्त्य विभाग | | | | |
| मुंबई क्षेत्र | | | | |
| 1 | बृहन्मुंबई दुग्ध योजना, वरळी | 2016-17 | (-)11.67 | |
| 2 | दूध वाहतूक योजना, वरळी | 2006-07 | 2.34 | शासन आदेश दिनांक 17.07.2008 नुसार दूध वाहतूक योजना, वरळी बंद झाली. |
| 3 | मदर दुग्धशाळा (डेअरी), कुर्ला | 2016-17 | 31.47 | |
| 4 | मध्यवर्ती (सेंट्रल) दुग्धशाळा, गोरेगाव | 2016-17 | 73.74 | |
| 5 | घटक योजना, मुंबई | 2014-15 | 30.33 | |
| 6 | कृषी योजना, मुंबई | 2014-15 | 10.45 | |
| 7 | विद्युत योजना, मुंबई | 2014-15 | 5.16 | |
| 8 | पाणी पुरवठा योजना, मुंबई | 2014-15 | 15.57 | |
| 9 | पशुखाद्य योजना, मुंबई | 2014-15 | (-)3.33 | |
| 10 | पशुपालन आणि संगोपन शेती, पालघर | 2015-16 | 1.32 | |
| 11 | दुग्धशाळा प्रकल्प, दापचरी | 2016-17 | 16.25 | |
| 12 | शासकीय दूध योजना, भिवंडी | 2015-16 | 0.61 | |
| 13 | शासकीय दूध शीतकरण केंद्र सरळगाव, ठाणे | 2015-16 | 0.21 | |
| 14 | शासकीय दूध योजना, खोपोली | 2016-17 | 2.69 | |
| 15 | शासकीय दूध योजना, महाड | 2015-16 | 1.45 | |
| 16 | शासकीय दूध योजना, चिपळूण | 2016-17 | 2.64 | |
| 17 | शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी | 2015-16 | 7.22 | |
| 18 | शासकीय दूध योजना, कणकवली | 2016-17 | 2.24 | |
| पुणे क्षेत्र | | | | |
| 19 | शासकीय दूध योजना, पुणे | 2019-20 | (-)28.09 | |
| 20 | शासकीय दूध योजना, महाबळेश्वर | 2020-21 | 2.47 | |
| 21 | शासकीय दूध योजना, सातारा | 2020-21 | 21.98 | |
| 22 | शासकीय दूध योजना, मिरज | 2018-19 | 20.42 | |
| 23 | शासकीय दूध योजना, सोलापूर | 2019-20 | 1.73 | |
| नागपूर क्षेत्र | | | | |
| 24 | शासकीय दूध योजना, नागपूर | 2014-15 | 1.25 | |
| 25 | शासकीय दूध योजना, वर्धा | 2020-21 | 61.78 | |
| 26 | शासकीय दूध योजना, चंद्रपूर | 2018-19 | (-)0.04 | |
| 27 | शासकीय दूध योजना, गोंदिया | 2019-20 | 42.87 | |

| परिशिष्ट - 4.5 (समाप्त) | | | | |
|--|--|---------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| औरंगाबाद क्षेत्र | | | | |
| 28 | शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद | 2018-19 | 72.33 | |
| 29 | शासकीय दूध योजना, उदगीर | 2017-18 | 39.48 | |
| 30 | शासकीय दूध योजना, बीड | 2020-21 | 82.54 | |
| 31 | शासकीय दूध योजना, नांदेड | 2019-20 | 11.03 | |
| 32 | शासकीय दूध योजना, भूम | 2019-20 | 20.36 | |
| 33 | शासकीय दूध योजना, परभणी | 2020-21 | 155.50 | |
| नाशिक क्षेत्र | | | | |
| 34 | शासकीय दूध योजना, नाशिक | 2019-20 | 3.52 | |
| 35 | शासकीय दूध योजना, वणी | 2019-20 | 0.23 | |
| 36 | शासकीय दूध योजना, अहमदनगर | 2020-21 | 1.84 | |
| 37 | शासकीय दूध योजना, चाळीसगाव | 2017-18 | 1.82 | |
| 38 | शासकीय दूध योजना, धुळे | 2020-21 | 6.16 | |
| अमरावती क्षेत्र | | | | |
| 39 | शासकीय दूध योजना, अमरावती | 2016-17 | 18.68 | |
| 40 | शासकीय दूध योजना, अकोला | 2016-17 | 21.69 | |
| 41 | शासकीय दूध योजना, यवतमाळ | 2017-18 | 17.41 | |
| 42 | शासकीय दूध योजना, नांदूरा | 2017-18 | 5.95 | |
| कृषी, पशु संवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्य विभाग | | | | |
| 43 | अलापल्ली आणि पेंडीगुंडम वन परिक्षेत्र वनविभागातील लाकूड मिल आणि लाकूड आगार | 1985-86 | 0.00 | कोणताही व्यवहार नसलेले हे आजारी युनिट्स आहेत म्हणून त्यांनी लेखे बनविणे बंद केले आहे. |
| अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभाग | | | | |
| 44 | मुंबई व ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात खरेदी, वितरण आणि मूल्य नियंत्रण योजना | 2018-19 | 2885.96 | |
| 45 | मोफसिल क्षेत्रात खरेदी, वितरण आणि मूल्य नियंत्रण योजना | 2018-19 | 1363.09 | |
| एकूण | | | 5020.65 | |
| स्रोत: प्रपत्र लेखे | | | | |

| परिशिष्ट - 4.6 | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| (संदर्भ: परिच्छेद 4.15; पृष्ठ: 102) | | | | | | | |
| अफरातफर, गैरवापर इत्यादि प्रकरणांचे विभाग-निहाय/काल-निहाय विभाजन | | | | | | | |
| (₹ लाखात) | | | | | | | |
| विभागाचे नाव | 5 वर्षांपर्यंत | 5-10 वर्ष | 10-15 वर्ष | 15-20 वर्ष | 20-25 वर्ष | 25 वर्षे आणि अधिक | एकूण |
| कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्यव्यवसाय | 4 (18.71) | 4 (0.18) | 2 (0.06) | 0 (0) | 3 (6.94) | 29 (9.46) | 42 (35.35) |
| सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.53) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.53) |
| वित्त | 1 (0.16) | 0 (0) | 1 (40.07) | 1 (13.89) | 19 (370.64) | 3 (1.53) | 25 (426.29) |
| अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (14.69) | 6 (13.54) | 8 (28.23) |
| सामान्य प्रशासन | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2.58) | 2 (2.58) |
| उच्च आणि तंत्र शिक्षण | 1 (1.39) | 0 (0.00) | 1 (0.49) | 0 (0) | 1 (290.37) | 0 (0) | 3 (292.25) |
| गृह | 4 (116.36) | 8 (425.79) | 4 (9.85) | 1 (7.6) | 5 (18.9) | 5 (5.84) | 27 (584.34) |
| गृहनिर्माण | 1 (0.69) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0.00) | 1 (0.69) |
| उद्योग, उर्जा आणि कामगार | 2 (27.68) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (27.68) |
| विधी व न्याय | 5 (7.22) | 4 (1.07) | 1 (0.01) | 0 (0) | 1 (0.05) | 0 (0) | 11 (8.35) |
| वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये | 0 (0) | 1 (3.53) | 0 (0) | 0 (0.00) | 1 (7.96) | 2 (7.02) | 4 (18.51) |
| मराठी भाषा विभाग | 1 (10.52) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (52.34) | 0 (0.00) | 2 (62.86) |
| नियोजन | 1 (0.03) | 2 (0.29) | 4 (0.46) | 3 (0.27) | 2 (0.00) | 0 (0.00) | 12 (1.05) |
| सार्वजनिक आरोग्य | 0 (0) | 3 (158.90) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1.19) | 3 (6.89) | 7 (166.99) |
| सार्वजनिक बांधकामे | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (0.57) | 6 (1.16) | 7 (3.75) | 18 (5.48) |
| महसूल आणि वने | 0 (0) | 3 (64.38) | 0 (0) | 4 (31.75) | 0 (0) | 15 (14.44) | 22 (110.57) |
| ग्रामविकास आणि जलसंधारण | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.35) | 0 (0) | 2 (61.59) | 7 (68.17) | 10 (130.11) |
| शालेय शिक्षण आणि क्रीडा | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (2.02) | 1 (2.02) |
| सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य | 0 (0) | 0 (0.00) | 0 (0.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (87.92) | 4 (87.92) |
| आदिवासी विकास | 0 (0.00) | 5 (9.62) | 1 (0.04) | 1 (3.28) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (12.94) |
| जलसंपदा | 1 (0.06) | 19 (10.04) | 10 (5.54) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 1 (0.00) | 32 (15.66) |
| पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता | 0 0.00 | 1 (3.4) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (3.4) |
| एकूण | 21 | 51 | 26 | 16 | 43 | 85 | 242 |
| | 182.82 | 677.20 | 56.87 | 65.87 | 817.87 | 223.17 | 2023.80 |

स्रोत: संबंधित विभाग, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई; महालेखाकार (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपूर यांचे कडून प्राप्त माहिती कंसातील आकडे अफरातफर, नुकसान, गैरवापर इत्यादीची रक्कम दर्शविते

| परिशिष्ट - 4.7 (संदर्भ: परिच्छेद 4.15; पृष्ठ: 102) | | | | | | |
|---|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| शासकीय सामुग्रीची चोरी, अफरातफर/नुकसानीमुळे विभाग-निहाय/श्रेणी-निहाय शासनाला झालेल्या नुकसानीचा तपशील | | | | | | |
| (₹ लाखात) | | | | | | |
| विभागाचे नाव | चोरीची प्रकरणे | | शासकीय सामुग्रीची अफरातफर/नुकसान | | एकूण | |
| | प्रकरणांची संख्या | रक्कम | प्रकरणांची संख्या | रक्कम | प्रकरणांची संख्या | रक्कम |
| कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्यव्यवसाय | 8 | 1.72 | 34 | 33.62 | 42 | 35.34 |
| सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 |
| वित्त | 20 | 306.03 | 5 | 120.25 | 25 | 426.28 |
| अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण | 0 | 0 | 8 | 28.24 | 8 | 28.24 |
| सामान्य प्रशासन | 1 | 1.29 | 1 | 1.29 | 2 | 2.58 |
| उच्च आणि तंत्र शिक्षण | 2 | 1.88 | 1 | 290.37 | 3 | 292.25 |
| गृह | 9 | 58.61 | 18 | 525.73 | 27 | 584.34 |
| गृहनिर्माण | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0.69 |
| उद्योग, उर्जा आणि कामगार | 2 | 27.68 | 0 | 0 | 2 | 27.68 |
| विधी व न्याय | 8 | 5.66 | 3 | 2.69 | 11 | 8.35 |
| महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय | 0 | 0 | 2 | 62.87 | 2 | 62.87 |
| वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधीद्रव्ये | 1 | 3.53 | 3 | 14.98 | 4 | 18.51 |
| दूध पुरवठा विकास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नियोजन | 11 | 0.92 | 1 | 0.13 | 12 | 1.05 |
| सार्वजनिक आरोग्य | 0 | 0 | 7 | 166.99 | 7 | 166.99 |
| सार्वजनिक बांधकाम | 2 | 0 | 16 | 5.48 | 18 | 5.48 |
| महसूल आणि वने | 4 | 31.75 | 18 | 78.81 | 22 | 110.57 |
| ग्रामविकास आणि जलसंवर्धन | 2 | 3.51 | 8 | 126.6 | 10 | 130.11 |
| शालेय शिक्षण आणि क्रीडा | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 1 | 2.02 |
| सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य | 0 | 0 | 4 | 87.92 | 4 | 87.92 |
| आदिवासी विकास | 2 | 1.80 | 5 | 11.14 | 7 | 12.94 |
| जलसंपदा | 30 | 13.82 | 2 | 1.84 | 32 | 15.66 |
| पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता | 1 | 3.40 | 0 | 0 | 1 | 3.40 |
| एकूण | 104 | 462.29 | 138 | 1561.5 | 242 | 2023.80 |
| स्त्रोत: संबंधित विभाग, अधिवान व लेखा कार्यालय, मुंबई; महालेखाकार (लेखापरीक्षा) -II, महाराष्ट्र, नागपूर यांचे कडून प्राप्त माहिती | | | | | | |

परिशिष्ट - 5.1

(संदर्भ: परिच्छेद 5.4 आणि 5.14.2.2., पृष्ठ: 106,124)

भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक उपक्रमांची (एसपीएसयू) यादी आणि 30 सप्टेंबर 2023 रोजी त्यांच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रांची स्थिती दर्शविणारे विवरण

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | स्थापनेचा दिनांक | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंतिम झालेली वित्तीय विवरणपत्रे | वर्ष ज्यासाठी वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम झाली नाहीत / प्राप्त झाली नाहीत | थकित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या |
|--|---|------------------|---|---|-----------------------------------|
| अ. कार्यरत शासकीय कंपन्या | | | | | |
| ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त राज्य सार्वजनिक उपक्रम | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | |
| 1 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित | फेब्रुवारी 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2 | महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | डिसेंबर 1965 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 3 | महाराष्ट्र कीटकनाशक मर्यादित | मे 1984 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य कृषी (शेती) महामंडळ मर्यादित | मार्च 1963 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 5 | महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित Φ | एप्रिल 1976 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 6 | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित | ऑगस्ट 1978 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 7 | महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ मर्यादित | फेब्रुवारी 1973 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 8 | वन विकास महामंडळ, महाराष्ट्र एस्सेल वर्ल्ड गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय खाजगी मर्यादित | नोव्हेंबर 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 9 | महाराष्ट्र बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान | एप्रिल 2019 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 10 | वाघाडी नदी पुनरुज्जीवन प्रतिष्ठान ∞ | जुलै 2020 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| वित्त | | | | | |
| 11 | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | नोव्हेंबर 1998 | 2010-11 | 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 12 |
| 12 | कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित ∞ | मार्च 1985 | 2003-04 | 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 19 |

| परिशिष्ट - 5.1 (पुढे...) | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---|---|-----------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | स्थापनेचा दिनांक | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंतिम झालेली वित्तीय विवरणपत्रे | वर्ष ज्यासाठी वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम झाली नाहीत / प्राप्त झाले नाहीत | थकित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या |
| 13 | साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | जुलै 1985 | 2009-10 | 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 13 |
| 14 | महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | ऑगस्ट 2001 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 15 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित | सप्टेंबर 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 16 | महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित ∞ | डिसेंबर 2002 | 2012-13 | 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 10 |
| 17 | महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित | एप्रिल 1999 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 18 | महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | ऑक्टोबर 1962 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 19 | महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | मार्च 2002 | 2014-15 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 8 |
| 20 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित ∞ | ऑक्टोबर 1971 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 21 | महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण मर्यादित ∞Φ | जून 2001 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 22 | महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित | जुलै 1978 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 23 | मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | ऑक्टोबर 2000 | 2012-13 | 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 10 |
| 24 | संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित | मे 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 25 | शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | जानेवारी 1999 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 26 | शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित | जून 2010 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 27 | वंसतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | फेब्रुवारी-1984 | 2013-14 | 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 9 |

| परिशिष्ट - 5.1 (पुढे...) | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---|--|-----------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | स्थापनेचा दिनांक | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंतिम झालेली वित्तीय विवरणपत्रे | वर्ष ज्यासाठी वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम झाली नाहीत / प्राप्त झाले नाहीत | थकित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या |
| 28 | महा आर्क मर्यादित ∞ | सप्टेंबर 2022 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 26 सप्टेंबर 2022 ते मार्च 2023 | 1 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | |
| 29 | औरंगाबाद औद्योगिक वसाहत मर्यादित ∞Φ | डिसेंबर 2014 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 30 | शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित ∞ | मार्च 1970 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 31 | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | डिसेंबर 1970 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 32 | महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित Φ | ऑगस्ट 2002 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 33 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प मर्यादित (महाराष्ट्र सातारा कागल पायाभूत सुविधा मर्यादित) | डिसेंबर 2016 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 34 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित | मार्च 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 35 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | ऑगस्ट 1966 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 36 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादित ∞ | ऑगस्ट 2002 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 37 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा निधी विश्वस्त कंपनी मर्यादित ∞Φ | ऑगस्ट 2002 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 38 | मिहान इंडिया मर्यादित Φ | जून 2009 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 39 | शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित ∞ | सप्टेंबर 1998 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 40 | पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित | डिसेंबर 1970 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 41 | ठाणे खाडी पूल पायाभूत सुविधा मर्यादित | जानेवारी 2018 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 42 | नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन द्रुतगती मार्ग मर्यादित | मे 2017 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 43 | मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग मर्यादित ∞ | एप्रिल 2018 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 44 | वर्सावा बांद्रा सी लिंक मर्यादित ∞ | एप्रिल 2018 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 45 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सी लिंक मर्यादित | ऑक्टोबर 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 46 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ बोगदे मर्यादित | सप्टेंबर 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 47 | महा मुंबई मेट्रो (M3) कार्यचालन महामंडळ मर्यादित ∞Φ | जून 2019 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 48 | पुणे पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादित | सप्टेंबर 2019 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 49 | औरंगाबाद औद्योगिक वसाहत मर्यादित ऑरिक स्किल प्रतिष्ठान ∞Φ | जानेवारी 2020 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 50 | महासमृद्धी अक्षय ऊर्जा मर्यादित | सप्टेंबर 2020 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 51 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मल्टीमॉडेल कॉ रिडॉर मर्यादित | मे 2022 | 2022-23 | निरंक | 0 |

| परिशिष्ट - 5.1 (पुढे...) | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|---|--|-----------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | स्थापनेचा दिनांक | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंतिम झालेली वित्तीय विवरणपत्रे | वर्ष ज्यासाठी वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम झाली नाहीत / प्राप्त झाले नाहीत | थकित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या |
| 52 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पुणे रिंग रोड मर्यादित ∞ | जानेवारी 2022 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2022-23 | 1 |
| 53 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग ∞ | मे 2022 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2022-23 | 1 |
| 54 | महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मर्यादित ∞Φ | जानेवारी 2019 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 55 | महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान मर्यादित | एप्रिल 2021 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| उत्पादन | | | | | |
| 56 | हाफकीन अजिठा औषधी निर्माण मर्यादित | एप्रिल 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 57 | हाफकीन बायो औषधी निर्माण महामंडळ मर्यादित | एप्रिल 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 58 | महागुज कॉलरी मर्यादित ∞ | नोव्हेंबर 2006 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 59 | महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित | एप्रिल 1981 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 60 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित | नोव्हेंबर 1973 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 61 | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | फेब्रुवारी 1972 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 62 | महा तामिळ कॉलरी मर्यादित Φ | ऑगस्ट 2009 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 63 | महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | जानेवारी 1975 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 64 | नागपूर मास (Mass) वाहतूक कंपनी खाजगी मर्यादित Φ | जून.2008 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| संकीर्ण | | | | | |
| 65 | कृपानिधी मर्यादित | डिसेंबर 1964 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 66 | महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित ∞ | मार्च 2002 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 67 | महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित | ऑक्टोबर 2017 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 68 | महिला आर्थिक विकास महामंडळ | फेब्रुवारी 1975 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 69 | नागपूर फ्लाइंग क्लब खाजगी मर्यादित | मार्च 2007 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 70 | ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन | जानेवारी 2017 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 71) | डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान ∞ | जुलै 2017 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 72 | छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास शिक्षण संस्था | जून 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 73 | एसपीपीयू रिसर्च पार्क फाऊंडेशन ∞Φ | जानेवारी 2019 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 74 | एसपीपीयू एडयूटेक फाऊंडेशन ∞Φ | मार्च 2019 | प्रथम लेखे प्रलंबित | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |

| परिशिष्ट - 5.1 (पुढे...) | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|---|--|-----------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | स्थापनेचा दिनांक | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंतिम झालेली वित्तीय विवरणपत्रे | वर्ष ज्यासाठी वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम झाली नाहीत / प्राप्त झाले नाहीत | थकित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या |
| 75 | महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था | ऑक्टोबर 2019 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| ऊर्जा | | | | | |
| 76 | औरंगाबाद वीज कंपनी मर्यादित | जून 2007 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 77 | महाजेनको अक्षय ऊर्जा मर्यादित (महाजेनको राख व्यवस्थापन सेवा मर्यादित) ∞ | ऑगस्ट 2007 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 78 | एम. एस. ई. बी. होल्डिंग कंपनी मर्यादित | मे 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 79 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित | मे 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 80 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित | मे 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 81 | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित ∞ | मे 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| ब. कार्यरत वैधानिक महामंडळे | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | |
| 1 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | ऑगस्ट 1957 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2 | महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळ ∞ | एप्रिल 1996 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 3 | कोकण सिंचन विकास महामंडळ ∞ | जानेवारी 1998 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 4 | विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ | मे 1997 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 5 | तापी सिंचन विकास महामंडळ ∞ | जानेवारी 1998 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 6 | महाराष्ट्र जलसंवर्धन महामंडळ ∞ | ऑगस्ट 2000 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 7 | गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ ∞ | ऑक्टोबर 1998 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| वित्त | | | | | |
| 8 | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ ∞ | ऑगस्ट 1962 | 2014-15 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 8 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | |
| 9 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | ऑगस्ट 1962 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| सेवा | | | | | |
| 10 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | जुलै 1961 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |

| परिशिष्ट - 5.1 (समाप्त) | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|-----------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | स्थापनेचा दिनांक | 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत अंतिम झालेली वित्तीय विवरणपत्रे | वर्ष ज्यासाठी वित्तीय विवरणपत्रे अंतिम झाली नाहीत / प्राप्त झाले नाहीत | थकित वित्तीय विवरणपत्रांची संख्या |
| क. निष्क्रीय शासकीय कंपन्या | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | |
| 1 | मराठवाडा दुग्ध विकास महामंडळ मर्यादित | मार्च 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2 | एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित | फेब्रुवारी 1985 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 3 | मॅफको मर्यादित ∞ | डिसेंबर 1970 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 4 | परभणी कृषी गो संवर्धन मर्यादित | मार्च 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | |
| 5 | विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित | डिसेंबर 1970 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 6 | महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | जुलै 1973 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महामंडळ मर्यादित | ऑक्टोबर 1974 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 8 | मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित | ऑगस्ट 1967 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| उत्पादन | | | | | |
| 9 | गोदावरी गारमेंट्स मर्यादित | मार्च 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 10 | किनवत रूफिंग टाईल्स मर्यादित | मार्च 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 11 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित ∞ | जानेवारी 1978 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 12 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | सप्टेंबर 1966 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 13 | मराठवाडा सिरॅमिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित | डिसेंबर 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 14 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ अडकोली नैसर्गिक संसाधने मर्यादित | फेब्रुवारी 2010 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 15 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ वरोरा कॉलरी मर्यादित ∞ | जुलै 2010 | 2010-11 | 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 12 |
| 16 | द प्रताप स्पिनिंग, विट्किंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादित ∞ | ऑगस्ट 1966 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| संकीर्ण | | | | | |
| 17 | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित | मार्च 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| ऊर्जा | | | | | |
| 18 | धोपावे कोस्टल पॉवर मर्यादित | मार्च 2007 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| 19 | महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित | डिसेंबर 1997 | 2022-23 | निरंक | 0 |
| Φ शासन नियंत्रित इतर कंपन्या | | | | | |
| ∞ ऑक्टोबर 2022 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत एकही वित्तीय विवरणपत्र अंतिम झाले नाही. | | | | | |

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: परिच्छेद 5.5.1; पृष्ठ: 108)

30 सप्टेंबर 2023 च्या नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणपत्रानुसार राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची संक्षिप्त वित्तीय स्थिती आणि कार्य परिणाम

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| कार्यरत शासकीय कंपन्या | | | | | | | | | | | | |
| अ. कृषी व तत्सम | | | | | | | | | | | | |
| 1 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 129.68 | 98.68 | 287.11 | 323.12 | 0.00 | 1229.84 | 1229.84 | 906.72 | 2220.34 |
| 2 | महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 2020-21 | 2022-23 | 7.10 | 5.25 | 499.15 | 5.50 | 0.00 | 208.18 | 208.18 | 0.00 | 565.64 |
| 3 | महाराष्ट्र कीटकनाशके मर्यादित * | 2020-21 | 2022-23 | 2.14 | 1.53 | 35.28 | 1.00 | 0.00 | 16.19 | 16.19 | 15.19 | 34.90 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य कृषी (शेती) महामंडळ मर्यादित | 2019-20 | 2022-23 | 94.25 | 93.62 | 29.39 | 2.75 | 0.00 | 85.56 | 85.56 | 82.81 | 64.67 |
| 5 | महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित Φ | 2022-23 | 2023-24 | 17.16 | 12.49 | 388.33 | 4.18 | 0.00 | 409.45 | 409.45 | 394.28 | 690.88 |
| 6 | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मॅंडी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 1.69 | 1.31 | 22.18 | 15.47 | 0.00 | 23.87 | 23.87 | 8.40 | 56.51 |
| 7 | महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ मर्यादित | 2018-19 | 2023-24 | 3.47 | 2.35 | 7.42 | 4.04 | 4.57 | 12.49 | 7.92 | 3.88 | 60.37 |
| 8 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र एस्सेल वर्ल्ड गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय खाजगी मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.44 | 0.32 | 3.22 | 0.10 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 27.21 |
| 9 | महाराष्ट्र बांबू संवर्धन प्रतिष्ठान (*) | 2022-23 | 2023-24 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 20.49 |
| 10 | वाघाडी नदी पुनर्जीवन प्रतिष्ठान (*) | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 255.95 | 215.57 | 1272.08 | 356.16 | 4.57 | 1986.63 | 1982.06 | 1412.23 | 3741.01 |
| वित्त | | | | | | | | | | | | |
| 11 | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित | 2010-11 | 2012-13 | 2.37 | 2.37 | 3.43 | 50.00 | 0.00 | 59.10 | 58.85 | 8.85 | 59.18 |
| 12 | कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित | 2003-04 | 2019-20 | (0.10) | (0.10) | 0.09 | 3.24 | 0.13 | 1.07 | 0.94 | (2.30) | 1.65 |
| 13 | साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित | 2009-10 | 2014-15 | 2.19 | 2.19 | 1.55 | 118.35 | 25.94 | 107.69 | 81.75 | (36.60) | 116.65 |
| 14 | महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ मर्यादित | 2020-21 | 2021-22 | (8.40) | (8.40) | 0.004 | 9.40 | 0.00 | 10.95 | 10.95 | 1.55 | 12.69 |

| परिशिष्ट - 5.2 (पुढे...) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 36.36 | 26.83 | 65.62 | 12.30 | 0.56 | 257.76 | 257.20 | 244.90 | 300.26 |
| 16 | महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित © | 2012-13 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 690.13 | 690.19 | 0.06 | 0.01 | 742.59 |
| 17 | महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 | 2022-23 | 5.76 | 5.76 | 4.57 | 112.06 | 5.28 | 232.41 | 227.13 | 115.07 | 314.18 |
| 18 | महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 | 2021-22 | (1.55) | (1.67) | 14.16 | 14.50 | 0.77 | 56.25 | 55.48 | 30.98 | 175.57 |
| 19 | महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 2014-15 | 2022-23 | 1.82 | 1.82 | 2.83 | 40.52 | 29.45 | 64.77 | 35.32 | (5.20) | 103.15 |
| 20 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | (2.35) | (2.35) | 5.66 | 90.61 | 0.00 | (56.52) | (56.52) | (147.13) | 20.51 |
| 21 | महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण मर्यादित © Φ | 2017-18 | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 4.30 |
| 22 | महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 15.33 | 15.33 | 14.39 | 632.64 | 86.30 | 902.61 | 816.31 | 183.67 | 1027.68 |
| 23 | मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित | 2012-13 | 2018-19 | 9.34 | 9.34 | 8.72 | 206.39 | 28.13 | 265.83 | 237.70 | 31.31 | 282.47 |
| 24 | संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2023-24 | 19.08 | 19.08 | 0.54 | 306.21 | 18.82 | 454.81 | 436.00 | 129.79 | 525.81 |
| 25 | शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 | 2022-23 | 4.06 | 4.06 | 3.28 | 88.12 | 11.68 | 132.19 | 120.51 | 32.39 | 210.71 |
| 26 | श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित * | 2019-20 | 2022-23 | 1.45 | 1.45 | 0.06 | 15.00 | 0.40 | 25.09 | 24.69 | 9.69 | 25.28 |
| 27 | वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित | 2013-14 | 2016-17 | 6.25 | 6.25 | 6.56 | 169.01 | 26.54 | 164.85 | 138.31 | (30.70) | 173.76 |
| 28 | महा आर्क मर्यादित | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 91.61 | 81.96 | 131.46 | 1868.46 | 924.13 | 3369.50 | 2445.13 | 566.68 | 4096.44 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | | | | | | | | |
| 29 | औरंगाबाद औद्योगिक वसाहत मर्यादित *Φ | 2020-21 | 2021-22 | 2.58 | 2.38 | 72.49 | 6122.45 | 0.00 | 6299.16 | 6299.16 | 176.71 | 6629.96 |
| 30 | महाराष्ट्र शहरी व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 | 2020-21 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 3.95 | 4.69 | 11.02 | 6.33 | 2.38 | 12820.53 |

परिशिष्ट - 5.2 (पुढे...)

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | 2022-23 | 2023-24 | (0.10) | (0.10) | 0.00 | 8.81 | 5.93 | (0.84) | (6.77) | (15.58) | 15.10 |
| 32 | महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित *Φ | 2021-22 | 2023-24 | (76.52) | (76.52) | 144.83 | 17.05 | 65.34 | (574.98) | (640.32) | (657.37) | 2367.53 |
| 33 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प मर्यादित (महाराष्ट्र सातारा कागल पायाभूत सुविधा मर्यादित) * | 2021-22 | 2022-23 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (0.07) | 114.53 |
| 34 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 34.02 | 25.23 | 44.49 | 7.96 | 831.24 | 930.70 | 99.46 | 91.50 | 4811.16 |
| 35 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 2017-18 | 2021-22 | (20.55) | (20.55) | 708.91 | 773.56 | 4665.06 | 1716.95 | (2948.11) | (3722.67) | 9988.96 |
| 36 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 0.12 | 0.11 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 8.63 | 19.02 |
| 37 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा निधी विश्वस्त कंपनी मर्यादित Φ | 2021-22 | 2022-23 | (0.05) | (0.05) | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | (0.03) | 0.12 |
| 38 | मिहान इंडिया मर्यादित *Φ | 2022-23 | 2023-24 | 41.72 | 33.79 | 93.52 | 20.00 | 0.00 | 80.97 | 80.97 | 60.97 | 198.38 |
| 39 | शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित | 2018-19 | 2021-22 | 35.05 | 19.02 | 0.00 | 115.00 | 286.03 | 671.18 | 385.15 | 48.45 | 964.84 |
| 40 | पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 12.45 | 9.23 | 1.46 | 3.06 | 0.00 | 275.96 | 275.96 | 272.90 | 382.83 |
| 41 | ठाणे खाडी पूल पायाभूत सुविधा मर्यादित * | 2022-23 | 2023-24 | (0.13) | (0.13) | 0.00 | 0.05 | 167.77 | 167.61 | (0.16) | (0.21) | 368.04 |
| 42 | नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन द्रुतगती मार्ग मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | (0.14) | (0.14) | 0.00 | 19500.05 | 22243.25 | 41743.66 | 19500.41 | 0.36 | 44898.20 |
| 43 | मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग मर्यादित * | 2020-21 | 2021-22 | (266.55) | (266.55) | 733.39 | 250.05 | 218.50 | (88.06) | (306.56) | (556.61) | 8890.05 |
| 44 | वर्सोवा बांद्रा सी लिंक मर्यादित * | 2020-21 | 2021-22 | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (0.07) | 606.03 |
| 45 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सी लिंक मर्यादित * | 2021-22 | 2023-24 | (297.67) | (297.67) | 63.38 | 422.70 | 2845.98 | 2713.94 | (132.04) | (554.74) | 2933.99 |
| 46 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ बोगदे मर्यादित* | 2021-22 | 2022-23 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 1302.05 | 715.63 | 2017.60 | 1301.97 | (0.08) | 2267.90 |
| 47 | महा मुंबई मेट्रो (M3) कार्यचालन महामंडळ मर्यादितΦ | 2021-22 | 2022-23 | (1.35) | (1.5) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 3.16 | (1.84) | 52.53 |
| 48 | पुणे पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादित* | 2022-23 | 2023-24 | 1.51 | 1.21 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 51.47 | 51.47 | 1.47 | 51.49 |
| 49 | औरंगाबाद औद्योगिक वसाहत मर्यादित औरीक स्किल प्रतिष्ठान *Φ | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| 50 | महासमुद्री अक्षय ऊर्जा मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | (0.05) | (0.05) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (0.03) | (0.03) | (0.08) | 0.74 |

| परिशिष्ट - 5.2 (पुढे...) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पुणे रिंग रोड मर्यादित | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| 52 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| 53 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मल्टीमॉडेल कॉरिडोर मर्यादित | 2022-23 | 2023-24 | (0.03) | (0.03) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | (0.03) | 0.05 |
| 54 | महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मर्यादित Φ | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| 55 | महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | (2.66) | (2.66) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 5.87 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | (538.35) | (574.99) | 1863.02 | 28602.54 | 32049.47 | 56028.70 | 23979.23 | (4846.01) | 98387.85 |
| उत्पादन | | | | | | | | | | | | |
| 56 | हाफकीन अजिंठा औषधी निर्माण मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | (2.14) | (2.14) | 1.27 | 0.18 | 27.10 | 1.03 | (26.07) | (26.61) | 4.36 |
| 57 | हाफकीन जैव औषधी महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | (13.23) | (13.90) | 170.62 | 8.71 | 4.00 | 133.57 | 129.57 | 0.00 | 288.59 |
| 58 | महागुज कॉलरीज मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | (1.77) | (1.77) | 0.00 | 0.05 | 68.02 | 54.27 | (13.75) | (13.80) | 54.56 |
| 59 | महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | (0.28) | (0.27) | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 19.63 | 19.63 | 10.67 | 19.87 |
| 60 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 0.83 | 0.54 | 267.85 | 2.07 | 0.00 | 50.55 | 50.55 | 48.48 | 464.94 |
| 61 | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 0.39 | 0.39 | 15.75 | 16.67 | 0.00 | (0.85) | (0.85) | (17.52) | 22.81 |
| 62 | महा तामिल कॉलरी मर्यादित *Φ | 2021-22 | 2022-23 | 3.95 | 2.84 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 15.89 | 15.89 | 15.84 | 64.01 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | (12.25) | (14.31) | 455.49 | 36.69 | 99.12 | 274.09 | 174.97 | 17.06 | 919.14 |
| सेवा | | | | | | | | | | | | |
| 63 | महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित | 2017-18 | 2021-22 | 1.55 | 1.27 | 26.07 | 15.39 | 10.20 | 40.12 | 29.92 | 14.53 | 713.58 |
| 64 | नागपूर मास (Mass) वाहतूक कंपनी खाजगी मर्यादित *Φ | 2022-23 | 2023-24 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.82 | 2.83 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 1.65 | 1.34 | 26.07 | 17.39 | 10.20 | 42.94 | 32.74 | 15.35 | 716.41 |
| संकीर्ण | | | | | | | | | | | | |
| 65 | कृपानिधी मर्यादित ♦* | 2020-21 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2.68 |
| 66 | महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित | 2018-19 | 2021-22 | 14.81 | 14.81 | 255.21 | 14.95 | 0.00 | 126.08 | 126.08 | 111.13 | 195.09 |

| परिशिष्ट - 5.2 (पुढे...) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित | 2020-21 | 2022-23 | 20.20 | 17.02 | 1684.14 | 10.00 | 0.00 | 90.75 | 90.75 | 80.75 | 1346.37 |
| 68 | महिला आर्थिक विकास महामंडळ | 2021-22 | 2022-23 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 16.15 | 16.15 | 12.29 | 88.11 |
| 69 | नागपूर फ्लाइंग क्लब | 2021-22 | 2022-23 | (0.38) | (0.38) | 0.02 | 0.85 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 4.33 | 7.09 |
| 70 | ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन ^ | 2022-23 | 2023-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 9.15 |
| 71 | डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान © | 2018-19 | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (0.02) | 2.25 |
| 72 | छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास शिक्षण संस्था (*) | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.71 |
| 73 | एसपीपीयू. रिसर्च पार्क फाऊंडेशन © | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| 74 | एसपीपीयू एड्युटेक फाऊंडेशन © | प्रथम लेखे प्रलंबित | | | | | | | | | | |
| 75 | महात्मा जोतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (*) | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.80 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 35.40 | 32.22 | 1939.37 | 29.68 | 0.00 | 238.16 | 238.16 | 208.48 | 1984.25 |
| ऊर्जा | | | | | | | | | | | | |
| 76 | औरंगाबाद वीज कंपनी मर्यादित * | 2022-23 | 2023-24 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.05 | 6.36 | 0.13 | (6.23) | (6.28) | 0.13 |
| 77 | महाजेनको अक्षय ऊर्जा मर्यादित (महाजेनको राख व्यवस्थापन सेवा मर्यादित) * | 2021-22 | 2022-23 | (0.16) | (0.16) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (1.58) | (1.58) | (1.63) | 0.16 |
| 78 | एम एस ई बी होल्डिंग कंपनी मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 5.29 | 5.29 | 81.62 | 90234.26 | 0.00 | 92352.05 | 92352.05 | 2117.79 | 88434.83 |
| 79 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 279.93 | 279.93 | 85717.93 | 48273.98 | 36392.97 | 60308.67 | 23915.70 | (24358.28) | 157116.82 |
| 80 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 1190.03 | 955.36 | 4863.80 | 8984.97 | 4202.50 | 16477.99 | 12275.49 | 3290.52 | 25505.26 |
| 81 | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | (2103.61) | (1644.34) | 22,184.00 | 25918.50 | 22211.18 | 39906.61 | 17695.43 | (8223.07) | 73129.43 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | (628.54) | (403.94) | 112847.35 | 173411.81 | 62813.01 | 209043.87 | 146230.86 | (27180.95) | 344186.63 |
| एकूण 'अ' (सर्व क्षेत्र निहाय कार्यरत शासकीय कंपन्या) | | | | (794.53) | (662.15) | 118534.84 | 204322.73 | 95900.50 | 270983.89 | 175083.15 | (29807.16) | 454031.73 |

| परिशिष्ट - 5.2 (पुढे...) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ब. कार्यरत वैधानिक महामंडळ | | | | | | | | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | | | | | | | | |
| 1 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | 2021-22 | 2022-23 | 48.86 | 43.09 | 250.82 | 8.71 | 0.00 | 555.08 | 555.08 | 0.00 | 1304.83 |
| 2 | महाराष्ट्र कृष्या खोरे विकास महामंडळ © | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41201.23 | 236.72 | 41437.95 | 41201.23 | 0.00 | 41772.19 |
| 3 | कोंकण सिंचन विकास महामंडळ | 2020-21 | 2021-22 | 41.03 | 41.03 | 104.50 | 10938.02 | 0.00 | 11221.04 | 11221.04 | 283.02 | 11418.97 |
| 4 | विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ | 2021-22 | 2022-23 | 69.37 | 69.37 | 100.06 | 52504.61 | 0.00 | 53017.27 | 53019.17 | 512.66 | 53946.23 |
| 5 | तापी सिंचन विकास महामंडळ © | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 | 13071.45 | 13071.45 | 0.00 | 13619.88 |
| 6 | गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ © | 2019-20 | 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23442.22 | 0.00 | 32646.20 | 32646.20 | 0.00 | 33362.96 |
| 7 | महाराष्ट्र जलसंवर्धन महामंडळ | 2018-19 | 2021-22 | (62.79) | (62.79) | 0.35 | 2323.27 | 0.00 | 2621.39 | 2621.39 | 298.12 | 2662.67 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 96.47 | 90.70 | 455.73 | 143489.51 | 236.72 | 154570.38 | 154335.56 | 1093.80 | 158087.73 |
| वित्त | | | | | | | | | | | | |
| 8 | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ | 2014-15 | 2015-16 | (13.78) | (13.78) | 9.29 | 62.64 | 350.17 | (224.76) | (625.25) | (687.90) | 806.47 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | (13.78) | (13.78) | 9.29 | 62.64 | 350.17 | (224.76) | (625.25) | (687.90) | 806.47 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | | | | | | | | |
| 9 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | 2021-22 | 2023-24 | 0.12 | 0.12 | 552.71 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 42934.44 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 0.12 | 0.12 | 552.71 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 42934.44 |
| सेवा | | | | | | | | | | | | |
| 10 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | 2021-22 | 2022-23 | (1146.57) | (1146.57) | 2602.13 | 5626.34 | 200.00 | (2410.86) | (2610.86) | (8237.20) | 7714.77 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | (1146.57) | (1146.57) | 2602.13 | 5626.34 | 200.00 | (2410.86) | (2610.86) | (8237.20) | 7714.77 |
| एकूण 'ब' (सर्व क्षेत्र निहाय कार्यरत वैधानिक महामंडळ) | | | | (1063.76) | (1069.53) | 3619.86 | 149178.49 | 786.89 | 151974.40 | 151139.09 | (7791.66) | 209543.41 |
| एकूण (अ+ब) | | | | (1858.29) | (1731.68) | 122154.70 | 353501.22 | 96687.39 | 422958.29 | 326222.24 | (37598.82) | 663575.14 |

| परिशिष्ट - 5.2 (पुढे...) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधी | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| क. निष्क्रीय शासकीय कंपन्या | | | | | | | | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | | | | | | | | |
| 1 | मराठवाडा दुग्ध विकास महामंडळ मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | (2.75) | (2.75) | (3.13) | 0.11 |
| 2 | एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.35 | (0.13) | (1.48) | (1.53) | 0.01 |
| 3 | मॅफको मर्यादित | 2018-19 | 2019-20 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 5.49 | 5.49 | 0.45 | 6.03 |
| 4 | परभणी कृषी गो-संवर्धन मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | (0.09) | (0.09) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 1.35 | 0.27 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 1.35 | 4.15 | 2.80 | (2.86) | 6.42 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | | | | | | | | |
| 5 | विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित | 2022-23 | 2023-24 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.17 | 8.37 | (2.57) | (10.94) | (18.11) | 4.34 |
| 6 | महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ मर्यादित | 2020-21 | 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.89 | 30.88 | (16.01) | (20.01) | 33.30 |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महामंडळ मर्यादित | 2020-21 | 2022-23 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.66 |
| 8 | मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | 0.29 | 0.22 | 0.00 | 10.17 | 48.15 | 68.81 | 20.66 | 10.49 | 52.18 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | | | 0.33 | 0.25 | 0.00 | 21.35 | 103.41 | 97.75 | (5.66) | (27.01) | 90.48 |
| उत्पादन | | | | | | | | | | | | |
| 9 | गोदावरी गारमॅट्स मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.73 | (0.27) | (8.00) | (8.24) | 0.35 |
| 10 | किनवट रूफिंग टाईल्स मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.97 | (0.06) | (1.03) | (1.22) | 0.004 |
| 11 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित | 2017-18 | 2020-21 | (21.50) | (21.50) | 0.00 | 9.69 | 213.64 | (176.24) | (389.88) | (399.57) | 8.32 |
| 12 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | 2022-23 | (36.98) | (36.98) | 0.00 | 236.16 | 0.00 | (1006.74) | (1006.74) | (1242.90) | 95.75 |
| 13 | मराठवाडा सिरॅमिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 6.61 | 0.06 | (6.55) | (7.23) | 0.14 |
| 14 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ अडकोली नॅचरल रिसोर्सेस मर्यादित * | 2022-23 | 2023-24 | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.001 |
| 15 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ वरोरा कॉलरीज मर्यादित * | 2010-11 | 2013-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.96 | 2.97 | 0.01 | 0.00 | 2.97 |
| 16 | द प्रताप स्पिनिंग,विट्झिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादित ∞ | 2021-22 | 2022-23 | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 23.17 | 0.00 | (40.75) | (40.75) | (63.92) | 0.01 |

| परिशिष्ट - 5.2 (समाप्त) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे क्षेत्र व नाव | वित्तीय विवरण पत्रांचा अवधि | वर्ष ज्यात अंतिम झाले | लाभांश आणि करा पूर्वीचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | व्याज व करानंतरचा निव्वळ नफा/ तोटा(-) | उलाढाल | भरणा झालेले भांडवल | वर्षाच्या अखेरीस थकित असलेली कर्जे | उपयोजित भांडवल | निव्वळ संपत्ती | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | एकूण मालमत्ता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | क्षेत्र निहाय एकूण | | | (58.50) | (58.50) | 0.00 | 270.15 | 231.91 | (1220.97) | (1452.88) | (1723.03) | 107.55 |
| | संकीर्ण | | | | | | | | | | | |
| 17 | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित * | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.09 | 0.08 | (6.01) | (6.67) | 0.12 |
| | क्षेत्र निहाय एकूण | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.09 | 0.08 | (6.01) | (6.67) | 0.12 |
| | ऊर्जा | | | | | | | | | | | |
| 18 | धोपावे कोस्टल पॉवर मर्यादित * | 2022-23 | 2023-24 | (0.003) | (0.003) | 0.00 | 0.05 | 8.26 | 0.00 | (8.26) | (8.31) | 8.29 |
| 19 | महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित * | 2022-23 | 2023-24 | (0.18) | (0.18) | 0.00 | 0.45 | 1018.67 | 5.04 | (1013.63) | (1014.08) | 5.06 |
| | क्षेत्र निहाय एकूण | | | (0.18) | (0.18) | 0.00 | 0.50 | 1026.93 | 5.04 | (1021.89) | (1022.39) | 13.35 |
| | एकूण 'क' (सर्व क्षेत्र निहाय निष्क्रीय शासकीय कंपन्या) | | | (58.33) | (58.43) | 0.00 | 298.30 | 1369.69 | (1113.95) | (2483.64) | (2781.96) | 217.92 |
| | एकूण (अ+ब+क) | | | (1916.62) | (1790.11) | 122154.70 | 353799.52 | 98057.08 | 421844.34 | 323738.60 | (40380.78) | 663793.06 |
| <p>⊕ शासन नियंत्रित इतर कंपन्या * सहायक कंपन्या ♦ तूट भागधारकांकडून वसूल करण्यासारखी आहे त्यामुळे तेथे तोटा/संचित तोटा नाही © शासनाकडून खर्चाची भरपाई केली जाते त्यामुळे तेथे नफा/तोटा नाही (*) कलम 8 कंपन्या (शासनाकडून नफा आणि खर्चाची भरपाई नाही ^ खर्चाची अनुदानाच्या मार्गाने भरपाई</p> | | | | | | | | | | | | |

परिशिष्ट - 5.3

(संदर्भ: परिच्छेद 5.13.1; पृष्ठ: 119)

30 सप्टेंबर 2023 रोजी समाप्त होणाऱ्या तीन वर्षांचा राज्य सार्वजनिक उपक्रमांच्या उपयोजित भांडवलावरील परताव्याचा तपशील

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| अ. कार्यरत शासकीय कंपन्या | | | | | | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | | | | | | |
| 1 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित | 47.89 | 1,112.79 | 4.30 | 103.12 | 1,175.51 | 8.77 | 129.68 | 1229.84 | 10.54 |
| 2 | महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 8.34 | 198.59 | 4.20 | 10.40 | 203.29 | 5.12 | 7.64 | 208.18 | 3.67 |
| 3 | महाराष्ट्र कीटकनाशक मर्यादित | 0.56 | 11.81 | 4.74 | 0.56 | 11.81 | 4.74 | 2.14 | 16.19 | 13.22 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य कृषी (शेती) महामंडळ मर्यादित | 20.01 | (173.68) | (11.52) | 20.01 | (173.68) | (11.52) | 94.34 | 85.56 | 110.26 |
| 5 | महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित | 34.70 | 356.45 | 9.73 | 28.34 | 385.70 | 7.35 | 17.16 | 409.45 | 4.19 |
| 6 | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित | 1.46 | 11.84 | 12.33 | 2.19 | 13.24 | 16.54 | 1.69 | 23.87 | 7.08 |
| 7 | महाराष्ट्र मत्स्यविकास महामंडळ मर्यादित | 2.12 | 6.79 | 31.22 | 2.12 | 6.79 | 31.22 | 3.61 | 12.49 | 28.90 |
| 8 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र एस्सेल वर्ल्ड गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय खाजगी मर्यादित | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 10.00 | 0.44 | 0.43 | 102.33 |
| 9 | महाराष्ट्र बांबू संवर्धन प्रतिष्ठान | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | 3.23 |
| 10 | वाघाडी नदी पुनरुज्जीवन प्रतिष्ठान मर्यादित ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 115.08 | 1525.28 | 7.54 | 166.75 | 1,623.33 | 10.27 | 256.72 | 1986.63 | 12.92 |
| वित्त | | | | | | | | | | |
| 11 | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित | 2.37 | 59.10 | 4.01 | 2.37 | 59.10 | 4.01 | 2.37 | 59.10 | 4.01 |
| 12 | कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित | (0.10) | 1.07 | (9.35) | (0.10) | 1.07 | (9.35) | (0.10) | 1.07 | (9.35) |
| 13 | साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित | 2.92 | 107.69 | 2.71 | 2.92 | 107.69 | 2.71 | 2.92 | 107.69 | 2.71 |

| परिशिष्ट - 5.3 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित | 13.79 | 121.05 | 11.39 | (8.40) | 10.95 | (76.71) | (8.40) | 10.95 | (76.71) |
| 15 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित | 29.42 | 231.54 | 12.71 | 29.42 | 231.54 | 12.71 | 36.36 | 257.76 | 14.11 |
| 16 | महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित | 82.90 | 690.19 | 12.01 | 82.90 | 690.19 | 12.01 | 82.90 | 690.19 | 12.01 |
| 17 | महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित | 10.84 | 204.18 | 5.31 | 10.84 | 204.18 | 5.31 | 6.52 | 232.41 | 2.81 |
| 18 | महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | (0.23) | 47.92 | (0.48) | (1.55) | 56.25 | (2.76) | (1.55) | 56.25 | (2.76) |
| 19 | महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 0.80 | 54.28 | 1.47 | 0.98 | 53.05 | 1.85 | 3.64 | 64.77 | 5.62 |
| 20 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | (0.81) | 43.19 | (1.88) | 0.51 | (56.52) | (0.90) | 0.51 | (56.52) | (0.90) |
| 21 | महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण मर्यादित | 0.44 | 0.45 | 97.78 | 0.44 | 0.45 | 97.78 | 0.44 | 0.45 | 97.78 |
| 22 | महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित | 56.15 | 770.01 | 7.29 | 23.75 | 857.58 | 2.77 | 19.06 | 902.61 | 2.11 |
| 23 | मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित | 9.99 | 265.83 | 3.76 | 9.99 | 265.83 | 3.76 | 9.99 | 265.83 | 3.76 |
| 24 | संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित | 18.43 | 387.90 | 4.75 | 14.62 | 383.96 | 3.81 | 19.75 | 454.81 | 4.34 |
| 25 | शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 5.74 | 129.71 | 4.43 | 4.65 | 141.3 | 3.29 | 4.24 | 132.19 | 3.21 |
| 26 | शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित | 2.42 | 23.89 | 10.13 | 2.42 | 23.89 | 10.13 | 1.49 | 25.09 | 5.94 |
| 27 | वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित | 7.04 | 164.85 | 4.27 | 7.04 | 164.85 | 4.27 | 7.04 | 164.85 | 4.27 |

| परिशिष्ट - 5.3 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | महा आर्क मर्यादित ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 242.11 | 3302.85 | 7.33 | 182.80 | 3195.36 | 5.72 | 187.18 | 3369.50 | 5.56 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | | | | | | |
| 29 | औरंगाबाद औद्योगिक वसाहत मर्यादित | 23.61 | 4,771.68 | 0.49 | 2.58 | 6,299.16 | 0.04 | 2.58 | 6299.16 | 0.04 |
| 30 | महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित | 0.05 | 12.41 | 0.40 | 0.05 | 11.02 | 0.45 | 0.05 | 11.02 | 0.45 |
| 31 | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | (0.30) | (0.86) | (34.88) | (0.34) | (1.19) | (28.57) | (0.10) | (0.84) | (11.90) |
| 32 | महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित | (92.07) | (380.63) | (24.19) | (9.51) | (444.92) | (2.14) | (76.34) | (574.98) | (13.28) |
| 33 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प मर्यादित (महाराष्ट्र सातारा कागल पायाभूत सुविधा मर्यादित) | 0.01 | 0.01 | 100.00 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (100.00) |
| 34 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित | 19.49 | 949.88 | 2.05 | 22.81 | 927.97 | 2.46 | 34.02 | 930.70 | 3.66 |
| 35 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 139.90 | (1,626.26) | (8.60) | 272.78 | 1,716.95 | 15.89 | 272.78 | 1716.95 | 15.89 |
| 36 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादित | 0.55 | 8.82 | 6.24 | 0.48 | 9.12 | 5.26 | 0.48 | 9.12 | 5.26 |
| 37 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा निधी विश्वस्त कंपनी मर्यादित | 0.00 | 0.11 | 0.00 | (0.05) | 0.12 | (41.67) | (0.05) | 0.12 | (41.67) |
| 38 | मिहान इंडिया मर्यादित * | 65.38 | 42.83 | 152.65 | (1.42) | 39.64 | (3.58) | 41.76 | 80.97 | 51.57 |
| 39 | शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित | 40.49 | 866.84 | 4.67 | 56.24 | 671.18 | 8.38 | 56.24 | 671.18 | 8.38 |
| 40 | पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित | 256.33 | 277.62 | 92.33 | 12.9 | 267.37 | 4.82 | 12.45 | 275.96 | 4.51 |
| 41 | ठाणे खाडी पूल पायाभूत सुविधा मर्यादित * | (0.01) | 1.28 | (0.78) | (0.01) | 3.44 | (0.29) | (0.13) | 167.61 | (0.08) |
| 42 | नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन द्रुतगती मार्ग मर्यादित * | (0.04) | 17,992.88 | (0.00) | (0.04) | 28,292.21 | (0.00) | 0.13 | 41743.66 | 0.00 |
| 43 | मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग मर्यादित * | 147.47 | 8,081.33 | 1.82 | (6.91) | (88.06) | (7.85) | (6.91) | (88.06) | (7.85) |
| 44 | वर्सोवा बांद्रा सी लिंक मर्यादित | (0.03) | (0.01) | (300.00) | (0.01) | (0.02) | (50.00) | (0.01) | (0.02) | (50.00) |

| परिशिष्ट - 5.3 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ सी लिंक मर्यादित | (2.92) | 2,431.86 | (0.12) | (48.85) | 2,798.42 | (1.75) | (92.31) | 2713.94 | (3.40) |
| 46 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ बोगदे मर्यादित | (0.02) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 1,042.34 | (0.00) | (0.02) | 2017.60 | (0.00) |
| 47 | महा मुंबई मेट्रो (M3) कार्यचालन महामंडळ मर्यादित | (0.02) | 4.98 | (0.40) | (1.35) | 3.16 | (42.72) | (1.35) | 3.16 | (42.72) |
| 48 | पुणे पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मर्यादित | 0.67 | 48.27 | 1.39 | 1.21 | 48.91 | 2.47 | 1.51 | 51.47 | 2.93 |
| 49 | औरंगाबाद औद्योगिक वसाहत मर्यादित ऑरिक स्किल प्रतिष्ठान | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | महासमुद्री अक्षय ऊर्जा मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.03) | 0.02 | (150.00) | (0.05) | (0.03) | (166.67) |
| 51 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ पुणे रिंग रोड मर्यादित ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ जालना नांदेड द्रुतगती मार्ग मर्यादित ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मल्टीमॉडेल कॉरिडॉर मर्यादित | - | - | - | - | - | - | (0.03) | 0.02 | (150.00) |
| 54 | महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ मर्यादित ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | महात्मा फुले अक्षय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा तंत्रज्ञान मर्यादित* | - | - | - | - | - | - | (2.66) | 0.01 | (26600.00) |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 598.56 | 33483.04 | 1.79 | 300.52 | 41596.83 | 0.72 | 242.02 | 56028.70 | 0.43 |
| उत्पादन | | | | | | | | | | |
| 56 | हाफकीन अजिंठा औषधी निर्माण मर्यादित | (2.51) | 3.05 | (82.30) | (2.31) | 2.08 | (111.06) | (2.14) | 1.03 | (207.77) |
| 57 | हाफकीन जैव औषधी निर्माण महामंडळ मर्यादित | (5.26) | 169.48 | (3.10) | (20.53) | 147.46 | (13.92) | (13.15) | 133.57 | (9.85) |
| 58 | महागुज कॉलरीज मर्यादित | (2.32) | 53.88 | (4.31) | (1.77) | 54.27 | (3.26) | (1.77) | 54.27 | (3.26) |
| 59 | महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित | (2.02) | 20.69 | (9.76) | (0.81) | 19.89 | (4.07) | (0.28) | 19.63 | (1.43) |
| 60 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित | 2.41 | 56.48 | 4.27 | (1.79) | 54.58 | (3.28) | 0.83 | 50.55 | 1.64 |
| 61 | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | 0.02 | (1.59) | (1.26) | 0.06 | (1.24) | (4.84) | 0.40 | (0.85) | (47.06) |
| 62 | महा तमिळ कॉलरीज मर्यादित | 3.22 | 10.22 | 31.51 | 3.78 | 13.05 | 28.97 | 3.95 | 15.89 | 24.86 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (6.46) | 312.21 | (2.07) | (23.37) | 290.09 | (8.06) | (12.16) | 274.09 | (4.44) |
| सेवा | | | | | | | | | | |
| 63 | महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित | 1.09 | 38.68 | 2.82 | 1.82 | 40.12 | 4.54 | 1.82 | 40.12 | 4.54 |
| 64 | महापर्यटन महामंडळ मर्यादित^ | (0.01) | (0.02) | (50.00) | (0.01) | (0.02) | (50.00) | - | - | - |

| परिशिष्ट - 5.3 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 65 | नागपूर मास (Mass) वाहतूक कंपनी खाजगी मर्यादित | 0.10 | 2.69 | 3.72 | 0.10 | 2.69 | 3.72 | 0.10 | 2.82 | 3.55 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 1.18 | 41.35 | 2.85 | 1.91 | 42.79 | 4.46 | 1.92 | 42.94 | 4.47 |
| संकीर्ण | | | | | | | | | | |
| 66 | कृपानिधी मर्यादित | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 67 | महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित | 13.92 | 111.27 | 12.51 | 14.92 | 126.08 | 11.83 | 14.92 | 126.08 | 11.83 |
| 68 | महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित | 42.47 | 70.26 | 60.45 | 81.18 | 73.93 | 109.81 | 34.13 | 90.75 | 37.61 |
| 69 | महिला आर्थिक विकास महामंडळ | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 1.43 | 25.46 | 5.62 | 0.77 | 16.15 | 4.77 |
| 70 | नागपूर फ्लाइंग क्लब | (0.09) | 3.08 | (2.92) | (0.03) | 5.55 | (0.54) | (0.38) | 5.18 | (7.34) |
| 71 | ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 72 | बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान | 0.00 | (0.02) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 0.00 |
| 73 | छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास शिक्षण संस्था | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | एसपीपीयू रिसर्च पार्क फाऊंडेशन ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | एसपीपीयू एड्यूटेक फाऊंडेशन ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 56.30 | 188.47 | 29.87 | 97.50 | 231.02 | 42.20 | 49.44 | 238.16 | 20.76 |
| ऊर्जा | | | | | | | | | | |
| 77 | औरंगाबाद वीज कंपनी मर्यादित | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 8.33 | (0.02) | 0.13 | (15.38) |
| 78 | महाजेनको राख व्यवस्थापन सेवा मर्यादित | (0.07) | 0.11 | (63.64) | (0.16) | (1.58) | (10.13) | (0.16) | (1.58) | (10.13) |
| 79 | एम एस ई बी होल्डिंग कंपनी मर्यादित | 2.90 | 87,019.05 | 0.00 | 8.83 | 87,093.28 | 0.01 | 5.29 | 92352.05 | 0.01 |
| 80 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित | 5,289.17 | 55,355.12 | 9.55 | 4,253.48 | 58,167.76 | 7.31 | 5497.07 | 60308.67 | 9.11 |
| 81 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित | 1,029.51 | 15,121.87 | 6.81 | 2,184.02 | 15,934.68 | 13.71 | 1586.92 | 16477.99 | 9.63 |

| परिशिष्ट - 5.3 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 82 | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित | 3,789.28 | 41,053.61 | 9.23 | 1,407.18 | 39,906.61 | 3.53 | 1407.18 | 39906.61 | 3.53 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 10110.78 | 198549.87 | 5.09 | 7853.36 | 201100.87 | 3.91 | 8496.28 | 209043.87 | 4.06 |
| एकूण 'अ' (सर्व क्षेत्र निहाय कार्यरत शासकीय कंपन्या) | | 11117.55 | 237403.07 | 4.68 | 8579.47 | 248080.29 | 3.46 | 9221.40 | 270983.89 | 3.40 |
| 'ब' कार्यरत वैधानिक महामंडळ | | | | | | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | | | | | | |
| 1 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | 66.36 | 8.71 | 761.88 | 110.74 | 535.08 | 20.70 | 48.86 | 555.08 | 8.80 |
| 2 | महाराष्ट्र कृषणा खोरे विकास महामंडळ | 0.39 | 36,610.67 | 0.00 | 0.11 | 41,437.95 | 0.00 | 0.11 | 41437.95 | 0.00 |
| 3 | कोकण सिंचन विकास महामंडळ | 29.57 | 8,398.16 | 0.35 | 41.03 | 11,221.04 | 0.37 | 41.03 | 11221.04 | 0.37 |
| 4 | विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ | 86.88 | 41,008.96 | 0.21 | 94.9 | 48,227.08 | 0.20 | 69.37 | 53017.27 | 0.13 |
| 5 | तापी सिंचन विकास महामंडळ | 0.00 | 11,576.37 | 0.00 | 0.00 | 13,071.45 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 |
| 6 | गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ | 0.00 | 21,069.71 | 0.00 | 0.00 | 32646.2 | 0.00 | 0.00 | 32646.20 | 0.00 |
| 7 | महाराष्ट्र जल संवर्धन महामंडळ | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 120.41 | 121293.97 | 0.10 | 183.99 | 149760.19 | 0.12 | 96.58 | 154570.38 | 0.06 |
| वित्त | | | | | | | | | | |
| 8 | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) |
| पायाभूत सुविधा | | | | | | | | | | |
| 9 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 4.81 | 39.64 | 12.13 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 4.81 | 39.64 | 12.13 |

| परिशिष्ट - 5.3 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| सेवा | | | | | | | | | | |
| 10 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | (938.15) | 297.51 | (315.33) | (712.05) | 148.56 | (479.30) | (1144.81) | (2410.86) | (47.49) |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (938.15) | 297.51 | (315.33) | (712.05) | 148.56 | (479.30) | (1144.81) | (2410.86) | (47.49) |
| एकूण 'ब' (सर्व क्षेत्र निहाय कार्यरत वैधानिक महामंडळ) | | (826.35) | 121405.86 | (0.68) | (536.67) | 149723.13 | (0.36) | (1057.20) | 151974.40 | (0.70) |
| एकूण बेरीज (अ+ब) | | 10291.20 | 358808.93 | 2.87 | 8042.80 | 397803.42 | 2.02 | 8164.20 | 422958.29 | 1.93 |
| 'क' निष्क्रीय शासकीय कंपन्या | | | | | | | | | | |
| कृषी व तत्सम | | | | | | | | | | |
| 1 | मराठवाडा दुग्ध विकास महामंडळ मर्यादित | 0.00 | (2.75) | 0.00 | 0.00 | (2.75) | 0.00 | 0.00 | (2.75) | 0.00 |
| 2 | एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित | 0.00 | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) | 0.00 |
| 3 | मॅफको मर्यादित | 0.11 | 5.49 | 2.00 | 0.11 | 5.49 | 2.00 | 0.11 | 5.49 | 2.00 |
| 4 | परभणी कृषी गो संवर्धन मर्यादित | (0.04) | (1.01) | (3.96) | (0.03) | (1.05) | (2.86) | (0.09) | 1.54 | (5.84) |
| 5 | विदर्भ गुणवत्ता बियाणे मर्यादित ^ | (0.01) | (0.33) | (3.03) | - | - | - | - | - | - |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | 0.06 | 1.27 | 4.72 | 0.08 | 1.56 | 5.13 | 0.02 | 4.15 | 0.48 |
| पायाभूत सुविधा | | | | | | | | | | |
| 6 | विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित | (2.97) | (2.18) | (136.24) | (0.39) | (2.57) | (15.18) | 0.01 | (2.57) | (0.39) |
| 7 | महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ मर्यादित | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 0.00 |
| 8 | महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महामंडळ मर्यादित | 0.02 | 0.54 | 3.70 | 0.02 | 0.61 | 3.28 | 0.03 | 0.63 | 4.76 |
| 9 | मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित | 0.31 | 47.29 | 0.66 | 0.34 | 47.60 | 0.71 | 0.29 | 68.81 | 0.42 |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (2.64) | 76.53 | (3.45) | (0.03) | 76.52 | (0.04) | 0.33 | 97.75 | 0.34 |
| उत्पादन | | | | | | | | | | |
| 10 | गोदावरी गारमेंट्स मर्यादित | (0.07) | (0.27) | (25.93) | 0.00 | (0.27) | 0.00 | 0.00 | (0.27) | 0.00 |
| 11 | किनवट रूफिंग टाईल्स मर्यादित | 0.00 | (0.05) | 0.00 | 0.00 | (0.06) | 0.00 | 0.00 | (0.06) | 0.00 |

| परिशिष्ट - 5.3 (समाप्त) | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे क्षेत्र व नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) | व्याज व करापूर्वी उत्पन्न (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवल (₹ कोटीत) | उपयोजित भांडवलावरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित | (1.00) | (176.24) | (0.57) | (1.00) | (176.24) | (0.57) | (1.00) | (176.24) | (0.57) |
| 13 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | (0.46) | (891.73) | (0.05) | 3.65 | (969.76) | (0.38) | 4.90 | (1006.74) | (0.49) |
| 14 | मराठवाडा सिरॅमिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 15 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ अडकोली नैसर्गिक संसाधने मर्यादित | (0.01) | (0.02) | (50.00) | (0.01) | (0.03) | (33.33) | (0.01) | 0.06 | (16.67) |
| 16 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ वरोरा कॉलरी मर्यादित | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 17 | गोंडवाना पेंट्स आणि खनिजे मर्यादित [^] | (0.01) | (1.35) | (0.74) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | द प्रताप स्पिनिंग,विहिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादित ∞ | (0.01) | (40.74) | (0.02) | (0.01) | (40.75) | (0.02) | (0.01) | (40.75) | (0.02) |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (1.56) | (1107.38) | (0.14) | 2.63 | (1184.09) | (0.22) | 3.88 | (1220.97) | (0.32) |
| संकीर्ण | | | | | | | | | | |
| 19 | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित | (0.00) | 0.06 | (0.00) | (0.00) | 0.08 | (0.00) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 20 | विदर्भ टॅनरिज मर्यादित | (0.01) | (0.09) | (11.11) | - | - | - | - | - | - |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (0.01) | (0.03) | (33.33) | (0.00) | 0.08 | (0.00) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| ऊर्जा | | | | | | | | | | |
| 21 | धोपावे कोस्टल पॉवर मर्यादित | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.00) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित | (0.15) | 4.84 | (3.10) | (0.15) | 4.97 | (3.02) | (0.18) | 5.04 | (3.57) |
| क्षेत्र निहाय एकूण | | (0.15) | 4.84 | (3.10) | (0.15) | 4.97 | (3.02) | (0.18) | 5.04 | (3.57) |
| एकूण 'क' (सर्व क्षेत्रनिहाय निष्क्रीय शासकीय कंपन्या) | | (4.30) | (1024.77) | (0.42) | 2.53 | (1100.96) | (0.23) | 4.05 | (1113.95) | (0.36) |
| एकूण (अ+ब+क) | | 10286.91 | 357784.17 | 2.88 | 8045.34 | 396702.47 | 2.03 | 8168.25 | 421844.34 | 1.94 |

[^] 2020-21 मध्ये खाजगीकरण (तीन राज्य सार्वजनिक उपक्रम) आणि 2021-22 मध्ये खाजगीकरण (एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम)

∞ प्रथम लेखा प्रलंबित

परिशिष्ट -5.4

(संदर्भ परिच्छेद: 5.13.2 पृष्ठ: 120)

30 सप्टेंबर 2023 रोजी समाप्त होणाऱ्या तीन वर्षात राज्य शासनाची थेट इक्विटी गुंतवणूक असलेल्या शासकीय कंपनी आणि वैधानिक महामंडळे यांच्याकडून इक्विटीवरील परतावा दर्शविणारे विवरण

| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
|---------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) |
| 1 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित | 37.17 | 1112.79 | 3.34 | 88.48 | 1175.51 | 7.53 | 98.68 | 1229.84 | 8.02 |
| 2 | महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 4.26 | 198.59 | 2.15 | 4.91 | 203.29 | 2.42 | 5.25 | 208.18 | 2.52 |
| 3 | महाराष्ट्र राज्य कृषी (शेती) महामंडळ मर्यादित | 18.30 | (173.68) | (10.54) | 18.30 | (173.68) | (10.54) | 93.62 | 85.56 | 109.42 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित | 26.10 | 361.16 | 7.23 | 21.32 | 380.70 | 5.60 | 12.49 | 409.45 | 3.05 |
| 5 | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मॅडी व शेळी विकास महामंडळ मर्यादित | 0.85 | 11.84 | 7.18 | 1.59 | 13.24 | 12.01 | 1.31 | 23.87 | 5.49 |
| 6 | महाराष्ट्र मत्स्यविकास महामंडळ मर्यादित | 1.16 | 2.64 | 43.94 | 1.16 | 2.64 | 43.94 | 2.35 | 7.92 | 29.67 |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | 37.13 | 480.98 | 7.72 | 71.83 | 535.08 | 13.42 | 43.09 | 555.08 | 7.76 |
| 8 | महाराष्ट्र कृषणा खोरे विकास महामंडळ | 0.00 | 36373.82 | 0.00 | 0.00 | 41201.23 | 0.00 | 0.00 | 41201.23 | 0.00 |
| 9 | कोकण सिंचन विकास महामंडळ | 29.57 | 8398.16 | 0.35 | 41.03 | 11221.04 | 0.37 | 41.03 | 11221.04 | 0.37 |
| 10 | विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ | 86.88 | 41027.26 | 0.21 | 94.90 | 48227.08 | 0.20 | 69.37 | 53017.27 | 0.13 |
| 11 | तापी सिंचन विकास महामंडळ | 0.00 | 11576.37 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 |
| 12 | गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ | 0.00 | 30047.38 | 0.00 | 0.00 | 32646.20 | 0.00 | 0.00 | 32646.20 | 0.00 |
| 13 | महाराष्ट्र जलसंवर्धन महामंडळ | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) |
| 14 | मॅफको मर्यादित | 0.09 | 5.49 | 1.66 | 0.09 | 5.49 | 1.66 | 0.09 | 5.49 | 1.66 |
| 15 | अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्यादित | 2.37 | 58.85 | 4.03 | 2.37 | 58.85 | 4.03 | 2.37 | 58.85 | 4.03 |
| 16 | कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित | (0.10) | 0.94 | (10.64) | (0.10) | 0.94 | (10.64) | (0.10) | 0.94 | (10.64) |
| 17 | साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित | 2.19 | 81.75 | 2.68 | 2.19 | 81.75 | 2.68 | 2.19 | 81.75 | 2.68 |

| परिशिष्ट - 5.4 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) |
| 18 | महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित | 1.52 | 19.35 | 7.86 | (8.40) | 10.95 | (76.71) | (8.40) | 10.95 | (76.71) |
| 19 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच व सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित | 19.01 | 230.98 | 8.23 | 19.01 | 230.98 | 8.23 | 26.83 | 257.20 | 10.43 |
| 20 | महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 21 | महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित | 9.37 | 194.78 | 4.81 | 9.37 | 194.78 | 4.81 | 5.76 | 227.13 | 2.54 |
| 22 | महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | (3.58) | 47.15 | (7.59) | (1.67) | 55.48 | (3.01) | (1.67) | 55.48 | (3.01) |
| 23 | महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | (0.11) | 17.87 | (0.62) | (0.58) | 20.36 | (2.85) | 1.82 | 35.32 | 5.15 |
| 24 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | (3.60) | (54.17) | (6.65) | (2.35) | (56.52) | (4.16) | (2.35) | (56.52) | (4.16) |
| 25 | महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरण मर्यादित | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 26 | महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ मर्यादित | 51.55 | 733.32 | 7.03 | 20.69 | 801.60 | 2.58 | 15.33 | 816.31 | 1.88 |
| 27 | मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित | 9.34 | 237.70 | 3.93 | 9.34 | 237.70 | 3.93 | 9.34 | 237.70 | 3.93 |
| 28 | संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित | 17.15 | 365.32 | 4.69 | 14.07 | 379.38 | 3.71 | 19.08 | 436.00 | 4.38 |
| 29 | शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 3.81 | 126.15 | 3.02 | 3.77 | 116.38 | 3.24 | 4.06 | 120.51 | 3.37 |
| 30 | वंसतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्यादित | 6.25 | 138.31 | 4.52 | 6.25 | 138.31 | 4.52 | 6.25 | 138.31 | 4.52 |
| 31 | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ | (13.78) | (625.26) | (2.20) | (13.78) | (625.25) | (2.20) | (13.78) | (625.25) | (2.20) |
| 32 | महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित | 0.04 | 6.29 | 0.64 | 0.04 | 6.33 | 0.63 | 0.04 | 6.33 | 0.63 |

| परिशिष्ट - 5.4 (पुढे...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) |
| 33 | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | (0.30) | (6.78) | (4.42) | (0.34) | (7.11) | (4.78) | (0.10) | (6.77) | (1.48) |
| 34 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित | 13.40 | 56.94 | 23.53 | 17.28 | 74.22 | 23.28 | 25.23 | 99.46 | 25.37 |
| 35 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 141.90 | (247.71) | (57.28) | (20.55) | (2948.11) | (0.70) | (20.55) | (2948.11) | (0.70) |
| 36 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादित | 0.42 | 8.82 | 4.76 | 0.11 | 9.12 | 1.21 | 0.11 | 9.12 | 1.21 |
| 37 | महाराष्ट्र शहरी पायाभूत सुविधा निधी विश्वस्त कंपनी मर्यादित | 0.00 | 0.11 | 0.00 | (0.05) | 0.07 | (71.43) | (0.05) | 0.07 | (71.43) |
| 38 | शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित | 19.01 | 366.84 | 5.18 | 19.02 | 385.15 | 4.94 | 19.02 | 385.15 | 4.94 |
| 39 | पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित | 255.88 | 256.11 | 99.91 | 9.41 | 267.37 | 3.52 | 9.23 | 275.96 | 3.34 |
| 40 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | 0.19 | 39.14 | 0.49 | 0.19 | 39.14 | 0.49 | 0.12 | 39.64 | 0.30 |
| 41 | विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित | (2.97) | (10.55) | (28.15) | (0.39) | (10.94) | (3.56) | 0.00 | (10.94) | (0.03) |
| 42 | महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ मर्यादित | 0.00 | (16.01) | 0.00 | 0.00 | (16.01) | 0.00 | 0.00 | (16.01) | 0.00 |
| 43 | महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महामंडळ मर्यादित | 0.02 | 0.54 | 3.70 | 0.02 | 0.61 | 3.28 | 0.02 | 0.63 | 3.65 |
| 44 | मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित | 0.23 | (0.86) | (26.74) | 0.31 | (0.55) | (56.36) | 0.22 | 20.66 | 1.06 |
| 45 | हाफकीन जैव-औषधी निर्माण महामंडळ मर्यादित | (5.57) | 165.48 | (3.37) | (20.28) | 143.46 | (14.14) | (13.90) | 129.57 | (10.73) |
| 46 | महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स महामंडळ मर्यादित | 1.03 | 20.69 | 4.98 | (0.81) | 19.89 | (4.07) | (0.27) | 19.63 | (1.38) |
| 47 | महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित | 2.04 | 51.91 | 3.93 | (1.79) | 50.01 | (3.58) | 0.54 | 50.55 | 1.07 |
| 48 | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | 0.02 | (1.59) | (1.01) | 0.05 | (1.24) | (4.03) | 0.39 | (0.85) | (45.88) |
| 49 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित | (21.50) | (389.88) | 5.51 | (21.50) | (389.88) | (5.51) | (21.50) | (389.88) | (5.51) |
| 50 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | (40.77) | (891.73) | 4.57 | (37.71) | (969.76) | (3.89) | (36.98) | (1006.74) | (3.67) |
| 51 | महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित | 0.95 | 28.64 | 3.32 | 1.27 | 29.92 | 4.24 | 1.27 | 29.92 | 4.24 |
| 52 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | (939.87) | 97.51 | (963.87) | (716.14) | (51.44) | (1392.19) | (1146.57) | (2610.86) | (43.92) |

| परिशिष्ट - 5.4 (समाप्त) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमाचे नाव | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) | करानंतर निव्वळ नफा/तोटा (₹ कोटीत) | निव्वळ संपत्ती (₹ कोटीत) | इक्विटी वरील परतावा (टक्केवारी) |
| 53 | महाराष्ट्र माजी सैनिक महामंडळ मर्यादित | 13.34 | 111.27 | 11.99 | 14.81 | 126.08 | 11.75 | 14.81 | 126.08 | 11.75 |
| 54 | महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित | 30.03 | 70.05 | 42.87 | 4.88 | 73.72 | 6.62 | 17.02 | 90.75 | 18.75 |
| 55 | महिला आर्थिक विकास महामंडळ | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 25.46 | 0.00 | 0.77 | 16.15 | 4.77 |
| 56 | नागपूर फ्लाईंग क्लब | (0.09) | 3.08 | (2.92) | (0.03) | 5.55 | (0.54) | (0.38) | 5.18 | (7.34) |
| 57 | ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 58 | एम.एस.ई.बी. होल्डिंग कंपनी मर्यादित | 19.88 | 87019.05 | 0.02 | 8.83 | 87093.28 | 0.01 | 5.29 | 92352.05 | 0.01 |
| 59 | महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित | (0.15) | (1013.18) | (0.01) | (0.15) | (1013.45) | (0.01) | - | - | - |
| एकूण | | (232.74) | 219355.87 | (0.11) | (402.53) | 235717.76 | (0.17) | (775.00) | 244765.91 | (0.32) |

परिशिष्ट -5.5

(संदर्भ परिच्छेद 5.13.3 पृष्ठ: 121)

2000-01 ते 2022-23 या कालावधीत राज्य शासनाद्वारे ओतलेल्या गुंतवणुकीच्या वर्तमान किंमतीच्या तुलनेत गुंतवणुकीचे वर्ष-निहाय तपशील दर्शविणारे विवरण

(₹ कोटीत)

राज्य शासनाच्या गुंतवणुकीच्या वर्तमान मूल्याची गणना करण्यासाठी गृहीतके

- बिनव्याजी कर्जे राज्य शासनाद्वारे ओतलेली गुंतवणूक म्हणून ग्राह्य धरण्यात आली आहेत कारण ऊर्जा क्षेत्रातील उपक्रमांनी कोणत्याही बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली नाही. शिवाय, ज्या प्रकरणांमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील उपक्रमांना दिलेली बिनव्याजी कर्जे इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यात आली होती, अशा प्रकरणांमध्ये इक्विटीमध्ये रूपांतरित झालेली कर्जे बिनव्याजी कर्जाच्या रकमेतून वजा केली गेली आहेत आणि त्या वर्षाच्या इक्विटीमध्ये जोडले गेली आहेत.
- वर्तमान मूल्याची गणना करण्यासाठी संबंधित वित्तीय वर्षाकरिता[^] शासनाच्या कर्जावरील व्याजाचा सरासरी दर, चक्रवाढ दर म्हणून स्वीकारण्यात आला कारण तो त्या वर्षासाठी निधीच्या गुंतवणुकीसाठी शासनाने केलेला खर्च दर्शवितो आणि म्हणून शासनाने केलेल्या गुंतवणुकावरील परताव्याचा किमान अपेक्षित दर मानला जातो.

| वित्तीय वर्ष | वर्षाच्या सुरुवातीला एकूण गुंतवणूकीचे वर्तमान मूल्य | वर्षभरातील राज्य शासनाने ओतलेली इक्विटी | वर्षभरातील राज्य शासनाने दिलेली बिनव्याजी कर्जे | वर्षभरातील परतफेड केलेली बिनव्याजी कर्जे | वर्षभरातील रूपांतरित बिनव्याजी कर्जे | वर्षभरातील एकूण गुंतवणूक | शासकीय कर्जावरील व्याजाचा सरासरी दर (टक्केवारीत) | वर्षाच्या अखेरीस एकूण गुंतवणूक | वर्षाच्या अखेरीस एकूण गुंतवणूकीचे वर्तमान मूल्य | वर्षभरातील निधीची किंमत वसूल करण्याकरिता किमान अपेक्षित परतावा | वर्षासाठी एकूण उत्पन्न |
|-----------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii = iii+iv-v-vi | viii | ix = ii+vii | x = {ix*(100 + viii) / 100} | xi = {ix*viii / 100} | xii |
| सुरुवातीपासून ते 2000 | 0.00 | 12323.93 | 68.98 | 0.05 | 0.00 | 12392.86 | 10.30 | 12392.86 | 13669.32 | 1276.47 | 162.25 |
| 2000-01 | 13669.32 | 728.96 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 730.46 | 9.10 | 14399.78 | 15710.16 | 1310.38 | (2986.28) |
| 2001-02 | 15710.16 | 977.46 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 978.94 | 9.40 | 16689.10 | 18257.87 | 1568.78 | (821.86) |
| 2002-03 | 18257.87 | 2142.64 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2144.66 | 8.90 | 20402.54 | 22218.36 | 1815.83 | (951.11) |
| 2003-04 | 22218.36 | 3723.59 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 3726.21 | 8.80 | 25944.57 | 28227.69 | 2283.12 | (1161.30) |
| 2004-05 | 28227.69 | 4374.55 | 6.78 | 0.00 | 0.40 | 4380.93 | 8.00 | 32608.62 | 35217.31 | 2608.69 | (1179.21) |
| 2005-06 | 35217.31 | 6720.82 | 5770.60 | 0.00 | 0.00 | 12491.42 | 7.10 | 47708.73 | 51096.05 | 3387.32 | (433.51) |
| 2006-07 | 51096.05 | 6746.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6746.37 | 7.80 | 57842.42 | 62354.13 | 4511.71 | (234.74) |
| 2007-08 | 62354.13 | 6358.12 | 0.00 | 138.60 | 0.00 | 6219.52 | 7.70 | 68573.65 | 73853.82 | 5280.17 | (723.67) |
| 2008-09 | 73853.82 | 9722.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9722.05 | 7.30 | 83575.87 | 89676.91 | 6101.04 | (493.20) |

परिशिष्ट -5.5 (समाप्त)

(₹ कोटीत)

| वित्तीय वर्ष | वर्षाच्या सुरुवातीला एकूण गुंतवणूकीचे वर्तमान मूल्य | वर्षभरातील राज्य शासनाने ओतलेली इक्विटी | वर्षभरातील राज्य शासनाने दिलेली बिनव्याजी कर्जे | वर्षभरातील परतफेड केलेली बिनव्याजी कर्जे | वर्षभरातील रूपांतरित बिनव्याजी कर्जे | वर्षभरातील एकूण गुंतवणूक | सरकारी कर्जावरील व्याजाचा सरासरी दर (टक्केवारीत) | वर्षाच्या अखेरीस एकूण गुंतवणूक | वर्षाच्या अखेरीस एकूण गुंतवणूकीचे वर्तमान मूल्य | वर्षभरातील निधीची किंमत वसूल करण्याकरीता किमान अपेक्षित परतावा | वर्षासाठी एकूण उत्पन्न |
|--------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii = iii+iv-v-vi | viii | ix = ii+vii | x = {ix*(100 + viii) / 100} | xi = {ix*viii / 100} | xii |
| 2009-10 | 89676.91 | 7454.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7454.87 | 7.40 | 97131.78 | 104319.53 | 7187.75 | (1409.62) |
| 2010-11 | 104319.53 | 8328.12 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 8327.44 | 7.40 | 112646.97 | 120982.84 | 8335.88 | 171.06 |
| 2011-12 | 120982.84 | 8110.91 | 200 | 0.05 | 0.00 | 8310.86 | 7.50 | 129293.70 | 138990.73 | 9697.03 | 1559.90 |
| 2012-13 | 138990.73 | 7767.94 | 179.02 | 0.01 | 0.00 | 7946.95 | 7.40 | 146937.68 | 157811.07 | 10873.39 | 1754.46 |
| 2013-14 | 157811.07 | 10265.91 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10265.90 | 7.50 | 168076.97 | 180682.75 | 12605.77 | 1973.15 |
| 2014-15 | 180682.75 | 12758.56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 12758.52 | 7.80 | 193441.26 | 208529.68 | 15088.42 | 1805.91 |
| 2015-16 | 208529.68 | 85710.32 | 0.00 | 0.00 | 5632.00 | 80078.32 | 7.70 | 288608.00 | 310830.82 | 22222.82 | 6794.61 |
| 2016-17 | 310830.82 | 9275.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9275.05 | 7.60 | 320105.87 | 344433.91 | 24328.05 | (17344.72) |
| 2017-18 | 344433.91 | 8535.64 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 8535.84 | 8.00 | 352969.75 | 381207.33 | 28237.58 | (3347.01) |
| 2018-19 | 381207.33 | 1933.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1933.32 | 7.80 | 383140.65 | 413025.62 | 29884.97 | 72.59 |
| 2019-20 | 413025.62 | 10170.87 | 1.90 | 21.61 | 0.00 | 10151.16 | 7.30 | 423176.78 | 454068.68 | 30891.90 | 674.73 |
| 2020-21 | 454068.68 | 1254.18 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1253.98 | 7.19 | 455322.66 | 488060.36 | 32737.70 | (179.42) |
| 2021-22 | 488060.36 | 6380.61 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6380.05 | 6.96 | 494440.41 | 528853.46 | 34413.05 | (2794.11) |
| 2022-23 | 528853.46 | 641.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.27 | 6.58 | 529494.73 | 564335.48 | 34840.75 | (1790.11) |
| एकूण | | 232406.06 | 6235.11 | 161.27 | 5632.96 | 232846.95 | | | | | |

^ शासकीय कर्जावरील व्याजाचा सरासरी दर संबंधित वर्षाच्या भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या राज्य वित्त (महाराष्ट्र शासन) अहवालातून स्वीकारला गेला ज्यामध्ये दिलेल्या व्याजाचा सरासरी दर = व्याज देणे/[(आधीच्या वर्षाच्या राजकोषीय देयताची रक्कम + चालू वर्षाची राजकोषीय देयता)/2]*100

2017-18 पासूनचे एकूण उत्पन्न करानंतरचा नफा/तोटा दर्शवितात.

परिशिष्ट - 5.6

(संदर्भ: परिच्छेद 5.13.4 ; पृष्ठ: 123)

31 मार्च 2023 रोजी ऋणात्मक निव्वळ संपत्ती असणाऱ्या राज्य सार्वजनिक उपक्रमांची यादी दर्शविणारे विवरण

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | क्षेत्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | भरणा झालेले भांडवल | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | उलाढाल | करानंतर नफा(+)/ तोटा(-) | मुक्त राखीव | निव्वळ संपत्ती भांडवल राखीव सोडून | भागधारकाचा निधी | 31 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाची इक्विटी | 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाचे कर्ज |
|---------|----------------|--|--------------------|-----------------------|--------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|
| 1 | वित्त | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | 90.61 | (147.13) | 5.66 | (2.35) | 0.00 | (56.52) | (56.52) | 88.71 | 23.29 |
| 2 | पायाभूत सुविधा | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | 8.81 | (15.58) | 0.00 | (0.10) | 0.00 | (6.77) | (6.77) | 8.81 | 5.93 |
| 3 | पायाभूत सुविधा | महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित | 17.05 | (657.37) | 144.83 | (76.52) | 0.00 | (640.32) | (640.32) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | पायाभूत सुविधा | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मूलभूत सुविधा प्रकल्प मर्यादित (महाराष्ट्र सातारा कागल पायाभूत सुविधा मर्यादित) | 0.05 | (0.07) | 0.00 | (0.02) | 0.00 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.00 |
| 5 | पायाभूत सुविधा | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 773.56 | (3722.67) | 708.91 | (20.55) | 1.00 | (2948.11) | (2948.11) | 773.56 | 179.02 |
| 6 | पायाभूत सुविधा | ठाणे खाडी पूल पायाभूत सुविधा मर्यादित | 0.05 | (0.21) | 0.00 | (0.13) | 0.00 | (0.16) | (0.16) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | पायाभूत सुविधा | मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग मर्यादित | 250.05 | (556.61) | 733.39 | (266.55) | 0.00 | (306.56) | (306.56) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | पायाभूत सुविधा | वर्सावा बांद्रा सी लिंक मर्यादित | 0.05 | (0.07) | 0.00 | (0.01) | 0.00 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | पायाभूत सुविधा | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 422.70 | (554.74) | 63.38 | (297.67) | 0.00 | (132.04) | (132.04) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | पायाभूत सुविधा | महासमृद्धी अक्षय ऊर्जा मर्यादित | 0.05 | (0.08) | 0.00 | (0.05) | 0.00 | (0.03) | (0.03) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | उत्पादन | हाफकीन अजिंठा औषधी निर्माण मर्यादित | 0.18 | (26.61) | 1.27 | (2.14) | 0.36 | (26.07) | (26.07) | 0.00 | 0.00 |
| 12 | उत्पादन | महागुज कॉलरीज मर्यादित | 0.05 | (13.80) | 0.00 | (1.77) | 0.00 | (13.75) | (13.75) | 0.00 | 0.00 |
| 13 | उत्पादन | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | 16.67 | (17.52) | 15.75 | 0.39 | 0.00 | (0.85) | (0.85) | 17.57 | 0.00 |

| परिशिष्ट - 5.6 (पुढे...) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|--------------------|-----------------------|---------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | (₹ कोटीत) |
| अ. क्र. | क्षेत्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | भरणा झालेले भांडवल | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | उलाढाल | करानंतर नफा(+)/ तोटा(-) | मुक्त राखीव | निव्वळ संपत्ती भांडवल राखीव सोडून | भागधारकाचा निधी | 31 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाची इक्विटी | 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाचे कर्ज |
| 14 | संकीर्ण | बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान | 0.00 | (0.02) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | ऊर्जा | औरंगाबाद वीज कंपनी मर्यादित | 0.05 | (6.28) | 0.00 | (0.02) | 0.00 | (6.23) | (6.23) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ऊर्जा | महाजेनको अक्षय ऊर्जा मर्यादित (महाजेनको राख व्यवस्थापन सेवा मर्यादित) | 0.05 | (1.63) | 0.00 | (0.16) | 0.00 | (1.58) | (1.58) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | वित्त | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ | 62.64 | (687.90) | 9.29 | (13.78) | 0.00 | (625.25) | (625.25) | 62.64 | 136.49 |
| 18 | सेवा | महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ | 5626.34 | (8237.20) | 2602.13 | (1146.57) | 0.00 | (2610.86) | (2610.86) | 5626.34 | 200.00 |
| 19 | कृषि आणि तत्सम | मराठवाडा दुग्धविकास महामंडळ मर्यादित | 0.38 | (3.13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2.75) | (2.75) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | कृषि आणि तत्सम | एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित | 0.05 | (1.53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.48) | (1.48) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | पायाभूत सुविधा | विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित | 7.17 | (18.11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (10.94) | (10.94) | 7.17 | 8.37 |
| 22 | पायाभूत सुविधा | महाराष्ट्र भू-विकास महामंडळ मर्यादित | 4.00 | (20.01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (16.01) | (16.01) | 3.00 | 46.89 |
| 23 | उत्पादन | गोदावरी गारमेंट्स मर्यादित | 0.24 | (8.24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (8.00) | (8.00) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | उत्पादन | किनवट रूफिंग टाइल्स मर्यादित | 0.19 | (1.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.03) | (1.03) | 0.00 | 0.00 |
| 25 | उत्पादन | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित | 9.69 | (399.57) | 0.00 | (21.50) | 0.00 | (389.88) | (389.88) | 9.69 | 57.72 |
| 26 | उत्पादन | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | 236.16 | (1242.90) | 0.00 | (36.98) | 0.00 | (1006.74) | (1006.74) | 236.15 | 173.91 |
| 27 | उत्पादन | मराठवाडा सिरामिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित | 0.68 | (7.23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (6.55) | (6.55) | 0.00 | 0.00 |

परिशिष्ट - 5.6 (समाप्त)

(₹ कोटीत)

| अ. क्र. | क्षेत्र | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | भरणा झालेले भांडवल | संचित नफा(+)/ तोटा(-) | उलाढाल | करानंतर नफा(+)/ तोटा(-) | मुक्त राखीव | निव्वळ संपत्ती भांडवल राखीव सोडून | भागधारकाचा निधी | 31 मार्च 2023 रोजी राज्य शासनाची इक्विटी | 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य शासनाचे कर्ज |
|---------|---------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|--|---|
| 28 | उत्पादन | द प्रताप स्पिनिंग, विव्हिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादित | 23.17 | (63.92) | 0.00 | (0.01) | 0.00 | (40.75) | (40.75) | 0.00 | 0.00 |
| 29 | संकीर्ण | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित | 0.64 | (6.67) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | (6.01) | (6.01) | 0.00 | 0.00 |
| 30 | ऊर्जा | धोपावे कोस्टल पॉवर मर्यादित | 0.05 | (8.31) | 0.00 | (0.00) | 0.00 | (8.26) | (8.26) | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ऊर्जा | महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित | 0.45 | (1014.08) | 0.00 | (0.18) | 0.00 | (1013.63) | (1013.63) | 0.00 | 0.00 |
| | | एकूण | 7551.83 | (17440.41) | 4284.61 | (1886.67) | 1.38 | (9887.19) | (9887.19) | 6833.64 | 831.62 |

परिशिष्ट - 5.7

(संदर्भ: परिच्छेद 5.13.4 ; पृष्ठ: 123)

| तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सतत ऋणात्मक निव्वळ संपत्ती असणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांची यादी दर्शविणारे विवरण (₹ कोटीत) | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|--|---|---|
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | नवीनतम वित्तीय विवरणाचा कालावधी | निव्वळ संपत्ति भांडवल राखीव सोडून (₹ कोटीत) | केव्हापासून ¹ ऋण (निगेटिव) निव्वळ संपत्ती आहे | ऋण (निगेटिव) निव्वळ संपत्तीच्या कालावधीचा आढावा (वर्षामध्ये) | नवीनतम वित्तीय विवरणानुसार उत्पन्न/ महसूल (₹ कोटीत) | नवीनतम वित्तीय विवरणानुसार खर्च (₹ कोटीत) |
| 1 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | (56.52) | 2018-19 च्या आधी | चार पेक्षा जास्त | 7.29 | 9.64 |
| 2 | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | 2022-23 | (6.77) | 2018-19 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.10 | 0.20 |
| 3 | महाराष्ट्र राज्य रास्ते विकास महामंडळ मर्यादित | 2017-18 | (2948.11) | 2016-17 च्या आधी | तीन पेक्षा जास्त | 815.18 | 835.73 |
| 4 | हाफकिन अजंता औषधी मर्यादित | 2021-22 | (26.07) | 2018-19 च्या आधी | चार पेक्षा जास्त | 1.29 | 3.43 |
| 5 | महागुज कॉलरीज मर्यादित | 2021-22 | (13.75) | 2018-19 च्या आधी | चार पेक्षा जास्त | 0.00 | 1.77 |
| 6 | महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | (0.85) | 2017-18 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 16.33 | 16.57 |
| 7 | औरंगाबाद वीज कंपनी मर्यादित | 2022-23 | (6.23) | 2018-19 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.01 | 0.29 |
| 8 | महाजेनको अक्षय ऊर्जा मर्यादित | 2021-22 | (1.58) | 2018-19 च्या आधी | चार पेक्षा जास्त | 0.01 | 0.16 |
| 9 | महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ | 2014-15 | (625.25) | 2012-13 च्या आधी | तीन पेक्षा जास्त | 9.47 | 29.08 |
| 10 | मराठवाडा दुग्धविकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | (2.75) | 2017-18 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 11 | एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित | 2021-22 | (1.48) | 2017-18 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 12 | विदर्भ विकास महामंडळ मर्यादित | 2022-23 | (10.94) | 2018-19 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.09 | 0.09 |
| 13 | महाराष्ट्र भू विकास महामंडळ मर्यादित | 2020-21 | (16.01) | 2016-17 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 14 | गोदावरी गारमेट्स मर्यादित | 2021-22 | (8.00) | 2017-18 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 15 | किनवट रूफिंग टाइल्स मर्यादित | 2021-22 | (1.03) | 2017-18 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 16 | महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ मर्यादित | 2017-18 | (389.88) | 2016-17 च्या आधी | तीन पेक्षा जास्त | 0.06 | 20.72 |
| 17 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | (1006.74) | 2016-17 च्या आधी | सहा पेक्षा जास्त | 6.40 | 43.38 |
| 18 | महाराष्ट्र सिरामिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित | 2021-22 | (6.55) | 2016-17 च्या आधी | सहा पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 19 | द प्रताप स्पिनिंग, विहिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादित | 2021-22 | (40.75) | 2017-18 च्या आधी | पाच पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.02 |
| 20 | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 | (6.01) | 2016-17 च्या आधी | सहा पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 21 | धोपावे कोस्टल पॉवर मर्यादित | 2022-23 | (8.26) | 2017-18 च्या आधी | सहा पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.00 |
| 22 | महाराष्ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित | 2022-23 | (1013.63) | 2017-18 च्या आधी | सहा पेक्षा जास्त | 0.00 | 0.18 |

¹ भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, यांच्या राज्य सार्वजनिक उपक्रम / राज्य वित्त व्यवस्थापन अहवाल यांच्याशी संबंधित 2017-18 पासूनच्या लेखापरीक्षण अहवालांवर आधारित संकलन

| परिशिष्ट - 5.8 (संदर्भ: परिच्छेद 5.16 ; पृष्ठ: 126) | | |
|--|--|-------------------------------------|
| सार्वजनिक उपक्रम ज्यांना व्यवस्थापन पत्रे जारी केली गेली त्यांची यादी दर्शविणारे विवरण | | |
| अ. क्र. | राज्य सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव | नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणांचे वर्ष |
| 1 | द प्रताप स्पॅनिंग, विहिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी मर्यादित | 2021-22 |
| 2 | महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 |
| 3 | महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 4 | महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित | 2021-22 |
| 5 | पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 6 | कोकण विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 7 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित | 2021-22 |
| 8 | महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित | 2021-22 |
| 9 | मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 10 | मराठवाडा विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 11 | किनवट रूफिंग टाइल्स मर्यादित | 2021-22 |
| 12 | गोदावरी गारमेंट्स मर्यादित | 2021-22 |
| 13 | मराठवाडा दुग्धविकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 14 | महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 15 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ | 2019-20 |
| 16 | महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित | 2020-21 |
| 17 | महाराष्ट्र चित्रपट, रंगमंच आणि संस्कृती विकास महामंडळ मर्यादित | 2021-22 |
| 18 | महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 |
| 19 | शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित | 2019-20 |
| 20 | महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ | 2021-22 |
| 21 | महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ मर्यादित | 2020-21 |
| 22 | एलोरा दुग्ध उत्पादने मर्यादित | 2021-22 |
| 23 | मराठवाडा सिरामिक कॉम्प्लेक्स मर्यादित | 2021-22 |
| 24 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ | 2020-21 |
| 25 | वर्सावा बांद्रा सी लिंक मर्यादित | 2020-21 |
| 26 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित सी लिंक मर्यादित | 2020-21 |
| 27 | मुंबई पुणे द्रुतगती मर्यादित | 2020-21 |
| 28 | महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित बोगदे मर्यादित | 2021-22 |
| 29 | नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन द्रुतगती मर्यादित | 2021-22 |
| 30 | वन विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित | 2021-22 |

©
Comptroller and Auditor General of India
www.cag.gov.in

www.agaumaharashtra1@cag.gov.in



सत्यमेव जयते

**State Finances Audit Report
of the
Comptroller and Auditor General of India
for the year ended 31 March 2023**



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



Government of Maharashtra

Report No. 1 of the year 2024

**State Finances Audit Report
of the
Comptroller and Auditor General
of India
for the year ended 31 March 2023**

**Government of Maharashtra
Report No. 1 of the year 2024**

Table of Contents

| Paragraph | Table of Contents | Page |
|--|---|------|
| | Preface | ix |
| | Executive Summary | xi |
| CHAPTER 1: OVERVIEW | | |
| 1.1 | Profile of the State | 1 |
| 1.1.1 | Gross State Domestic Product of the State | 1 |
| 1.2 | Basis and Approach to State Finances Audit Report | 3 |
| 1.3 | Overview of Government Account Structure and Budgetary Processes | 4 |
| 1.3.1 | Snapshot of Finances | 7 |
| 1.3.2 | Snapshot of Assets and Liabilities of the Government | 8 |
| 1.4 | Fiscal Balance: Achievement of deficit and total debt targets | 9 |
| 1.4.1 | Comparison of targets of fiscal parameters projected in Medium Term Fiscal Policy Statement (MTFPS) with actuals for the current year | 10 |
| 1.4.2 | Trends in Deficit/Surplus | 11 |
| 1.4.3 | Performance of the State Government with respect to borrowings according to the limits fixed by Government of India | 13 |
| 1.5 | Deficits after examination of audit | 13 |
| Chapter II: Finances of the State | | |
| 2.1 | Major changes in Key fiscal aggregates during 2022-23 <i>vis-à-vis</i> 2021-22 | 15 |
| 2.2 | Sources and Application of Funds | 16 |
| 2.3 | Resources of the State | 17 |
| 2.3.1 | Receipts of the State | 18 |
| 2.3.2 | State's Revenue Receipts | 18 |
| 2.3.2.1 | Trends and growth of Revenue Receipts | 18 |
| 2.3.2.2 | State's Own Resources | 21 |
| 2.3.2.3 | Non –Tax Revenue | 23 |
| 2.3.2.4 | Transfers from the Union Government | 24 |
| 2.3.3 | Capital receipts | 28 |
| 2.3.4 | State's performance in mobilization of resources | 29 |
| 2.4 | Application of Resources | 29 |
| 2.4.1 | Growth and Composition of Expenditure | 29 |
| 2.4.2 | Revenue Expenditure | 31 |
| 2.4.2.1 | Major changes in Revenue Expenditure | 32 |
| 2.4.2.2 | Committed expenditure | 33 |
| 2.4.2.3 | Undischarged liabilities in National Pension System | 35 |
| 2.4.2.4 | Subsidies | 36 |
| 2.4.2.5 | Financial Assistance by the State Government to Local Bodies and Other Institutions | 37 |
| 2.4.3 | Capital Expenditure | 38 |

| Paragraph | Table of Contents | Page |
|--|---|------|
| | 2.4.3.1 Major changes in Capital Expenditure | 38 |
| | 2.4.3.2 Quality of Capital expenditure | 39 |
| | 2.4.4 Expenditure Priorities | 40 |
| | 2.4.4.1 Object head-wise expenditure | 41 |
| 2.5 | Public Account | 42 |
| | 2.5.1 Net Public Account Balances | 42 |
| | 2.5.2 Reserve Funds | 43 |
| | 2.5.2.1 Consolidated Sinking Fund | 43 |
| | 2.5.2.2 State Disaster Response Fund | 43 |
| | 2.5.2.3 Guarantee Redemption Fund | 45 |
| | 2.5.2.4 State Compensatory Afforestation Fund | 45 |
| | 2.5.2.5 Building and other Construction Workers Welfare Cess | 46 |
| | 2.5.2.6 Accounting of transactions relating to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF) | 46 |
| | 2.5.2.7 Funds outside Consolidated Fund or Public Account of the State | 47 |
| | 2.5.2.7.1 Maharashtra Nivara Nidhi | 47 |
| 2.6 | Public Liability Management | 48 |
| | 2.6.1 Liability Profile: Components | 49 |
| | 2.6.2 Debt Profile: Maturity and Repayment | 53 |
| 2.7 | Debt Sustainability Analysis | 55 |
| | 2.7.1 Utilisation of borrowed funds | 59 |
| | 2.7.2 Status of Guarantees – Contingent Liabilities | 60 |
| | 2.7.3 Management of Cash Balances | 61 |
| 2.8 | Conclusion | 63 |
| 2.9 | Recommendations | 64 |
| Chapter III: Budgetary Management | | |
| 3.1 | Budget Process | 65 |
| | 3.1.1 Summary of total provisions, actual disbursements and savings during the financial year | 66 |
| | 3.1.2 Charged and voted disbursement | 67 |
| | 3.1.3 Budget Marksmanship | 67 |
| | 3.1.3.1 Aggregate Budget Outturn | 67 |
| | 3.1.3.2 Expenditure Composition Outturn | 68 |
| 3.2 | Appropriation Accounts | 68 |
| 3.3 | Comments on integrity of budgetary and accounting process | 69 |
| | 3.3.1 Unnecessary or Excessive Supplementary Grants | 69 |
| | 3.3.2 Advances from Contingency Fund | 70 |
| | 3.3.3 Excessive / Unnecessary Re-appropriation of Funds | 70 |
| | 3.3.4 Unspent amount and surrendered appropriations and/or huge Savings/ Surrenders | 71 |
| | 3.3.4.1 Persistent Savings | 72 |
| | 3.3.4.2 Grants with “Nil” expenditure | 72 |

| Paragraph | Table of Contents | Page |
|--|--|------|
| | 3.3.5 Excess expenditure and its regularizations | 73 |
| | 3.3.5.1 Excess expenditure relating to 2022-23 | 73 |
| | 3.3.5.2 Regularisation of excess expenditure of previous financial years | 74 |
| | 3.3.6 Grant-in-aid for creation of capital assets | 74 |
| 3.4 | Comments on transparency of Budgetary and Accounting process | 75 |
| | 3.4.1 Lump Sum Budgetary provisions | 75 |
| | 3.4.2 Major Policy Pronouncements in Budget and their actual funding for ensuring implementation | 75 |
| 3.5 | Comments on effectiveness of Budgetary and Accounting process | 75 |
| | 3.5.1 Budget projection and gap between expectation and actual | 75 |
| | 3.5.2 Budgetary flow and review of grants | 78 |
| | 3.5.2.1 Rush of Expenditure | 78 |
| | 3.5.3 Review of selected grants | 80 |
| | 3.5.3.1 Grant H-6 Expenditure on Public works and Administrative Functional Building | 80 |
| | 3.5.3.2 Grant Q-3 Housing | 82 |
| 3.6 | Conclusion | 85 |
| 3.7 | Recommendations | 86 |
| CHAPTER IV: QUALITY OF ACCOUNTS AND FINANCIAL REPORTING PRACTICES | | |
| 4.1 | Non-discharge of liability in respect of interest | 87 |
| 4.2 | Funds transferred directly to State implementing agencies | 88 |
| 4.3 | Delay in submission of Utilisation Certificates | 88 |
| | 4.3.1 Recording of Grantee Institution as “Others” | 90 |
| 4.4 | Abstract Contingent bills | 90 |
| 4.5 | Personal Deposit Accounts | 92 |
| 4.6 | Indiscriminate use of Minor head 800 | 93 |
| 4.7 | Outstanding balance under major Suspense and DDR heads | 96 |
| | 4.7.1 Adverse Balances under DDR Heads | 97 |
| 4.8 | Non-reconciliation of Departmental figures | 97 |
| 4.9 | Reconciliation of Cash Balances | 98 |
| 4.10 | Compliance with Accounting Standards | 98 |
| 4.11 | Submission of Accounts/Separate Audit Reports of Autonomous Bodies | 99 |
| 4.12 | Departmental Commercial Undertakings/Corporations/Companies | 101 |
| 4.13 | Non-submission of details of grants/loans given to bodies and authorities | 101 |
| 4.14 | Timeliness and Quality of Accounts | 102 |
| 4.15 | Misappropriations, losses, thefts, etc | 102 |

| Paragraph | Table of Contents | Page |
|---|--|------|
| 4.16 | Follow up action on State Finances Audit Report | 103 |
| 4.17 | Conclusion | 103 |
| 4.18 | Recommendations | 103 |
| CHAPTER V: FINANCIAL PERFORMANCE OF STATE PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS (SPSUs) | | |
| 5.1 | Introduction | 105 |
| 5.2 | Definition of Government Companies | 105 |
| 5.3 | Mandate of Audit | 105 |
| 5.4 | Number of SPSUs and Status of Financial Statements [FSs] | 106 |
| 5.5 | SPSUs and their Contribution to GSDP of the State | 107 |
| 5.5.1 | Summary of Financial Performance of SPSUs | 108 |
| 5.6 | Investments in SPSUs and Budgetary Support | 109 |
| 5.6.1 | Equity holding and Loans in SPSUs | 109 |
| 5.6.2 | Budgetary support to SPSUs | 110 |
| 5.7 | Market Capitalisation of Equity investment in SPSUs | 111 |
| 5.8 | Restructuring, Disinvestment and Privatisation of SPSUs | 111 |
| 5.9 | Analysis of Outstanding loans given to SPSUs | 111 |
| 5.9.1 | Long-term loans outstanding as on 31 March 2023 | 111 |
| 5.9.2 | Adequacy of Assets to meet Loan liabilities | 112 |
| 5.10 | Returns from SPSUs | 112 |
| 5.10.1 | Profit earned by SPSUs | 112 |
| 5.11 | SPSUs incurring Losses | 114 |
| 5.11.1 | Losses incurred | 114 |
| 5.11.2 | Net Profit/Loss Ratio | 116 |
| 5.11.3 | Dividend Pay-out by SPSUs | 116 |
| 5.12 | Debt Servicing | 117 |
| 5.12.1 | Interest Coverage Ratio | 117 |
| 5.13 | Financial Performance of SPSUs | 118 |
| 5.13.1 | Return on Capital Employed | 118 |
| 5.13.2 | Return on Equity of SPSUs | 119 |
| 5.13.3 | Rate of Real Return on Investment | 121 |
| 5.13.4 | Erosion of Net worth of SPSUs | 122 |
| 5.14 | Oversight Role of CAG | 123 |
| 5.14.1 | Appointment of Statutory Auditors of SPSUs by CAG | 123 |
| 5.14.2 | Submission of FSs by SPSUs | 123 |
| 5.14.2.1 | Need for timely submission | 123 |
| 5.14.2.2 | Timeliness in preparation of FSs by SPSUs | 124 |
| 5.14.3 | CAG's Oversight- Audit of FSs and Supplementary Audit | 125 |
| 5.14.3.1 | Financial reporting framework | 125 |
| 5.14.3.2 | Audit of FSs of Government Companies by Statutory Auditors | 125 |
| 5.14.3.3 | Supplementary audit of FSs of Government Companies | 125 |

| Paragraph | Table of Contents | Page |
|-----------|--|------|
| 5.15 | Results of CAG's Oversight role | 125 |
| 5.15.1 | Audit of FSs of SPSUs under Section 143 of the Companies Act, 2013 | 125 |
| 5.15.2 | Amendment of FSs | 126 |
| 5.15.3 | Revision of Auditors Report | 126 |
| 5.16 | Management Letters | 126 |
| 5.17 | Conclusion | 126 |
| 5.18 | Recommendations | 127 |

| | Appendices | Reference to Paragraph | Page |
|-----|---|------------------------|------|
| 1.1 | General Data of Maharashtra | 1.1 | 129 |
| 2.1 | Time series data on State Government Finances | 2.2 | 130 |
| 2.2 | Fiscal priority of the State | 2.3.2.2 2.3.2.3 | 133 |
| 2.3 | Reconciliation of Government Investment with Accounts of companies | 2.4.3.2 | 134 |
| 3.1 | Glossary of important Budget related terms | 3.1 | 135 |
| 3.2 | Grants/Appropriations closed with excess (₹10 crore or more) supplementary provisions during 2022-23 | 3.3.1 | 137 |
| 3.3 | Unnecessary re-appropriation of funds during 2022-23 | 3.3.3 | 139 |
| 3.4 | Grants/Appropriations which closed with savings of more than ₹10 crore each and more than 20 per cent of the total provisions | 3.3.4 | 142 |
| 3.5 | Grants/Appropriations having large savings (above ₹ 100 crore) during the year 2022-23 | 3.3.4 | 145 |
| 3.6 | Grants closed with savings of more than ₹ 100 crore persistently during 2018-19 to 2022-23 | 3.3.4.1 | 148 |
| 3.7 | Excess expenditure remaining un-regularized | 3.3.5.2 | 150 |
| 3.8 | Details of the Schemes for which provision (₹ 100 Crore and above) was made but was either withdrawn or no expenditure was incurred | 3.4.2 | 152 |
| 3.9 | Statement showing quarter wise expenditure for all grants during the year 2022-23 | 3.5.2.1 | 154 |
| 4.1 | Implementing agencies which received major direct transfer from GoI during 2022-23 | 4.2 | 167 |
| 4.2 | Department-wise breakup of outstanding Utilisation Certificates | 4.3 | 169 |
| 4.3 | Details of pending Detailed Contingent Bills up to 2022-23 | 4.4 | 170 |
| 4.4 | Delay in submission of Accounts/Audit Reports by Autonomous Bodies | 4.11 | 171 |

| | Appendices | Reference to Paragraph | Page |
|-----|---|-------------------------------|-------------|
| 4.5 | Status of finalisation of Accounts and Government investments in Departmentally managed Commercial and Quasi-Commercial Undertakings | 4.12 | 174 |
| 4.6 | Department-wise/age-wise breakup of cases of misappropriation, defalcation etc. | 4.15 | 176 |
| 4.7 | Department-wise/category-wise details of losses to Government due to theft, misappropriation/loss of Government material | 4.15 | 177 |
| 5.1 | Statement showing list of SPSUs of Maharashtra under audit jurisdiction of CAG and status of their Annual FSs as on 30 September 2023. | 5.4 & 5.14.2.2 | 178 |
| 5.2 | Summarised financial position and working results of SPSUs as per latest finalised FSs as on 30 September 2023 | 5.5.1 | 184 |
| 5.3 | Details of Return on Capital Employed (ROCE) of SPSUs for the three years ended 30 September 2023 | 5.13.1 | 192 |
| 5.4 | Statement showing Return on Equity (ROE) of Government Companies and Statutory Corporations wherein State Government has direct Equity investment for the three years ended 30 September 2023 | 5.13.2 | 200 |
| 5.5 | Statement showing year-wise details of the investment <i>vis-a-vis</i> present value of investment infused by the State Government for the period 2000-01 to 2022-23 | 5.13.3 | 204 |
| 5.6 | Statement showing list of SPSUs whose net worth has eroded as on 31 March 2023 | 5.13.4 | 206 |
| 5.7 | Details of SPSUs having continuous erosion in net worth for more than three years | 5.13.4 | 209 |
| 5.8 | Statement showing list of SPSUs where Management Letters were issued | 5.16 | 210 |

Preface

The State Finances Audit Report has been prepared for submission to the Governor of Maharashtra under Article 151 of the Constitution.

Chapter I of this Report contains the basis and approach to State Finances Audit Report, structure of the Report, structure of Government Accounts, budgetary processes, trends in key fiscal parameters like revenue surplus/ deficit, fiscal surplus/deficit, etc.

Chapters II & III of the Report contains audit findings on matters arising from examination of the Finance Accounts and Appropriation Accounts of the State Government for the year ended 31 March 2023. Information has been obtained from Government of Maharashtra, wherever necessary.

Chapter IV on ‘Quality of Accounts & Financial Reporting Practices’ provides an overview and status of the State Government’s compliance with various financial rules, procedures and directives during 2022-23.

Chapter V contains the overview on the financial performance of State Public Sector Undertakings (SPSUs) and results of oversight role of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) through monitoring the performance of Statutory Auditors and supplementary audit of accounts of the SPSUs. Audit Reports in relation to the accounts of a Government Company or Corporation are submitted to the Government by the CAG for laying before the Legislature under provisions of Section 19A of the Comptroller and Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (as amended).

The Reports of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) containing the findings of Performance Audit and Compliance Audit in various Government departments, observations arising out of audit of Statutory Corporations, Boards and Government Companies and observations on Revenue Receipts are presented separately.

The Audit has been conducted in conformity with the Auditing Standards issued by the Comptroller and Auditor General of India.

EXECUTIVE SUMMARY

Executive Summary

About the Report

This Report of the CAG of India is on the State Finances for the year 2022-23. It provides an overview of the finances, budgetary management and quality of accounts, financial reporting practices and other matters relevant to State Finances.

This executive summary highlights the contents of this report and through snapshots of the important figures and aspects, provides insight into fiscal sustainability, performance against the budget intent, revenue and expenditure projection, the reasons for variations and its impact.

Gross State Domestic Product (GSDP) (at current prices) grew at an average growth rate of 8.64 *per cent* from ₹ 25,28,854 crore in 2018-19 to ₹ 35,27,084 crore in 2022-23. Budget Outlay of the State grew at an average growth rate of 11.96 *per cent* from ₹ 4,16,791.38 crore in 2018-19 to ₹ 6,52,809.14 crore in 2022-23.

There was 13.48 *per cent* growth in GSDP over 2021-22. The revenue receipts grew at 21.71 *per cent* and the percentage of revenue receipts over GSDP improved from 10.72 *per cent* in 2021-22 to 11.50 *per cent* in 2022-23. The tax revenue increased by 22.61 *per cent* during the period and the State's own tax revenue increased by 25.60 *per cent*. The total expenditure (revenue expenditure, capital expenditure and loans and advances) of the State of Maharashtra increased from ₹ 3,98,792.31 crore in 2021-22 to ₹ 4,73,922.42 crore increasing by 18.84 *per cent*. Of this, revenue expenditure showed 16.57 *per cent* increase from 2021-22. Revenue deficit decreased from ₹ 16,374.32 crore to ₹ 1,936.47 crore registering 88.17 *per cent* decrease over 2021-22, while fiscal deficit increased from ₹ 64,301.86 crore in 2021-22 to ₹ 67,601.87 crore in 2022-23 increasing by 5.13 *per cent*.

Receipt-Expenditure Mismatch

The continuous mismatch between receipts and expenditure indicates rising fiscal stress. The State has different sources of receipts such as State Own Tax Revenue, Non-tax Revenue, Devolution of States' share in taxes, Grants in aid and transfers from the Union Government and non-debt capital receipts. The State Government's expenditure includes expenditure on revenue account as well as capital expenditure (assets creation, loans and advances, investments, etc).

From 2018-19 to 2022-23, revenue receipts grew from ₹ 2,78,996.27 crore to ₹ 4,05,677.93 crore, with an average annual growth rate of 11.31 *per cent*. The share of Grants-in-aid in revenue receipts rose from 12.07 *per cent* in 2018-19 to 12.67 *per cent* in 2022-23. The State Government received ₹ 16,240.57 crore as Central share for the Centrally Sponsored Schemes (CSSs) in the year.

Revenue expenditure is incurred to maintain the current level of services and payment for the past obligation. As such, it does not result in any addition to the State's infrastructure and service network. Between 2018-19 and 2022-23, revenue expenditure increased from ₹ 2,67,021.67 crore (10.56 *per cent* of GSDP) to ₹ 4,07,614.40 crore (11.56 *per cent* of GSDP). It consistently made up a significant portion (86 to 91 *per cent*) of the total expenditure during this period, growing at an average annual rate of 11.11 *per cent*.

Result of expenditure beyond means

The gap between the revenue receipt and revenue expenditure results in revenue deficit/surplus. The revenue deficit of the State decreased to ₹ 1,936.47 crore (0.05 *per cent* of GSDP) in the current year from ₹ 11,974.60 crore (0.48 *per cent* of GSDP) in the year 2018-19.

The State Government spent ₹ 61,643.61 crore only on capital account. This was 13 *per cent* of the total expenditure in the year 2022-23. Capital expenditure was 70 *per cent* of the total borrowings. Thus, indicating that major portion of the borrowed funds were being used for capital creation/development activities.

The gap between the total expenditure and total non-debt receipt of the State results in fiscal deficit. The fiscal deficit of the State increased to ₹ 67,601.87 crore (1.92 *per cent* of GSDP) in 2022-23 from ₹ 23,015.33 crore (0.91 *per cent* of GSDP) in 2018-19.

Under the revenue expenditure, the quantum of committed expenditure constitutes the largest share. Committed expenditure has the first charge on the resources and consists of interest payments, expenditure on salaries and wages and pensions. Committed expenditure on interest payments, salaries and pensions constituted 54.38 *per cent* of revenue expenditure during 2022-2023. The Committed expenditure increased at an average rate of 10.98 *per cent* i.e. from ₹ 1,40,787.57 crore in 2018-19 to ₹ 2,21,674.00 crore in 2022-23 {an increase of 11.92 *per cent* over 2021-22 (₹ 23,612.26 crore)}.

In addition to the committed expenditure, inflexible expenditure decreased from 13.90 *per cent* to 11.35 *per cent* of revenue expenditure during 2018-19 to 2022-23, indicating a decreasing trend. The inflexible expenditure increased from ₹ 40,417.64 crore in 2021-22 to ₹ 46,271.58 crore in 2022-23 registering an increase of 14.48 *per cent*.

Taken together, the committed and inflexible expenditure in 2022-23 was ₹ 2,67,945.58 crore; 65.73 *per cent* of the revenue expenditure. Upward trend on committed and inflexible expenditure leaves the Government with lesser flexibility for other priority sectors and capital creation.

Subsidies constitute major portion of the non-committed expenditure

Within the non-committed expenditure, there is an increasing trend of subsidies, which increased from ₹ 27,397.78 crore in 2018-19 to ₹ 43,158.36 crore in 2022-23 i.e., from 10.26 *per cent* of the total revenue expenditure in 2018-19 to 10.59 *per cent* in 2022-23. Industries, Energy and Labour department constituted a significant portion of subsidies ₹ 18,377.24 crore (42.58 *per cent* of the total subsidy).

Contingent Liabilities on account of Guarantees

In 2022-23, the Government provided guarantees against borrowings of ₹ 14,200 crore. During the year 2022-23, no guarantees were invoked. However, the State Government is yet to discharge invoked guarantees of ₹ 20.26 crore in respect of the Maharashtra State Co-operative Housing Finance Corporation Limited, invoked in 2013-14.

Fiscal sustainability

Fiscal sustainability is examined in terms of macro-fiscal parameters such as deficits, level of debt and liabilities, commitments on account of off-budget borrowings, guarantees, subsidies, etc. So far as revenue and expenditure mismatch is concerned,

one of the important constraints is committed and inflexible expenditure, which includes salaries and wages, pension payments, interests, etc. and also other inflexible expenditure such as those arising out of commitment for centrally sponsored schemes, transfer to reserve funds, transfer to local bodies, etc.

FRBM requirements and compliance with fiscal parameters

The FRBM Act / Rules prescribes limits for revenue deficit, fiscal deficit, debt as a percentage of GSDP. In 2022-23, revenue deficit was (-)0.05 *per cent* as against target of revenue surplus, fiscal deficit was 1.92 *per cent* as against the limit of 3.50 *per cent*; debt was 18.73 *per cent* as against limit of 18.14 *per cent*.

As per the debt stabilisation analysis, the public debt of the Government of Maharashtra has grown on an average at a rate of 9.92 *per cent* annually of the outstanding public debt between 2018-19 to 2022-23. Public debt-GSDP ratio of Maharashtra has increased from 13.25 *per cent* in 2018-19 to 14.72 *per cent* in 2022-23, which cannot be considered as leading towards stability.

During the period from 2018-19 to 2022-23, the State registered primary surplus only during 2018-19. The g-r (Domar gap) was negative during 2018-19 to 2020-21. The economic slowdown on account of the COVID-19 pandemic had resulted in a negative growth of GSDP during 2020-21. Thereafter, during 2021-22 and 2022-23, g-r was positive with primary deficit in both the years indicating that Public debt as percentage of GSDP should converge to a stable level greater than zero.

Further, major portion of the public borrowing were being used for repayment of earlier borrowing leaving less space to use productively.

Going by the analysis and results as discussed above, the finances of the State of Maharashtra, it can be observed that the debt stabilisation indicator is currently static rather than conclusively ascending. The debt stabilization indicator, consisting of quantum spread and primary deficit, declined in the period (2019-21) and has since shown a gradual increase in the post-pandemic year. However, it has not yet reached a stable state for debt stabilization. Moreover, the improvement in Public Debt to GSDP and Overall Liability to GSDP after the pandemic suggests that the debt situation is not deteriorating, but it has not yet reached a threshold wherein it can be concluded that debt stabilization is on an upward trend.

Budget performance

Aggregate expenditure outturn

Budget performance in terms of budgetary intent and budget implementation is examined to assess extent to which the aggregate expenditure outturn reflects the amount originally approved both in terms of excess and saving. In the Revenue section, deviation in outturn compared with original budget provision was 4.74 *per cent*. This was due to deviation ranging between 0 and ± 25 *per cent* in 101 grants, between ± 25 *per cent* to ± 50 *per cent* in 42 grants, between ± 50 *per cent* and 100 *per cent* in 21 grants and equal to or more than 100 *per cent* in 13 grants. In the Capital section, deviation in outturn compared with original budget provision was 10.24 *per cent*. This was due to deviation ranging between 0 and ± 25 *per cent* in 75 grants, between ± 25 *per cent* and ± 50 *per cent* in 17 grants, between ± 50 *per cent* to 100 *per cent* in 12 grants and equal to or more than 100 *per cent* in 14 grants. No original provision was, however, made in respect of two grants in Capital section.

Expenditure composition outturn

Budget performance also looks at the extent to which the re-allocation between the main budget categories during the execution have contributed to variance in expenditure composition. This measure indicates the extent of variation between the final budget and the actual expenditure. In the Revenue section, deviation in outturn compared with RE was 16.68 *per cent*. This was due to deviation between 0 and ± 25 *per cent* in 107 grants, between ± 25 *per cent* to ± 50 *per cent* in 43 grants, between ± 50 *per cent* to 100 *per cent* in 18 grants and equal to or more than 100 *per cent* in 12 grants. In the Capital section, deviation in outturn compared with RE was 23.06 *per cent*. This was due to deviation between 0 and ± 25 *per cent* in 80 grants, between ± 25 *per cent* to ± 50 *per cent* in 17 grants, between ± 50 *per cent* to 100 *per cent* in 14 grants and equal to or more than 100 *per cent* in nine grants.

It was noticed that Supplementary provisions aggregating to ₹ 26,214.03 crore obtained in 38 voted grants (₹ 10 crore or more in each case) during the year proved unnecessary as the actual expenditure of ₹ 1,97,603.19 crore did not reach the levels of the original provision.

Overall Budget reliability assessment indicates that though the deviations between the actual expenditure and original budget as well as between the actual expenditure and the final budget was six percent, there were deviations exceeding 25 per cent in different grants. Moreover, it was also noticed that in several cases, there were supplementary grants where expenditure was not even up to the original grant. A reliable budget practice should need to deal with such deviations.

Quality of Accounts and Financial Reporting

Quality of accounts and financial reporting covers items, transactions and events which relate to gaps in compliance, regularity weaknesses and issues relating to delay in receipt of those accounting records or adjustment records which evidence the actual expenditure. It also highlights issues pertaining to the accounts and financial reporting such as parking of funds outside the Government accounts, non- or short – discharging of liabilities and misclassification of transactions and data gaps.

Regularization of Excess over Grants/ Appropriations

The State Government has to get excesses over grants/appropriations regularised by the State Legislature as per article 204 and 205 (1) (b) of the constitution. It was observed that in 2022-23 there was excess expenditure in six voted grants and two charged appropriations amounting to ₹ 71.66 crore, which required regularization.

Reconciliation

As per the Maharashtra Treasury Rules, all Departments are required to reconcile their expenditure and receipts with the expenditure booked in the accounts in the Accountant General Office. The State Government did not reconcile 14.20 *per cent* of the total expenditure and 2.22 *per cent* of the receipts.

Misclassification in accounts

It was noticed that an amount of ₹ 3,440.70 crore was incorrectly budgeted and booked under Capital Section instead of Revenue Section.

Operation of PD Accounts

Against the requirement of Treasury reconciling Personal Deposit (PD) Accounts with respective administrators, only 46 Administrators of PD Accounts (out of 1482) had reconciled and verified their balances. Also, PD Accounts of 155 operators with balance amounting to ₹ 64.14 crore were lying inoperative for more than one year and 109 operators with ₹ 21.23 crore were lying inoperative for more than three years as on 31 March 2023.

Funds to Single Nodal Agency

The Government of India and the State Government have introduced system of Single Nodal Agency (SNA) for implementation and fund flow for each Centrally Sponsored Scheme (CSS). The share of the Government of India and the State Government is transferred to the Bank Account of the SNA. As per information available on the PFMS portal, ₹ 28,227.39 crore (₹ 14,532.65 crore share of the Government of India and ₹ 13,694.74 crore share of the State Government) was transferred to the SNAs during 2022-23. As per PFMS report, ₹ 16,938.47 crore was lying unspent in the bank accounts of SNAs as on 31 March 2023.

Utilisation Certificates against conditional grants

Despite the requirement of submitting Utilisation Certificates (UCs) against conditional grants within a stipulated time period, 9280 outstanding UCs of ₹ 25,759.38 crore pertaining to 29 Departments of State Department has not submitted as on 31 March 2023.

DC bills against AC bills

Similarly, despite the requirement of submitting Detailed Debit Contingency (DC) Bills against the advance money withdrawn through Abstract Contingency (AC) Bills, 1837 AC bills of ₹ 4,185.96 crore were pending for submission of DC bills as on 31 March 2023, out of which 961 AC Bills amounting to ₹ 2,730.91 crore pertained to the period upto 2020-21.

Compliance with prevailing rules and codal provisions are meant to ensure control and accountability in accounting and financial reporting. Non-compliance and deviations impact the quality of accounting and financial reporting adversely. Non-timely submission of UCs against conditional grants; non-submission of DC bills against AC bills; retention of funds in PD Accounts impacted the quality of accounts adversely.

Working of State Public Sector Undertakings

As on 31 March 2023, there were 110 State Public Sector Undertakings (SPSUs) in Maharashtra, including 10 Statutory Corporations and 87 Government Companies (including 19 inactive Government Companies) and 13 Government Controlled Other Companies under the audit jurisdiction of the Comptroller and Auditor General of India (CAG). Audit noticed that the prescribed timelines regarding submission of Financial Statements were not adhered to by 96 SPSUs whose 261 accounts were in arrears. Out of the total profit of ₹ 1,833.29 crore earned by 47 SPSUs, 90.93 per cent was contributed by 10 SPSUs only. Out of total loss of ₹ 3,623.40 crore incurred by 45 SPSUs, loss of ₹ 3,355.13 crore was incurred by four SPSUs.

The State Government may impress upon the managements of SPSUs to ensure timely submission of their financial statements and strictly monitor the clearance of arrears.

In the absence of finalised accounts, Government investments in such SPSUs remain outside the oversight of the State Legislature. The State Government may also analyse the reasons of losses in loss making SPSUs and initiate steps to make their operations efficient and profitable. The State Government may review the inactive Government Companies and may take appropriate decisions on their revival/winding up. The State Government may impress upon the management of profit making SPSUs to declare dividend as per the Government of Maharashtra Resolution of 2012.

CHAPTER – I
OVERVIEW

Chapter I: Overview

1.1 Profile of the State

Maharashtra is situated in the western part of India, bordered by the Arabian Sea to the west. It is surrounded by the states of Gujarat to the northwest, Madhya Pradesh to the north, Chhattisgarh to the east, Telangana to the southeast, Karnataka to the south, and Goa to the southwest. It has a coastline of 720 kilometre. It is the third-largest state in terms of geographical area (3.08 lakh square kilometres) and the second-most populous state in the country.

The State's population increased from 11.49 crore in 2013 to 12.64 crore in 2023, recording a decadal growth of 9.98 *per cent*. The percentage of population below poverty line was 17.35 *per cent* in 2011-12 as compared to the All India Average of 21.92 *per cent*. The State has 36 districts and 358 talukas. The State's literacy rate was 82.30 *per cent* which was nine *per cent* above the All India Average of 73 *per cent*. (as per 2011 census). The profile of the State is shown in **Appendix 1.1**.

1.1.1 Gross State Domestic Product of the State

Gross State Domestic Product (GSDP) is the value of all officially recognized goods and services produced within the boundaries of the State in a given period of time. Growth in GSDP is an important indicator of the State's economy, as it denotes the extent of changes in the level of economic development of the State over the period of time.

The trends in the annual growth of Gross Domestic Product (GDP) and GSDP are indicated at current prices in **Table 1.1**.


Table 1.1: Trends in GSDP compared to the GDP (at current prices)

| Year | 2018-19 | 2019-20 ⁺⁺ | 2020-21 ⁺⁺ | 2021-22 ⁺ | 2022-23 [§] (AE) |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| INDIA | | | | | |
| GDP (2011-12 Series) | 18899668 | 20103593 | 19829927 | 23471012 | 27240712 |
| GVA (at current Price) | 17175128 | 18381117 | 18188780 | 21438883 | 24742871 |
| Growth rate of GDP over previous year (in <i>per cent</i>) | 10.59 | 6.37 | -1.36 | 18.36 | 16.06 |
| Growth rate of GVA over previous year (in <i>per cent</i>) | 10.77 | 7.02 | -1.05 | 17.87 | 15.41 |
| Per capita GDP (in ₹) | 142424 | 149915 | 146301 | 171498 | 196983 |
| MAHARASHTRA | | | | | |
| GSDP (2011-12 Series) | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| GSVA (at current Price) | 2216768 | 2351135 | 2325838 | 2769435 | 2958694 |
| Growth rate of GSDP over previous year (<i>per cent</i>) | 7.48 | 5.08 | -1.12 | 18.29 | 13.48 |
| Growth rate of GSVA over previous year (in <i>per cent</i>) | 7.38 | 6.06 | -1.08 | 19.07 | 6.83 |
| Per capita GSDP (in ₹) | 207833 | 216365 | 211965 | 248632 | 279974 |
| Source: MOSPI, GoI (https://mospi.gov.in/web/mospi/download-tables-data/-/reports/view) | | | | | |
| § Advance Estimate + First revised estimate ++Second revised estimate +++Third revised estimate | | | | | |

The GSDP of Maharashtra grew from ₹ 25,28,854 crore in 2018-19 at current prices to ₹ 35,27,084 crore in 2022-23 at current prices (AE) at a compounded annual growth rate of 8.67 per cent. The growth rate of GSDP during 2018-19 to 2022-23 was lower than the growth rate of GDP during this period except during 2020-21.


Gross Value Added (GVA) is being used for economic analysis by Government of India (GoI) and international organisations like International Monetary Fund (IMF) and World Bank as GVA is considered a better indicator of economic growth compared to GDP and as it ignores the impact of taxes and subsidies. GDP can be and is computed as the sum of the various type of expenditure incurred in the economy including private consumption spending, government consumption spending and gross fixed capital formation or investment spending, reflecting essentially on the demand conditions in the economy. Both measures differ in treatment of subsidies and net taxes. GVA does not include taxes whereas GDP does. As a result of these differences inclusion of taxes, GDP may differ from the real output situation. From a policymaker’s perspective it is therefore vital to have a comparison of the GVA and GSVa data for better analysis and for making policy interventions.

The trends in growth of GSDP and GSVa for the period from 2018-19 to 2022-23 is indicated in **Chart 1.1**



(Source: Economic Survey of Maharashtra 2022-23)

Changes in sectoral contribution to the GSDP are an indication of the changing structure of the economy. Sectoral growth of GSDP over the past five years is detailed in **Chart 1.2**.



(Source: Economic Survey of Maharashtra 2022-23)

(2019-20: Third RE; 2020-21: Second RE; 2021-22: First RE; 2022-23: Advance Estimates)

Chart 1.2 shows that, during 2021-22, there was significant growth in all the three sectors contributing to GSVA, which was attributed to recovery of economic activity post COVID-19 pandemic.

1.2 Basis and Approach to State Finances Audit Report

In terms of Article 151 (2) of the Constitution of India, the Reports of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) relating to the accounts of a State are to be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State. The State Finances Audit Report (SFAR) is prepared and submitted under Article 151 (2) of the Constitution of India.

Accountant General (Accounts & Entitlement)-I, Maharashtra, Mumbai prepares the Finance Accounts and Appropriation Accounts of the State annually, from the initial and subsidiary accounts rendered by the treasuries, offices, and departments responsible for maintaining initial accounts and the statements received from the Reserve Bank of India. These accounts are audited independently by the Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra and certified by the CAG.

Finance Accounts and Appropriation Accounts of the State constitute the core data for this report. The analysis is also carried out considering other sources, which include the following:

- Budget of the State- for assessing the fiscal parameters and allocative priorities *vis-à-vis* projections, as well as for evaluating the effectiveness of its implementation and compliance with the relevant rules and prescribed procedures.
- Results of audit carried out by the Offices of the Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai and Accountant General (Audit) II, Maharashtra, Nagpur.
- Other financial data obtained from departmental authorities and Treasuries.

- GSDP data and other State related Statistics,
- Report on the recommendations of the XV Finance Commission (FC).
- Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act, 2005.
- Guidelines from the Government of India (GoI).

Replies of the Government, where received have been incorporated in this report at appropriate place.

1.3 Overview of Government Account Structure and Budgetary Processes

The accounts of the State Government are kept in three parts:

1. Consolidated Fund of the State (Article 266(1) of the Constitution of India)

This Fund comprises all revenues received by the State Government, all loans raised by the State Government (market loans, bonds, loans from the Union Government, loans from Financial Institutions, Special Securities issued to National Small Savings Fund, etc.), Ways and Means advances extended by the Reserve Bank of India and all moneys received by the State Government in repayment of loans. No moneys can be appropriated from this Fund except in accordance with law and for the purposes and in the manner provided by the Constitution of India. Certain categories of expenditure (*e.g.*, salaries of Constitutional authorities, loan repayments *etc.*), constitute a charge on the Consolidated Fund of the State (Charged expenditure) and are not subject to vote by the Legislature. All other expenditure (Voted expenditure) is voted by the Legislature.

2. Contingency Fund of the State (Article 267(2) of the Constitution of India)

This Fund is in the nature of an imprest, which is established by the State Legislature by law and is placed at the disposal of the Governor to enable advances to be made for meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the State Legislature. The fund is recouped by debiting the expenditure to the concerned functional major head relating to the Consolidated Fund of the State.

3. Public Accounts of the State (Article 266(2) of the Constitution of India)

Apart from the above, all other public moneys received by or on behalf of the Government, where the Government acts as a banker or trustee, are credited to the Public Account. The Public Account includes repayable like Small Savings and Provident Funds, Deposits (bearing interest and not bearing interest), Advances, Reserve Funds (bearing interest and not bearing interest), Remittances and Suspense heads (both of which are transitory heads, pending final booking). The net cash balance available with the Government is also included under the Public Account. The Public Account is not subject to the vote of the Legislature.

Budget Documents

There is a constitutional requirement in India (Article 202) to present before the House or Houses of the Legislature of the State, a statement of estimated receipts and expenditures of the State Government in respect of every financial year. This 'Annual Financial Statement' constitutes the main budget document. Further, the budget must distinguish expenditure on the revenue account from other expenditures. It includes:

- **Revenue receipts** consist of Tax Revenue, Non-tax Revenue, share of Union Taxes/Duties and grants from GoI.


- **Revenue expenditure** consists of all those expenditures of the State Government, which do not result in the creation of physical or financial assets. It relates to those expenses incurred for the normal functioning of the State Government departments and various services, interest payments on debt incurred by the State Government, and grants given to various institutions (even though some of the grants may be meant for creation of assets).
- **Capital receipts** consist of:
 - **Debt receipts:** Market Loans, Bonds, Loans from financial institutions, Net transaction under Ways and Means Advances, Loans and Advances from the Union Government, etc.
 - **Non-debt receipts:** Proceeds from disinvestment, Recoveries of loans and advances.
- **Capital Expenditure** includes expenditure on the acquisition of land, building, machinery, equipment, investment in shares and loans and advances by the State Government to PSUs and other parties.

At present, we have an accounting classification system in the State Government that is both functional and economic.

| | Attribute of transaction | Classification |
|---|--|---|
| Standardized in List of Major and Minor Heads by Controller General of Accounts | Function- Education, Health, <i>etc.</i> / Department | Major Head under Grants (4-digit) |
| | Sub-Function | Sub Major head (2-digit) |
| | Programme | Minor Head (3-digit) |
| Flexibility left for States. | Scheme | Sub-Head (2-digit) |
| | Sub-scheme | Detailed Head (2-digit) |
| | Economic nature/Activity | Object Head (2-digit) <i>salary, minor works, etc.</i> |

The functional classification lets us know the department, function, scheme or programme, and object of the expenditure. Economic classification helps organize these payments as revenue, capital, debt, *etc.* Economic classification is achieved by the numbering logic embedded in the first digit of four-digit Major Heads. For instance, 0 and 1 is for revenue receipts, 2 and 3 for revenue expenditure, *etc.* Economic classification is also achieved by an inherent definition and distribution of some object heads. For instance, while “salary” object head is revenue expenditure, “construction” object head is capital expenditure. Object head is the primary unit of appropriation in the budget documents.

The pictorial description of the structure of Government Accounts is given below: -



Public Debts and Public liabilities

In this Report 'public debt' comprises market borrowing, institutional loans, special securities issued to National Small Savings Fund (NSSF), loan given by Central Government etc. For this purpose, the major heads 6003 and 6004-Public Debt have been taken into consideration.

Further the transactions related to 'Small Savings Provident Fund etc.', 'Reserve funds' and 'Deposit and advances' under Public Account are such that the Government incurs a liability to repay the money received or has a claim to recover the amounts paid. The transactions relating to 'Remittances' and 'Suspense' under Account, includes merely adjusting heads such as transactions as remittances of cash between treasuries and currency chests and transfer between different accounting circles.

In this report, 'Public Liability' has been taken to include the transactions under major heads 8001 to 8554 relating to 'Small Saving, Provident Fund', etc., 'Reserve Fund' and 'Deposit and advances' along with the transactions under major heads 6003 and 6004.

Budgetary Processes

In terms of Article 202 of the Constitution of India, the Governor of State causes to be laid before the State Legislature, a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for the year 2022-23, in the form of an Annual Financial Statement (referred to as Budget). In terms of Article 203, the statement is submitted to the State Legislature in the form of Demands for Grants/ Appropriations and after approval of these, the Appropriation Bill is passed by the Legislature under Article 204 to provide for appropriation of the required money out of the Consolidated Fund.

The Finance Accounts and the Appropriation Accounts encompass the core data for preparation of the SFAR. These Accounts are based on actual receipts and expenditure of

the State during the year 2022-23 including various inter-governmental and other adjustments carried out by the RBI. Considering that these receipts and expenditure are estimated in the budget and the expenditure has been approved by the State Legislature, it is important to study the budget of the State for 2022-23 closely and analyse the actual receipts and expenditure during the year with reference to the projections made in the budget.

The Maharashtra Budget Manual details the budget formulation process and guides the State Government in preparing its budgetary estimates and monitoring its expenditure activities. Results of audit scrutiny of budget and implementation of other budgetary initiatives of the State Government are detailed in **Chapter III** of this Report.

1.3.1 Snapshot of Finances

The following table provides a snapshot of actual financial results for the year 2021-22 and 2022-23 *vis-à-vis* Budget Estimates (BE) for the year 2022-23.

Table 1.2: Actual *vis-à-vis* Budget Estimates

| Sl. No. | Components | 2021-22 Actual | 2022-23 | | Percentage of Actual to BE | Percentage of Actual to GSDP |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | | BE | Actual | | |
| 1 | Tax revenue | 275245.19 | 308113.46 | 337487.28 | 109.53 | 9.57 |
| | <i>Own Tax revenue</i> | 220927.13 | 256525.71 | 277486.31 | 108.17 | 7.87 |
| | <i>Share of Union Taxes/ Duties</i> | 54318.06 | 51587.75 | 60000.97 | 116.31 | 1.70 |
| 2 | Non-tax revenue | 19306.70 | 27128.13 | 16776.41 | 61.84 | 0.48 |
| 3 | Grants-in-aid and Contributions | 38759.68 | 68185.64 | 51414.24 | 75.40 | 1.46 |
| 4 | Revenue Receipts (1+2+3) | 333311.57 | 403427.23 | 405677.93 | 100.56 | 11.50 |
| 5 | Recoveries of Loans and Advances | 1178.88 | 2378.99 | 642.62 | 27.01 | 0.02 |
| 6 | Other Receipts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Borrowings and other Liabilities ^(a) | 64301.86 | 89598.34 | 67601.87 | 75.45 | 1.92 |
| 8 | Capital Receipts (5+6+7) | 65480.74 | 91977.33 | 68244.49 | 74.20 | 1.93 |
| 9 | Total Receipts (4+8) | 398792.31 | 495404.56 | 473921.55 | 95.66 | 13.44 |
| 10 | Revenue Expenditure of which | 349685.89 | 427780.12 | 407614.40 | 95.29 | 11.56 |
| 11 | Interest payments | 40158.04 | 46763.23 | 41689.16 | 89.15 | 1.18 |
| 12 | Capital Expenditure of which | 49106.42 | 67624.43 | 66308.02 | 98.05 | 1.88 |
| 13 | Capital outlay | 46670.39 | 65210.39 | 61643.61 | 94.53 | 1.75 |
| 14 | Loans and advances | 2436.03 | 2414.04 | 4664.41 | 193.22 | 0.13 |
| 15 | Total Expenditure (10+12) | 398792.31 | 495404.55 | 473922.42 | 95.66 | 13.44 |
| 16 | Revenue Deficit (4-10) | (-)16374.32 | (-)24352.89 | (-)1936.47 | 7.95 | (-)0.05 |
| 17 | Fiscal Deficit {(4+5+6)-15} | (-)64301.86 | (-)89598.33 | (-)67601.87 | 75.45 | (-)1.92 |
| 18 | Primary Deficit (17-11) | (-)24143.82 | (-)42835.10 | (-)25912.71 | 60.49 | (-)0.73 |

Source: Finance Accounts of respective years
(a) Borrowings and other Liabilities: Net (Receipts-Disbursements) of Public Debt + Net of Contingency Fund + Net (Receipts - Disbursements) of Public Account + Net of Opening and Closing Cash Balance.

During 2022-23, the actual tax revenue of the State exceeded the budget estimate by ₹ 29,373.82 crore (9.53 per cent). During 2022-23, revenue expenditure (₹ 4,07,614.40

crore) exceeded revenue receipts (₹ 4,05,677.93 crore), resulting in a revenue deficit of ₹ 1,936.47 crore.

Due to inadequate balance in GST compensation fund during the year 2020-21 and 2021-22, the Union Government borrowed funds and passed it to the States as back-to-back loans, with no repayment liability for the States. Maharashtra received back-to-back loan of ₹ 13,782.36 crore during 2021-22 and ₹ 11,977 crore during 2020-21.

1.3.2 Snapshot of Assets and Liabilities of the Government

Government accounts capture the financial liabilities of the Government and the assets created out of the expenditure incurred. The liabilities consist mainly of internal borrowings, loans and advances from GoI, receipts from public accounts and reserve funds, and the assets comprise mainly the capital outlay and loans and advances given by the State Government and cash balances. **Table 1.3** gives an abstract of such liabilities and the assets as on 31 March 2023, compared to the corresponding position on 31 March 2022.

Table 1.3: Summarised position of Assets and Liabilities

(₹ in crore)

| Liabilities | | | | Assets | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | 2021-22 | 2022-23 | Per cent increase | | 2021-22 | 2022-23 | Per cent increase | | |
| Consolidated Fund | | | | | | | | | |
| A | Internal Debt | 445079.61 | 485782.24 | 9.15 | a | Gross Capital Outlay | 435889.20 | 497532.81 | 14.14 |
| B | Loans and Advances from GoI | 37955.69 | 47160.11 | 24.25 | b | Loans and Advances | 28087.20 | 32108.99 | 14.32 |
| Contingency Fund | | 150.00 | 150.00 | 0 | | | | | |
| Public Account | | | | | | | | | |
| A | Small Savings, Provident Funds, etc. | 29156.93 | 29733.37 | 1.98 | a | Advances | 13.11 | 14.51 | 10.68 |
| B | Deposits | 81802.99 | 85526.83 | 4.55 | b | Remittances | 0 | 0 | 0 |
| C | Reserve Funds | 67435.73 | 73395.17 | 8.84 | c | Suspense and Miscellaneous | 0 | 0 | 0 |
| D | Remittances | 1110.65 | 1639.14 | 47.58 | | Cash balance | 22556.61 | 20646.73 | (-8.47) |
| | | | | | | Investment in Earmarked Fund | 55135.68 | 60843.98 | 22.13 |
| E | Suspense and Miscellaneous | 19952.23 | 30659.80 | 53.67 | | Cash Total | 77692.29 | 81490.71 | 4.89 |
| | | | | | | Deficit in Revenue Account | 141495.75 ^s | 143433.36 | 1.37 |
| | | | | | | Misc. Capital Receipt | (-)533.72 | (-)533.72 | 0 |
| Grand Total | | 682643.83 | 754046.66 | 10.46 | Grand Total | | 682643.83 | 754046.66 | 10.46 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | | | | | |
| ^s Includes amount closed to Government Accounts (₹ 1.59 crore) | | | | | | | | | |

It can be seen from the above table that during 2022-23, assets increased by 12.84 per cent, while liabilities increased by 10.46 per cent over the previous year. The cash balance of the State at the end of the year was ₹ 20,646.73 crore in 2022-23. The decrease in the cash balance was 8.47 per cent over the previous year.

1.4 Fiscal Balance: Achievement of deficit and total debt targets

When a Government spends more than it collects by way of revenue, it incurs a deficit. There are various measures that capture government deficit *i.e.*, revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. The nature of deficit is an indicator of the prudence of the fiscal management of the Government. Further, the ways in which the deficits are financed, and the application of the resources raised are important pointers to the fiscal health of the state. This section presents trends, nature, magnitude, and the manner of financing these deficits and also the assessment of actual levels of revenue and fiscal deficits *vis-à-vis* targets set under Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management (MFRBM) Act, 2005.

The State Government has enacted the MFRBM Act, 2005, and has amended it from time to time, with the objective of achieving inter-generational equity in fiscal management and long-term macro-economic stability. The Act envisages progressive elimination of revenue deficit, reduction in fiscal deficit and prudent debt management consistent with fiscal sustainability.

The MFRBM Rules were framed in February 2006 and subsequently amended from time to time. According to the MFRBM Act, 2005, the total liability of the State means the liabilities under the Consolidated Fund of the State and the Public Account of the State. Thus, in broader definition of ‘total outstanding debt/liabilities’, includes the liabilities upon the Consolidated Fund, liabilities upon Public Account and the borrowings by State Public Sector Companies and by Special Purpose Vehicles (SPVs) and other equivalent instruments, where the principal and/or interest are to be serviced out of the State budgets.

The major fiscal targets for the State were to contain the fiscal deficit as a ratio of GSDP below three *per cent* and maintaining revenue surplus after 2011-12 onwards. However, vide further amendments in subsequent years, the clause regarding ‘revenue surplus after 2011-12’ was relaxed during 2013-14 to 2021-22.

The COVID 19 pandemic has adversely affected the resources of the state. In view of this to raise additional resources, the Union Government has allowed an additional borrowing limit of 0.5 *per cent* of GSDP to the State for the year 2022-23. Therefore, the Government of Maharashtra has enhanced its fiscal deficit limit to 3.5 *per cent* of GSDP from 3.0 *per cent* under the amendment of MFRBM Rules.

A trend analysis of key fiscal parameters prescribed in MFRBM Act 2005 *vis-à-vis* achievements during the last five-year period (2018-19 to 2022-23) is given in **Table 1.4(a)**.

Table 1.4(a): Trend analysis of key fiscal targets prescribed in the Act during 2018-19 to 2022-23

| Fiscal Parameters | Fiscal targets set in the Act | Achievement (₹ in crore) | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Revenue Deficit (-) / Surplus (+) (₹ in crore) | Revenue Surplus after 2021-22 ¹ | 11974.60 | (-17115.63) | (-41141.85) | (-16374.32) | (-1936.47) |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Fiscal Deficit (-) (As percentage of GSDP) | 3.5 <i>per cent</i> | (-23015.33 (-0.91) | (-53886.19 (-2.03) | (-71558.05 (-2.72) | (-64301.86 (-2.07) | (-67601.87 (-1.92) |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ As per Finance Department, GoM notification dated 21 January 2022

| Fiscal Parameters | Fiscal targets set in the Act | Achievement (₹ in crore) | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Ratio of total outstanding liabilities to GSDP (in per cent) | Target | 16.52 | 15.83 | 16.15 | 20.64 | 18.14 |
| | Achievement | 17.27 | 18.06 | 20.41* | 19.06* | 18.73 |
| | | X | X | X | ✓ | X |

Source: Finance Accounts and Budget documents of respective years

* During the year 2020-21 and 2021-22 the GoM received back-to-back loan of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation. As per Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, the borrowings under the Special Window (₹ 11,977 crore for 2020-21 and ₹13,782.36 crore for 2021-22) was not treated as debt of the State for any norms prescribed by the Finance Commission etc.

As seen from **Table 1.4 (a)**, during the five-year period 2018-19 to 2022-23, the State could achieve Revenue Surplus only during 2018-19. The revenue deficit of ₹ 16,374.32 crore in 2021-22 decreased to ₹ 1,936.47 crore in 2022-23. The State was successful in containing the Fiscal Deficit below two per cent during 2022-23 against the target of 3.5 per cent.

The targets set by XV FC and those projected in the State budget *vis-à-vis* achievements in respect of major fiscal aggregates with reference to GSDP during 2022-23 are given in **Table 1.4(b)**

Table 1.4(b): Targets *vis-à-vis* achievements in respect of major fiscal aggregates for the year 2022-23

| Fiscal Variables | Targets as prescribed by XV FC | Targets in the Budget | Actual | Percentage variations of actuals over | |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | Targets of XVFC | Targets in Budget |
| Revenue Deficit(-)/Surplus (+) GSDP (per cent) | 0.97 | (-)1.42 | (-)0.05 | (-) 1.02 | 0.73 |
| Fiscal Deficit/GSDP (per cent) | (-)3.5 | (-)2.50 | (-)1.92 | 1.58 | 0.58 |
| Total outstanding liability/GSDP (per cent) | 27.5 | 18.14 | 18.73 | (-)9.16 | 0.20 |

Source: Recommendation of XVFC, Annual Financial Statement of GoM, Finance Accounts

During the year 2022-23, the Fiscal deficit and total outstanding liability as percentage of GSDP was well within the targets fixed by XVFC. However, the State Government could not achieve the revenue surplus of as targeted by the XVFC. The revenue deficit as percentage of GSDP was 0.05 per cent.

1.4.1 Comparison of targets of fiscal parameters projected in Medium Term Fiscal Policy Statement (MTFPS) with actuals for the current year

As prescribed in the MFRBM Rules, 2006 (as amended in 2008), the State Government has to lay before the State Legislature the MTFPS setting forth the target for the prescribed fiscal indicators. **Table 1.5** indicates the variation between the projections made for 2022-23 in MTFPS presented to the State Legislature along with the Annual Budget for 2022-23 and actuals of the year.

Table 1.5: Actuals vis-à-vis projection in MTFPS for 2022-23

| Sl. No | Fiscal Variables | Projection as per MTFPS | Actuals | Variation (in per cent) |
|--------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | ₹ in crore) | | |
| 1 | Own Tax Revenue | 256525.71 | 277486.31 | 8.17 |
| 2 | Non-Tax Revenue | 27128.13 | 16776.41 | (-)38.16 |
| 3 | Share of Union Taxes | 51587.75 | 60000.97 | 16.31 |
| 4 | Grants-in-aid from GoI | 68185.64 | 51414.24 | (-)24.60 |
| 5 | Revenue Receipts (1+2+3+4) | 403427.23 | 405677.93 | 0.56 |
| 6 | Revenue Expenditure | 427780.12 | 407614.40 | (-)4.71 |
| 7 | Revenue Deficit (-)/ Surplus (+) (5-6) | (-)24352.89 | (-)1936.47 | (-)92.05 |
| 8 | Fiscal Deficit (-)/ Surplus (+) | (-)89598.34 | (-)67601.87 | (-)24.55 |
| 9 | Primary Deficit | (-)42835.11 | (-)25912.71 | (-)39.50 |
| 10 | Total outstanding liabilities /GSDP (per cent) | 18.14 | 18.73 | 3.25 |
| 11 | GSDP growth rate at current prices (per cent) | 12.00 | 13.48 | 12.33 |


Source: Finance Accounts and Budget documents 2022-23

As can be seen from **Table 1.5**, all the three key fiscal parameters i.e., Revenue deficit, Fiscal Deficit and Primary deficit were significantly lower than the projections made in MTFPS by 92.05 per cent, 24.55 per cent and 39.50 per cent respectively during 2022-23, due to decrease in revenue expenditure and increase in revenue receipt than the projections in the MTFPS.


During 2022-23, the total outstanding liabilities to GSDP ratio (18.73 per cent) was slightly higher than the projections made in the MTFPS (18.14 per cent) but lower than the limit recommended by the XV-Finance Commission (27.5 per cent).

1.4.2 Trends in Deficit/Surplus

The trends in surplus/deficits over the five-year period (2017-18 to 2022-23) are depicted in **Chart 1.3**, trends in surplus/deficit relative to GSDP are given in **Chart 1.4** and trends of fiscal liabilities and GSDP are given in **Chart 1.5**.



(Source: Finance Accounts of respective years)




(Source: Economic Survey of Maharashtra 2022-23 and Finance Accounts of respective years)

Revenue deficit indicates that the Revenue Receipts were insufficient to meet the Revenue Expenditure. As compared to the previous years (2018-19 to 2021-22), the revenue deficit has decreased significantly to ₹ 1,936.47 crore in 2022-23. The revenue deficit as ratio of GSDP during 2022-23 was 0.05 per cent.

Fiscal Deficit represents the gap between the non-debt receipts and total expenditure. This gap can be met either by additional Public Debt or using surplus funds from Public Accounts. Fiscal Deficit normally represents the net incremental liabilities of the Government or its additional borrowing requirements. The Fiscal Deficit increased substantially from ₹ 64,302 crore in 2021-22 to ₹ 67,602 crore in 2022-23. However, the Fiscal deficit as ratio of GSDP decreased from 2.07 per cent in 2021-22 to 1.92 per cent in 2022-23.

Primary Deficit, indicates the excess of primary expenditure (total expenditure minus net of interest payment) over non-debt receipts was ₹ 25,913 crore in 2022-23 as compared to ₹ 24,144 crore in 2021-22.



(Source: Finance Accounts of respective years)

Due to rising internal debt, total outstanding liability has consistently risen during 2018-19 to 2022-23. During the year 2020-21 and 2021-22 the GoM received back-to-back loan of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation. As per Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, the borrowings under the Special Window (₹ 11,977 crore for 2020-21 and ₹ 13,782.36 crore for 2021-22) was not treated as debt of the State for any norms prescribed by the Finance Commission etc. During 2022-23, outstanding fiscal liabilities of the state increased by ₹ 54,459 crore (8.98 per cent) over the previous year. Internal debt constituted 73.52 per cent, Loans from GoI 7.14 per cent and Public Account liabilities 19.34 per cent of the total fiscal liabilities during 2022-23. The outstanding debt to GSDP ratio of 18.73 per cent during 2022-23 was slightly higher than the limits prescribed by the FRBM Act (18.14 per cent).

1.4.3 Performance of the State Government with respect to borrowings according to the limits fixed by Government of India

Article 293 (3) of the Constitution of India, *inter alia*, provides that a State may not raise any loan without the consent of Government of India (GoI), if any part of a loan, which has been made to the State by GoI, is still outstanding.

The GoI, Ministry of Finance, Department of Expenditure fixed (March 2021) the net borrowing ceiling of the State Government for the financial year 2022-23 as ₹ 1,23,448 crore² and instructed the State Government to ensure that its incremental borrowings from all sources remained within this ceiling. While fixing the Net Borrowing ceiling of the states for the year 2022-23 it was decided (March 2022) by the GoI that State Public Sector Companies/corporations, and other equivalent instruments where principal and interest were serviced out of the state Budgets or by assignment of taxes/cess or any state revenue shall be considered as borrowing made by the state itself for the purpose of issuing the consent under the Article 293 (3) of the Constitution of India.

As per Statement 6 of the Finance Accounts viz. statement of borrowings and other liabilities, incremental borrowings and other liabilities of the State Government were ₹ 54,458.47 crore during the financial year 2022-23 which remained within the borrowing ceiling of ₹ 1,23,448 crore.

1.5 Deficits after examination in Audit

Misclassification of revenue expenditure as capital impacts deficit figures. Besides, deferment of clear-cut liabilities, non-deposition of cess/royalty to Consolidated Fund, short contribution to New Pension Scheme, sinking and redemption funds etc. also impact the revenue and fiscal deficit figures. To arrive at actual deficit figures, the impact of such irregularities needs to be reversed.

Table 1.6 assesses actual surplus/deficit after taking into account short/non-contribution to funds and incorrect classifications/booking by the State Government during 2022-23.

2 3.5 per cent of GSDP (₹ 35,27,084 crore) of the year 2022-23 based on the GSDP data published by NSO and methodology prescribed by 15th Finance Commission

Table 1.6: Impact of certain transactions on Revenue deficit and Fiscal deficit during 2022-23

| Particulars | Impact on Revenue deficit (understatement (+)/overstatement (-) (₹ in crore) | Impact on Fiscal deficit (understatement) (+) (₹ in crore) | Para reference |
|---|--|--|---------------------------|
| Misclassification between revenue and Capital Expenditure | (+)3440.70 | - | Chapter 3 Para 3.3.6 |
| Non-adjustment of interest against Reserve Fund and Deposits bearing interest | (+)232.61 | (+)232.61 | Chapter 4 Para 4.1 |
| Consolidated Sinking Fund | (+)1531.48 | (+)1531.48 | Chapter 2 Para 2.5.2.1 |
| Guarantee Redemption Fund | (+)42.85 | (+)42.85 | Chapter 2 Para 2.5.2.3 |
| Non-Transfer of Cess/fee/surcharge | (+) 1156.76 | (+) 1156.76 | Chapter 2 Para 2.5.2.5 |
| Total | 6404.40 | 2963.70 | |
| Source: Finance Account 2022-23 | | | |

- Indian Government Accounting Standard (IGAS)-2 prescribes that grant-in-aid should be booked under revenue expenditure. However, the State Government incorrectly budgeted and booked expenditure of ₹ 3,440.70 crore of grant-in-aid under Capital Section instead of Revenue Section.
- The State Government was required to pay interest on the uninvested balances lying under Reserve Funds and Deposits bearing interest. The interest liability on certain Reserve Funds and Deposits and Advances bearing interest worked out to ₹ 232.61 crore was not provided.
- As per the guidelines of the Consolidated Sinking Fund, States may contribute a minimum of 0.5 *per cent* of their outstanding liabilities (public debt + public account) as at the end of the previous year to the Consolidated Sinking Fund. The outstanding liabilities as on 31 March 2022 was ₹ 6,06,295.26 crore. However, during the year 2022-23, the State Government contributed only ₹ 1,500 crore as against ₹ 3,031.48 crore required to be contributed to the Sinking Fund.
- Cess (other than Labour Cess) amounting to ₹ 1,156.76 crore collected under Consolidated Fund of the State was not transferred to the respective fund account in Reserve Fund.

During 2022-23, the revenue deficit and fiscal deficit was ₹ 1,936.47 crore (0.05 *per cent* of GSDP) and ₹ 67,601.87 crore (1.92 *per cent* of GSDP) respectively, as shown in **Chart 1.3** and **Chart 1.4** of **Paragraph 1.4.2**. If the transactions shown in **Table 1.6** were taken into account, the actual Revenue deficit and Fiscal deficit would work out to ₹ 8,340.87 crore (0.24 *per cent* of GSDP) and ₹ 70,565.57 crore (2.00 *per cent* of GSDP) respectively.

CHAPTER – II
FINANCES OF THE STATE

Chapter II

Finances of the State

Introduction

This chapter provides a broad perspective of the finances of the State, analyses the critical changes in major fiscal aggregates relative to 2021-22, overall trends during the five-year period from 2018-19 to 2022-23, debt sustainability of the State and key Public Account transactions, based on the Finance Accounts of the State and the information provided by the State Government.

2.1 Major changes in key Fiscal aggregates during 2022-23 vis-à-vis 2021-22

Table 2.1 below presents the summary of the State Government's fiscal aggregate during 2022-23 vis-à-vis 2021-22. Each of these indicators is analysed in the succeeding paragraphs.

Table 2.1: Summary of Fiscal aggregates in 2022-23 compared to 2021-22

(₹ in crore)

| Receipts | | | Disbursements | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2021-22 | 2022-23 | | 2021-22 | 2022-23 |
| Section-A: Revenue Account | | | | | |
| Own Tax Revenue | 220927.13 | 277486.31 | General Services | 121745.32 | 130590.81 |
| Non-Tax Revenue | 19306.70 | 16776.41 | Social Services | 142523.26 | 163329.16 |
| Share of Union Taxes/ Duties | 54318.06 | 60000.97 | Economic Services | 59454.77 | 80819.94 |
| Grants-in-aid from GoI | 38759.68 | 51414.24 | Grants-in-aid and Contributions | 25962.54 | 32874.49 |
| Total Section-A Revenue Receipts | 333311.57 | 405677.93 | Total Section-A Revenue Expenditure | 349685.89 | 407614.40 |
| Section-B: Capital Account and others | | | | | |
| Miscellaneous Capital Receipts | 0 | 0 | Capital Outlay | 46670.39 | 61643.61 |
| | | | General Services | 2681.21 | 3526.56 |
| | | | Social Services | 4082.09 | 9134.20 |
| | | | Economic Services | 39907.09 | 48982.85 |
| Recoveries of Loans and Advances | 1178.88 | 642.62 | Loans and Advances disbursed | 2436.03 | 4664.41 |
| Public Debt Receipts | 90488.18 [#] | 87572.84 [@] | Repayment of Public Debt | 35934.66 [#] | 37665.79 [@] |
| Appropriation from Contingency Fund | 0.00 | 200.00 | Appropriation from Contingency Fund | 0.00 | 200.00 |
| Contingency Fund | 0.00 | 200.00 | Contingency Fund | 0.00 | 200.00 |
| Public Account Receipts | 119376.52 | 143466.93 | Public Account Disbursements | 100533.18 | 121973.69 |
| Opening Cash Balance | 68597.29 | 77692.29 | Closing Cash Balance | 77692.29 | 81490.71 |
| Total Section-B Receipts | 279640.87 | 309774.68 | Total Section-B Disbursements | 263266.55 | 307838.21 |
| Grand Total (A+B) | 612952.44 | 715452.61 | Grand Total (A+B) | 612952.44 | 715452.61 |
| [@] Excluding transactions under Special Drawing facility on 91 days (Receipt and Disbursement ₹ 7,129.25 crore) [#] Excluding transactions under Special Drawing facility on 91 days (Receipt and Disbursement of ₹ 98.43 crore) Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

Variation in key fiscal aggregates in 2022-23 as compared to 2021-22

| | |
|----------------------------|---|
| Revenue Receipts | <ul style="list-style-type: none"> Revenue receipts of the State increased by 21.71 per cent Own tax revenue of the State increased by 25.60 per cent Non-tax revenue decreased by 13.11 per cent State's Share of Union Taxes and Duties increased by 10.46 per cent Grants-in-Aid from GoI increased by 32.65 per cent |
| Revenue Expenditure | <ul style="list-style-type: none"> Revenue expenditure increased by 16.57 per cent Revenue expenditure on General Services increased by 7.27 per cent Revenue expenditure on Social Services increased by 14.60 per cent Revenue expenditure on Economic Services increased by 35.93 per cent Expenditure on Grants-in-Aid increased by 26.62 per cent |
| Capital Receipt | <ul style="list-style-type: none"> Debt Capital Receipts increased by 4.54 per cent. Non-debt Capital receipts decreased by 45.49 per cent |
| Capital Outlay | <ul style="list-style-type: none"> Capital outlay increased by 32.08 per cent Capital outlay on General Services increased by 31.56 per cent Capital outlay on Social Services increased by 123.76 per cent Capital outlay on Economic Services increased by 22.74 per cent |
| Loans and Advances | <ul style="list-style-type: none"> Disbursement of Loans and Advances increased by 91.48 per cent Recoveries of Loans and Advances decreased by 45.49 per cent |
| Public Debt | <ul style="list-style-type: none"> Public Debt Receipts decreased by 3.22 per cent Repayment of Public Debt increased by 4.82 per cent |
| Public Account | <ul style="list-style-type: none"> Public Account Receipts increased by 20.18 per cent Disbursement of Public Account increased by 21.33 per cent |
| Cash Balance | <ul style="list-style-type: none"> Cash balance increased by ₹ 3,798 crore (4.89 per cent) during 2022-23 compared to previous year |

2.2 Sources and Application of Funds

Table 2.2 compares the figures of sources and application of funds of the State during 2022-23 with 2021-22. Charts 2.1 and 2.2 present the details of receipts and expenditure from the Consolidated Fund during 2022-23 in terms of percentage.


During 2022-23, the State Government raised revenue receipts of ₹ 4,05,677.93 crore against revenue expenditure of ₹ 4,07,614.40 crore resulting in revenue deficit of ₹ 1,936.47 crore.

Table 2.2: Details of Sources and Application of Funds during 2021-22 and 2022-23

(₹ in crore)

| Particulars | | 2021-22 | 2022-23 | Increase (+) Decrease (-) |
|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Sources | Opening Cash Balance with RBI | 68597.29 | 77692.29 | 9095.00 |
| | Revenue Receipts | 333311.57 | 405677.93 | 72366.36 |
| | Recoveries of Loans and Advances | 1178.88 | 642.62 | (-)536.26 |
| | Public Debt Receipts (Net) | 54553.52 | 49907.05 | (-)4646.47 |
| | Public Account Receipts (Net) | 18843.34 | 21493.24 | 2649.90 |
| | Total | 476484.60 | 555413.13 | 78928.53 |
| Application | Revenue Expenditure | 349685.89 | 407614.40 | 57928.51 |
| | Capital Expenditure | 46670.39 | 61643.61 | 14973.22 |
| | Disbursement of Loans and Advances | 2436.03 | 4664.41 | 2228.38 |
| | Contingency Fund | 0 | 0 | 0.00 |
| | Closing Cash Balance with RBI | 77692.29 | 81490.71 | 3798.42 |
| | Total | 476484.60 | 555413.13 | 78928.53 |

Source: Finance Account of respective years



(Source: Finance Accounts 2022-23)

A time series data on the State Government finances for five years' period from 2018-19 to 2022-23 is given in **Appendix 2.1**.

2.3 Resources of the State


The resources of the State are described below: -

1. **Revenue Receipts** consist of own tax revenue, non-tax revenue, State's share of Union taxes and duties and grants-in-aid (GIA) from the Government of India (GoI).
2. **Capital Receipts** (debt and non-debt capital receipts) comprise miscellaneous capital receipts such as proceeds from disinvestments, recoveries of loans and advances, debt receipts from internal sources (market loans, borrowings from financial institutions/commercial banks) and loans and advances from GoI. Both Revenue and Capital receipts form part of the Consolidated Fund of the State.
3. **Net Public Accounts Receipts** These are receipts and disbursements in respect of certain transactions such as Small Savings, Provident Fund, Reserve Funds, Deposits, Suspense, Remittances *etc.*, which do not form part of the Consolidated Fund.

These are kept in the Public Account set up under Article 266 (2) of the Constitution and are not subject to vote by the State Legislature. Here, the Government acts as a banker. The balance after disbursements is the fund available with the Government for use.

2.3.1 Receipts of the State

Flow Chart 2.1 depicts the composition of the receipts of the State during 2022-23.



(Source: Finance Accounts 2022-23)

2.3.2 State's Revenue Receipts

This paragraph gives the trends in total revenue receipts and its components. It is followed by trends in the receipts bifurcated into receipts from the Union Government and State's own receipts. Statement 14 of the Finance Accounts details the Revenue receipts of the Government. These consist of the State's Own Tax and Non-tax Revenues, Union Tax Transfers and GIA from GoI.

2.3.2.1 Trends and growth of Revenue Receipts

Table 2.3 provides the trends and growth of Revenue receipts with respect to GSDP during 2018-19 to 2022-23. Further, trends in revenue receipts relative to GSDP and composition of revenue receipt are given in **Charts 2.3** and **2.4**.


Table 2.3: Trend in Revenue Receipts

₹ in crore)

| Parameters | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Revenue Receipts (RR) | 278996.27 | 283189.58 | 269467.91 | 333311.57 | 405677.93 |
| Rate of growth of RR (per cent) | 14.51 | 1.51 | (-)4.85 | 23.69 | 21.71 |
| Own Tax Revenue | 187436.37 | 188947.56 | 164254.98 | 220927.13 | 277486.31 |
| Non-tax Revenue | 15843.57 | 14297.00 | 15975.46 | 19306.70 | 16776.41 |
| Grants-in aid from GoI | 33662.12 | 43725.37 | 52733.46 | 38759.68 | 51414.24 |
| Own tax and non-tax revenue | 203279.94 | 203244.56 | 180230.44 | 240233.83 | 294262.72 |
| Rate of growth of Own Revenue (per cent) (Tax and Non-tax Revenue) | 10.37 | (-)0.02 | (-)11.32 | 33.29 | 22.49 |
| Gross State Domestic Product (₹ in crore) (2011-12 Series) | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| Rate of growth of GSDP (per cent) | 7.48 | 5.08 | (-)1.12 | 18.29 | 13.48 |
| RR/GSDP (per cent) | 11.03 | 10.66 | 10.26 | 10.72 | 11.50 |
| Revenue Receipt Buoyancy ¹ w.r.t GSDP | 1.588 | 0.231 | * | 1.321 | 1.611 |
| Ratio of change in State's Own Revenue to change in GSDP | 1.135 | -0.003 | * | 1.857 | 1.668 |


* Buoyancy indicates the degree of responsiveness of a fiscal variable with respect to a given change in the base variable (including own revenue receipts) in 2020-21.

Source of GSDP figures: Directorate of Economics and Statistics, Government of Maharashtra; Finance Accounts of respective years



(Source: Finance Accounts of respective years)

¹ Buoyancy ratio indicates the responsiveness of a fiscal variable with respect to a given change in the base variable. For instance, revenue buoyancy with respect to GSDP at 1.61 implies that Revenue Receipts tend to increase by 1.61 percentage points, if the GSDP increases by one per cent



(Source: Finance Accounts of respective years)

- Revenue Receipts increased by 45.41 *per cent* from ₹ 2,78,996.27 crore in 2018-19 to ₹ 4,05,677.93 crore in 2022-23 at Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 9.81 *per cent*. During 2022-23, the revenue receipts increased by 21.71 *per cent* over the previous year.
- Significant portion of the revenue receipts (73 *per cent*) during 2022-23 came from the State's own resources, while Union Tax Transfers and GIA together contributed 27 *per cent*.
- The revenue expenditure (₹ 4,07,614.40 crore) exceeded the revenue receipt (₹ 4,05,677.93 crore) by ₹ 1,936.47 crore resulting in a revenue deficit.
- Grant-in-aid from GoI on the other hand increased by 52.74 *per cent* during the period 2018-19 to 2022-23. It increased by ₹ 12,654.56 crore (32.65 *per cent*) in 2022-23 as compared to 2021-22.
- Buoyancy ratio indicates the degree of responsiveness of a fiscal variable with respect to a given change in the base variable. A value more than one indicates a high degree of responsiveness of the fiscal variable to the base variable. As GSDP grows, the ability of the Government to mobilise revenue should also increase. The buoyancy of revenue receipts to GSDP was greater than one during 2022-23 indicating that revenue receipts grew at a faster rate than GSDP.
- Ratio of revenue receipts to GSDP has remained steady between 10.26 and 11.50 *per cent* during 2018-19 to 2022-23.
- As compared to 2021-22, during 2022-23 own tax revenue increased by ₹ 56,559.18 crore (25.60 *per cent*), non-tax revenue decreased by ₹ 2,530.29 crore (13.11 *per cent*) and State's share of Union taxes and duties increased by ₹ 5,682.91 crore (10.46 *per cent*), whereas Grants-in-aid from Government of India increased by ₹ 12,654.56 crore (32.65 *per cent*).
- An increasing trend of ratio of change in grant in aid to change in GSDP compared to own revenue buoyancy indicates more reliance, whereas a decreasing trend indicates less reliance on GoI support. Diversifying revenue sources and strengthening the local tax base are essential for sustainable stability and development.


2.3.2.2 State's Own Resources

State's share in Union taxes is determined on the basis of recommendations of the Finance Commission (FC). GIA from the Union Government is determined by the quantum of collection of Union tax receipts and anticipated Union assistance for schemes.

State's performance in mobilization of additional resources should be assessed in terms of its own resources comprising revenue from its own tax and non-tax sources.

Tax Revenues of the State consist of State Goods and Service tax (SGST), State Excise, Taxes on Vehicles, Stamp Duty and Registration Fees, Land Revenue, Taxes on Goods and Passengers *etc.*

The State's Own Tax revenue during 2018-19 to 2022-23 is shown in **Chart 2.5**



(Source: Finance Accounts of respective years)

The components of State's Own Tax Revenue during 2018-19 to 2022-23 are given in **Table 2.4**.

Table 2.4: Components of State's Own Tax Revenue

(₹ in crore)

| Revenue Head | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | B.E | Actual |
| Sales Tax | 35724.61 | 37785.54 | 33159.76 | 45924.13 | 15200.00 | 54568.18 |
| SGST | 82352.32 | 82601.59 | 69948.56 | 97304.89 | 119900.00 | 121255.55 |
| State excise | 15320.90 | 15428.34 | 15089.38 | 17220.71 | 22000.00 | 21507.02 |
| Taxes on vehicles | 8613.19 | 8467.20 | 6655.12 | 9080.16 | 10500.00 | 11740.42 |
| Stamp duty and Registration fees | 28545.05 | 28706.56 | 25427.71 | 35593.58 | 32000.00 | 45285.66 |
| Land revenue | 2088.04 | 2154.55 | 2062.64 | 3064.66 | 4000.00 | 2431.41 |
| Taxes on goods and passengers | 837.05 | 773.39 | 13.30 | 393.53 | 1760.00 | 1582.11 |
| Other taxes | 13955.21 | 13030.40 | 11898.51 | 12345.47 | 51165.71 | 19115.96 |
| Total | 187436.37 | 188947.57 | 164254.98 | 220927.13 | 256525.71 | 277486.31 |

Source: Finance Accounts of the respective years

Own tax revenue of the State increased by ₹ 90,049.94 crore, from ₹ 1,87,436.37 crore in 2018-19 to ₹ 2,77,486.31 crore in 2022-23 at a CAGR of 10.30 per cent. The growth rate of own tax revenue in the State during 2022-23 was 25.60 per cent over the previous year and was higher than the average of General States. (Appendix 2.2).

The major contributors of own tax revenue were SGST (43.70 per cent), taxes on sales, trades etc. (19.67 per cent), stamp duty and registration fees (16.32 per cent), state excise (7.75 per cent) and taxes on vehicles, land revenue, taxes on goods and passengers and others (11.69 per cent). The increase in own tax revenue as compared to the previous year was basically due to increase in excise duty, increase in license fees under Maharashtra Prohibition Act and due to increased collection under SGST.

State Goods and Services Tax

As per the books of RBI the amount of SGST is ₹ 1,21,255.55 crore which tallies with the figure in the Finance Accounts. During the year 2022-23, there was no difference between the RBI's figures and figures booked in the Finance Accounts for State GST.

Analysis of Arrears of Revenue and Arrears of Assessment

The arrears of revenue indicate delayed realization of revenue due to the Government. Similarly, arrears of assessment indicate potential revenue which is blocked due to delayed assessment. Both deprive the State of potential revenue receipts and ultimately affect the revenue deficit.

The details of cases pending at the beginning of the year, cases that become due for assessment, cases disposed of during the year and number of cases pending for finalization at the end of the year as furnished by the Departments are given in Table 2.5.

Table 2.5: Arrears in Revenue assessment

| (₹ in crore) | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Head of Revenue | Opening Balance (01 Apr 2022) | New cases due for assessment during 2022-23 | Total cases due for assessments | Cases disposed of during 2022-23 | Closing Balance (31 Mar 2023) | Disposal percentage (5 to 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Maharashtra Value Added Tax | 670 | 1082 | 1752 | 931 | 821 | 53 |
| Purchase Tax on Sugarcane | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100 |
| Entry Tax | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Luxury Tax | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 100 |
| Total | 782 | 1083 | 1865 | 1044 | 821 | 56 |

Source: Information received from Joint Commissioner of Sales Tax/HQ3

Details of evasion of tax detected by Department, refund cases etc.

The cases of evasion of tax detected by the Excise and Taxation Department, cases finalized and the demands for additional tax raised are important indicators of revenue collection efforts of the State Government. Promptness in disposal of refund cases is an important indicator of the performance of the Department. High pendency of refund cases may indicate red tape, vested interests, prevalence of speed money etc.

The details of evasion under Maharashtra Value Added Tax Act are shown in **Table 2.6**.

Table 2.6: Evasion of Tax detected

| Sl. No. | Head of Revenue | Cases pending as on 31 March 2022 | Cases detected during 2022-23 | Total | No. of cases in which assessment / investigation completed and additional demand with penalty <i>etc.</i> raised | | No. of cases pending for finalization as on 31 March 2023 | Additional demand raised with penalty |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | No. of cases | Amount (₹ in crore) | | |
| | | | | | 1. | Taxes/VAT on Sales, Trade | | |
| 2 | Stamp duty and registration fees | 10238 | 9498 | 19736 | 8519 | 59.61 | 11217 | 59.61 |

Source: Information received from Joint Commissioner of Sales Tax/HQ3

2.3.2.3 Non-tax Revenue

Non-tax revenue consists of interest receipts, dividends and profits, mining receipts, departmental receipts *etc.* The components of non-tax revenue during 2018-19 to 2022-23 are shown in **Table 2.7**.

Table 2.7: Components of State's Non-Tax Revenue

| Revenue Head | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | BE | Actual |
| Interest receipts | 4191.28 | 3270.69 | 2286.27 | 2617.05 | 2843.11 | 2430.20 |
| Dividends and Profits | 275.48 | 56.53 | 401.02 | 88.36 | 401.02 | 36.01 |
| Fiscal services | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Other non-tax receipts | 11376.77 | 10969.54 | 13288.16 | 16601.27 | 23884.00 | 14310.19 |
| a) Major and medium Irrigation | 284.47 | 133.95 | 103.71 | 414.46 | 3560.00 | 234.64 |
| b) Urban Development | 1358.37 | 1320.13 | 986.15 | 5557.29 | 5900.00 | 1708.46 |
| c) Education, Sports, Art & Culture | 210.86 | 411.73 | 1001.17 | 617.75 | 1001.17 | 483.97 |
| d) Non-ferrous mining | 4056.71 | 3982.45 | 3918.31 | 4884.94 | 4975.00 | 5578.20 |
| e) other or misc. | 5466.36 | 5121.28 | 7278.82 | 5126.83 | 8447.83 | 6304.92 |
| Total | 15843.57 | 14297.00 | 15975.46 | 19306.70 | 27128.13 | 16776.41 |

Source: Finance Accounts of the respective years

Non-tax revenue ranged between four and six *per cent* of the total revenue receipts of the State during 2018-19 to 2022-23. During 2022-23, it decreased by ₹ 2,530.29 crore (13.11 *per cent*) over the previous year. The decrease was mainly under Urban development (₹ 1,708.46 crore), due to decreased revenue collection under the fees/premium amount received from the lands exempted under Section 20 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976, lower receipts realized by Director of Town Planning and lesser recoveries under the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1968.


One of the major sources of interest receipts is interest proceeds out of investment of surplus cash balances of the State. As per Reserve Bank of India (RBI) Regulations, the cash balance maintained by the State is invested in GoI's 14 days Treasury Bills. Excess cash balance, beyond the immediate requirement is invested in GoI's 91 days Treasury Bills. As on 31 March 2023, ₹ 32,785.36 crore was lying under Cash Balance Investment Account of the State Government as invested by RBI. An interest of ₹ 1,498.98 crore was realized on Cash Balance Investment account during 2022-23.

The growth rate of non-tax revenue in the State was (-)13.11 *per cent* during 2022-23 as compared to previous year while the average growth rate in General States was 12.94 *per cent* (Appendix 2.2).

2.3.2.4 Transfers from the Union Government

The transfers from the Union Government are mainly dependent on the recommendations of the Finance Commission (FC). Transfers from the Union Government include State's share of Union Taxes and Duties and GIA. The XV FC in its Main Report for 2021-2026 recommended a total devolution of 41 *per cent* of the divisible pool of taxes to the States for 2021-2026. Maharashtra's share in the divisible pool as per XV FC (Main Report 2021-26) is 6.317 *per cent*.

The transfers from the Union as percentage of the revenue receipts during 2018-19 to 2022-23 are given in **Chart 2.6**.



(Source: Finance Accounts of respective years)

As per the recommendation of the XV FC (Main Report 2021-26), during 2022-23, the State's share in Union taxes was ₹ 60,000.97 crore, an increase of ₹ 5,682.91 crore over the previous year, and GIA from the Union Government was ₹ 51,414.24 crore, an increase of ₹ 12,654.56 crore over the previous year.

Union Tax Transfer

The Finance Commission projections *vis-à-vis* actual tax devolution of Union taxes are given in **Table 2.8**.

Table 2.8: State's share in Union taxes and duties: Actual devolution vis-à-vis Finance Commission projections

(₹ in crore)

| Year | Inter se share of Maharashtra in sharable pool of Union Taxes and Duties | Projections in FCR* | Actual tax devolution | Difference |
|---------|--|---------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015-16 | As per recommendations of XIV FC [Inter se share of Maharashtra State =5.521 Table 8.2 and in service Tax=5.674 Table 8.3] | 32146.00 | 28105.95 | (-)4040.05 |
| 2016-17 | | 37098.00 | 33714.90 | (-)3383.10 |
| 2017-18 | | 42869.00 | 37219.20 | (-)5649.80 |
| 2018-19 | | 49600.00 | 42054.20 | (-)7545.80 |
| 2019-20 | | 57452.00 | 36219.64 | (-)21232.40 |
| 2020-21 | XV FC (1st Report 2020-21) [Inter se share of Maharashtra State =6.135] | 52465.00 | 36504.01 | (-)15961 |
| 2021-22 | As per recommendations of XV FC (Main Report 2021-26) [Inter se share of Maharashtra State =6.317] | 41603.17 | 54318.06 | 12714.89 |
| 2022-23 | | 46280.10 | 60000.97 | 13720.87 |

*Reports of the respective Finance Commission

The transfer of different components of State's share of Union taxes during 2018-19 to 2022-23 are shown in **Table 2.9**.

Table 2.9: Union Tax Transfers

(₹ in crore)

| Head | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Central Goods and Services tax (CGST) | 10377.52 | 10277.86 | 10894.03 | 16016.73 | 16950.64 |
| Integrated Goods and Services tax (IGST) | 828.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corporation tax | 14621.85 | 12349.52 | 10979.94 | 15127.69 | 20125.45 |
| Taxes on income other than Corporation tax | 10768.37 | 9676.68 | 11252.46 | 16519.71 | 19634.49 |
| Customs | 2980.37 | 2295.84 | 1969.98 | 3910.76 | 2358.10 |
| Union Excise Duties | 1980.63 | 1596.26 | 1231.49 | 2057.21 | 739.80 |
| Service tax | 390.29 | 0.00 | 151.51 | 627.83 | 93.76 |
| Other taxes ² | 106.98 | 23.48 | 24.60 | 58.13 | 98.73 |
| Union tax transfers | 42054.20 | 36219.64 | 36504.01 | 54318.06 | 60000.97 |
| Percentage of increase over previous year | 12.99 | (-)13.87 | 0.79 | 48.80 | 10.46 |
| Percentage of Union Tax Transfers to Revenue Receipts | 15.07 | 12.79 | 13.55 | 16.30 | 14.79 |

During 2022-23, there was an increase in Union tax transfer by ₹ 5,682.91 crore (10.46 per cent) over the previous year. The increase was under 'Corporation tax', 'CGST' and 'Taxes on Income other than Corporation Tax'. The percentage of Union Tax Transfers to Revenue Receipts decreased from 16.30 per cent in 2021-22 to 14.79 per cent in 2022-23.

² Include taxes on wealth, other taxes on income and expenditure, other taxes and duties on commodities and services

Grants-in-aid from GoI

The GIA received from GoI during 2018-19 to 2022-23 are detailed in **Table 2.10**.

Table 2.10: Grants-in-Aid from GoI

| (₹ in crore) | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Head | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Non-Plan Grants | 8310.04 | 13690.19 | 309.92 ^{ab} | 1.01 | 0 |
| Grants for State Plan Schemes | 1886.54 | 1723.42 | 0 | 0 | 0 |
| Grants for Central Plan Schemes | 1326.17 | 1369.31 | 0.20 | 2.32 | 0.33 |
| Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes | 13787.33 | 8806.56 | (-)12.24 | (-) 0.48 | 0 |
| Grants for Centrally Sponsored Schemes (CSS) | 22.04 | 1918.42 | 13733.52 | 11782.83 | 16240.57 |
| Finance Commission Grants | 0 | 550.91 | 11550.00 ^a | 7693.12 | 9968.35 |
| Other Transfers/Grants to States/ Union Territories with Legislature | 8330.00 | 15666.56 | 27152.06 ^b | 19280.88 | 25204.99 |
| Total | 33662.12 | 43725.37 | 52733.46 | 38759.68 | 51414.24 |
| Percentage of increase over the previous year | 51.22 | 29.89 | 20.60 | (-)26.50 | 32.65 |
| Percentage of Grants-in-Aid to Revenue Receipts | 12.07 | 15.44 | 19.57 | 11.63 | 12.67 |
| ab)Grants transferred to 07- Finance Commission Grants and 08- Other Transfer due to change in the classification during 2021-22 a) Grants towards contribution to State Disaster Response Fund (₹ 3222.00 crore) taken under 07 - Finance Commission Grants - 104 - Grants in Aid for State Disaster Response Fund due to change in the classification during 2021-22 b) Grants towards contribution to National Disaster Response Fund (₹ 420.12 crore) taken under 08 - Other Transfer / Grants to States / Union Territories with Legislatures 106- Grants towards contribution to National Disaster Response Fund (NDRF) due to change in the classification during 2021-22 Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

GIA constituted 12.67 *per cent* of revenue receipts during the year 2022-23. Grants for CSS to the State (₹ 16,240.57 crore) constituted 31.59 *per cent* of the total grants received from GoI during 2022-23. GIA from GoI increased by ₹ 12,654.56 crore (32.65 *per cent*) during 2022-23, as compared to the previous year mainly due to significant increase in Finance Commission Grants for rural local bodies (RLBs) by ₹ 1,686.25 crore (47.81 *per cent*) and State Disaster Response Fund by ₹ 1,016 crore (39.42 *per cent*).

Grants from Central Road and Infrastructure Fund increased from ₹ 390.27 crore in 2021-22 to ₹ 1,084.15 crore during 2022-23. Similarly, the compensation received for loss of revenue arising out of implementation of GST increased by ₹ 6,286.62 crore (35.25 *per cent*) as compared to 2021-22.

Further, there was increase in grant- in aid to Centrally Sponsored Schemes for school education by ₹ 1,312.06 crore (108.57 *per cent*), Housing by ₹ 837.26 crore (1042.91 *per cent*), urban development by ₹ 1,292.66 crore (100 *per cent*).

Grants for Centrally Sponsored Schemes

Out of the grants of ₹16,240 crore received for centrally sponsored schemes during 2022-23, the major amounts were given to:

- Urban Rejuvenation Mission - ₹ 1,146.58 crore (₹ 394.53 crore in 2021-22)
- Pradhan Mantri Awas Yojana - ₹ 1,676.07 crore (₹ 1,249 crore in 2021-22)

- National Programme of Mid-Day Meal in school - ₹ 1,592.41 crore (₹ 490.75 crore in 2021-22)
- Samagra Shiksha Abhiyan - ₹ 900 crore, (₹ 693.08 crore in 2021-22)

Single Nodal Agency

The Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi vide Office Memorandum No 1 (13)/PFMS/FCD/2020 dated 3 March 2021 provided that every State Government will designate a Single Nodal Agency (SNA) for implementing each CSS. For each CSS, a separate SNA has been set up with own Bank Account in Scheduled Commercial Bank authorized to conduct government business by the State Government. As per the procedure, the State Government is to transfer the Central share received in its accounts to the concerned SNA's account along with corresponding State share.

As per PFMS report, the State Government received ₹ 14,532.65 crore being Central share during the year. As on 31 March 2023, the Government transferred Central share of ₹ 14,532.65 crore and State share of ₹ 13,694.74 crore to the SNAs. Detailed vouchers and supporting documents of actual expenditure were not received by Accountant General (A&E) Offices from the SNAs. As per PFMS report ₹ 16,938.47 crore were lying unspent in the bank accounts of SNAs as on 31 March 2023.

XV Finance Commission Grants

The XV FC submitted two reports, namely a first report for the financial year 2020-21 and a final report for an extended period of 2021-22 to 2025-26.

Details of the XV FC Grants, actual release by GoI and release by State Government to the Panchayat Raj Institutions (PRIs) and ULBs are given in **Table 2.11**.

Table 2.11: Grants-in-aid released by GoI as per recommendation of XV FC

(₹ in crore)

| Recommendation of the XV FC (2022-23) | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Components | Recommendation | Actual release by GoI | Release by State Government |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (i) Grants to PRIs | 4461.00 | 3626.14 | 3626.14 |
| (a) Tied Grant | 1784.40 | 1450.46 | 1450.46 |
| (b) Untied Grants | 2676.60 | 2175.68 | 2175.68 |
| (ii) Grants to ULBs* | 2197.00 | 1774.30 | 1774.30 |
| (a) Million plus cities (for ambient air quality plus SWM and Sanitation) | 1242.00 | 819.30 | 819.30 |
| (b) Other than million plus cities (tied grants for drinking water, rainwater harvesting, SWM and Sanitation) | 573.00 | 573.00 | 573.00 |
| (c) Other than million plus cities (untied grants for local needs) | 382.00 | 382.00 | 382.00 |
| Total for Local Bodies | 6658.00 | 5400.44 | 5400.44 |
| SDRF (Centre share) | 3383.00 | 3593.60 ³ | 3593.60 |
| SDRF (State Share) | 1128.00 | | 1015.20 |
| Grants for Health Sector | 1331.00 | 16.66 | 16.66 |
| Grand Total | 11169.00 | 9010.70 | 10025.90 |

Source: XV FC Report and information furnished by the Government of Maharashtra.
*As per release order of GoI

³ Includes an amount of ₹644.40 crore pertaining to 2021-22 and ₹ 433.80 crore pertaining to 2022-23 but received in 2023-24

State Finance Commission

The XV FC in its Main Report for 2021-2026 had recommended that all States must constitute State Finance Commissions and act upon their recommendations and lay the explanatory memorandum as to the action taken thereon before the State Legislature on or before March 2024. After March 2024, no grants should be released to a State that has not complied with the Constitutional provisions in respect of the State Finance Commission and these conditions.

The Fifth State Finance Commission (SFC) of Maharashtra for the period 2020-25 was constituted in March 2018 and submitted its Report along with the recommendations to the Government in August 2019, which was placed in the State Legislature in December 2020.

The Commission had made 169 recommendations of which 134 recommendations were accepted by the State Government. Information regarding implementation of these recommendations was not intimated (October 2023) to audit.

2.3.3 Capital Receipts

Capital receipts comprise Miscellaneous capital receipts such as proceeds from disinvestments, recoveries of loans and advances, debt receipts from internal sources (market loans, borrowings from financial institutions/commercial banks) and loans and advances from GoI. The net public debt receipt after discharging of public debt plus other capital receipts constitute the net capital receipt of the State.

The trends in growth and composition of capital receipts are given in **Table 2.12**.

Table 2.12: Trends in growth and composition of capital receipts

| Sources of State's Receipts | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Capital Receipts | 2513.01 | 34142.43 | 62541.72 | 55732.40 | 50549.67 |
| Miscellaneous Capital Receipts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recovery of Loans and Advances | 1604.29 | 1614.87 | 1612.35 | 1178.88 | 642.62 |
| Non-debt Receipts | 1604.29 | 1614.87 | 1612.35 | 1178.88 | 642.62 |
| Net Public Debt Receipts | 908.72 | 32527.56 | 60929.37 | 54553.52 | 49907.05 |
| <i>Internal Debt</i> | <i>1496.07</i> | <i>32610.31</i> | <i>46903.98</i> | <i>37043.37</i> | <i>40702.63</i> |
| <i>Growth rate (per cent)</i> | <i>(-)95.48</i> | <i>2079.73</i> | <i>43.83</i> | <i>(-) 21.02</i> | <i>9.88</i> |
| <i>Loans and Advances from GoI</i> | <i>(-)587.35</i> | <i>(-)82.75</i> | <i>14025.39</i> | <i>17510.15</i> | <i>9204.42</i> |
| <i>Growth rate (per cent)</i> | <i>(-)24.77</i> | <i>(-)85.91</i> | <i>17049.11</i> | <i>24.85</i> | <i>(-)47.43</i> |
| Rate of growth of Debt Capital Receipts (<i>per cent</i>) | (-)97.19 | 3479.49 | 87.32 | (-) 10.46 | (-)8.52 |
| Rate of growth of Non-debt Capital Receipts (<i>per cent</i>) | (-)9.77 | 0.66 | (-)0.16 | (-) 26.88 | (-)45.49 |
| Rate of growth of Capital Receipts (<i>per cent</i>) | (-)92.62 | 1258.63 | 83.18 | (-)10.89 | (-)9.3 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

Net Capital Receipts (Net Public Debt and Non-debt Receipts) of the State decreased by 9.30 *per cent* in 2022-23. The share of Net Public Debt Receipts in capital Receipts was 98.73 *per cent* during 2022-23. The decrease in Net Capital Receipts was due to the decrease in loans and advances from GoI by 47.43 *per cent* from the previous year.

The increase in the net Loans and advances from GoI during 2020-21 and 2021-22 was due to receipt of back-to back loans of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation, which is normally received as revenue receipts but was received as back-to-back loan under debt receipts during the year 2020-21 and 2021-22 by the State Government, with no repayment liability for the State

2.3.4 State's performance in mobilization of resources

State's performance in mobilization of resources is assessed in terms of its own resources comprising own tax and non-tax sources. The State's actual tax and non-tax receipts for the year 2022-23 *vis-à-vis* projections given in the XV FC Report and Budget Estimates (2022-23) are given in **Table 2.13**.

Table 2.13: Own Tax and Non-tax receipts *vis-à-vis* Projections 2022-23

(₹ in crore)

| | XV FC Projections | Budget Estimates | Actual | Percentage variation of actual over | |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | Budget estimates | XV FC Projections |
| Own Tax Revenue | 209782.00 | 256525.71 | 277486.31 | 8.17 | 32.27 |
| Non-tax Revenue | 18117.00 | 27128.13 | 16776.41 | (-)38.16 | (-)7.40 |

Source: Finance Accounts 2022-23, XV FC Report, Budget documents

In comparison to the assessment made by XV FC and Budget estimates, there was substantial shortfall in mobilisation of non-tax revenue resources by the State.

2.4 Application of Resources

The State Government is vested with the responsibility of incurring expenditure within the framework of fiscal responsibility legislations, while at the same time ensuring that the ongoing fiscal correction and consolidation process of the State is not at the cost of expenditure directed towards development of capital infrastructure and social sector. These paragraphs along with sub-paragraphs give an analysis of expenditure in the State.

2.4.1 Growth and Composition of Expenditure

Capital Expenditure: All charges for the first construction of a project as well as charges for intermediate maintenance of the work while it was not opened for service and charges for such further additions and improvements as may be sanctioned under the rules made by the competent authority shall be classified as capital expenditure.

Revenue Expenditure: Charges on maintenance, repair, upkeep and working expenses which are required to maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day-to-day running of the organization, including establishment and administrative expenses shall be classified as revenue expenditure.


The total expenditure, its composition, and its relative share in GSDP during the last five years (2018-19 to 2022-23) are given in **Table 2.14** and **Chart 2.7**.

Table 2.14: Total expenditure and its composition

| Parameters | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Expenditure (TE) | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| Revenue Expenditure (RE) | 267021.67 | 300305.21 | 310609.76 | 349685.89 | 407614.40 |
| Capital Outlay (CO) | 35049.05 | 36415.57 | 29686.70 | 46670.39 | 61643.61 |
| Loans and Advances | 1545.17 | 1969.86 | 2341.85 | 2436.03 | 4664.41 |
| As percentage of GSDP | | | | | |
| TE/GSDP | 12.01 | 12.75 | 13.04 | 12.83 | 13.44 |
| RE/GSDP | 10.56 | 11.30 | 11.82 | 11.25 | 11.56 |
| CO/GSDP | 1.39 | 1.37 | 1.13 | 1.50 | 1.75 |
| Loans and Advances/GSDP | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |

Source: Finance Accounts of respective years

Chart 2.7: Trends in share of Total Expenditure



(Source: Finance Accounts of respective years)


It is evident from the above that the total expenditure increased significantly from ₹ 3,03,615.89 crore in 2018-19 to ₹ 4,73,922.42 crore in 2022-23. Total expenditure as a percentage of GSDP grew from 12.01 per cent in 2018-19 to 13.44 per cent in 2022-23.

In terms of activities, total expenditure could be considered as comprising expenditure on general services including interest payments, social services, economic services, GIA and loans and advances. Relative shares of these components in the total expenditure are indicated in Table 2.15 and Chart 2.8.

Table 2.15: Relative share of various sectors of expenditure

| Parameters | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| General Services | 28.43 | 29.91 | 30.75 | 31.20 | 28.30 |
| Social Services | 37.73 | 37.99 | 37.23 | 37.23 | 37.03 |
| Economic Services | 27.03 | 25.67 | 26.00 | 24.94 | 27.58 |
| Others (Grants to Local Bodies and Loans to Government Servants) | 6.81 | 6.43 | 6.02 | 6.63 | 7.09 |

Source: Finance Accounts of respective years



(Source: Finance Accounts of respective years)

The relative share of these components exhibited stability during the period from 2018-19 to 2022-23 with marginal inter year variations.

2.4.2 Revenue Expenditure

Revenue expenditure is incurred to maintain the current level of services and payment for the past obligations. Revenue expenditure comprises wages and salaries, interest payments, pensions, expenditure on operation and maintenance of capital works, subsidies and transfers to local bodies, co-operatives, non-government organizations (NGOs) and others.


Expenditure can also be classified into various functional categories such as administrative services, social services, and economic services. Expenditure on social and economic services is incurred to create physical infrastructure and for human resource development and therefore, is considered productive, whereas expenditure on general administration and debt servicing is considered unproductive.

The overall revenue expenditure, its rate of growth, its ratio to total expenditure and GSDP and ratios of incremental change in revenue expenditure *vis-à-vis* incremental changes in GSDP and revenue receipts are indicated in **Table 2.16**. Sector-wise distribution of revenue expenditure pertaining to 2022-23 is given in **Chart 2.9**.

Table 2.16: Revenue Expenditure – Basic Parameters

| Parameters | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Expenditure (TE) | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| Revenue Expenditure (RE) | 267021.67 | 300305.21 | 310609.76 | 349685.89 | 407614.40 |
| Rate of Growth of RE (<i>per cent</i>) | 10.54 | 12.46 | 3.43 | 12.58 | 16.57 |
| RE/TE (<i>per cent</i>) | 87.95 | 88.67 | 90.65 | 87.69 | 86.01 |
| RE/GSDP (<i>per cent</i>) | 10.56 | 11.30 | 11.82 | 11.25 | 11.56 |
| RE/RR (<i>per cent</i>) | 95.71 | 106.04 | 115.27 | 104.91 | 100.48 |
| Gross State Domestic Product | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| Rate of growth of GSDP (<i>per cent</i>) | 7.48 | 5.08 | (-1.12) | 18.29 | 13.48 |
| Ratio of change in Revenue Expenditure to | | | | | |
| Change in GSDP | 1.409 | 2.453 | * | 0.688 | 1.229 |
| Change in Revenue Receipts | 0.727 | 8.307 | * | 0.531 | 0.764 |

Source: Finance Accounts of respective years
*Due to negative growth of GSDP and revenue receipt, buoyancy could not be calculated.



(Source: Finance Accounts 2022-23)

During 2022-23, revenue expenditure constituted 86.01 per cent of the total expenditure. The growth rate of revenue expenditure increased from 12.58 per cent in 2021-22 to 16.57 per cent in 2022-23.

2.4.2.1 Major changes in Revenue Expenditure

Table 2.17 details significant variations under various Heads of Account with regard to revenue expenditure of the State during the current year 2022-23 as compared with the previous year 2021-22.

Table 2.17: Variations in Revenue Expenditure during 2022-23 compared to 2021-22

(₹ in crore)

| Major Heads of Account | 2021-22 | 2022-23 | Increase (+)/ Decrease (-) |
|--|----------|-----------|-------------------------------|
| 2216-Housing | 1568.15 | 3784.31 | 2216.16 |
| 2071-Pensions and Other Retirement Benefits | 38513.30 | 43108.66 | 4595.36 |
| 2202-General Education | 64950.39 | 76076.91 | 11126.52 |
| 2217- Urban Development | 12231.96 | 13300.33 | 1068.37 |
| 2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, and Minorities | 16463.84 | 18745.51 | 2281.67 |
| 2435-Other Agricultural Programmes | 393.31 | 5582.13 | 5188.82 |
| 3604- Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions | 25962.54 | 32 874.49 | 6911.95 |

Source: Finance Accounts of respective years

During the year 2022-23, there was significant increase in revenue expenditure due to increase in expenditure on General Education, Other Agricultural Programmes and Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions.

2.4.2.2 Committed Expenditure

The committed expenditure of the State Government on revenue account consists of interest payments, expenditure on salaries and wages, and pensions. It has the first charge on Government resources.

Apart from the above, there are certain items of inflexible expenditure which cannot be ordinarily altered or varied, or are statutorily required on an annual basis, unlike for variable transactions such as capital expenditure. For example, the following items may be considered as inflexible expenditure:

- (i) Devolution to local bodies – statutory devolutions to local bodies for pay and allowances (devolution/transfer for capital expenditure).
- (ii) Statutory requirements of contribution to Reserve Funds – Contribution to Consolidated Sinking Fund (CSF), Guarantee Redemption Fund (GRF), State Disaster Mitigation/Response Fund (SDMF/SDRF) etc.
- (iii) Recoupment of Contingency Fund- Amount recouped within a year.
- (iv) Transfer of cess to reserve fund/other body, which are statutorily required.
- (v) Share contribution of CSS against the Central Fund received- Amount of state share to be transferred to SNAs/spent by the State.
- (vi) Payment of interest on the balances of the interest-bearing funds as if they were invested and payment of interest on public debt as charged expenditure-Interest payment.


The upward trend in committed expenditure leaves the Government with lesser flexibility for development sector. Trend analysis of committed and inflexible expenditure and its components is depicted in **Table 2.18** and share of committed expenditure in revenue expenditure is shown in **Chart 2.10**

Table 2.18: Components of Committed and Inflexible Expenditure

(₹ in crore)

| Components of Committed Expenditure | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Salaries and wages * | 80221.59 | 101981.24 | 100529.17 | 108791.45 | 125409.39 |
| Expenditure on Pensions | 26544.73 | 36077.52 | 41194.31 | 49112.25 | 54575.45 |
| Interest Payments | 34021.25 | 33560.73 | 36969.77 | 40158.04 | 41689.16 |
| Total | 140787.57 | 171619.49 | 178693.25 | 198061.74 | 221674.00 |
| Components of Inflexible expenditure | | | | | |
| Statutory devolution to local bodies | 5209.07 | 7038.57 | 8633.00 | 4336.90 | 5400.44 |
| Contribution to Reserve funds | 5066.88 | 18375.03 | 9780.54 | 14269.25 | 11424.22 |
| Recoupment of Contingency Fund | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer to cess to reserve fund/ other body | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share contribution of CSS against the Central fund received (State Share + Central Share) | 24705.90 | 18639.70 | 13145.50 | 21143.66 | 29214.31 |
| Payment of interest on the balances of the interest-bearing funds as if they could have been invested and payment of interest on public debt as charged expenditure- interest payment. | 121.58 | 472.65 | 702.85 | 667.83 | 232.61 |
| Total | 37103.43 | 52525.95 | 32261.89 | 40417.64 | 46271.58 |

| Components of Committed Expenditure | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| As a percentage of Revenue Receipts (RR) | | | | | |
| Committed expenditure | | | | | |
| Salaries and wages* | 28.75 | 36.01 | 37.31 | 32.64 | 30.91 |
| Expenditure on Pensions | 9.51 | 12.74 | 15.29 | 14.73 | 13.45 |
| Interest Payments | 12.19 | 11.85 | 13.72 | 12.05 | 10.28 |
| Total | 50.45 | 60.60 | 66.32 | 59.42 | 54.64 |
| Inflexible expenditure | | | | | |
| Total | 13.30 | 18.55 | 11.97 | 12.13 | 11.41 |
| As a percentage of Revenue Expenditure (RE) | | | | | |
| Salaries and Wages* | 30.04 | 33.96 | 32.37 | 31.11 | 30.77 |
| Expenditure on Pensions | 9.94 | 12.01 | 13.26 | 14.04 | 13.39 |
| Interest Payments | 12.74 | 11.18 | 11.90 | 11.48 | 10.22 |
| Total | 52.72 | 57.15 | 57.53 | 56.63 | 54.38 |
| Inflexible Expenditure | | | | | |
| Total | 13.90 | 17.49 | 10.39 | 11.56 | 11.35 |
| Non- Committed RE | 126234.10 | 128685.72 | 131916.51 | 151624.15 | 185934.64 |
| Percentage of RE | 47.27 | 42.85 | 42.47 | 43.36 | 45.62 |
| Percentage of TE | 41.58 | 38.00 | 38.50 | 38.02 | 39.23 |
| Subsidies | 27397.78 | 28385.98 | 40861.58 | 29137.2 | 43150.79 |
| Subsidies as <i>percentage</i> of non-committed expenditure | 21.70 | 22.06 | 30.98 | 19.22 | 23.21 |
| * Includes salaries paid out of grants-in-aid | | | | | |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |



(Source: Finance Accounts of respective years)

Committed expenditure constituted 54.64 *per cent* of the revenue receipts and 54.38 *per cent* of the revenue expenditure of the State during 2022-23. The committed expenditure increased by ₹ 23,612.26 crore (11.92 *per cent*) from the previous year.

Salaries and Wages

Expenditure on salaries and wages over the five-year period (2018-19 to 2022-23) increased by ₹ 45,187.80 crore (56.33 *per cent*) from ₹ 80,221.59 crore in 2018-19

to ₹ 1,25,409.39 crore in 2022-23. Its share in revenue expenditure increased slightly during the current year relative to the previous year and accounted for 30.77 per cent of revenue expenditure during 2022-23.

Interest Payments

During 2022-23, interest payments increased by ₹ 1,531.12 crore (3.81 per cent) over the previous year. During the current year, interest payments increased mainly due to higher interest paid for Maharashtra State Development Loan, interest provided on Provident Fund of teaching and non-teaching staff of aided, non-government, vocational education and training Institutes, interest on Defined Contributory Pension Scheme approved for teaching/non-teaching staff of aided non-Government secondary schools and added expenditure on Maharashtra State Government Employees Group Insurance Scheme.

Pension Payments

The expenditure during the year on pension and other retirement benefits to State Government employees recruited prior to November 2005 was ₹ 54,575.45 crore (13.39 per cent of revenue expenditure). There was an increase of ₹ 5,463.20 crore over the previous year. This was mainly due to higher expenditure on death-cum-retirement gratuities sanctioned under Section II of the New Pension Rules of 1950 - Pension for Service after 1 April 1936, in addition to normal pension benefits.

2.4.2.3 Undischarged liabilities in National Pension System

The Government introduced the 'National Pension System' (NPS) applicable to all new entrants joining State Government Service on or after November 2005. The contributions are initially transferred to the Public Account (Major Head '8342-117-Defined Contributory Pension Scheme'(DCPS)). The State Government has the responsibility to deposit both employees' and employer's share with the designated authority i.e., National Securities Depository Limited (NSDL)/trustee bank for further investment as per the guidelines of NPS. The State Government opens a current account with the trustee bank for parking the funds before transfer to NSDL.

The Government of Maharashtra adopted (October 2005) the NPS architecture and implemented DCPS for State Government employees recruited on or after 1 November 2005. The DCPS was also applicable to employees recruited in services of recognized and aided educational institutions, non- agricultural Universities and affiliated non-government Colleges and Agricultural Universities, Zilla Parishads etc. for which the existing pension scheme and General Provident Fund Scheme was applicable.

The State Government implemented the NPS in August 2014 for employees recruited on or after 1 November 2005 in the State Government, Zilla Parishad, Recognized and Aided Educational Institutions, Agricultural/Non-Agricultural Universities and affiliated Non-Government Colleges, Corporations under Water Resources Department. In terms of the Scheme, the employee contributes 10 per cent of his/her basic pay and dearness allowance and 14 per cent of basic pay and dearness allowance is contributed by the State Government. As per Ministry of Finance's notification dated 31 January 2019, the employer's contribution rate has been enhanced to 14 per cent with effect from 1 April 2019. The entire amount is to be transferred to the designated fund manager through the NSDL/Trustee Bank.

During 2022-23, the total contribution to the NPS was ₹ 6,608.51 crore (Employees' contribution of ₹ 2,421.72 crore and Government's contribution ₹ 4,186.79 crore). The State Government transferred ₹ 6,608.51 crore to the Public account under Major Head 8342-117- Defined Contribution Pension Scheme. From Major Head 8342-117- Defined Contribution Pension Scheme, ₹ 8194.05 crore had been transferred to NSDL and as on 31 March 2023, cumulative balance of ₹ 7,464.60 crore yet to be transferred to NSDL.

Inflexible expenditure

The components of inflexible expenditure, which include among others statutory devolution to local bodies and contribution to Reserve Funds, increased from ₹ 37,103.43 crore in 2018-19 to ₹ 46,271.58 crore in 2022-23. Inflexible expenditure constituted 11.35 *per cent* of the revenue expenditure during 2022-23, as compared to 11.56 *per cent* during 2021-22. The inflexible expenditure (₹ 46,271.58 crore) increased by 14.48 *per cent* during 2022-23 over the previous year (₹ 40,417.64 crore).

2.4.2.4 Subsidies

Subsidies given by the State Government during 2018-19 to 2022-23 are shown in **Table 2.19**.

Table 2.19: Expenditure on subsidies during 2018-19 to 2022-23

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Subsidies (₹ in crore) | 27397.78 | 28385.98 | 40861.58 | 29137.20 | 43158.36 |
| Subsidies as a percentage of Revenue Receipts | 9.82 | 10.02 | 15.16 | 8.74 | 10.64 |
| Subsidies as a percentage of Revenue Expenditure | 10.26 | 9.45 | 13.16 | 8.33 | 10.59 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

Expenditure on subsidies increased from ₹ 27,397.78 crore in 2018-19 to ₹ 43,158.36 crore in 2022-23 i.e. from 10.26 *per cent* of the total revenue expenditure in 2018-19 to 10.59 *per cent* in 2022-23. During the current year, subsidies constituted 10.59 *per cent* of the revenue expenditure and 10.64 *per cent* of revenue receipts.

The Departments of Industries, Energy and Labour, Agriculture, Animal Husbandry, Dairy development, and Fisheries, Food and Civil Supplies and Home booked major expenditure as subsidies.

Industries, Energy and Labour department gave a subsidy of ₹ 18,377.24 crore (42.58 *per cent*) of which, a major portion of ₹ 6,000 crore was on account of financial assistance (interest waiver, rebate in VAT, exemption of electricity duty, waiver of stamp duty *etc.*) given to encourage the dispersal of industries to less developed areas under the scheme 'Package scheme of incentives', ₹ 5,808.10 crore was on account of concession in energy tariff to agriculture pump consumers and ₹ 3,387.96 crore to industrial consumers.

Agriculture, Animal Husbandry, Dairy development and Fisheries department, spent a total amount of ₹ 6,696.60 crore, as subsidy out of which ₹ 2,416.04 crore pertained to the State share in the Pradhan Mantri Crop Insurance.

Co-operation, Marketing and Textiles department gave subsidy of ₹ 6,641.36 crore out of which ₹ 5,440.65 crore pertained to the State scheme of incentive benefit under Mahatma Jyotirao Shetkari Karjamukti Yojana.

The subsidy of ₹ 3,587.06 crore given by Food and Civil Supplies, mainly included subsidy given for covering deficit under National Food Security Scheme (₹ 1,782.62 crore) and ₹ 1,096.32 crore for covering deficit under Centrally Support Price Scheme.

2.4.2.5 Financial Assistance by the State Government to Local Bodies and Other Institutions

Financial assistance is provided by the State Government to local bodies and other institutions by way of grants and loans. The quantum of assistance provided by way of grants and loans to local bodies and other institutions during 2022-23 compared to previous years is shown in **Table 2.20**.

Table 2.20: Financial Assistance to Local Bodies, etc.

(₹ in crore)

| Institutions | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (A) Local Bodies | | | | | |
| Municipal Corporations and Municipalities | 28958.48 | 30802.66 | 30101.99 | 36340.72 | 40832.22 |
| Panchayati Raj Institutions | 21123.91 | 26620.62 | 28724.25 | 29417.83 | 37504.47 |
| Total (A) | 50082.39 | 57423.28 | 58826.24 | 65758.55 | 78336.69 |
| (B) Others | | | | | |
| Educational Institutions (Aided Schools, Aided Colleges, Universities, etc.) | 31428.21 | 36674.10 | 35899.78 | 39536.97 | 47821.21 |
| Development Authorities | 1027.43 | 584.31 | 2303.49 | 1631.33 | 4511.15 |
| Hospitals and Other Charitable Institutions | 5707.03 | 5364.44 | 7345.86 | 9693.05 | 8030.81 |
| Other Institutions | 34317.45 | 34158.76 | 29405.90 | 38152.96 | 49090.03 |
| Total (B) | 72480.12 | 76781.61 | 74955.03 | 89014.31 | 109453.20 |
| Total (A+B) | 122562.51 | 134204.89 | 133781.27 | 154772.86 | 187789.89 |
| GIA on Salary | 48137.42 | 60540.17 | 61045.62 | 65811.92 | 76234.13 |
| GIA for creation of Capital assets | 1119.47 | 1234.66 | 1686.84 | 1254.48 | 1891.15 |
| GIA for non-salary | 71183.93 | 69840.58 | 69002.46 | 84254.44 | 100188.57 |
| GIA given in kind | 188.04 | 37.35 | 97.53 | 220.26 | 304.01 |
| Revenue Expenditure | 267021.67 | 300305.21 | 310609.76 | 349685.89 | 407614.40 |
| Assistance as percentage of Revenue Expenditure | 45.90 | 44.69 | 43.07 | 44.26 | 46.07 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

The financial assistance to local bodies and other institutions has increased by ₹ 33,017.03 crore (21.33 per cent) in 2022-23 as compared to 2021-22. During 2022-23, the State Government released an amount of ₹ 24,448.79 crore assistance to Municipal Corporations for loss of revenue arising due to implementation of GST as compared to ₹ 23,006.76 crore released in 2021-22.


Grantee institutions under 'Others' category received substantial assistance during 2018-19 to 2022-23. Recording of grantee institutions under 'Others' category, and absence of details of assets created with the concerned grant-releasing Departments of the State Government is a matter of concern, as it renders such transactions opaque.

Financial assistance (GoI and State Government), given for the creation of capital assets, given in kind, given for salary and for non-salary purpose increased by ₹ 27,076.76

crore (17.87 per cent) during 2022-23 as compared to 2021-22. It was further noted that assistance on salary and non-salary component had continuously showed an increasing trend during the last five years. The share of financial assistance on salary, non-salary, creation of capital assets and GIA given in kind was 40.60 per cent, 53.35 per cent, 1.01 per cent and 0.16 per cent respectively of the total assistance given by the State Government.

2.4.3 Capital Expenditure

Capital Expenditure (capex) is primarily expenditure on creation of fixed infrastructure assets such as roads, buildings etc. Trend of capital outlay vis-à-vis total expenditure during the five year period (2018-19 to 2022-23) is given in **Chart 2.11**.



(Source: Finance Accounts of respective years)

During 2022-23, Capital outlay (₹ 61,643.61 crore) constituted 13 per cent of the total expenditure. Capital outlay increased by 32.08 per cent (₹ 14,973.22 crore) during 2022-23 as compared to 2021-22. Of the total capital outlay of ₹ 61,643.61 crore incurred in 2022-23, ₹ 25,795.11 crore (41.85 per cent) was spent on roads and bridges. ₹ 11,119.24 crore (18.04 per cent) was spent for irrigation and flood control activities followed by ₹ 7,252.92 crore (11.77 per cent) for agriculture and allied services.

2.4.3.1 Major changes in Capital Expenditure

Table 2.21 highlights significant variations under various Heads of Accounts with regard to capital outlay of the State during 2021-22 and 2022-23.

Table 2.21: Capital outlay during 2022-23 compared to 2021-22

| Major Heads of Accounts | 2021-22 | 2022-23 | Increase (+)/ Decrease (-) |
|--|----------|----------|-------------------------------|
| 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges | 20487.61 | 25795.11 | 5307.50 |
| 4801-Capital Outlay on Power Projects | 1267.37 | 492.52 | (-)774.85 |
| 4702-Capital Outlay on Minor Irrigation | 1677.90 | 1617.26 | (-)60.64 |
| 4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation | 8412.41 | 8699.91 | 287.50 |
| 4210-Capital Outlay on Medical and Public Health | 1612.26 | 1724.17 | 111.91 |
| 4402-Capital Outlay on Soil and Water Conservation | 2096.82 | 2152.57 | 55.75 |

2.4.3.2 Quality of Capital Expenditure

Out of the total Capital outlay of ₹ 61,643.61 crore, Government had invested ₹ 18,783.67 crore (30.47 *per cent* of capital outlay) in statutory corporations (₹ 14,099.36 crore) mainly related to Irrigation Development Corporations, Rural banks (₹ 85.31 crore) Government Companies (₹ 4,504.91 crore) and in co-operative banks/societies and local bodies (₹ 94.09 crore).

This section presents an analysis of investments and other capital expenditure undertaken by the Government during the current year.

Quality of investments in the Companies, Corporations, and Other Bodies

Capital Expenditure (CE) in Companies and Corporations which are loss making and whose net worth is completely eroded is not sustainable.

Investments in the form of equity/ loans given to companies, corporations and co-operatives, which are either loss making or have eroded their net worth completely, affect the quality of capital expenditure. Return on investment in share capital invested in public sector undertakings (PSUs) and history of repayment of loans given to various bodies are important determinants of quality of CE.

As on 31 March 2023, the State Government invested ₹ 2,07,442.12 crore in statutory corporations, rural banks, joint stock companies and co-operatives (**Table 2.22**). The average return on these investments for 2022-23 was 0.02 *per cent* while the Government paid an average interest rate of 6.58 *per cent* on its borrowings.

Table 2.22: Return on Investment

| Investment/Return/ Cost of borrowings | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investment at the end of the year (₹ in crore) | 153322.10 | 165024.85 | 173983.84 | 188658.45 | 207442.12 |
| Return on investment (₹ in crore) | 275.48 | 56.53 | 401.02 | 88.36 | 36.01 |
| Return on investment (<i>per cent</i>) | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| Average rate ⁴ of interest on Government Borrowings (<i>per cent</i>) | 7.83 | 7.32 | 7.19 | 6.96 | 6.58 |
| Difference between interest rate and return (<i>per cent</i>) | 7.65 | 7.29 | 6.96 | 6.91 | 6.56 |
| Difference between interest on Government borrowings and return on investment ⁵ (₹ in crore) | 11729.14 | 12030.31 | 12109.28 | 13036.30 | 13613.68 |
| ⁵ Investment at the end of the year x difference between interest rate and return. | | | | | |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

Information furnished by the Commissioner for Co-operation and Registrar of Cooperative Societies showed that of the 22,905 societies with an aggregate Government investment of ₹ 193.81 crore (equity: ₹ 54.00 crore and loan: ₹ 139.81 crore), 11,219 societies had incurred accumulated losses of ₹ 5,739.62 crore.

⁴ Average rate of interest on Government borrowings = Interest payment/ [(Amount of previous year's Fiscal Liabilities + Current year's Fiscal Liabilities)/2]*100

Reconciliation of Government Investment with Accounts of Companies

The figures of Government investments as equity in State Public Sector Undertakings SPSUs should agree with those appearing in the accounts of the SPSUs. Reconciliation of figures is necessary to figure out the differences in accounts of SPSUs and Finance Accounts of the State Government. Scrutiny of both the accounts revealed that as per Finance Accounts, Government investment as equity in 34 SPSUs was ₹ 1,29,762.69 crore whereas as per records of SPSUs, it was ₹ 2,31,213.91 crore. There was a difference of ₹ 1,01,451.22 crore as detailed in **Appendix 2.3**. Reconciliation should be carried out in a time bound manner to figure out the difference.

Quantum of loans disbursed and recovered (2018-19 to 2022-23)

In addition to investments in Co-operative Societies, Corporations and Companies, the State Government has also provided loans and advances to many institutions/ organizations. The Indian Government Accounting Standards-3 (IGAS-3) requires that loans sanctioned without specific terms and conditions should be specifically disclosed. The likelihood of recovery of loans outstanding against non-working companies is remote. The detailed position of Loans and Advances for 2018-19 to 2022-23 is given in **Table 2.23**.

Table 2.23: Position of Loans and Advances

(₹ in crore)

| Quantum of Loans/Interest receipts/ Cost of borrowings | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| Opening balance of Loans outstanding | 25804.68 | 25745.56 | 26100.55 | 26830.05 | 28087.20 |
| Amount advanced during the year | 1545.17 | 1969.86 | 2341.85 | 2436.03 | 4664.41 |
| Amount recovered during the year | 1604.29 | 1614.87 | 1612.35 | 1178.88 | 642.62 |
| Closing balance of the Loans outstanding | 25745.56 | 26100.55 | 26830.05 | 28087.20 | 32109.00 |
| Interest received | 394.00 | 322.00 | 315.87 | 202.05 | 180.85 |
| Interest rate ⁵ on Loans and Advances given by the Government (<i>per cent</i>) | 1.53 | 1.24 | 1.19 | 0.74 | 0.60 |
| Rate of Interest paid on the outstanding borrowings of the Government (<i>per cent</i>) | 7.83 | 7.32 | 7.19 | 6.96 | 6.58 |
| Difference between the rate of interest paid and interest received (<i>per cent</i>) | (-)6.30 | (-)6.08 | (-)6.00 | (-)6.22 | (-)5.98 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

2.4.4 Expenditure priorities

Availability of better social and physical infrastructure in the State generally reflects the quality of its expenditure. It is important for the State Government to take appropriate expenditure rationalization by focusing more on development expenditure – which is expenditure on Social and Economic Services. Apart from improving the allocation towards development expenditure, the efficiency of expenditure use is also reflected by the ratio of CE (capital outlay + disbursement of loans and advances) to total expenditure (TE) and the proportion of expenditure being spent on education and health sectors. The higher the ratio of these components to aggregate expenditure, the better is the quality of expenditure.

⁵ Interest rate on Loans and Advances given by the Government = Interest received/ {(Opening balance + closing balance of loan and advances)/2}*100

Table 2.24 compares the fiscal priority of the State with that of General category states with regard to TE, Social Sector Expenditure (SSE), Economic Sector Expenditure (ESE) and CE during 2022-23, taking 2018-19 as the base year.

Table 2.24: Fiscal Priority of the State in 2018-19 and 2022-23

| Particulars | (in per cent) | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | TE/ GSDP | SSE/ TE | ESE/ TE | CE/ TE | Expenditure on Education/ TE | Expenditure on Health/ TE |
| Average General category States' 2018-19 | 16.38 | 36.60 | 30.65 | 15.58 | 14.76 | 5.07 |
| Maharashtra 2018-19 | 12.01 | 37.73 | 27.03 | 12.05 | 16.89 | 4.28 |
| Average of General Category States' 2022-23 | 15.79 | 38.11 | 29.17 | 15.22 | 14.85 | 5.68 |
| Maharashtra 2022-23 | 13.44 | 37.03 | 27.58 | 13.99 | 17.21 | 4.30 |


Source: Finance Accounts 2022-23 and compilation report of SFAR 2022-23

Table 2.24 indicates the following:

- The State Government's total expenditure as proportion of GSDP increased from 12.01 *per cent* in 2018-19 to 13.44 *per cent* in 2022-23 whereas for average of General Category States' it decreased from 16.38 *per cent* to 15.79 *per cent* during the same period.
- Capital expenditure facilitates asset creation which generates opportunities for higher growth. The ratio of capital expenditure to total expenditure increased from 12.05 *per cent* in 2018-19 to 13.99 *per cent* in 2022-23. This ratio for the average of general category states decreased from 15.58 *per cent* to 15.22 *per cent* during the same period.
- The ratio of expenditure on education to the total expenditure in Maharashtra increased from 16.89 *per cent* in 2018-19 to 17.21 *per cent* in 2022-23, while in the case of average of General category States' it increased from 14.76 *per cent* to 14.85 *per cent* during the same period.
- The ratio of expenditure on health to total expenditure in Maharashtra increased slightly from 4.28 *per cent* in 2018-19 to 4.30 *per cent* in 2022-23, which was lower than the average of general category states at 5.68 *per cent* in 2022-23.

2.4.4.1 Object head-wise expenditure

Finance Accounts depict transactions only up to the Minor Head level. Object head wise expenditure gives information about the object/ purpose of the expenditure. The object head wise expenditure for 2022-23 is shown in **Chart 2.12**.



(Source: Finance Accounts 2022-23)

Salaries constituted 30 per cent of the revenue expenditure followed by GIA 24 per cent, Pension 13 per cent, Interest 10 per cent and Subsidies 11 per cent.

2.5 Public Account

Receipts and Disbursements in respect of certain transactions such as small savings, provident funds, reserve funds, deposits, suspense, remittances *etc.*, which do not form part of the Consolidated Fund are kept in the Public Account set up under Article 266(2) of the Constitution and are not subject to vote by the State Legislature. The Government acts as a banker in respect of these. The balance after disbursements during the year is the fund available with the Government for use for various purposes.

2.5.1 Net Public Account Balances

The component-wise net balances in Public Account of the State are given in **Table 2.25**.

Table 2.25: Component-wise net balances in Public Account

| | | (₹ in crore) | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sector | Sub Sec | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| I. Small Savings, Provident Funds, <i>etc.</i> | Small Savings, Provident Funds, <i>etc.</i> | 491.75 | 1766.69 | 739.89 | 966.64 | 576.44 |
| J. Reserve Funds | (a) Reserve Funds bearing Interest | 500.87 | 3781.61 | 657.53 | 156.33 | 712.25 |
| | (b) Reserve Funds not bearing Interest | (-)1073.50 | 6666.75 | 4512.62 | 8527.48 | 5247.20 |
| K. Deposits and Advances | (a) Deposits bearing Interest | 3630.92 | 5886.57 | 5674.11 | 2105.43 | 1170.28 |
| | (b) Deposits not bearing Interest | 692.01 | (-)686.58 | 333.23 | 500.73 | 2553.55 |
| | (c) Advances | (-)0.39 [#] | 3.67 | (-)1.20 | (-)2.51 | (-)1.40 |
| L. Suspense and Miscellaneous | (a) Suspense | 49.32 | 289.60 | (-)329.48 | 112.51 | (-)29.85 |
| | (b) Other Accounts | (-)3541.01 | 3265.52 | 29.13 | 7065.46 | 10737.42 |
| | (c) Accounts with Governments of Foreign Countries | 0 | 0 | 0.00 | (-)1.60 | 0.00 |
| | (d) Miscellaneous | 0 | 0.01 | 0.00 | 1.60 | (-)1.15 |
| M. Remittances | (a) Money Orders, and Other Remittances | 160.90 | (-)1664.09 | 2128.66 | (-)595.18 | 524.50 |
| | (b) Inter- Governmental Adjustment Account | (-)3.81 | (-)4.67 | (-)0.81 | 6.45 | 4.00 |
| TOTAL | | 907.06 | 19305.08 | 13743.68 | 18843.34 | 21493.24 |

Note: +ve denotes debit balance and -ve denotes credit balances [#]Lower rounding
Source: Finance Accounts of respective years

As shown in **Table 2.25** above, net balances in Public Account decreased from ₹ 18,843.34 crore in 2021-22 to ₹ 21,493.24 crore in 2022-23.

2.5.2 Reserve Funds

Reserve Funds are created for specific and defined purposes under the Public Account of the State Government. These funds are met from contributions or grants from the Consolidated Fund of the State.

As of March 2023, there were 21 active Reserve Funds earmarked for specific purposes. Out of these, 12 funds were operative (₹ 73,362.53 crore) and the remaining nine were inoperative (₹ 32.64 crore). The total accumulated balance at the end of 31 March 2023 in these funds was ₹ 73,395.17 crore, out of which ₹ 5,520.76 crore was under interest bearing Reserve Fund and ₹ 67,874.41 crore under non-interest-bearing Reserve Fund.

Details of major Reserve Fund transactions during the year are described in the subsequent paragraphs.

2.5.2.1 Consolidated Sinking Fund

In terms of the recommendations of the Tenth Finance Commission, the State Government created (1999-2000) a Consolidated Sinking Fund to be administered by the RBI for amortization of open market loans. As per the constitution of Consolidated Sinking Fund of Maharashtra, the State Government is to contribute one to three *per cent* of the outstanding open market loans as at the end of the previous years to the fund. In 2017, the Government of Maharashtra vide Notification No. CSF.1017/CR-17/ WAM dated 1 July 2017 revised the Consolidated Sinking Fund Scheme effective from the year 2017-18 with the objective of utilisation of Consolidated Sinking Fund for redemption of the outstanding liabilities of the Government commencing from the financial year 2022-23. In terms of the revised guidelines of the RBI, States are required to contribute to the Fund a minimum of 0.5 *per cent* of their outstanding liabilities (Internal Debt + Public Account liabilities) as at the end of the previous year. During 2022-23, the State Government transferred ₹ 1,500 crore, as against ₹ 3,031.48 crore required to be contributed to the fund, from the Revenue Account which works out to 2.76 *per cent* of total outstanding (Open Market Loans) of ₹ 54,374.17 crore as on 1 April 2022 and to 0.34 *per cent* of outstanding liability of ₹ 4,45,079.61 crore (Internal debt + Public Account liabilities) as on 1 April 2022. The total accumulation of the Fund was ₹ 60,004.03 crore as on 31 March 2023.

2.5.2.2 State Disaster Response Fund

In pursuance of provisions of the Disaster Management Act, 2005 and as per the recommendations of XIII Finance Commission, the Government of India under Section 48(1)(a) of the Disaster Management Act, 2005 has constituted 'The State Disaster Response Fund' in 2010-11 for meeting the expenditure for providing immediate relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst, pest attack, frost and cold wave. As per the recommendations of the XIV Finance Commission, the annual contribution to the State Disaster Response Fund is in the ratio of 75:25 between Government of India and Government of Maharashtra. In pursuance of recommendation of XV Finance Commission and the Disaster Management Act, 2005 the State Government is required to establish State Disaster Mitigation Fund (SDMF) for providing small grants for community based local initiatives to mitigate hazards through soft measures. The State Government has not created the SDMF as on 31 March 2023 under Major Head 8121-130- State Disaster Mitigation Fund.

During the year 2022-23, the State Government received ₹ 2,706.40 crore as GoI share towards SDRF. The State Governments share during the year was ₹ 902.40 crore. The State Government transferred entire amount ₹ 3,608.80 crore to the Fund under Major Head 8121-122 SDRF.

In addition, the State Government received the GoI share towards SDMF for 2022-23 of ₹ 676.60 crore. The State Government share during 2022-23 was ₹ 112.80 crore. As SDMF was not created, the State Government transferred the entire amount to the State Disaster Response Fund.

The total fund transferred to SDRF during 2022-23 was ₹ 4,608.80 crore⁶, of which, an expenditure of ₹ 3,608.80 crore was incurred during the year, leaving a balance of ₹ 2,074 crore in the Fund as on 31 March 2023. State Governments are required to pay interest to the SDRF⁷. The interest is to be credited on a half-yearly basis. The accretions to the SDRF together with the income earned on the investment of SDRF is to be invested in Union Government dated securities, auctioned treasury bills and other interest earning deposits with Scheduled Commercial Banks.

The details of the fund viz SDRF and SDMF are given in **Table 2.26**.

Table 2.26: GoI and State share in SDRF

| (₹ in crore) | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Opening balance as on 01.04.2022 | GoI share received during 2022-23 | State share during 2022-23 | Assistance received from NDRF | Total fund transferred to SDRF during 2022-23 | Disbursement from the fund | Balance as on 31.03.2023 |
| 1074.00 | 3593.60 | 1015.20 | Nil | 4608.80 | 3608.80 | 2074.00 |

Source: Finance Accounts 2022-23

Details of expenditure for Relief on Account of Natural Calamities (MH 2245) during the year 2022-23 are presented in **Table 2.27**.

Table 2.27: Details of Expenditure on Major Head 2245

| (₹ in crore) | | |
|--|---|----------------------------|
| Major Head of Account | Minor Head of Account | Expenditure during 2022-23 |
| 2245- Relief on Account of Natural Calamities 02- Floods, Cyclones etc | 101-Gratuitous Relief | 6743.90 |
| | 113-Assistance for repairs/reconstruction houses | 97.80 |
| | 115-Assistance to farmers to clear sand/silt/salinity from lands | 49.85 |
| | 117-Assistance to farmers for purchase of livestock | 16.18 |
| | 118-Assistance for Repairs/Replacement of damaged boats and equipment for fishing | 13.18 |
| | 119-Assistance to artisans for repairs/replacement of damaged tools and equipment | 1.09 |
| | 800-Other expenditure | 0.00 |
| | Sub Total 02 | 6922.00 |
| 2245- Relief on Account of Natural Calamities 80- General | 800-Other Expenditure | 54.04 |
| | 911- Deduct-Recoveries of Overpayments | -0.19 |
| | Sub-Total 80 | 53.85 |
| | Grand Total | 6975.85 |

Source: Finance Accounts 2022-23

⁶ SDRF and SDMF (Union and State share) = ₹4398.20 crore plus SDMF (Union share) ₹ 644.40 crore pertaining to 2021-22 received in 2022-23 less SDMF (union share) ₹ 433.80 crore pertaining to 2022-23 but received in 2023-24.

⁷ Interest calculated taking average Repo rate + two per cent i.e., 7.49 per cent as per the Guidelines of SDRF.

2.5.2.3 Guarantee Redemption Fund

In terms of the XII FC, GoM vide notification dated 20 December 2018, created Guarantee Redemption Fund in 2018-19 to meet contingent liabilities arising from the Guarantees given by the State Government in respect of bonds issued and other borrowings by the State Level Undertakings or other bodies and invoked by the 'beneficiaries'. The accumulations in the Fund are to be utilised only towards payment of the guarantees issued by the Government and not paid by the institutions on whose behalf guarantees were issued.

The fund shall be administered by the Central Accounts Section of the RBI and should be kept outside the General Revenues of the Government. The funds are invested by the RBI.

As per the constitution of the Fund, the State Government is to contribute minimum one *per cent* of outstanding guarantees at the end of the previous year from 2019-20 initially. Thereafter 0.5 *per cent* of such outstanding amount shall be deposited in the fund every year to achieve the level of five *per cent* of total outstanding by 2027-28.

During the year, the State Government transferred ₹ 213.47 crore as against ₹ 256.32 crore as required under Guarantee Redemption Fund to the Fund and ₹ 78.41 crore has been invested by the RBI during the year. The amount in the fund as on 31 March 2023 was ₹ 1,236.72 crore which was 2.41 *per cent* of the total outstanding Guarantees (₹ 51,263.35 crore) as on 31 March 2022.

2.5.2.4 State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)

In compliance with the instructions issued by the Ministry of Environment and Forests, GoI, the State Governments are required to establish the State Compensatory Afforestation Fund for amounts received from user agencies.⁸ The money collected is to be utilized for undertaking compensatory afforestation, assisted natural regeneration, conservation and protection of forests, infrastructure development, wildlife conservation and protection and other related activities.

The money received by the State Governments from the user agencies need to be credited in 'State Compensatory Afforestation Deposits' under interest bearing section in Public Account of the State at Minor head level below the Major Head 8336-Civil Deposits. As per Section 3(4) of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016, 90 *per cent* of the fund needs to be transferred to the Major Head 8121-General and Other Reserve Funds in Public Account of State and balance 10 *per cent* is to be credited into the National Compensatory Afforestation Fund on yearly basis provided that the credit of 10 *per cent* Union share of funds is received on monthly basis. The applicable rate of interest on balances available under 'State Compensatory Afforestation Deposits' under '8336-Civil Deposits' and 'State Compensatory Afforestation Fund' under 8121- General and other Reserve Funds will be as per the rate declared by the Union Government on an annual basis. (3.35 *per cent* for the year 2022- 23 as per circulars issued by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change GoI, October 2022).

⁸ "User Agency" means any person, organisation, or company or department of the Central or State Government making a request for diversion or de-notification of forest land for non-forest purpose or using forest land for non-forest purpose in accordance with the permission granted by the Central Government under the Act or the rules.

During the year 2022-23, the State Government did not receive any amount from the user agencies, and hence no amount was remitted to the National Fund. The State Government did not receive any amount (received ₹ 285.22 crore in previous year) from National Compensatory Afforestation Deposit. The Government booked an expenditure of ₹ 448.64 crore to Major head 8121-General and Other Reserve Funds. The total balance in the State Compensatory Afforestation Fund as on 31 March 2023 was ₹ 2,781.76 crore.

2.5.2.5 Building and other Construction Workers Welfare Cess

The GoI enacted the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (Cess Act) to levy and collect cess for providing benefits to construction workers. The Act, *inter alia*, mandated constitution of a Building and Other Construction Workers' Welfare Board and framing of rules by every State Government to exercise the powers conferred under the Act. Accordingly, the Government of Maharashtra has framed Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2007 under the Act and has constituted Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board. The Board is responsible for the operation and maintenance of the amount credited by the Government as labour cess Deposits. As of September 2022, the Board has collected ₹ 1,185.58 crore as labour cess. The department has not furnished details of expenditure incurred from the Fund, and the balance available as on 31 March 2023.

During the year 2022-23, the Government collected ₹ 1,156.76 crore being the collection of cess (other than Labour Cess). Out of total collection of ₹ 1,156.76 crore, no amount was transferred to the designated fund by the State Government resulting in understatement of Revenue Deficit and Fiscal deficit to that extent.

2.5.2.6 Accounting of transaction relating to Central Road and Infrastructure Fund (CRIF)

Government of India introduced CRIF scheme in 2001-02 to allocate and disburse funds for the development and maintenance of National Highways, rural roads, state roads (Roads of Inter-state connectivity and economic importance) and construction of roads either under or over the railways by means of bridges and erections of suitable safety works at unmanned rail-road level crossings.

GoI provides annual grants under the CRIF to the State Government to incur expenditure on specific road projects. In terms of the extant accounting procedure, the grants are to be initially booked as Revenue Receipts under Major Head "1601-Grants-in-Aid from Union Government". Thereafter the amount so received is to be transferred by the State Government to the Public Account under Major Head "8449-Other Deposits-103-Subventions from Union Road Fund", through Revenue Expenditure Major Head "3054-Roads and Bridges". This process ensures that receipt of the grants does not result in overstatement of revenue surplus or understatement of revenue deficit in the accounts. The expenditure on prescribed road works under CRIF will first be accounted for under the relevant capital or revenue expenditure section (Major Heads 5054 or 3054) and reimbursed out of the Public Account under Major Head 8449 as a deduct expenditure to the concerned Major Head (5054 or 3054 as the case may be).

During the year 2022-23, Government of Maharashtra received assistance of ₹ 1,084.15 crore from Ministry of Road Transport and Highways, which was transferred to Central Road Fund (Major Head 8449- Other Deposits-103- Subvention from Central Road and Infrastructure fund).

2.5.2.7 Funds outside Consolidated Fund or Public Account of the State

Article 266(1) of the Constitution of India, subject to the provisions of Article 267, provides that all revenues received by the Government of a State, all loans raised by that Government by the issue of treasury bills, loans or ways and means advances and all moneys received by that Government in repayment of loans shall form one Consolidated Fund to be entitled the 'Consolidated Fund of the State'. Article 266(2) provides that all other public moneys received by or on behalf of the Government of a State shall be credited to the public account of the State, as the case may be.

An instance wherein public expenditure was met through creation of fund outside the Consolidated Fund was mentioned in earlier Reports⁹ of the CAG on State Finances. This procedure continued during the current year as discussed below

2.5.2.7.1 Maharashtra Nivara Nidhi

(a) The Housing Department, Government of Maharashtra (GoM) created (May 2010) Maharashtra Nivara Nidhi (MNN) with the objective of supplementing the resources of the Government for undertaking various housing schemes through Central assistance. The MNN would receive funds from GoM, Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) and a recurring contribution from Slum Rehabilitation Authority (SRA) by way of 90 *per cent* of the land premium collected by the Authority. This fund created under the jurisdiction of MHADA would be audited on the lines of MHADA and the annual accounts and the audit report of MNN would be placed in the State Legislature every year.

Since its inception till March 2023, MNN received ₹ 48,257.72 crore from GoM, MHADA and a recurring contribution from SRA by way of 90 *per cent* of the land premium collected by the Authority. During 2022-23, the receipt was ₹ 5,887.91¹⁰ crore, and payments of ₹ 5,858.85¹¹ crore in the account. The annual accounts and the audit report of the receipts and expenditure out of MNN were not submitted (September 2023) to the State Legislature.

As the Fund was created under the MHADA, an autonomous body audited by the CAG under Section 20(1) of the CAG's DPC (Act) 1971, a formal amendment to the MHADA Act, 1976, incorporating the creation of the MNN and the subsequent audit arrangement of the Fund was required under the CAG's DPC (Act), 1971. Further, the Finance Department had directed (August 2017) the Housing Department to make necessary amendments in the MHADA Act, 1976 ensuring administrative and financial independence for MNN and to ensure audit of the fund by CAG. However, amendment to the MHADA Act has not yet been made (September 2023). Despite MNN's 12-year existence, amendments to MHADA Act, 1976, remain unaddressed.

(b) In February 2018 the GoM decided to release Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) state share from MNN. Accordingly state share of ₹ 1,619.34 crore was released from MNN till 2020-21. GoI introduced (April 2021) a new system to streamline CSS fund

⁹ Paragraph 1.2.3, Paragraph 1.5.2, Paragraph 1.2.3, Paragraph 4.1.1 and Paragraph 4.1.1 of the Report of the CAG on State Finances for the year 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2019-20 and 2020-21 respectively

¹⁰ This included FSI premium (Mumbai and Konkan Board) ₹ 121.11 crore, SRA premium ₹ 176.90 crore, reimbursement from PMAY (Central) ₹ 743.62 crore, investment ₹ 4,596.50 crore and its interest of ₹ 179.48 crore

¹¹ This included an investment amount of ₹ 5,152.00 crore, SNA PMAY (Central) of ₹ 654.81 crore repayment of FSI premium ₹ 26.17 crore


allocation. Under the system, every State Government has to designate a SNA for implementing each CSS. The SNA will open a Single Nodal Account for each CSS at the State level in a Scheduled Commercial Bank authorised to conduct government business by the State Government. The funds for the scheme is released through the Public Financial Management System (PFMS) to the states, which includes opening of separate lines for central and state shares by every State Government in the State budget for every CSS having a state share and making necessary provisions of funds in the state budget for both the components.

In response to the PFMS arrangement, the Housing Department, GoM apprised GoI that the State share of PMAY was released to SNA from MNN, which is an extra budgetary resource (EBR). Since PFMS has no provision to capture payments from EBR and hence State share was not reflecting in the PFMS. The Housing Department requested to make arrangements for mapping of non-budgetary resources in the PFMS. This was denied by the GoI (Nov 2022) which suggested routing state shares through the State treasury, which PFMS was integrated with. GoM thereafter made provision of ₹ 611.28 crore in the budget for meeting state share of PMAY against Central grants of ₹ 917.91 crore during the year 2022-23.

Due to implementation of SNA and GoI’s denial to map EBR in PFMS, continuance of MNN as an extra budgetary source needs to be relooked as it is now mandatory for the State Government to release state share of CSS through State treasury. It would be appropriate if the activities planned under MNN are carried out through the regular budgetary process.

2.6 Public Liability Management

Management of public liability is the process of establishing and executing a strategy for managing the Government’s liability in order to raise the required amount of funding, achieve its risk and cost objectives and to meet any other sovereign debt management goals that the Government may have set through enactment or any other annual budget announcements. The amount of outstanding liability and the same as a percentage of GSDP is shown in **Chart 2.13**.



(Source: Finance Accounts of respective years)

The outstanding debt (Fiscal Liabilities) of the State increased from ₹ 4,36,781.93 crore in 2018-19 to ₹ 6,60,753.73 crore at the end of 2022-23. The outstanding debt to GSDP ratio of 18.73 *per cent* during 2022-23 was higher than the limits prescribed by the FRBM Act (18.14 *per cent*).

2.6.1 Liability Profile: Components

Total liabilities of the State Government are constituted by public debt (internal debt and loans from GoI) and public account liabilities. Internal debt of the State includes market loans, ways and means advances from RBI, special securities issued to National Small Savings Fund and loans from financial institutions, *etc.*


The component-wise liability trends are shown in **Table 2.28**.

Table 2.28: Component wise Public liability trends

| | (₹ in crore) | | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Components of fiscal liability | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Total Outstanding Liabilities (A+B) | 436781.94 | 479899.14 ^s | 548176.45 | 606295.26 | 660753.73 |
| Public debt (A) | 335020.67 | 367552.41 | 428481.78 | 483035.30 | 532942.35 |
| Internal debt | 328521.95 | 361132.26 | 408036.24 | 445079.61 | 485782.24 |
| Loans from GoI | 6498.72 | 6420.15 | 20445.54 [#] | 37955.69 [#] | 47160.11 |
| Public Account Liabilities (B) | 101761.27 | 112346.73 | 119694.67 | 123259.96 | 127811.38 |
| (i) Small Savings, Provident Fund etc | 25683.71 | 27450.40 | 28190.29 | 29156.93 | 29733.37 |
| (ii) Reserve funds bearing interest | 203.46 | 3985.08 | 4642.62 | 4798.95 | 5511.20 |
| (iii) Reserve funds not bearing interest | 7884.68 | 7721.83 | 7665.02 | 7501.17 | 7040.07 |
| (iv) Deposits bearing interest | 46192.77 | 52079.34 | 57753.45 | 59858.88 | 61029.16 |
| (v) Deposits not bearing interest | 21796.65 | 21110.07 | 21443.30 | 21944.03 | 24497.58 |
| Rate of growth of outstanding liability (percentage) | 1.01 | 9.87 | 14.23 | 10.60 | 8.98 |
| Gross State Domestic Product (GSDP) | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| Liability /GSDP (<i>per cent</i>) | 17.27 | 18.06 | 20.86 | 19.51 | 18.73 |
| Total Receipts under public debt & other liabilities | 79505.99 | 130325.03 | 171674.22 | 156649.53 | 162828.08 |
| Total Repayments under public debt & other liabilities | 75138.11 | 87212.01 | 103396.91 | 98530.72 | 108369.61 |
| Net funds Available | 4367.88 | 43113.02 | 68277.31 | 58118.81 | 54458.47 |
| Debt Repayments/ Debt Receipts (<i>per cent</i>) | 94.51 | 66.92 | 60.23 | 62.90 | 66.55 |
| ^s Increased by ₹ 4.18 crore due to <i>Proforma</i> correction owing to waiver of ₹ 3.58 crore on excess instalment paid against Union Loans and reversal of waiver of ₹ 7.76 crore adjusted in the year 2013-14 based on information received from Ministry of Finance, Department of Expenditure [#] During the year 2020-21 and 2021-22 the GoM received back-to-back loan of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation. As per Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, the borrowings under the Special Window (₹ 11,977 crore for 2020-21 and ₹ 13,782.36 crore for 2021-22) was not treated as debt of the State for any norms prescribed by the Finance Commission etc Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |


The total liabilities of the State increased from ₹ 4,36,781.94 crore in 2018-19 to ₹ 6,60,753.73 crore in 2022-23, registering an increase of 51.28 *per cent* mainly due to increase in public debt (₹ 1,97,921 crore) by 59.08 *per cent* and Public Account liabilities (₹ 26050.10 crore) by 25.60 *per cent*. During 2022-23, the overall liabilities increased by 8.98 *per cent* as compared to 10.60 *per cent* in 2021-22. The ratio of fiscal liabilities to GSDP increased from 17.27 *per cent* in 2018-19 to 18.73 *per cent* in 2022-23.

The composition of the overall liabilities during 2022-23 is depicted in **Chart 2.14**.




(Source: Finance Accounts 2022-23)

The component-wise liabilities trends for 2018-19 to 2022-23 are shown in **Chart 2.15**.



(Source: Finance Accounts of respective years)

Chart 2.16 depicts the quantum of internal debt taken *vis-à-vis* repaid during 2018-19 to 2022-23.



(Source: Finance Accounts of respective years)

Internal debt of the State Government increased by ₹ 51,650.66 crore (201.08 *per cent*) from ₹ 25,686.29 crore in 2018-19 to ₹ 77,336.95 crore in 2022-23. An amount of ₹ 36,634.32 crore was paid toward interest on internal debt during 2022-23. Further, during 2022-23, 47 *per cent* of internal debt raised was utilized for repayment of earlier debt as against 48 *per cent* in 2021-22.

The share of revenue deficit in fiscal deficit indicates the extent to which borrowed funds were used for current consumption. Persistently the high ratio of revenue deficit to fiscal deficit also indicates that the asset base of the State is continuously being eroded and a part of borrowings (Fiscal Liabilities) does not have any asset backup.

Table 2.29 shows an overall deficit (increase in cash balance) after financing the fiscal deficit during 2022-23.

Table 2.29: Receipts and Disbursements under components financing the Fiscal Deficit in 2022-23
(₹ in crore)

| Particulars | | Receipt | Disbursement | Net |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Market Borrowings | 71995.77 | 29185.00 | 42810.77 |
| 2 | Loans from GOI | 10235.89 | 1031.46 | 9204.43 |
| 3 | Special Securities issued to National Small Savings Fund (NSSF) | 0 | 5380.71 | (-)5380.71 |
| 4 | Loans from Financial Institutions | 5341.20 | 2068.62 | 3272.58 |
| 5 | Small Savings, PF, etc. | 5912.69 | 5336.25 | 576.44 |
| 6 | Deposits and Advances | 60351.62 | 56629.19 | 3722.43 |
| 7 | Suspense and Miscellaneous | 11526.46 | 820.06 | 10706.40 |
| 8 | Remittances | 54251.90 | 53723.40 | 528.50 |
| 9 | Reserve Fund | 11424.23 | 5464.78 | 5959.45 |
| 10 | Contingency Fund | 200 | 200 | 0.00 |
| 11 | Appropriation to Contingency Fund | 200 | 200 | 0.00 |
| 12 | Overall Deficit | 231439.76 | 160039.47 | 71400.29 |
| 13 | Increase (-)/Decrease (+) in cash balance | 77692.29 (O.B) | 81490.71 (C. B) | (-)3798.42 |
| 14 | Gross Fiscal Deficit | 309132.05 | 241530.18 | 67601.87 |

Source: Finance Accounts 2022-23

The financing pattern of the Fiscal Deficit has undergone a compositional shift as reflected in **Table 2.30**.


Table 2.30: Components of Fiscal deficit and its financing pattern

| | | (₹ in crore) | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Particulars | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Composition of Fiscal Deficit | | 23015.33 | 53886.19 | 71558.05 | 64301.86 | 67601.87 |
| 1 | Revenue Deficit | 11974.60 | (-)17115.63 | (-)41141.85 | (-)16374.32 | (-)1936.47 |
| 2 | Net Capital outlay | (-)35049.05 | (-)36415.57 | (-)29686.70 | (-)46670.39 | (-)61643.61 |
| 3 | Net Loans and Advances | 59.12 | (-)354.99 | (-)729.50 | (-)1257.15 | (-)4021.79 |
| Financing Pattern of Fiscal Deficit* | | | | | | |
| 1 | Market Borrowings | 3106.39 | 32996.31 | 50020.38 | 40781.64 | 42810.77 |
| 2 | Loans from GoI | (-)587.35 | (-)82.75 | 14025.39# | 17510.15# | 9204.43 |
| 3 | Special Securities issued to NSSF | (-)5309.46 | (-)5380.71 | (-)5380.71 | (-)5380.71 | (-)5380.71 |
| 4 | Loans from Financial Institutions | 3699.14 | 4994.71 | 2264.29 | 1642.44 | 3272.58 |
| 5 | Small Savings, PF, etc. | 491.75 | 1766.69 | 739.88 | 966.64 | 576.44 |
| 6 | Deposits and Advances | 4322.54 | 5203.66 | 6006.13 | 2603.65 | 3722.43 |
| 7 | Suspense and Miscellaneous | (-)3491.69 | 3555.13 | (-)300.30 | 7177.97 | 10706.40 |
| 8 | Remittances | 157.09 | (-)1668.76 | 2127.85 | (-)588.73 | 528.50 |
| 9 | Reserve Fund | (-)572.63 | 10448.36 | 5170.15 | 8683.81 | 5959.45 |
| 10 | Contingency Fund unrecouped | 2000.00 | (-)1000.00 | (-)1000.00 | 0 | 0 |
| 11 | Appropriation to/from Contingency Fund | (-)2000.00 | (-)8000.00 | 10000.00 | 0 | 0 |
| 12 | Overall Deficit | 1815.78 | 42832.64 | 83673.06 | 73396.86 | 71400.29 |
| 13 | Increase (-)/Decrease in cash balance (+) | 21199.55 | 11053.55 | (-)12115.01 | (-)9095.00 | (-)3798.42 |
| 14 | Gross Fiscal Deficit | 23015.33 | 53886.19 | 71558.05 | 64301.86 | 67601.87 |
| 15 | Net Market borrowings/fiscal deficit (<i>per cent</i>) | 13.5 | 61.2 | 69.9 | 63.4 | 63.33 |
| 16 | Net Capital outlay/FD (<i>per cent</i>) | 152.3 | 67.6 | 41.5 | 72.58 | 91.19 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | | |
| * All the figures are net of disbursements during the respective year | | | | | | |
| # During the year 2020-21 and 2021-22 the GoM received back-to-back loan of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation. As per Department of Expenditure, Ministry of Finance, GoI, the borrowings under the Special Window (₹ 11,977 crore for 2020-21 and ₹ 13,782.36 crore for 2021-22) was not treated as debt of the State for any norms prescribed by the Finance Commission etc | | | | | | |

Financing of fiscal deficit reveals the extent of various borrowings resorted to by the State to meet its requirement of funds over and above revenue and non-debt receipts. The components of fiscal deficit are revenue deficit, net capital outlay and Net loans and advances.

As seen from **Table 2.29** and **Table 2.30**, the share of market borrowings in financing of fiscal deficit remains steady at 63 *per cent* during 2021-22 and 2022-23. The fiscal deficit increased by ₹ 3,300.01 crore over the previous year mainly due to increase in capital expenditure. The net capital outlay as a percentage of fiscal deficit increased from 72.58 *per cent* in 2021-22 to 91.19 *per cent* in 2022-23, indicating that major portion of the debts were utilized for financing capital outlay.

The fiscal deficit as a percentage of GSDP decreased from 2.07 in 2021-22 to 1.92 in 2022-23, which was well below the target of 3.5 per cent as prescribed in the FRBM. The financing of fiscal deficit is shown in Chart 2.17.



(Source: Finance Accounts for the year 2022-23)

2.6.2 Debt Profile: Maturity and Repayment

Debt maturity and repayment profile indicates commitment on the part of the Government for Debt repayment or Debt servicing. The matured debts are repaid on time. Market loans are generally taken for a duration of 10 years. The options like “Green Shoe”, “re-issue”, “Buy-back” etc. are availed for raising loans to control weighted average rate of interest, with the advice of the RBI. The maturity profile as on 31 March 2023 is depicted in Table 2.31.


Table 2.31: Debt Maturity Profile of repayment of State Debt

| Year of maturity | Maturity Profile | Amount (₹ in crore) | | | Maturity profile of outstanding Public debt (in %) |
|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | Internal debts | Loans and advances from GoI | Total outstanding Public debt | |
| upto 2023-24 | 0-1 | 35644.10 | 524.84 | 36168.94 | 6.79 |
| between 2024-25 & 2025-26 | 2-3 years | 74840.21 | 579.43 | 75419.64 | 14.15 |
| between 2026-27 & 2027-28 | 4-5 years | 89006.80 | 135.96 | 89142.76 | 16.73 |
| between 2028-29 & 2029-30 | 6-7 years | 74851.71 | 67.35 | 74919.06 | 14.06 |
| between 2030-31 & 2032-33 | 8-10 years | 146204.27 | 15.83 | 146220.10 | 27.44 |
| 2033-34 onwards | Above 10 years | 41120.65 | 0.34 | 41120.99 | 7.72 |
| Others ¹² | | 24114.50 | 45836.36 | 69950.86 | 13.13 |
| Total | | 485782.24 | 47160.11 | 532942.35 | 100.00 |

Source: Finance Accounts 2022-23

¹² Other represents such amount of loan, the repayment schedule of which has not been provided by the State Government


The maturity profile of the State debt indicates that the liability of the State to repay the debt during the periods 1-3 years, 4-7 years and 8-10 years would be ₹ 1,11,588.58 crore, ₹ 1,64,061.82 crore and ₹ 1,46,220.10 crore respectively as shown in **Chart 2.18**.



(Source: Finance Accounts 2022-23)

The maturity profile of the outstanding public debt indicates that 59.54 per cent (₹ 2,75,650.4 crore) of the total outstanding public debt for which maturity details are available (₹ 4,62,991.49 crore) are repayable within the next seven years, which may put a strain on the Government budget during that period. The State government would have to work out a well thought out borrowing repayment strategy and increase their own tax and non-tax revenue resources.

The repayment schedule of market loans (principal and interest) is shown in **Chart 2.19** and **Table 2.32**.



(Source: Information received from Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai)

Table 2.32: Repayment schedule of Market Loans and Interest on Market Loans

| S No | Period of Repayment (Years) | ₹ in crore) | |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Repayment of Market Loans (Principal) | Repayment of Market Loans (Interest) |
| 1 | 0-1 (2022-23 to 2023-24) | 30262.35 | 30427.34 |
| 2 | 2-3(2024-25 to 2025-26) | 64583.00 | 53025.83 |
| 3 | 4-5 (2026-27 to 2027-28) | 80796.30 | 41913.69 |
| 4 | 6-7 (2028-29 to 2029-30) | 68162.35 | 31267.50 |
| 5 | 8-10 (2030-31 to 2032-33) | 141250.00 | 19999.30 |
| 6 | More than 10 | 38000.00 | 2156.06 |
| | Total | 423054.00 | 178789.72 |

Source: Information furnished by the Office of the Accountant General (A&E)- I, Maharashtra

As shown above, the State will have to repay ₹ 94,845.35 crore of market loans and pay interest of ₹ 83,453.17 crore in the next three financial years i.e., up to 2025-26. In the following two years i.e., up to 2027-28, principal amount of ₹ 80,796.30 crore and interest of ₹ 41,913.69 crore will be payable. Average annual outgo of principal repayment and interest will be approximately ₹ 60,201.70 crore during the next five years up to 2027-28.

During the period from 2028-29 to 2032-33, market loans of ₹ 2,09,412.35 crore and interest of ₹ 51,266.80 crore will be payable. As such, the State will have to repay approximately ₹ 52,135.83 crore annually on an average during the period 2028-29 to 2032-33.

2.7 Debt Sustainability Analysis

Debt sustainability analysis has been carried out on the basis of fiscal and debt parameters: Domar approach and compliance of macro-fiscal parameters to the respective FRBM targets. The result of the analysis is given in the following paragraphs:

- (A) Debt sustainability is defined as the ability of the State to maintain a constant debt-GDP ratio over a period of time. **Table 2.33** assesses the sustainability of debt of the State Government in terms of debt as a percentage of GSDP, rate of growth of outstanding debt, interest payments/revenue receipts ratio and net debt available to the State for the period from 2018-19 to 2022-23. Analysis of variation in debt sustainability indicators is given in **Table 2.33** and **Chart 2.20**

Table 2.33: Debt Sustainability Indicators and Trends

| Debt Sustainability Indicators | ₹ in crore) | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Outstanding Public Debt ¹³ (as on 31 st March of the year) | 335021.53 | 367548.23* | 428481.78# | 483035.30# | 532942.35 |
| Rate of Growth of Outstanding Public Debt | 0.27 | 9.71 | 16.58 | 12.73 | 10.33 |
| GSDP | 2528854 | 2657371 | 2627542 | 3108022 | 3527084 |
| Rate of Growth of GSDP | 7.48 | 5.08 | -1.12 | 18.29 | 13.48 |
| Public Debt/GSDP | 13.25 | 13.83 | 15.85 | 15.10 | 14.72 |
| Average interest Rate of Public Debt ¹⁴ (per cent) | 8.60 | 8.01 | 7.82 | 7.48 | 6.87 |

¹³ Outstanding Public Debt is the sum of outstanding balances under the heads 6003-Internal Debt and 6004- Loans and Advances from the Central Government

¹⁴ Interest paid (OB of public debt + CD of Public debt/2) (in per cent)

State Finances Audit Report for the year ended 31 March 2023


| Debt Sustainability Indicators | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Interest on Outstanding Public Debt | 28764.07 | 28123.59 | 31119.91 | 34080.08 | 34897.58 |
| Revenue Deficit/ surplus without interest payment on Public Debts | 40738.67 | 11007.96 | (-)10021.94 | 17705.76 | 32961.11 |
| Revenue Deficit/surplus due to interest payment | 11974.60 | (-)17115.63 | (-)41141.85 | (-)16374.32 | (-)1936.47 |
| Percentage of Interest payment to Revenue Receipt | 10.31 | 9.93 | 11.55 | 10.22 | 8.6 |
| Percentage of Debt Repayment to Debt Receipt | 96.51 | 41.28 | 30.25 | 39.71 | 43.01 |
| Debt Repayment | 25116.50 | 22868.24 | 26427.28 | 35934.66 | 37665.79 |
| Debt Receipt | 26025.21 | 55395.80 | 87356.65 | 90488.18 | 87572.84 |
| Debt redemption ¹⁵ as per cent to Debt Receipts | 207.03 | 92.05 | 65.88 | 77.37 | 82.86 |
| Net Debt available to the State ¹⁶ | (-)27855.36 | 4403.97 | 29809.46 | 20473.44 | 15009.47 |
| Net Debt available as per cent to Debt Receipts | (-)107.03 | 7.95 | 34.12 | 22.63 | 17.14 |
| Primary Deficit | 11005.92 | (-)20325.46 | (-)34588.28 | (-)24143.82 | (-)25912.71 |
| Interest Spread ¹⁷ | (-)1.12 | (-)2.93 | (-)8.94 | 10.81 | 6.61 |
| Quantum Spread ¹⁸ | (-)3752.24 | (-)10769.16 | (-)38306.27 | 49431.53 | 33524.80 |
| Debt Stabilisation (Quantum spread + Primary Deficit) | 7253.67 | (-)31094.62 | (-)72894.55 | 25287.70 | 7612.09 |
| <p>* In Finance accounts 2020-21, the opening balance of Public Debt was changed to ₹ 3,67,552.41 crore from ₹ 3,67,548.23 crore (closing balance of 2019-20) due to increased by ₹ 4.18 crore due to Proforma correction owing to waiver of ₹ 3.58 crore on excess installment paid against Central loans and reversal of waiver of ₹ 7.76 crore adjusted in 2013-14 based on information received from Ministry of Finance, Department of Expenditure' hence the resultant amount of ₹ 3,67,548.23 has been taken</p> <p># These figures includes the back-to-back loan of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation during the year 2020-21 and 2021-22.</p> <p>Source Finance Accounts for the respective years</p> | | | | | |

¹⁵ Debt Redemption= Principal + Interest

¹⁶ Net debt available to the State Government is calculated as excess of Public debt receipts over Public debt repayment and interest payment on Public Debt

¹⁷ Interest spread is GSDP growth rate- interest rate

¹⁸ Quantum spread= (Public Debt(OB) X(GSDP growth rate- interest rate). While calculating public debt for 2020-21, 2021-22 the back-to-back loan of ₹ 11,977 crore and ₹ 13,782.36 crore respectively in lieu of GST compensation during the year 2020-21 and 2021-22 was excluded.



(Source: Finance accounts of the respective years)

- A falling debt-GSDP ratio can be considered as leading towards stability. Debt-GSDP ratio rose from 13.25 *per cent* in 2018-19 to 14.72 *per cent* in 2022-23 which cannot be considered as leading towards stability. In 2022-23, however, it went down marginally to 14.72 *per cent* from 15.10 *per cent* in 2021-22. Also, debt stabilisation condition states that if quantum spread together with primary deficit is zero, debt-GSDP ratio would tend to be constant or debt would stabilise eventually. On the other hand, if primary deficit together with quantum spread turns out to be negative, debt-GSDP ratio would be rising and in case it is positive, debt-GSDP ratio would eventually be falling. **Table 2.33** shows that during 2021-22 and 2022-23, the primary deficit together with quantum spread was positive, indicating that if the current trend is followed, the ratio of debt/GSDP would eventually reduce.
 - Primary revenue balance is the difference between revenue receipts and primary revenue expenditure and indicates whether the balance of revenue receipts left out after meeting current revenue expenditure is sufficient for meeting the interest expenditure. During 2022-23, there was a primary deficit of ₹ 25,912.71 crore, indicating that the primary expenditure too had to be met from borrowed funds.
 - The ratio of interest payments to revenue receipts is also a good measure of debt sustainability. This ratio has decreased significantly from 10.31 *per cent* in 2018-19 to 8.6 *per cent* in 2022-23.
 - Higher the percentage of public debt repayments to public debt receipts, the greater the proportion of debt utilised for debt servicing rather than productively. Ratio of public debt repayments to public debt receipts ranged between 96.51 *per cent* and 43.01 *per cent* during the period 2018-19 to 2022-23 which means that most of the public borrowings were used for repayment of earlier borrowings leaving less space to use productively.
- (B) An analysis on debt sustainability was carried out based on a study by E.D. Domar [Domar, 1944]. The Domar model states that the necessary premise for ensuring

stability of public indebtedness is that the interest rates for government loans should not exceed the growth of GDP.

The dynamics of public debt depending on the interest rate, growth rate of GSDP and the primary budget balance are as follows:

| g-r (g-real economic growth rate; r-real interest rate) | s<0 (primary deficit) | s>0 (primary surplus) |
|--|---|--|
| g-r> 0 (strong economic growth) | Public debt as percentage of GSDP should converge to a stable level greater than 0. | Public debt as percentage of GSDP should converge to a stable level less than zero leading to public savings |
| g-r<0 (slow economic growth) | Public debt as percentage of GSDP should increase indefinitely, without converging to a stable level. | Undefined solution |

The results of applying the above parameters in the case of Maharashtra, are shown in **Table 2.34**.

Table 2.34: Debt sustainability analysis based on Domar Model

| Year | Real growth (g) | Real interest (r) | g-r (Domar gap) | Primary deficit (-) / surplus (+) (s) (₹ in crore) | Remarks |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|--|
| 2018-19 | 3.64 | 4.69 | -1.05 | 11005.92 | g-r< 0 and s > 0 Undefined situation |
| 2019-20 | 2.42 | 2.88 | -0.46 | -20325.46 | As g-r < 0 and s < 0; Public debt as a percentage of GSDP will increase indefinitely, without converging to a stable level |
| 2020-21 | -7.30 | 0.97 | -8.27 | -34588.28 | |
| 2021-22 | 9.13 | 1.07 | 8.06 | -24143.82 | As g-r > 0 and s<0; public debt as percentage of GSDP should converge to a stable level greater than zero. |
| 2022-23 | 6.78 | -0.73 | 7.51 | -25913 | |

Source: Finance accounts of the respective years and Economic Survey of Maharashtra for the year 2022-23
 Note: Real Growth rate is calculated for GSDP at constant prices
 Real Interest rate is the normal interest rate adjusted for inflation (For 2020-21 and 2021-22 average CPI index for ten months has been taken due to unavailability of CPI data for the months of April and May 2020)

During the period from 2018-19 to 2022-23, the State registered primary surplus only during 2018-19. The g-r (Domar gap) was negative during 2018-19 to 2020-21, indicating that public debt as percentage of GSDP could increase indefinitely. The economic slowdown on account of the COVID-19 pandemic had resulted in a negative growth of GSDP during 2020-21. The resurgence of the economy during 2021-22 and 2022-23, resulted in an positive g-r (Domar gap), thereby indicating that the public debt as percentage of GSDP could eventually converge to a stable level greater than zero. However, factors such as public account liabilities and force majeure events and/or any other un-inventoried losses of revenue also have to be reckoned in assessing the debt sustainability.

(C) Details of the achievement *vis-a-vis* targets set in the Medium-Term Fiscal Policy Statement (MTFPS) are shown in **Table 2.35**.

Table 2.35: Details of achievements against the targets set.

| Fiscal Parameters | | Achievements <i>vis-a-vis</i> targets set in the MTFPS | | | | |
|--|-------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Revenue Deficit (-) / Surplus (+) as percentage of GSDP | Target | (-)0.55 | (-)0.68 | (-)0.29 | (-)0.34 | (-)0.68 |
| | Achievement | 0.47 | (-)0.64 | (-)1.57 | (-)0.53 | (-)0.05 |
| Fiscal Deficit (-) as percentage of GSDP | Target | (-)1.81 | (-)2.07 | (-)1.69 | (-)2.24 | (-)2.50 |
| | Achievement | (-)0.91 | (-)2.03 | (-)2.72 | (-)2.07 | (-)1.92 |
| Ratio of total Outstanding liabilities to GSDP (in <i>per cent</i>) | Target | 16.52 | 15.83 | 16.15 | 20.64 | 18.14 |
| | Achievement | 17.27 | 18.06 | 20.86 | 19.51 | 18.73 |

Source: Medium-Term Fiscal Policy strategy Statement and disclosure for Maharashtra for the respective years

During 2018-19 to 2022-23, revenue deficit and fiscal deficit as percentage of GSDP were within the targets fixed by the State Government in the MTFPS, except for in the year 2020-21. The State Government was unable to meet the targets of outstanding liabilities as percentage of GSDP in any of the years from 2018-19 to 2022-23 except during 2021-22 when it was within the target fixed.

The committed expenditure as a percentage of the revenue receipts decreased from 59.42 *per cent* in 2021-22 to 54.64 *per cent* in 2022-23. However, it has been consistently between 50 *per cent* and 60 *per cent*, except for in 2020-21, when it surged to 66.32 *per cent*, thereby indicating the limited availability of revenue resources for other purposes including debt servicing.

Fiscal sustainability risk:

- (i) It can be observed that the debt stabilisation indicator is currently static rather than conclusively ascending. The debt stabilization indicator, consisting of quantum spread and primary deficit, declined in the period (2019-21) and has since shown a gradual increase in the post-pandemic year. However, it has not yet reached a stable state for debt stabilization. Moreover, the improvement in Public Debt to GSDP and Overall Liability to GSDP after the pandemic suggests that the debt situation is not deteriorating, but it has not yet reached a threshold wherein it can be concluded that debt stabilization is on an upward trend.
- (ii) Although the Outstanding Debt for the year 2022-23 remained close to the projections made as per MTFP, the nominal GSDP did not reach the projected levels. Therefore, the state was not able to achieve the targets set for Total Outstanding Liability to GSDP ratio.

2.7.1 Utilisation of borrowed funds

Borrowed funds should ideally be used to fund capital creation and developmental activities. Using borrowed funds for meeting current consumption and repayment of interest on outstanding loans is not sustainable. The utilisation of borrowed funds is shown in **Table 2.36**.


Table 2.36: Utilisation of borrowed funds

| | | (₹ in crore) | | | | |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Year | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Total Borrowings | 2 | 26025.21 | 55395.8 | 87356.65 | 90488.18 | 87572.84 |
| Repayment | 3 | 25116.49 | 22868.24 | 26427.28 | 35934.66 | 37665.79 |
| Net capital outlay | 4 | 35049.05 | 36415.57 | 29686.70 | 46670.39 | 61643.61 |
| Net loans and advances | 5 | 59.12 | 354.99 | 729.50 | 1257.15 | 4021.79 |
| Portion of revenue expenditure met out of net available borrowings. | 6=2-3-4-5 | (-) 34199.45 | (-) 4243 | 30513.17 | 6625.98 | (-)15761.24 |

Source: Finance Accounts of respective years

The revenue receipts of the State Government were not sufficient to meet the revenue expenditure. Hence, the Government remained dependent upon borrowings for meeting revenue expenditure. As per the XV Finance Commission, States are being given revenue deficit grants to reduce and ultimately eliminate revenue deficit and to enable all borrowings to be used for capital expenditure. In 2022-23, which is the second year of the Finance Commission period, the State Government has considerably reduced its revenue deficit to ₹ 1,936.47 crore from ₹ 16,374.32 crore in 2021-22.

The trends of utilization of borrowed funds are shown in **Chart 2.21**.



(Source: Finance Accounts of respective years)

2.7.2 Status of Guarantees – Contingent Liabilities

Guarantees are liabilities contingent on the Consolidated Fund of the State in case of default by the borrower for whom the guarantee has been extended.

As per Article 293 of the Constitution of India, limits for giving guarantees by the State Government have to be fixed by the State Legislature. However, State Legislature has not fixed any limits so far. The Maharashtra FRBM Act, 2005 also does not contain any provision laying down the limits for giving guarantees by the State. The total guarantees given by the State, which were outstanding as on 31 March 2023 amounted to ₹ 49,632.84 crore (Principal: ₹ 44,197.59 crore; Interest: ₹ 5,435.25 crore). The outstanding guarantees during 2018-19 to 2022-23 are summarized in **Table 2.37**.

Table 2.37: Guarantees given during 2018-19 to 2022-23

(₹ in crore)

| Guarantees | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Maximum amount guaranteed including interest ^s | 38378.26 | 58661.22 | 85717.46 | 81751.13 | 81751.13 |
| Outstanding number of guarantees including interest | 25134.86 | 41179.07@ | 41579.94@ | 51263.35 | 49632.84 |
| Outstanding guarantees/Revenue Receipts (<i>per cent</i>) | 9.01 | 14.58 | 15.43 | 15.38 | 12.23 |
| Outstanding guarantees/GSDP (<i>per cent</i>) | 0.98 | 1.51 | 1.53 | 1.60 | 1.41 |
| ^s Note: No ceiling fixed for guarantees by the State Government | | | | | |
| [@] Differs from previous year due to rectification of misclassification (as per statement received from the Finance Department) | | | | | |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

During 2022-23, an amount of ₹ 14,200.00 crore was guaranteed by the State Government under the provisions of Guarantee Act, as shown in **Table 2.38**.

Table 2.38: Guarantees given during 2022-23

| Guarantee Number | Name of the Institutions that got loans on State Govt. guarantee | Name of the Financial Institution providing loan | Total guarantee amount (₹ in crore) | Term | Remarks |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1/2022-23 | Mumbai Metropolitan Region Development Authority | Rural Electrification Corporation Ltd. | 12000.00 | Valid for one year | Guarantee fee waived |
| 2/2022-23 | Mumbai Metro Rail Corporation Ltd. | Power Finance Corporation Ltd. New Delhi | 2200.00 | Letter of Comfort | |
| Total | | | 1,4200.00 | | |
| Source: Guarantee Statement placed in the Legislature | | | | | |

Under the Government Guarantee Act, 1977, the Government shall charge guarantee fee ranging from 20 paise to ₹ 2 per ₹ 100 per annum for guarantees given, chargeable except in respect of certain co-operative societies. During 2022-23, the State Government received ₹ 1,588.71 crore towards guaranteed fees, which constituted 3.10 *per cent* of the outstanding guaranteed amount as on 01 April 2022 (₹ 51,263.35 crore). Out of the guarantee fee of ₹ 2,869.70 crore to be realized, ₹ 1,588.71 crore has been received during the year 2022-23, leaving a balance receivable amount of ₹ 1,280.99 crore.

During the year 2022-23, no guarantees were invoked. However, the State Government is yet to discharge invoked guarantees of ₹ 20.26 crore in respect of the Maharashtra State Co-operative Housing Finance Corporation Limited, invoked in 2013-14.

2.7.3 Management of Cash Balances

Under an agreement with the RBI, the State Government has to maintain a minimum daily cash balance of ₹ 5.58 crore with the Bank. If the balance falls below the agreed minimum on any day, the deficiency is made good by taking ordinary Ways and Means

Advances (WMA)/Special Ways and Means Advances (SWMA)/Overdrafts (OD) from time to time. The limit for ordinary ways and means advances to the State Government was ₹ 4,686 crore as on 1 April, 2022 which remained unchanged till 31 March, 2023. SWMA of ₹ 7,129.25 crore was availed six times (May 2022) during 2022-23. An amount of ₹ 1.55 crore has been adjusted during the year 2022-23 towards interest on WMA.

The State Government invested its surplus cash balance in short and long-term GoI Securities and Treasury Bills. The profits derived from such investments are credited as receipts under the head '0049-Interest Receipts'. The Cash balance and their investment are shown in **Table 2.39** and **Table 2.40**.

Table 2.39: Cash Balances and their investment

(₹ in crore)

| | Opening Balance on 01 April 2022 | Closing Balance on 31 March 2023 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| A. General Cash Balance | | |
| Cash in Treasuries | 0.04 | 0.04 |
| Deposits with Reserve Bank of India | 134.14 | (-)12637.29 |
| Remittances in transit – Local | 66.26 | 65.98 |
| Total | 200.44 | (-)12571.27 |
| Investments held in Cash Balance investment account | 22109.76 | 32785.36 |
| Total (A) | 22310.20 | 20214.09 |
| B. Other Cash Balances and Investments | | |
| Cash with departmental officers viz., Public Works, Forest Officers | 245.74 | 431.97 |
| Permanent Advances for contingent expenditure with department officers | 0.67 | 0.67 |
| Investment in earmarked funds | 55135.68 | 60843.98 |
| Total (B) | 55382.09 | 61276.62 |
| Total (A + B) | 77692.29 | 81490.71 |
| Interest realized | 4994.98 | 5790.48[@] |

[@] Interest of ₹ 4,291.50 crore realised during 2022-23 on Sinking Fund Investment (reinvested along with regular investment) Hence not included under MH 0049 MNH 110-Interest realised on investment of Cash balances ₹ 1,498.98 crore

Source: Finance Accounts 2022-23

Table 2.40: Cash Balance Investment Account (Major Head-8673)

(₹ in crore)


| Year | Opening Balance | Closing Balance | Increase (+) / decrease (-) | Interest earned |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 2018-19 | 58373.60 | 35218.99 | (-)23154.61 | 3032.19 |
| 2019-20 | 35218.99 | 14743.48 | (-)20475.51 | 2065.37 |
| 2020-21 | 14743.48 | 29293.49 | 14550.01 | 977.12 |
| 2021-22 | 29293.49 | 22109.76 | (-)7183.73 | 1191.16 |
| 2022-23 | 22109.76 | 32785.36 | 10675.60 | 1498.98 |

Source: Finance Accounts of respective years

The cash balance of the State Government of ₹ 81,490.71 crore at the end of the current year showed an increase of 4.89 per cent (₹ 3,798.42 crore) over the previous year. Of the above, ₹ 32,785.36 crore was held in cash balance investment account and earned an interest of ₹ 1,498.98 crore during the year. Further, ₹ 60,004.03 crore was invested in

Sinking Fund meant for appropriation for reduction or avoidance of debt, which earned an interest of ₹ 4,291.50 crore. The interest earned on this fund is ploughed back to the fund.

The general cash balance of the State Government as on 31 March 2023 was ₹ 20,214.09 crore, which is 4.27 *per cent* of the total expenditure of the State Government (₹ 4, 73,922.42 crore) during the year.



(Source: Finance Accounts of the respective years)

Chart 2.22 compares the total cash balance investment and the market loans of the State during the period 2018-19 to 2022-23. Market loans were taken at higher interest rates, whereas investment in Treasury Bills yielded interest at lower rates.

2.8 Conclusion

- Revenue Receipts increased by 45.41 *per cent* from ₹ 2,78,996.27 crore in 2018-19 to ₹ 4,05,677.93 crore in 2022-23 at compound annual growth rate (CAGR) of 9.81 *per cent*. During 2022-23, the revenue receipts increased by 21.71 *per cent* as compared to 2021-22. A significant portion of the revenue receipts (73 *per cent*) during 2022-23 came from the State's own resources, while Union Tax Transfers and GIA together contributed 27 *per cent*.
- As compared to 2021-22, during 2022-23 own tax revenue increased by ₹ 56,559.18 crore (25.60 *per cent*), non-tax revenue decreased by ₹ 2,530.29 crore (13.11 *per cent*) and State's share of Union Taxes and Duties increased by ₹ 5,682.91 crore (10.46 *per cent*), whereas Grants-in-aid from Government of India increased by ₹ 12,654.56 crore (32.65 *per cent*).
- The revenue expenditure (₹4,07,614.40 crore) exceeded the revenue receipt (₹ 4,05,677.93 crore) by ₹ 1,936.47 crore resulting in a revenue deficit. However, it is noteworthy that the State could bring down the revenue deficit considerably from ₹ 16,374.32 crore in 2021-22 to ₹ 1,936.47 crore in 2022-23.
- The total expenditure of the State increased from ₹ 3,03,615.89 crore in 2018-19 to ₹ 4,73,922.42 crore in 2022-23. Total expenditure as a percentage of GSDP grew from 12.01 *per cent* in 2018-19 to 13.44 *per cent* in 2022-23.
- During 2022-23, revenue expenditure constituted 86.01 *per cent* of the total expenditure. The growth rate of revenue expenditure rose from 12.58 *per cent* in

2021-22 to 16.57 *per cent* in 2022-23. The committed expenditure of the State Government on revenue account consists of interest payments, expenditure on salaries and wages, and pensions. Committed expenditure constituted 54.38 *per cent* of the revenue expenditure of the State. Expenditure on subsidies increased considerably by 48.12 *per cent* from ₹ 29,137.20 crore in 2021-22 to ₹ 43,158.37 crore in 2022-23. During the current year, subsidies constituted 10.59 *per cent* of the revenue expenditure.

- Capital outlay (₹ 61,643.61 crore) constituted 13 *per cent* of the total expenditure. Capital outlay increased by 32.08 *per cent* (₹ 14,973.22 crore) during 2022-23 as compared to 2021-22. Of the total capital outlay of ₹ 61,643.61 crore incurred in 2022-23, ₹ 25,795.11 crore (41.85 *per cent*) was spent on roads and bridges. ₹ 11,119.23 crore (18.04 *per cent*) for irrigation and flood control activities followed by ₹ 7,252.92 crore (11.77 *per cent*) for agriculture and allied services.
- As on 31 March 2023, the State Government invested ₹ 2,07,442.12 crore in statutory corporations, rural banks, joint stock companies and co-operatives (**Table 2.22**). The average return on these investments for 2022-23 was 0.02 *per cent* while the Government paid an average interest rate of 6.58 *per cent* on its borrowings during the same period.
- The outstanding debt (fiscal liabilities) of the State increased from ₹ 4,36,781.94 crore in 2018-19 to ₹ 6,60,753.73 crore at the end of 2022-23. The outstanding debt to GSDP ratio of 18.73 *per cent* during 2022-23 was higher than the limits prescribed by the FRBM Act (18.14 *per cent*).
- The fiscal deficit increased by ₹ 3,300.01 crore over the previous year mainly due to increase in capital expenditure. The net capital outlay as a percentage of fiscal deficit increased from 72.58 *per cent* in 2021-22 to 91.19 *per cent* in 2022-23, indicating that major portion of the debts were utilized for financing capital outlay. The State was successful in containing the Fiscal Deficit at 1.92 *per cent* during 2022-23 against the target of 3.5 *per cent*.
- The maturity profile of the outstanding public debt indicates that 51.34 *per cent* (₹ 2,37,685.22 crore) of the total outstanding public debt for which maturity details are available (₹ 4,62,991.49 crore) are repayable within the next seven years, which may put a strain on the Government budget during that period.
- Debt sustainability indicator is currently static rather than conclusively ascending. The improvement in Public Debt to GSDP and Overall Liability to GSDP after the pandemic suggests that the debt situation is not deteriorating, but it has not yet reached a threshold wherein it can be concluded that debt stabilization is on an upward trend.

2.9 Recommendations

- (i) The Government may consider mobilizing additional resources through tax and non-tax sources so as to move towards revenue surplus status.
- (ii) The Government may take steps to ensure better value for money in investments. Otherwise, funds borrowed at high cost will continue to be invested in projects with low financial returns.
- (iii) The State Government needs to monitor and manage its debt levels to ensure long-term fiscal stability by adopting remedial measures to rationalize expenditure, explore further sources, expand revenue base, and invest in revenue generating assets.

CHAPTER - III
BUDGETARY MANAGEMENT

Chapter III

Budgetary Management


This Chapter reviews the allocative priorities of the State Government and comments on transparency of budget formulation and effectiveness of its implementation. It further reviews whether the decisions taken at the policy level are implemented at the administrative level without diversion of funds. This chapter is based on the audit of Appropriation Accounts of the State.

3.1 Budget Process

In compliance with Article 202 of the Constitution of India, in respect of every financial year, a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year called “The Annual Financial Statement” (Budget) is to be laid before the State legislature. The estimates of the expenditure show ‘charged’ and ‘voted’ items¹ of expenditure separately and distinguish expenditure on revenue account from other expenditure. Legislative authorization is necessary before incurring any expenditure by the State Government.

The glossary of Budget related terms is given in **Appendix 3.1**. The Budget process begins with the release of the Budget Circular, normally in August, which provides guidance to departments in structuring their estimates for the following fiscal year. The budget preparation process in the State is given in **Chart 3.1**.

Chart 3.1: Budget preparation process in a State




¹ **Charged expenditure:** certain categories of expenditure (e.g salaries of Constitutional authorities, loan repayments etc) constitute a charge on the Consolidated Fund of the State and are not subject to vote by the Legislature

Voted expenditure: All other expenditure is voted by the legislature

According to the Maharashtra Budget Manual (MBM) (Chapter IX), the Finance Department (FD) is responsible for preparing the Annual Budget by obtaining estimates from all the ministries. The Controlling Officers create departmental receipt and expenditure estimates on the advice of the Heads of Departments and present them to the FD as per prescribed timelines. The FD scrutinizes the estimates and prepares the Detailed Estimate called ‘Demand for Grants’. In the preparation of the Budget, the aim should be to achieve as close an approximation to the actuals as possible. The budget procedure envisages that the sum provided in an estimate of expenditure on a particular item must be that sum which can be expended in the year and it should neither be large nor small. A saving in an estimate constitutes as much of a financial irregularity as an excess in it. The budget estimates of receipts should be based on the existing rates of taxes, duties, fees *etc.*

The total amount approved by the State Legislature including the original and supplementary budgets, expenditure and savings during the year 2022-23 is depicted in **Chart 3.2**.



Source: Appropriation Accounts 2022-23

3.1.1 Summary of total provisions, actual disbursements and savings during the financial year

The summarized position of total budget provision, actual expenditure and savings during 2022-23 against 300 grants/ appropriations is given in **Table 3.1**.

Table 3.1: Budget provision, Disbursement and Savings during 2022-23

(₹ in crore)

| Total budget provision | | Disbursement | | Savings | |
|------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|
| Voted | Charged | Voted | Charged | Voted | Charged |
| 547921.89 | 104887.25 | 444090.50 | 89983.70 | 103831.39 | 14903.55 |
| | | | | (18.95) | (14.21) |

Source: Appropriation Accounts 2022-23

Figures in the parenthesis are the percentage of saving to the total budget provision

3.1.2 Charged and Voted Disbursement

Article 112(2) of the Constitution requires that the estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately the sums required to meet expenditure described by the Legislature as expenditure charged upon the Consolidated Fund of State and all other sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of State and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

Trend analysis of the total Charged and Voted Disbursement and Savings during the last five years (2018-19 to 2022-23) is shown in **Table 3.2**.

Table 3.2: Disbursement and Savings during 2018-19 to 2022-23

(₹ in crore)

| Year | Disbursement | | Savings | | | |
|---------|--------------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| | Voted | Charged | Voted | Percentage | Charged | Percentage |
| 2018-19 | 278697.33 | 64237.70 | 69773.31 | 25.03 | 4083.05 | 6.35 |
| 2019-20 | 328039.77 | 63443.42 | 101966.86 | 31.08 | 3726.33 | 5.87 |
| 2020-21 | 320694.58 | 96353.79 | 104429.48 | 32.56 | 2811.71 | 2.91 |
| 2021-22 | 370445.46 | 82405.21 | 93242.70 | 25.17 | 18293.33 | 22.20 |
| 2022-23 | 444090.50 | 89983.70 | 103831.39 | 18.95 | 14903.55 | 14.21 |

Source: Appropriation Accounts of respective years

Under voted grants, savings as percentage of disbursement reduced considerably from 25.03 per cent in 2018-19 to 18.95 per cent in 2022-23.

3.1.3 Budget Marksmanship

3.1.3.1 Aggregate Budget outturn

Aggregate Budget Outturn measures the extent to which the aggregate budget expenditure outturn/actual expenditure reflects the amount originally approved, both in terms of less than approved and in excess of approved.

Table 3.3: Original Budget *viz-a-viz* Actual outturn

(₹ in crore)

| Description | Original Approved Budget (BE) | Actual Outturn | Difference between Actual and BE* |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Revenue | 436214.15 | 415536.35 | (-)20677.80 |
| Capital | 132056.48 | 118537.85 | (-)13518.63 |
| Total | 568270.63 | 534074.20 | (-)34196.43 |

*Excess of actual over provision is denoted as (+) figure and shortage of actuals over original provision is denoted as (-) figures
Source: Appropriation Accounts 2022-23

In the Revenue section, deviation in outturn compared with original budget provision was 4.74 per cent. This was due to deviation ranging between 0 and ± 25 per cent in 101 grants, between ± 25 per cent to ± 50 per cent in 42 grants, between ± 50 per cent and 100 per cent in 21 grants and equal to or more than 100 per cent in 13 grants. No original provision was, however, made in respect of three grants in the Revenue section.

In the Capital section, deviation in outturn compared with original budget provision was 10.24 per cent. This was due to deviation ranging between 0 and ± 25 per cent in 75

grants, between ± 25 per cent and ± 50 per cent in 17 grants, between ± 50 per cent to 100 per cent in 12 grants and equal to or more than 100 per cent in 14 grants. No original provision was, however, made in respect of two grants in Capital section.

3.1.3.2 Expenditure Composition Outturn

Expenditure Composition Outturn measures the extent to which re-allocations between the main budget categories during execution have contributed to variation in expenditure composition.

Table 3.4: Revised Estimate vis-a-vis Budget estimate and Actual expenditure

(₹ in crore)

| Description | Original Approved Budget (BE) | Revised Estimates (RE) | Actual Outturn | Difference between BE&RE | Difference between Actual and RE* |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Revenue | 436214.15 | 498740.59 | 415535.64 | 62526.44 | (-)83204.95 |
| Capital | 132056.48 | 154068.56 | 118537.85 | 22012.08 | (-)35530.71 |
| Total | 568270.63 | 652809.15 | 534073.49 | 84538.52 | (-)118735.66 |

*Excess of actuals over revised estimate is denoted as (+) figure and shortage of actuals over original provision is denoted as (-) figure
Source: Appropriation Accounts 2022-23

In the Revenue section, deviation in outturn compared with RE was 16.68 per cent. This was due to deviation between 0 and ± 25 per cent in 107 grants, between ± 25 per cent to ± 50 per cent in 43 grants, between ± 50 per cent to 100 per cent in 18 grants and equal to or more than 100 per cent in 12 grants.

In the Capital section, deviation in outturn compared with RE was 23.06 per cent. This was due to deviation between 0 and ± 25 per cent in 80 grants, between ± 25 per cent to ± 50 per cent in 17 grants, between ± 50 per cent to 100 percent in 14 grants and equal to or more than 100 per cent in nine grants.

3.2 Appropriation Accounts

Appropriation Accounts compare the expenditure of the State Government for each financial year with the amounts of voted grants and charged appropriations for different purposes as specified in the schedules appended to the Appropriation Act passed under Articles 204 and 205 of the Constitution of India. Appropriation Accounts are on Gross basis. These Accounts depict the original budget provision, supplementary grants, surrenders and re-appropriations distinctly and indicate actual capital and revenue expenditure on various specified services vis-à-vis those authorised by the Appropriation Act in respect of both Charged and Voted items of budget. Appropriation Accounts thus facilitate understanding of utilisation of funds, the management of finances and monitoring of budgetary provisions and are, therefore, complementary to the Finance Accounts.

The CAG conducts the audit of appropriations to ascertain whether the expenditure actually incurred under various grants is in accordance with the authorization given under the Appropriation Act for the year and that the expenditure required to be charged under the provisions of the Constitution (Article 202) is so charged. It also ascertains whether the expenditure incurred is in conformity with the laws, relevant rules, regulations and instructions.

3.3 Comments on Integrity of budgetary and accounting process

3.3.1 Unnecessary or Excessive Supplementary Grants

Article 205 of the Constitution of India read with Paras 169 and 170 of the MBM, provides a legal basis for Supplementary Budget or Supplementary Estimates (SE). During 2022-23, the Supplementary provisions (₹ 84,538.52 crore) constituted 14.88 per cent of the original provisions (₹ 5,68,270.62 crore).

Supplementary provisions aggregating to ₹ 26,214.03 crore obtained in 38 voted Grants (₹ 10 crore or more in each case) during the year proved unnecessary as the actual expenditure of ₹ 1,97,603.19 crore did not reach the levels of the original provision (₹ 2,41,614.91 crore) as detailed in **Appendix 3.2**. Grants having savings of more than ₹ 1,000 crore and where supplementary provision proved unnecessary are given in **Table 3.5**.

Table 3.5: Grants having savings of more than ₹ 1,000 crore where Supplementary provision proved unnecessary

(₹ in crore)

| Grant Number and Description | Original provision | Supplementary provision | Expenditure | Savings out of the original provisions (percentage) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------|---|
| Revenue Section Voted | | | | |
| B.1-Police Administration | 24583.07 | 134.20 | 19978.85 | (-)4604.22 |
| F.2-Urban Development and Other Advance Services | 15692.66 | 2146.35 | 12003.34 | (-)3689.32 |
| G.6-Pensions and Other Retirement Benefits | 45448.34 | 2001.85 | 43017.19 | (-)2431.16 |
| N.3-Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | 14779.37 | 3133.61 | 13010.53 | (-)1768.84 |
| O.3-Rural Employment | 3634.03 | 150.00 | 1863.57 | (-)1770.46 |
| T.5-Revenue Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 11485.24 | 1836.17 | 9542.71 | (-)1942.53 |
| Y.2-Water Supply and Sanitation | 10861.85 | 716.16 | 3911.68 | (-)6950.17 |
| Capital Section | | | | |
| H.8-Capital Expenditure On Public Works Administrative and Functional Buildings | 3686.38 | 695.91 | 1855.24 | (-)1831.14 |
| I.5-Capital Expenditure on Irrigation | 15037.04 | 1504.52 | 11551.26 | (-)3485.78 |
| L.7-Capital Expenditure on Rural Development | 5404.98 | 241.17 | 4119.83 | (-)1285.15 |
| O.10-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes | 5646.73 | 267.42 | 1705.45 | (-)3941.28 |
| Source: Appropriation Accounts of 2022-23 | | | | |

The above cases indicate that provision of supplementary grants despite savings against original grants had deprived other departments that could have utilized the funds. The Department needs to strengthen the estimation of requirement of funds and review the basis of supplementary provisions.

3.3.2 Advances from Contingency Fund

In terms of provisions of Article 267(2) and 283(2) of the Constitution of India, the Contingency Fund of the State has been established under the Maharashtra Contingency Fund Act, 1956. Advances from the fund are to be made only for meeting expenditure of an unforeseen and emergent character, postponement of which till its authorization by the Legislature would be undesirable. The Fund is in the nature of an imprest.

As per the Maharashtra Contingency Fund Act, the corpus of the Contingency Fund of the State is ₹ 150 crore. As per ordinance dated 01 November 2022, it was increased by ₹ 200 crore. During the year 2022-23, the State Government drew ₹ 311.00 crore from the Contingency Fund and the whole amount was recouped by 31 March 2023.

During 2022-23, of the two sanctions issued by Finance Department for ₹ 311.00 crore, two withdrawals amounting to ₹ 311.00 crore were made from the Fund. The details of withdrawals from the Contingency Fund during 2022-23 are given in **Table 3.6**.

Table 3.6: Contingency Fund Sanction orders and Utilization against Sanctions

(₹ in crore)

| S. No. | Sanction No. and Date | Major head / Grant No. | Purpose for which drawn | Sanction | Expenditure | Recoupment |
|--------------|---|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | CNF-2022/C.R.01/ BUDGET - 18/27/09/2023 | 5475/G- 08 | For share capital and incidental expenses MAHA ARC Ltd | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
| 2 | CNF-2022/C.R.01/ BUDGET - 18/02/11/2022 | 5475/G- 08 | For share capital and incidental expenses MAHA ARC Ltd | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| Total | | | | 311.00 | 311.00 | 311.00 |

Source: Contingency fund sanction order from respective departments and information from Accountant General (Accounts and Entitlement)-I, Maharashtra, Mumbai

3.3.3 Excessive / Unnecessary Re-appropriation of Funds

Re-appropriation is the transfer of funds within a grant from one unit of appropriation, where savings are anticipated, to another unit where need for additional funds is identified. As per Paragraphs 162 to 164 of the MBM, the Finance Department and the Administrative Department of the Secretariat can sanction re-appropriation from one major, minor or sub head to another such head within the same grant/appropriation in the Appropriation Act.

In several cases, re-appropriation proved excessive and resulted in huge savings. As seen from **Appendix 3.3**, re-appropriation proved unnecessary in 48 cases, as the re-appropriated amount ultimately resulted in savings of ₹ 10 crore and above in each case. The above instances are indicative of the fact that the budget controlling officers could not adequately assess the requirements and did not update information regarding expenditure before re-appropriations.


3.3.4 Unspent amount and surrendered Appropriation and/or huge Savings/ Surrenders

Budgetary allocations based on poor expenditure monitoring mechanism and weak scheme implementation capacities/weak internal controls, promote release of funds towards the end of the financial year and increase the propensity of the Departments to retain huge balances outside the Government account in Bank Accounts. Excessive savings also deprive other Departments of the funds which they could have utilized.

Audit of Appropriation Accounts revealed that out of the net savings of ₹ 1,18,734.94 crore during 2022-23, savings in 71 grants amounting to ₹ 81,572.29 crore (68.70 *per cent* of the total savings) was 20 *per cent* or more of the total provision in each case as indicated in **Appendix 3.4**. Further, in 71 grants the savings exceeded ₹100 crore in each case as shown in **Appendix 3.5**.

Para 173 of the MBM states that savings should not be kept in reserve by the Disbursing or Controlling Officers to meet possible unforeseen excess under other heads or to cover new expenditure which would normally be provided for in the next year's estimates. All savings, when they come to notice, should immediately be surrendered. Provisions that cannot be profitably utilized should be surrendered.

The percentage of utilization of the total provision in 276 voted grants along with the total savings during 2022-23 is shown in **Chart 3.3**.



(Source: Appropriation Accounts 2022-23)

Of the 276 voted grants, there was excess expenditure in six grants, only 124 grants could utilize 90 to 100 *per cent* of their total budgeted provision leading to a savings of ₹ 11,936.44 crore, whereas 22 grants could utilize only upto 10 *per cent* of the budgeted provision.

Reasons furnished by the departments for the major savings, as reported in the Appropriation Accounts are given in the succeeding paragraph.

Grant F-2- Urban development and other advance services- Under Major Head 2217- Urban development Minor head 191- Assistance to local bodies, corporations etc-

The budget provision of ₹ 1,116 crore (Central share) and ₹ 558.00 crore (State Share) for Smart city Abhiyan was withdrawn through re-appropriation/surrender in March 2023 without assigning any specific reason.

Grant L-3- Rural development Programmes- Under Major Head 2235 - Social Security and Welfare, Minor Head 103 Women Welfare, an amount of ₹ 262.39 crore was obtained through supplementary demand on account of subsidy for providing sanitary napkins at concessional rates to school going girls in rural areas under Asmita Programme (State Scheme). However, the entire amount ₹ 262.39 crore was surrendered in March 2023 due to non-finalization of revised plan of implementation of Asmita Scheme at government level. Further, it was observed that during 2018-19, 55 *per cent* of the budgeted amount obtained through supplementary demand was surrendered in March 2019 based on the number of eligible beneficiaries. The entire budgeted provision during 2019-20 to 2021-22 was surrendered in March of the financial year. The reasons attributed in the Appropriation Accounts of the respective year for the surrender was non-approval of the Scheme by the Cabinet and expenditure incurred from funds of earlier year available under the Asmita Programme.

Grant L-7 Capital Expenditure on Rural Development- Under Major head 4515- capital Outlay on other Rural development Programmes, Minor head 103- Rural Development, an amount of ₹ 228.40 crore was obtained through supplementary demand. However, the entire provision of ₹ 228.40 crore was withdrawn through surrender due to technical difficulty in mapping of Single Nodal Agency Account for the sub head.

Grant Y-2 Water Supply and sanitation- Under Major Head 2215- Water supply and sanitation- Minor head 196- Assistance to Zilla Parishads/District level Panchayats, an amount of ₹ 200 crore was provided as grant-in-aid for Water supply Scheme for Marathawada Division by integrated grid process. The entire amount of ₹ 200 crore was surrendered as there was no demand from the implementing agencies under the scheme.

3.3.4.1 Persistent Savings

“Persistent savings” refers to the consistent practice of not utilizing the allocated funds every year. Persistent savings in the last five years indicated that the budgetary controls in the Departments were not effective and previous years’ trends were not taken into account while allocating the funds for the year. On test check of grants, audit observed that there were savings of more than ₹ 100 crore consistently for the last five years in 39 cases **Appendix 3.6.**

Savings in each financial year 2018-19 to 2022-23 ranged between 51 *per cent* and 98 *per cent* of the total provision under Grant Q-03 ‘Housing’ and between 71 *per cent* and 89 *per cent* under Grant O-10 ‘Capital Outlay on Other Rural Development Programs’.

3.3.4.2 Grants with ‘Nil’ expenditure

During 2022-23, budget provision of more than ₹ 10 crore amounting to ₹ 69.51 crore made under three grants remained un-utilized at the end of the year. Details are given in **Table 3.7.**

Table 3.7: Grants with 'Nil' expenditure

(₹ in crore)

| S. No. | Grant | V/C | Total Provision | Actual Expenditure | Remarks |
|--------------|---|-----|-----------------|--------------------|--|
| 1. | D-01 Interest payments | V | 17.51 | 0.00 | Due to non-receipt of loan from NABARD, entire provision was surrendered. |
| 2. | D-10 Internal Debt of the State Government | C | 15.00 | 0.00 | Provision was made for Loans from National Co-operative Development Corporation. The entire provision was surrendered without assigning any specific reason. |
| 3. | X-03 Capital Expenditure on Social Services | V | 37.00 | 0.00 | Provision was made for Construction of Anganwadi Centres as per recommendation of the 13 th Finance Commission. The entire amount was surrendered in view of directions of the Finance Department to review the works under the scheme. |
| Total | | | 69.51 | | |

Source: Appropriation Accounts 2022-23

3.3.5 Excess expenditure and its regularisation

Article 205(1)(b) of the Constitution provides that if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year, the Governor shall cause to be presented to the Legislative Assembly of the State, a demand for such excess. This implies that it is mandatory for the State Government to get excesses over grants/appropriations regularized by the State Legislature for the financial year. Although no time limit for regularization of excess expenditure has been prescribed under the Article, the regularization of excess expenditure is done after the completion of discussion of the Appropriation Accounts by the Public Accounts Committee. Failure to do so is in contravention of constitutional provisions and defeats the objective of ensuring accountability of the Executive in utilization of public money.

3.3.5.1 Excess expenditure relating to 2022-23

Excess expenditure over the provision for the year is not only in contravention of the provisions requiring legislative sanction but is indicative of bad planning, which can be avoided by keeping track of progress of expenditure as against the budget made for the purpose. However, during the year 2022-23, against the Budget Estimates of ₹ 6,52,809.14 crore, expenditure of ₹ 5,34,074.20 crore was incurred in 300 grants/appropriations. Though there were overall savings of ₹ 1,18,734.94 crore, there was excess expenditure in six voted grants and two charged appropriations amounting to ₹ 71.66 crore, which required regularization as per Article 205 of the Constitution of India.

The Grants/appropriations which closed with excess over provisions during 2022-23 requiring regularization are shown in **Table 3.8**.

Table 3.8: Grants/appropriations which closed with excess over provisions during 2022-23 requiring regularization

(₹ in crore)

| S. No. | Name and the title of the Voted grant/ Charged appropriation | Total grant | Expenditure | Excess |
|--|--|----------------|----------------|--------------|
| Voted Grant | | | | |
| 1 | O-24 District Plan- Sindhudurg | 144.60 | 144.66 | 0.05 |
| 2 | O-30 District Plan-Sangli | 278.44 | 278.45 | 0.01 |
| 3 | O-43 District Plan-Ahmednagar | 117.83 | 118.41 | 0.58 |
| 4 | O-70 District Plan –Gadchiroli | 231.35 | 231.51 | 0.16 |
| 5 | O-74 District Plan- Amravati | 257.74 | 257.84 | 0.10 |
| 6 | W-04 Art and Culture | 432.89 | 481.08 | 48.19 |
| Charged Appropriation | | | | |
| 7 | G-06 Pensions and Other Retirement Benefits. | 76.24 | 92.79 | 16.55 |
| 8 | T-01 Interest Payment | 53.53 | 59.56 | 6.02 |
| TOTAL | | 1592.62 | 1664.30 | 71.66 |
| Source: Appropriation Accounts 2022-23 | | | | |

3.3.5.2 Regularisation of excess expenditure of previous financial years

As has been stated in Paragraph 3.3.5 above, excess expenditure remaining unregularized for extended periods dilutes legislative control over the Executive. As per Article 205 of the Constitution of India, it is mandatory for a State Government to get the excess over a grant/appropriation regularized by the State Legislature. Although no time limit for regularization of expenditure has been prescribed, the regularization of excess expenditure is done after completion of discussion on Appropriation Accounts by the Public Accounts Committee. Excess expenditure amounting to ₹ 2,918.52 crore for the year 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 and 2021-22 in respect of 42 grants and 15 appropriations was pending for regularization as of March 2023 as detailed in **Appendix 3.7**.

3.3.6 Grants-in-Aid for creation of capital assets

Grants-in-aid (GIA) are payments in the nature of assistance or contributions made by one government to another government, body, institution or individual.

As per IGAS-2, GIA disbursed by a grantor to a grantee shall be classified and accounted for as revenue expenditure. The misclassification of GIA as capital expenditure for 2018-19 to 2022-23 is shown in **Table 3.9**.

Table 3.9: Misclassification of Grants-in-Aid as Capital expenditure

(₹ in crore)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GIA booked as Capital Expenditure | 1311.26 | 1580.59 | 1423.66 | 1662.63 | 3440.70 |
| Total Expenditure | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| Capital Outlay | 35049.05 | 36415.57 | 29686.70 | 46670.39 | 61643.61 |
| Share of GIA in Capital Outlay as percentage | 3.74 | 4.34 | 4.80 | 3.56 | 5.58 |

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Impact on Revenue Deficit (-) /Revenue Surplus (+) if expenditure from GIA is treated as Revenue Expenditure | 1311.26 | 1580.59 | 1423.66 | 1662.63 | 3440.70 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

3.4 Comments on transparency of Budgetary and Accounting Process

3.4.1 Lumpsum Budgetary Provisions

Para 53 and Para 12(e) of Appendix X of MBM stipulate that budget provision should be examined with respect to the difference between the estimates and actuals in the past three years and the proposed amount should be reduced on that basis. Lumpsum amounts should not as a rule, be proposed to be made in the budget estimates. The lumpsum budgetary provisions for 2022-23 are shown in **Table 3.10**.

Table 3.10: Lumpsum Budgetary Provisions

(₹ in crore)

| S.No | Grant No and Head of Account | Provision | Expenditure | Remarks |
|--|---|-----------|-------------|---------------------------------------|
| 1 | O10-(4515-800-01-01)-Lumpsum Provision for Unbudgeted Capital Outlay (State Plan) | 3792.60 | 0.00 | The entire provision was surrendered. |
| 2 | G02-(2070-800-02-01)-Lumpsum Provision for Salaries and Allowances, etc | 1500.00 | 0.00 | |
| 3 | O04-(2515-800-01-01)-Lumpsum Provision for Unbudgeted Revenue Outlay (State Plan) | 100.00 | 0.00 | |
| 4 | T05-(2225-796-01-51)-Lumpsum Provision for Unbudgeted Revenue Outlay | 51.86 | 0.00 | |
| Source: Appropriation Accounts 2022-23 | | | | |

3.4.2 Major Policy pronouncements in Budget and their actual funding for ensuring implementation

Several policy initiatives/schemes (₹ 10 crore and above) were taken up by the Government during 2022-23 which were wholly or partially not executed due to non-approval of scheme guidelines/modalities, non-commencement of works for want of administrative sanction, non-release of budget, etc. Savings in such schemes deprive other Departments of the funds which they could have utilized.

It was observed that under 16 schemes, there was approved outlay (original +supplementary) of ₹ 6,994 crore which was fully withdrawn through surrender/re-appropriation as shown in **Appendix 3.8**. This reflects the fact that budgetary allocations were based on unrealistic proposals.

3.5 Comments on effectiveness of Budgetary and Accounting Process

3.5.1 Budget projection and gap between expectation and actual

Budgetary allocations based on unrealistic proposals, poor expenditure monitoring mechanism and weak scheme implementation capacities/ weak internal controls lead to sub-optimal allocation among various developmental needs. Excessive savings in some departments deprive other departments of the funds, which they could have utilized.

The summarised position of actual expenditure *vis-à-vis* budget (original/supplementary) provisions during 2022-23 is given in **Table 3.11**

Table 3.11: Summarised position of actual Expenditure vis-à-vis Budget (Original/Supplementary) provisions during 2022-23


(₹ in crore)

| | Nature of expenditure | Original grant/ appropriation | Supplementary grant/ appropriation | Total | Actual expenditure | Savings | Savings % |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Voted | I Revenue | 386357.07 | 60562.14 | 446919.21 | 370399.40 | (-)76519.81 | 17.12 |
| | II Capital | 76383.22 | 19462.07 | 95845.29 | 68826.69 | (-)27018.60 | 28.19 |
| | III Loans and Advances | 2414.04 | 2543.35 | 4957.39 | 4664.41 | (-)292.98 | 5.91 |
| Total Voted | | 465154.33 | 82567.56 | 547721.89 | 443890.50 | (-)103831.39 | 18.96 |
| Charged | IV Revenue | 49857.08 | 1964.30 | 51821.38 | 45136.96 | (-)6684.42 | 12.90 |
| | V Capital | 56.25 | 6.66 | 62.91 | 51.70 | (-)11.21 | 17.80 |
| | VI Public Debt | 53002.96 | 0.00 | 53002.96 | 44795.04 | (-)8207.92 | 15.49 |
| Total Charged | | 102916.29 | 1970.96 | 104887.25 | 89983.70 | (-)14903.55 | 14.21 |
| Appropriation to Contingency fund | | 200.00 | ... | 200.00 | 200.00 | ... | |
| Grand Total | | 568270.62 | 84538.52 | 652809.14 | 534074.20 | (-)118734.94 | 18.19 |

Source: Appropriation Accounts 2022-23

The savings and excesses were intimated by the office of the Accountant General (Accounts and Entitlement)-I, Maharashtra regularly to the Controlling Officers through Monthly Reports on expenditure. They also took up the matter with Departments concerned after closure of the preliminary and final accounts in March 2023, requesting the Controlling Officers to explain the reasons for the significant variations, but no explanation was received (June 2023).

The position of budget utilisation during previous five years is given in **Chart 3.4**



(Source: Appropriation Accounts of the respective years)

Trends in the original budget, revised estimates, actual expenditure for the period 2018-19 to 2022-23 are given in **Table.3.12**


Table 3.12: Original Budget, Revised Estimate and Actual Expenditure

(₹ in crore)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Original Budget | 380734.44 | 431554.81 | 452136.69 | 503688.31 | 568270.62 |
| Supplementary Budget | 36056.94 | 65621.57 | 72152.87 | 60698.39 | 84538.52 |
| Total Budget (TB) | 416791.38 | 497176.38 | 524289.56 | 564386.70 | 652809.14 |
| Revised Estimate (RE) | 373234.54 | 416921.35 | 437390.51 | 496637.96 | 581268.25 |
| Actual Expenditure (AE) | 342935.03 | 391483.19 | 417048.36 | 452850.67 | 534074.20 |
| Savings | (-73856.35) | (-105693.19) | (-107241.20) | (-111536.03) | (-118734.94) |
| Percentage of supplementary to the original provision | 9.47 | 15.21 | 15.96 | 12.05 | 14.88 |
| Percentage of overall saving/excess to the overall provision | 17.72 | 21.26 | 20.45 | 19.76 | 18.19 |
| TB-RE | 43556.84 | 80255.03 | 86899.05 | 67748.74 | 71540.89 |
| RE-AE | 30299.51 | 25438.16 | 20342.15 | 43787.29 | 47194.05 |
| (TB-RE) as % of TB | 10.45 | 16.14 | 16.57 | 12.00 | 10.96 |
| (RE-AE) as % of TB | 7.27 | 5.12 | 3.88 | 7.76 | 7.23 |

Source: Annual Financial Statement and Appropriation Accounts of the respective years

As seen from above table, the supplementary provision of ₹ 84,538.52 crore during 2022-23 constituted 14.88 per cent of the original provision as against 12.05 per cent in the previous year (2021-22).



Source: Annual Financial Statement and Appropriation Accounts of the respective years

From the above **Chart 3.5**, it can be seen that over the years from 2018-19 to 2022-23, the Revised Estimate (RE) was always lower than the Total Budget (TB) of the State. The supplementary provisions during 2018-19 to 2022-23 proved unnecessary since the expenditure did not come up even to the level of original budget provisions.

Paragraph 165 of the Budget Manual stipulates that the orders sanctioning reappropriation of funds of ₹ 500 and above and those which involve some unique or special feature should, briefly specify reasons for the additions to and deductions from the sub-heads affected by them. However, on scrutiny of re-appropriations orders issued by the administrative departments revealed that of 1,063 items of re-appropriations made during 2022-23, no specific reasons were given in respect of 68 cases (6.40 per cent). This goes against the principle of transparency envisaged in Section 6 of the Maharashtra Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act.

3.5.2 Budgetary flow and review of Grants

3.5.2.1 Rush of Expenditure

Rule 62(3) of the General Financial Rules provides that rush of expenditure particularly in the closing months of the financial year, is regarded as a breach of financial propriety and should be avoided.

According to the Bombay Financial Rules 1959, flow of expenditure in the closing month of the financial year should be avoided. Contrary to the provisions of the Rule, in 13 Grants as listed in **Table 3.13**, it was noticed that 100 per cent expenditure was incurred during the fourth quarter of the year.

Details of 13 grants which incurred 100 per cent expenditure in the fourth quarter are given in **Table 3.13**.

Table 3.13: Flow of expenditure in March 2023


(₹ in crore)

| S. No | Grant No. | Grant Description | Total Expenditure during the year | Expenditure during fourth Quarter 2022-23 |
|-------|-----------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | B08 | Flood Control Projects | 1.75 | 1.75 |
| 2 | C09 | Capital Expenditure on Other Administrative and Social Services | 7.66 | 7.66 |
| 3 | K09 | Capital Expenditure on Economic and Social Services | 31.84 | 31.84 |
| 4 | K10 | Capital Expenditure on Industries | 72.52 | 72.52 |
| 5 | U01 | Interest Payments | 6.62 | 6.62 |
| 6 | V05 | Capital Expenditure on Economic Services | 2.91 | 2.91 |
| 7 | ZA01 | Secretariat and Other Social Services | 599.17 | 599.17 |
| 8 | ZD05 | Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture | 9.10 | 9.10 |
| 9 | ZE02 | Capital Outlay on Social Security and Welfare | 25.50 | 25.50 |
| 10 | ZE03 | Loans to Government Servants, etc. | 0.43 | 0.43 |
| 11 | ZF04 | Capital Outlay on Public Works | 0.61 | 0.61 |
| 12 | ZG04 | Capital outlay on Welfare of SC | 4.02 | 4.02 |
| 13 | ZH02 | Social Security and Welfare | 0.03 | 0.03 |

Source:- Information received from office of the Accountant General (A&E)-I Maharashtra, Mumbai

As seen from **Appendix 3.9** expenditure incurred in the fourth quarter ranged between 50 per cent and 100 per cent and the expenditure incurred during the month of March 2023 alone ranged between 50.18 and 100 per cent.

Month-wise expenditure of Major Head 2215 Water Supply and Sanitation under Grant N-03 having high percentage of expenditure in March is given below in **Chart 3.6**.




(Source: Information obtained from Accountant General (A&E)-I Maharashtra, Mumbai)

It was observed that under Major Head 2215 under Grant N-03, 98.96 per cent expenditure (₹ 731.82 crore) of the total expenditure of ₹ 739.47 crore was incurred in March 2023.

Flow of Receipt and Expenditure

The monthly flow of receipts into the state exchequer and disbursement during 2022-23 is shown in **Chart 3.7**.



(Source: Monthly Civil Accounts)

The **chart 3.7** shows that receipts were comparatively higher than expenditure during the months of May, June, October, November and January. However, both receipt and

expenditure increased substantially in the month of March 2023 in comparison to the remaining months of the year. Further, scrutiny of the pattern of expenditure during 2022-23 revealed that the State Government incurred an expenditure of ₹ 1,41,805 crore, constituting about 26.55 per cent of the total expenditure of ₹ 5,34,074 crore, in the month of March 2023 alone.

Huge expenditure in the last month of the financial year is inconsistent with prudent financial management and indicates a weak internal control system and lack of budgetary control/management.

3.5.3 Review of selected Grants

A review of budgetary procedure and control over expenditure in respect of two selected grants i.e Grant H-6 Expenditure on Public Works and Administrative and Functional Building and Grant Q-3 Housing, was conducted wherein magnitude of variation in original grants, supplementary demands and actual expenditure were analysed.

The MBM provides that the authority administering a grant is responsible for watching the progress of expenditure under its control and for keeping it within the sanctioned grant or appropriation. The duties and responsibilities of the authorities include preparing the estimates timely and accurately and ensuring that the grant placed at their disposal is spent only on the objects for which it has been provided and to surrender savings if not required.

With a view to ascertaining how far the authorities were adhering to these instructions, audit test checked the records of the administrative department for the period 2019-20 to 2022-23 of the following Grants.

3.5.3.1 Grant H-6 Expenditure on Public Works and Administrative and Functional Building

(i) Introduction

Under this Grant, provision is made for revenue expenditure on Public Works and Administrative and Functional Building, General Education, Technical Education, Art and Culture, Medical and Public Health, Urban Development, Labour and Employment, Animal Husbandry, Fisheries which covers nine Major Heads namely (2059) Public Works, (2202) General Education, (2203) Technical Education, (2205) Art and Culture, (2210) Medical and Public Health, (2217) Urban Development, (2230) Labour and Employment, (2403) Animal Husbandry and (2405) Fisheries.

(ii) Budget and Expenditure

The overall position of budget provision, actual disbursement and savings under the Grant for the years 2020-21 to 2022-23 is given in **Table 3.14**.

Table 3.14: Details of budgetary provisions and actual expenditure under Grant No: H-06

(₹ in crore)

| Year | Original provision | Supplementary provision | Total Grant / Appropriation | Actual Expenditure | Savings | Percentage of savings |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| H-06 Expenditure on Public Works and Administrative and Functional Building | | | | | | |
| 2020-21 | 3059.20 | 100.00 | 3159.20 | 2052.84 | 1106.37 | 35.02 |
| 2021-22 | 3190.92 | 263.18 | 3454.10 | 2587.23 | 866.86 | 25.09 |
| 2022-23 | 3353.58 | 351.61 | 3705.20 | 3031.42 | 673.78 | 18.18 |

Source: Appropriation Accounts of the respective year

Table 3.14 shows that savings ranged between 18.18 *per cent* and 35.02 *per cent* during 2020-21 to 2022-23.

(iii) Rush of Expenditure of grants under sub-heads

According to the Bombay Financial Rules, 1959 rush of expenditure in the closing month of the financial year should be avoided. Uniform flow of expenditure is the primary requirement of proper budgetary control. In one sub-heads under Grant H-06, 41 *per cent* of the expenditure amounting to ₹ 770.53 crore was incurred in the last quarter of 2022-23 and in two sub heads more than 25 *per cent* of the expenditure amounting to ₹ 517.98 crore was incurred in the month of March 2023 as given in **Table 3.15**.

Table 3.15: Rush of expenditure in the last month of 2022-23 under Grant H-06

(₹ in crore)

| S.No | Sub head | Description | Total Expenditure | Expenditure during fourth quarter of 2022-23 | Percentage of total Expenditure during fourth quarter of 2022-23 | Expenditure during March 2023 | Percentage of Expenditure during March 2023 |
|------|----------|---|-------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2059 | Public Works and | 1859.39 | 770.53 | 41.44 | 504.60 | 27.14 |
| 2 | 2217 | Administrative and Functional Buildings | 41.09 | 0.00 | 0.00 | 13.38 | 32.57 |

Source: Appropriation Accounts 2023

As per para 173 of the Budget Manual, the spending Departments are required to surrender grant /appropriations or portions thereof to the FD as and when savings are anticipated. Further, surrender of funds should be done as soon as these are foreseen without waiting for the end of the financial year, to enable the FD to efficiently redeploy the anticipated savings on other needy schemes.

(iv) Surrender of entire provision

Scrutiny of Appropriation Accounts for the year 2022-23 revealed that the entire provision under two sub-heads amounting to ₹ 3.95 crore under Grant H-06 were surrendered in the month of March 2023 through re-appropriation as detailed in **Table 3.16**.

Table 3.16: Details showing surrender of entire provision under Grant Nos. H-06

(₹ in crore)

| S. No. | Description | Original and Supplementary Grant | Amount Re-appropriated | Total Grant | Actual Expenditure |
|---|---|----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| H - 06 Public Works and Administrative and Functional Building | | | | | |
| 1 | 2059-Public Works 001(49)(01) Superintending Engineer Vigilance Squad Mumbai- Supervision | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2059-Public Works 052(00)(02) Computerisation of office under Public Works Department | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |

Source: Appropriation Accounts 2022-23

Surrender of the entire provision of ₹ 3.95 crore in the month of March 2023 was done without assigning any reason.

3.5.3.2 Grant Q-03 Housing

(i) Introduction

Grant Q-03 Housing: consists of Major Head 2216-Housing. Under this grant, provision is made for Assistance to Housing Boards and Corporations.

(ii) Budget and Expenditure

The overall position of budget provision, actual disbursement and savings under the Grant for the years 2020-21 to 2022-23 is given in **Table 3.17**.

Table 3.17: Details of budgetary provisions and actual expenditure under Grant Q-03

(₹ in crore)

| Year | Original provision | Supplementary provision | Total Grant / Appropriation | Actual Expenditure | Savings | Percentage of savings |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| Grant Q-03 Housing | | | | | | |
| 2020-21 | 4473.17 | 0.55 | 4473.72 | 736.14 | 3737.58 | 83.55 |
| 2021-22 | 4535.16 | 0.67 | 4535.83 | 365.30 | 4170.53 | 91.95 |
| 2022-23 | 9283.10 | 0.00 | 9283.10 | 1699.09 | 7584.02 | 81.70 |
| Source: Appropriation Accounts of respective years | | | | | | |

From the above table it was evident that there was persistent savings ranging between 81.70 per cent and 91.95 per cent in Grant No. Q-03, during 2020-21 to 2022-23. Under Grant Q-03, surrender was mainly due to restricted release of funds by Central Government, less demand by MHADA and reduction of provision by FD in revised estimates.

(iii) Substantial Savings under sub-heads

During 2022-23, in six sub-heads under Grant No. Q-03 savings of ₹ 10 crore and above, which was between 30 per cent and 88.67 per cent of the total provision were noticed as shown in **Table 3.18**.

Table 3.18: Sub-head wise substantial saving under Grant Q-03

(₹ in crore)

| S. No. | Cross Reference Code | Description | Total Grant | Actual | Savings | Percentage of Saving |
|--|----------------------|--|-------------|--------|---------|----------------------|
| Q-03 Housing (Voted) | | | | | | |
| 1 | 2216-103(03)(06) | Development of new township of Chandrapur | 65.00 | 31.85 | 33.15 | 51.00 |
| Surrender of provision of ₹ 33.15 crore in March 2023 was based on actual expenditure incurred under the scheme. | | | | | | |
| 2 | 2216-103(08)(01) | Housing for all grants to implementation agencies (PMAY) (Central share 60 per cent) | 8105.00 | 917.91 | 7187.09 | 88.67 |
| Surrender of provision of ₹ 7187.09 crore in March 2023 was attributed to restricted release of central share by Central Government. | | | | | | |

| S. No. | Cross Reference Code | Description | Total Grant | Actual | Savings | Percentage of Saving |
|---|----------------------|--|-------------|--------|---------|----------------------|
| 3 | 2216-103(08)(02) | Housing for all grants to implementation agencies (PMAY) (State share 40 per cent) | 905.50 | 611.28 | 294.22 | 32.49 |
| Surrender of provision of ₹ 294.22 crore in March 2023 was attributed to State share released by the Finance Department. | | | | | | |
| 4 | 2216-103(01)(04) | Housing scheme (Infrastructure facilities) | 100.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 |
| Surrender of provision of ₹ 40.00 crore in March 2023 was attributed to less demand by MHADA. | | | | | | |
| 5 | 2216-800(00)(02) | Payment to Maharashtra Housing and Area Development authority as Government contribution to Bombay Building Repairs and Reconstruction Fund | 38.00 | 26.60 | 11.40 | 30.00 |
| Surrender of provision of ₹ 11.40 crore in March 2023 attributed to reduction of provision by Finance Department in revised estimate. | | | | | | |
| 6 | 2216-800(00)(05) | Payment of cess collection to Maharashtra Housing and Area Development authority for credit to Bombay Building Repairs and Reconstruction Fund | 38.00 | 26.60 | 11.40 | 30.00 |
| Surrender of provision of ₹ 11.40 crore in March 2023 attributed to reduction of provision by Finance Department in revised estimate. | | | | | | |
| Source: Appropriation Accounts 2022-23 | | | | | | |

(iv) Persistent saving under Sub-heads

(a) Development of New Township of Chandrapur

The Housing Department Government of Maharashtra decided (1998) to set up Chandrapur township on an area of 1,391.71 hectares in Chandrapur district. Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) was appointed as the Special Planning Authority to carry out the development works in the notified areas of New Chandrapur as proposed in the sanctioned Regional Plan of Chandrapur-Bellarapur Region. The scheme of development works was being implemented by Nagpur Housing and Area Development Board, a regional unit of MHADA. The Urban Development Department vide its notification dated 30 June 1998 approved/sanctioned the development plan of the said scheme. The scheme includes works like power supply, water supply, main road works, land acquisition works and erection of bridge in New Chandrapur city.

Government of Maharashtra decided vide GR dated 7th April 2008 that the funds required for development works of New Chandrapur city should be first spent by MHADA and necessary proposal for reimbursement of that expenditure should be submitted to the State Government. The budget provision and expenditure incurred during 2019-20 to 2022-23 are as detailed in **Table 3.19**.

Table 3.19: Budget provision and Expenditure during 2019-20 to 2022-23

(₹ in crore)

| Year | Description | Budget Provision | Actual expenditure | Saving | Percentage of Savings |
|--------------|--|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 2019-20 | 2216 Housing | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 40 |
| 2020-21 | 103 Assistance to Housing Board, Corporation etc. | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 100 |
| 2021-22 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 100 |
| 2022-23 | 103(03)(6) Development of new Township of Chandrapur | 65.00 | 31.85 | 33.15 | 51 |
| Total | | 265.00 | 61.85 | 203.15 | |

Source: Appropriation Accounts of the respective years

During 2020-21 the entire budget provision was surrendered/re-appropriated due to non-approval of the proposal by the Planning Department and during 2021-22 due to non rectification of the objections raised by the State Government in the proposals of reimbursement of expenditure incurred under the scheme submitted by the MHADA within the stipulated time.

Budget provision has been made continuously for this scheme. However, for the year 2020-21 and 2021-22 the entire provision was surrendered and for the year 2022-23 budget provision of ₹ 65.00 crore was made, out of which only ₹ 31.85 crore was expended. This indicated poor monitoring of expenditure and weak financial controls.

For the period 2019-20 to 2022-23, the total budget provision was ₹ 265.00 crore of which, only ₹ 61.85 crore was expended and balance provision of ₹ 203.15 crore (76 per cent) was surrendered. The matter was referred (August 2023) to the Secretary, Housing. Reply is awaited.

(b) Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)

The Government of India launched the Pradhan Mantri Awas Yojana in June 2015 to achieve the goal of housing for all by the year 2022. The term of the said scheme was extended till 31 December 2024. Currently this scheme is being implemented in 397 cities of the State. The funding pattern of the Scheme is Central Share 60 per cent and State share 40 per cent. Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) and Directorate of Municipal Administration (DMA) have been authorized as the steering agency and campaign directorate respectively for the said scheme.

As per the PMAY guidelines and Government resolutions issued from time to time, the Central assistance of ₹ 1.5 lakhs and State share ₹ 1.00 lakh per dwelling unit would be made available to the beneficiaries of the scheme. Government of Maharashtra in Housing Department (February 2018) approved to release the State share of ₹ 1.00 lakh per dwelling unit per beneficiary from the Maharashtra Nivara Fund, an extra budgetary resource.

The budget provision, actual expenditure, and savings of the Scheme during 2019-20 to 2022-23 is detailed in **Table 3.20**.

Table 3.20: Budget provision and actual expenditure during 2019-20 to 2022-23

(₹ in crore)

| Year | Scheme announced | Budget Provision | Actual expenditure | Savings | Percentage of Savings |
|---------|--|------------------|--------------------|---------|-----------------------|
| 2019-20 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (Central Share 60%) | 6189.42 | 0.00 | 6189.42 | 100.00 |
| 2019-20 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (State Share 40%) | 705.59 | 0.00 | 705.59 | 100.00 |
| 2020-21 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (Central Share 60%) | 3500.00 | 663.45 | 2836.55 | 81.04 |
| 2020-21 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (State Share 40%) | 699.50 | 0.00 | 699.50 | 100.00 |
| 2021-22 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (Central Share 60%) | 3500.00 | 256.95 | 3243.05 | 92.66 |
| 2021-22 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (State Share 40%) | 750.49 | 0.00 | 750.49 | 100.00 |
| 2022-23 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (Central Share 60%) | 8105.00 | 917.91 | 7187.09 | 88.67 |
| 2022-23 | Housing for all Grants to Implementing Agencies (PMAY) (State Share 40%) | 905.50 | 611.28 | 294.22 | 32.49 |

Source: Appropriation Accounts 2022-23

The entire amount of State share was surrendered during 2019-20 due to non-release of Central share under the scheme. During 2020-21, the department had surrendered the entire provision of ₹ 699.50 crore stating that there was no release of Central share. However, it was seen that that the central government had released a grant of ₹ 633.45 crore in 2020-21. Hence the reason given by the Department for surrendering the entire provision of State share is contradictory. The surrender of the entire provision during 2021-22 was due to incurring of the expenditure of the scheme from the 'Maharashtra Nivara Nidhi'(MNN), an extra budgetary resources, which is within the jurisdiction of Maharashtra Housing and Area Development authority, as per the Government of Maharashtra decision (February 2018). The funding and functioning of MNN, is explained in Paragraph 2.5.2.7.1 of this Report. Thus, budget allocation based on unrealistic proposals promotes excessive savings and deprive other departments of the funds.

3.6 Conclusion

- The budgeting exercise carried out by the State Government needs to be more realistic as 18.19 *per cent* of the total provision remained unutilized. The total expenditure incurred during the year was six *per cent* less than the original budget and the supplementary budget constituted 15 *per cent* of the original budget.
- There were cases of misclassification between revenue and capital sections.
- There was excess expenditure in six voted grants and two charged appropriations amounting to ₹ 71.66 crore, which required regularization as per Article 205 of the Constitution of India. Further, excess expenditure amounting to ₹ 2,918.52 crore for the year 2017-18 to 2021-22 in respect of 42 grants and 15 appropriations was pending for regularization as of March 2023.
- Supplementary grants/appropriations as well as re-appropriation were obtained without adequate justification as large amounts remained unutilized.

3.7 Recommendations

- (i) The State Government should formulate a realistic budget based on reliable assumptions considering the needs of the Departments and their capacity to utilise the allocated resources.
- (ii) An appropriate control mechanism needs to be instituted by the Government to enforce proper implementation and monitoring of budget to ensure that savings are curtailed, large savings within the Grant/Appropriation are controlled and anticipated savings are identified and surrendered within the specified time frame.
- (iii) Priority should be accorded to all cases of pending regularisation of excess expenditure over the budget provision.

CHAPTER – IV

**QUALITY OF ACCOUNTS AND FINANCIAL
REPORTING PRACTICES**

Chapter IV: Quality of Accounts and Financial Reporting Practices

A sound internal financial reporting system and compliance with relevant rules and procedures contributes significantly to good governance. Compliance with financial rules, procedures and directives as well as the timeliness and quality of reporting on the status of such compliance is, thus, one of the attributes of good governance. Reports on compliance and controls, if effective and operational would assist the Government in meeting its basic stewardship responsibilities including strategic planning and decision-making. This chapter comments on the quality of accounts rendered by various authorities of the State Government and issues of non-compliance with prescribed financial rules and regulations by various departmental officials of the State Government.

Issues related to completeness of Accounts.

4.1 Non-discharge of liability in respect of interest towards interest bearing Deposits/ Reserve funds

The Government has a liability to provide and pay interest on the amounts in 'Interest-bearing Deposits' and 'Interest bearing Reserve Funds'. As on 31 March 2023, the balance in 'Interest bearing Deposit' was ₹ 59,858.87 crore and in 'Interest bearing Reserve Fund' was ₹ 4,798.95 crore respectively, on which, the Government provided for interest of ₹ 3,876 crore and ₹ 14.04 crore. There was non-payment/underpayment of ₹ 232.61 crore in respect of interest towards 'interest bearing deposits' and 'interest bearing reserve funds' as given in **Table 4.1**.

Table 4.1: Non-discharge of liability in respect of interest towards interest bearing deposits/ reserve funds
(₹ in crore)

| S. No. | Fund/ deposit | Opening Balance as on 01/04/2022 | Basis of calculation of interest paid | Interest due | Interest paid | Interest not paid |
|--------------|--|----------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | MH 8121 129 State Compensatory Afforestation Fund | 3230.44 | 3.35 <i>per cent</i> for the year 2022-23 as per circular No. 4- 58/2019-NAPt.2 dated 10 October 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change | 108.22 | | 108.22 |
| 2 | MH 8121 122 State Disaster Response Fund | 1074.00 | Interest calculated taking average Repo rate + two <i>per cent</i> i.e 7.49 <i>per cent</i> as per the Guidelines of SDRF | 80.44 | | 80.44 |
| 3 | Reserve Funds under MH 8121 and MH 8115 | 494.51 | Interest calculated taking average Ways and Means interest rate as 5.49 <i>per cent</i> for the year 2022-23 | 27.15 | 14.04 | 13.11 |
| | MH 8336 Civil Deposits | 19.67 | | 1.08 | | 1.08 |
| | MH 8338 Deposits of Local fund | 89.04 | | 4.89 | | 4.89 |
| | MH 8342 Other Deposits | 452.97 | | 24.87 | | 24.87 |
| Total | | 5415.75 | | 246.65 | 14.04 | 232.61 |

Source: Finance Accounts 2022-23

Non-payment of interest liability has resulted in understatement of revenue deficit and fiscal deficit to that extent.

4.2 Funds transferred directly to State implementing agencies

The Government of India transfers substantial funds directly to State Implementing Agencies for the implementation of various schemes and Programmes. As these funds are not routed through the State budget/State Treasury system, the Finance Accounts of the State do not capture these funds and to that extent, the State's receipts and expenditure as well as other fiscal variables/parameters derived from them do not represent the complete picture.

Government of India decided to transfer all assistance related to Centrally Sponsored Schemes (CSS)/Additional Central Assistances directly to the State Government and not to Implementing Agencies from 01 April 2014 onwards.

During 2022-23, Central funds amounting to ₹ 13,075.13 crore was transferred directly to the State Implementing Agencies instead of routing it through State Government. This was as per the scheme guidelines of the respective schemes.

These transfers are exhibited in Appendix VI of Volume II of the Finance Accounts. The direct transfers to State Implementing Agencies have shown an increasing trend during 2018-19 to 2021-22 but decreased marginally in 2022-23 as detailed in **Table 4.2**.

Table 4.2: Funds transferred directly to Implementing Agencies during 2018-19 to 2022-23

(₹ in crore)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---------|---------|----------|----------|----------|
| Direct transfers to State implementing agencies | 3004.46 | 7851.42 | 12599.90 | 14793.46 | 13075.13 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

During the year 2022-23, central share of ₹ 13,075.13 crore under 36 central scheme as detailed in **Appendix 4.1** was transferred directly to the implementing agencies bypassing the consolidated funds of the State.

Issues related to Transparency.

4.3 Delay in submission of Utilization Certificates

The Bombay Financial Rules, 1959 provide that for the grants received during a year for specific purposes, Utilization Certificates (UCs) should be obtained by the departmental officers from the grantee institutions and after verification, the UCs should be forwarded to the Accounting Offices concerned i.e. Accountant General (Accounts and Entitlements)-I, Maharashtra, Mumbai, Pr. Accountant General (Accounts and Entitlements) - II, Maharashtra, Nagpur and Pay and Accounts Office, Mumbai within 12 months from the dates of their sanction unless specified otherwise.

As on 31 March 2023, 9280 UCs amounting to ₹ 25,759.38 crore due in respect of grants given to 29 Departments of the State Government had not been submitted. However, the pendency of UCs has decreased from 15057 UCs amounting to ₹ 37,931.83 crore in 2021-22 to 9280 UCs amounting to ₹ 25,759.38 crore in 2022-23. The pendency of UCs as on 31 March 2023 is ₹ 25,759.38 crore which is 5.43 *per cent* of the total expenditure (₹ 4,73,922.42 crore) of the State. The status and age-wise details of delays in submission of UCs is given in **Table 4.3 and 4.4** respectively.

Table 4.3: Age-wise arrears in submission of utilization Certificates

(₹ in crore)

| Year* | No of Ucs Outstanding | Amount |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| Upto 2021-22 | 5514 | 17131.44 |
| 2022-23 | 3766 | 8627.94 |
| Total | 9280 | 25759.38 |

*The year mentioned relates to 'due year' i.e. after 12 months of drawal.
Additions during the year (bills drawn during 2021-22 and during 2022-23) is ₹ 1,05,581.56 crore and UCs received for ₹ 96,953.62 crore
Source: Finance Account 2022-23


Table 4.4: Year wise break up of UCs due for submission

(₹ in crore)

| Year | Number of UCs | Amount | Percentage |
|------------------------|---------------|-----------------|------------|
| Upto 2014 ¹ | 729 | 6432.56 | 24.97 |
| 2014-15 | 34 | 306.23 | 1.19 |
| 2015-16 | 16 | 262.80 | 1.02 |
| 2016-17 | 132 | 271.56 | 1.05 |
| 2017-18 | 291 | 396.28 | 1.54 |
| 2018-19 | 670 | 1157.05 | 4.49 |
| 2019-20 | 972 | 2126.68 | 8.26 |
| 2020-21 | 1230 | 2212.69 | 8.59 |
| 2021-22 | 1440 | 3965.59 | 15.39 |
| 2022-23 | 3766 | 8627.94 | 33.49 |
| Total | 9280 | 25759.38 | 100 |

Source: Information compiled by Office of the Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai.

Since the UCs in the above cases were not submitted, complete utilisation of grants released could not be verified. Despite the pending UCs, the grants were released to the institutions indicating lack of control over sanctioning of grants. Hence, the Government needs to review all such UCs pending for more than a year before release of further grants. Department-wise details of outstanding UCs separately for each year are detailed in **Appendix 4.2**.



(Source: Finance Accounts 2022-23)

¹ This includes one UC due for submission amounting to ₹ 0.13 crore pertaining to period 2001-02

As seen in **Chart 4.1**, majority of cases of non-submission of UCs relate to the Urban Development Department (35.93 per cent), Planning Department (16.25 per cent), and Rural Development and Water Conservation Department (11.52 per cent). In the absence of UCs, there is also no assurance that money disbursed has been used for the purpose for which they were given.

4.3.1 Recording of Grantee institutions as “others”

Grants-in-aid (GIA) are payments in nature of assistance, donations or contributions made by one government body/institution/individual to another government body/institution/individual.

As per Finance Accounts, GIA constituted between 38 per cent and 40 per cent of the State’s total expenditure during the last five years (2018-19 to 2022-23). Further, it was observed that during the last five years, more than 50 per cent of the Grants-in-aid was released to various institutions classified under ‘Others’ as seen in **Table 4.5**.

Table 4.5: Details of GIA released to ‘Others’ during 2018-19 to 2022-23

(₹ in crore)

| Year | Total expenditure | Total GIA released | GIA as percentage of total expenditure | GIA released to ‘Others’ | GIA released to ‘Others’ as percentage of total GIA released |
|---------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|
| 2018-19 | 303615.89 | 121017.33 | 39.86 | 72307.70 | 59.75 |
| 2019-20 | 338690.64 | 132235.02 | 39.04 | 77776.05 | 58.82 |
| 2020-21 | 342638.31 | 131439.43 | 38.36 | 68577.83 | 52.17 |
| 2021-22 | 398792.31 | 152336.85 | 38.20 | 84464.31 | 55.45 |
| 2022-23 | 473922.42 | 183125.48 | 38.64 | 97268.28 | 53.12 |

Source: Finance Accounts of respective years.

As per Finance Accounts 2022-23, Grant-in-Aid (₹ 1,83,125.48 crore) constituted 38.64 per cent of total expenditure (₹ 4,73,922.42 crore) of the State. Out of the total Grant-in-Aid of ₹ 1,83,125.48 crore, an amount of ₹ 97,268.28 crore (53.12 per cent) was disbursed to grantee institutions classified as ‘Others’. The absence of details of grantees adversely affects the transparency of accounts and monitoring of submission of UCs against these GIA.

The State Government needs to devise a mechanism to assign codes to such institutions for monitoring the submission of UCs and verification of outstanding amount against each institution.

4.4 Abstract Contingent Bills

As per Rule 282(2) of Maharashtra Treasury Rules, funds cannot not be withdrawn from Treasury unless the same is required for immediate disbursement. In terms of the Maharashtra Treasury Rules 1968, read with the Government of Maharashtra, Finance Department Regulation (February 2008), the DDOs are required to present detailed countersigned contingent (DCC) bills containing vouchers in support of final expenditure within one month from the date of drawal, and in no case beyond three months from the date of drawal of such advance, unless otherwise permitted by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department.

Out of 1698 AC bills amounting to ₹ 525.37 crore drawn during the year 2022-23, 363 AC bills amounting to ₹438.55 crore (83 per cent) were drawn in March 2023. DC Bills

in respect of a total of 1837 AC bills amounting to ₹ 4,185.96 crore as on 31 March 2023 were not received. Significant drawal through AC bills in March indicates that the drawal was primarily to exhaust the budget provision and indicates inadequate budgetary control. The department-wise pendency of detailed contingent bills is given in **Appendix 4.3**. Year-wise details of pending detailed contingent bills are given in **Table 4.6**.


Table 4.6: Year wise progress in submission of DCC bills against outstanding AC bills

(₹ in crore)

| Year | AC bills drawn | | DC bills received | | Outstanding DC bills as on 31 March 2023 | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|--|----------------|
| | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount |
| Upto 2020-21 | 1295 | 3147.85 | 334 | 416.94 | 961 | 2730.91 |
| 2021-22 | 606 | 1168.65 | 317 | 188.76 | 289 | 979.89 |
| 2022-23 | 1698 | 525.37 | 1111 | 50.21 | 587 | 475.16 |
| TOTAL | 3599 | 4841.87 | 1762 | 655.91 | 1837 | 4185.96 |

Source: Finance Account 2022-23

Status of pending DCC bills in respect of five major departments is given in **Chart 4.2**.



(Source: Finance Accounts 2022-23)

Chart 4.2 reveals that 55.01 *per cent* of the outstanding DC bills pertain to Medical Education and Drugs Department (₹ 2,302.55 crore) and 30.56 *per cent* relate to Public Health Department (₹ 1,279.06 crore).

Three Departments (*viz.* Public Health Department, Planning Department and Medical Education and Drugs Department) used AC bills to draw monies for routine procurement of medicines, medical equipment *etc.* through Haffkine Bio-Pharmaceuticals Corporation Limited² (HBPCL) throughout the year. 952 AC bills amounting to ₹ 3,671.23 crore constituting more than 87.70 *per cent* of total AC bills pending for adjustment, remained unadjusted at the end of the year, in respect of such procurement.

² The Government of Maharashtra in Public Health Department issued orders (July 2017) for purchase of medicines, medical equipment *etc.*, required by Government departments, local bodies *etc.* through procurement cell established in HBPCL. The financial powers were delegated (March 2018) to Public Health Department, Medical Education and Drugs Department, Directors and Regional Heads of these departments to draw funds on AC Bills as an advance to the Procurement Cell of HBPCL

The drawal of funds through AC bills is accounted against the functional Major Head in the consolidated fund of the state. Unless the accounts are settled within the time allotted through DCC bills, the expenditure cannot be asserted as correct or final. Non-submission of DC bills indicates lack of monitoring on the part of Departments as well as treasuries.

4.5 Personal Deposit Accounts

The PD accounts, also known as Personal Ledger Accounts (PLAs) are in the nature of a banking account kept in the Treasuries. According to Rule 494 of Maharashtra Treasury Rules, 1968 and Rule 12 of the Bombay Financial Rules 1959, Personal Deposit (PD) Accounts/Personal Ledger Accounts (PLA) can be opened with Treasury Officer for specified purpose on the basis of approval of Government in consultation with the Accountant General of the State.

Further, as per Rule 495 of Maharashtra Treasury Rules, Government of Maharashtra (GoM) is authorised to keep funds required for specific purposes in the PD Accounts by transfer of funds from the Consolidated Fund. PD Accounts which are inoperative for more than one year should be closed and the balances at the credit of such accounts should either be paid to the PD Account holder or credited to the Consolidated Fund of the State. In cases where the PD Accounts are debited to the Consolidated Fund, the same should be closed at the end of the financial year by minus debit of the balance to the relevant service heads in the Consolidated Fund.

The Personal Deposit (PD) Accounts has decreased from 1652 in the year 2021-22 to 1482 in 2022-23. The balances in the PDs as on 31 March 2023 was ₹ 11,254.38 crore which was 2.37 per cent of the total expenditure (₹ 4,73,922.42 crore) of the State. During 2022-23, 176 PD accounts amounting to ₹ 26,263 crore were closed.

The Status of Personal Deposit Accounts during 2018-19 to 2022-23 is shown in **Table 4.7**

Table 4.7: Status of Personal Deposit Accounts during 2022-23

(₹ in crore)

| Year | Opening Balance | | Addition during the year | | Closed during the Year | | Closing Balance | |
|---------|-----------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|----------|-----------------|----------|
| | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount | Number | Amount |
| 2018-19 | 2182 | 12229.30 | 10 | 22108.58 | 57 | 23384.35 | 2135 | 10953.53 |
| 2019-20 | 2135 | 10953.53 | 6 | 24135.37 | 57 | 24770.93 | 2084 | 10317.97 |
| 2020-21 | 2084 | 10317.90 | 0 | 16288.51 | 109 | 15800.66 | 1975 | 10805.82 |
| 2021-22 | 1975 | 10805.82 | 2 | 21065.32 | 325 | 21348.47 | 1652 | 10522.67 |
| 2022-23 | 1652 | 10522.67 | 6 | 26994.71 | 176 | 26263.00 | 1482 | 11254.38 |

Source: Finance Accounts of the respective years

Retention of funds in PDs not only led to expenditure booked under the service heads being inflated without actual outgo, but also resulted in dilution of treasury control over actual expenditure. During 2022-23, an amount of ₹ 26,994.71 crore was transferred from the Consolidated Fund of the State to the PD Accounts. This includes ₹ 2,820.28 crore transferred in March 2023 of which ₹ 24.80 crore was transferred on the last working day of March 2023.

Against the requirement of Treasury reconciling Personal Deposit (PD) Accounts with respective administrators, only 46 Administrators of PD Accounts (out of 1482) had reconciled and verified their balances.


Maharashtra Treasury Rules, 1968 states that the Administrator shall maintain a detailed account of the scheme/projects for which it has been opened. However, if any PD Account is not operated for a period of one year and there is reason to believe that the need for such deposit accounts has ceased, the same shall be closed. PD Accounts of 155 operators with balance amounting to ₹ 64.14 crore were lying inoperative for more than one year and 109 operators with ₹ 21.23 crore were lying inoperative for more than three years as on 31 March 2023.

4.6 Indiscriminate use of Minor Head- 800

The omnibus Minor Head 800 relating to ‘Other Receipts/Other Expenditure’ is to be operated only in cases when the appropriate Minor head has not been provided in the accounts. Indiscriminate booking of receipts and expenditure under Minor Head 800 results in opaqueness in accounts.

During 2022-23, the State Government classified expenditure of ₹ 15,885.03 crore under 52 Revenue and Capital Major heads of Account, constituting 3.35 *per cent* of the total revenue and capital expenditure of (₹4,73,922.42 crore) under the Minor Head “800-Other Expenditure”.

The extent of operation of Minor head 800- other expenditure as a percentage of total expenditure during 2018-19 to 2022-23 is shown in **Chart 4.3**.



(Source: Finance Accounts of respective years)


Chart 4.3 shows that there has been a decrease in the share of Minor Head 800 - Other Expenditure as part of the total expenditure, with its share decreasing from 6.81 *per cent* in 2018-19 to 3.35 *per cent* in 2022-23. Instances where substantial proportion of the expenditure within a given Major Head was classified under the Minor Head 800 – ‘Other Expenditure’ are given in **Table 4.8**.

Table 4.8: Significant expenditure booked under Minor Head 800 – Other Expenditure during 2022-23
(₹ in crore)

| S. No. | Major Head | Description | Expenditure under Minor Head 800 | Total Expenditure | Percentage |
|--------|------------|---|----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 4070 | Capital Outlay on other Administrative Services | 1373.60 | 1402.75 | 98 |
| 2 | 4055 | Capital Outlay on Police | 260.60 | 557.20 | 47 |
| 3 | 2701 | Major and medium Irrigation | 617.93 | 1598.08 | 39 |
| 4 | 2216 | Housing | 1460.35 | 3784.31 | 39 |
| 5 | 2515 | Other Rural Development Programme | 2012.96 | 8288.13 | 24 |
| 6 | 2210 | Medical and Public Health | 3879.04 | 17339.72 | 22 |

Source: Finance Accounts 2022-23

Similarly, during 2022-23, the State Government classified receipts of ₹ 7,784.44 crore constituting 1.92 per cent of the total revenue receipts (₹ 4,06,320.55 crore) pertaining to 64 Major heads under Minor Head “800-Other Receipts”. The extent of operation of Minor head 800 other receipts as a percentage of total receipts during 2018-19 to 2022-23 is shown in **Chart 4.4**



Source: Finance Accounts of the respective years

Chart 4.4 shows that there has been a decrease in the share of Minor Head 800 - Other receipts as part of the total receipts, with its share decreasing from 11.99 per cent in 2018-19 to 1.92 per cent in 2022-23. Instances where substantial proportion of the receipts within a given Major Head was classified under the Minor Head 800 – ‘Other receipts’ are given in **Table 4.9**.

Table 4.9: Significant receipts booked under Minor Head 800 – Other Receipts during 2022-23

(₹ in crore)

| S. No. | Major Head | Description | Receipts under Minor Head 800 | Total Receipts | Percentage |
|--------|------------|--|-------------------------------|----------------|------------|
| 1 | 0216 | Housing | 121.13 | 121.15 | 99.98 |
| 2 | 0217 | Urban Development | 1645.57 | 1708.46 | 96.32 |
| 3 | 0435 | Other Agricultural Programme | 14.02 | 14.94 | 93.84 |
| 4 | 0235 | Social Security and Welfare | 395.26 | 428.87 | 92.16 |
| 5 | 0425 | Co-operation | 117.42 | 130.71 | 89.83 |
| 6 | 0250 | Other Social Services | 149.99 | 183.94 | 81.54 |
| 7 | 0202 | Education, Sports, Art and Culture | 287.30 | 374.65 | 76.68 |
| 8 | 0071 | Contributions and Recoveries towards Pension and Other Retirement Benefits | 135.27 | 182.32 | 74.19 |
| 9 | 0029 | Land Revenue | 1779.64 | 2431.41 | 73.19 |
| 10 | 0070 | Other Administrative Services | 545.47 | 850.37 | 64.15 |

Source Finance Accounts 2022-23

Classification of large amounts under the omnibus Minor Head 800 affects transparency in financial reporting and distorts proper analysis of allocative priorities and quality of expenditure.

Omnibus Minor Head 800 relating to Other Receipts/Other Expenditure is to be operated only in cases where the appropriate minor head has not been provided under a Major Head in the accounts. Booking under Minor Head 800 even when suitable minor head is available under the same Major Head/ Other Major Head adversely impacts the transparency of accounts. A few instances where expenditure was budgeted and booked under Minor Head 800 even though suitable minor head was available in the List of Major Minor Head (LMMH) are detailed below.

- (i) In two instances Road works related expenditure of ₹ 437 crore and ₹ 111.36 crore was booked under Minor head 800 whereas appropriate Minor Head –‘337-Road works’ was available under Major head 3054- Roads and Bridges in List of Major and Minor Heads.
- (ii) Expenditure on Grant-in-aid to Zilla parishads for Rural Development programme amounting to ₹ 2000.00 crore, was booked under Minor head -800 instead of Minor head 101- Panchayati Raj under the Major head-2515. Other Rural Development Programmes.
- (iii) Grants to Social Welfare Institutions amounting to ₹205.43 crore was booked under Minor head-800 instead of Minor head 107-Assistance to voluntary organization under the Major head-2235 Social Security and Welfare.
- (iv) Grant-in-aid to Voluntary Agencies (SCP) amounting to ₹ 102.45 crore was booked under Minor Head 800 under the Major Head 2235 Social Security and welfare instead of Minor Head 794 - Special Central Assistance for Tribal sub-Plan.
- (v) Under Major Head 4055 Capital Outlay on Police, an amount of ₹ 243.69 crore for Installation of CCTV Surveillance System was booked under Minor Head 800, instead of Minor head - 207 State Police.

- (vi) An amount of ₹131 crore received on account of Education cess was misclassified under Minor Head 800 instead of 108 - Education Cess under Major Head 0045 Other Taxes and Duties on Commodities & Services.

Issues relating to Measurement.

4.7 Outstanding balance under major Suspense and DDR heads

The accounts of the Government are kept on cash basis. Certain intermediary/adjusting heads of accounts known as “Suspense heads” are opened in Government accounts to reflect transactions of receipt and payments which cannot be booked to a final head of account due to lack of information such as non-furnishing of Schedule of Settlement by the Treasuries/PAOs, non-receipt of clearance memos from RBI, non-receipt of vouchers etc. These heads of accounts are finally cleared by minus debit or minus credit when the accounts under them are booked to their respective final heads of accounts. If these amounts are not cleared subsequently, the balance under the suspense heads would accumulate and would not reflect Government’s receipts and expenditure accurately. The balances under Suspense and Remittance Heads are shown in **Table 4.10**.

Table 4.10 Balances under Suspense and Remittance Heads

(₹ in crore)

| Minor Head | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| | Dr. | Cr | Dr. | Cr. | Dr. | Cr. |
| Major Head 8658 – Suspense | | | | | | |
| 101 - PAO suspense | 169.66 | 21.13 | 142.67 | 29.06 | 153.27 | 10.49 |
| Net | Dr.148.53 | | Dr. 113.61 | | Dr142.78 | |
| 102 - Suspense Account-Civil | 34.18 | 4.31 | 4.26 | 5.14 | 34.50 | 33.08 |
| Net | Dr.29.87 | | Cr (-)0.88 | | Dr.1.42 | |
| 107 - Cash Settlement Suspense Account | 18.30 | 0.49 | 18.30 | 0.49 | 17.16 | 0.49 |
| Net | Dr.17.81 | | Dr 17.81 | | Dr 16.67 | |
| 109 - Reserve Bank Suspense –Headquarters | (-)1.43 | 3.08 | 5.86 | 14.48 | 0.61 | 18.75 |
| Net | Dr.4.51 | | Cr (-) 8.62 | | Cr 18.14 | |
| 110 - Reserve Bank Suspense – CAO | 440.00 | 371.42 | 43.71 | 3.03 | 381.95 | 376.14 |
| Net | Dr.68.58 | | Dr 40.68 | | Dr 5.81 | |
| 112 - Tax Deducted at Source (TDS) Suspense | (-)18.33 | 146.43 | 0 | 180.41 | 653.76 | 827.88 |
| Net | Cr.164.76 | | Cr (-) 180.41 | | Cr 174.12 | |
| Major Head 8782-Cash Remittances | | | | | | |
| 102 - P.W. Remittances | 184501.22 | 186208.92 | 226577.76 | 227677.03 | 234775.23 | 236342.95 |
| Net | Cr.1707.70 | | Cr 1099.27 | | Cr 1567.72 | |
| 103 - Forest Remittances | 16394.16 | 16429.55 | 1935760.02 | 1940625.01 | 16394.16 | 16498.86 |
| Net | Cr.35.39 | | Cr 48.65 | | Cr 104.70 | |

Source: Finance Accounts of respective years

The Finance Accounts reflect the net balances under these heads. The outstanding balances are worked out by aggregating the outstanding debit and credit separately.

4.7.1 Adverse Balances under DDR Heads

Adverse balances are negative balances appearing under those heads of accounts, where there should not be a negative balance. For example, against the accounting head of any loan or advance, a negative balance will indicate more repayment than the original amount advanced.

As on 31 March 2023, there were six cases of adverse balances in the accounts. These pertained to internal debt of the State Government (Major Head 6003) - ₹ 76.11 crore, Loans for Education, Sports Art and Culture (Major Head 6202) - ₹ 1.76 crore, Loans for Crop Husbandry (Major Head 6401) - ₹ 0.77 crore, Loans for Animal Husbandry (Major Head 6403) - ₹ 9.55 crore, Loans for Other Agricultural Programmes (Major Head 6435) - ₹ 0.02 crore, and Loans to Government Servants, etc. (Major Head 7610) ₹ 1.40 crore. The adverse balances were due to misclassification which are under review/corrections.

4.8 Non-reconciliation of Departmental figures

To exercise effective budgetary control over revenue/expenditure and to ensure accuracy in accounts, all Controlling Officers are required to reconcile the receipts and expenditure of the Government with the figures accounted for by the Offices of the Accountant General (Accounts and Entitlement)-I, Maharashtra, Mumbai or Pr. Accountant General (Accounts and Entitlement)-II, Maharashtra, Nagpur or the Pay and Accounts Office, Mumbai, as the case may be.

For the year 2022-23, such reconciliation had been completed only for an expenditure of ₹ 3,69,338.95 crore (85.80 *per cent*) against the total expenditure of the Government (₹ 4,30,462.95 crore), excluding the expenditure adjusted through transfer entries and periodical adjustment.


The details relating to the number of Controlling Officers and the extent of reconciliation of expenditure during the last three years are given in **Table 4.11**.

Table 4.11: Status of Reconciliation of Expenditure figures

| Year | Controlling Officers/DDOs | | | |
|---------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | Total No. | Fully Reconciled | Partially Reconciled | Not reconciled at all |
| 2020-21 | 7075 | 6393 | 281 | 401 |
| 2021-22 | 7040 | 6572 | 233 | 235 |
| 2022-23 | 7065 | 6642 | 273 | 150 |

Source: Information compiled by Office of the Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai

Reconciliation of receipts has been completed for ₹ 2,38,948.60 crore (97.78 *per cent*) against the total receipts of the Government (₹ 2,44,376.05 crore) excluding receipt adjusted through transfer entries and periodical adjustment. The status of reconciliation during 2020-21 to 2022-23 is shown in **Chart 4.5**.



(Source: Finance accounts of respective years)

4.9 Reconciliation of Cash balances

There should be no difference between cash balance of the State as per books of Accounts of the Accountant General (A&E) and the cash balances as reported by RBI. The Cash Balance of the year 2022-23 as per Accounts and as per RBI indicating the unreconciled difference for the year as on 31 March 2023 is shown in **Table 4.12**.

Table 4.12: Unreconciled difference of Cash Balance

(₹ in crore)

| As per Accountant General's Books | As reported by RBI | Difference |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 12,637.29 (Credit) | 13,006.65 (Debit) | 369.36 (Debit) |

Source: Finance Accounts 2022-23

The difference is under reconciliation and as of 30 June 2023 had been reduced to ₹ 50.70 crore Debit (net).

Issues relating to Disclosure.

4.10 Compliance with Accounting Standards

As per Article 150 of the Constitution of India, the President of India may on the advice of the CAG, prescribe the form of accounts of the Union and of the States. Further, the CAG has set up a Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) in 2002 for formulating standards for Government accounting and financial reporting, to enhance accountability mechanisms. On the advice of the CAG, the President of India has so far notified three Indian Government Accounting Standards (IGAS).

The following three IGAS became mandatory from the effective date after their notification by the Ministry of Finance, Government of India.

1. Guarantees Given by the Government – **IGAS 1**
2. Accounting and Classification of Grants-in- Aid - **IGAS 2**
3. Loans and Advances made by Government - **IGAS 3**

Due to non-receipt of complete information from the State Government, the disclosure requirements of IGAS were not complied with to the extent given in **Table 4.13**.

Table 4.13: Compliance with Accounting Standards

| Sl. No. | Accounting Standards | Essence of IGAS | Compliance by State Government | Impact of deficiency |
|---------|--|--|--|--|
| 1. | IGAS-2: <i>Accounting and Classification of Grants-in- Aid</i> | Grants-in-Aid are to be classified as revenue expenditure in the accounts of the grantor and as revenue receipts in the accounts of the grantee, irrespective of the end use | Partly complied | The grants-in-aid given to institutions amounting to ₹ 3,440.70 crore was classified under capital heads instead of revenue head. Non-compliance led to understatement of revenue deficit to that extent |
| 2. | IGAS-3: <i>Loans and Advances made by Government</i> | This Standard relates to recognition, measurement, valuation and reporting in respect of loans and advances made by the Government in its Financial Statements to ensure complete, accurate and uniform accounting practices | Partly complied (Statement 7 and 18 of Finance Accounts) | Disclosure on repayments in arrears from Loanees group, loans in perpetuity, interest payment in arrears if any were not furnished by Government. Non-payment of interest / principal may have an impact on the revenue and fiscal deficit |

4.11 Submission of Accounts/Separate Audit Reports of Autonomous Bodies

As per Section 19(3) of the CAG's (DPC) Act, 1971, the Governor/ Administrator may, in the public interest, request the CAG to audit the accounts of a corporation established by law made by the legislature of the State or of the Union Territory, as the case may be, and where such request has been made, the CAG shall audit the accounts of such corporation and shall have, for the purposes of such audit, right of access to the books and accounts of such corporation.

Apart from Section 19, where the audit of the accounts of any body or authority has not been entrusted to the CAG by or under any law, he shall, if requested so to do by the President, or the Governor of a State or the Administrator of a Union Territory having a Legislative Assembly, as the case may be, undertake the audit of the accounts of such body or authority on such terms and conditions as may be agreed upon between him and the Government concerned and shall have, for the purpose of such audit, right of access to the books and accounts of that body or authority (Section 20).

Audit certificate is issued in case of above-mentioned autonomous bodies and authorities provided; CAG is the sole auditor. Thus, these bodies and authorities are required to prepare annual accounts and submit to AG (Audit) for audit. Apart from Audit certificate, on the completion of financial audit, the audit office issues Separate Audit Report (SAR) that is part of the audit certificate on the accounts. These SARs are to be placed before the State legislature.

Autonomous Bodies have been set up by the Government of Maharashtra in the fields of Environment, Housing, Industries, Irrigation, Urban Development, Water Supply and Sanitation. The audit of Accounts of 27 autonomous bodies in the State has been

entrusted to the CAG under Sections 19 and 20 of CAG's (DPC) Act, 1971. The status of entrustment of audit, rendering of Accounts to audit, issuance of Separate Audit Reports and their placement in the Legislature by the Autonomous Bodies are indicated in **Appendix.4.4**.

The Accounts for the year 2022-23, which were due in June 2023, have not been received from any of the Autonomous Bodies. The arrears of accounts of the Autonomous bodies are shown in **Table 4.14**.

Table 4.14: Arrears of accounts of Bodies or Authorities

| Sl. No. | Name of Body or Authority | Accounts pending since | No. of Accounts pending up to 2022-23 |
|---------|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA), | 2022-23 | 1 |
| 2 | Maharashtra Building and other construction Workers Welfare Board (MBOCWFB) | 2021-22 | 2 |
| 3 | Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MAHA RERA) | 2022-23 | 1 |
| 4 | Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) | 2022-23 | 1 |
| 5 | Slum Rehabilitation Authority, Mumbai (SRA) | 2022-23 | 1 |
| 6 | Maharashtra Maritime Board (MMB), Mumbai | 2021-22 | 2 |
| 7 | Rajiv Gandhi Science and Technology Commission (RGSTC) | 2022-23 | 1 |
| 8 | Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), Mumbai | 2022-23 | 1 |
| 9 | Maharashtra Khadi and Village Industries Board (MSKVIB), Mumbai | 2022-23 | 1 |
| 10 | Maharashtra State Commission for Women (MSCW), Mumbai | 2022-23 | 1 |
| 11 | Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), Mumbai | 2022-23 | 1 |
| 12 | Tapi Irrigation Development Corporation (TIDC), Jalgaon | 2020-21 | 3 |
| 13 | Vidharbha Irrigation Development Corporation (VIDC) | 2020-21 | 3 |
| 14 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation (GMIDC), Aurangabad | 2020-21 | 3 |
| 15 | Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) | 2021-22 | 2 |
| 16 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (MKVDC), Pune | 2020-21 | 3 |
| 17 | Konkan Irrigation Development Corporation (KIDC), Thane | 2021-22 | 2 |
| 18 | Maharashtra State Human rights commission (MSHRC) | 2021-22 | 2 |
| 19 | Maharashtra Water Conservation Corporation (MWCC), Aurangabad | 2019-20 | 4 |
| 20 | Maharashtra State Legal Services Authority (MSLSA), Mumbai | 2017-18 | 6 |
| 21 | Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP), Mumbai | 2019-20 | 4 |
| 22 | Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) | 2022-23 | 1 |
| 23 | Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights (MSCPCR) | 2018-19 | 5 |
| 24 | Slum Rehabilitation Authority Pune & Pimpri Chinchwad Area, Pune | 2021-22 | 2 |
| 25 | Maharashtra State Minorities Commission (MSMC) | 2016-17 | 7 |
| 26 | Fee Regulatory Authority | 2021-22 | 2 |
| 27 | Admission Regulatory Authority | 2019-20 | 4 |

Source: Information obtained from Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai and Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur.

The inordinate delays in submission of Accounts and their presentation to the State Legislature resulted in delayed scrutiny by the Legislature of the functioning of these bodies where Government investments were made.

4.12 Departmental Commercial Undertakings/Corporations/Companies

The departmental undertakings of certain Government Departments performing activities of commercial and quasi-commercial nature are required to prepare proforma accounts in the prescribed format annually, showing the working results of financial operations, so that the Government can assess their working. The finalized accounts of departmentally managed commercial and quasi commercial undertakings reflect their overall financial health and efficiency. In the absence of timely finalization of accounts, the investment of the Government remains outside the scrutiny of Audit/State Legislature. Consequently, corrective measures, if any, required for ensuring accountability and improving efficiency cannot be taken in time. Besides, the delay renders the system vulnerable to the risk of fraud and leakage of public money.

Heads of Government Departments have to ensure that the Undertakings prepare such Accounts and submit them to the Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai and Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur of Maharashtra as the case may be, for audit within a specified timeframe. As of March 2023, there were 44 such Undertakings of which, none had prepared accounts for 2021-22 and 2022-23. Milk Transport Scheme, Mumbai, Worli has been closed since 2008-09. The Department-wise position of arrears in preparation of *Proforma* Accounts and investments made by the Government are given in **Appendix 4.5**.

4.13 Non-submission of details of grants/loans given to bodies and authorities

Under Section 14 of the CAG's (DPC) Act, 1971, whenever any body or authority is substantially financed by grants or loans from Consolidated Fund of the State, the CAG shall, subject to the provisions of any law for the time being in force applicable to the body or authority, as the case may be, audit all such receipts and expenditure of that body or authority and report the receipts and expenditure audited by him. Under Section 15 of the CAG's (DPC) Act, 1971, where any grant or loan is given for any specific purpose, the CAG shall scrutinize the procedures by which sanctioning authority satisfies itself as to the fulfilment of certain conditions.

The institutions/bodies/authorities, which are audited under the above Sections need to be identified and the heads of the Government Departments are required to furnish to audit every year information about the institutions to which financial assistance of ₹ 25 lakh or more was given, the purpose for which assistance was granted and the total expenditure of the institutions. The details of such assistance released to the institutions during the year were awaited from Government Departments (October 2023).

Table 4.15 shows age-wise arrears of Annual Accounts due up to 2022-23 in respect of 11946 Annual Accounts as of October 2023.

Table 4.15: Age-wise arrears of Annual Accounts due from Institutions

| Delay in number of years | Number of Accounts |
|--------------------------|--------------------|
| 0-1 | 2794 |
| 1-3 | 2899 |
| 3-5 | 1755 |
| 5-7 | 939 |

| Delay in number of years | Number of Accounts |
|--------------------------|--------------------|
| 7-9 | 536 |
| 9 and above | 3023 |
| Total | 11946 |

Source: Information obtained from Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai and Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur

Major pendency in submission of Accounts pertain to institutions receiving financial assistance from Higher and Technical Education Department, School Education and Sports Department.

Non-submission of information regarding Grants and loans paid to various institutions and non-furnishing of Accounts by them increases the risk of mis-utilisation of the funds and the same is brought to the notice of the Government for remedial action.

4.14 Timeliness and Quality of Accounts

The accounts of the State Government are compiled by the Accountant General (A&E) from the initial accounts rendered by 34 Treasuries and one Virtual treasury (accounting e-receipts), 176 Forest Divisions, 165 Public Works Divisions, 181 Irrigation Divisions, one Pay and Accounts Office and Advices of the Reserve Bank of India. During 2022-23, no accounts have been excluded in the Monthly Civil Accounts.

4.15 Misappropriations, losses, thefts etc.

The Bombay Financial Rules, 1959 provide that misappropriation, fraudulent drawal/ payment or otherwise discovered in a treasury or any other office/department should be reported immediately by the office concerned to the next higher authority as well as to the Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai and Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur.

The State Government reported 242 cases of misappropriations, defalcations *etc.*, involving ₹ 2,023.80 lakh up to March 2023 on which final action was pending. First Information Reports were lodged in all the 242 cases. The age-profile of the pending cases and the number of cases pending in each category as have emerged from these instances are summarized in **Appendix 4.6** and **Appendix 4.7**.

Further analysis indicates the reason due to which the cases were outstanding and could be classified in the various categories listed in the **Table 4.16**.

Table 4.16: Reasons for outstanding cases of misappropriations, losses, theft etc.

(₹ in lakh)

| S. No. | Reasons for delay/outstanding cases | Number of cases | Amount |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Awaiting departmental action | 24 | 89.21 |
| 2 | Departmental proceeding in progress | 96 | 855.14 |
| 3 | Awaiting orders for write- off | 40 | 52.23 |
| 4 | Pending due to judicial proceedings | 79 | 1026.35 |
| 5 | Pending due to other reasons | 3 | 0.87 |
| | Total | 242 | 2023.80 |

Source: Information obtained from Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai, Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur and PAO Mumbai

4.16 Follow up action on State Finances Audit Report

The State Finance Audit Report is being presented to the State Legislature from 2008-09 onwards. The State Public Accounts Committee discussed (May 2019) Chapter I of the State Finance Audit Report 2016-17 and gave 37 recommendations (PAC Report no 68). The Action Taken Notes on 19 recommendations have been received. We have noticed that deficiencies sought to be remedied by implementation of these recommendations have been persisting over the years and are being reported in our reports.

4.17 Conclusion

- The amount relating to pending Utilization Certificates has decreased from ₹ 37,931.83 crore in 2021-22 to ₹ 25,759.38 crore in 2022-23. Pendency in submission of UCs not only results in absence of assurance on utilization of grants released for intended purposes, but also lack of monitoring of utilization of grants released to the grantees by the departments.
- Out of ₹ 525.37 crore drawn through 1698 AC bills during 2022-23, 363 AC Bills amounting to ₹ 438.55 crore (83 *per cent*) was drawn in March 2023. Significant drawal through AC bills in March indicates that the drawal was primarily to exhaust the budget provision and reveals inadequate budgetary control.
- There were delays in submission/finalization of Accounts by Autonomous Bodies/ Commercial Undertakings which dilutes accountability and defeats the purpose of preparation of Accounts.

4.18 Recommendations

- (i) The Government may ensure timely submission of utilization certificates by the departments in respect of the grants released for specific purposes.
- (ii) The Government may consider carrying out adjustment of Abstract Contingent bills within the stipulated period, as required under the Rules.

**CHAPTER V:
FINANCIAL PERFORMANCE OF STATE PUBLIC
SECTOR UNDERTAKINGS**

Chapter V:

Financial Performance of State Public Sector Undertakings

5.1 Introduction

This Chapter presents the summary of financial performance of Government Controlled Companies, Government Controlled Other Companies and Statutory Corporations of Government of Maharashtra as revealed from their accounts/ information furnished by them and results of oversight role of the Comptroller & Auditor General of India (CAG). It highlights some of significant comments issued as a result of supplementary audit of the Financial Statement (FS) of the State Public Sector Undertakings (SPSUs) conducted by the CAG and the impact of comments issued by the CAG on the financial statements received during the current year in respect of the Statutory Corporations.

SPSUs are established by Governments to carry out activities of commercial nature for the development of the State and to cater to the welfare of its people.

5.2 Definition of Government Companies.

A Government Company is defined in Section 2(45) of the Companies Act, 2013 as a Company in which not less than 51 per cent of the paid-up share capital is held by Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments and includes a Company, which is a subsidiary of a Government Company.

The Statutory Corporations are established by the State Government and governed by their respective legislations.

Besides, any other Company¹ owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Governments or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments are referred to in this Report as Government Controlled Other Companies.

In this Report, SPSUs encompass Government Controlled Companies (GCC), Government Controlled Other Companies (GCOC) and Statutory Corporations (SC) of the Government of Maharashtra (GoM).

5.3 Mandate of Audit

CAG of India appoints the Statutory Auditors for Government Companies and issue directions on the manner in which the FSs are to be audited under Sections 139 (5) and (7) of the Companies Act, 2013. Audit of Government Companies and GCOC is conducted by the CAG of India under the provisions of Section 143 of the Companies Act, 2013 read with Section 19 of the CAG's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 and the Regulations made thereunder. CAG of India has the right to conduct a supplementary audit and issue comments upon or supplement the Audit Report of the Statutory Auditors under Section 143 of the Companies Act, 2013.

The statutes governing Statutory Corporations also require that their FSs be audited by the CAG of India and a report be submitted to the State Legislature.

¹ Companies (Removal of difficulties) Seventh Order 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs (04.09.2014)

5.4 Number of SPSUs and Status of Financial Statements

At the beginning of the year 2022-23, there were 105 SPSUs in Maharashtra under the audit jurisdiction of CAG of India. During the financial year 2022-23, six² SPSUs came under the audit jurisdiction of CAG of India and one³ SPSU has been struck off during the year. As a result, the number of SPSUs under the jurisdiction of CAG of India as on 31 March 2023 stood at 110, in Maharashtra. These included the following types of SPSUs as given in **Table 5.1**.

Table 5.1: Details of types of SPSUs

| Particulars | Government Controlled Companies | Statutory Corporations | Total | Government Controlled Other Companies | Grand Total |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6=4+5 |
| Active | 68 | 10 | 78 | 13 | 91 |
| Inactive | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Total | 87 | 10 | 97 | 13 | 110 |

(Source: Compiled as per information received from SPSUs)

None of these SPSUs were listed on the stock exchange. The list and the details of arrear of accounts of these 110 SPSUs are detailed in **Appendix 5.1**.

Out of 19 inactive SPSUs, the closure of seven⁴ subsidiaries of Marathwada Development Corporation Limited (MDCL) was pending, though GoM had approved its closure on 25 October 2011. These inactive SPSUs have investment of ₹ 1,699.40 crore, which includes capital⁵ of ₹ 298.28 crore (State Government ₹ 271.23 crore and Others ₹ 27.05 crore) and long-term loans of ₹ 1,401.12 crore (State Government ₹ 332.69 crore and Others ₹ 1,068.43 crore).

This is a critical area as the investments in inactive SPSUs do not contribute to the economic growth of the State.

The financial performance of the 110 SPSUs, based on the latest finalised FSs received till 30 September 2023 and as per information received from SPSUs is covered in this Report. The nature of SPSUs and the position of FSs as on 30 September 2023, is summarised in **Table 5.2**.

² Maha ARC Limited, MSRDC Pune Ring Road Limited, MSRDC Jalna Nanded Expressway Limited, MSRDC Multi Model Corridor Limited, Maharashtra Housing Development Corporation Limited, Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited

³ Maha Tourism Corporation Limited

⁴ Ellora Milk Product Limited, Dairy Development Corporation of Marathwada Limited, Parbhani Krishi Gosanvardhan Limited, Godavari Garments Limited, Kinwat Roofing Tiles Limited, Marathwada Ceramic Complex Limited, Leather Industries Corporation of Marathwada Limited

⁵ Including Share application money ₹ 81.57 crore

Table 5.2: Coverage and nature of SPSUs

| S. No. | Nature of SPSUs | Total No. of SPSUs | Number of SPSUs whose FSs were received as of 30 September 2023 | | | | No. of SPSUs of which FSs are in arrears as on 30 September 2023 |
|--------|---------------------------------------|--------------------|---|----------------------------|---|-----------|--|
| | | | FSs for the period 2022-23 | FSs for the period 2021-22 | FSs for the period 2020-21 and earlier. | Total | |
| 1. | Government controlled Companies | 68 | 7 | 26 | 10 | 43 | 25 |
| 2. | Government controlled Other Companies | 13 | 3 | 2 | - | 5 | 8 |
| 3. | Statutory Corporations | 10 | 0 | 4 | - | 4 | 6 |
| 4. | Total Working SPSUs (1+2+3) | 91 | 10 | 32 | 10 | 52 | 39 |
| 5. | Inactive Government Companies | 19 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 |
| 6. | Total Inactive SPSUs (5) | 19 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 |
| 7. | Grand Total (4+6) | 110 | 14 | 41 | 11 | 66 | 44 |

(Source: Information compiled on the basis of FSs received upto 30 September 2023)

The detailed analysis in this regard is given in Paragraph No 5.14.2.2 ahead.

5.5 SPSUs and their Contribution to the GSDP of the State

The ratio of turnover of the State SPSUs to the Gross State Domestic Product (GSDP) shows the contribution of SPSUs to the economy of the State.

On the basis of nature of activities undertaken, the turnover of 45 active GCCs and seven SCs have been categorised into seven sectors. Remaining SPSUs have nil⁶ turnover. Sector wise turnover *vis-à-vis* share of turnover of these SPSUs in GSDP of Maharashtra during three years period ended 31 March 2023 are given in **Table 5.3**.

Table 5.3: Details of turnover of SPSUs *vis-a-vis* GSDP of GoM

(₹ in crore)

| S. No. | Sector | No. of SPSUs | Turnover 2020-21 | Sector-wise Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra | No. of SPSUs | Turnover 2021-22 | Sector-wise Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra | No. of SPSUs | Turnover 2022-23 | Sector-wise Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra |
|-----------------------|----------------------|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
| 1 | Power | 3 | 102140.30 | 3.89 | 4 | 100751.42 | 3.24 | 4 | 112847.35 | 3.20 |
| 2 | Finance | 16 | 156.23 | 0.01 | 16 | 137.26 | 0.00 | 16 | 140.75 | 0.00 |
| 3 | Service | 2 | 7865.17 | 0.30 | 2 | 7628.92 | 0.25 | 2 | 2628.20 | 0.07 |
| 4 | Infrastructure | 13 | 2134.44 | 0.08 | 12 | 2354.85 | 0.08 | 11 | 2415.73 | 0.07 |
| 5 | Agriculture & Allied | 11 | 1807.94 | 0.07 | 12 | 1853.62 | 0.06 | 12 | 1727.81 | 0.05 |
| 6 | Manufacturing | 4 | 210.68 | 0.01 | 4 | 128.79 | 0.00 | 4 | 455.49 | 0.01 |
| 7 | Miscellaneous | 2 | 614.36 | 0.02 | 3 | 1613.72 | 0.05 | 3 | 1939.37 | 0.05 |
| Total turnover | | | 114929.12 | 4.37 | | 114468.58 | 3.68 | | 122154.70 | 3.46 |

⁶ FAAs of Eight SPSUs awaited and remaining 40 SPSUs have nil Turnover

(₹ in crore)

| S. No. | Sector | No. of SPSUs | Turnover 2020-21 | Sector-wise Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra | No. of SPSUs | Turnover 2021-22 | Sector-wise Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra | No. of SPSUs | Turnover 2022-23 | Sector-wise Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra |
|--------|---|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
| | GSDP of Maharashtra | | 2627542 | | | 3108022 | | | 3527084 | |
| | Percentage of turnover to GSDP of Maharashtra | | 4.37 | | | 3.68 | | | 3.46 | |

(Source: GSDP figures as per Economic Survey of Maharashtra 2022-23 and turnover figures as per latest finalised FSs upto 30 September 2023)

The contribution of SPSUs to GSDP of Maharashtra decreased from 3.68 per cent in 2021-22 to 3.46 per cent in 2022-23, though the turnover of these SPSUs increased by 6.71 per cent during 2022-23 as compared to turnover in 2021-22. During the last three years the Compounded Annual Growth Rate (CAGR)⁷ of GSDP was 15.86 per cent, while the CAGR of turnover of the SPSUs was 3.10 per cent.

During 2022-23, the SPSUs in Power Sector have contributed the maximum turnover constituting 92.38 per cent of the total turnover.

5.5.1 Summary of Financial Performance of SPSUs

The Details of the financial performance of all Government Controlled Companies, Statutory Corporations and GCOC is given in **Appendix 5.2**. Summary of financial performance of SPSUs is given in **Table 5.4**.

Table 5.4: Summary of financial performance of SPSUs as on 30 September 2023

| Particulars | No. of SPSUs | Amount (₹ in crore) |
|--|--------------|---------------------|
| Government Controlled Companies and Statutory Corporations | | |
| Number of SPSUs | 97 | |
| Paid-up capital ⁸ (including share application money pending allotment) | 93 | 347628.64 |
| Long-term loans | 47 | 97991.69 |
| Net profit after tax | 42 | 1781.72 |
| Net loss after tax ⁹ | 42 | -3545.33 |
| No profit No loss (NPNL) | 9 | - |
| Dividend Paid | 6 | 4.66 |
| Total assets | 93 | 653782.52 |
| Net worth | 93 | 317566.95 |
| First Accounts Awaited (FAA) | 4 | - |

7 Rate of compounded annual Growth $[\{(Value\ of\ 2022-23 / value\ of\ 2020-21) ^{(1/2\ years)} - 1\} * 100]$

8 This includes five SPSUs with zero Paid-up capital (Maharashtra Bamboo Promotion Foundation, Babasaheb Ambedkar Samata Pratishthan, Chhatrapati Shahu Maharaj Research Training & Human Development Institute, Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Institute and Maharashtra Industrial Development Corporation)

9 This includes nine inactive SPSUs which have zero Profit /Loss during 2022-23

| Particulars | No. of SPSUs | Amount (₹ in crore) |
|---|--------------|---------------------|
| Government Controlled Other Companies | | |
| Number of State SPSUs | 13 | |
| Paid-up capital (including share application money pending allotment) | 9 | 6170.88 |
| Long-term loans | 2 | 65.39 |
| Net profit after tax | 5 | 51.57 |
| Net loss after tax | 3 | -78.07 |
| No profit No loss (NPNL) | 1 | - |
| Dividend Paid | 1 | 0.84 |
| Total assets | 9 | 10010.54 |
| Net worth | 9 | 6171.65 |
| First Accounts Awaited (FAA) | 4 | - |

(Source: Information compiled as per latest finalised FSs received from SPSUs).

5.6 Investments in SPSUs and Budgetary Support

5.6.1 Equity holding and Loans in SPSUs

The sector-wise total contribution by the GoM in the form of equity and long term loans in 110 SPSUs as on 31 March 2023 is given below in **Table 5.5**.

Table 5.5: Sector-wise investment of State Government in SPSUs as on 31 March 2023

(₹ in crore)

| Nature of Sector | Investment | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Total Equity | GoM Equity | Total Long term loans | GoM Loans | Total Sector-wise Investment | Total Sector-wise Investment of GoM | Sector-wise Percentage of Total Investment of GoM | Sector-wise Percentage of GoM's Investment |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2+4 | 7=3+5 | 8=7/6*100 | 9 |
| Power | 172484.42 | 89216.21 | 107339.18 | 283.10 | 279823.60 | 89499.31 | 31.98 | 38.31 |
| Finance | 2548.29 | 2461.39 | 491.01 | 195.09 | 3039.30 | 2656.48 | 87.40 | 1.14 |
| Service | 5700.50 | 5641.73 | 204.40 | 204.40 | 5904.90 | 5846.13 | 99.00 | 2.50 |
| Infrastructure | 28623.89 | 932.99 | 32977.66 | 301.52 | 61601.55 | 1234.51 | 2.00 | 0.53 |
| Agriculture and Allied | 139277.04 | 133841.39 | 243.31 | 1.10 | 139520.35 | 133842.49 | 95.93 | 57.29 |
| Manufacturing | 307.54 | 283.15 | 361.15 | 235.62 | 668.69 | 518.77 | 77.58 | 0.22 |
| Miscellaneous | 30.33 | 29.20 | 6.30 | - | 36.63 | 29.20 | 79.72 | 0.01 |
| Total | 348972.01 | 232406.06 | 141623.01 | 1220.83 | 490595.02 | 233626.89 | 47.62 | 100 |

(Source: Compiled as per information received from SPSUs.)

As on 31 March 2023, State Government's total investment of ₹ 2,33,626.89 crore in 110 SPSUs comprised of equity capital ₹ 2,32,406.06 crore (99.48 per cent) and long-term loans of ₹ 1,220.83 crore (0.52 per cent). The thrust of State Government's investment was mainly in Agriculture and Allied Sector (57.29 per cent) and Power Sector (38.31 per cent).

The list of SPSUs having significant investment (more than ₹ 1,000 crore) of the State Government as at the end of March 2023 is given in **Table 5.6**.

Table 5.6: Significant investment of the State Government as on 31 March 2023

| S. No. | Name of the SPSUs | Name of the Department | Amount (₹ in crore) |
|--------|--|-------------------------------|---------------------|
| 1 | M.S.E.B. Holding Company Limited | Industries, Energy and Labour | 89216.21 |
| 2 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation | Water Resources (Irrigation) | 35778.41 |
| 3 | Konkan Irrigation Development Corporation | Water Resources (Irrigation) | 10938.02 |
| 4 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | Water Resources (Irrigation) | 47901.02 |
| 5 | Tapi Irrigation Development Corporation | Water Resources (Irrigation) | 13071.45 |
| 6 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation | Water Resources (Irrigation) | 23442.22 |
| 7 | Maharashtra Water Conservation Corporation | Water Resources (Irrigation) | 2323.27 |
| 8 | Maharashtra State Road Transport Corporation | Home (Transport) | 5826.34 |

(Source: Compiled as per information received from SPSUs.)

5.6.2 Budgetary support to SPSUs

The State Government provides financial support to the SPSUs in various forms through annual budget. The summarised details of budgetary outgo towards equity, loans, grants/subsidies, loans repayment/ written off and outstanding guarantees of the SPSUs for the last three years ending 31 March 2023 are given in the **Table 5.7**.

Table 5.7: Statement showing details regarding budgetary support to Government Companies and Statutory Corporations

(₹ in crore)

| S. No. | Particulars | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | No. of SPSUs | Amount | No. of SPSUs | Amount | No. of SPSUs | Amount |
| Power Sector SPSUs | | | | | | | |
| (i) | Equity Capital Outgo | - | - | - | - | 1 | 468.05 |
| (ii) | Grants/ Subsidy provided | 1 | 10715.76 | 1 | 12141.97 | 1 | 13446.81 |
| (iii) | Loans given | - | - | - | - | 2 | 86.28 |
| (iv) | Total outgo (i+ii+iii) | 1 | 10715.76 | 1 | 12141.97 | 4 | 14001.14 |
| (v) | Loan repayment/written off | - | - | - | - | - | - |
| (vi) | Guarantees issued | - | - | 2 | 13867.93 | 1 | 5,244.00 |
| (vii) | Outstanding Guarantees commitment | - | - | 1 | 14201.00 | 1 | 15,785.00 |
| Other than Power | | | | | | | |
| (i) | Equity Capital Outgo | 1 | 0.30 | 2 | 3181.56 | 3 | 3,307.66 |
| (ii) | Grants/ Subsidy provided | 4 | 1600.29 | 9 | 6182.74 | 12 | 3065.62 |
| (iii) | Loans given | - | - | - | - | 1 | 0.20 |
| (iv) | Total outgo (i+ii+iii) | 5 | 1600.59 | 11 | 9364.30 | 16 | 6373.48 |
| (v) | Loan repayment/written off | - | - | - | - | - | - |
| (vi) | Guarantees issued | 1 | 4000 | 1 | 0.43 | 1 | 6.78 |
| (vii) | Outstanding Guarantees commitment | 1 | 48.49 | 5 | 907.25 | 5 | 317.27 |

(Source: Compiled as per information received from SPSUs.)

State Government helps the SPSUs in raising loans from the banks and Public Financial Institutions by giving guarantee for repayment of principal and interest. As can be seen from the above table, the budgetary support by State Government to Power Sector SPSUs towards equity capital and grants/subsidy and loan increased from ₹ 12,141.97 crore (2021-22) to ₹ 14,001.14 crore (2022-23). The budgetary support to Non-Power Sector SPSUs towards equity, grants/subsidy and loans during the last three years ranged between ₹ 1,600.59 crore (2020-21) to ₹ 6,373.48 crore (2022-23).

Further, during 2022-23, State Government also provided budgetary support by way of Grant/Subsidy to one¹⁰ GCOC amounting to ₹ 4.86 crore.

The outstanding guarantee commitments given to Non-Power Sector SPSUs decreased from ₹ 907.25 crore in 2021-22 to ₹ 317.27 crore in 2022-23. The State Government recovers guarantee fee at the rate of 0.50 to two *per cent* per annum depending upon the loans for availing loan from banks/financial institutions. To the extent of information received from SPSUs, guarantee fee of ₹ 0.93 crore was paid by two SPSUs to the Government during 2022-23.

5.7 Market Capitalisation of Equity investment in SPSUs

Market Capitalisation represent market value of shares of Companies, which are listed. As on 31 March 2023, none of the SPSUs were listed.

5.8 Restructuring, Disinvestment and Privatisation of SPSUs

During the year 2022-23, there was no case of restructuring, disinvestment and privatisation of working as well as inactive SPSUs.


5.9 Analysis of Outstanding loans given to SPSUs

5.9.1 Long-term loans outstanding as on 31 March 2023

As on 31 March 2023, the total long-term loans outstanding in 53 out of 110 SPSUs from all sources was ₹ 1,41,623.01 crore. The outstanding long-term loans of SPSUs registered a net increase of ₹ 32,526.78 crore during 2022-23 from previous year 2021-22 (₹ 1,09,096.23 crore).

Out of the total long-term outstanding loans as on 31 March 2023, loans from State Government were ₹ 1,220.83 crore of which significant amount (₹ 937.73 crore) pertained to Non-Power Sector SPSUs.

The year-wise details of outstanding long-term loans of SPSUs is depicted in **Chart 5.1**.



(Source: Compiled as per information received from SPSUs.)

¹⁰ Maharashtra State Seeds Corporation Limited

The number of SPSUs having long term loans has decreased to 53 in 2022-23 from 54 in 2021-22. Out of the total long-term loans outstanding (₹ 1,41,623.01 crore), loans from State Government was ₹ 1,220.83 crore of which significant amount (₹ 689.42 crore) pertained to four¹¹ non Power Sector SPSUs and one Power Sector SPSU *i.e* Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (MSEDCL) (₹ 198.64 crore).

5.9.2 Adequacy of Assets to meet Loan liabilities

Ratio of total assets to long-term loan is one of the methods used to determine whether a company can stay solvent. To be considered solvent, the value of an entity's assets must be greater than its long-term loans. The coverage of long-term loans by value of total assets in 49 SPSUs which had outstanding loans as on 31 March 2023 is given in **Table 5.8**.

Table 5.8: Coverage of long-term loans with total assets as on 31 March 2023

| Nature of SPSU | Positive Coverage | | | | Negative Coverage | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| | No. of SPSUs | Long term loans | Assets | Percent- age of assets to loan | No. of SPSUs | Long term loans | Assets | Percent- age of assets to loan |
| | | (₹ in crore) | | | | (₹ in crore) | | |
| GCC | 32 | 95793.00 | 348836.02 | 364.16 | 12 | 1411.80 | 110.69 | 7.84 |
| GCOC | 2 | 65.39 | 2367.65 | 3620.81 | 0 | - | - | - |
| Statutory Corporation | 3 | 786.89 | 50293.43 | 6391.42 | 0 | - | - | - |
| Total | 37 | 96645.28 | 401497.10 | 415.43 | 12 | 1411.80 | 110.69 | 7.84 |

(Source: Information compiled as per latest finalised FSs received from SPSUs.)

None of the SPSUs are listed in the Stock Exchange. Out of the 12 SPSUs with negative coverage, nine SPSUs were inactive and their long terms loans of ₹ 1,310.32 crore exceeded its assets (₹ 51.64 crore). Further three active SPSUs with negative coverage had long term loans of ₹ 101.48 crore which exceeded its assets (₹ 59.05 crore).

5.10 Returns from SPSUs

Out of the 110 SPSUs, as per their latest FSs, 47 SPSUs earned profit (42 GCC & five GCOC) and 45¹² (42 GCC & three GCOC) SPSUs reported losses. Out of the remaining 18 SPSUs, ten SPSUs were NPPL and the remaining eight SPSUs have not furnished even their first FSs.

5.10.1 Profit earned by SPSUs

The overall profit of these 47¹³ SPSUs (38 GCC, 4 SC and 5 GCOC) was ₹ 1,833.29 crore as reported in their latest FSs. Sector wise details are given in **Table 5.9**.

¹¹ Maharashtra State Road Transport Corporation, Maharashtra State Road Development Corporation Limited, Maharashtra State Textile Corporation Limited and Maharashtra State Financial Corporation

¹² 45 GCC includes 8 SPSUs which has zero profit and zero loss as the expenditure was borne by the holding Company

¹³ This includes one NPPL SPSU which has profit

Table 5.9: Details of Sector wise Profit making SPSUs

| Year | Particulars | No of Profit making SPSUs | Net Profit after tax (₹ in crore) | Accumulated losses/surplus (₹ in crore) | Net worth (₹ in crore) |
|---------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| 2020-21 | Power | 3 | 541.12 | -26205.21 | 121074.52 |
| | Finance | 11 | 124.92 | 506.81 | 2297.96 |
| | Service | 2 | 1.02 | 13.94 | 34.59 |
| | Infrastructure | 13 | 499.65 | -3006.05 | 8207.94 |
| | Agriculture & Allied | 11 | 242.03 | 1310.29 | 52275.52 |
| | Manufacturing | 4 | 5.36 | 53.78 | 98.11 |
| | Miscellaneous | 2 | 43.37 | 156.37 | 181.32 |
| | Total | 46 | 1457.47 | -27170.07 | 184169.96 |
| 2021-22 | Power | 3 | 1082.20 | 290.15 | 98491.38 |
| | Finance | 10 | 89.42 | 580.50 | 2262.97 |
| | Service | 2 | 1.34 | 15.22 | 32.61 |
| | Infrastructure | 10 | 49.39 | 594.67 | 7129.46 |
| | Agriculture & Allied | 13 | 344.16 | 1849.17 | 61602.87 |
| | Manufacturing | 2 | 2.88 | -4.91 | 11.81 |
| | Miscellaneous | 3 | 24.87 | 174.85 | 199.80 |
| | Total | 43 | 1594.26 | 3499.65 | 169730.90 |
| 2022-23 | Power | 3 | 1240.58 | -18949.97 | 128543.24 |
| | Finance | 11 | 94.48 | 683.17 | 2433.77 |
| | Service | 2 | 1.34 | 15.35 | 32.74 |
| | Infrastructure | 12 | 91.37 | 695.65 | 7257.61 |
| | Agriculture & Allied | 13 | 369.15 | 2208.36 | 66782.84 |
| | Manufacturing | 3 | 3.77 | 46.80 | 65.59 |
| | Miscellaneous | 3 | 32.60 | 204.17 | 232.98 |
| | Total | 47 | 1833.29 | -15096.47 | 205348.77 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

The list of top 10 profit earning SPSUs is given in Table 5.10.

Table 5.10: List of top 10 profit-making SPSUs during 2022-23

| S. No. | Name of the SPSUs | Net Profit after Tax (₹ in crore) | Percentage of Profit to the Total Profit of SPSUs |
|---|--|-----------------------------------|---|
| GCC & Statutory Corporations | | | |
| 1 | Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited | 955.36 | 52.11 |
| 2 | Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited | 279.93 | 15.27 |
| 3 | Forest Development Corporation of Maharashtra Limited | 98.68 | 5.38 |
| 4 | The Maharashtra State Farming Corporation Limited. | 93.62 | 5.11 |
| 5 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | 69.37 | 3.78 |
| 6 | Maharashtra State Warehousing Corporation | 43.09 | 2.35 |
| 7 | Konkan Irrigation Development Corporation | 41.03 | 2.24 |
| 8 | Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited | 26.83 | 1.46 |
| 9 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | 25.23 | 1.38 |

| S. No. | Name of the SPSUs | Net Profit after Tax (₹ in crore) | Percentage of Profit to the Total Profit of SPSUs |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| GCOC | | | |
| 1 | Mihan India Limited | 33.79 | 1.84 |
| Total | | 1666.93 | 90.93 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

It can be seen that the above ten SPSUs contributed 90.93 *per cent* of the total profit earned by 47 SPSUs during 2022-23. These SPSUs except Mihan India Limited are functioning under monopolistic conditions.

Details of sector-wise profitability is given in **Table 5.11**.

Table 5.11: Sector-Wise Profitability (During 2022-23)

| Sector | Number of SPSUs | Profit earned after tax (₹ in crore) | Percentage of Sector's profit to total SPSUs profit |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Power | 3 | 1240.58 | 67.67 |
| Finance | 11 | 94.48 | 5.15 |
| Service | 2 | 1.34 | 0.07 |
| Infrastructure | 12 | 91.37 | 4.98 |
| Agriculture & allied | 13 | 369.15 | 20.14 |
| Manufacturing | 3 | 3.77 | 0.21 |
| Miscellaneous | 3 | 32.60 | 1.78 |
| Total | 47 | 1833.29 | 100 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

During 2022-23, 28 SPSUs under Power, Infrastructure and Agriculture & Allied sectors contributed maximum profit of ₹ 1,701.10 crore, constituting 92.79 *per cent* of total profit (₹ 1,833.29 crore) of the SPSUs.

5.11 SPSUs incurring Losses

5.11.1 Losses incurred

During the year 2022-23, 45 SPSUs (39 GCCs¹⁴, three SC and three GCOC) reported losses as per their latest FSs. The overall net losses incurred by SPSUs decreased from ₹ 4,388.37 crore in 2021-22 to ₹ 3,623.40 crore in 2022-23 as given in **Table 5.12**.

Table 5.12: Number of SPSUs that incurred losses.

| Year | Sector | No of loss making SPSUs | Net loss after tax (₹ in crore) | Accumulated losses (₹ in crore) | Net worth ¹⁵ (₹ in crore) |
|---------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2020-21 | Power | 5 | -125.76 | -8111.00 | 17297.55 |
| | Finance | 5 | -21.17 | -798.69 | -561.25 |
| | Service | 2 | -939.88 | -4603.16 | 97.49 |
| | Infrastructure | 12 | -414.37 | -959.73 | 12678.58 |
| | Agriculture & allied | 6 | -62.84 | 291.83 | 2616.12 |
| | Manufacturing | 12 | -72.77 | -1483.67 | -1197.06 |
| | Miscellaneous | 3 | -0.10 | -5.68 | -4.03 |
| | Total | 45 | -1636.89 | -15670.10 | 30927.40 |

¹⁴ Includes Eight SPSUs which are zero profit zero loss SPSUs, as their expenditure is born by the Holding Companies

¹⁵ Net worth means the sum total of the paid-up capital, free reserves and surplus minus accumulated losses and deferred revenue expenditure

| Year | Sector | No of loss making SPSUs | Net loss after tax (₹ in crore) | Accumulated losses (₹ in crore) | Net worth ¹⁶ (₹ in crore) |
|---------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 2021-22 | Power | 5 | -2966.26 | -33883.00 | 39760.03 |
| | Finance | 6 | -26.88 | -814.42 | -594.04 |
| | Service | 2 | -716.15 | -5319.30 | -51.46 |
| | Infrastructure | 16 | -530.04 | -5161.42 | 9298.32 |
| | Agriculture & allied | 4 | -62.82 | 292.22 | 2616.11 |
| | Manufacturing | 13 | -86.19 | -1530.79 | -1240.31 |
| | Miscellaneous | 2 | -0.03 | -1.97 | -0.46 |
| | Total | 48 | -4388.37 | -46418.68 | 49788.19 |
| 2022-23 | Power | 5 | -1644.70 | -9253.37 | 16665.73 |
| | Finance | 5 | -26.30 | -804.80 | -614.40 |
| | Service | 1 | -1146.57 | -8237.20 | -2610.86 |
| | Infrastructure | 16 | -665.99 | -5529.04 | 16755.59 |
| | Agriculture & allied | 4 | -62.88 | 294.81 | 2618.70 |
| | Manufacturing | 12 | -76.58 | -1752.77 | -1343.50 |
| | Miscellaneous | 2 | -0.38 | -2.34 | -0.83 |
| | Total | 45¹⁷ | -3623.40 | -25284.71 | 31470.43 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

Out of total loss of (-) ₹ 3,623.40 crore incurred by 45 SPSUs for the period 2022-23, loss of (-) ₹ 3,355.13 crore were contributed by four SPSUs. These top four loss making SPSUs, which have incurred losses of more than ₹ 200 crore are given in **Table 5.13**.

The Net loss after tax amounting to (-) ₹ 3,623.40 crore was reported by 39 GCCs (₹ 2,322.19 crore), three SC (₹ 1,223.14 crore) and three GCOC (₹ 78.07 crore).

Table 5.13: SPSUs that incurred losses of more than ₹ 200 crore as per the latest finalised FSs of the respective SPSUs

| S. No. | Name of the SPSUs | Net loss after tax (₹ in crore) | Percentage of Loss to the Total Losses of SPSUs |
|--------|--|---------------------------------|---|
| 1 | Maharashtra State Power Generation Company Limited | -1644.34 | 45.38 |
| 2 | Maharashtra State Road Transport Corporation | -1146.57 | 31.64 |
| 3 | MSRDC Sea Link Limited | -297.67 | 8.22 |
| 4 | Mumbai Pune Expressway Limited | -266.55 | 7.36 |
| | Total | -3355.13 | 92.60 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

The four SPSUs shown in **Table 5.13** above contributed 92.60 per cent of the total losses incurred by 45 SPSUs during 2022-23.

¹⁶ Net worth means the sum total of the paid-up capital, free reserves and surplus minus accumulated losses and deferred revenue expenditure

¹⁷ Nine SPSUs did not report any profit or loss (other than NPPL SPSUs)

5.11.2 Net Profit/Loss Ratio

The overall sector-wise Net Profit/Loss Ratio of 110 SPSUs is depicted in Table 5.14 below:

Table 5.14: Sector wise Net Profit/Loss Ratio

| Sector | Net Profit/Loss of the Sector (₹ in crore) | Turnover (₹ in crore) | Net Profit Ratio (in per cent) |
|----------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Power | (-)404.12 | 112847.35 | (-) 0.36 |
| Finance | 68.18 | 140.75 | 48.44 |
| Service | (-) 1145.23 | 2628.20 | (-) 43.57 |
| Infrastructure | (-)574.62 | 2415.73 | (-)23.79 |
| Agriculture & Allied | 306.27 | 1727.81 | 17.73 |
| Manufacturing | (-) 72.81 | 455.49 | (-) 15.98 |
| Miscellaneous | 32.22 | 1939.37 | 1.66 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

5.11.3 Dividend Pay-out by SPSUs

The Finance Department, GoM issued Government Resolution in 2012 which required all profit making SPSUs to declare minimum dividend of five *per cent* of profits. Out of 110 SPSUs in Maharashtra, 47 SPSUs reported profit during 2022-23. Out of these, 31 SPSUs had earned profit, without accumulated losses and are liable to pay dividend. However, only seven SPSUs have declared/ paid the dividend during 2022-23. Details of dividend paid/declared during the three-year period from 2020-21 to 2022-23 is shown in Table 5.15 below.

Table 5.15: Dividend Payout by SPSUs from 2020-21 to 2022-23

(₹ in crore)

| Year | SPSUs having GoM Equity Holding, which earned profit during the year and had no accumulated losses | | Total Equity (excluding pending allotment) | GoM Equity | Total Dividend payable | Dividend Payable to GoM | No. of SPSUs who have declared/ Paid Dividend | Dividend Declared/ Paid | Amount paid to GoM | Dividend Payout Ratio (%) |
|---------|--|----------------------|--|------------|------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| | No. of SPSUs | Net profit after tax | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5%*3 | 7=6*5/4 | 8 | 9 | 10 | 11=10/5*100 |
| 2020-21 | 27 | 671.30 | 58401.99 | 58321.60 | 33.56 | 33.52 | 7 | 14.39 | 13.32 | 0.023 |
| 2021-22 | 24 | 469.602 | 60987.29 | 60907.34 | 23.48 | 23.45 | 8 | 7.56 | 5.37 | 0.009 |
| 2022-23 | 31 | 543.64 | 150265.19 | 150184.77 | 27.18 | 27.17 | 7 | 5.50 | 3.85 | 0.003 |

(Source: Information compiled as per latest finalised FSs and information received from SPSUs.)

The details of dividend declared by the seven SPSUs are given in **Table 5.16**.

Table 5.16 : Details of Dividend paid/declared during the year 2022-23

(₹ in crore)

| S. No. | Name of SPSU | Total Paid-up Capital | State Govt. Equity | Net Profit after tax | Five per cent of Net Profit | Dividend Payable to GoM as per its Equity Holding | Dividend declared/paid | Dividend declared/paid to GoM as per its Equity Holding |
|--------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5%*5 | 7=6*4/3 | 8 | 9=8*4/3 |
| 1 | Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited | 5.50 | 3.00 | 5.25 | 0.26 | 0.14 | 0.28 | 0.15 |
| 2 | Maharashtra State Seeds Corporation Limited | 4.18 | 2.05 | 12.49 | 0.63 | 0.31 | 0.84 | 0.41 |
| 3 | Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendi Va Sheli Vikas Mahamandal Limited | 24.97 | 22.84 | 1.31 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.18 |
| 4 | Maharashtra State Warehousing Corporation | 8.71 | 4.36 | 43.08 | 2.15 | 1.08 | 2.16 | 1.08 |
| 5 | Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited | 12.30 | 12.30 | 26.83 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 6 | Western Maharashtra Development Corporation Limited | 3.06 | 3.06 | 9.23 | 0.46 | 0.46 | 0.65 | 0.65 |
| 7 | Maharashtra State Mining Corporation Limited | 2.07 | 2.07 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| | Total | 60.79 | 49.68 | 98.73 | 4.94 | 3.42 | 5.50 | 3.85 |

(Source: Information compiled as per latest finalised FSs and information received from SPSUs.)

From the above table it can be seen that these seven SPSUs paid the minimum dividend of five *per cent* to the GoM.

5.12 Debt Servicing

5.12.1 Interest Coverage Ratio

Interest Coverage Ratio (ICR) is used to determine the ability of a company to pay interest on outstanding long term/short term debt and is calculated by dividing a company's Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) by interest expenses of the same period. The lower the ratio, the lesser the ability of the company to pay interest on debt. An ICR below one indicates that the company was not generating sufficient revenues to meet its expenses on interest. The details of positive and negative interest coverage ratio of SPSUs, which had finance cost during the period from 2020-21 to 2022-23 are given in **Table 5.17**.

Table 5.17: Interest Coverage Ratio

| Year | Sector | Interest | EBIT | No. of SPSUs having outstanding loan and interest | No. of SPSUs having ICR>=1 | No. of SPSUs having ICR<1 |
|---------|----------------------|-----------------|----------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | | (₹ in crore) | | | | |
| 2020-21 | Power | 8965.54 | 10107.96 | 3 | 3 | 0 |
| | Finance | 109.31 | 196.64 | 15 | 11 | 4 |
| | Service | 1.90 | -937.06 | 2 | 1 | 1 |
| | Infrastructure | 751.65 | 519.26 | 7 | 3 | 4 |
| | Agriculture & Allied | 4.85 | 65.67 | 6 | 6 | 0 |
| | Manufacturing | 60.11 | -8.72 | 5 | 2 | 3 |
| | Miscellaneous | 0.58 | 13.92 | 1 | 1 | 0 |
| | Total | 9893.94 | 9957.67 | 39 | 27 | 12 |
| 2021-22 | Power | 9692.49 | 7844.68 | 3 | 1 | 2 |
| | Finance | 96.44 | 145.73 | 14 | 10 | 4 |
| | Service | 4.36 | -710.23 | 2 | 1 | 1 |
| | Infrastructure | 759.18 | 280.84 | 10 | 4 | 6 |
| | Agriculture & Allied | 4.73 | 32.75 | 5 | 5 | 0 |
| | Manufacturing | 62.08 | -17.82 | 4 | 1 | 3 |
| | Miscellaneous | 73.26 | 96.10 | 2 | 2 | 0 |
| | Total | 10692.54 | 7672.05 | 40 | 24 | 16 |
| 2022-23 | Power | 9124.82 | 8491.17 | 3 | 2 | 1 |
| | Finance | 95.58 | 143.17 | 14 | 11 | 3 |
| | Service | 2.03 | -1142.99 | 2 | 1 | 1 |
| | Infrastructure | 785.06 | 200.64 | 9 | 4 | 5 |
| | Agriculture & Allied | 0.88 | 105.81 | 5 | 5 | 0 |
| | Manufacturing | 62.47 | -8.85 | 4 | 1 | 3 |
| | Miscellaneous | 14.04 | 49.05 | 2 | 2 | 0 |
| | Total | 10084.88 | 7838.00 | 39 | 26 | 13 |

(Source: Information compiled on the basis of latest finalised FSs upto 30 September 2023)

It can be observed from the above table that the Interest coverage ratio in the SPSUs which had long term debts has not varied significantly. The number of SPSUs with ICR equal to one or more than one has decreased from 27 in 2020-21 to 26 in 2022-23. Similarly, the number of SPSUs with ICR less than one had also increased from 12 in 2020-21 to 13 in 2022-23.

5.13 Financial Performance of SPSUs

5.13.1 Return on Capital Employed

Return on Capital Employed (ROCE) is a profitability metric that measures a company's long-term profitability and the efficiency with which total capital is employed by the company. ROCE is calculated by dividing a company's EBIT by the capital employed¹⁸.

¹⁸ Capital employed = Paid up share capital plus free reserves and surplus plus long term loans minus accumulated losses minus deferred revenue expenditure.

Sector wise consolidated ROCE of 110 SPSUs during the period 2020-21 to 2022-23 is given in **Table 5.18**.

Table 5.18 : Return on Capital Employed of SPSUs

| Year | Sector | EBIT (₹ in crore) | Capital employed (₹ in crore) | ROCE (in per cent) |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 2020-21 | Power | 10110.64 | 198554.71 | 5.09 |
| | Finance | 228.33 | 3078.09 | 7.42 |
| | Service | -936.97 | 338.86 | -276.51 |
| | Infrastructure | 601.09 | 33598.72 | 1.79 |
| | Agriculture & Allied | 235.55 | 122820.52 | 0.19 |
| | Manufacturing | -8.02 | -795.17 | -1.01 |
| | Miscellaneous | 56.29 | 188.44 | 29.87 |
| | Total | 10286.91 | 357784.17 | 2.88 |
| 2021-22 | Power | 7853.21 | 201105.85 | 3.91 |
| | Finance | 169.02 | 2970.60 | 5.69 |
| | Service | -710.14 | 191.35 | -371.12 |
| | Infrastructure | 305.67 | 41712.49 | 0.73 |
| | Agriculture & Allied | 350.82 | 151385.08 | 0.23 |
| | Manufacturing | -20.74 | -894.00 | -2.32 |
| | Miscellaneous | 97.50 | 231.10 | 42.19 |
| | Total | 8045.34 | 396702.47 | 2.03 |
| 2022-23 | Power | 8496.10 | 209048.91 | 4.06 |
| | Finance | 173.40 | 3144.74 | 5.51 |
| | Service | -1142.89 | -2367.92 | -48.27 |
| | Infrastructure | 247.16 | 56166.09 | 0.44 |
| | Agriculture & Allied | 353.32 | 156561.16 | 0.23 |
| | Manufacturing | -8.28 | -946.88 | -0.87 |
| | Miscellaneous | 49.44 | 238.24 | 20.75 |
| | Total | 8168.25 | 421844.34 | 1.94 |

(Source: Information compiled on the basis of latest financial statement upto 30 September 2023.)

It was observed that ROCE of SPSUs decreased from 2.88 *per cent* during 2020-21 to 1.94 *per cent* during 2022-23 as the EBIT decreased and capital employed increased in 2022-23 as compared to 2020-21. ROCE of 76 active SPSUs and nine inactive SPSUs were represented for the year 2022-23. The remaining 25 SPSUs (including eight SPSUs whose first accounts were awaited) had nil ROCE as either EBIT or capital employed was zero. Details of ROCE of State SPSUs for the three years ended 31 March 2023 is given in **Appendix 5.3**.

5.13.2 Return on Equity of SPSUs

Return on Equity (ROE) is a measure of financial performance to assess how effectively the management is using Company's assets to create profits and is calculated by dividing net profit income (*i.e.*, net profit after taxes) by shareholders' fund. It is expressed as a percentage and can be calculated for any company if net income and shareholders' fund are both positive numbers.

Shareholders' fund of a Company is calculated by adding paid up capital and free reserves and surplus less accumulated losses and deferred revenue expenditure and

reveals how much would be left for a Company's shareholders, if all assets were sold and all debts are repaid. A positive shareholders' fund reveals that the Company has enough assets to cover its liabilities, while negative shareholders fund means that liabilities exceed its assets. Return on equity has been computed in respect of 58 SPSUs¹⁹ where funds have been infused by State Government. SPSUs wise details of ROE for the period 2022-23 are given in **Appendix 5.4**.

The details of shareholders' fund and ROE relating to these SPSUs during the period 2020-21 to 2022-23 are given in **Table 5.19**.

Table 5.19: Return on Equity of SPSUs

| Year | Sector | Number of PSUs for which ROE Calculated | Net Profit after Tax (₹ in crore) | Shareholders' fund (₹ in crore) | ROE (in per cent) |
|---------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 2020-21 | Power | 2 | 19.73 | 86005.87 | 0.02 |
| | Finance | 17 | 101.39 | 1573.55 | 6.44 |
| | Service | 2 | -938.93 | 126.15 | -744.30 |
| | Infrastructure | 13 | 427.82 | 452.88 | 94.47 |
| | Agriculture & Allied | 14 | 178.72 | 132044.19 | 0.14 |
| | Manufacturing | 6 | -64.75 | -1045.12 | -6.20 |
| | Miscellaneous | 5 | 43.28 | 198.35 | 21.82 |
| | Total | 59 | -232.74 | 219355.87 | -0.11 |
| 2021-22 | Power | 2 | 8.68 | 86079.83 | 0.01 |
| | Finance | 17 | 60.18 | 1646.20 | 3.66 |
| | Service | 2 | -714.87 | -21.52 | -3321.89 |
| | Infrastructure | 13 | 25.04 | -2200.71 | -1.14 |
| | Agriculture & Allied | 14 | 280.82 | 151130.66 | 0.19 |
| | Manufacturing | 6 | -82.04 | -1147.52 | -7.15 |
| | Miscellaneous | 5 | 19.66 | 230.82 | 8.52 |
| | Total | 59 | -402.53 | 235717.76 | -0.17 |
| 2022-23 | Power | 1 | 5.29 | 92352.05 | 0.01 |
| | Finance | 17 | 66.73 | 1795.19 | 3.72 |
| | Service | 2 | -1145.30 | -2580.94 | -44.38 |
| | Infrastructure | 13 | 33.29 | -2144.81 | -1.55 |
| | Agriculture & Allied | 14 | 304.49 | 156303.97 | 0.19 |
| | Manufacturing | 6 | -71.72 | -1197.72 | -5.99 |
| | Miscellaneous | 5 | 32.22 | 238.17 | 13.53 |
| | Total | 58 | -775.00 | 244765.91 | -0.32 |

(Source: Information compiled on the basis of latest FSs as on 30 September 2023)

As can be seen from the above table, RoE of 58 SPSUs stood at (-)0.32 *per cent* in 2022-23. These included 35 profit making SPSUs and 15 loss making SPSUs of which RoE stood at 0.34 *per cent* and (-)27.69 *per cent* respectively in 2022-23. Eight SPSUs did not report any profit or loss. Further, it can also be seen from the Table above that Net Income of the SPSUs decreased significantly from (-)₹ 232.74 crore in 2020-21 to (-)₹ 775.00 crore in 2022-23, which consequently led to decrease in

¹⁹ This includes Maharashtra Industries Development Corporation directly held by GoM but does not have share capital.

RoE from (-)0.11 *per cent* in 2020-21 to (-)0.32 *per cent* in 2022-23. Out of above 58 SPSUs, in case of 55 GCCs, the net profit after tax was (-)₹ 787.44 crore whereas the Shareholders' fund in these SPSUs was ₹ 2,44,355.94 crore. Similarly, in case of three GCOCs, the net profit after tax was ₹ 12.44 crore whereas the Shareholders' fund in these SPSUs was ₹ 409.97 crore. During the period from 2020-21 to 2022-23, though the shareholders' fund increased, the net Income was negative resulting in negative return on equity. Details of ROE of SPSUs for the three years ended 31 March 2023 is given in **Appendix 5.4**.

5.13.3 Rate of Real Return on Investment

Rate of Real Return on Investment (RORR) measures the profitability and efficiency with which equity and similar non-interest-bearing capitals have been employed, after adjusting them for their time value, and assumes significance when compared with the conventional Rate of Return (ROR), which is calculated by dividing the Profit After Tax by the sum of all such investments counted on historical cost basis.

In view of the significant investment by the State Governments in the SPSUs, RORR on such investment is essential. Traditional calculation of return based only on historical cost of investment may not be a correct indicator of the adequacy of the RORR on the Investment since such calculations ignore the present value of money. Present Value (PV) of the investment has been computed to assess the RORR on the PV of Investments in the SPSUs as compared to historical value of investments. In order to bring the historical cost of investments to its present value at the end of each year up to 31 March 2023, the past investments/year-wise funds infused in the SPSUs have been compounded at the year-wise average rate of interest on government borrowings, which is considered as the minimum cost of funds for the concerned year.

The PV of the investment in SPSUs was computed on the basis of following assumptions.

- The equity infused minus disinvestment has been reckoned as investment for calculating the RORR.
- The funds made available in the form of interest-free loans and interest free loans converted as equity have been reckoned as investment.
- The average rate of interest on Government borrowings for the concerned financial year was adopted as compounded rate for arriving at present value since they represent the cost incurred towards investment of funds for the year and therefore considered as the minimum expected RORR.

Year wise position of GoM investment in SPSUs in the form of equity and interest free loans on historical cost basis for the period upto 2022-23 have been given in **Appendix 5.5**.

Table 5.20 shows the RORR calculation of State Government investment considering the PV of historical cost of investment, since 2017-18 till 2022-23.

Table 5.20: Year-wise details of investments made by the State Government in SPSUs and their present value till 2022-23

(₹ in crore)

| Financial year | PV of Investment at beginning of year | Investment during the year | Investment at the end of year | Avg. rate of interest on Government borrowings (in per cent) | Present value of total Investment at the end of the year | Min. expected return to recover cost of funds for the year | Total earnings after tax for the year | RORR in per cent |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| i | ii | iii | iv=ii+iii | v | vi=iv× (1+(v÷100)) | vii=iv× (v÷100) | viii | ix=viii* 100/vi |
| 2017-18 | 344433.91 | 8535.84 | 352969.75 | 8.00 | 381207.33 | 28237.58 | -3347.01 | -0.88 |
| 2018-19 | 381207.33 | 1933.32 | 383140.65 | 7.80 | 413025.62 | 29884.97 | 72.59 | 0.02 |
| 2019-20 | 413025.62 | 10151.16 | 423176.78 | 7.30 | 454068.68 | 30891.90 | 674.73 | 0.15 |
| 2020-21 | 454068.68 | 1253.98 | 455322.66 | 7.19 | 488060.36 | 32737.70 | -179.42 | -0.04 |
| 2021-22 | 488060.36 | 6380.05 | 494440.41 | 6.96 | 528853.46 | 34413.05 | -2794.11 | -0.53 |
| 2022-23 | 528853.46 | 641.27 | 529494.73 | 6.58 | 564335.48 | 34840.75 | -1790.11 | -0.32 |

(Source: Information compiled as per latest finalised FSs and information received from SPSUs)

The balance of investment by the GoM in the SPSUs at the end of the year 2022-23 increased to ₹ 5,29,494.73 crore from ₹ 3,52,969.75 crore as at the end of 2017-18. As can be seen from the above table, RORR varied between (-)0.88 per cent to 0.15 per cent during the period 2017-18 to 2022-23.

Consolidated ROR and RORR on present value of Investments for period ended 31 March 2023 is as given in **Table 5.21**.

Table 5.21: Consolidated RORR on present value of investments for the year ended 2022-23

| Financial year | Total Earnings/ Loss (-) | Investment by the State Government at historical cost of investment at the end of the year (₹ in crore) | ROR (per cent) | Investment by the State Government at Present value of investment at the end of the year (₹ in crore) | RORR (per cent) |
|----------------|--------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | (a) | (b) | (c)={a}/ (b)*100 | (d) | (e)={a}/ (d)*100 |
| 2022-23 | (-)1790.11 | 232406.06 | (-)0.77 | 564335.48 | (-)0.32 |

(Source: Information compiled as per latest finalised FSs and information received from SPSUs)

5.13.4 Erosion of Net worth of SPSUs

Net worth means the sum total of the paid-up capital, free reserves and surplus minus accumulated losses and deferred revenue expenditure. It is essentially a measure of what an entity is worth to the owners. A negative net worth indicates that the entire investment of the owners has been wiped out by accumulated losses and deferred revenue expenditure.

As on 31 March 2023, 41 SPSUs had accumulated losses of ₹ 50,098.55 crore, 49 SPSUs had accumulated surplus of ₹ 9,717.76 crore and 12 SPSUs had neither accumulated losses nor surplus, as per their latest financial statements.

Out of 41 SPSUs which had accumulated losses, the net worth of 31 SPSUs including 13 inactive SPSUs had been completely eroded. The total Negative net worth of these 31 SPSUs was (₹ 9,887.19 crore) against the paid up capital of ₹ 7,551.83 crore as on 31 March 2023. Details regarding the above 31 SPSUs are given in **Appendix 5.6**. Further, out of the 31 SPSUs whose net worth has been completely eroded, the net worth of 22²⁰ SPSUs were continuously eroded for more than three years as depicted (alongwith detailed income and expenses) in **Appendix 5.7**.

The maximum erosion of net worth was noticed in Maharashtra State Road Development Corporation Limited (₹ 2,948.11 crore), Maharashtra State Road Transport Corporation (₹ 2,610.86 crore), Maharashtra Power Development corporation Limited (₹ 1,013.63 crore) and Maharashtra State Textile Corporation Limited (₹ 1,006.74 crore).

5.14 Oversight Role of CAG

5.14.1 Appointment of Statutory Auditors of SPSUs by CAG

CAG of India appoints the statutory auditors of a Government Company and GCOG as per Section 139 (5)/(7) of the Companies Act, 2013, which stipulates that the statutory auditors, in case of a Government Company or GCOGs, are to be appointed by the CAG within a period of 180 days from the commencement of the financial year and 60 days from the registration in case of first auditor. The CAG has the right to conduct a supplementary audit and issue comments upon or supplement the Audit Report of the statutory auditor. Statutes governing some Corporations require that their FSs be audited by the CAG and a report submitted to the State Legislature.

5.14.2 Submission of FSs by SPSUs

5.14.2.1 Need for timely submission

According to Section 394 of the Companies Act, 2013, Annual Report on the working and affairs of a Government Company is to be prepared within three months of its Annual General Meeting (AGM). As soon as possible after such preparation, the Annual Report must be laid before the Legislative Assembly, together with a copy of the Audit Report and comments of the CAG upon or as supplement to the Audit Report. Almost similar provisions exist in the respective Acts regulating SC. This mechanism provides the necessary Legislative control over the utilization of public funds invested in the SPSUs.

Section 96 of the Companies Act, 2013 requires every Company to hold AGM of the shareholders once in every calendar year. It is also stated that not more than 15 months shall elapse between the date of one AGM and that of the next. Further, Section 129 of the Companies Act, 2013 stipulates that the audited FSs for the financial year has to be placed in the said AGM for their consideration. Consequently, the Financial Statements need to be prepared and placed in the AGM by 30 September of the following year.

Section 129 (7) of the Companies Act, 2013 also provides for levy of penalty like fine and imprisonment of the persons, including directors of the company responsible for non-compliance with the provisions of Section 129 of the Companies Act, 2013.

²⁰ The SPSUs are operational either with the Grant/Subsidy of Government/Conversion of loan into equity and lower generation of income from the regular business of SPSUs.

5.14.2.2 Timeliness in preparation of FSs by SPSUs

As on 31 March 2023, there were 110 SPSUs under the purview of CAG's audit in Maharashtra. Out of these 110 SPSUs, 19 SPSUs are inactive. Remaining 91 working SPSUs (including 10 SC), a total of 14 SPSUs submitted their FSs for 2022-23 for audit by CAG on or before 30 September 2023. FSs of 96 SPSUs including 10 SC were in arrears for various reasons. However, 52 State SPSUs including four SC have submitted 70 FSs for the previous years by 30 September 2023. Details of arrears in submission of FSs as on 30 September 2023 are given in **Table 5.22**.

Table 5.22: Status of FSs for the year ending 31 March 2023 received from SPSUs upto 30 September 2023

| Particulars | SPSUs under Audit Jurisdiction of C&AG | | | |
|--|--|------|------------------------|-------|
| | GCC | GCOC | Statutory Corporations | Total |
| Total number of SPSUs as on 31 March 2023 | 87 | 13 | 10 | 110 |
| Active SPSUs from which FSs for the year 2022-23 were received | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Inactive SPSUs from which FSs for the year 2022-23 were received | 4 | - | - | 4 |
| SPSUs with arrears in financial statements | 76 | 10 | 10 | 96 |
| No. of financial statements in arrears | 211 | 23 | 27 | 261 |
| Break-up of arrears | SPSUs under Liquidation | - | - | - |
| | Inactive SPSUs which are not under liquidation | 35 | - | - |
| | 'Others'(active and due) | 176 | 23 | 27 |
| Age-wise analysis of arrears against 'Others' category | One year (2022-23) | 34 | 4 | 4 |
| | Two years (2021-22 and 2022-23) | 14 | 2 | 2 |
| | Three years and more | 128 | 17 | 21 |

(Source: As compiled by office of AG (Audit)-II, Maharashtra)

The list of the State SPSUs and status of FSs in arrears is indicated in **Appendix 5.1**. Out of the 10 SC, CAG is the sole auditor of eight SC except Maharashtra State Warehousing Corporation and Maharashtra State Financial Corporation.

The Annual FSs of all the SC for the year 2022-23 were in arrears as on 30 September 2023. Further, the annual FSs of five²¹ SC were in arrears for a period ranging from three to eight years.

Delay in submission of Accounts is being brought to the notice of the State Government periodically through Audit Reports. In the absence of annual FSs and their audit, proper utilisation of the grants and loans disbursed to those SPSUs and their accounting cannot be vouched. Apart from reflecting on the inadequate monitoring by the State Government, absence of FSs indicates lack of accountability from these SPSUs over the funds released by Government of Maharashtra.

²¹ Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Tapi Irrigation Development Corporation, Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation, Maharashtra Water Conservation Corporation and Maharashtra State Financial Corporation

5.14.3 CAG's Oversight- Audit of FSs and Supplementary audit

5.14.3.1 Financial reporting framework

Companies are required to prepare the FSs in the format laid down in Schedule III of the Companies Act, 2013 and in adherence to the mandatory Accounting Standards prescribed by the Central Government, as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), after consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority. The Statutory Corporations are required to prepare their FSs in the format prescribed under their respective rules, framed in consultation with the CAG and any other specific provision relating to FSs in the Act governing such Corporations.

5.14.3.2 Audit of FSs of Government Companies by Statutory Auditors

The Statutory Auditors appointed by the CAG under Section 139 of the Companies Act, 2013 conduct audit of FSs of the Government Companies and submit their report thereon in accordance with Section 143 of the Companies Act, 2013.

The CAG of India plays an oversight role by monitoring the performance of the Statutory Auditors in the audit of SPSUs with the overall objective that the Statutory Auditors discharge the functions assigned to them properly and effectively. This function is discharged by exercising the power to:

- Issue directions to the Statutory Auditors under Section 143(5) of the Companies Act, 2013; and
- Supplement or comment upon the Statutory Auditors' Report under Section 143(6) of the Companies Act, 2013.

5.14.3.3 Supplementary audit of FSs of Government Companies

The primary responsibility for preparation of FSs in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 or other relevant Act is of the Management of an entity.

The Statutory Auditors appointed by the CAG under section 139 of the Companies Act, 2013 are responsible for expressing an opinion on the financial statements under section 143 of the Companies Act, 2013 based on an independent audit in accordance with the Standard Auditing Practices of ICAI and directions given by the CAG. The statutory auditors are required to submit the Audit Report to the CAG under Section 143 of the Companies Act, 2013.

The certified FSs of selected Government Companies along with the report of the Statutory Auditors are reviewed by CAG by carrying out a supplementary audit. Based on such review, significant audit observations, if any, reported under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013 are to be placed before the AGM of the respective SPSUs.

5.15 Results of CAG's Oversight role

5.15.1 Audit of FSs of SPSUs under Section 143 of the Companies Act, 2013

As on 30 September 2023, 14 SPSUs submitted their FSs for the year 2022-23. Further, 52 SPSUs submitted 70 FSs for previous years spanning from 2013-14 to 2021-22.

During the reporting period, Non-Review Certificates were issued in respect of 28 FSs and 43 FSs were reviewed by 30 September 2023, which includes FSs received prior to reporting period but finalised during the reporting period.

5.15.2 Amendment of FSs

As a result of supplementary audit conducted by the CAG on the FSs received during the period ended 30 September 2023, Maharashtra State Road Transport Corporation amended the FSs before laying the same in the AGM.

5.15.3 Revision of Auditors Report

During 2022-23, there is no case of revision of Statutory Auditors' Report as a result of supplementary audit of the FSs conducted by the CAG.

5.16 Management Letters

One of the objectives of financial audit is to establish communication on audit matters arising from the audit of financial statements between the auditor and those charged with the responsibility of governance of the corporate entity.

The material observations on the financial statements of SPSUs were reported as comments by the CAG under Section 143 (6) of the Companies Act, 2013. Besides these comments, irregularities or deficiencies observed by CAG in the financial reports or in the reporting process, were also communicated to the management through a 'Management Letter' for taking corrective action. The deficiencies generally related to (a) application and interpretation of accounting policies (b) adjustments arising out of audit and (c) Inadequate disclosure or non-disclosure of certain information on which management of the concerned SPSU gave assurances that corrective action would be taken in the subsequent year. The list of 30 SPSUs to whom Management letters were issued is given in **Appendix 5.8**.

5.17 Conclusion

As on 31 March 2023, there were 110 SPSUs of which 91 are working SPSUs and 19 are inactive SPSUs in Maharashtra under the audit jurisdiction of CAG. Out of 110 SPSUs, 39 working SPSUs and five inactive SPSUs did not furnish any FSs by 30 September 2023. As a result of non-submission of FSs there is no assurance whether the investment and expenditure had been properly accounted for and the purpose for which the amount was invested by the State Government was achieved.

During 2022-23, these 52 SPSUs registered an annual turnover of ₹ 1,22,154.70 crore, which was equal to 3.46 *per cent* of the GSDP of Maharashtra.

The investment of the State Government in equity and long-term loans in these SPSUs was ₹ 2,33,626.89 crore as against total investment of ₹ 4,90,595.02 crore at the end of 31 March 2023.

Out of the 110 SPSUs, 47 SPSUs earned profits (₹ 1,833.29 crore), while 45 SPSUs incurred losses (₹ 3,623.40 crore) and 10 SPSUs had reported neither profit nor loss. As on 31 March 2023, 41 SPSUs had accumulated losses of ₹ 50,098.55 crore.

Out of the 110 SPSUs, FSs for the year 2022-23 were received only from 14 SPSUs within the stipulated time (30 September 2023). Eight SPSUs have not submitted their first FSs since their inception.

5.18 Recommendations

- (i) Government of Maharashtra may review the functioning of all loss-making SPSUs and take necessary steps to improve their financial performance.
- (ii) Government may issue necessary instructions to administrative departments to set targets for individual SPSUs to furnish the FSs in time and to strictly monitor the clearance of arrears.
- (iii) Government may review the inactive Government Companies and may take appropriate decisions on their revival/winding up.
- (iv) Government may impress upon the management of profit making SPSUs to declare dividend as per the Government of Maharashtra Resolution of 2012.



(C. M. SANE)

Principal Accountant General (Audit)-I,
Maharashtra, Mumbai

Mumbai
The 29 April 2024

Countersigned



(GIRISH CHANDRA MURMU)

Comptroller and Auditor General of India

New Delhi
The 6 May 2024

APPENDICES

| Appendix - 1.1 | | | | |
|---|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <i>(Reference: Paragraph 1.1; Page 1)</i> | | | | |
| General Data of Maharashtra | | | | |
| Indicators | Year | Unit | Maharashtra | India |
| Geographical Area | 2011 | Lakh Sq. Km. | 3.08 | 32.87 |
| Population | 2011 | Crore | 11.24 | 122.02 |
| Decadal Population Growth Projection [§] | 2013-23 | Percentage | 9.98 | 11.68 |
| Population Density | 2011 | persons per sq. km. | 365 | 382 |
| | 2023 | | 365 | 411 |
| Literacy Rate | 2011 | Percentage | 82.30 | 73.00 |
| Infant Mortality Rate | 2020 | Per 1,000 live births | 16 | 28 |
| Life Expectancy at birth | 2016-20 | Years | 72.95 | 70.00 |
| Population Below Poverty Line (BPL) | 2011-12 | Percentage | 17.35 | 21.92 |
| Gross Domestic Product ⁺ | 2022-23 | ₹ in crore | 3527084 | 27240712 |
| CAGR of GSDP | 2013-23 | Percentage | 8.81 | 10.34 |
| Per capita GSDP | 2022-23 | ₹ | 279974 | 196983 |
| CAGR of per capita GSDP | 2013-23 | Percentage | 7.78 | 9.12 |

Source: Central Statistical Office (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation
Economic Survey of Maharashtra 2022-23

§ Population Projections by National Commission on Population, Ministry of H&FW

+ First revised estimate

| Appendix - 2.1 | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------------------|------|------------------|------|-----------------------|------|------------------|------|
| (Reference: Paragraph 2.2; Page 17) | | | | | | | | | | |
| Time series data on State Government Finances | | | | | | | | | | |
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
| Part A: Receipts | | | | | | | | | | |
| 1. Revenue Receipts | 278996.27 | | 283189.58 | | 269467.91 | | 333311.57 | | 405677.93 | |
| (i) Own Tax Revenue | 187436.37 | (67) | 188947.57 | (67) | 164254.98 | (61) | 220927.13 | (66) | 277486.31 | (68) |
| Taxes on Agricultural Income | - | - | - | - | 0.02 | (0) | 0.01 | (0) | 0 | (0) |
| State Goods and Service Tax | 82352.32 | (44) | 82601.59 | (44) | 69948.56 | (43) | 97304.89 | (44) | 121255.55 | (30) |
| Taxes on Sales, Trade, etc. | 35724.61 | (19) | 37785.54 | (20) | 33159.76 | (20) | 45924.13 | (21) | 54568.18 | (13) |
| State Excise | 15320.90 | (8) | 15428.34 | (8) | 15089.38 | (9) | 17220.71 | (8) | 21507.02 | (5) |
| Taxes on Vehicles | 8613.19 | (5) | 8467.20 | (4) | 6655.12 | (4) | 9080.16 | (4) | 11740.42 | (3) |
| Stamps and Registration fees | 28545.05 | (15) | 28706.55 | (15) | 25427.71 | (15) | 35593.58 | (16) | 45285.66 | (11) |
| Land Revenue | 2088.04 | (1) | 2154.55 | (1) | 2062.64 | (1) | 3064.66 | (1) | 2431.41 | (1) |
| Taxes on Goods and Passengers | 837.05 [#] | - | 773.39 | (0) | 13.30 | (0) | 393.53 | (0) | 1582.11 | (0) |
| Other Taxes | 13955.21 | (8) | 13030.41 | (7) | 11898.49 | (7) | 12345.46 | (6) | 19115.96 | (5) |
| (ii) Non-tax Revenue | 15843.57 | (6) | 14297.00 | (5) | 15975.46 | (6) | 19306.70 | (6) | 16776.41 | (4) |
| (iii) State's share of Union taxes and duties | 42054.20 [#] | (15) | 36219.64 | (13) | 36504.01 | (14) | 54318.06 | (16) | 60000.97 | (15) |
| (iv) Grants-in-aid from Gol | 33662.13 | (12) | 43725.37 | (15) | 52733.46 | (20) | 38759.68 | (12) | 51414.24 | (13) |
| 2. Miscellaneous Capital Receipts | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3. Recoveries of Loans and Advances | 1604.29 | | 1614.87 | | 1612.35 | | 1178.88 | | 642.62 | |
| 4. Total revenue and non-debt capital receipts (1 + 2 + 3) | 280600.56 | | 284804.45 | | 271080.26 | | 334490.45 | | 406320.55 | |
| 5. Public Debt Receipts | 26025.21 | | 57153.41 | | 118515.91 | | 90586.61 | | 94702.09 | |
| Internal Debt (excluding Ways and Means Advances and Overdrafts) | 25686.29 | | 54459.30 | | 72360.25 | | 71863.03 [#] | | 77336.95 | |
| Net transactions under Ways and Means Advances and Overdraft | - | | 1757.61 | | 31159.26 | | 98.43 | | 7129.25 | |
| Loans and Advances from Government of India ¹ | 338.92 [#] | | 936.50 | | 14996.40 | | 18625.15 | | 10235.89 | |
| 6. Appropriation from Contingency Fund | 1528.00 | | 7350.00 | | 11500.00 | | 0.00 | | 200.00 | |
| 7. Inter-State settlement | - | | - | | - | | - | | -- | |
| 8. Total receipts in the Consolidated Fund (4+5+6+7) | 308153.77 | | 349307.86 | | 401096.17 | | 425077.06 | | 501222.64 | |
| 9. Contingency Fund Receipts | 3528.00 | | 15350.00 | | 10500.00 | | 0.00 | | 200.00 | |
| 10. Public Accounts receipts | 90664.57 | | 119634.33 | | 88531.23 | | 119376.52 | | 143466.93 | |
| 11. Total receipts of the State (8+9+10) | 402346.34 | | 484292.19 | | 500127.40 | | 544453.58 | | 644889.57 | |
| Part B: Expenditure | | | | | | | | | | |
| 12. Revenue expenditure (per cent of 15) | 267021.67 | | 300305.21 | | 310609.76 | | 349685.89 | | 407614.40 | |
| General Services (incl. Interests payments) | 84764.50 | (32) | 100050.28 | (33) | 103853.75 | (33) | 121745.32 | (35) | 130590.81 | (32) |
| Social Services | 109390.99 | (41) | 122947.33 | (41) | 122023.44 | (39) | 142523.26 | (41) | 163329.16 | (40) |
| Economic Services | 52758.97 | (20) | 56043.43 | (19) | 64336.19 | (21) | 59454.77 | (17) | 80819.94 | (19) |
| Grants-in-aid and Contribution | 20107.21 | (8) | 21264.17 | (7) | 20396.38 | (7) | 25962.54 | (7) | 32874.49 | (8) |
| 13. Capital outlay (per cent of 15) | 35049.05 | | 36415.57 | | 29686.70 | | 46670.39 | | 61643.61 | |
| General Services | 1533.27 | (4) | 1250.45 | (3) | 1496.39 | (5) | 2681.21 | (6) | 3526.56 | (6) |
| Social Services | 4341.15 | (12) | 4288.07 | (12) | 3593.24 | (12) | 4082.09 | (9) | 9134.20 | (15) |
| Economic Services | 29174.63 | (83) | 30877.05 | (85) | 24597.07 | (83) | 39907.09 | (86) | 48982.85 | (79) |
| Figures in parenthesis represent percentages (rounded) to total of each sub-heading | | | | | | | | | | |
| [#] Lower rounding | | | | | | | | | | |

¹ includes Ways and Means Advances from RBI

| Appendix - 2.1 (contd...) | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | (₹ in crore) | | | | |
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| 14. Disbursement of Loans and Advances (per cent of 15) | 1545.17 | 1969.86 | 2341.85 | 2436.03 | 4664.41 |
| 15. Total (12+13+14) | 303615.89 | 338690.64 | 342638.31 | 398792.31 | 473922.42 |
| 16. Repayments of Public Debt | 25116.49[#] | 24625.85 | 57586.54 | 36033.09 | 44795.04 |
| Internal Debt (excluding Ways and Means Advances and Overdrafts) | 24190.22 | 21848.99 | 25456.27 | 34819.66 | 36634.32 |
| Net transactions under Ways and Means Advances and Overdrafts | 0.00 | 1757.61 | 31159.26 | 98.43 | 7129.25 |
| Loans and Advances from Government of India ² | 926.27 [#] | 1019.25 | 971.01 | 1115.00 | 1031.47 |
| 17. Appropriation to Contingency Fund | 3528.00 | 16350.00 | 1500.00 | 0.00 | 200.00 |
| 18. Total disbursement out of Consolidated Fund (15+16+17) | 332260.38 | 378666.49 | 401724.85 | 434825.40 | 518917.46 |
| 19. Contingency Fund disbursements | 1528.00 | 16350.00 | 11500.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20. Public Account disbursements | 89757.51 | 100329.25 | 74787.55 | 100533.18 | 121973.69 |
| 21. Total disbursement by the State (18+19+20) | 423545.89 | 486345.74 | 488012.40 | 535358.58 | 641091.15 |
| Part C: Deficits | | | | | |
| 22. Revenue Deficit (-)/Surplus (+) (1-12) | 11974.60 | (-) 17115.63 | (-) 41141.85 | (-) 16374.32 | (-) 1936.47 |
| 23. Fiscal Deficit (-)/Surplus (+) (4-15) | (-) 23015.33 | (-) 53886.19 | (-) 71558.05 | (-) 64301.86 | (-) 67601.87 |
| 24. Primary Deficit (-)/Surplus (+) (23-25) | 11005.92 | (-) 20325.46 | (-) 34588.28 | (-) 24143.82 | (-) 25912.71 |
| Part D: Other Data | | | | | |
| 25. Interest Payments (included in revenue expenditure) | 34021.25 | 33560.73 | 36969.77 | 40158.04 | 41689.16 |
| 26. Financial Assistance to local bodies etc. | 122562.51 | 134204.89 | 133781.27 | 154772.86 | 187789.89 |
| 27. Ways and Means Advances/Overdraft availed (days) | | | | | |
| Ways and Means availed (days) | Nil | Nil | Nil | 1 | Nil |
| Overdraft availed (days) | Nil | 91 | 91 | Nil | 91 |
| 28. Interest on WMA/Overdraft | - | 0.35 | 15.74 | 0.01 | 1.55 |
| 29. Gross State Domestic Product (GSDP) | 2528854 | 2657371⁺⁺⁺ | 2627542⁺⁺ | 3108022⁺ | 3527084⁵ |
| 30. Outstanding Fiscal liabilities (year-end) | 436781.93 | 479899.14³ | 548176.45 | 606295.26⁴ | 660753.73 |
| 31. Outstanding guarantees (year-end) (including interest) | 25134.86 | 41279.47 | 41775.48 | 51263.35 | 49632.84 |
| 32. Maximum amount guaranteed (year-end) | 38378.26 | 58661.22 | 85717.46 | 81751.13 | 81751.13 |

² Includes Ways and Means Advances from RBI

³ Proforma correction

⁴ The effective outstanding fiscal liabilities would be ₹ 592512.90 crore as the Department of Expenditure, GoI has decided that GST compensation of ₹ 13782.36 crore given to the State as back to back loan under debt receipts would not be treated as debt of the State for any norms which may be prescribed by the Finance Commission.

[#] Lower rounding

⁵ Advance Estimate; + First Revised Estimate; ++ Second Revised Estimate; +++ Third Revised Estimate

| Appendix - 2.1 (concl'd) | | | | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|
| (₹ in crore) | | | | | |
| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Part E: Fiscal Health Indicators | | | | | |
| I Resource Mobilization | | | | | |
| Own Tax revenue/GSDP | 7.41 | 7.11 | 6.25 | 7.11 | 7.87 |
| Own Non-Tax Revenue/GSDP | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.48 |
| Central Transfers/GSDP | 1.66 | 1.36 | 1.39 | 1.75 | 1.70 |
| II Expenditure Management | | | | | |
| Total Expenditure/GSDP | 12.01 | 12.75 | 13.04 | 12.83 | 13.44 |
| Total Expenditure/Revenue Receipts | 108.82 | 119.60 | 127.15 | 119.65 | 116.82 |
| Revenue Expenditure/Total Expenditure | 87.95 | 88.67 | 90.65 | 87.69 | 86.01 |
| Expenditure on Social Services/Total Expenditure | 37.73 | 37.99 | 37.24 | 37.23 | 37.03 |
| Expenditure on Economic Services/Total Expenditure | 27.03 | 25.67 | 26.00 | 24.94 | 25.85 |
| Capital Expenditure/Total Expenditure | 11.54 | 10.75 | 8.66 | 11.70 | 13.99 |
| Capital Expenditure on Social and Economic Services/Total Expenditure | 11.04 | 10.38 | 8.23 | 11.03 | 12.26 |
| Education, Sports, Art and Culture /Total Expenditure | 16.89 | 18.47 | 18.19 | 17.24 | 17.20 |
| Health & Family Welfare/Total Expenditure | 4.28 | 4.34 | 4.99 | 5.28 | 4.30 |
| III Management of Fiscal Imbalances | | | | | |
| Revenue deficit /GSDP | 0.47 | -0.64 | -1.57 | -0.53 | -0.05 |
| Fiscal deficit/GSDP | -0.91 | -2.03 | -2.72 | -2.07 | (-)1.92 |
| Primary Deficit (surplus) /GSDP | 0.44 | -0.76 | -1.32 | -0.78 | (-)0.73 |
| Revenue Deficit (surplus)/Fiscal Deficit | (-)52.03 | 31.76 | 57.49 | 25.46 | 2.86 |
| IV Management of Fiscal Liabilities | | | | | |
| Fiscal Liabilities/GSDP | 17.27 | 18.06 | 20.86 | 19.51 | 18.73 |
| Fiscal Liabilities/RR | 156.55 | 169.46 | 203.43 | 181.90 | 162.88 |
| V Other Fiscal Health Indicators | | | | | |
| Return on Investment | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.05 | 0.02 |
| Financial Assets/Liabilities | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Source: Finance Accounts of respective years | | | | | |

| Appendix-2.2 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 2.3.2.2, 2.3.2.3; Page 22 & 24)</i> | | | | | | |
| Fiscal priority of the State | | | | | | |
| Ratio | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | All India | General States | Maharashtra | All India | General States | Maharashtra |
| TE/GSDP | 16.7 | 16.05 | 12.83 | 16.5 | 15.79 | 13.44 |
| RE/TE | 85.3 | 85.59 | 87.69 | 84.7 | 84.78 | 86.01 |
| CE/TE | 14.7 | 14.41 | 12.31 | 15.3 | 15.22 | 13.99 |
| TR/GSDP | 19.3 | 18.46 | 13.67 | 18.7 | 17.89 | 14.00 |
| RR/TR | 71.4 | 71.37 | 78.43 | 73.1 | 73.03 | 82.14 |
| CR/TR | 28.6 | 28.63 | 21.57 | 26.9 | 26.97 | 17.86 |
| SSE/TE | 38.1 | 38.32 | 37.23 | 38.2 | 38.11 | 37.03 |
| ESE/TE | 28.3 | 28.43 | 24.94 | 28.8 | 29.17 | 27.58 |

TE Total Expenditure, RE Revenue Expenditure, CE Capital Expenditure, TR Total receipts, RR Revenue Receipts, CR capital Receipts, SSE Social Sector Expenditure, ESE Economic Sector Expenditure

| Financial Data | 2021-22 to 2022-23 Growth | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | All India | Average of General States | Maharashtra |
| Revenue Receipts | 13.2 | 13.41 | 21.71 |
| Own Tax Revenue | 19.7 | 19.78 | 25.60 |
| Non-Tax Revenue | 14.3 | 12.94 | -13.11 |
| State's share in Union Taxes & Duties | 7.5 | 7.25 | 10.46 |
| Grants-in-Aid from Govt. of India | 5.7 | 5.49 | 32.65 |
| Total Receipts | 10.6 | 10.83 | 16.22 |
| Revenue Expenditure | 11.8 | 11.45 | 16.57 |
| Capital Expenditure | 16.9 | 18.93 | 35.03 |
| Disbursement of Loans & Advances | 72.6 | 75.33 | 91.48 |
| Total Expenditure | 12.6 | 12.53 | 18.84 |
| Revenue Expenditure on Education | 13.0 | 13.21 | 17.36 |
| Revenue Expenditure on Health & Family Welfare | 1.8 | 0.88 | -4.07 |
| Revenue Expenditure on Salary & Wages | 8.7 | 8.52 | 14.67 |
| Revenue Expenditure on Pension | 11.3 | 11.38 | 11.12 |
| Revenue Expenditure on Subsidies | 15.2 | 15.24 | 48.10 |

Source: Finance Accounts of respective years

| Appendix 2.3 | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 2.4.3.2; Page 40)</i> | | | | |
| Reconciliation of Government Investment with Accounts of Companies | | | | |
| Sr. No | Name of the PSUs | As per records of PSUs | As per Finance Account | Difference (₹ in crore) |
| 1 | The Maharashtra Fisheries Development Corporation Limited | 4.04 | 5.81 | 1.77 |
| 2 | Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit | 50.00 | 400.00 | 350.00 |
| 3 | Kolhapur Chitranagri Mahamandal Limited | 3.24 | 34.20 | 30.96 |
| 4 | Sahitya Ratna Lokshahir Annabhau sathe Development Corporation ltd | 424.50 | 554.36 | 129.86 |
| 5 | Maharashtra Co-operative Development Corporation Limited | 8.00 | 160.46 | 152.46 |
| 6 | Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited | 14.50 | 14.40 | 0.10 |
| 7 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | 88.71 | 33.11 | 55.60 |
| 8 | Mahatma Phule Backward Class Development Corporation Limited | 568.57 | 630.89 | 62.32 |
| 9 | Maulana Azad Alpasankyak Arthik Vikas Mahamandal Limited | 400.70 | 567.69 | 166.99 |
| 10 | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit | 83.59 | 68.59 | 15.00 |
| 11 | Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Limited | 198.85 | 199.87 | 1.02 |
| 12 | Maharashtra ARC Ltd | 0 | 311.00 | 311.00 |
| 13 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | 7.96 | 7.95 | 0.01 |
| 14 | Maharashtra State Road Development Corporation Limited | 773.56 | 4,318.83 | 3,545.27 |
| 15 | Maharashtra Urban Infrastructure Development Company Limited | 0.25 | 0.49 | 0.24 |
| 16 | Maharashtra Urban Infrastructure Fund Trustee Company Limited | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 17 | Maharashtra housing Development Corporation ltd | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 18 | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | 17.57 | 18.21 | 0.64 |
| 19 | Maharashtra Tourism Development Corporation Limited | 15.39 | 15.89 | 0.50 |
| 20 | Maharashtra Ex-Servicemen Corporation Limited | 14.95 | 10.05 | 4.90 |
| 21 | Mahila Arthik Vikas Mahamandal | 3.39 | 3.52 | 0.13 |
| 22 | M.S.E.B. Holding Company Limited. | 89216.21 | 899.41 | 88316.80 |
| 23 | Maharashtra State Power Generation Company Limited | 0 | 2571.95 | 2571.95 |
| 24 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation | 35778.41 | 42407.02 | 6628.61 |
| 25 | Konkan Irrigation Development Corporation | 10938.02 | 11617.95 | 679.93 |
| 26 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | 47901.02 | 6146.03 | 41754.99 |
| 27 | Tapi Irrigation Development Corporation | 13071.45 | 15667.09 | 2595.64 |
| 28 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation | 23442.22 | 34566.67 | 11124.45 |
| 29 | Maharashtra Water Conservation Corporation | 2323.27 | 1816.00 | 507.27 |
| 30 | Maharashtra State Financial Corporation | 0 | 34.27 | 34.27 |
| 31 | Maharashtra State Road Transport Corporation | 5626.34 | 6135.57 | 509.23 |
| 32 | Dairy Development Corporation of India | 0 | 0.30 | 0.30 |
| 33 | Maharashtra State Textile Corporation Ltd | 236.15 | 234.79 | 1.36 |
| 34 | Leather Industries Corporation of Marathwada Ltd | 0 | 306.21 | 306.21 |
| Total | | 231213.91 | 129762.69 | 101451.22 |

| Appendix - 3.1 (Reference: Paragraph 3.1 page 65) Glossary of important Budget related terms | |
|--|--|
| 1. | 'Accounts' or 'actuals' of a year - are the amounts of receipts and disbursements for the financial year beginning on <i>April 1st</i> and ending on <i>March 31st</i> following, as finally recorded in the Accounting authority's books (as audited by C&AG). Provisional Accounts refers to the unaudited accounts. |
| 2. | 'Administrative approval' of a scheme, proposal or work - is the formal acceptance thereof by the competent authority for the purpose of incurring expenditure. Taken with the provision of funds in the budget, it operates as a financial sanction to the work during that particular year in which the Administrative Approval is issued. |
| 3. | 'Annual financial statement' – Also referred to as Budget means the statement of estimated receipts and expenditure of the Central/State Government for each financial year, laid before the Parliament /State Legislature. |
| 4. | 'Appropriation' - means the amount authorized by the Parliament/State Legislature for expenditure under different primary unit of appropriation or part thereof placed at the disposal of a disbursing officer. |
| 5. | 'Charged Expenditure' - means such expenditure as is not to be submitted to the vote of the Legislature under the provisions of the Constitution. |
| 6. | 'Consolidated Fund of India/ State' - All revenues of the Union/State Government, loans raised by it and all moneys received in repayment of loans form the Consolidated Fund of India/ State. No moneys out of this Fund can be appropriated except in accordance with the law and for the purposes and in the manner provided in the Constitution. |
| 7. | 'Contingency Fund' is in the nature of an imprest. The Contingency Fund is intended to provide advances to the executive /Government to meet unforeseen expenditure arising in the course of a year pending its authorization by the Parliament/State Legislature. The amounts drawn from the Contingency Fund are recouped after the Parliament/State Legislature approves it through the Supplementary Demands. |
| 8. | 'Controlling Officer (budget)' - means an officer entrusted by a Department with the responsibility of controlling the incurring of expenditure and/or the collection of revenue. The term includes the Heads of Department and also the Administrators. |
| 9. | 'Drawing and Disbursing Officer' (DDO) – means a Head of Office and also any other Officer so designated by the Finance Department of the State Government, to draw bills and make payments on behalf of the State Government. The term shall also include a Head of Department where he himself discharges such function |
| 10. | 'Excess Grant' – Excess grant means the amount of expenditure over and above the provision allowed through the original/supplementary grant, that requires regularization by obtaining excess grant from the Parliament /State Legislature under Article 115/205 of the Constitution. |
| 11. | 'New Service' – As appearing in Article 115(1)(a)/205(1)(a) of the Constitution, New Service means expenditure arising out of a new policy decision, not brought to the notice of Parliament/ State Legislature earlier, including a new activity or a new form of investment. |
| 12. | 'New Instrument of Service' - means relatively large expenditure arising out of important expansion of an existing activity. |
| 13. | 'Public Accounts' - means the Public Account referred to in Article 266(2) of the Constitution. The receipts and disbursements such as deposits, reserve funds, remittances, etc. which do not form part of the Consolidated Fund are included in the Public Account. Disbursements from the Public Account are not subject to vote by the Parliament/State Legislature, as they are not moneys issued out of the Consolidated Fund of India/State. |
| 14. | 'Reappropriation' - means the transfer, by a competent authority, of savings from one unit of appropriation to meet additional expenditure under another unit within the same grant or charged appropriation. |

| Appendix - 3.1 (concl'd) | |
|---------------------------------|---|
| 15. | 'Revised Estimate' - is an estimate of the probable receipts or expenditure for a financial year, framed in the course of that year, with reference to the transactions already recorded and anticipation for the remainder of the year in the light of the orders already issued. |
| 16. | 'Supplementary Demands for Grants' - means the statement of supplementary demands laid before the legislature, showing the estimated amount of further expenditure necessary in respect of a financial year over and above the expenditure authorized in the Annual Financial Statement for that year. The demand for supplementary may be token, technical or substantive/cash. |
| | a) Cash Supplementary is over and above the original budget provisions and results in enhancement of the allocation for the Demand/Grant. It should be obtained as a last resort and after proper due diligence. Presently, this method is followed by the State. |
| | b) There are four Sections in each Demand i.e., Revenue Voted, Revenue Charged, Capital Voted and Capital Charged. Technical Supplementary , after obtaining the approval of the State Legislature, allows to utilize the savings of one of the Sections for any other Section. |
| | c) Token Supplementary allows to utilize the savings within the same section of the grant. |
| 17. | 'Major Head' - means a Major Head of account for the purpose of recording and classifying the receipts and disbursements of the State. A Major Head, particularly the one falling within the Consolidated Fund, generally corresponds to a 'function' of Government such as Agriculture, Education, Health, etc. |
| 18. | 'Sub-Major Head' - means an intermediate head of account introduced between a Major Head and the Minor Heads under it, when the Minor Heads are numerous and can conveniently be grouped together under such intermediate Head. |
| 19. | 'Minor Head' - means a head subordinate to a Major Head or a Sub-Major Head. A Minor Head subordinate to a Major Head identifies a 'programme' undertaken to achieve the objectives of the function represented by the Major Head. |
| 20. | 'Sub-Head' - means a unit of account next subordinate to a Minor Head which normally denotes the scheme or organisation under that Minor Head or programme. |
| 21. | 'Major Work' - means an original work, the estimated cost of which exclusive of departmental charges exceeds the amount as notified by the Government from time to time. |
| 22. | 'Minor Work' - means an original work, the estimated cost of which exclusive of departmental charges does not exceed the amount as notified by the Government from time to time. |
| 23. | 'Modified Grant or Appropriation' - means the sum allotted to any Sub-Head of Appropriation as it stands after Re-Appropriation or the sanction of an Additional or Supplementary Grant by competent authority. |
| 24. | 'Supplementary or Additional Grant or Appropriation' - means a provision included in an Appropriation Act, during the course of a financial year, to meet expenditure in excess of the amount previously included in an Appropriation Act for that year. |
| 25. | 'Schedule of New Expenditure' - means a statement of items of new expenditure proposed for inclusion in the Budget for the ensuing year. |
| 26. | 'Token demand' - means a demand made to the Assembly for a nominal or token sum when, for example, it is proposed to meet the entire expenditure on a new service from savings out of the sanctioned budget grant. |

| Appendix- 3.2 (Reference: Paragraph 3.3.1, Page 69) Grants/ Appropriation closed with excess supplementary provisions (₹ 10 crore and more) during 2022-23 (₹ in crore) | | | | | | |
|--|-----------|--|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| Sr. No. | Grant No. | Description | Original | Supplementary | Actual Expenditure | Savings out of original provision |
| Revenue (Voted) | | | | | | |
| 1 | A.4 | Secretariat and Miscellaneous General Services | 1285.23 | 22.78 | 635.69 | -649.54 |
| 2 | A.6 | Information and Publicity | 343.29 | 25.80 | 121.95 | -221.33 |
| 3 | B.1 | Police Administration | 24583.07 | 134.20 | 19978.85 | -4604.22 |
| 4 | B.7 | Economic Services | 1594.61 | 457.22 | 1054.03 | -540.58 |
| 5 | C.1 | Revenue and District Administration | 3148.50 | 61.02 | 2781.27 | -367.23 |
| 6 | C.7 | Forest | 3743.14 | 66.06 | 2792.85 | -950.29 |
| 7 | D.3 | Agriculture Services | 10217.51 | 2318.03 | 9836.16 | -381.35 |
| 8 | D.4 | Animal Husbandry | 1494.15 | 94.87 | 1367.17 | -126.98 |
| 9 | E.3 | Secretariat and Other Social Services | 549.90 | 40.42 | 410.27 | -139.62 |
| 10 | F.2 | Urban Development and Other Advance Services | 15692.66 | 2146.35 | 12003.34 | -3689.32 |
| 11 | G.6 | Pensions and Other Retirement Benefits | 45448.34 | 2001.85 | 43017.19 | -2431.16 |
| 12 | H.6 | Public Works and Administrative and Functional Buildings. | 3353.58 | 351.61 | 3031.42 | -322.16 |
| 13 | I.3 | Irrigation, Power and Other Economic Services | 2346.41 | 93.74 | 1753.83 | -592.58 |
| 14 | J.1 | Administration of Justice | 2786.37 | 255.01 | 2512.12 | -274.26 |
| 15 | L.3 | Rural Development Programmes | 11075.30 | 4013.15 | 10190.85 | -884.45 |
| 16 | N.3 | Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities. | 14779.37 | 3133.61 | 13010.53 | -1768.84 |
| 17 | O.3 | Rural Employment | 3634.03 | 150 | 1863.57 | -1770.46 |
| 18 | R.1 | Medical and Public Health | 13935.34 | 2842.91 | 13156.90 | -778.44 |
| 19 | S.1 | Medical and Public Health | 4810.44 | 455.61 | 4263.62 | -546.82 |
| 20 | T.5 | Revenue Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 11485.24 | 1836.17 | 9542.71 | -1942.53 |
| 21 | W.2 | General Education | 9258.89 | 303.74 | 9120.16 | -138.74 |
| 22 | Y.2 | Water Supply and Sanitation | 10861.85 | 716.16 | 3911.68 | -6950.17 |
| 23 | ZA.2 | Secretariat and other Social Services | 2839.27 | 41.77 | 2153.97 | -685.38 |
| 24 | ZC.1 | Parliament/State/Union Territory Legislatures | 327.56 | 97.36 | 291.31 | -36.26 |
| 25 | ZH.3 | Irrigation, Power and Other Economic Services. | 605.63 | 20.68 | 449.17 | -156.46 |
| | | TOTAL | 200199.68 | 21680.12 | 169250.61 | -30949.07 |

| Appendix 3.2 (concl'd) | | | | | | |
|--|-----------|---|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | |
| Sr. No | Grant No. | Description | Original | Supplementary | Actual Expenditure | Savings out of Original provision |
| Capital (Voted) | | | | | | |
| 26 | B.10 | Capital Expenditure on Economic Services | 2571.10 | 425 | 2458.66 | -112.44 |
| 27 | B.11 | Loans to Government Servents,etc | 94.04 | 100 | 68.69 | -25.35 |
| 28 | C.10 | Capital Expenditure on Economic Services | 1177.94 | 14.01 | 975.98 | -201.96 |
| 29 | D.9 | Capital Expenditure on Animal Husbandry | 173.51 | 16.80 | 62.62 | -110.89 |
| 30 | H.8 | Capital Expenditure On Public Works Administrative and Functional Buildings | 3686.38 | 695.91 | 1855.24 | -1831.14 |
| 31 | I.5 | Capital Expenditure on Irrigation | 15037.04 | 1504.52 | 11551.26 | -3485.78 |
| 32 | K.11 | Capital Expenditure on Energy | 2047.00 | 702.40 | 1345.81 | -701.19 |
| 33 | L.7 | Capital Expenditure on Rural Development | 5404.98 | 241.17 | 4119.83 | -1285.15 |
| 34 | N.4 | Capital Expenditure on Social Services | 966.00 | 156.07 | 699.71 | -266.29 |
| 35 | O.10 | Capital Outlay on Other Rural Development Programmes | 5646.73 | 267.42 | 1705.45 | -3941.28 |
| 36 | R.3 | Capital Expenditure on Medical and Public Health | 49.94 | 22.49 | 48.84 | -1.10 |
| 37 | T.6 | Capital Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 1164.00 | 44.13 | 996.49 | -167.52 |
| 38 | ZH.5 | Capital Outlay on Soil and Water Conservation | 3396.57 | 343.99 | 2464 | -932.57 |
| | | Total | 41415.23 | 4533.91 | 28352.58 | -13062.66 |
| | | GRAND TOTAL | 241614.91 | 26214.03 | 197603.19 | -44011.73 |
| Source: Appropriation Accounts 2022-23 | | | | | | |

| Appendix- 3.3 | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>(Reference: Paragraph 3.3.3., Page 70)</i> | | | | | | | | | |
| Unnecessary re-appropriation of funds during 2022-23 | | | | | | | | | |
| (₹ in crore) | | | | | | | | | |
| Sr. No. | Grant | SBH | Description | Original | Sup | Re-app | Total | Actual | Saving |
| 1 | A-4 | 205200090 058 | Grant-in-aid to Setu Maharashtra Society for implementation of e-Governance Project (Setu) | 457.00 | 0.00 | 50.00 | 507.00 | 250.00 | 257.00 |
| 2 | A-4 | 205200090 002 | General Administration Department | 77.41 | 0.54 | 10.32 | 88.27 | 73.32 | 14.95 |
| 3 | A-4 | 207000114 015 | Aviation Advisor to Government | 50.40 | 0.00 | 8.60 | 59.00 | 44.45 | 14.55 |
| 4 | A-6 | 222001105 038 | Production of Films | 6.81 | 10.80 | 0.30 | 17.91 | 4.24 | 13.67 |
| 5 | B-1 | 205500111 044 | Railway Police | 528.56 | 0.00 | 2.32 | 530.88 | 455.23 | 75.65 |
| 6 | B-1 | 205500003 002 | Police Training Schools | 189.78 | 2.00 | 1.88 | 193.66 | 159.19 | 34.47 |
| 7 | B-5 | 205600101 003 | Central Jails | 280.42 | 0.00 | 1.05 | 281.47 | 248.80 | 32.67 |
| 8 | C-2 | 203003001-010 | Inspector General of Registration and District Registrars | 183.50 | 0.00 | 19.19 | 202.70 | 175.15 | 27.54 |
| 9 | C-6 | 224502101 024 | Other Items | 0.16 | 0.00 | 10.00 | 10.16 | 0.00 | 10.16 |
| 10 | D-3 | 240100113 B07 | Chief Minister sustainable agriculture irrigation scheme (general) (Scheme) | 600.00 | 0.00 | 99.38 | 699.38 | 543.38 | 156.00 |
| 11 | E-2 | 220201103 380 | School Nutrition Programme Other than Mumbai Mahanagar Palika (Centrally Sponsored Scheme) (Central Share) | 1081.80 | 0.00 | 46.69 | 1128.49 | 979.43 | 149.06 |
| 12 | E-3 | 220400104 179 | Establishment of Coaching Centres | 78.37 | 3.38 | 38.71 | 120.46 | 75.43 | 45.03 |
| 13 | F-2 | 221780191 091 | Special provision for Development of Basic Amenities in area of the Municipal Corporations | 950.00 | 256.23 | 10.00 | 1216.23 | 1120.20 | 96.03 |
| 14 | G-1 | 204000101 005 | Sales Tax Department | 632.55 | 68.88 | 0.26 | 701.69 | 685.90 | 15.79 |
| 15 | H-6 | 205980001-120 | S.E., P.W. Circle, Solapur | 57.75 | 0.00 | 0.50 | 58.25 | 42.68 | 15.57 |
| 16 | H-6 | 205980001-263 | S.E. Dairy Construction Circle Mumbai | 36.30 | 0.00 | 1.04 | 37.33 | 22.11 | 15.22 |
| 17 | I-3 | 270180001-996 | S.E. & Admn. CADA Jalgaon | 77.43 | 0.00 | 0.36 | 77.79 | 43.61 | 34.17 |
| 18 | I-3 | 240200102-050 | Extension and Improvement | 32.12 | 0.00 | 2.20 | 34.32 | 24.30 | 10.02 |
| 19 | I-5 | 470180190-H66 | Share capital contribution to VIDC | 1242.07 | 0.00 | 198.55 | 1440.62 | 764.45 | 676.17 |
| 20 | I-5 | 470180190-J72 | Share Capital Contribution to Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (Rest of Maharashtra) | 164.58 | 0.00 | 6.48 | 171.07 | 10.80 | 160.27 |
| 21 | I-5 | 470180190-J80 | Share capital contribution to Vidarbha Irrigation Development corporation (BJSY) (State Share)(Scheme) | 768.75 | 0.00 | 145.67 | 914.42 | 768.75 | 145.67 |

| Appendix- 3.3 (contd...) | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|----------------|---|----------|--------|--------|---------|---------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | |
| S. No. | Grant | SBH | Description | Original | Sup | Re-app | Total | Actual | Saving |
| 22 | I-5 | 470180190-J79 | Share capital contribution to Maharashtra Krishna valley Development corporation (BJSY) (State Share)(Rest of Maharashtra)(Scheme) | 165.00 | 0.00 | 71.85 | 236.85 | 115.50 | 121.35 |
| 23 | I-5 | 470180190-J86 | Share capital contribution to Vidharbha Irrigation Development corporation (BJSY) (Centre Share)(Scheme) | 256.25 | 0.00 | 61.30 | 317.55 | 255.75 | 61.80 |
| 24 | I-5 | 470280190-499 | Share Capital Contri. To Godavari Marathwada Irrg. Devp. Corp. | 95.72 | 0.00 | 8.71 | 104.43 | 75.29 | 29.14 |
| 25 | I-5 | 470280190-492 | Share Capital Contri. To Tapi Irrg. Devp. Corp. | 65.65 | 0.00 | 8.71 | 74.36 | 47.52 | 26.84 |
| 26 | I-5 | 470180001-676 | S.E.Quality Control Circle, Pune | 39.42 | 0.00 | 0.03 | 39.44 | 26.34 | 13.11 |
| 27 | I-5 | 470280190-748 | Share Capital Contribution To Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation | 18.80 | 0.00 | 6.35 | 25.15 | 13.43 | 11.73 |
| 28 | L-2 | 205300093 A056 | Grants to Zilla Parishads(Establishment grant) Revised Staffing Pattern Systems | 2659.06 | 254.00 | 10.00 | 2923.06 | 2806.04 | 117.02 |
| 29 | L-7 | 505404337 523 | Construction of New Roads and Bridges and Upgradation of existing roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (C.S.S.) (State Share 40%) | 773.78 | 0.00 | 53.63 | 827.41 | 509.98 | 317.43 |
| 30 | N-3 | 222503800 363 | Grant-in-aid to Voluntary Agencies (S.C.P.) | 145.00 | 0.00 | 29.95 | 174.95 | 102.45 | 72.50 |
| 31 | N-3 | 222501277 334 | Opening and Maintenance of Government Hostels for Scheduled Caste Boys and Girls (New Hostels) | 315.00 | 0.00 | 14.26 | 329.26 | 271.46 | 57.80 |
| 32 | N-3 | 222501277D11 | Opening of New Government Residential School for Scheduled Caste Boys and Girls (S.C.P.) | 210.00 | 0.00 | 4.86 | 214.86 | 182.86 | 32.00 |
| 33 | N-3 | 222501001 009 | Directorate of Social Justice (B.C.Wing) | 134.73 | 0.00 | 4.79 | 139.52 | 120.56 | 18.96 |
| 34 | R-1 | 221001110A014 | Non-Teaching Government Hospitals in Mofussil Areas | 1160.98 | 97.00 | 1.04 | 1259.02 | 1205.64 | 53.38 |
| 35 | R-1 | 221006800 306 | Grants for Plan Schemes under Section 187 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 70.00 | 49.11 | 20.89 |

| Appendix- 3.3 (concl'd) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------|--|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | |
| S. No. | Grant | SBH | Description | Original | Sup | Re-app | Total | Actual | Saving |
| 36 | S-1 | 221005105 C249 | Grant Medical College, Mumbai | 163.06 | 29.19 | 2.00 | 194.25 | 177.12 | 17.13 |
| 37 | S-1 | 221005105 C315 | Late Shree Bhausaheb Hirey Government Medical College , Dhule | 53.35 | 14.17 | 0.09 | 67.61 | 52.63 | 14.98 |
| 38 | S-1 | 221005105 C269 | Government Medical College , Nanded | 75.10 | 7.94 | 6.21 | 89.25 | 75.77 | 13.48 |
| 39 | S-1 | 221001110 C174 | Gokuldas Tejpal Hospital, Mumbai | 86.05 | 1.58 | 5.85 | 93.48 | 80.57 | 12.91 |
| 40 | S-1 | 221005105 507 | Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Government Medical College, Kolhapur | 55.53 | 8.13 | 3.39 | 67.05 | 54.96 | 12.09 |
| 41 | S-1 | 221005105 C255 | Medical College, Aurangabad | 108.87 | 5.55 | 8.00 | 122.42 | 110.83 | 11.59 |
| 42 | S-1 | 221005105 F09 | Government Medical College and Hospital, Chandrapur | 46.08 | 2.79 | 1.59 | 50.46 | 39.36 | 11.10 |
| 43 | X-1 | 223502102 C22 | Baby Care Kit Scheme (Scheme) | 80.00 | 0.00 | 24.00 | 104.00 | 80.00 | 24.00 |
| 44 | X-1 | 223602101 212 | Adarsh Anganwadi Scheme (Scheme) | 78.11 | 0.00 | 21.00 | 99.11 | 75.67 | 23.44 |
| 45 | ZC-1 | 201102103 007 | Maharashtra Legislature Secretariat | 84.66 | 10.00 | 1.20 | 95.86 | 81.70 | 14.16 |
| 46 | ZE-1 | 223502200 A13 | Grant-in-Aid for Area Development Schemes in Minority Concentrated Areas | 70.00 | 0.00 | 54.75 | 124.75 | 33.50 | 91.25 |
| 47 | ZE-1 | 223502198 B08 | Grant-in-Aid to Minority Concentrated Gram Panchayats | 80.00 | 0.00 | 57.95 | 137.95 | 66.48 | 71.47 |
| 48 | ZE-1 | 223502200 B22 | Grant-in-aid for Providing Infrastructure Facilities to Registered Madarassas in the State and Salaries to the Teachers (Plan) | 15.00 | 0.00 | 3.80 | 18.80 | 5.89 | 12.91 |

Appropriation Accounts 2022-23

| <p style="text-align: center;">Appendix –3.4 (Reference: Paragraph 3.3.4; page 71) Grants/appropriations which closed with savings of more than ₹ 10 crore each and more than 20 per cent of the total provisions (₹ in crore)</p> | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|----------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| S. No. | Grant No | Description | Original | Supple-mentary | Total provisions | Actual | Savings | Amount surrendered |
| Revenue (Voted) | | | | | | | | |
| 1 | A01 | Governor and Council of Ministers | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 22.34 | 14.66 | 14.97 |
| 2 | A04 | Secretariat and Miscellaneous General Services | 1285.23 | 22.78 | 1308.01 | 635.69 | 672.32 | 671.32 |
| 3 | A05 | Social Services | 213.26 | 225.56 | 438.82 | 232.44 | 206.37 | 221.50 |
| 4 | A06 | Information and Publicity | 343.29 | 25.80 | 369.09 | 121.95 | 247.14 | 247.14 |
| 5 | A07 | Civil Aviation | 590.55 | 0.00 | 590.55 | 413.44 | 177.11 | 177.11 |
| 6 | B04 | Secretariat and Other General Services | 80.53 | 4.11 | 84.64 | 62.99 | 21.64 | 21.14 |
| 7 | B07 | Economic Services | 1594.61 | 457.22 | 2051.83 | 1054.03 | 997.80 | 997.80 |
| 8 | C06 | Relief on account of Natural Calamities | 11308.46 | 3600.00 | 14908.46 | 11801.56 | 3106.91 | 3350.16 |
| 9 | C07 | Forest | 3743.14 | 66.06 | 3809.20 | 2792.85 | 1016.35 | 0.00 |
| 10 | D01 | Interest Payments | 0.00 | 17.51 | 17.51 | 0.00 | 17.51 | 17.51 |
| 11 | D03 | Agriculture Services | 10217.51 | 2318.03 | 12535.54 | 9836.16 | 2699.38 | 2692.91 |
| 12 | D05 | Dairy Development | 451.95 | 6.72 | 458.67 | 251.39 | 207.28 | 207.58 |
| 13 | D06 | Fisheries | 248.50 | 119.88 | 368.38 | 274.29 | 94.09 | 94.11 |
| 14 | D07 | Secretariat and other Economic Services | 57.15 | 0.30 | 57.45 | 36.82 | 20.63 | 21.67 |
| 15 | E03 | Secretariat and Other Social Services | 549.90 | 40.42 | 590.32 | 410.27 | 180.04 | 179.80 |
| 16 | F02 | Urban Development and Other Advance Services | 15692.66 | 2146.35 | 17839.01 | 12003.34 | 5835.68 | 5832.97 |
| 17 | F03 | Secretariat and Other Social Services | 245.63 | 1.66 | 247.29 | 127.42 | 119.88 | 120.15 |
| 18 | G02 | Other Fiscal and Miscellaneous Services | 1801.16 | 0.00 | 1801.16 | 264.48 | 1536.68 | 1536.67 |
| 19 | G04 | Secretariat - General Services | 50.62 | 4.00 | 54.62 | 43.61 | 11.01 | 11.02 |
| 20 | H04 | Secretariat and Other Economic Services | 82.10 | 0.00 | 82.10 | 52.67 | 29.43 | 0.00 |
| 21 | I03 | Irrigation, Power and Other Economic Services | 2346.41 | 93.74 | 2440.15 | 1753.83 | 686.32 | 0.00 |
| 22 | I04 | Secretariat-Economic Services | 79.57 | 0.00 | 79.57 | 38.19 | 41.38 | 0.00 |
| 23 | J02 | Secretariat and Other Social and Economic Services | 201.42 | 4.17 | 205.59 | 163.40 | 42.18 | 42.14 |
| 24 | K04 | Labour, Employment and Skill Development | 338.82 | 2.93 | 341.75 | 222.79 | 118.96 | 118.81 |
| 25 | L03 | Rural Development Programmes | 11075.30 | 4013.15 | 15088.45 | 10190.85 | 4897.59 | 4897.73 |
| 26 | L04 | Secretariat-Economic Services | 82.10 | 0.82 | 82.92 | 27.93 | 54.99 | 54.87 |
| 27 | M02 | Food Storage and Warehousing | 3210.67 | 1943.27 | 5153.94 | 3970.35 | 1183.59 | 1182.95 |

| Appendix –3.4 (contd...) | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | |
| S.N | Grant No | Description | Original | Supple- mentary | Total provisions | Actual | Savings | Amount surrendered |
| 28 | M03 | Secretariat and Other Economic Services | 132.73 | 3.22 | 135.95 | 104.19 | 31.76 | 31.33 |
| 29 | N03 | Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and Minorities | 14779.37 | 3133.61 | 17912.98 | 13010.53 | 4902.46 | 4937.39 |
| 30 | O01 | District Administration | 966.57 | 0.00 | 966.57 | 678.55 | 288.02 | 287.95 |
| 31 | O02 | Social Security and Welfare | 300.04 | 0.00 | 300.04 | 169.19 | 130.85 | 130.84 |
| 32 | O03 | Rural Employment | 3634.03 | 150.00 | 3784.03 | 1863.57 | 1920.46 | 1920.27 |
| 33 | O04 | Other Rural Development Programmes | 100.12 | 0.00 | 100.12 | 0.06 | 100.06 | 100.06 |
| 34 | O07 | Secretariat-Economic Services | 141.32 | 7.00 | 148.32 | 101.72 | 46.60 | 46.91 |
| 35 | Q03 | Housing | 9283.10 | 0.00 | 9283.10 | 1699.09 | 7584.01 | 7584.02 |
| 36 | R01 | Medical and Public Health | 13935.34 | 2842.91 | 16778.25 | 13156.90 | 3621.34 | 3621.93 |
| 37 | T02 | Co-operation | 104.76 | 0.00 | 104.76 | 82.66 | 22.10 | 22.14 |
| 38 | T05 | Revenue Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 11485.24 | 1836.17 | 13321.41 | 9542.71 | 3778.70 | 3781.25 |
| 39 | U04 | Ecology and Environment | 473.45 | 0.00 | 473.45 | 220.62 | 252.83 | 252.83 |
| 40 | W06 | Secretariat - Social Services | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 13.85 | 11.95 | 11.91 |
| 41 | Y02 | Water Supply and Sanitation | 10861.85 | 716.16 | 11578.01 | 3911.68 | 7666.33 | 7666.16 |
| 42 | ZA02 | Secretariat and Other Social Services | 2839.27 | 41.77 | 2881.04 | 2153.89 | 727.15 | 725.90 |
| 43 | ZC01 | Parliament / State/ Union Territory Legislatures | 327.56 | 97.36 | 424.92 | 291.31 | 133.61 | 126.17 |
| 44 | ZD02 | Art and Culture | 328.72 | 583.08 | 911.80 | 687.56 | 224.24 | 223.58 |
| 45 | ZD04 | Tourism | 1814.00 | 0.00 | 1814.00 | 821.17 | 992.83 | 990.04 |
| 46 | ZE01 | Minorities Development | 784.28 | 0.20 | 784.48 | 406.65 | 377.84 | 376.21 |
| 47 | ZH03 | Irrigation, Power and Other Economic Services | 605.63 | 20.68 | 626.31 | 449.17 | 177.14 | 180.72 |
| | | Total | 138850.72 | 24546.64 | 163397.36 | 106170.15 | 57227.20 | 557729.64 |
| Capital (Voted) | | | | | | | | |
| 48 | A09 | Capital Outlay on Public Works | 159.10 | 432.73 | 591.83 | 457.90 | 133.93 | 133.93 |
| 49 | B11 | Loans to Government Servants, etc | 94.04 | 100.00 | 194.04 | 68.69 | 125.35 | 125.04 |

| Appendix –3.4 (concl'd) | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | |
| S.N | Grant No | Description | Original | Supple- mentary | Total provisions | Actual | Savings | Amount surrendered |
| 50 | D08 | Capital Expenditure on Animal Husbandry | 14.87 | 0.00 | 14.87 | 2.53 | 12.34 | 12.34 |
| 51 | D09 | Capital Expenditure on Fisheries | 173.51 | 16.80 | 190.31 | 62.62 | 127.69 | 127.69 |
| 52 | E04 | Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture | 307.30 | 0.00 | 307.30 | 203.97 | 103.33 | 103.33 |
| 53 | F05 | Capital Expenditure on Social Services | 1126.20 | 6220.00 | 7346.20 | 5053.82 | 2292.38 | 2292.38 |
| 54 | H08 | Capital Expenditure On Public Works Administrative and Functional Buildings | 3686.38 | 695.91 | 4382.29 | 1855.24 | 2527.05 | 0.00 |
| 55 | H09 | Capital Outlay on Removal of Regional Imbalance | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 22.48 | 49.52 | 0.00 |
| 56 | I05 | Capital Expenditure on Irrigation | 15037.04 | 1504.52 | 16541.56 | 11551.26 | 4990.30 | 0.00 |
| 57 | K09 | Capital Expenditure on Economic and Social Services | 62.11 | 0.00 | 62.11 | 31.84 | 30.27 | 30.27 |
| 58 | K10 | Capital Expenditure on Industries | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 72.52 | 75.48 | 75.48 |
| 59 | K11 | Capital Expenditure on Energy | 2047.00 | 702.40 | 2749.40 | 1345.81 | 1403.59 | 1403.59 |
| 60 | L07 | Capital Expenditure on Rural Development | 5404.98 | 241.17 | 5646.15 | 4119.83 | 1526.32 | 1526.31 |
| 61 | M04 | Capital Expenditure on Food, Storage and Warehousing | 13623.76 | 0.00 | 13623.76 | 9387.87 | 4235.89 | 4267.29 |
| 62 | N04 | Capital Expenditure on Social Services | 966.00 | 156.07 | 1122.07 | 699.71 | 422.36 | 426.20 |
| 63 | O10 | Capital Outlay on Other Rural Development | 5646.73 | 267.42 | 5914.15 | 1705.45 | 4208.70 | 4210.90 |
| 64 | R03 | Capital Expenditure on Social Services | 49.94 | 22.49 | 72.43 | 48.84 | 23.59 | 23.59 |
| 65 | S04 | Capital outlay on Medical and Public Health | 1022.47 | 0.00 | 1022.47 | 742.14 | 280.33 | 280.29 |
| 66 | V03 | Capital Expenditure on Social Services | 392.80 | 0.00 | 392.80 | 225.11 | 167.69 | 170.16 |
| 67 | V05 | Capital Expenditure on Economic Services | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 2.91 | 66.09 | 66.09 |
| 68 | X03 | Capital Expenditure on Social Services | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 |
| 69 | ZC03 | Loans to Government Servants, etc. | 201.08 | 0.00 | 201.08 | 1.00 | 200.08 | 200.08 |
| 70 | ZF04 | Capital Outlay on Public Works | 29.86 | 0.00 | 29.86 | 0.61 | 29.25 | 29.25 |
| 71 | ZH05 | Capital Expenditure on Irrigation | 3396.57 | 343.99 | 3740.56 | 2464.00 | 1276.56 | 1276.57 |
| | | Total | 53767.74 | 10703.50 | 64471.24 | 40126.15 | 24345.09 | 16817.78 |
| | | Grand Total | 192618.46 | 35250.14 | 227868.60 | 146296.30 | 81572.29 | 72547.42 |

Source: Appropriation Accounts 2022-23

| Appendix- 3.5 | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 3.3.4; Page 71)</i> | | | | | | | | | |
| Grants/ Appropriation having large (savings above ₹100 crore) | | | | | | | | | |
| during the year 2022-23 | | | | | | | | | |
| (₹ in crore) | | | | | | | | | |
| Sr. No | Grant | Description | Original | Sup | Total | Actual | Savings | Surrender | Savings excluding Surrender |
| Revenue (Voted) | | | | | | | | | |
| 1 | A04 | Secretariat and Miscellaneous General Services | 1285.23 | 22.78 | 1308.01 | 635.69 | 672.32 | 671.32 | 1.00 |
| 2 | A05 | Social Services | 213.26 | 225.56 | 438.82 | 232.44 | 206.37 | 221.50 | -15.13 |
| 3 | A06 | Information and Publicity | 343.29 | 25.80 | 369.09 | 121.95 | 247.14 | 247.14 | 0.00 |
| 4 | A07 | Civil Aviation | 590.55 | 0 | 590.55 | 413.44 | 177.11 | 177.11 | 0.00 |
| 5 | B01 | Police Administration | 24583.07 | 134.2 | 24717.27 | 19978.85 | 4738.42 | 4740.78 | -2.36 |
| 6 | B03 | Transport Administration | 3305.03 | 1374.17 | 4679.20 | 3936.24 | 742.96 | 742.95 | 0.01 |
| 7 | B07 | Economic Services | 1594.61 | 457.22 | 2051.83 | 1054.03 | 997.80 | 997.80 | 0.00 |
| 8 | C01 | Revenue and District Administration | 3148.5 | 61.02 | 3209.52 | 2781.27 | 428.25 | 0.00 | 428.25 |
| 9 | C06 | Relief on account of Natural Calamities | 11308.46 | 3600.00 | 14908.46 | 11801.56 | 3106.91 | 3350.16 | -243.25 |
| 10 | C07 | Forest | 3743.14 | 66.06 | 3809.20 | 2792.85 | 1016.35 | 0.00 | 1016.35 |
| 11 | D03 | Agriculture Services | 10217.51 | 2318.03 | 12535.54 | 9836.16 | 2699.38 | 2692.91 | 6.47 |
| 12 | D04 | Animal Husbandry | 1494.15 | 94.87 | 1589.02 | 1367.17 | 221.86 | 221.72 | 0.14 |
| 13 | D05 | Dairy Development | 451.95 | 6.72 | 458.67 | 251.39 | 207.28 | 207.58 | -0.30 |
| 14 | E02 | General Education | 64042.88 | 3182.54 | 67225.42 | 65157.98 | 2067.43 | 2072.35 | -4.92 |
| 15 | E03 | Secretariat and Other Social Services | 549.90 | 40.42 | 590.32 | 410.27 | 180.04 | 179.80 | 0.24 |
| 16 | F02 | Urban Development and Other Advance Services | 15692.66 | 2146.35 | 17839.01 | 12003.34 | 5835.68 | 5832.97 | 2.71 |
| 17 | F03 | Secretariat and Other Social Services | 245.63 | 1.66 | 247.29 | 127.42 | 119.88 | 120.15 | -0.27 |
| 18 | G02 | Other Fiscal and Miscellaneous Services | 1801.16 | 0.00 | 1801.16 | 264.48 | 1536.68 | 1536.67 | 0.01 |
| 19 | G06 | Pensions and Other Retirement Benefits | 45448.34 | 2001.85 | 47450.19 | 43017.19 | 4433 | 4467.42 | -34.42 |
| 20 | H05 | Roads and Bridges | 6772.11 | 2968.52 | 9740.63 | 9258.68 | 481.95 | 0 | 481.95 |
| 21 | H06 | Public Works and Administrative and Functional Buildings | 3353.58 | 351.61 | 3705.19 | 3031.42 | 673.78 | 0 | 673.78 |
| 22 | I03 | Irrigation, Power and Other Economic Services | 2346.41 | 93.74 | 2440.15 | 1753.83 | 686.32 | 0 | 686.32 |
| 23 | J01 | Administration of Justice | 2786.37 | 255.01 | 3041.38 | 2512.12 | 529.26 | 460.37 | 68.89 |
| 24 | K04 | Labour and Employment | 338.82 | 2.93 | 341.75 | 222.79 | 118.96 | 118.81 | 0.15 |
| 25 | K06 | Energy | 7879 | 4997.49 | 12876.49 | 12467.58 | 408.91 | 408.91 | 0.00 |
| 26 | K07 | Industries | 3904.91 | 2765.17 | 6670.08 | 6481.39 | 188.69 | 424.62 | -235.93 |
| 27 | L02 | District Administration | 6927.34 | 1162 | 8089.34 | 7522.53 | 566.81 | 566.08 | 0.73 |
| 28 | L03 | Rural Development Programmes | 11075.30 | 4013.15 | 15088.45 | 10190.85 | 4897.59 | 4897.73 | -0.14 |
| 29 | M02 | Food Storage and Warehousing | 3210.67 | 1943.27 | 5153.94 | 3970.35 | 1183.59 | 1182.95 | 0.64 |

| Appendix- 3.5 (contd...) | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | |
| Sr. No | Grant | Description | Original | Sup | Total | Actual | Savings | Surrender | Savings excluding Surrender |
| 30 | N03 | Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | 14779.37 | 3133.61 | 17912.98 | 13010.53 | 4902.46 | 4937.39 | -34.93 |
| 31 | O01 | District Administration | 966.57 | 0 | 966.57 | 678.55 | 288.02 | 287.95 | 0.07 |
| 32 | O02 | Social Security and Welfare | 300.04 | 0 | 300.04 | 169.19 | 130.85 | 130.84 | 0.01 |
| 33 | O03 | Rural Employment | 3634.03 | 150 | 3784.03 | 1863.57 | 1920.46 | 1920.27 | 0.19 |
| 34 | O04 | Other Rural Development Programmes | 100.12 | 0 | 100.12 | 0.06 | 100.06 | 100.06 | 0.00 |
| 35 | Q03 | Housing | 9283.10 | 0 | 9283.10 | 1699.09 | 7584.01 | 7584.02 | -0.01 |
| 36 | R01 | Medical and Public Health | 13935.34 | 2842.91 | 16778.25 | 13156.9 | 3621.34 | 3621.93 | -0.59 |
| 37 | S01 | Medical and Public Health | 4810.44 | 455.61 | 5266.05 | 4263.62 | 1002.42 | 1012.3 | -9.88 |
| 38 | T05 | Revenue Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 11485.24 | 1836.17 | 13321.41 | 9542.71 | 3778.7 | 3781.25 | -2.55 |
| 39 | U04 | Ecology and Environment | 473.45 | 0 | 473.45 | 220.62 | 252.83 | 252.83 | 0.00 |
| 40 | V02 | Co-operation | 1660.45 | 6601.62 | 8262.07 | 7758.5 | 503.58 | 511.06 | -7.48 |
| 41 | W02 | General Education | 9258.89 | 303.74 | 9562.63 | 9120.16 | 442.47 | 442.49 | -0.02 |
| 42 | X01 | Social Security and Nutrition | 4042.05 | 1873.79 | 5915.84 | 5340.53 | 575.31 | 568.48 | 6.83 |
| 43 | Y02 | Water Supply and Sanitation | 10861.85 | 716.16 | 11578.01 | 3911.68 | 7666.33 | 7666.16 | 0.17 |
| 44 | ZA02 | Social Security and Welfare | 2839.27 | 41.77 | 2881.04 | 2153.89 | 727.15 | 725.9 | 1.25 |
| 45 | ZC01 | Parliament / State/ Union Territory Legislatures | 327.56 | 97.36 | 424.92 | 291.31 | 133.61 | 126.17 | 7.44 |
| 46 | ZD02 | Art and Culture | 328.72 | 583.08 | 911.8 | 687.56 | 224.24 | 223.58 | 0.66 |
| 47 | ZD04 | Tourism | 1814 | 0 | 1814 | 821.17 | 992.83 | 990.04 | 2.79 |
| 48 | ZE01 | Minorities Development | 784.28 | 0.2 | 784.48 | 406.65 | 377.84 | 376.21 | 1.63 |
| 49 | ZG03 | Welfare of Scheduled Castes | 3721.41 | 1843.23 | 5564.64 | 4805.63 | 759.02 | 757.80 | 1.22 |
| 50 | ZH03 | Soil and Water Conservation | 605.63 | 20.68 | 626.31 | 449.17 | 177.14 | 180.72 | -3.58 |
| | | TOTAL | 334665.64 | 54812.07 | 389477.71 | 313946.35 | 75531.39 | 72737.25 | 2794.14 |
| Capital Voted | | | | | | | | | |
| 51 | A09 | Capital Outlay on Public Works | 159.10 | 432.73 | 591.83 | 457.9 | 133.93 | 133.93 | 0 |
| 52 | B10 | Capital Expenditure on Economic Services | 2571.10 | 425 | 2996.10 | 2458.66 | 537.44 | 585.94 | -48.50 |
| Capital Voted | | | | | | | | | |
| 53 | B11 | Loans to Government Servents,etc | 94.04 | 100 | 194.04 | 68.69 | 125.35 | 125.04 | 0.31 |
| 54 | C10 | Capital Expenditure on Economic Services | 1177.94 | 14.01 | 1191.95 | 975.98 | 215.97 | 0 | 215.97 |
| 55 | D09 | Capital Expenditure on Animal Husbandry | 173.51 | 16.80 | 190.31 | 62.62 | 127.69 | 127.69 | 0 |

| Appendix- 3.5 (concl'd) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | |
| Sr. No | Grant | Description | Original | Sup | Total | Actual | Savings | Surrender | Savings excluding Surrender |
| 56 | E04 | Expenditure on Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture | 307.30 | 0 | 307.30 | 203.97 | 103.33 | 103.33 | 0 |
| 57 | F05 | Capital Expenditure on Social Services | 1126.20 | 6220 | 7346.20 | 5053.82 | 2292.38 | 2292.38 | 0 |
| 58 | F07 | Loans for Urban Development | 1548.30 | 1649 | 3197.3 | 2986.56 | 210.74 | 0.04 | 210.70 |
| 59 | H07 | Capital Expenditure on Social Services and Economic Services | 14151.80 | 8325.56 | 22477.36 | 20847.23 | 1630.14 | 0 | 1630.14 |
| 60 | H08 | Capital Expenditure On Public Works Administrative and Functional Buildings | 3686.38 | 695.91 | 4382.29 | 1855.24 | 2527.05 | 0 | 2527.05 |
| 61 | I05 | Capital Expenditure on Irrigation | 15037.04 | 1504.52 | 16541.56 | 11551.26 | 4990.30 | 0 | 4990.30 |
| 62 | K11 | Capital Expenditure on Energy | 2047 | 702.40 | 2749.40 | 1345.81 | 1403.59 | 1403.59 | 0 |
| 63 | L07 | Capital Expenditure on Rural Development | 5404.98 | 241.17 | 5646.15 | 4119.83 | 1526.32 | 1526.31 | 0.01 |
| 64 | M04 | Capital Expenditure on Food | 13623.76 | 0 | 13623.76 | 9387.87 | 4235.89 | 4267.29 | -31.4 |
| 65 | N04 | Capital Expenditure on Social Services | 966.00 | 156.07 | 1122.07 | 699.71 | 422.36 | 426.20 | -3.84 |
| 66 | O10 | Capital Outlay on Other Rural Development Programmes | 5646.73 | 267.42 | 5914.15 | 1705.45 | 4208.70 | 4210.90 | -2.20 |
| 67 | S04 | Capital outlay on Medical and Public Health | 1022.47 | 0.00 | 1022.47 | 742.14 | 280.33 | 280.29 | 0.04 |
| 68 | T06 | Capital Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 1164 | 44.13 | 1208.13 | 996.49 | 211.64 | 211.57 | 0.07 |
| 69 | V03 | Capital Expenditure on Social Services | 392.80 | 0.00 | 392.80 | 225.11 | 167.69 | 170.16 | -2.47 |
| 70 | ZC03 | Loans to Government Servants,etc | 201.08 | 0.00 | 201.08 | 1.00 | 200.08 | 200.08 | 0.00 |
| 71 | ZH05 | Capital Expenditure on Irrigation | 3396.57 | 343.99 | 3740.56 | 2464 | 1276.56 | 1276.57 | -0.01 |
| TOTAL | | | 73898.10 | 21138.71 | 95036.81 | 68209.34 | 26827.48 | 17341.31 | 9486.17 |
| GRAND TOTAL | | | 408563.74 | 75950.78 | 484514.52 | 382155.69 | 102358.87 | 90078.56 | 12280.31 |

| Appendix – 3.6 | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 3.3.4.1.; Page 72)</i> | | | | | | |
| Grants which closed with savings of more than ₹ 100 crore persistently during 2018-19 to 2022-23 | | | | | | |
| (₹ in crore) | | | | | | |
| S. No. | Number and Name of the grant | Amount of savings as percentage to total grants | | | | |
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| Revenue Voted | | | | | | |
| 1 | A04-Secretariat and Miscellaneous General Services | 462.38 (33.06) | 527.27 (40.13) | 650.59 (57.17) | 354.89 (30.5) | 672.32 (51.4) |
| 2 | B01-Police Administration | 1426.59 (10.43) | 1332.3 (7.56) | 4807.56 (23.59) | 4111.43 (18.9) | 4738.43 (19.17) |
| 3 | B03-Transport Administration | 333.0 (315.94) | 882.07 (33.85) | 241.69 (7.62) | 1728.4 (39.19) | 742.97 (15.88) |
| 4 | C01-Revenue and District Administration | 638.25 (27.77) | 580.62 (20.99) | 689.09 (24.26) | 541.76 (18.19) | 428.25 (13.34) |
| 5 | C07-Forest | 481.3 (17.06) | 1170.36 (36.11) | 1135.09 (36.38) | 1012.92 (30.12) | 1016.35 (26.68) |
| 6 | D03-Agriculture Services | 1790.18 (23.46) | 2342.02 (25.46) | 3116.51 (31.88) | 2123.15 (20.99) | 2699.39 (21.53) |
| 7 | D04-Animal Husbandry | 161.51 (14.8) | 316.28 (21.16) | 343.18 (25.44) | 250.41 (17.36) | 221.86 (13.96) |
| 8 | E02-General Education | 7318.33 (14.81) | 5826.17 (9.95) | 7512.96 (12.69) | 6771.6 (10.73) | 2067.43 (3.08) |
| 9 | E03-Secretariat and Other Social Services | 110.95 (26.87) | 147.58 (44.94) | 270.35 (58.48) | 266.51 (51.91) | 180.04 (30.5) |
| 10 | F02-Urban Development and Other Advance Services | 4016.56 (31.05) | 5818.92 (40.24) | 8916.7 (52.75) | 2961.01 (20.11) | 5835.68 (32.71) |
| 11 | G02-Other Fiscal and Miscellaneous Services | 9802.7 (96.69) | 1522.58 (87.86) | 1549.9 (85.28) | 2546.31 (90.77) | 1536.67 (85.32) |
| 12 | H05-Roads and Bridges | 220.12 (4.17) | 1371.32 (19.08) | 2954.36 (43.14) | 1843.62 (24.69) | 481.95 (4.95) |
| 13 | H06-Public Works and Administrative and Functional Buildings | 696.87 (25.83) | 519.73 (17.73) | 1106.37 (35.02) | 866.86 (25.1) | 673.78 (18.18) |
| 14 | I03-Irrigation,Power and Other Economic Services | 430.43 (21.4) | 438.65 (19.84) | 684.46 (29.69) | 672.34 (28.71) | 686.32 (28.13) |
| 15 | J01-Administration of Justice | 348.81 (19.42) | 361.54 (16.7) | 635.1 (27) | 591.52 (23.22) | 529.27 (17.4) |
| 16 | L02-District Administration | 592.72 (13.16) | 305.69 (5.41) | 365.68 (6.04) | 495.81 (7.1) | 566.81 (7.01) |
| 17 | L03-Rural Development Programmes | 1807.25 (22.2) | 3857.82 (35.61) | 5197.77 (42.3) | 6735.29 (48.08) | 4897.6 (32.46) |
| 18 | M02-Food Storage and Warehousing | 208.61 (8.67) | 914.5 (29.95) | 958.62 (28.32) | 355.79 (11.44) | 1183.59 (22.96) |
| 19 | O03-Rural Employment | 3960.53 (76.99) | 4091.9 (79.62) | 2069.4 (76.15) | 1591.13 (53.02) | 1920.46 (50.75) |
| 20 | O04-Other Rural Development Programmes | 505.23 (99.99) | 2175.44 (100) | 100.91 (99.79) | 100.06 (99.94) | 100.06 (99.94) |
| 21 | Q03-Housing | 706.71 (51.29) | 7029.6 (98.36) | 3737.58 (83.55) | 4170.53 (91.95) | 7584.02 (81.7) |
| 22 | R01-Medical and Public Health | 2181.51 (20.18) | 2140.79 (18.47) | 2155.44 (16.7) | 3790.63 (22.27) | 3621.35 (21.58) |
| 23 | S01-Medical and Public Health | 467.12 (14.17) | 525.94 (13.51) | 1062.72 (22.63) | 959.09 (19.45) | 1002.42 (19.04) |
| 24 | T05-Revenue Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 3148.46 (44.69) | 2644.61 (33.83) | 3259.72 (35.04) | 4748.6 (42.93) | 3778.7 (28.37) |

| Appendix – 3.6 (Concl'd) | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | |
| Sr. No. | Number and Name of the grant | Amount of savings as percentage to total grants | | | | |
| | | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| 25 | V02-Co-operation | 5523.66 (44.97) | 14176.42 (67.19) | 1430.45 (7.43) | 329.81 (12.82) | 503.58 (6.1) |
| 26 | W02-General Education | 1082.55 (16.3) | 2212.79 (27.44) | 1242.18 (15.06) | 1176.9 (13.23) | 442.48 (4.63) |
| 27 | X01-Social Security and Nutrition | 670.22 (14.64) | 912.04 (17.77) | 1146.99 (20.94) | 357.82 (6.71) | 575.31 (9.72) |
| 28 | Y02-Water Supply and Sanitation | 2436.6 (48.11) | 4562.6 (69.04) | 3625.97 (65.82) | 6282.32 (74.88) | 7666.33 (66.21) |
| 29 | ZA02-Secretariat and other Social Services | 557.7 (27.69) | 844 (32.84) | 837.01 (32.63) | 894.41 (33.05) | 727.15 (25.24) |
| 30 | ZD04-Tourism | 104.34 (22.36) | 393.74 (66.67) | 1030.46 (82.44) | 760.48 (51.49) | 992.83 (54.73) |
| 31 | ZE01-Minorities Development | 268.18 (65.69) | 308.28 (57.93) | 415.2 (67.82) | 355.07 (41.03) | 377.84 (48.16) |
| Capital Voted | | | | | | |
| 32 | B10-Capital Expenditure on Economic Services | 595.83 (30.03) | 861.15 (45.15) | 1112.33 (62.03) | 476.61 (20.98) | 537.44 (17.94) |
| 33 | H08-Capital Expenditure On Public Works Administrative and Functional Buildings | 780.94 (41.24) | 1202.08 (62.08) | 1407.91 (55.12) | 2986.1 (65.79) | 2527.05 (57.67) |
| 34 | I05-Capital Expenditure on Irrigation | 859.41 (6.81) | 1872.33 (14.53) | 4508.03 (35.16) | 3398.07 (23.11) | 4990.3 (30.17) |
| 35 | L07-Capital Expenditure on Rural Development | 1020.95 (36.21) | 1371.47 (48.81) | 1700.48 (59.91) | 826.73 (19.76) | 1526.31 (27.03) |
| 36 | M04-Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing | 245.83 (5.45) | 596.06 (9.13) | 2527.62 (22.28) | 3319.36 (25.5) | 4235.89 (31.09) |
| 37 | N04-Capital Expenditure on Social Services | 917.63 (89.18) | 205.78 (62.3) | 248.13 (75.64) | 212.22 (35.38) | 422.36 (37.64) |
| 38 | O10-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes | 3655.18 (80.74) | 7316.26 (88.95) | 5467.6 (84.91) | 4921.54 (76.82) | 4208.7 (71.16) |
| 39 | T06-Capital Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 147.24 (15.95) | 212.05 (30.51) | 228.54 (26.99) | 408.42 (46.22) | 211.64 (17.52) |
| Source: Information obtained from VLC of Accountant General (A&E)-I, Maharashtra, Mumbai | | | | | | |

| Appendix –3.7 | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 3.3.5.2; Page 74)</i> | | | | |
| Excess expenditure remaining un-regularised | | | | |
| (₹ in crore) | | | | |
| Year | Grant No./ Appropriation | Grant/Appropriation details | Amount of excess required to be regularised | Status of regularization |
| 2017-18 | B-01 | Police Administration | 0.10 | Yet to be regularized |
| | C-09 | Capital Expenditure on Other Administrative Services and on Social Services | 0.47 | Yet to be regularized |
| | C-11 | Internal Debt of the State Government | 0.005 | Yet to be regularized |
| | D-01 | Interest Payments | 1.83 | Yet to be regularized |
| | G-06 | Pensions and Other Retirement Benefits | 6.86 | Yet to be regularized |
| | L-01 | Interest Payments | 9.34 | Yet to be regularized |
| | O-22 | District Plan-Ratnagiri | 0.27 | Yet to be regularized |
| | O-27 | District Plan-Pune | 0.03 | Yet to be regularized |
| | O-31 | District Plan-Sangli | 0.0001 | Yet to be regularized |
| | O-43 | District Plan-Ahmednagar | 0.0038 | Yet to be regularized |
| | O-46 | District Plan-Aurangabad | 0.68 | Yet to be regularized |
| | O-47 | District Plan-Aurangabad | 0.03 | Yet to be regularized |
| | O-48 | District Plan-Jalna | 0.21 | Yet to be regularized |
| | O-49 | District Plan-Jalna | 1.09 | Yet to be regularized |
| | O-53 | District Plan-Nanded | 2.54 | Yet to be regularized |
| | O-59 | District Plan-Osmanabad | 0.48 | Yet to be regularized |
| | O-74 | District Plan-Amaravati | 0.30 | Yet to be regularized |
| | O-81 | District Plan-Buldhana | 0.0019 | Yet to be regularized |
| | T-02 | Co-operation | 21.88 | Yet to be regularized |
| | W-07 | Revenue Expenditure on Removal of Regional Imbalance | 1.03 | Yet to be regularized |
| 15 Grants and 5 Appropriation | | | 47.15 | |
| 2018-19 | C-06 | Relief on account of natural calamities | 943.19 | Yet to be regularized |
| | C-11 | Internal debt of the State Government | 0.0007 | Yet to be regularized |
| | H-08 | Capital Expenditure of Public Works Administrative and Functional Building | 0.0001 | Yet to be regularized |
| | L-01 | Interest Payment | 2.71 | Yet to be regularized |
| | O-18 | District Plan,Thane | 0.0007 | Yet to be regularized |
| | O-52 | District Plan, Nanded | 0.07 | Yet to be regularized |
| | O-58 | District Plan, Osmanabad | 0.0022 | Yet to be regularized |
| | O-68 | District Plan, Chandrapur | 0.16 | Yet to be regularized |
| | O-78 | District Plan, Yavtmal | 0.03 | Yet to be regularized |
| | 6 Grants and 3 Appropriation | | | 946.16 |
| 2019-20 | C06 | Relief on account of Natural Calamities | 965.370 | Yet to be regularized |
| | G01 | Sales Tax Administration | 0.049 | Yet to be regularized |
| | K07 | Industries | 0.901 | Yet to be regularised |
| | N01 | Interest payment | 0.008 | Yet to be regularised |
| | O28 | District Plan, Satara | 0.004 | Yet to be regularised |
| | S05 | Loans to Govt Servants | 11.846 | Yet to be regularised |
| | U01 | Interest Payment | 0.109 | Yet to be regularised |
| | 3 Grants and 4 Appropriation | | | 978.29 |

| Appendix –3.7 (concl'd) | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--------------------------|
| (₹ in crore) | | | | |
| Year | Grant No./ Appropriation | Grant/Appropriation details | Amount of excess required to be regularised | Status of regularization |
| 2020-21 | G-06 | Pensions and Other Retirement Benefits | 420.01 | Yet to be regularised |
| | O-18 | District Plan-Thane | 0.028 | Yet to be regularised |
| | O-26 | District Plan- Pune | 0.011 | Yet to be regularised |
| | O-31 | District Plan- Sangli | 0.003 | Yet to be regularised |
| | O-47 | District Plan-Aurangabad | 0.005 | Yet to be regularised |
| | O-77 | District Plan-Akola | 0.001 | Yet to be regularised |
| | O-78 | District Plan-Yavatmal | 0.17 | Yet to be regularised |
| | O-85 | District Plan-Palghar | 0.0004 | Yet to be regularised |
| | T-01 | Interest Payments | 40.337 | Yet to be regularised |
| | | 8 Grants and 1 Appropriation | | 460.57 |
| 2021-22 | C-05 | Other Social Services | 0.02 | Yet to be regularised |
| | G-06 | Pensions and Other Retirement Benefits | 467.39 | Yet to be regularised |
| | O-27 | District Plan, Pune | 0.02 | Yet to be regularised |
| | O-32 | District Plan, Solapur | 0.12 | Yet to be regularised |
| | O-38 | District Plan, Dhule | 0.01 | Yet to be regularised |
| | O-42 | District Plan, Ahmednagar | 0.15 | Yet to be regularised |
| | O-54 | District Plan Beed | 2.68 | Yet to be regularised |
| | O-71 | District Plan Gadchiroli | 0.99 | Yet to be regularised |
| | O-77 | District Plan Akola | 0.02 | Yet to be regularised |
| | O-82 | District Plan Washim | 0.14 | Yet to be regularised |
| | G-06 | Pensions and Other Retirement Benefits | 14.39 | Yet to be regularised |
| | ZA-02 | Secretariat and other social services | 0.42 | Yet to be regularised |
| | | 10 Grants and 2 Appropriation | | 486.35 |
| 42 Grants and 15 Appropriation | | | 2918.52 | |
| Source: Appropriation Accounts of the respective years | | | | |

| Appendix 3.8 | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|--|
| <i>(Paragraph 3.4.2, Page 75)</i> | | | | | |
| Details of the schemes for which provision (₹ 100 crore and above) was made but was either withdrawn or no expenditure was incurred | | | | | |
| S. No | Grant No. | Head of Account | Outlay (Original +Supplementary) (₹ in crore) | Revised Outlay (after reappropriation) (₹ in crore) | Reasons for reappropriation/ surrender of the entire amounts |
| 1 | C06 | 2245-01-102-009-Emergency supply of drinking water | 200.00 | 0.00 | Transfer of funds to the other scheme to provide assistance to farmers owing to loss of agricultural crops due to heavy rainfall |
| 2 | D03 | 2401-00-113-B40-Loans from NABARD under Dedicated Micro Irrigation Fund (DMIF) for top up subsidy under Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana (Scheme) | 333.38 | 0.00 | Non-receipt of loan from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) |
| 3 | F02 | 2217-80-191-991-Assistance to Municipal Corporations for Smart City Abhiyan (Central Share 50 per cent) | 1116.00 | 0.00 | Withdrawal of entire provision was made without assigning any proper reason |
| 4 | F02 | 2217-80-191-992-Assistance to Municipal Corporations for Smart City Abhiyan (State Share 25 per cent) | 558.00 | 0.00 | Withdrawal of entire provision was made without assigning any proper reason |
| 5 | L03 | 2235-02-103-C12-Subsidy for providing Sanitary Napkins at concessional rates to school going girls in rural areas under Asmita Programme (State Scheme) | 262.39 | 0.00 | Surrender of entire provision was attributed to non finalization of revised plan of implementation of Asmita Scheme at Government level |
| 6 | L03 | 3054-04-196-291-Purposive Grant To Zilla Parishads For Repairs of roads and bridges damaged due to heavy rain and flood | 300.00 | 0.00 | Attributed to non receipt of proposal of work from Regional Offices and cut imposed on provision in Revised Estimate by the Finance Department |
| 7 | L07 | 4515-00-103-094-Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (Central Share 100 per cent) | 228.40 | 0.00 | Withdrawal of entire provision was attributed to technical difficulty in mapping of SNA Account for the sub head |
| 8 | R01 | 2210-01-110-H18-Urban Health and Wellness Centres (committed) | 774.13 | 0.00 | Surrender of entire provision was attributed to non-release of funds approved by the 15th Finance Commission from the Central Government |
| 9 | R01 | 2210-01-110-H46-Pradhanmantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (Central Share 60 per cent) | 111.10 | 0.00 | Surrender of the entire provision was attributed to non-release of Central Share from the Central Government |

| Appendix 3.8 (contd..) | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---|---|--|
| S. No | Grant No. | Head of Account | Outlay (Original +Supplementary) (₹ in crore) | Revised Outlay (after reappropriation) (₹ in crore) | Reasons for reappropriation/ surrender of the entire amounts |
| 10 | T05 | 2215-01-796-985-National Rural Drinking Water Programme (CSS) | 800.00 | 0.00 | Surrender of entire provision was attributed to Central share being directly credited to Escrow account as per guidelines of the Central Government under Jal Jeevan Mission. |
| 11 | T05 | 2225-02-796- Central Sector Scheme for Development of Primitive Tribes (Central Share 100 per cent) | 100.00 | 0.00 | Surrender of the entire provision was attributed to actual expenditure incurred in proportion to the funds received from Central Government. |
| 12 | Y02 | 2215-02-107-983-Swachh Bharat Mission (Central Share) Centrally Sponsored Scheme | 1410.60 | 0.00 | Surrender of the entire provision was attributed to non-receipt of funds from the Central Government |
| 13 | Y02 | 2215-01-196-A02-Grant-in-aid for Water Supply Scheme for Marathwada Division by Integrated Grid Process (Scheme) | 200.00 | 0.00 | Surrender of the entire provision was attributed to no demand from the Implementing Agencies. |
| 14 | Y02 | 2215-01-102-996-Operation and Maintenance of Regional Water Supply Scheme | 150.00 | 0.00 | Surrender of the entire provision was attributed to non-receipt of complete proposals from Regional Offices under the scheme (₹ 1840.61 lakh) and reappropriation of funds to other scheme |
| 15 | ZC03 | 4216-01-051-177- Redevelopment of Manora Amdar Niwas, Mumbai (Scheme) | 200.00 | 0.00 | Surrender of the entire provision was done without assigning any proper reason. |
| 16 | ZG03 | 2225-03-277-E99-Post Matric Scholarship to Other Backward Classes Students Centrally Sponsored Scheme 100 per cent | 250.00 | 0.00 | Surrender of the entire provision was attributed to non release of Central Share by the Central Government |
| Total | | | 6994.00 | 0.00 | |

| Appendix 3.9 (Reference: Paragraph 3.5.2.1 page 79) Statement showing quarter-wise expenditure for all Grants during the year 2022-23 (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | 1st QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| A01 | Governor and Council of Ministers | 71.22 | 11.36 | 11.37 | 10.57 | 19.11 | 8.28 | 52.42 | 36.46 | 15.79 |
| A02 | Elections | 374.03 | 35.22 | 85.64 | 71.87 | 120.87 | 69.15 | 313.61 | 38.54 | 22.05 |
| A03 | Public Service Commission | 106.23 | 11.41 | 28.49 | 41.31 | 19.11 | 7.79 | 100.31 | 19.05 | 7.77 |
| A04 | Secretariat and Miscellaneous General Services | 1308.02 | 62.30 | 84.71 | 229.97 | 258.71 | 202.53 | 635.69 | 40.70 | 31.86 |
| A05 | Social Services | 438.81 | 26.80 | 29.54 | 88.67 | 87.43 | 34.49 | 232.44 | 37.61 | 14.84 |
| A06 | Information and Publicity | 369.10 | 17.39 | 21.21 | 20.83 | 62.52 | 48.09 | 121.95 | 51.26 | 39.43 |
| A07 | Civil Aviation | 590.55 | 0.05 | 52.91 | 153.79 | 206.69 | 60.78 | 413.44 | 49.99 | 14.70 |
| A08 | Census Surveys and Statistics | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A09 | Capital Outlay on Public Works | 591.83 | 0.00 | 3.19 | 2.35 | 452.35 | 442.92 | 457.90 | 98.79 | 96.73 |
| A10 | Loans to Government Servants, etc | 10.42 | 1.37 | 2.65 | 2.59 | 2.57 | 1.51 | 9.19 | 28.02 | 16.48 |
| B01 | Police Administration | 24722.28 | 4967.23 | 5632.02 | 4968.75 | 4415.01 | 1918.38 | 19983.01 | 22.09 | 9.60 |
| B02 | State Excise | 214.77 | 50.97 | 57.64 | 53.86 | 50.86 | 23.59 | 213.33 | 23.84 | 11.06 |
| B03 | Transport Administration | 4779.20 | 734.66 | 684.19 | 635.38 | 1972.00 | 1374.29 | 4026.24 | 48.98 | 34.13 |
| B04 | Secretariat and Other General Services | 84.63 | 15.10 | 15.78 | 17.96 | 14.15 | 6.66 | 62.99 | 22.46 | 10.58 |
| B05 | Jails | 525.16 | 96.93 | 110.68 | 135.10 | 123.29 | 61.16 | 465.99 | 26.46 | 13.12 |
| B06 | General Social Services | 7.62 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | 4.05 | 3.89 | 5.14 | 78.87 | 75.72 |
| B07 | Economic Services | 2051.83 | 249.00 | 95.32 | 394.93 | 314.78 | 314.78 | 1054.03 | 29.86 | 29.86 |
| B08 | Flood Control Projects | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100.00 | 100.00 |
| B09 | Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B10 | Capital Expenditure on Economic Services | 2996.10 | 121.30 | 530.33 | 362.28 | 1444.76 | 1438.56 | 2458.66 | 58.76 | 58.51 |
| B11 | Loans to Government Servants, etc | 194.04 | 0.87 | 9.12 | 6.73 | 51.97 | 49.61 | 68.69 | 75.66 | 72.21 |
| B12 | Loans for Flood Control | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C01 | Revenue and District Administration | 3209.52 | 651.41 | 733.97 | 658.52 | 737.36 | 327.87 | 2781.27 | 26.51 | 11.79 |
| C02 | Stamps and Registration | 418.77 | 65.21 | 92.09 | 83.21 | 172.05 | 48.13 | 412.56 | 41.70 | 11.67 |
| C03 | Interest Payments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C04 | Secretariat and Other General Services | 70.89 | 12.18 | 16.52 | 14.28 | 14.13 | 9.04 | 57.11 | 24.74 | 15.83 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| C05 | Other Social Services | 53.78 | 7.08 | 18.12 | 10.69 | 12.41 | 6.70 | 48.29 | 25.69 | 13.88 |
| C06 | Relief on account of Natural Calamities | 14908.47 | 117.11 | 4408.87 | 3036.57 | 4239.01 | 3676.42 | 11801.56 | 35.92 | 31.15 |
| C07 | Forest | 3809.20 | 524.48 | 563.73 | 651.14 | 1053.50 | 663.25 | 2792.85 | 37.72 | 23.75 |
| C08 | Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.10 | 0.70 | 4.90 | 42.86 | 14.29 |
| C09 | Capital Expenditure on Other Administrative and Social Services | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 7.44 | 7.66 | 100.00 | 97.17 |
| C10 | Capital Expenditure on Economic Services | 1191.95 | 0.00 | 173.12 | 171.21 | 631.65 | 530.00 | 975.98 | 64.72 | 54.30 |
| C11 | Internal Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C12 | Loans to Government Servants, etc | 151.25 | 0.00 | 21.51 | 18.33 | 106.91 | 68.05 | 146.75 | 72.85 | 46.37 |
| D01 | Interest Payments | 42.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 13.77 | 100.00 | 0.00 |
| D02 | Social Security and Welfare | 0.98 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.55 | 39.56 | 28.57 |
| D03 | Agriculture Services | 12535.86 | 1237.89 | 2734.71 | 1572.58 | 4291.29 | 2351.90 | 9836.47 | 43.63 | 23.91 |
| D04 | Animal Husbandry | 1589.06 | 278.12 | 356.95 | 320.71 | 411.39 | 200.92 | 1367.17 | 30.09 | 14.70 |
| D05 | Dairy Development | 459.17 | 48.79 | 67.17 | 54.19 | 81.34 | 56.58 | 251.50 | 32.34 | 22.50 |
| D06 | Fisheries | 368.40 | 16.50 | 32.81 | 65.72 | 159.26 | 97.97 | 274.29 | 58.06 | 35.72 |
| D07 | Secretariat and other Economic Services | 57.45 | 5.00 | 11.36 | 7.55 | 12.92 | 9.87 | 36.82 | 35.07 | 26.81 |
| D08 | Expenditure on Agricultural Services | 14.87 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | 1.89 | 1.26 | 2.53 | 74.80 | 49.56 |
| D09 | Capital Expenditure on Animal Husbandry | 190.31 | 0.00 | 12.53 | 2.96 | 47.14 | 44.66 | 62.62 | 75.27 | 71.31 |
| D10 | Capital Expenditure on Fisheries | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D11 | Internal Debt | 21.47 | 0.00 | 0.61 | 2.49 | 17.93 | 16.43 | 21.02 | 85.27 | 78.17 |
| E01 | Interest Payments | 2671.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2657.45 | 666.28 | 2657.45 | 100.00 | 25.07 |
| E02 | General Education | 67227.31 | 18345.96 | 14507.20 | 15024.46 | 17281.82 | 8020.17 | 65159.45 | 26.52 | 12.31 |
| E03 | Secretariat and Other Social Services | 590.31 | 34.17 | 78.89 | 57.94 | 239.27 | 208.25 | 410.27 | 58.32 | 50.76 |
| E04 | Expenditure on Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture | 307.30 | 0.64 | 31.83 | 23.01 | 148.49 | 98.77 | 203.97 | 72.80 | 48.42 |

State Finances Audit Report for the year ended 31 March 2023

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | 1st QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| E05 | Loans to Government Servants, etc. | 11.76 | 0.00 | 0.46 | 1.05 | 4.47 | 1.92 | 5.98 | 74.71 | 32.08 |
| F01 | Interest Payments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F02 | Urban Development and Other Advance Services | 17839.04 | 789.85 | 1302.66 | 3007.34 | 6903.50 | 3715.86 | 12003.34 | 57.51 | 30.96 |
| F03 | Secretariat and Other Social Services | 247.30 | 5.06 | 7.34 | 46.31 | 68.70 | 66.23 | 127.42 | 53.92 | 51.98 |
| F04 | Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions | 26503.76 | 8128.75 | 6240.47 | 6652.16 | 5442.90 | 3421.21 | 26464.28 | 20.57 | 12.93 |
| F05 | Capital Expenditure on Social Services | 7346.20 | -4.85 | 126.17 | 306.32 | 4626.18 | 4585.85 | 5053.82 | 91.54 | 90.74 |
| F07 | Loans for Urban Development | 3197.30 | 0.00 | 539.14 | 1149.45 | 1297.97 | 1297.97 | 2986.56 | 43.46 | 43.46 |
| F08 | Loans to Government Servants, etc.. | 4.80 | 0.57 | 0.96 | 0.89 | 1.25 | 1.25 | 3.67 | 34.15 | 34.15 |
| G01 | Sales Tax Administration | 1021.73 | 220.84 | 285.00 | 243.75 | 244.26 | 127.96 | 993.84 | 24.58 | 12.88 |
| G02 | Other Fiscal and Miscellaneous Services | 1801.16 | 9.74 | 9.16 | 11.69 | 233.89 | 7.82 | 264.48 | 88.44 | 2.96 |
| G03 | Interest Payments and Debt Servicing | 42526.52 | 8245.65 | 8436.62 | 9097.70 | 11651.13 | 3077.15 | 37431.10 | 31.13 | 8.22 |
| G04 | Secretariat - General Services | 54.62 | 9.82 | 15.02 | 8.74 | 10.03 | 6.00 | 43.61 | 23.00 | 13.76 |
| G05 | Treasury and Accounts Administration | 482.29 | 118.64 | 117.04 | 105.77 | 122.50 | 63.43 | 463.95 | 26.40 | 13.67 |
| G06 | Pensions and Other Retirement Benefits | 47526.43 | 13113.45 | 11791.84 | 9456.60 | 8748.09 | 1763.01 | 43109.98 | 20.29 | 4.09 |
| G07 | Social Security and Welfare | 144.50 | 27.59 | 30.49 | 25.15 | 50.10 | 25.45 | 133.33 | 37.57 | 19.09 |
| G08 | Capital Outlay on Other Administrative Services | 633.70 | 127.12 | 0.00 | 20.58 | 486.00 | 386.00 | 633.70 | 76.69 | 60.91 |
| G09 | Public Debt and Inter State Settlement | 51956.09 | 17372.97 | 9590.15 | 5798.33 | 11001.94 | 5260.20 | 43763.40 | 25.14 | 12.02 |
| G10 | Loans to Government Servants, etc | 145.96 | 0.29 | 11.37 | 30.17 | 98.27 | 96.55 | 140.10 | 70.15 | 68.91 |
| GNIL | Appropriation to Contingency Fund | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| H02 | Other Administrative and Social Services | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.45 | 0.27 | 0.50 | 89.95 | 55.09 |
| H03 | Housing | 737.55 | 21.69 | 87.29 | 59.73 | 534.24 | 374.98 | 702.96 | 76.00 | 53.34 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| H04 | Secretariat and Other Economic Services | 82.10 | 11.33 | 15.12 | 14.06 | 12.15 | 4.60 | 52.67 | 23.07 | 8.73 |
| H05 | Roads and Bridges | 9740.78 | 996.47 | 1352.65 | 1260.39 | 5649.17 | 2952.69 | 9258.68 | 61.01 | 31.89 |
| H06 | Public Works and Administrative and Functional Buildings | 3710.76 | 545.69 | 786.25 | 654.48 | 1049.79 | 633.55 | 3036.21 | 34.58 | 20.87 |
| H07 | Capital Expenditure on Social Services and Economic Services | 22477.37 | 3276.36 | 2799.33 | 4321.14 | 10450.40 | 8063.15 | 20847.23 | 50.13 | 38.68 |
| H08 | Capital Expenditure On Public Works Administrative and Functional Buildings | 4437.29 | 20.28 | 321.79 | 400.32 | 1156.85 | 856.42 | 1899.24 | 60.91 | 45.09 |
| H09 | Capital Outlay on Removal of Regional Imbalance | 72.00 | 0.00 | 0.08 | 4.13 | 18.27 | 13.39 | 22.48 | 81.26 | 59.54 |
| H11 | Loans for Other General Economic Services | 44.82 | 1.30 | 0.16 | 9.96 | 28.88 | 27.08 | 40.29 | 71.67 | 67.20 |
| I01 | Interest payments | 1214.85 | 242.25 | 240.79 | 250.22 | 254.63 | 254.63 | 987.89 | 25.78 | 25.78 |
| I02 | Social Security and Welfare | 2.00 | 0.02 | 0.39 | 0.19 | 0.47 | 0.39 | 1.07 | 44.49 | 36.61 |
| I03 | Irrigation, Power and Other Economic Services | 2440.15 | 269.20 | 318.09 | 279.28 | 887.25 | 129.95 | 1753.83 | 50.59 | 7.41 |
| I04 | Secretariat-Economic Services | 79.57 | 7.96 | 11.58 | 8.08 | 10.57 | 4.94 | 38.19 | 27.69 | 12.94 |
| I05 | Capital Expenditure on Irrigation | 16541.76 | 1644.66 | 2096.08 | 2198.50 | 5612.06 | 3708.59 | 11551.31 | 48.58 | 32.11 |
| I06 | Internal Debt | 1021.20 | 172.84 | 134.79 | 232.41 | 481.16 | 362.77 | 1021.19 | 47.12 | 35.52 |
| I07 | Loans to Government Servants, etc. | 65.29 | 1.24 | 13.64 | 17.77 | 29.00 | 26.34 | 61.66 | 47.04 | 42.71 |
| J01 | Administration of Justice | 3597.36 | 682.22 | 790.30 | 746.17 | 800.97 | 351.87 | 3019.66 | 26.53 | 11.65 |
| J02 | Secretariat and Other Social and Economic Services | 205.65 | 36.72 | 41.72 | 31.03 | 54.00 | 26.83 | 163.47 | 33.03 | 16.41 |
| J03 | Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 5.28 | 0.00 | 7.33 | 72.05 | 0.00 |
| J04 | Capital Outlay on Public Works | 13.00 | 0.31 | 1.61 | 3.32 | 6.08 | 0.49 | 11.32 | 53.70 | 4.31 |
| J05 | Loans to Government Servants, etc. | 26.50 | 0.00 | 2.46 | 3.84 | 17.96 | 8.48 | 24.26 | 74.02 | 34.97 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | 1st QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| K01 | Other Taxes and Duties on Commodities and Services | 66.10 | 14.72 | 19.25 | 14.09 | 16.60 | 6.28 | 64.66 | 25.67 | 9.72 |
| K03 | Stationery and Printing | 217.35 | 44.41 | 45.18 | 38.49 | 64.33 | 39.67 | 192.41 | 33.44 | 20.62 |
| K04 | Labour and Employment | 341.75 | 40.26 | 44.45 | 47.29 | 90.79 | 67.44 | 222.79 | 40.75 | 30.27 |
| K05 | Social Security and Welfare | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 83.33 | 70.83 |
| K06 | Energy | 12876.49 | 0.00 | 4845.76 | 2482.64 | 5139.18 | 5138.96 | 12467.58 | 41.22 | 41.22 |
| K07 | Industries | 6670.08 | 34.10 | 670.86 | 1311.79 | 4464.65 | 3123.53 | 6481.39 | 68.88 | 48.19 |
| K08 | Secretariat - Economic Services | 30.18 | 5.57 | 7.86 | 5.50 | 4.44 | 2.20 | 23.38 | 19.01 | 9.43 |
| K09 | Capital Expenditure on Economic and Social Services | 62.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.84 | 31.55 | 31.84 | 100.00 | 99.11 |
| K10 | Capital Expenditure on Industries | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.52 | 72.52 | 72.52 | 100.00 | 100.00 |
| K11 | Capital Expenditure on Energy | 2749.40 | 0.00 | 37.94 | 2.46 | 1305.41 | 1006.46 | 1345.81 | 97.00 | 74.78 |
| K13 | Loans to Government Servants, etc | 11.87 | 1.62 | 0.54 | 1.31 | 7.48 | 4.90 | 10.95 | 68.33 | 44.75 |
| L01 | Interest Payments | 1803.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 882.51 | 259.35 | 882.52 | 100.00 | 29.39 |
| L02 | District Administration | 8089.35 | 1736.83 | 2034.86 | 1794.87 | 1955.97 | 809.20 | 7522.53 | 26.00 | 10.76 |
| L03 | Rural Development Programmes | 15088.44 | 932.35 | 1716.89 | 2181.98 | 5359.63 | 3606.39 | 10190.85 | 52.59 | 35.39 |
| L04 | Secretariat-Economic Services | 82.92 | 6.14 | 9.11 | 5.87 | 6.81 | 2.55 | 27.93 | 24.38 | 9.12 |
| L05 | Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayati Raj Institutions | 4977.38 | 0.00 | 155.68 | 818.24 | 3751.66 | 2797.90 | 4725.58 | 79.39 | 59.21 |
| L07 | Capital Expenditure on Rural Development | 5646.15 | 210.00 | 634.49 | 1443.60 | 1831.74 | 1086.21 | 4119.83 | 44.46 | 26.37 |
| L08 | Loans to Government Servants, etc | 1.32 | 0.48 | 0.45 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1.29 | 28.17 | 0.00 |
| M01 | Social Security and Welfare | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 45.45 | 45.45 |
| M02 | Food Storage and Warehousing | 5179.47 | 118.09 | 392.47 | 134.92 | 3349.98 | 2651.87 | 3995.47 | 83.84 | 66.37 |
| M03 | Secretariat and Other Economic Services | 135.95 | 20.94 | 26.47 | 24.33 | 32.45 | 17.35 | 104.19 | 31.15 | 16.65 |
| M04 | Capital Expenditure on Food | 13623.76 | 1007.65 | 1532.02 | 2692.59 | 4155.61 | 2999.08 | 9387.87 | 44.27 | 31.95 |
| M05 | Capital Outlay on other General Economic Services | 12.11 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 6.76 | 5.27 | 7.19 | 93.95 | 73.19 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | (₹ in crore) |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| M06 | Loans to Government Servants, etc | 5.58 | 0.20 | 0.68 | 1.09 | 3.34 | 2.76 | 5.31 | 62.94 | 52.02 |
| N01 | Interest Payments | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 100.00 | 0.00 |
| N02 | Secretariat and Other Social Services | 1440.85 | 135.05 | 105.14 | 259.68 | 887.68 | 673.08 | 1387.54 | 63.98 | 48.51 |
| N03 | Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes | 17913.04 | 909.98 | 2288.78 | 2911.03 | 6900.74 | 5289.84 | 13010.53 | 53.04 | 40.66 |
| N04 | Capital Expenditure on Social Services | 1122.07 | 0.00 | 74.65 | 185.10 | 439.96 | 430.01 | 699.71 | 62.88 | 61.46 |
| N05 | Loans to Government Servants etc. | 3.26 | 0.38 | 0.24 | 0.77 | 1.55 | 0.82 | 2.93 | 52.75 | 28.14 |
| N06 | Social Justice and Special Assistance Department | 2645.32 | 2.77 | 12.47 | 69.63 | 2557.61 | 2301.33 | 2642.47 | 96.79 | 87.09 |
| N07 | District Schemes | 81.03 | 0.17 | 5.44 | 2.95 | 72.26 | 68.54 | 80.81 | 89.42 | 84.82 |
| N08 | Loans for Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | 2.29 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 1.88 | 1.60 | 1.90 | 99.19 | 84.41 |
| O01 | District Administration | 966.57 | 12.19 | 40.43 | 30.08 | 595.85 | 550.08 | 678.55 | 87.81 | 81.07 |
| O02 | Social Security and Welfare | 300.04 | 0.00 | 4.01 | 1.44 | 163.74 | 163.34 | 169.19 | 96.78 | 96.54 |
| O03 | Rural Employment | 3854.03 | 21.13 | 525.71 | 250.15 | 1136.13 | 925.78 | 1933.13 | 58.77 | 47.89 |
| O04 | Other Rural Development Programmes | 100.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 67.74 | 45.80 |
| O06 | Other Scientific Research | 78.10 | 0.00 | 16.40 | 46.07 | 15.63 | 0.00 | 78.10 | 20.01 | 0.00 |
| O07 | Secretariat-Economic Services | 153.40 | 20.39 | 24.14 | 21.05 | 39.66 | 28.55 | 105.24 | 37.68 | 27.13 |
| O08 | Tourism | 1.45 | 0.20 | 0.29 | -9.81 | 10.19 | 0.08 | 0.87 | 1170.72 | 8.77 |
| O09 | Census, Survey and Statistics | 1595.76 | 14.23 | 18.46 | 15.18 | 1518.41 | 1511.12 | 1566.28 | 96.94 | 96.48 |
| O10 | Capital Outlay on Other Rural Development Programmes | 5914.15 | 18.43 | 183.45 | 316.47 | 1187.10 | 893.49 | 1705.45 | 69.61 | 52.39 |
| O11 | Capital Outlay on Hill Areas | 200.00 | 0.31 | 6.64 | 11.24 | 149.55 | 136.83 | 167.74 | 89.16 | 81.57 |
| O12 | Capital Expenditure on Economic Services | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 85.31 | 0.00 | 0.00 | 85.31 | 0.00 | 0.00 |
| O13 | Loans to Government Servants, etc | 2.90 | 0.00 | 0.49 | 0.01 | 2.24 | 2.24 | 2.74 | 81.71 | 81.71 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| O14 | District Plan - Mumbai City | 264.70 | 0.00 | 0.21 | 0.89 | 263.60 | 165.10 | 264.70 | 99.59 | 62.37 |
| O15 | District Plan - Mumbai City | 50.30 | -2.81 | -0.18 | 0.11 | 50.49 | 43.60 | 47.61 | 106.04 | 91.58 |
| O16 | District Plan - Mumbai Suburban | 749.47 | 21.67 | 0.95 | 114.77 | 611.14 | 525.05 | 748.53 | 81.65 | 70.14 |
| O17 | District Plan - Mumbai Suburban | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 86.99 | 84.21 | 90.08 | 96.57 | 93.49 |
| O18 | District Plan - Thane | 412.02 | 0.46 | 19.39 | 28.01 | 364.15 | 292.72 | 412.02 | 88.38 | 71.05 |
| O19 | District Plan - Thane | 205.98 | 2.63 | 7.34 | 6.02 | 189.98 | 128.43 | 205.98 | 92.23 | 62.35 |
| O20 | District Plan - Raigad | 237.90 | 0.02 | 6.04 | 9.19 | 222.64 | 216.39 | 237.90 | 93.59 | 90.96 |
| O21 | District Plan - Raigad | 82.10 | 0.09 | 1.58 | 4.93 | 75.50 | 72.94 | 82.10 | 91.96 | 88.84 |
| O22 | District Plan - Ratnagiri | 196.52 | 0.01 | 3.37 | 7.15 | 185.99 | 154.09 | 196.52 | 94.64 | 78.41 |
| O23 | District Plan - Ratnagiri | 74.48 | 0.11 | 1.24 | 1.83 | 71.30 | 59.83 | 74.48 | 95.73 | 80.34 |
| O24 | District Plan - Sindhudurg | 144.60 | 1.26 | 0.52 | 4.86 | 138.02 | 111.66 | 144.66 | 95.41 | 77.19 |
| O25 | District Plan - Sindhudurg | 37.40 | 0.04 | 0.98 | 1.13 | 35.22 | 29.01 | 37.36 | 94.26 | 77.66 |
| O26 | District Plan - Pune | 733.64 | 0.55 | 43.50 | 52.71 | 633.10 | 452.65 | 729.86 | 86.74 | 62.02 |
| O27 | District Plan - Pune | 141.36 | 0.74 | 7.46 | 20.54 | 106.42 | 84.94 | 135.16 | 78.74 | 62.84 |
| O28 | District Plan - Satara | 327.72 | 0.02 | 0.47 | 3.05 | 324.17 | 271.23 | 327.72 | 98.92 | 82.76 |
| O29 | District Plan - Satara | 83.28 | 0.00 | 0.17 | 3.94 | 77.99 | 72.64 | 82.11 | 94.99 | 88.46 |
| O30 | District Plan - Sangli | 278.44 | 0.58 | 30.78 | 9.66 | 237.43 | 180.07 | 278.45 | 85.27 | 64.67 |
| O31 | District Plan - Sangli | 85.56 | 0.15 | 5.57 | 3.74 | 75.66 | 73.67 | 85.13 | 88.88 | 86.54 |
| O32 | District Plan - Solapur | 426.89 | 0.01 | 2.05 | 41.65 | 383.06 | 243.58 | 426.78 | 89.76 | 57.08 |
| O33 | District Plan - Solapur | 100.11 | 0.00 | 0.11 | 12.37 | 87.56 | 59.20 | 100.03 | 87.53 | 59.18 |
| O34 | District Plan - Kolhapur | 316.22 | 0.14 | 1.00 | 9.61 | 300.21 | 281.83 | 310.97 | 96.54 | 90.63 |
| O35 | District Plan - Kolhapur | 108.78 | 0.12 | 2.38 | 6.52 | 90.75 | 86.00 | 99.77 | 90.96 | 86.19 |
| O36 | District Plan - Nasik | 466.98 | 12.50 | 19.84 | 31.62 | 402.58 | 302.16 | 466.55 | 86.29 | 64.77 |
| O37 | District Plan - Nasik | 133.02 | 3.05 | 9.78 | 11.47 | 108.60 | 90.01 | 132.90 | 81.72 | 67.73 |
| O38 | District Plan - Dhule | 176.18 | 0.13 | 1.69 | 1.22 | 173.15 | 164.23 | 176.18 | 98.28 | 93.22 |
| O39 | District Plan - Dhule | 59.82 | 0.00 | 1.07 | 0.98 | 57.77 | 55.79 | 59.82 | 96.57 | 93.26 |
| O40 | District Plan - Jalgaon | 360.63 | 5.77 | 21.95 | 39.11 | 293.80 | 215.95 | 360.63 | 81.47 | 59.88 |
| O41 | District Plan - Jalgaon | 91.37 | 1.64 | 4.94 | 3.40 | 81.38 | 63.40 | 91.37 | 89.07 | 69.39 |
| O42 | District Plan - Ahmednagar | 439.17 | 4.80 | 13.32 | 19.19 | 401.82 | 338.84 | 439.13 | 91.50 | 77.16 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | (₹ in crore) |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| O43 | District Plan - Ahmednagar | 117.83 | 9.08 | 5.97 | 21.63 | 81.73 | 70.79 | 118.41 | 69.02 | 59.79 |
| O44 | District Plan - Nandurbar | 116.39 | 1.18 | 0.82 | 5.57 | 108.66 | 103.69 | 116.23 | 93.49 | 89.21 |
| O45 | District Plan - Nandurbar | 28.61 | 0.19 | 0.37 | 1.58 | 26.42 | 24.38 | 28.56 | 92.50 | 85.36 |
| O46 | District Plan - Aurangabad | 370.68 | 0.43 | 5.28 | 9.80 | 352.07 | 302.29 | 367.57 | 95.78 | 82.24 |
| O47 | District Plan - Aurangabad | 129.32 | 0.33 | 4.35 | 2.90 | 119.74 | 99.58 | 127.33 | 94.04 | 78.21 |
| O48 | District Plan - Jalna | 217.99 | 0.08 | 0.36 | 3.64 | 213.91 | 192.77 | 217.99 | 98.13 | 88.43 |
| O49 | District Plan - Jalna | 64.01 | 0.44 | 0.52 | 1.79 | 61.25 | 52.53 | 64.01 | 95.69 | 82.07 |
| O50 | District Plan-Parbhani | 227.21 | 0.00 | 0.26 | 2.19 | 224.76 | 198.62 | 227.21 | 98.92 | 87.42 |
| O51 | District Plan - Parbhani - Capital | 23.79 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 23.18 | 22.52 | 23.79 | 97.44 | 94.66 |
| O52 | District Plan - Nanded | 309.03 | 0.01 | 10.57 | 23.18 | 275.06 | 255.31 | 308.83 | 89.07 | 82.67 |
| O53 | District Plan - Nanded - Capital | 90.97 | 0.00 | 1.98 | 0.30 | 88.70 | 86.70 | 90.97 | 97.50 | 95.30 |
| O54 | District Plan - Beed | 290.84 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 277.76 | 261.14 | 278.26 | 99.82 | 93.85 |
| O55 | District Plan - Beed | 79.16 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | 58.76 | 58.38 | 74.34 | 79.04 | 78.53 |
| O56 | District Plan - Latur | 249.80 | 0.01 | 0.63 | 7.27 | 241.88 | 220.43 | 249.80 | 96.83 | 88.25 |
| O57 | District Plan - Latur | 52.20 | 0.00 | 1.26 | 1.79 | 49.15 | 43.64 | 52.20 | 94.16 | 83.59 |
| O58 | District Plan - Osmanabad | 254.99 | 0.00 | 0.01 | 7.83 | 247.15 | 238.90 | 254.99 | 96.93 | 93.69 |
| O59 | District Plan - Osmanabad - Capital | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 44.44 | 41.23 | 45.01 | 98.73 | 91.60 |
| O60 | District Plan - Hingoli | 146.37 | 0.01 | 0.00 | 1.16 | 145.19 | 139.19 | 146.37 | 99.20 | 95.10 |
| O61 | District Plab - Hingoli - Capital | 53.63 | 0.80 | 0.25 | -0.73 | 53.31 | 51.30 | 53.63 | 99.40 | 95.65 |
| O62 | District Plan - Nagpur | 520.31 | 0.00 | 0.59 | 6.23 | 513.47 | 477.94 | 520.29 | 98.69 | 91.86 |
| O63 | District Pla - Nagpur | 157.69 | 0.00 | 1.12 | 7.67 | 143.14 | 130.75 | 151.93 | 94.22 | 86.05 |
| O64 | District Plan - Wardha | 178.39 | 0.00 | 1.08 | 7.92 | 169.39 | 151.22 | 178.39 | 94.96 | 84.77 |
| O65 | District Plan - Wardha - Capital | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 43.94 | 41.84 | 46.61 | 94.27 | 89.78 |
| O66 | District Plan - Bhandara | 152.72 | 0.02 | 0.79 | 8.43 | 143.48 | 119.93 | 152.72 | 93.95 | 78.53 |
| O67 | District Plan - Bhandara - Capital | 22.28 | 0.00 | 0.17 | 0.79 | 21.15 | 17.97 | 22.11 | 95.66 | 81.30 |
| O68 | District Plan - Chandrapur | 258.70 | 0.00 | 0.18 | 9.87 | 248.65 | 226.32 | 258.70 | 96.12 | 87.48 |
| O69 | District Plan - Chandrapur - Capital | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 59.88 | 54.69 | 69.30 | 86.41 | 78.92 |
| O70 | District Plan - Gadchiroli | 231.35 | 0.00 | 2.94 | 28.05 | 200.52 | 158.75 | 231.51 | 86.61 | 68.57 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| O71 | District Plan - Gadchiroli - Capital | 68.65 | 0.00 | 0.33 | 6.72 | 61.60 | 53.30 | 68.65 | 89.73 | 77.64 |
| O72 | District Plan - Gondiya | 146.68 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 139.47 | 98.38 | 146.68 | 95.09 | 67.07 |
| O73 | District Plan - Gondiya - Capital | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 52.88 | 42.00 | 53.32 | 99.18 | 78.77 |
| O74 | District Plan - Amravati | 257.74 | 0.26 | 0.16 | 6.07 | 251.35 | 213.29 | 257.84 | 97.48 | 82.72 |
| O75 | District Plan - Amravati - Capital | 92.26 | 0.00 | 0.05 | 2.60 | 89.56 | 88.25 | 92.21 | 97.12 | 95.71 |
| O76 | District Plan - Akola | 157.05 | 1.71 | 0.86 | 16.08 | 138.40 | 130.55 | 157.05 | 88.13 | 83.13 |
| O77 | District Plan - Akola - Capital | 56.95 | 0.00 | 3.46 | 1.46 | 52.03 | 50.32 | 56.95 | 91.36 | 88.36 |
| O78 | District Plan - Yavatmal | 248.53 | 1.30 | 4.03 | 13.78 | 224.38 | 213.67 | 243.49 | 92.15 | 87.75 |
| O79 | District Plan - Yavatmal | 107.47 | 0.18 | 1.56 | 8.34 | 93.04 | 88.57 | 103.12 | 90.22 | 85.89 |
| O80 | District Plan - Buldana | 238.45 | 0.03 | 0.89 | 3.05 | 234.29 | 225.98 | 238.27 | 98.33 | 94.84 |
| O81 | District Plan - Buldhana | 87.55 | 0.50 | 2.12 | 3.89 | 81.04 | 78.89 | 87.55 | 92.56 | 90.11 |
| O82 | District Plan - Washim | 156.49 | 0.00 | 0.64 | 6.94 | 148.91 | 143.92 | 156.49 | 95.16 | 91.97 |
| O83 | District Plan - Washim - Capital | 47.51 | 0.00 | 1.29 | 3.37 | 42.85 | 41.08 | 47.51 | 90.19 | 86.45 |
| O84 | District Plan - Palghar | 169.16 | 0.55 | 8.04 | 2.99 | 157.59 | 149.04 | 169.16 | 93.16 | 88.11 |
| O85 | District Plan - Palghar | 62.84 | 0.15 | 1.51 | 3.05 | 58.12 | 52.64 | 62.84 | 92.49 | 83.77 |
| P01 | Secretariat - General Services | 3.88 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.29 | 2.91 | 21.70 | 9.98 |
| P02 | Social Security and Welfare | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P03 | Loans to Government Servants, etc. | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q01 | Interest Payments | 40.90 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 17.92 | 0.00 | 34.39 | 52.09 | 0.00 |
| Q02 | Other Administrative Services | 3.31 | 0.56 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 2.12 | 26.37 | 21.44 |
| Q03 | Housing | 9283.10 | 5.99 | 7.21 | 5.88 | 1680.01 | 203.49 | 1699.09 | 98.88 | 11.98 |
| Q04 | Secretariat - Economic Services | 11.03 | 2.02 | 2.74 | 2.15 | 1.38 | 0.66 | 8.29 | 16.60 | 8.00 |
| Q06 | Loans to Government Servants, etc | 1.52 | 0.88 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| R01 | Medical and Public Health | 16848.79 | 2185.14 | 3688.21 | 2238.74 | 5050.13 | 2643.88 | 13162.22 | 38.37 | 20.09 |
| R02 | Secretariat - Social Services | 17.92 | 3.56 | 4.88 | 3.85 | 2.62 | 1.24 | 14.91 | 17.55 | 8.29 |
| R03 | Capital Expenditure on Medical and Public Health | 72.43 | 0.16 | 0.00 | 0.06 | 48.62 | 47.55 | 48.84 | 99.56 | 97.36 |
| R04 | Loans for Family Welfare | 64.43 | 0.00 | 2.49 | 10.55 | 48.72 | 43.47 | 61.76 | 78.88 | 70.39 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | (₹ in crore) |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| S01 | Medical and Public Health | 5266.06 | 884.65 | 1118.69 | 912.93 | 1347.35 | 815.67 | 4263.62 | 31.60 | 19.13 |
| S02 | Social Security and Welfare | 0.40 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.21 | 68.57 | 20.00 |
| S03 | Secretariat - Social Services | 43.63 | 2.69 | 4.88 | 2.33 | 24.10 | 21.45 | 34.01 | 70.87 | 63.09 |
| S04 | Capital outlay on Medical and Public Health | 1022.47 | 0.03 | 323.71 | 0.58 | 417.81 | 391.54 | 742.14 | 56.30 | 52.76 |
| S05 | Loans to Government Servants, etc | 10.00 | 0.45 | 1.03 | 2.60 | 4.46 | 3.70 | 8.54 | 52.19 | 43.30 |
| T01 | Interest Payments | 53.53 | 0.00 | 7.07 | 9.69 | 42.79 | 23.96 | 59.56 | 71.86 | 40.24 |
| T02 | Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | 104.76 | 17.06 | 21.42 | 16.49 | 27.69 | 15.56 | 82.66 | 33.50 | 18.83 |
| T03 | Social Security and Welfare | 0.47 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 57.46 | 38.67 |
| T04 | Secretariat-Social Services | 21.25 | 2.81 | 3.89 | 2.79 | 2.57 | 1.03 | 12.06 | 21.32 | 8.54 |
| T05 | Revenue Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 13321.41 | 1254.24 | 1509.94 | 1559.00 | 5219.54 | 3810.18 | 9542.71 | 54.70 | 39.93 |
| T06 | Capital Expenditure on Tribal Areas Development Sub-Plan | 1208.13 | 3.92 | 39.71 | 176.65 | 776.20 | 610.47 | 996.49 | 77.89 | 61.26 |
| T08 | Loans to Government Servants, etc | 13.81 | 0.56 | 0.60 | 0.74 | 11.34 | 10.47 | 13.24 | 85.63 | 79.04 |
| T09 | Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | 1739.31 | 23.82 | 56.07 | 269.41 | 1386.19 | 1014.63 | 1735.49 | 79.87 | 58.46 |
| T10 | Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities | 367.13 | 3.35 | 4.49 | 15.68 | 342.73 | 318.13 | 366.25 | 93.58 | 86.86 |
| T11 | Loans for Tribal Area Development Sub-Plan | 0.32 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 115.84 | 103.98 |
| U01 | Interest Payments | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 100.00 | 100.00 |
| U02 | Social Security and Welfare | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U03 | Secretariat - Social Services | 7.11 | 1.30 | 1.78 | 1.22 | 0.79 | 0.36 | 5.09 | 15.44 | 7.14 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|--------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | 1st QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| U04 | Ecology and Environment | 473.45 | 0.00 | 11.14 | 63.00 | 146.48 | 142.03 | 220.62 | 66.40 | 64.38 |
| U05 | Loans to Government Servants, etc | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.37 | 57.84 | 56.21 |
| V01 | Interest Payments | 13.90 | 0.00 | 2.32 | 1.35 | 2.78 | 2.36 | 6.45 | 43.12 | 36.63 |
| V02 | Co-operation | 8262.09 | 132.31 | 1249.32 | 2221.42 | 4155.46 | 2239.64 | 7758.50 | 53.56 | 28.87 |
| V03 | Capital Expenditure on Social Services | 392.80 | 7.23 | 68.66 | 0.00 | 149.22 | 149.22 | 225.11 | 66.29 | 66.29 |
| V04 | Internal Debt | 10.69 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| V05 | Capital Expenditure on Economic Services | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 100.00 | 100.00 |
| V06 | Loans to Government Servants, etc. | 12.93 | 0.42 | 1.28 | 1.37 | 9.44 | 7.40 | 12.52 | 75.44 | 59.14 |
| W01 | Interest Payments | 463.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.95 | 12.08 | 441.95 | 100.00 | 2.73 |
| W02 | General Education | 9562.65 | 2707.43 | 2250.21 | 2090.77 | 2071.75 | 1073.46 | 9120.16 | 22.72 | 11.77 |
| W03 | Technical Education | 2642.27 | 431.00 | 544.42 | 590.24 | 1008.53 | 662.46 | 2574.19 | 39.18 | 25.73 |
| W04 | Art and Culture | 432.89 | 45.94 | 63.94 | 45.73 | 325.47 | 317.84 | 481.08 | 67.65 | 66.07 |
| W05 | Social Security and Welfare | 0.18 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 25.93 | 22.22 |
| W06 | Secretariat - Social Services | 25.80 | 2.82 | 4.29 | 2.60 | 4.14 | 2.28 | 13.85 | 29.91 | 16.47 |
| W07 | Revenue Expenditure on Removal of Regional Imbalance | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W08 | Capital Outlay on Other Social Services | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W09 | Loans to Government Servants, etc. | 30.48 | 0.00 | 0.14 | 6.98 | 21.71 | 9.08 | 28.83 | 75.31 | 31.50 |
| X01 | Social Security and Nutrition | 5915.84 | 1011.89 | 949.62 | 1510.05 | 1868.96 | 1447.77 | 5340.53 | 35.00 | 27.11 |
| X02 | Secretariat - Social Services | 14.43 | 1.46 | 2.17 | 2.19 | 4.37 | 3.55 | 10.19 | 42.84 | 34.84 |
| X03 | Capital Expenditure on Social Services | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X04 | Loans to Government Servants, etc. | 7.52 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 4.30 | 4.06 | 4.72 | 90.95 | 85.92 |
| Y01 | Interest Payments | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 100.00 | 100.00 |
| Y02 | Water Supply and Sanitation | 11579.01 | 130.33 | 384.44 | 1075.75 | 2322.17 | 1983.79 | 3912.68 | 59.35 | 50.70 |
| Y03 | Social Security and Welfare | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 75.00 | 50.00 |
| Y04 | Minor Irrigation | 52.55 | 11.47 | 14.13 | 10.97 | 11.26 | 4.30 | 47.83 | 23.54 | 9.00 |
| Y05 | Secretariat- Economic Services | 26.20 | 3.56 | 6.08 | 4.10 | 8.93 | 6.42 | 22.68 | 39.40 | 28.31 |

| Appendix 3.9 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | (₹ in crore) |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | Ist QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| Y06 | Capital Expenditure on Economic and Social Services | 209.63 | 6.25 | 7.87 | 5.63 | 183.62 | 91.01 | 203.37 | 90.29 | 44.75 |
| Y07 | Loans to Government Servants, etc | 5.08 | 0.00 | 0.24 | 0.10 | 1.24 | 1.10 | 1.59 | 78.17 | 69.19 |
| ZA01 | Interest Payment | 599.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.17 | 327.84 | 599.17 | 100.00 | 54.72 |
| ZA02 | Secretariat and Other Social Services | 2881.14 | 450.69 | 598.04 | 412.76 | 692.51 | 407.54 | 2154.01 | 32.15 | 18.92 |
| ZA03 | Loans to Government Servants | 26.16 | 0.00 | 5.25 | 5.61 | 13.53 | 10.80 | 24.39 | 55.47 | 44.28 |
| ZC01 | Parliament / State/Union Territory Legislatures | 427.09 | 51.10 | 58.98 | 56.48 | 126.35 | 79.13 | 292.91 | 43.14 | 27.02 |
| ZC02 | Social Security and Welfare | 25.05 | 24.19 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 |
| ZC03 | Loans to Government Servants, etc | 201.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 0.00 |
| ZD01 | Secretariat and Other Social Services | 13.35 | 1.89 | 2.69 | 2.11 | 2.82 | 1.83 | 9.51 | 29.66 | 19.22 |
| ZD02 | Art and Culture | 911.80 | 24.95 | 65.98 | 61.05 | 535.58 | 480.11 | 687.56 | 77.90 | 69.83 |
| ZD03 | Social Security and Welfare | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 75.00 | 0.00 |
| ZD04 | Tourism | 1814.00 | 0.97 | 3.56 | 15.74 | 800.90 | 613.78 | 821.17 | 97.53 | 74.75 |
| ZD05 | Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 6.58 | 9.10 | 100.00 | 72.31 |
| ZD06 | Loans to Government Servants, etc. | 1.08 | 0.00 | 0.10 | 0.66 | 0.30 | 0.30 | 1.05 | 28.28 | 28.28 |
| ZE01 | Minorities Development | 784.49 | 32.32 | 156.87 | 39.90 | 177.55 | 158.78 | 406.65 | 43.66 | 39.05 |
| ZE02 | Capital Outlay on Social Security and Welfare | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 100.00 | 100.00 |
| ZE03 | Loans to Government Servants, etc. | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 100.00 | 0.00 |
| ZF01 | Secretariat - General Services | 18.57 | 2.98 | 4.66 | 3.09 | 4.01 | 2.43 | 14.73 | 27.20 | 16.49 |
| ZF02 | Art and Culture | 26.24 | 1.54 | 2.96 | 5.74 | 11.85 | 8.04 | 22.09 | 53.65 | 36.38 |
| ZF03 | Social Security and Welfare | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZF04 | Capital Outlay on Public Works | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 100.00 | 0.00 |
| ZF05 | Loans to Government Servants, etc. | 1.23 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| ZG01 | Interest Paymnet | 36.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.93 | 16.87 | 30.93 | 100.00 | 54.56 |
| ZG02 | Secretariat and Other Social Services | 48.35 | 2.02 | 3.43 | 2.64 | 32.71 | 23.07 | 40.80 | 80.16 | 56.54 |

| Appendix 3.9 (concl'd) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | |
| GNT | DESCRIPTION | BUDGET | 1st QTR | 2 nd QTR | 3 rd QTR | 4 th QTR | MAR | Total Exp | 4 th QTR % | March% |
| ZG03 | Welfare of Vimukta Jatis, Nomadic Tribes, other backward class and special backward classes | 5564.65 | 240.93 | 734.47 | 1157.41 | 2672.83 | 1543.10 | 4805.63 | 55.62 | 32.11 |
| ZG04 | Capital outlay on Welfare of Schedule Caste, schedule Tribes, other Backward classes and Minorities | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 100.00 | 100.00 |
| ZG05 | Loans for Housing | 1.32 | 0.00 | 0.58 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| ZH01 | Interest Payment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZH02 | Social Security and Welfare | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00 | 100.00 |
| ZH03 | Irrigation, Power and other Economic Services | 626.31 | 90.86 | 113.31 | 90.10 | 154.90 | 103.04 | 449.17 | 34.49 | 22.94 |
| ZH04 | Secretariat - Economic Services | 15.41 | 2.08 | 3.11 | 2.22 | 2.67 | 1.67 | 10.08 | 26.48 | 16.60 |
| ZH05 | Capital Expenditure on Irrigation | 3740.56 | 0.14 | 54.91 | 851.60 | 1557.35 | 1371.16 | 2464.00 | 63.20 | 55.65 |
| ZH06 | Internal Debt of the State Government | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZH07 | Loans to Government Servants, etc. | 2.54 | 0.00 | 0.07 | 0.58 | 1.67 | 1.21 | 2.33 | 71.83 | 52.13 |
| ZI01 | Interest Payments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZI02 | Secretariat Social Services | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZI03 | Social Security and Welfare | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZI04 | Capital Outlay on Social Security and Welfare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZI05 | Loans to Government Servants etc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 568270.63 | 99034.75 | 108788.07 | 109134.47 | 217116.91 | 135384.00 | 534074.20 | 40.65 | 25.35 |

| Appendix 4.1 | | | |
|---|--|--|--|
| <i>(Reference: Paragraph 4.2 Page 88)</i> | | | |
| Implementing agencies which received major direct transfer from GoI during 2022-23 | | | |
| Sl. No. | Name of the Schemes of Government of India | Name of the Implementing Agencies | GoI releases during 2022-23 (₹ in crore) |
| 1 | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan)-[3624] | Department of Agriculture, Maharashtra | 5664.50 |
| 2 | Food Subsidy for Decentralized Procurement of Foodgrains under NFSA-[9533] | Food & Civil Supplies & Consumers Protection Department, Government of Maharashtra | 2725.75 |
| 3 | National AIDS and STD Control Programme-[9316] | Maharashtra State AIDS Control Society-[MSACS] | 2081.50 |
| 4 | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program-State Component-[9219] | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme State Fund Association Maharashtra (State Component) | 1779.20 |
| 5 | Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLAD)-[1261] | District Collector, Maharashtra | 292 |
| 6 | Atal Bhujal Yojna- [3282] | ATAL JAL - State Project Management Unit, Maharashtra | 190.95 |
| 7 | Atmosphere and Climate Research - Modelling Observing Systems and Services (ACROSS)-[0335] | Agricultural Universities | 46.15 |
| 8 | Sugar Subsidy Payable under PDS-[3043] | Food & Civil Supplies & Consumers Protection Department Government of Maharashtra | 45.93 |
| 9 | Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India)-[3382] | Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited | 33.00 |
| 10 | Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India)-[3382] | Brihanmumbai Electric Supply and Transport Undertaking | 31.88 |
| 11 | Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India)-[3382] | Navi Mumbai Municipal Transport Undertaking | 31.20 |
| 12 | Other Autonomous Bodies (DAE)-[3774] | Educational Universities | 20.58 |
| 13 | Sub-Mission on Seed and Planting Material-[3031] | Maharashtra State Seeds Corporation Limited - [MSSCL] | 20.28 |
| 14 | Research Training and Studies and Other Road Safety Schemes-[0848] | Transport Commissioner Office | 19.24 |
| 15 | Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics-[9005] | Agricultural Universities | 12.21 |
| 16 | Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India)-[3382] | Maharashtra State Road Transport Corporation | 11.00 |
| 17 | Management Support to Rural Development Programs and Strengthening of District Planning Process-[0821] | Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration-[YASHADA] | 10.31 |
| 18 | National AIDS and STD Control Programme-[9316] | Mumbai Districts AIDS Control Society-[MDACS] | 10.13 |
| 19 | National Service Scheme-[9230] | Maharashtra State NSS Cell | 9.75 |
| 20 | Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation-[0671] | Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation, Wardha | 8.50 |
| 21 | Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India)-[3382] | Nagpur Municipal Corporation | 7.20 |
| 22 | National Programme for Dairy Development-[9148] | Maharashtra Rajya Sahakari Dudh Mahasangh Maryadit | 6.57 |
| 23 | Space Science Promotion-[2792] | Educational Universities | 3.44 |
| 24 | Integrated Scheme on Agriculture Census and Statistics-[9005] | Commissionerate of Agriculture | 2.76 |

| Appendix 4.1 (concl'd) | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Sl. No. | Name of the Schemes of Government of India | Name of the Implementing Agencies | GoI releases during 2022-23 (₹ in crore) |
| 25 | Incentivization of Panchayat-[1813] | Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration-[YASHADA] | 2.71 |
| 26 | Science and Technology Institutional and Human Capacity Building-[1817] | Educational Universities | 2.57 |
| 27 | Khelo India-[3102] | District Sports Complex committee, Amravati | 1.55 |
| 28 | Establishment Expenditure (EF&CC)-[3493] | Dahanu Taluka Environment Protection Authority-[DTEPAM] | 1.37 |
| 29 | National Child Labour Project including grants in aid to voluntary agencies and reimbursement of assistance to bonded labour-[0598] | Rashtriya Balkamgar Prakalap Samiti | 0.98 |
| 30 | Rashtriya Krishi Vikas Yojna-[9145] | Agricultural Universities | 0.70 |
| 31 | Central Information Commission (CIC) and Right to Information (RTI) - [1951] | Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration-[YASHADA] | 0.53 |
| 32 | Establishment Expenditure (IPP)-[3462] | Maharashtra National Law University Mumbai | 0.36 |
| 33 | Innovation, Technology Development and Deployment -[1819] | Educational Universities | 0.26 |
| 34 | Science and Technology Institutional and Human Capacity Building-[1817] | Agricultural Universities | 0.05 |
| 35 | Biotechnology Research and Development-[0150] | Educational Universities / Agril. Universities | 0.02 |
| 36 | Establishment Expenditure Ayush -[3463] | Educational Universities | 0.01 |
| Total | | | 13075.13 |

Source: Finance Accounts 2022-23; Public Financial Management System-PFMS

| Appendix 4.2 | | | |
|--|--|------------------------|---------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 4.3; Page 89)</i> | | | |
| Department-wise breakup of outstanding Utilisation Certificates | | | |
| Sr. No. | Department | Number of certificates | Amount (₹ in crore) |
| 1 | Urban Development | 493 | 9254.93 |
| 2 | Planning | 4433 | 4185.85 |
| 3 | Rural Development and Water Conservation | 647 | 2966.75 |
| 4 | Industries, Energy and Labour | 31 | 1698.27 |
| 5 | Social Justice and Special Assistance | 770 | 1467.67 |
| 6 | Tribal Development | 699 | 1422.87 |
| 7 | School Education and Sports | 394 | 1284.23 |
| 8 | Tourism and Cultural Affairs | 175 | 737.84 |
| 9 | Water Supply and Sanitation | 36 | 717.18 |
| 10 | Co-operation, Marketing and Textiles | 81 | 310.26 |
| 11 | Revenue and Forests | 252 | 287.19 |
| 12 | Water Resources department | 14 | 243.91 |
| 13 | Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries | 211 | 228.70 |
| 14 | Home | 100 | 220.60 |
| 15 | Vimukta Jatis, Nomadic tribes OBC and SBC Welfare Department | 80 | 153.76 |
| 16 | Minority Development | 96 | 153.71 |
| 17 | Women and Child Development | 321 | 120.48 |
| 18 | Environment | 49 | 94.19 |
| 19 | Public Health | 114 | 70.43 |
| 20 | Skill Development Employment & Entrepreneurship | 7 | 29.50 |
| 21 | Food, Civil Supplies and Consumer Protection | 89 | 25.19 |
| 22 | Medical Education and Drugs | 14 | 22.38 |
| 23 | Higher and Technical Education | 22 | 22.21 |
| 24 | General Administration | 41 | 16.63 |
| 25 | Soil and Water Conservation Department | 72 | 13.94 |
| 26 | Law and Judiciary | 12 | 5.39 |
| 27 | Public Works | 12 | 3.19 |
| 28 | Housing | 14 | 1.93 |
| 29 | Marathi Language Department | 1 | 0.20 |
| | Total | 9280 | 25759.38 |

Source : Finance Accounts 2022-23

| APPENDIX 4.3 | | | |
|---|--|------------------------|----------------------------|
| <i>(Reference: Paragraph 4.4; Page 91)</i> | | | |
| Details of pending Detailed Contingent Bills up to 2022-23 | | | |
| Sr. No. | Department | No. of AC Bills | Amount (₹ in crore) |
| 1 | Medical Education and Drugs | 761 | 2302.55 |
| 2 | Public Health | 216 | 1279.06 |
| 3 | Home | 240 | 252.39 |
| 4 | Planning | 102 | 231.95 |
| 5 | Finance | 31 | 40.83 |
| 6 | General Administration | 174 | 32.60 |
| 7 | Food Civil Supplies and Consumer protection | 29 | 26.34 |
| 8 | School Education and Sports | 16 | 8.80 |
| 9 | Tribal Development | 11 | 3.53 |
| 10 | Tourism and Cultural Affairs | 8 | 1.39 |
| 11 | Social Justice and Special Assistance | 15 | 1.38 |
| 12 | Maharashtra Legislature Secretariat | 1 | 1.28 |
| 13 | Higher and Technical Education Department | 24 | 0.99 |
| 14 | Rural Development and Water Conservation | 65 | 0.91 |
| 15 | Revenue and Forests | 32 | 0.54 |
| 16 | Women and Child Development | 12 | 0.41 |
| 17 | Law and Judiciary | 47 | 0.39 |
| 18 | Co-operation, Marketing and Textiles | 23 | 0.21 |
| 19 | Vimukta Jatis, Nomadic tribes OBC and SBC Department | 2 | 0.20 |
| 20 | Marathi Language Division | 3 | 0.07 |
| 21 | Industries, Energy and Labour | 8 | 0.03 |
| 22 | Public Works | 1 | 0.03 |
| 23 | Employment and Self Employment Department | 2 | 0.02 |
| 24 | Water Resources | 3 | 0.02 |
| 25 | Skill Development Employment & entrepreneurship | 5 | 0.01 |
| 26 | Urban Development | 1 | 0.01 |
| 27 | Water Conservation | 1 | 0.01 |
| 28 | Housing | 2 | 0.004 (₹40000) |
| 29 | Minorities Development | 1 | 0.002 (₹20000) |
| 30 | Water Supply and Sanitation | 1 | 0.004 (₹40000) |
| Grand Total | | 1837 | 4185.96 |
| Source : Finance Accounts 2022-23 | | | |

| Appendix 4.4 (Reference : Paragraph 4.11; Page 100) | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Delay in submission of Accounts/Audit Reports by Autonomous Bodies | | | | | | | | |
| Sr. No. | Name of the Body | Period of Entrustment/ Audit under Section of CAG's DPC Act, 1971 | Year up to which Accounts were rendered | Due date of submission of Accounts to audit | Delay in submission of Accounts | | Period up to which SAR is issued | Placement of SAR in the Legislature |
| | | | | | Accounts received on | Period of delay (in months) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA), Mumbai | 01/04/2023 to 31/03/2028 Section 20(1) | 2021-22 | June 2022 | 28/11/2022 | 05 | 2021-22 | SAR 2020-21 placed in August 2023. |
| 2 | Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), Mumbai | 01/04/2019 to 31/03/2024 Section 20(1) | 2021-22 | June 2022 | 1/11/2022 | 04 | 2021-22 | SAR 20-21 placed in December 22 and 2021-22 placed in August 2023 |
| 3 | Maharashtra Jeevan Pradhikaran (MJP), Mumbai | 01/04/2017 to 31/3/2022 Section 20(1) | 2018-19 | June 2019 | 7/01/2022 | 30 | 2018-19 | SAR 2017-18 and 2018-19 and placed on 19/7/2023 |
| 4 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation (MKVDC), Pune | 01/04/2021 to 31/03/2026 Section 19(3) | 2020-21 2021-22 | June 2021 June 2022 | 02/01/2023 03/04/2023 | 18 09 | 2020-21 | SAR 2018-19 and 2019-20 placed in the Legislature |
| 5 | Konkan Irrigation Development Corporation (KIDC), Thane | 01/04/2018 to 31/03/2023 Section 19(3) | 2020-21 | June 2021 | 12/09/2022 | 15 | 2020-21 | SAR 2017-18 presented in Dec 2020 |
| 6 | Maharashtra Maritime Board (MMB), Mumbai | 01/04/2016 to 31/03/2021 Section 20(1) | 2020-21 2021-22 | June 2021 June 2022 | 15.6.2022 17.7.2023 | 12 13 | 2020-21 | SAR for 2015-16 placed on 27/11/2018 |
| 7 | Maharashtra State Commission for Women (MSCW), Mumbai | 01/04/2018 onwards Section 19(3) | 2020-21 2021-22 | June 2021 June 2022 | 11/5/2023 11/5/2023 | 23 11 | 2021-22 | SAR 2018-19 & 2019-20 placed in Dec 2022. |
| 8 | Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), Mumbai | 01/04/2018 to 31/03/2023 Section 20(1) | 2020-21 2021-22 | June 2021 June 2022 | 21/11/2022 08/05/2023 | 17 10 | 2020-21 | SAR 2018-19 placed on 19/7/2021 and 2019-20 placed on 27/12/2022 |
| 9 | Slum Rehabilitation Authority, Mumbai (SRA) | 01/04/2016 to 31/03/2021 Section 20(1) | 2021-22 | June 2022 | 29/12/2022 | 06 | 2021-22 | SAR 2020-21 placed on 22/12/22 |
| 10 | Maharashtra Water Resources Regulatory authority (MWRRA) | 01/04/2020 to 31/03/2025 Section 20(1) | 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 | June 2018 June 2019 June 2020 June 2021 June 2022 | 09/06/2022 09/06/2022 09/06/2022 04/01/2023 04/01/2023 | 48 36 24 18 06 | 2021-22 | SAR 2017-18, 2018-19 & 2019-20 placed in July 2023 |
| 11 | Rajiv Gandhi Science and Technology Commission (RGSTC) | 01/04/2010 onwards till existence Section 19(3) | 2021-22 2022-23 | June 2022 June 2023 | 31/10/2022 24/08/2023 | 04 02 | 2021-22 | SAR 2020-21 placed in August 2022 2021-22 placed in March 2023 |

| Appendix 4.4 (contd...) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------|---------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 12 | Maharashtra Khadi and Village Industries Board (MSKVIB), Mumbai | 01/04/2021 to 31/03/2026 Section 20(1) | 2020-21 2021-22 | Sept 2021 Sept 2022 | 02/01/2023 03/04/2023 | 03 06 | 2020-21 | SAR 2019-20 presented on 15/3/2022 |
| 13 | Maharashtra State Legal Services Authority (MSLSA) Mumbai | The audit of State District Legal services Authorities have been taken under Section 19(2) of the CAGs (DPC) Act 1971 | 2016-17 | June 2017 | 10/11/2017 | 04 | 2016-17 | SAR yet to be presented |
| 14 | Maharashtra State Commission for Protection of Child Rights (MSCPCR) | The audit has been taken up as per Section 19(2) of CAG's (DPC) Act 1971 | 2017-18 | June 2018 | 22/02/2022 | 44 | 2017-18 | SAR 2017-18 placed in March 2023. |
| 15 | Maharashtra State Human rights commission (MSHRC) | The audit has been taken under section 19(2) of the CAG's (DPC) Act, 1971 read with rule 35(2) of the protection of Human rights Act, 1993 | 2018-19 2019-20 2020-21 | June 2019 June 2020 June 2021 | 23/09/2022 23/09/2022 23/09/2022 | 38 26 15 | 2020-21 | SAR 2002-03 yet to be presented. |
| 16 | Maharashtra State Minorities Commission (MSMC) | The audit has been taken under section 19(3) of the CAG's (DPC) Act 1971 read with section 12(3) of Maharashtra State Minorities Commission Act, 2004 | 2015-16 | June 2016 | 15/11/2021 | 65 | 2015-16 | SAR 2015-16 placed in March 2022. |
| 17 | Maharashtra Building and other construction Workers Welfare Board (MBOCWWB) | Section 19(2) of the CAGs (DPC) Act, 1971 | 2019-20 | June 2020 | 23/06/2021 | 12 | 2019-20 | SAR 2019-20 placed on 28/12/21 |
| 18 | Slum Rehabilitation Authority Pune & Pimpri Chinchwad Area, Pune | 01/04/2022 to 31/03/2027 Section 20(1) | 2021-22 | June 2022 | 07/07/2023 | 12 | 2020-21 | SAR for the period 2017-18 to 2020-21 placed in Dec 2022 |
| 19 | Maharashtra Real Estate Regulatory Authority (MAHA RERA) | Section 19(2) of the CAGs (DPC) Act, 1971 | 2021-22 | June 2022 | 07/10/2022 | 03 | 2021-22 | SAR for the year 2020-21 placed March 2022 |
| 20 | Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) | Under Section 104 of the Electricity Act, 2003 read with section 20(1) of the DPC Act, 1971 | 2022-23 | July 2023 | 01/08/2023 | 0 | 2021-22 | SAR 2017-18 to 2021-22 placed in the legislature |

| Appendix 4.4 (concl'd) | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|----------------------|---------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 21 | Tapi Irrigation Development Corporation (TIDC), Jalgaon | 01/04/2012 to 31/03/2023 Section 19 (3) | 2019-20 | June 2020 | 29/12/2021 | 18 | 2019-20 | SAR for the year 2019-20 placed in Dec 2022 |
| 22 | Vidharba Irrigation Development Corporation (VIDC), Nagpur | Upto 31/03/2022 Section 19(3) | 2020-21 2021-22 | June 2021 June 2022 | 26/7/2023 26/7/2023 | 25 13 | 2019-20 | SAR 2019-20 placed in December 2022 |
| 23 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation (GMIDC), Aurangabad | Upto 31/03/2024 Section 19(3) of DPC Act (1971) | 2019-20 | June 2020 | 23/02/2022 | 20 | 2019-20 | SAR for 2019-20 placed in August 2023 |
| 24 | Maharashtra Water Conservation Corporation (MWCC), Aurangabad | From 1/4/2001 under Section 19(3) of DPC act | 2018-19 | June 2019 | 01/09/2019 | 26 | 2018-19 | SAR 2014-15 placed in March 2018. |
| 25 | Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPAA) | From 1/4/2011 under Section 20(1) of DPC act | 2019-20 2020-21 | June 2020 June 2021 | 17/03/2023 27/03/2023 | 33 21 | 2018-19 | SAR yet to be presented |
| 26 | Fee Regulatory Authority | 18/3/2016 to 31/3/2021 under Section 20(1) of DPC act | 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 | June 2018 June 2019 June 2020 June 2021 | 21/07/22 07/10/22 07/10/22 07/10/22 | 49 39 27 15 | 2020-21 | SRA 2016-17 placed in Dec 2022 |
| 27 | Admission Regulatory Authority (ARA) | 22/08/2019 to 31/03/2024 under Section 20(1) of CAGs DPC Act | -Accounts Not Received till Date | - | - | - | - | - |
| Maharashtra State Haj Committee Entrustment not received till date | | | | | | | | |
| Source: Information obtained from the Offices of Pr. Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai; Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur. | | | | | | | | |

| APPENDIX 4.5 | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--|
| <i>(Reference: Paragraph 4.12; Page 101)</i> | | | | |
| Status of finalisation of Accounts and Government investments in Departmentally managed Commercial and Quasi-Commercial Undertakings | | | | |
| Sr. No. | Name of Undertaking | Accounts finalised up to | Investment as per the last Accounts (₹ in crore) | Remarks/Reasons for delay in preparation of Accounts |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department | | | | |
| Mumbai Region | | | | |
| 1 | Greater Mumbai Milk Scheme, Worli | 2016-17 | (-)11.67 | |
| 2 | Milk Transport Scheme, Worli | 2006-07 | 2.34 | MTS Worli has been closed vide Government order dated 17/07/2008 |
| 3 | Mother Dairy, Kurla | 2016-17 | 31.47 | |
| 4 | Central Dairy, Goregaon | 2016-17 | 73.74 | |
| 5 | Unit Scheme, Mumbai | 2014-15 | 30.33 | |
| 6 | Agricultural Scheme, Mumbai | 2014-15 | 10.45 | |
| 7 | Electrical Scheme, Mumbai | 2014-15 | 5.16 | |
| 8 | Water Supply Scheme, Mumbai | 2014-15 | 15.57 | |
| 9 | Cattle Feed Scheme, Mumbai | 2014-15 | (-)3.33 | |
| 10 | Cattle Breeding and Rearing Farm, Palghar | 2015-16 | 1.32 | |
| 11 | Dairy Project, Dapchari | 2016-17 | 16.25 | |
| 12 | Government Milk Scheme, Bhiwandi | 2015-16 | 0.61 | |
| 13 | Government Milk Chilling Centre, Saralgaon, Thane | 2015-16 | 0.21 | |
| 14 | Government Milk Scheme, Khopoli | 2016-17 | 2.69 | |
| 15 | Government Milk Scheme, Mahad | 2015-16 | 1.45 | |
| 16 | Government Milk Scheme, Chiplun | 2016-17 | 2.64 | |
| 17 | Government Milk Scheme, Ratnagiri | 2015-16 | 7.22 | |
| 18 | Government Milk Scheme, Kankavali | 2016-17 | 2.24 | |
| Pune Region | | | | |
| 19 | Government Milk Scheme, Pune | 2019-20 | (-)28.09 | |
| 20 | Government Milk Scheme, Mahabaleshwar | 2020-21 | 2.47 | |
| 21 | Government Milk Scheme, Satara | 2020-21 | 21.98 | |
| 22 | Government Milk Scheme, Miraj | 2018-19 | 20.42 | |
| 23 | Government Milk Scheme, Solapur | 2019-20 | 1.73 | |
| Nagpur Region | | | | |
| 24 | Government Milk Scheme, Nagpur | 2014-15 | 1.25 | |
| 25 | Government Milk Scheme, Wardha | 2020-21 | 61.78 | |
| 26 | Government Milk Scheme, Chandrapur | 2018-19 | (-)0.04 | |
| 27 | Government Milk Scheme, Gondia | 2019-20 | 42.87 | |

| Appendix 4.5 (concl...) | | | | |
|--|--|---------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Aurangabad Region | | | | |
| 28 | Government Milk Scheme, Aurangabad | 2018-19 | 72.33 | |
| 29 | Government Milk Scheme, Udgir | 2017-18 | 39.48 | |
| 30 | Government Milk Scheme, Beed | 2020-21 | 82.54 | |
| 31 | Government Milk Scheme, Nanded | 2019-20 | 11.03 | |
| 32 | Government Milk Scheme, Bhoom | 2019-20 | 20.36 | |
| 33 | Government Milk Scheme, Parbhani | 2020-21 | 155.50 | |
| Nashik Region | | | | |
| 34 | Government Milk Scheme, Nashik | 2019-20 | 3.52 | |
| 35 | Government Milk Scheme, Wani | 2019-20 | 0.23 | |
| 36 | Government Milk Scheme, Ahmednagar | 2020-21 | 1.84 | |
| 37 | Government Milk Scheme, Chalisgaon | 2017-18 | 1.82 | |
| 38 | Government Milk Scheme, Dhule | 2020-21 | 6.16 | |
| Amravati Region | | | | |
| 39 | Government Milk Scheme, Amravati | 2016-17 | 18.68 | |
| 40 | Government Milk Scheme, Akola | 2016-17 | 21.69 | |
| 41 | Government Milk Scheme, Yavatmal | 2017-18 | 17.41 | |
| 42 | Government Milk Scheme, Nandura | 2017-18 | 5.95 | |
| Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries Department | | | | |
| 43 | Allapalli and Pendigundam Forest Ranges of Forest Divisions including Saw mills and Timber Depot | 1985-86 | 0.00 | These are sick units with no operations. Hence they have stopped preparing Accounts |
| Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department | | | | |
| 44 | Procurement, Distribution and Price Control Scheme in Mumbai and Thane Rationing Area | 2018-19 | 2885.96 | |
| 45 | Procurement, Distribution and Price Control Scheme in Mofussil Area | 2018-19 | 1363.09 | |
| Total | | | 5020.65 | |
| Source: Proforma Accounts | | | | |

| Appendix 4.6 | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------------|
| (Reference: Paragraph 4.15, Page 102) | | | | | | | |
| Department-wise/age-wise breakup of cases of misappropriation, defalcation etc. | | | | | | | |
| (₹ in lakhs) | | | | | | | |
| Name of the Department | Upto 5 years | 5-10 years | 10-15 years | 15-20 years | 20-25 years | 25 years and more | TOTAL |
| Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries | 4 (18.71) | 4 (0.18) | 2 (0.06) | 0 (0) | 3 (6.94) | 29 (9.46) | 42 (35.35) |
| Co-operation, Marketing and Textile | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.53) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.53) |
| Finance | 1 (0.16) | 0 (0) | 1 (40.07) | 1 (13.89) | 19 (370.64) | 3 (1.53) | 25 (426.29) |
| Food, Civil Supplies and Consumer Protection | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (14.69) | 6 (13.54) | 8 (28.23) |
| General Administration | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (2.58) | 2 (2.58) |
| Higher and Technical Education | 1 (1.39) | 0 (0.00) | 1 (0.49) | 0 (0) | 1 (290.37) | 0 (0) | 3 (292.25) |
| Home | 4 (116.36) | 8 (425.79) | 4 (9.85) | 1 (7.6) | 5 (18.9) | 5 (5.84) | 27 (584.34) |
| Housing | 1 (0.69) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0.00) | 1 (0.69) |
| Industries, Energy and Labour | 2 (27.68) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (27.68) |
| Law and Judiciary | 5 (7.22) | 4 (1.07) | 1 (0.01) | 0 (0) | 1 (0.05) | 0 (0) | 11 (8.35) |
| Medical Education and Drugs | 0 (0) | 1 (3.53) | 0 (0) | 0 (0.00) | 1 (7.96) | 2 (7.02) | 4 (18.51) |
| Marathi Language Department | 1 (10.52) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (52.34) | 0 (0.00) | 2 (62.86) |
| Planning | 1 (0.03) | 2 (0.29) | 4 (0.46) | 3 (0.27) | 2 (0.00) | 0 (0.00) | 12 (1.05) |
| Public Health | 0 (0) | 3 (158.90) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (1.19) | 3 (6.89) | 7 (166.99) |
| Public Works | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (0.57) | 6 (1.16) | 7 (3.75) | 18 (5.48) |
| Revenue and Forests | 0 (0) | 3 (64.38) | 0 (0) | 4 (31.75) | 0 (0) | 15 (14.44) | 22 (110.57) |
| Rural Development and Water Conservation | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.35) | 0 (0) | 2 (61.59) | 7 (68.17) | 10 (130.11) |
| School Education and Sports | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (2.02) | 1 (2.02) |
| Social Justice and Special Assistance | 0 (0) | 0 (0.00) | 0 (0.000) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 4 (87.92) | 4 (87.92) |
| Tribal Development | 0 (0.00) | 5 (9.62) | 1 (0.04) | 1 (3.28) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 7 (12.94) |
| Water Resources | 1 (0.06) | 19 (10.04) | 10 (5.54) | 1 (0.02) | 0 (0.00) | 1 (0.00) | 32 (15.66) |
| Water Supply and Sanitation | 0 (0.00) | 1 (3.4) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 0 (0.00) | 1 (3.4) |
| TOTAL | 21 | 51 | 26 | 16 | 43 | 85 | 242 |
| | 182.82 | 677.20 | 56.87 | 65.87 | 817.87 | 223.17 | 2023.80 |

Source: Information obtained from respective Departments; Pay and Accounts Office, Mumbai; Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur

Figures in parenthesis indicate the amount of misappropriation, loss, defalcation etc.

| APPENDIX 4.7 | | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <i>(Reference : Paragraph 4.15; Page 102)</i> | | | | | | |
| Department-wise/category-wise details of losses to Government due to theft, misappropriation/loss of Government material | | | | | | |
| (₹ in lakh) | | | | | | |
| Name of the Department | Theft cases | | Misappropriation/loss of Government material | | Total | |
| | No. of cases | Amount | No. of cases | Amount | No. of cases | Amount |
| Agriculture, Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries | 8 | 1.72 | 34 | 33.62 | 42 | 35.34 |
| Co-operation, Marketing and Textiles | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 1 | 0.53 |
| Finance | 20 | 306.03 | 5 | 120.25 | 25 | 426.28 |
| Food, Civil Supplies and Consumer Protection | 0 | 0 | 8 | 28.24 | 8 | 28.24 |
| General Administration | 1 | 1.29 | 1 | 1.29 | 2 | 2.58 |
| Higher and Technical Education | 2 | 1.88 | 1 | 290.37 | 3 | 292.25 |
| Home | 9 | 58.61 | 18 | 525.73 | 27 | 584.34 |
| Housing | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 1 | 0.69 |
| Industries, Energy and Labour | 2 | 27.68 | 0 | 0 | 2 | 27.68 |
| Law and Judiciary | 8 | 5.66 | 3 | 2.69 | 11 | 8.35 |
| Maharashtra Legislative Secretariat | 0 | 0 | 2 | 62.87 | 2 | 62.87 |
| Medical Education and Drugs | 1 | 3.53 | 3 | 14.98 | 4 | 18.51 |
| Milk Supply Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planning | 11 | 0.92 | 1 | 0.13 | 12 | 1.05 |
| Public Health | 0 | 0 | 7 | 166.99 | 7 | 166.99 |
| Public Works | 2 | 0 | 16 | 5.48 | 18 | 5.48 |
| Revenue and Forests | 4 | 31.75 | 18 | 78.81 | 22 | 110.57 |
| Rural Development and Water Conservation | 2 | 3.51 | 8 | 126.60 | 10 | 130.11 |
| School Education and Sports | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 1 | 2.02 |
| Social Justice and Special Assistance | 0 | 0 | 4 | 87.92 | 4 | 87.92 |
| Tribal Development | 2 | 1.80 | 5 | 11.14 | 7 | 12.94 |
| Water Resources | 30 | 13.82 | 2 | 1.84 | 32 | 15.66 |
| Water Supply and Sanitation | 1 | 3.40 | 0 | 0 | 1 | 3.40 |
| Total | 104 | 462.29 | 138 | 1561.50 | 242 | 2023.80 |

Source: Information obtained from respective Departments; Pay and Accounts Office, Mumbai, Accountant General (Audit)-II, Maharashtra, Nagpur

| Appendix 5.1 | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| <i>(Refer Paragraph 5.4 & 5.14.2.2; Page 106, 124)</i> | | | | | |
| Statement showing list of State Public Sector Undertakings (SPSUs) of Maharashtra under audit jurisdiction of CAG and status of their annual FSs as on 30 September 2023 | | | | | |
| S. No. | Name of the SPSUs | Date of Incorporation | FSs finalised upto 30 September 2023 | Year for which FSs were not finalised/ received | Number of FSs in arrears |
| A. WORKING GOVERNMENT COMPANIES | | | | | |
| Non-Power Sector SPSUs | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | |
| 1 | Forest Development Corporation of Maharashtra Limited | February 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2 | The Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited | December 1965 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 3 | Maharashtra Insecticides Limited | May 1984 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 4 | Maharashtra State Farming Corporation Limited | March 1963 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 5 | Maharashtra State Seeds Corporation Limited ϕ | April 1976 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 6 | Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendi Va Sheli Vikas Mahamandal Limited | August 1978 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 7 | The Maharashtra Fisheries Development Corporation Limited | February 1973 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 8 | FDCM Essel World Gorewada Zoo Private Limited | November 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 9 | Maharashtra Bamboo Promotion Foundation | April 2019 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 10 | Waghadi Nadi Punarujeevan Foundation ∞ | July 2020 | FAA | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| FINANCE | | | | | |
| 11 | Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit ∞ | November 1998 | 2010-11 | 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 12 |
| 12 | Kolhapur Chitranagri Mahamandal Limited ∞ | March 1985 | 2003-04 | 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 19 |

| Appendix 5.1 (contd...) | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|
| S. No. | Name of the SPSUs | Date of Incorporation | FSS finalised upto 30 September 2023 | Year for which FSSs were not finalised/ received | Number of FSSs in arrears |
| 13 | Sahitya Ratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation Limited ∞ | July 1985 | 2009-10 | 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 13 |
| 14 | Maharashtra Co-operative Development Corporation Limited ∞ | August 2001 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 15 | Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited | September 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 16 | Maharashtra Patbandhare Vittiya Company Limited ∞ | December 2002 | 2012-13 | 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 10 |
| 17 | Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited | April 1999 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 18 | Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited ∞ | October 1962 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 19 | Maharashtra State Handicapped Finance and Development Corporation Limited | March 2002 | 2014-15 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 8 |
| 20 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited ∞ | October 1971 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 21 | Maharashtra Vikrikar Rokhe Pradhikaran Limited ∞ ϕ | June 2001 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 22 | Mahatma Phule Backward Class Development Corporation Limited | July 1978 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 23 | Maulana Azad Alpasankyak Arthik Vikas Mahamandal Limited ∞ | October 2000 | 2012-13 | 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 10 |
| 24 | Sant Rohidas Leather Industries & Charmakar Development Corporation Limited | May 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 25 | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit | January 1999 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 26 | Shamrao Peje Kokan Itar Magasvarg Aarthik Vikas Mahamandal | June 2010 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 27 | Vasandrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Limited ∞ | February 1984 | 2013-14 | 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 9 |

| Appendix 5.1 (contd...) | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| S. No. | Name of the SPSUs | Date of Incorporation | FSs finalised upto 30 September 2023 | Year for which FSs were not finalised/ received | Number of FSs in arrears |
| 28 | Maha ARC Limited ∞ | September 2022 | FAA | 26 September 2022 to March 2023 | 1 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 29 | Aurangabad Industrial Township Limited ∞ ϕ | December 2014 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 30 | City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ∞ | March 1970 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 31 | Development Corporation of Konkan Limited | December 1970 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 32 | Maharashtra Airport Development Company Limited ϕ | August 2002 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 33 | MSRDC Infrastructure projects Limited | December 2016 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 34 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | March 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 35 | Maharashtra State Road Development Corporation Limited ∞ | August 1966 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 36 | Maharashtra Urban Infrastructure Development Company Limited ∞ | August 2002 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 37 | Maharashtra Urban Infrastructure Fund Trustee Company Limited ∞ ϕ | August 2002 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 38 | MIHAN India Limited ϕ | June 2009 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 39 | Shivshahi Punarvasan Prkalp Limited ∞ | September 1998 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 40 | Western Maharashtra Development Corporation Limited | December 1970 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 41 | Thane Creek Bridge Infrastructure Limited | January 2018 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 42 | Nagpur Mumbai Super Communication Expressway Limited | May 2017 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 43 | Mumbai Pune Expressway Limited ∞ | April 2018 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 44 | Versova Bandra Sea Link Limited ∞ | April 2018 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 45 | MSRDC Sea Link Limited | October 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 46 | MSRDC Tunnels Limited | September 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 47 | Maha Mumbai Metro (M3) Operation Corporation Limited ∞ ϕ | June 2019 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 48 | Pune Purandar International Airport Limited | September 2019 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 49 | AITL AURIC Skill Foundation ∞ ϕ | January 2020 | FAA | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 50 | Mahasamridhi Renewable Energy Limited | September 2020 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 51 | MSRDC Multi Model Corridor Limited | May 2022 | 2022-23 | Nil | 0 |

| Appendix 5.1 (contd...) | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| S. No. | Name of the SPSUs | Date of Incorporation | FSs finalised upto 30 September 2023 | Year for which FSs were not finalised/ received | Number of FSs in arrears |
| 52 | MSRDC Pune Ring Road Limited ∞ | January 2022 | FAA | 2022-23 | 1 |
| 53 | MSRDC Jalna Nanded Expressway ∞ | May 2022 | FAA | 2022-23 | 1 |
| 54 | Maharashtra Housing Development Corporation Limited ϕ ∞ | January 2019 | FAA | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 55 | Mahatma Phule renewable Energy and Infrastructure Technology Limited | April 2021 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| MANUFACTURING | | | | | |
| 56 | Haffkine Ajintha Pharmaceuticals Limited | April 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 57 | Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited | April 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 58 | Mahaguj Collieries Limited ∞ | November 2006 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 59 | Maharashtra Petrochemicals Corporation Limited | April 1981 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 60 | Maharashtra State Mining Corporation Limited | November 1973 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 61 | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | February 1972 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 62 | Maha Tamil Collieries Limited ϕ | August 2009 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 63 | Maharashtra Tourism Development Corporation Limited ∞ | January 1975 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 64 | Nagpur Mass Transport Company Private Limited ϕ | June 2008 | 2022-23 | Nil | 0 |
| MISCELLANEOUS | | | | | |
| 65 | Krupanidhi Limited | December 1964 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 66 | Maharashtra Ex-Servicemen Corporation Limited ∞ | March 2002 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 67 | Maharashtra Information Technology Corporation Limited | October 2017 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 68 | Mahila Arthik Vikas Mahamandal | February 1975 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 69 | Nagpur Flying Club Private Limited | March 2007 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 70 | Village Social Transformation Foundation | January 2017 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 71 | Babasaheb Ambedkar Samata Pratishthan ∞ | July 2017 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 72 | Chhatrapati Shahu Maharaj Research, Training & Human Development Institute | June 2018 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 73 | SPPU Research Park Foundation ϕ ∞ | January 2019 | FAA | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 74 | SPPU Edutech Foundation ϕ ∞ | March 2019 | FAA | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |

| Appendix 5.1 (contd...) | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| S. No. | Name of the SPSUs | Date of Incorporation | FSs finalised upto 30 September 2023 | Year for which FSs were not finalised/ received | Number of FSs in arrears |
| 75 | Mahatma Jyotiba Phule Research and Training Institute | October 2019 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| POWER | | | | | |
| 76 | Aurangabad Power Company Limited | June 2007 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 77 | Mahagenco Renewable Energy Limited (Mahagenco Ash Management Services Limited) ∞ | August 2007 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 78 | M.S.E.B. Holding Company Limited | May 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 79 | Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited | May 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 80 | Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited | May 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 81 | Maharashtra State Power Generation Company Limited ∞ | May 2005 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| B. WORKING STATUTORY CORPORATIONS | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | |
| 1 | Maharashtra State Warehousing Corporation | August 1957 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation ∞ | April 1996 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 3 | Konkan Irrigation Development Corporation ∞ | January 1998 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 4 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | May 1997 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 5 | Tapi Irrigation Development Corporation ∞ | January 1998 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| 6 | Maharashtra Water Conservation Corporation ∞ | August 2000 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 7 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation ∞ | October 1998 | 2019-20 | 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 3 |
| FINANCE | | | | | |
| 8 | Maharashtra State Financial Corporation ∞ | August 1962 | 2014-15 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 8 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 9 | Maharashtra Industrial Development Corporation | August 1962 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| SERVICE | | | | | |
| 10 | Maharashtra State Road Transport Corporation | July 1961 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |

| Appendix 5.1 (concl'd) | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| S. No. | Name of the SPSUs | Date of Incorporation | FSs finalised upto 30 September 2023 | Year for which FSs were not finalised/ received | Number of FSs in arrears |
| C. INACTIVE GOVERNMENT COMPANIES | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | |
| 1 | Dairy Development Corporation of Marathwada Limited | March 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2 | Ellora Milk Products Limited | February 1985 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 3 | MAFCO Limited ∞ | December 1970 | 2018-19 | 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 4 |
| 4 | Parbhani Krishi Go-samvardhan Limited | March 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 5 | Development Corporation of Vidarbha Limited | December 1970 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 6 | Maharashtra Land Development Corporation Limited ∞ | July 1973 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 7 | Maharashtra State Housing Corporation Limited | October 1974 | 2020-21 | 2021-22, 2022-23 | 2 |
| 8 | Marathwada Development Corporation Limited | August 1967 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| MANUFACTURING | | | | | |
| 9 | Godavari Garments Limited | March 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 10 | Kinwat Roofing Tiles Limited | March 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 11 | Maharashtra Electronics Corporation Limited ∞ | January 1978 | 2017-18 | 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 5 |
| 12 | Maharashtra State Textile Corporation Limited | September 1966 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 13 | Marathwada Ceramic Complex Limited | December 1977 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 14 | MSMC Adkoli Natural Resources Limited | February 2010 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 15 | MSMC Warora Collieries Limited ∞ | July 2010 | 2010-11 | 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 | 12 |
| 16 | The Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited ∞ | August 1966 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| MISCELLANEOUS | | | | | |
| 17 | Leather Industries Corporation of Marathwada Limited | March 1974 | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| POWER | | | | | |
| 18 | Dhopave Coastal Power Limited | March 2007 | 2022-23 | Nil | 0 |
| 19 | Maharashtra Power Development Corporation Limited | December 1997 | 2022-23 | Nil | 0 |
| ϕ Government Controlled Other Companies ∞ Did not finalise any FS during the period October 2022 to September 2023 | | | | | |

Appendix 5.2

(Refer Paragraph 5.5.1; Page 108)

Summarised financial position and working results of SPSUs as per latest finalised FSs as of 30 September 2023

(₹ in crore)

| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/ loss (-) before dividend and tax | Net profit/ loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
|--|--|---------------|-------------------------|--|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. Working Government Companies | | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Forest Development Corporation of Maharashtra Limited | 2021-22 | 2022-23 | 129.68 | 98.68 | 287.11 | 323.12 | 0.00 | 1229.84 | 1229.84 | 906.72 | 2220.34 |
| 2 | Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited | 2020-21 | 2022-23 | 7.10 | 5.25 | 499.15 | 5.50 | 0.00 | 208.18 | 208.18 | 0.00 | 565.64 |
| 3 | Maharashtra Insecticides Limited * | 2020-21 | 2022-23 | 2.14 | 1.53 | 35.28 | 1.00 | 0.00 | 16.19 | 16.19 | 15.19 | 34.90 |
| 4 | The Maharashtra State Farming Corporation Limited. | 2019-20 | 2022-23 | 94.25 | 93.62 | 29.39 | 2.75 | 0.00 | 85.56 | 85.56 | 82.81 | 64.67 |
| 5 | Maharashtra State Seeds Corporation Limited Φ | 2022-23 | 2023-24 | 17.16 | 12.49 | 388.33 | 4.18 | 0.00 | 409.45 | 409.45 | 394.28 | 690.88 |
| 6 | Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendi Va Sheli Vikas Mahamandal Limited | 2021-22 | 2022-23 | 1.69 | 1.31 | 22.18 | 15.47 | 0.00 | 23.87 | 23.87 | 8.40 | 56.51 |
| 7 | Maharashtra Fisheries Development Corporation Limited | 2018-19 | 2023-24 | 3.47 | 2.35 | 7.42 | 4.04 | 4.57 | 12.49 | 7.92 | 3.88 | 60.37 |
| 8 | FDCM Essel World Gorewada Zoo Private Limited * | 2021-22 | 2022-23 | 0.44 | 0.32 | 3.22 | 0.10 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 27.21 |
| 9 | Maharashtra Bamboo Promotion Foundation (•) | 2022-23 | 2023-24 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 20.49 |
| 10 | Waghadi Nadi Punarjeevan Foundation (•) | FAA | | | | | | | | | | |
| Sector wise total | | | | 255.95 | 215.57 | 1272.08 | 356.16 | 4.57 | 1986.63 | 1982.06 | 1412.23 | 3741.01 |
| FINANCE | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit | 2010-11 | 2012-13 | 2.37 | 2.37 | 3.43 | 50.00 | 0.00 | 59.10 | 58.85 | 8.85 | 59.18 |
| 12 | Kolhapur Chitranagri Mahamandal Limited | 2003-04 | 2019-20 | (0.10) | (0.10) | 0.09 | 3.24 | 0.13 | 1.07 | 0.94 | (2.30) | 1.65 |
| 13 | Sahitya Ratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation Limited | 2009-10 | 2014-15 | 2.19 | 2.19 | 1.55 | 118.35 | 25.94 | 107.69 | 81.75 | (36.60) | 116.65 |
| 14 | Maharashtra Co-operative Development Corporation Limited | 2020-21 | 2021-22 | (8.40) | (8.40) | 0.004 | 9.40 | 0.00 | 10.95 | 10.95 | 1.55 | 12.69 |

| Appendix 5.2 (contd...) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ in crore) |
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 36.36 | 26.83 | 65.62 | 12.30 | 0.56 | 257.76 | 257.20 | 244.90 | 300.26 |
| 16 | Maharashtra Patbandhare Vittiya Company Limited © | 2012-13 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 690.13 | 690.19 | 0.06 | 0.01 | 742.59 |
| 17 | Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited | 2019-20 | 2022-23 | 5.76 | 5.76 | 4.57 | 112.06 | 5.28 | 232.41 | 227.13 | 115.07 | 314.18 |
| 18 | Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited | 2019-20 | 2021-22 | (1.55) | (1.67) | 14.16 | 14.50 | 0.77 | 56.25 | 55.48 | 30.98 | 175.57 |
| 19 | Maharashtra State Handicapped Finance & Development Corporation Limited | 2014-15 | 2022-23 | 1.82 | 1.82 | 2.83 | 40.52 | 29.45 | 64.77 | 35.32 | (5.20) | 103.15 |
| 20 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | (2.35) | (2.35) | 5.66 | 90.61 | 0.00 | (56.52) | (56.52) | (147.13) | 20.51 |
| 21 | Maharashtra Vikrikar Rokhe Pradhikaran Limited © Φ | 2017-18 | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 4.30 |
| 22 | Mahatma Phule Backward Class Development Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 15.33 | 15.33 | 14.39 | 632.64 | 86.30 | 902.61 | 816.31 | 183.67 | 1027.68 |
| 23 | Maulana Azad Alpasankyak Arthik Vikas Mahamandal Limited | 2012-13 | 2018-19 | 9.34 | 9.34 | 8.72 | 206.39 | 28.13 | 265.83 | 237.70 | 31.31 | 282.47 |
| 24 | Sant Rohidas Leather Industries and Charmakar Development Corporation Limited | 2021-22 | 2023-24 | 19.08 | 19.08 | 0.54 | 306.21 | 18.82 | 454.81 | 436.00 | 129.79 | 525.81 |
| 25 | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit | 2019-20 | 2022-23 | 4.06 | 4.06 | 3.28 | 88.12 | 11.68 | 132.19 | 120.51 | 32.39 | 210.71 |
| 26 | Shamrao Peje Kokan Itar Magasvarg Aarthik Vikas Mahamandal Limited * | 2019-20 | 2022-23 | 1.45 | 1.45 | 0.06 | 15.00 | 0.40 | 25.09 | 24.69 | 9.69 | 25.28 |
| 27 | Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Limited | 2013-14 | 2016-17 | 6.25 | 6.25 | 6.56 | 169.01 | 26.54 | 164.85 | 138.31 | (30.70) | 173.76 |
| 28 | Maha ARC Limited | FAA | | | | | | | | | | |
| Sector wise total | | | | 91.61 | 81.96 | 131.46 | 1868.46 | 924.13 | 3369.50 | 2445.13 | 566.68 | 4096.44 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad Industrial Township Limited* Φ | 2020-21 | 2021-22 | 2.58 | 2.38 | 72.49 | 6122.45 | 0.00 | 6299.16 | 6299.16 | 176.71 | 6629.96 |
| 30 | City & Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited | 2019-20 | 2020-21 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 3.95 | 4.69 | 11.02 | 6.33 | 2.38 | 12820.53 |

Appendix 5.2 (contd...)

(₹ in crore)

| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
|--------|--|---------------|-------------------------|---|--|----------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | Development Corporation of Konkan Limited | 2022-23 | 2023-24 | (0.10) | (0.10) | 0.00 | 8.81 | 5.93 | (0.84) | (6.77) | (15.58) | 15.10 |
| 32 | Maharashtra Airport Development Company Limited* Φ | 2021-22 | 2023-24 | (76.52) | (76.52) | 144.83 | 17.05 | 65.34 | (574.98) | (640.32) | (657.37) | 2367.53 |
| 33 | MSRDC Infrastructure Projects Limited (Maharashtra Satara Kagal Infrastructure Limited)* | 2021-22 | 2022-23 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (0.07) | 114.53 |
| 34 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 34.02 | 25.23 | 44.49 | 7.96 | 831.24 | 930.70 | 99.46 | 91.50 | 4811.16 |
| 35 | Maharashtra State Road Development Corporation Limited | 2017-18 | 2021-22 | (20.55) | (20.55) | 708.91 | 773.56 | 4665.06 | 1716.95 | (2948.11) | (3722.67) | 9988.96 |
| 36 | Maharashtra Urban Infrastructure Development Company Limited | 2021-22 | 2022-23 | 0.12 | 0.11 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 9.12 | 9.12 | 8.63 | 19.02 |
| 37 | Maharashtra Urban Infrastructure Fund Trustee Company Limited Φ | 2021-22 | 2022-23 | (0.05) | (0.05) | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | (0.03) | 0.12 |
| 38 | Mihan India Limited* Φ | 2022-23 | 2023-24 | 41.72 | 33.79 | 93.52 | 20.00 | 0.00 | 80.97 | 80.97 | 60.97 | 198.38 |
| 39 | Shivshahi Punarvasan Prakalp Limited | 2018-19 | 2021-22 | 35.05 | 19.02 | 0.00 | 115.00 | 286.03 | 671.18 | 385.15 | 48.45 | 964.84 |
| 40 | Western Maharashtra Development Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 12.45 | 9.23 | 1.46 | 3.06 | 0.00 | 275.96 | 275.96 | 272.90 | 382.83 |
| 41 | Thane Creek Bridge Infrastructure Limited* | 2022-23 | 2023-24 | (0.13) | (0.13) | 0.00 | 0.05 | 167.77 | 167.61 | (0.16) | (0.21) | 368.04 |
| 42 | Nagpur Mumbai Super Communication Expressway Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (0.14) | (0.14) | 0.00 | 19500.05 | 22243.25 | 41743.66 | 19500.41 | 0.36 | 44898.20 |
| 43 | Mumbai Pune Expressway Limited* | 2020-21 | 2021-22 | (266.55) | (266.55) | 733.39 | 250.05 | 218.50 | (88.06) | (306.56) | (556.61) | 8890.05 |
| 44 | Versova Bandra Sea Link Limited* | 2020-21 | 2021-22 | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (0.07) | 606.03 |
| 45 | MSRDC Sea Link Limited* | 2021-22 | 2023-24 | (297.67) | (297.67) | 63.38 | 422.70 | 2845.98 | 2713.94 | (132.04) | (554.74) | 2933.99 |
| 46 | MSRDC Tunnels Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 1302.05 | 715.63 | 2017.60 | 1301.97 | (0.08) | 2267.90 |
| 47 | Maha Mumbai Metro (M3) Operation Corporation Limited Φ | 2021-22 | 2022-23 | (1.35) | (1.5) | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 3.16 | (1.84) | 52.53 |
| 48 | Pune Purandar International Airport Limited* | 2022-23 | 2023-24 | 1.51 | 1.21 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 51.47 | 51.47 | 1.47 | 51.49 |
| 49 | AITL AURIC Skill Foundation* Φ | FAA | | | | | | | | | | |
| 50 | Mahasamrudhhi Renewable Energy Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (0.05) | (0.05) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (0.03) | (0.03) | (0.08) | 0.74 |

Appendix 5.2 (contd...)

(₹ in crore)

| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
|--------------------------|--|---------------|-------------------------|---|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | MSRDC Pune Ring Road Limited | FAA | | | | | | | | | | |
| 52 | MSRDC Jalna Nanded Expressway Limited | FAA | | | | | | | | | | |
| 53 | MSRDC Multi Model Corridor Limited | 2022-23 | 2023-24 | (0.03) | (0.03) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | (0.03) | 0.05 |
| 54 | Maharashtra Housing Development Corporation Limited Φ | FAA | | | | | | | | | | |
| 55 | Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited | 2021-22 | 2022-23 | (2.66) | (2.66) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 5.87 |
| Sector wise total | | | | (538.35) | (574.99) | 1863.02 | 28602.54 | 32049.47 | 56028.70 | 23979.23 | (4846.01) | 98387.85 |
| MANUFACTURING | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Haffkine Ajintha Pharmaceuticals Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (2.14) | (2.14) | 1.27 | 0.18 | 27.10 | 1.03 | (26.07) | (26.61) | 4.36 |
| 57 | Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | (13.23) | (13.90) | 170.62 | 8.71 | 4.00 | 133.57 | 129.57 | 0.00 | 288.59 |
| 58 | Mahaguj Collieries Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (1.77) | (1.77) | 0.00 | 0.05 | 68.02 | 54.27 | (13.75) | (13.80) | 54.56 |
| 59 | Maharashtra Petrochemicals Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | (0.28) | (0.27) | 0.00 | 8.96 | 0.00 | 19.63 | 19.63 | 10.67 | 19.87 |
| 60 | Maharashtra State Mining Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 0.83 | 0.54 | 267.85 | 2.07 | 0.00 | 50.55 | 50.55 | 48.48 | 464.94 |
| 61 | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 0.39 | 0.39 | 15.75 | 16.67 | 0.00 | (0.85) | (0.85) | (17.52) | 22.81 |
| 62 | Maha Tamil Collieries Limited* Φ | 2021-22 | 2022-23 | 3.95 | 2.84 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 15.89 | 15.89 | 15.84 | 64.01 |
| Sector wise total | | | | (12.25) | (14.31) | 455.49 | 36.69 | 99.12 | 274.09 | 174.97 | 17.06 | 919.14 |
| SERVICE | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Maharashtra Tourism Development Corporation Limited | 2017-18 | 2021-22 | 1.55 | 1.27 | 26.07 | 15.39 | 10.20 | 40.12 | 29.92 | 14.53 | 713.58 |
| 64 | Nagpur Mass Transport Company Private Limited * Φ | 2022-23 | 2023-24 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.82 | 2.82 | 0.82 | 2.83 |
| Sector wise total | | | | 1.65 | 1.34 | 26.07 | 17.39 | 10.20 | 42.94 | 32.74 | 15.35 | 716.41 |
| MISCELLANEOUS | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Krupanidhi Limited ♦ * | 2020-21 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 2.68 |
| 66 | Maharashtra Ex-Servicemen Corporation Limited | 2018-19 | 2021-22 | 14.81 | 14.81 | 255.21 | 14.95 | 0.00 | 126.08 | 126.08 | 111.13 | 195.09 |

Appendix 5.2 (contd...)

(₹ in crore)

| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
|---|---|---------------|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 67 | Maharashtra Information Technology Corporation Limited | 2020-21 | 2022-23 | 20.20 | 17.02 | 1684.14 | 10.00 | 0.00 | 90.75 | 90.75 | 80.75 | 1346.37 |
| 68 | Mahila Arthik Vikas Mahamandal | 2021-22 | 2022-23 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 16.15 | 16.15 | 12.29 | 88.11 |
| 69 | Nagpur Flying Club | 2021-22 | 2022-23 | (0.38) | (0.38) | 0.02 | 0.85 | 0.00 | 5.18 | 5.18 | 4.33 | 7.09 |
| 70 | Village Social Transformation Foundation^ | 2022-23 | 2023-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 9.15 |
| 71 | Babasaheb Ambedkar Samata Pratishthan © | 2018-19 | 2019-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (0.02) | 2.25 |
| 72 | Chhatrapati Shahu Maharaj Research, Training & Human Development Institute (•) | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.71 |
| 73 | SPPU Research Park Foundation Φ | FAA | | | | | | | | | | |
| 74 | SPPU Edutech Foundation Φ | FAA | | | | | | | | | | |
| 75 | Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute (•) | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.80 |
| Sector wise total | | | | 35.40 | 32.22 | 1939.37 | 29.68 | 0.00 | 238.16 | 238.16 | 208.48 | 1984.25 |
| POWER | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Aurangabad Power Company Limited* | 2022-23 | 2023-24 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.05 | 6.36 | 0.13 | (6.23) | (6.28) | 0.13 |
| 77 | Mahagenco Renewable Energy Limited (Mahagenco Ash Management Services Limited)* | 2021-22 | 2022-23 | (0.16) | (0.16) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (1.58) | (1.58) | (1.63) | 0.16 |
| 78 | M.S.E.B. Holding Company Limited | 2021-22 | 2022-23 | 5.29 | 5.29 | 81.62 | 90234.26 | 0.00 | 92352.05 | 92352.05 | 2117.79 | 88434.83 |
| 79 | Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 279.93 | 279.93 | 85717.93 | 48273.98 | 36392.97 | 60308.67 | 23915.70 | (24358.28) | 157116.82 |
| 80 | Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 1190.03 | 955.36 | 4863.80 | 8984.97 | 4202.50 | 16477.99 | 12275.49 | 3290.52 | 25505.26 |
| 81 | Maharashtra State Power Generation Company Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (2103.61) | (1644.34) | 22,184.00 | 25918.50 | 22211.18 | 39906.61 | 17695.43 | (8223.07) | 73129.43 |
| Sector wise total | | | | (628.54) | (403.94) | 112847.35 | 173411.81 | 62813.01 | 209043.87 | 146230.86 | (27180.95) | 344186.63 |
| Total A (All sector wise working Government companies) | | | | (794.53) | (662.15) | 118534.84 | 204322.73 | 95900.50 | 270983.89 | 175083.15 | (29807.16) | 454031.73 |

| Appendix 5.2 (contd...) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | (₹ in crore) |
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| B. Working Statutory corporations | | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Maharashtra State Warehousing Corporation | 2021-22 | 2022-23 | 48.86 | 43.09 | 250.82 | 8.71 | 0.00 | 555.08 | 555.08 | 0.00 | 1304.83 |
| 2 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation © | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41201.23 | 236.72 | 41437.95 | 41201.23 | 0.00 | 41772.19 |
| 3 | Konkan Irrigation Development Corporation | 2020-21 | 2021-22 | 41.03 | 41.03 | 104.50 | 10938.02 | 0.00 | 11221.04 | 11221.04 | 283.02 | 11418.97 |
| 4 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | 2021-22 | 2022-23 | 69.37 | 69.37 | 100.06 | 52504.61 | 0.00 | 53017.27 | 53019.17 | 512.66 | 53946.23 |
| 5 | Tapi Irrigation Development Corporation © | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 | 13071.45 | 13071.45 | 0.00 | 13619.88 |
| 6 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation © | 2019-20 | 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23442.22 | 0.00 | 32646.20 | 32646.20 | 0.00 | 33362.96 |
| 7 | Maharashtra Water Conservation Corporation | 2018-19 | 2021-22 | (62.79) | (62.79) | 0.35 | 2323.27 | 0.00 | 2621.39 | 2621.39 | 298.12 | 2662.67 |
| Sector wise total | | | | 96.47 | 90.70 | 455.73 | 143489.51 | 236.72 | 154570.38 | 154335.56 | 1093.80 | 158087.73 |
| FINANCE | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Maharashtra State Financial Corporation | 2014-15 | 2015-16 | (13.78) | (13.78) | 9.29 | 62.64 | 350.17 | (224.76) | (625.25) | (687.90) | 806.47 |
| Sector wise total | | | | (13.78) | (13.78) | 9.29 | 62.64 | 350.17 | (224.76) | (625.25) | (687.90) | 806.47 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Maharashtra Industrial Development Corporation | 2021-22 | 2023-24 | 0.12 | 0.12 | 552.71 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 42934.44 |
| Sector wise total | | | | 0.12 | 0.12 | 552.71 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 42934.44 |
| SERVICE | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maharashtra State Road Transport Corporation | 2021-22 | 2022-23 | (1146.57) | (1146.57) | 2602.13 | 5626.34 | 200.00 | (2410.86) | (2610.86) | (8237.20) | 7714.77 |
| Sector wise total | | | | (1146.57) | (1146.57) | 2602.13 | 5626.34 | 200.00 | (2410.86) | (2610.86) | (8237.20) | 7714.77 |
| Total B (All sector wise working Statutory corporations) | | | | (1063.76) | (1069.53) | 3619.86 | 149178.49 | 786.89 | 151974.40 | 151139.09 | (7791.66) | 209543.41 |
| Grand Total (A + B) | | | | (1858.29) | (1731.68) | 122154.70 | 353501.22 | 96687.39 | 422958.29 | 326222.24 | (37598.82) | 663575.14 |

Appendix 5.2 (contd...)

(₹ in crore)

| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
|--|---|---------------|-------------------------|---|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| C. Non working Government companies | | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dairy Development Corporation of Marathwada Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | (2.75) | (2.75) | (3.13) | 0.11 |
| 2 | Ellora Milk Products Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.35 | (0.13) | (1.48) | (1.53) | 0.01 |
| 3 | MAFCO Limited | 2018-19 | 2019-20 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 5.49 | 5.49 | 0.45 | 6.03 |
| 4 | Parbhani Krishi Go-sanvardhan Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (0.09) | (0.09) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 1.35 | 0.27 |
| Sector wise total | | | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 1.35 | 4.15 | 2.80 | (2.86) | 6.42 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Development Corporation of Vidarbha Limited | 2022-23 | 2023-24 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.17 | 8.37 | (2.57) | (10.94) | (18.11) | 4.34 |
| 6 | The Maharashtra Land Development Corporation Limited | 2020-21 | 2021-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 46.89 | 30.88 | (16.01) | (20.01) | 33.30 |
| 7 | Maharashtra State Housing Corporation Limited | 2020-21 | 2022-23 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.66 |
| 8 | Marathwada Development Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | 0.29 | 0.22 | 0.00 | 10.17 | 48.15 | 68.81 | 20.66 | 10.49 | 52.18 |
| Sector wise total | | | | 0.33 | 0.25 | 0.00 | 21.35 | 103.41 | 97.75 | (5.66) | (27.01) | 90.48 |
| MANUFACTURING | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Godavari Garments Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.73 | (0.27) | (8.00) | (8.24) | 0.35 |
| 10 | Kinwat Roofing Tiles Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.97 | (0.06) | (1.03) | (1.22) | 0.004 |
| 11 | Maharashtra Electronics Corporation Limited | 2017-18 | 2020-21 | (21.50) | (21.50) | 0.00 | 9.69 | 213.64 | (176.24) | (389.88) | (399.57) | 8.32 |
| 12 | Maharashtra State Textile Corporation Limited | 2021-22 | 2022-23 | (36.98) | (36.98) | 0.00 | 236.16 | 0.00 | (1006.74) | (1006.74) | (1242.90) | 95.75 |
| 13 | Marathwada Ceramic Complex Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 6.61 | 0.06 | (6.55) | (7.23) | 0.14 |
| 14 | MSMC Adkoli Natural Resources Limited* | 2022-23 | 2023-24 | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.001 |
| 15 | MSMC Warora Collieries Limited* | 2010-11 | 2013-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.96 | 2.97 | 0.01 | 0.00 | 2.97 |
| 16 | The Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited* | 2021-22 | 2022-23 | (0.01) | (0.01) | 0.00 | 23.17 | 0.00 | (40.75) | (40.75) | (63.92) | 0.01 |

| Appendix 5.2 (concl'd) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | | | |
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | Period of FSs | Year in which finalised | Net profit/loss (-) before dividend and tax | Net profit/loss (-) after interest and tax | Turnover | Paid-up capital | Loans outstanding at the end of year | Capital employed | Net worth | Accumulated profit (+)/ Loss (-) | Total Assets |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Sector wise total | | | | (58.50) | (58.50) | 0.00 | 270.15 | 231.91 | (1220.97) | (1452.88) | (1723.03) | 107.55 |
| MISCELLANEOUS | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Leather Industries Corporation of Marathwada Limited* | 2021-22 | 2022-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.09 | 0.08 | (6.01) | (6.67) | 0.12 |
| Sector wise total | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 6.09 | 0.08 | (6.01) | (6.67) | 0.12 |
| POWER | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Dhopave Coastal Power Limited * | 2022-23 | 2023-24 | (0.003) | (0.003) | 0.00 | 0.05 | 8.26 | 0.00 | (8.26) | (8.31) | 8.29 |
| 19 | Maharashtra Power Development corporation Limited * | 2022-23 | 2023-24 | (0.18) | (0.18) | 0.00 | 0.45 | 1018.67 | 5.04 | (1013.63) | (1014.08) | 5.06 |
| Sector wise total | | | | (0.18) | (0.18) | 0.00 | 0.50 | 1026.93 | 5.04 | (1021.89) | (1022.39) | 13.35 |
| Total C (All sector wise non working Government Companies) | | | | (58.33) | (58.43) | 0.00 | 298.30 | 1369.69 | (1113.95) | (2483.64) | (2781.96) | 217.92 |
| Grand Total (A + B+C) | | | | (1916.62) | (1790.11) | 122154.70 | 353799.52 | 98057.08 | 421844.34 | 323738.60 | (40380.78) | 663793.06 |
| Φ Government Controlled other Companies, *Subsidiary Companies, ♦Deficit is recoverable from shareholders hence there is no loss/accumulated loss, ©Expenditure is recouped from Government hence there is no profit /loss, (•) section 8 companies (Not for Profit and expenditure recouped from Government. ^ Expenditure recouped by way of grants. | | | | | | | | | | | | |

Appendix 5.3

(Refer paragraph 5.13.1 ; Page 119)

Details of Return on Capital Employed (ROCE) of SPSUs for the three years ended 30 September 2023

| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Working Government Companies | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | | | | | | |
| 1 | Forest Development Corporation of Maharashtra Limited | 47.89 | 1,112.79 | 4.30 | 103.12 | 1,175.51 | 8.77 | 129.68 | 1229.84 | 10.54 |
| 2 | Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited | 8.34 | 198.59 | 4.20 | 10.40 | 203.29 | 5.12 | 7.64 | 208.18 | 3.67 |
| 3 | Maharashtra Insecticides Limited | 0.56 | 11.81 | 4.74 | 0.56 | 11.81 | 4.74 | 2.14 | 16.19 | 13.22 |
| 4 | Maharashtra State Farming Corporation Ltd. | 20.01 | (173.68) | (11.52) | 20.01 | (173.68) | (11.52) | 94.34 | 85.56 | 110.26 |
| 5 | Maharashtra State Seeds Corporation Limited | 34.70 | 356.45 | 9.73 | 28.34 | 385.70 | 7.35 | 17.16 | 409.45 | 4.19 |
| 6 | Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendi Va Sheli Vikas Mahamandal Limited | 1.46 | 11.84 | 12.33 | 2.19 | 13.24 | 16.54 | 1.69 | 23.87 | 7.08 |
| 7 | Maharashtra Fisheries Development Corporation Limited | 2.12 | 6.79 | 31.22 | 2.12 | 6.79 | 31.22 | 3.61 | 12.49 | 28.90 |
| 8 | FDCM Essel World Gorewada Zoo Private Ltd | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 10.00 | 0.44 | 0.43 | 102.33 |
| 9 | Maharashtra Bamboo Promotion Foundation | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | 0.62 | 3.23 |
| 10 | Waghadi Nadi Punarjeevan Foundation ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sector wise total | | 115.08 | 1525.28 | 7.54 | 166.75 | 1,623.33 | 10.27 | 256.72 | 1986.63 | 12.92 |
| FINANCE | | | | | | | | | | |
| 11 | Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit | 2.37 | 59.10 | 4.01 | 2.37 | 59.10 | 4.01 | 2.37 | 59.10 | 4.01 |
| 12 | Kolhapur Chitranagri Mahamandal Limited | (0.10) | 1.07 | (9.35) | (0.10) | 1.07 | (9.35) | (0.10) | 1.07 | (9.35) |
| 13 | Sahitya Ratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation Limited | 2.92 | 107.69 | 2.71 | 2.92 | 107.69 | 2.71 | 2.92 | 107.69 | 2.71 |

| Appendix 5.3 (contd...) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Maharashtra Co-operative Development Corporation Limited | 13.79 | 121.05 | 11.39 | (8.40) | 10.95 | (76.71) | (8.40) | 10.95 | (76.71) |
| 15 | Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited | 29.42 | 231.54 | 12.71 | 29.42 | 231.54 | 12.71 | 36.36 | 257.76 | 14.11 |
| 16 | Maharashtra Patbandhare Vittiya Company Limited | 82.90 | 690.19 | 12.01 | 82.90 | 690.19 | 12.01 | 82.90 | 690.19 | 12.01 |
| 17 | Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited | 10.84 | 204.18 | 5.31 | 10.84 | 204.18 | 5.31 | 6.52 | 232.41 | 2.81 |
| 18 | Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited | (0.23) | 47.92 | (0.48) | (1.55) | 56.25 | (2.76) | (1.55) | 56.25 | (2.76) |
| 19 | Maharashtra State Handicapped Finance & Development Corporation Limited | 0.80 | 54.28 | 1.47 | 0.98 | 53.05 | 1.85 | 3.64 | 64.77 | 5.62 |
| 20 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | (0.81) | 43.19 | (1.88) | 0.51 | (56.52) | (0.90) | 0.51 | (56.52) | (0.90) |
| 21 | Maharashtra Vikrikar Rokhe Pradhikaran Limited | 0.44 | 0.45 | 97.78 | 0.44 | 0.45 | 97.78 | 0.44 | 0.45 | 97.78 |
| 22 | Mahatma Phule Backward Class Development Corporation Limited | 56.15 | 770.01 | 7.29 | 23.75 | 857.58 | 2.77 | 19.06 | 902.61 | 2.11 |
| 23 | Maulana Azad Alpasankyak Arthik Vikas Mahamandal Limited | 9.99 | 265.83 | 3.76 | 9.99 | 265.83 | 3.76 | 9.99 | 265.83 | 3.76 |
| 24 | Sant Rohidas Leather Industries and Charmakar Development Corporation Limited | 18.43 | 387.90 | 4.75 | 14.62 | 383.96 | 3.81 | 19.75 | 454.81 | 4.34 |
| 25 | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit | 5.74 | 129.71 | 4.43 | 4.65 | 141.3 | 3.29 | 4.24 | 132.19 | 3.21 |
| 26 | Shamrao Peje Kokan Itar Magasvarg Aarthik Vikas Mahamandal Limited | 2.42 | 23.89 | 10.13 | 2.42 | 23.89 | 10.13 | 1.49 | 25.09 | 5.94 |
| 27 | Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Limited | 7.04 | 164.85 | 4.27 | 7.04 | 164.85 | 4.27 | 7.04 | 164.85 | 4.27 |

| Appendix 5.3 (contd...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Maha ARC Limited ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sector wise total | | 242.11 | 3302.85 | 7.33 | 182.80 | 3195.36 | 5.72 | 187.18 | 3369.50 | 5.56 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | | | | | | |
| 29 | Aurangabad Industrial Township Limited | 23.61 | 4,771.68 | 0.49 | 2.58 | 6,299.16 | 0.04 | 2.58 | 6299.16 | 0.04 |
| 30 | City & Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited | 0.05 | 12.41 | 0.40 | 0.05 | 11.02 | 0.45 | 0.05 | 11.02 | 0.45 |
| 31 | Development Corporation of Konkan Limited | (0.30) | (0.86) | (34.88) | (0.34) | (1.19) | (28.57) | (0.10) | (0.84) | (11.90) |
| 32 | Maharashtra Airport Development Company Limited | (92.07) | (380.63) | (24.19) | (9.51) | (444.92) | (2.14) | (76.34) | (574.98) | (13.28) |
| 33 | MSRDC Infrastructure Projects Limited (Maharashtra Satara Kagal Infrastructure Limited) | 0.01 | 0.01 | 100.00 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | (100.00) |
| 34 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | 19.49 | 949.88 | 2.05 | 22.81 | 927.97 | 2.46 | 34.02 | 930.70 | 3.66 |
| 35 | Maharashtra State Road Development Corporation Limited | 139.90 | (1,626.26) | (8.60) | 272.78 | 1,716.95 | 15.89 | 272.78 | 1716.95 | 15.89 |
| 36 | Maharashtra Urban Infrastructure Development Company Limited | 0.55 | 8.82 | 6.24 | 0.48 | 9.12 | 5.26 | 0.48 | 9.12 | 5.26 |
| 37 | Maharashtra Urban Infrastructure Fund Trustee Company Limited | 0.00 | 0.11 | 0.00 | (0.05) | 0.12 | (41.67) | (0.05) | 0.12 | (41.67) |
| 38 | Mihan India Limited | 65.38 | 42.83 | 152.65 | (1.42) | 39.64 | (3.58) | 41.76 | 80.97 | 51.57 |
| 39 | Shivshahi Punarvasan Prakalp Limited | 40.49 | 866.84 | 4.67 | 56.24 | 671.18 | 8.38 | 56.24 | 671.18 | 8.38 |
| 40 | Western Maharashtra Development Corporation Limited | 256.33 | 277.62 | 92.33 | 12.9 | 267.37 | 4.82 | 12.45 | 275.96 | 4.51 |
| 41 | Thane Creek Bridge Infrastructure Limited | (0.01) | 1.28 | (0.78) | (0.01) | 3.44 | (0.29) | (0.13) | 167.61 | (0.08) |
| 42 | Nagpur Mumbai Super Communication Expressway Limited | (0.04) | 17,992.88 | (0.00) | (0.04) | 28,292.21 | (0.00) | 0.13 | 41743.66 | 0.00 |
| 43 | Mumbai Pune Expressway Limited | 147.47 | 8,081.33 | 1.82 | (6.91) | (88.06) | (7.85) | (6.91) | (88.06) | (7.85) |
| 44 | Versova Bandra Sea Link Limited | (0.03) | (0.01) | (300.00) | (0.01) | (0.02) | (50.00) | (0.01) | (0.02) | (50.00) |

| Appendix 5.3 (contd...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | MSRDC Sea Link Limited | (2.92) | 2,431.86 | (0.12) | (48.85) | 2,798.42 | (1.75) | (92.31) | 2713.94 | (3.40) |
| 46 | MSRDC Tunnels Limited | (0.02) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 1,042.34 | (0.00) | (0.02) | 2017.60 | (0.00) |
| 47 | Maha Mumbai Metro (M3) Operation Corporation Limited | (0.02) | 4.98 | (0.40) | (1.35) | 3.16 | (42.72) | (1.35) | 3.16 | (42.72) |
| 48 | Pune Purandar International Airport Limited | 0.67 | 48.27 | 1.39 | 1.21 | 48.91 | 2.47 | 1.51 | 51.47 | 2.93 |
| 49 | AITL AURIC Skill Foundation ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Mahasamrudhhi Renewable Energy Limited | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.03) | 0.02 | (150.00) | (0.05) | (0.03) | (166.67) |
| 51 | MSRDC Pune Ring Road Limited ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | MSRDC Jalna Nanded Expressway Limited ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | MSRDC Multi Model Corridor Limited | - | - | - | - | - | - | (0.03) | 0.02 | (150.00) |
| 54 | Maharashtra Housing Development Corporation Limited [∞] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Mahatma Phule renewable Energy and Infrastructure Technology Limited* | - | - | - | - | - | - | (2.66) | 0.01 | (26600.00) |
| Sector wise total | | 598.56 | 33483.04 | 1.79 | 300.52 | 41596.83 | 0.72 | 242.02 | 56028.70 | 0.43 |
| MANUFACTURING | | | | | | | | | | |
| 56 | Haffkine Ajintha Pharmaceuticals Limited | (2.51) | 3.05 | (82.30) | (2.31) | 2.08 | (111.06) | (2.14) | 1.03 | (207.77) |
| 57 | Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited | (5.26) | 169.48 | (3.10) | (20.53) | 147.46 | (13.92) | (13.15) | 133.57 | (9.85) |
| 58 | Mahaguj Collieries Limited | (2.32) | 53.88 | (4.31) | (1.77) | 54.27 | (3.26) | (1.77) | 54.27 | (3.26) |
| 59 | Maharashtra Petrochemicals Corporation Limited | (2.02) | 20.69 | (9.76) | (0.81) | 19.89 | (4.07) | (0.28) | 19.63 | (1.43) |
| 60 | Maharashtra State Mining Corporation Limited | 2.41 | 56.48 | 4.27 | (1.79) | 54.58 | (3.28) | 0.83 | 50.55 | 1.64 |
| 61 | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | 0.02 | (1.59) | (1.26) | 0.06 | (1.24) | (4.84) | 0.40 | (0.85) | (47.06) |
| 62 | Maha Tamil Collieries Limited | 3.22 | 10.22 | 31.51 | 3.78 | 13.05 | 28.97 | 3.95 | 15.89 | 24.86 |
| Sector wise total | | (6.46) | 312.21 | (2.07) | (23.37) | 290.09 | (8.06) | (12.16) | 274.09 | (4.44) |
| SERVICE | | | | | | | | | | |
| 63 | Maharashtra Tourism Development Corporation Limited | 1.09 | 38.68 | 2.82 | 1.82 | 40.12 | 4.54 | 1.82 | 40.12 | 4.54 |
| 64 | Mahatourism Corporation Limited ^ | (0.01) | (0.02) | (50.00) | (0.01) | (0.02) | (50.00) | - | - | - |

| Appendix 5.3 (contd...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 65 | Nagpur Mass Transport Company Private Limited | 0.10 | 2.69 | 3.72 | 0.10 | 2.69 | 3.72 | 0.10 | 2.82 | 3.55 |
| Sector wise total | | 1.18 | 41.35 | 2.85 | 1.91 | 42.79 | 4.46 | 1.92 | 42.94 | 4.47 |
| MISCELLANEOUS | | | | | | | | | | |
| 66 | Krupanidhi Limited | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 67 | Maharashtra Ex-Servicemen Corporation Limited | 13.92 | 111.27 | 12.51 | 14.92 | 126.08 | 11.83 | 14.92 | 126.08 | 11.83 |
| 68 | Maharashtra Information technology Co. Ltd | 42.47 | 70.26 | 60.45 | 81.18 | 73.93 | 109.81 | 34.13 | 90.75 | 37.61 |
| 69 | Mahila Arthik Vikas Mahamandal | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 1.43 | 25.46 | 5.62 | 0.77 | 16.15 | 4.77 |
| 70 | Nagpur Flying Club | (0.09) | 3.08 | (2.92) | (0.03) | 5.55 | (0.54) | (0.38) | 5.18 | (7.34) |
| 71 | Village Social Transformation Foundation | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 72 | Babasaheb Ambedkar Samata Pratishthan | 0.00 | (0.02) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 0.00 | 0.00 | (0.02) | 0.00 |
| 73 | Chhatrapati Shahu Maharaj Research, Training & Human Development Institute | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | SPPU Research Park Foundation ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | SPPU Edutech Foundation ∞ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Mahatma Jyotiba Phule Research & Training Institute | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sector wise total | | 56.30 | 188.47 | 29.87 | 97.50 | 231.02 | 42.20 | 49.44 | 238.16 | 20.76 |
| POWER | | | | | | | | | | |
| 77 | Aurangabad Power Company Limited | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 8.33 | (0.02) | 0.13 | (15.38) |
| 78 | Mahagenco Ash Management Services Limited | (0.07) | 0.11 | (63.64) | (0.16) | (1.58) | (10.13) | (0.16) | (1.58) | (10.13) |
| 79 | M.S.E.B. Holding Company Limited | 2.90 | 87,019.05 | 0.00 | 8.83 | 87,093.28 | 0.01 | 5.29 | 92352.05 | 0.01 |
| 80 | Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited | 5,289.17 | 55,355.12 | 9.55 | 4,253.48 | 58,167.76 | 7.31 | 5497.07 | 60308.67 | 9.11 |
| 81 | Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited | 1,029.51 | 15,121.87 | 6.81 | 2,184.02 | 15,934.68 | 13.71 | 1586.92 | 16477.99 | 9.63 |

| Appendix 5.3 (contd...) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 82 | Maharashtra State Power Generation Company Limited | 3,789.28 | 41,053.61 | 9.23 | 1,407.18 | 39,906.61 | 3.53 | 1407.18 | 39906.61 | 3.53 |
| Sector wise total | | 10110.78 | 198549.87 | 5.09 | 7853.36 | 201100.87 | 3.91 | 8496.28 | 209043.87 | 4.06 |
| Total A (All sector wise working Government companies) | | 11117.55 | 237403.07 | 4.68 | 8579.47 | 248080.29 | 3.46 | 9221.40 | 270983.89 | 3.40 |
| B. Working Statutory corporations | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | | | | | | |
| 1 | Maharashtra State Warehousing Corporation | 66.36 | 8.71 | 761.88 | 110.74 | 535.08 | 20.70 | 48.86 | 555.08 | 8.80 |
| 2 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation | 0.39 | 36,610.67 | 0.00 | 0.11 | 41,437.95 | 0.00 | 0.11 | 41437.95 | 0.00 |
| 3 | Konkan Irrigation Development Corporation | 29.57 | 8,398.16 | 0.35 | 41.03 | 11,221.04 | 0.37 | 41.03 | 11221.04 | 0.37 |
| 4 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | 86.88 | 41,008.96 | 0.21 | 94.9 | 48,227.08 | 0.20 | 69.37 | 53017.27 | 0.13 |
| 5 | Tapi Irrigation Development Corporation | 0.00 | 11,576.37 | 0.00 | 0.00 | 13,071.45 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 |
| 6 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation | 0.00 | 21,069.71 | 0.00 | 0.00 | 32646.2 | 0.00 | 0.00 | 32646.20 | 0.00 |
| 7 | Maharashtra Water Conservation Corporation | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) |
| Sector wise total | | 120.41 | 121293.97 | 0.10 | 183.99 | 149760.19 | 0.12 | 96.58 | 154570.38 | 0.06 |
| FINANCE | | | | | | | | | | |
| 8 | Maharashtra State Financial Corporation | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) |
| Sector wise total | | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) | (13.78) | (224.76) | (6.13) |
| INFRASTRUCTURE | | | | | | | | | | |
| 9 | Maharashtra Industrial Development Corporation | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 4.81 | 39.64 | 12.13 |
| Sector wise total | | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 5.17 | 39.14 | 13.21 | 4.81 | 39.64 | 12.13 |

| Appendix 5.3 (contd...) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| SERVICE | | | | | | | | | | |
| 10 | Maharashtra State Road Transport Corporation | (938.15) | 297.51 | (315.33) | (712.05) | 148.56 | (479.30) | (1144.81) | (2410.86) | (47.49) |
| Sector wise total | | (938.15) | 297.51 | (315.33) | (712.05) | 148.56 | (479.30) | (1144.81) | (2410.86) | (47.49) |
| Total B (All sector wise working Statutory corporations) | | (826.35) | 121405.86 | (0.68) | (536.67) | 149723.13 | (0.36) | (1057.20) | 151974.40 | (0.70) |
| Grand Total (A+B) | | 10291.20 | 358808.93 | 2.87 | 8042.80 | 397803.42 | 2.02 | 8164.20 | 422958.29 | 1.93 |
| C Non working Government companies | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE & ALLIED | | | | | | | | | | |
| 1 | Dairy Development Corporation of Marathwada Limited | 0.00 | (2.75) | 0.00 | 0.00 | (2.75) | 0.00 | 0.00 | (2.75) | 0.00 |
| 2 | Ellora Milk Products Limited | 0.00 | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) | 0.00 |
| 3 | MAFCO Limited | 0.11 | 5.49 | 2.00 | 0.11 | 5.49 | 2.00 | 0.11 | 5.49 | 2.00 |
| 4 | Parbhani Krishi Go-sanvardhan Limited | (0.04) | (1.01) | (3.96) | (0.03) | (1.05) | (2.86) | (0.09) | 1.54 | (5.84) |
| 5 | Vidarbha Quality Seeds Limited | (0.01) | (0.33) | (3.03) | - | - | - | - | - | - |
| Sector wise total | | 0.06 | 1.27 | 4.72 | 0.08 | 1.56 | 5.13 | 0.02 | 4.15 | 0.48 |
| INFRASTRUCTURE | | | | | | | | | | |
| 6 | Development Corporation of Vidarbha Limited | (2.97) | (2.18) | (136.24) | (0.39) | (2.57) | (15.18) | 0.01 | (2.57) | (0.39) |
| 7 | The Maharashtra Land Development Corporation Limited | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 0.00 | 0.00 | 30.88 | 0.00 |
| 8 | Maharashtra State Housing Corporation Limited | 0.02 | 0.54 | 3.70 | 0.02 | 0.61 | 3.28 | 0.03 | 0.63 | 4.76 |
| 9 | Marathwada Development Corporation Limited | 0.31 | 47.29 | 0.66 | 0.34 | 47.60 | 0.71 | 0.29 | 68.81 | 0.42 |
| Sector wise total | | (2.64) | 76.53 | (3.45) | (0.03) | 76.52 | (0.04) | 0.33 | 97.75 | 0.34 |
| MANUFACTURING | | | | | | | | | | |
| 10 | Godavari Garments Limited | (0.07) | (0.27) | (25.93) | 0.00 | (0.27) | 0.00 | 0.00 | (0.27) | 0.00 |
| 11 | Kinwat Roofing Tiles Limited | 0.00 | (0.05) | 0.00 | 0.00 | (0.06) | 0.00 | 0.00 | (0.06) | 0.00 |

| Appendix 5.3 (concl'd) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| S. No. | Sector and Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) | EBIT (₹ in crore) | Capital Employed (₹ in crore) | ROCE (per cent) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Maharashtra Electronics Corporation Limited | (1.00) | (176.24) | (0.57) | (1.00) | (176.24) | (0.57) | (1.00) | (176.24) | (0.57) |
| 13 | Maharashtra State Textile Corporation Limited | (0.46) | (891.73) | (0.05) | 3.65 | (969.76) | (0.38) | 4.90 | (1006.74) | (0.49) |
| 14 | Marathwada Ceramic Complex Limited | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 15 | MSMC Adkoli Natural Resources Limited | (0.01) | (0.02) | (50.00) | (0.01) | (0.03) | (33.33) | (0.01) | 0.06 | (16.67) |
| 16 | MSMC Warora Collieries Limited | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 17 | The Gondwana Paints and Minerals Limited ^ | (0.01) | (1.35) | (0.74) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | The Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited | (0.01) | (40.74) | (0.02) | (0.01) | (40.75) | (0.02) | (0.01) | (40.75) | (0.02) |
| Sector wise total | | (1.56) | (1107.38) | (0.14) | 2.63 | (1184.09) | (0.22) | 3.88 | (1220.97) | (0.32) |
| MISCELLANEOUS | | | | | | | | | | |
| 19 | Leather Industries Corporation of Marathwada Limited | (0.00) | 0.06 | (0.00) | (0.00) | 0.08 | (0.00) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 20 | Vidarbha Tanneries Limited | (0.01) | (0.09) | (11.11) | - | - | - | - | - | - |
| Sector wise total | | (0.01) | (0.03) | (33.33) | (0.00) | 0.08 | (0.00) | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| POWER | | | | | | | | | | |
| 21 | Dhopave Coastal Power Limited | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.00) | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Maharashtra Power Development Corporation Limited | (0.15) | 4.84 | (3.10) | (0.15) | 4.97 | (3.02) | (0.18) | 5.04 | (3.57) |
| Sector wise total | | (0.15) | 4.84 | (3.10) | (0.15) | 4.97 | (3.02) | (0.18) | 5.04 | (3.57) |
| Total C (All sector wise non-working Government Companies) | | (4.30) | (1024.77) | (0.42) | 2.53 | (1100.96) | (0.23) | 4.05 | (1113.95) | (0.36) |
| Grand Total (A+B+C) | | 10286.91 | 357784.17 | 2.88 | 8045.34 | 396702.47 | 2.03 | 8168.25 | 421844.34 | 1.94 |
| ^ Struck Off during 2020-21 (Three SPSUs) & 2021-22 (One SPSUs) | | | | | | | | | | |
| ∞ First Account Awaited | | | | | | | | | | |

Appendix -5.4

(Refer paragraph: 5.13.2 ; Page 120)

Statement showing Return on Equity (ROE) of Government Companies and Statutory Corporations wherein State Government has direct Equity investment for the three years ended 30 September 2023

| S. No. | Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
|--------|--|--|------------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
| | | Net Profit/ Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) |
| 1 | Forest Development Corporation of Maharashtra Limited | 37.17 | 1112.79 | 3.34 | 88.48 | 1175.51 | 7.53 | 98.68 | 1229.84 | 8.02 |
| 2 | Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited | 4.26 | 198.59 | 2.15 | 4.91 | 203.29 | 2.42 | 5.25 | 208.18 | 2.52 |
| 3 | The Maharashtra State Farming Corporation Limited | 18.30 | (173.68) | (10.54) | 18.30 | (173.68) | (10.54) | 93.62 | 85.56 | 109.42 |
| 4 | Maharashtra State Seeds Corporation Limited | 26.10 | 361.16 | 7.23 | 21.32 | 380.70 | 5.60 | 12.49 | 409.45 | 3.05 |
| 5 | Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendi Va Sheli Vikas Mahamandal Limited | 0.85 | 11.84 | 7.18 | 1.59 | 13.24 | 12.01 | 1.31 | 23.87 | 5.49 |
| 6 | Maharashtra Fisheries Development Corporation Limited | 1.16 | 2.64 | 43.94 | 1.16 | 2.64 | 43.94 | 2.35 | 7.92 | 29.67 |
| 7 | Maharashtra State Warehousing Corporation | 37.13 | 480.98 | 7.72 | 71.83 | 535.08 | 13.42 | 43.09 | 555.08 | 7.76 |
| 8 | Maharashtra Krishna Valley Development Corporation | 0.00 | 36373.82 | 0.00 | 0.00 | 41201.23 | 0.00 | 0.00 | 41201.23 | 0.00 |
| 9 | Konkan Irrigation Development Corporation | 29.57 | 8398.16 | 0.35 | 41.03 | 11221.04 | 0.37 | 41.03 | 11221.04 | 0.37 |
| 10 | Vidarbha Irrigation Development Corporation | 86.88 | 41027.26 | 0.21 | 94.90 | 48227.08 | 0.20 | 69.37 | 53017.27 | 0.13 |
| 11 | Tapi Irrigation Development Corporation | 0.00 | 11576.37 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 | 0.00 | 13071.45 | 0.00 |
| 12 | Godavari Marathwada Irrigation Development Corporation | 0.00 | 30047.38 | 0.00 | 0.00 | 32646.20 | 0.00 | 0.00 | 32646.20 | 0.00 |
| 13 | Maharashtra Water Conservation Corporation | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) | (62.79) | 2621.39 | (2.40) |
| 14 | MAFCO Limited | 0.09 | 5.49 | 1.66 | 0.09 | 5.49 | 1.66 | 0.09 | 5.49 | 1.66 |
| 15 | Annasaheb Patil Arthik Magas Vikas Mahamandal Maryadit | 2.37 | 58.85 | 4.03 | 2.37 | 58.85 | 4.03 | 2.37 | 58.85 | 4.03 |
| 16 | Kolhapur Chitranagri Mahamandal Limited | (0.10) | 0.94 | (10.64) | (0.10) | 0.94 | (10.64) | (0.10) | 0.94 | (10.64) |
| 17 | Sahitya Ratna Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation Limited | 2.19 | 81.75 | 2.68 | 2.19 | 81.75 | 2.68 | 2.19 | 81.75 | 2.68 |

| Appendix -5.4 (contd...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
| S. No. | Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | Net Profit/ Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) |
| 18 | Maharashtra Co-operative Development Corporation Limited | 1.52 | 19.35 | 7.86 | (8.40) | 10.95 | (76.71) | (8.40) | 10.95 | (76.71) |
| 19 | Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited | 19.01 | 230.98 | 8.23 | 19.01 | 230.98 | 8.23 | 26.83 | 257.20 | 10.43 |
| 20 | Maharashtra Patbandhare Vittiya Company Limited | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 21 | Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited | 9.37 | 194.78 | 4.81 | 9.37 | 194.78 | 4.81 | 5.76 | 227.13 | 2.54 |
| 22 | Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited | (3.58) | 47.15 | (7.59) | (1.67) | 55.48 | (3.01) | (1.67) | 55.48 | (3.01) |
| 23 | Maharashtra State Handicapped Finance & Development Corporation Limited | (0.11) | 17.87 | (0.62) | (0.58) | 20.36 | (2.85) | 1.82 | 35.32 | 5.15 |
| 24 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | (3.60) | (54.17) | (6.65) | (2.35) | (56.52) | (4.16) | (2.35) | (56.52) | (4.16) |
| 25 | Maharashtra Vikrikar Rokhe Pradhikaram Limited | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 26 | Mahatma Phule Backward Class Development Corporation Limited | 51.55 | 733.32 | 7.03 | 20.69 | 801.60 | 2.58 | 15.33 | 816.31 | 1.88 |
| 27 | Maulana Azad Alpasankyak Arthik Vikas Mahamandal Limited | 9.34 | 237.70 | 3.93 | 9.34 | 237.70 | 3.93 | 9.34 | 237.70 | 3.93 |
| 28 | Sant Rohidas Leather Industries and Charmakar Development Corporation Limited | 17.15 | 365.32 | 4.69 | 14.07 | 379.38 | 3.71 | 19.08 | 436.00 | 4.38 |
| 29 | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit | 3.81 | 126.15 | 3.02 | 3.77 | 116.38 | 3.24 | 4.06 | 120.51 | 3.37 |
| 30 | Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Limited | 6.25 | 138.31 | 4.52 | 6.25 | 138.31 | 4.52 | 6.25 | 138.31 | 4.52 |
| 31 | Maharashtra State Financial Corporation | (13.78) | (625.26) | (2.20) | (13.78) | (625.25) | (2.20) | (13.78) | (625.25) | (2.20) |
| 32 | City & Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited | 0.04 | 6.29 | 0.64 | 0.04 | 6.33 | 0.63 | 0.04 | 6.33 | 0.63 |

| Appendix -5.4 (contd...) | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
| S. No. | Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | Net Profit/ Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) |
| 33 | Development Corporation of Konkan Limited | (0.30) | (6.78) | (4.42) | (0.34) | (7.11) | (4.78) | (0.10) | (6.77) | (1.48) |
| 34 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | 13.40 | 56.94 | 23.53 | 17.28 | 74.22 | 23.28 | 25.23 | 99.46 | 25.37 |
| 35 | Maharashtra State Road Development Corporation Limited | 141.90 | (247.71) | (57.28) | (20.55) | (2948.11) | (0.70) | (20.55) | (2948.11) | (0.70) |
| 36 | Maharashtra Urban Infrastructure Development Company Limited | 0.42 | 8.82 | 4.76 | 0.11 | 9.12 | 1.21 | 0.11 | 9.12 | 1.21 |
| 37 | Maharashtra Urban Infrastructure Fund Trustee Company Limited | 0.00 | 0.11 | 0.00 | (0.05) | 0.07 | (71.43) | (0.05) | 0.07 | (71.43) |
| 38 | Shivshahi Punarvasan Prakalp Limited | 19.01 | 366.84 | 5.18 | 19.02 | 385.15 | 4.94 | 19.02 | 385.15 | 4.94 |
| 39 | Western Maharashtra Development Corporation Limited | 255.88 | 256.11 | 99.91 | 9.41 | 267.37 | 3.52 | 9.23 | 275.96 | 3.34 |
| 40 | Maharashtra Industrial Development Corporation | 0.19 | 39.14 | 0.49 | 0.19 | 39.14 | 0.49 | 0.12 | 39.64 | 0.30 |
| 41 | Development Corporation of Vidarbha Limited | (2.97) | (10.55) | (28.15) | (0.39) | (10.94) | (3.56) | 0.00 | (10.94) | (0.03) |
| 42 | The Maharashtra Land Development Corporation Limited | 0.00 | (16.01) | 0.00 | 0.00 | (16.01) | 0.00 | 0.00 | (16.01) | 0.00 |
| 43 | Maharashtra State Housing Corporation Limited | 0.02 | 0.54 | 3.70 | 0.02 | 0.61 | 3.28 | 0.02 | 0.63 | 3.65 |
| 44 | Marathwada Development Corporation Limited | 0.23 | (0.86) | (26.74) | 0.31 | (0.55) | (56.36) | 0.22 | 20.66 | 1.06 |
| 45 | Haffkine Bio-Pharmaceutical Corporation Limited | (5.57) | 165.48 | (3.37) | (20.28) | 143.46 | (14.14) | (13.90) | 129.57 | (10.73) |
| 46 | Maharashtra Petrochemicals Corporation Limited | 1.03 | 20.69 | 4.98 | (0.81) | 19.89 | (4.07) | (0.27) | 19.63 | (1.38) |
| 47 | Maharashtra State Mining Corporation Limited | 2.04 | 51.91 | 3.93 | (1.79) | 50.01 | (3.58) | 0.54 | 50.55 | 1.07 |
| 48 | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | 0.02 | (1.59) | (1.01) | 0.05 | (1.24) | (4.03) | 0.39 | (0.85) | (45.88) |
| 49 | Maharashtra Electronics Corporation Limited | (21.50) | (389.88) | 5.51 | (21.50) | (389.88) | (5.51) | (21.50) | (389.88) | (5.51) |
| 50 | Maharashtra State Textile Corporation Limited | (40.77) | (891.73) | 4.57 | (37.71) | (969.76) | (3.89) | (36.98) | (1006.74) | (3.67) |
| 51 | Maharashtra Tourism Development Corporation Limited | 0.95 | 28.64 | 3.32 | 1.27 | 29.92 | 4.24 | 1.27 | 29.92 | 4.24 |
| 52 | Maharashtra State Road Transport Corporation | (939.87) | 97.51 | (963.87) | (716.14) | (51.44) | (1392.19) | (1146.57) | (2610.86) | (43.92) |

| Appendix -5.4 (concl'd) | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|
| S. No. | Name of the SPSU | 2020-21 | | | 2021-22 | | | 2022-23 | | |
| | | Net Profit/ Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) | Net Profit /Loss after Tax (₹ in crore) | Net Worth (₹ in crore) | ROE (per cent) |
| 53 | Maharashtra Ex-Servicemen Corporation Limited | 13.34 | 111.27 | 11.99 | 14.81 | 126.08 | 11.75 | 14.81 | 126.08 | 11.75 |
| 54 | Maharashtra Information Technology Co. Ltd | 30.03 | 70.05 | 42.87 | 4.88 | 73.72 | 6.62 | 17.02 | 90.75 | 18.75 |
| 55 | Mahila Arthik Vikas Mahamandal | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 25.46 | 0.00 | 0.77 | 16.15 | 4.77 |
| 56 | Nagpur Flying Club | (0.09) | 3.08 | (2.92) | (0.03) | 5.55 | (0.54) | (0.38) | 5.18 | (7.34) |
| 57 | Village Social Transformation Foundation | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 58 | M.S.E.B. Holding Company Limited | 19.88 | 87019.05 | 0.02 | 8.83 | 87093.28 | 0.01 | 5.29 | 92352.05 | 0.01 |
| 59 | Maharashtra Power Development Corporation Limited | (0.15) | (1013.18) | (0.01) | (0.15) | (1013.45) | (0.01) | - | - | - |
| | Total | (232.74) | 219355.87 | (0.11) | (402.53) | 235717.76 | (0.17) | (775.00) | 244765.91 | (0.32) |

Appendix 5.5

(Refer paragraph 5.13.3; Page 121)

Statement showing year-wise details of the investment *vis-à-vis* present value of the investment infused by the State Government
for the period 2000-01 to 2022-23

(₹ in crore)

Assumptions for computing present value of the State Government investment

- Interest free loans have been considered as investment infusion by the State Government as none of the interest free loans have been repaid by the power sector undertaking. Further, in those cases where interest free loans given to the power sector undertaking were converted into equity, the amount of loan converted into equity has been deducted from the amount of interest free loans and added to the equity of that year.
- The average rate of interest on government borrowings for the concerned financial year[^] was adopted as compounded rate for arriving at PV since they represent the cost incurred by the government towards investment of funds for the year and therefore considered as the minimum expected rate of return on investments made by the government.

| Financial year | Present value of total investment at the beginning of the year | Equity infused by the State Government during the year | Interest free loans given by the State Government during the year | Interest free loans repaid during the year | Interest free loans converted during the year | Total investment during the year | Average rate of interest on Government borrowing (in per cent) | Total investment at the end of the year | Present value of total investment at the end of the year | Minimum expected return to recover cost of funds for the year | Total earnings for the year |
|-------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii = iii+iv-v-vi | viii | ix = ii+vii | x = {ix*(100 + viii) / 100} | xi = {ix*viii / 100} | xii |
| Since inception to 2000 | 0.00 | 12323.93 | 68.98 | 0.05 | 0.00 | 12392.86 | 10.30 | 12392.86 | 13669.32 | 1276.47 | 162.25 |
| 2000-01 | 13669.32 | 728.96 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 730.46 | 9.10 | 14399.78 | 15710.16 | 1310.38 | (2986.28) |
| 2001-02 | 15710.16 | 977.46 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 978.94 | 9.40 | 16689.10 | 18257.87 | 1568.78 | (821.86) |
| 2002-03 | 18257.87 | 2142.64 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 2144.66 | 8.90 | 20402.54 | 22218.36 | 1815.83 | (951.11) |
| 2003-04 | 22218.36 | 3723.59 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 3726.21 | 8.80 | 25944.57 | 28227.69 | 2283.12 | (1161.30) |
| 2004-05 | 28227.69 | 4374.55 | 6.78 | 0.00 | 0.40 | 4380.93 | 8.00 | 32608.62 | 35217.31 | 2608.69 | (1179.21) |
| 2005-06 | 35217.31 | 6720.82 | 5770.60 | 0.00 | 0.00 | 12491.42 | 7.10 | 47708.73 | 51096.05 | 3387.32 | (433.51) |
| 2006-07 | 51096.05 | 6746.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6746.37 | 7.80 | 57842.42 | 62354.13 | 4511.71 | (234.74) |
| 2007-08 | 62354.13 | 6358.12 | 0.00 | 138.60 | 0.00 | 6219.52 | 7.70 | 68573.65 | 73853.82 | 5280.17 | (723.67) |
| 2008-09 | 73853.82 | 9722.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9722.05 | 7.30 | 83575.87 | 89676.91 | 6101.04 | (493.20) |

| Appendix 5.5 (concl'd) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | | |
| Financial year | Present value of total investment at the beginning of the year | Equity infused by the State Government during the year | Interest free loans given by the State Government during the year | Interest free loans repaid during the year | Interest free loans converted during the year | Total investment during the year | Average rate of interest on Government borrowing (in per cent) | Total investment at the end of the year | Present value of total investment at the end of the year | Minimum expected return to recover cost of funds for the year | Total earnings for the year |
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii = iii+iv-v-vi | viii | ix = ii+vii | x = {ix*(100 + viii) / 100} | xi = {ix*viii / 100} | xii |
| 2009-10 | 89676.91 | 7454.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7454.87 | 7.40 | 97131.78 | 104319.53 | 7187.75 | (1409.62) |
| 2010-11 | 104319.53 | 8328.12 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 8327.44 | 7.40 | 112646.97 | 120982.84 | 8335.88 | 171.06 |
| 2011-12 | 120982.84 | 8110.91 | 200 | 0.05 | 0.00 | 8310.86 | 7.50 | 129293.70 | 138990.73 | 9697.03 | 1559.90 |
| 2012-13 | 138990.73 | 7767.94 | 179.02 | 0.01 | 0.00 | 7946.95 | 7.40 | 146937.68 | 157811.07 | 10873.39 | 1754.46 |
| 2013-14 | 157811.07 | 10265.91 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10265.90 | 7.50 | 168076.97 | 180682.75 | 12605.77 | 1973.15 |
| 2014-15 | 180682.75 | 12758.56 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 12758.52 | 7.80 | 193441.26 | 208529.68 | 15088.42 | 1805.91 |
| 2015-16 | 208529.68 | 85710.32 | 0.00 | 0.00 | 5632.00 | 80078.32 | 7.70 | 288608.00 | 310830.82 | 22222.82 | 6794.61 |
| 2016-17 | 310830.82 | 9275.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 9275.05 | 7.60 | 320105.87 | 344433.91 | 24328.05 | (17344.72) |
| 2017-18 | 344433.91 | 8535.64 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 8535.84 | 8.00 | 352969.75 | 381207.33 | 28237.58 | (3347.01) |
| 2018-19 | 381207.33 | 1933.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1933.32 | 7.80 | 383140.65 | 413025.62 | 29884.97 | 72.59 |
| 2019-20 | 413025.62 | 10170.87 | 1.90 | 21.61 | 0.00 | 10151.16 | 7.30 | 423176.78 | 454068.68 | 30891.90 | 674.73 |
| 2020-21 | 454068.68 | 1254.18 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1253.98 | 7.19 | 455322.66 | 488060.36 | 32737.70 | (179.42) |
| 2021-22 | 488060.36 | 6380.61 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 6380.05 | 6.96 | 494440.41 | 528853.46 | 34413.05 | (2794.11) |
| 2022-23 | 528853.46 | 641.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.27 | 6.58 | 529494.73 | 564335.48 | 34840.75 | (1790.11) |
| Total | | 232406.06 | 6235.11 | 161.27 | 5632.96 | 232846.95 | | | | | |

^The average rate of interest on government borrowings was adopted from the Reports of the C&AG of India on State Finances (Government of Maharashtra) for the concerned year wherein the average rate for interest paid = Interest Payment/[(Amount of previous year's Fiscal Liabilities + Current year's Fiscal Liabilities)/2]*100.

Total earnings from the year 2017-18 onwards is Profit/Loss after Tax

Appendix 5.6

(Refer paragraph 5.13.4 ; Page 123)

Statement showing list of SPSUs whose net worth has eroded as on 31 March 2023

(₹ in crore)

| S No. | Sector | Name of SPSUs | Paid-up Capital | Accumulated Profit(+) / Loss(-) | Turnover | Profit/ Loss after Tax | Free Reserves | Networth excluding capital reserves | Shareholders's Fund | State Govt equity as on 31 March 2023 | State Govt loan as on 31 March 2023 |
|-------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Finance | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | 90.61 | (147.13) | 5.66 | (2.35) | 0.00 | (56.52) | (56.52) | 88.71 | 23.29 |
| 2 | Infrastructure | Development Corporation of Konkan Limited | 8.81 | (15.58) | 0.00 | (0.10) | 0.00 | (6.77) | (6.77) | 8.81 | 5.93 |
| 3 | Infrastructure | Maharashtra Airport Development Company Limited | 17.05 | (657.37) | 144.83 | (76.52) | 0.00 | (640.32) | (640.32) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Infrastructure | MSRDC Infrastructure Projects Limited(Maharashtra Satara Kagal Infrastructure Limited) | 0.05 | (0.07) | 0.00 | (0.02) | 0.00 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Infrastructure | Maharashtra State Road Development Corporation Limited | 773.56 | (3722.67) | 708.91 | (20.55) | 1.00 | (2948.11) | (2948.11) | 773.56 | 179.02 |
| 6 | Infrastructure | Thane Creek Bridge Infrastructure Limited | 0.05 | (0.21) | 0.00 | (0.13) | 0.00 | (0.16) | (0.16) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Infrastructure | Mumbai Pune Expressway Limited | 250.05 | (556.61) | 733.39 | (266.55) | 0.00 | (306.56) | (306.56) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Infrastructure | Versova Bandra Sea Link Limited | 0.05 | (0.07) | 0.00 | (0.01) | 0.00 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Infrastructure | MSRDC Sea Link Limited | 422.70 | (554.74) | 63.38 | (297.67) | 0.00 | (132.04) | (132.04) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Infrastructure | Mahasamrudhhi Renewable Energy Limited | 0.05 | (0.08) | 0.00 | (0.05) | 0.00 | (0.03) | (0.03) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Manufacturing | Haffkine Ajintha Pharmaceuticals Limited | 0.18 | (26.61) | 1.27 | (2.14) | 0.36 | (26.07) | (26.07) | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Manufacturing | Mahaguj Collieries Limited | 0.05 | (13.80) | 0.00 | (1.77) | 0.00 | (13.75) | (13.75) | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Manufacturing | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | 16.67 | (17.52) | 15.75 | 0.39 | 0.00 | (0.85) | (0.85) | 17.57 | 0.00 |

Appendix 5.6 (contd...)

(₹ in crore)

| S No. | Sector | Name of SPSUs | Paid-up Capital | Accumulated Profit(+) / Loss(-) | Turnover | Profit/ Loss after Tax | Free Reserves | Networth excluding capital reserves | Shareholders's Fund | State Govt equity as on 31 March 2023 | State Govt loan as on 31 March 2023 |
|-------|----------------------|--|-----------------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 14 | Miscellaneous | Babasaheb Ambedkar Samata Pratishthan | 0.00 | (0.02) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.02) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Power | Aurangabad Power Company Limited | 0.05 | (6.28) | 0.00 | (0.02) | 0.00 | (6.23) | (6.23) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Power | Mahagenco Renewable Energy Limited | 0.05 | (1.63) | 0.00 | (0.16) | 0.00 | (1.58) | (1.58) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Finance | Maharashtra State Financial Corporation | 62.64 | (687.90) | 9.29 | (13.78) | 0.00 | (625.25) | (625.25) | 62.64 | 136.49 |
| 18 | Service | Maharashtra State Road Transport Corporation | 5626.34 | (8237.20) | 2602.13 | (1146.57) | 0.00 | (2610.86) | (2610.86) | 5626.34 | 200.00 |
| 19 | Agriculture & Allied | Dairy Development Corporation of Marathwada Limited | 0.38 | (3.13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (2.75) | (2.75) | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Agriculture & Allied | Ellora Milk Products Limited | 0.05 | (1.53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.48) | (1.48) | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Infrastructure | Development Corporation of Vidarbha Limited | 7.17 | (18.11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (10.94) | (10.94) | 7.17 | 8.37 |
| 22 | Infrastructure | The Maharashtra Land Development Corporation Limited | 4.00 | (20.01) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (16.01) | (16.01) | 3.00 | 46.89 |
| 23 | Manufacturing | Godavari Garments Limited | 0.24 | (8.24) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (8.00) | (8.00) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Manufacturing | Kinwat Roofing Tiles Limited | 0.19 | (1.22) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (1.03) | (1.03) | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Manufacturing | Maharashtra Electronics Corporation Limited | 9.69 | (399.57) | 0.00 | (21.50) | 0.00 | (389.88) | (389.88) | 9.69 | 57.72 |
| 26 | Manufacturing | Maharashtra State Textile Corporation Limited | 236.16 | (1242.90) | 0.00 | (36.98) | 0.00 | (1006.74) | (1006.74) | 236.15 | 173.91 |
| 27 | Manufacturing | Marathwada Ceramic Complex Limited | 0.68 | (7.23) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (6.55) | (6.55) | 0.00 | 0.00 |

| Appendix 5.6 (concl'd) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| (₹ in crore) | | | | | | | | | | | |
| S No. | Sector | Name of SPSUs | Paid-up Capital | Accumulated Profit(+) / Loss(-) | Turnover | Profit/ Loss after Tax | Free Reserves | Networth excluding capital reserves | Shareholders's Fund | State Govt equity as on 31 March 2023 | State Govt loan as on 31 March 2023 |
| 28 | Manufacturing | The Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited | 23.17 | (63.92) | 0.00 | (0.01) | 0.00 | (40.75) | (40.75) | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Miscellaneous | Leather Industries Corporation of Marathwada Limited | 0.64 | (6.67) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | (6.01) | (6.01) | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Power | Dhopave Coastal Power Limited | 0.05 | (8.31) | 0.00 | (0.00) | 0.00 | (8.26) | (8.26) | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Power | Maharashtra Power Development Corporation Limited | 0.45 | (1014.08) | 0.00 | (0.18) | 0.00 | (1013.63) | (1013.63) | 0.00 | 0.00 |
| | Total | | 7551.83 | (17440.41) | 4284.61 | (1886.67) | 1.38 | (9887.19) | (9887.19) | 6833.64 | 831.62 |

| Appendix 5.7 | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|--|---|--|--|
| (Refer paragraph 5.13.4 ; Page 123) | | | | | | | |
| Details of SPSUs having continuous erosion in net worth for more than three years | | | | | | | |
| S. No. | Name of the SPSUs | Period of latest FSs | Negative Net worth (as per latest FSs) (₹ in crore) | Negative Net worth Since when ¹ | Age Analysis of Negative Net worth (in years) | Income/ Revenue as per latest FSs (₹ in crore) | Expenditure as per latest FSs (₹ in crore) |
| 1 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | 2021-22 | (56.52) | Prior to 2018-19 | More than 4 | 7.29 | 9.64 |
| 2 | Development Corporation of Konkan Limited | 2022-23 | (6.77) | Prior to 2018-19 | More than 5 | 0.10 | 0.20 |
| 3 | Maharashtra State Road Development Corporation Limited | 2017-18 | (2948.11) | Prior to 2016-17 | More than 3 | 815.18 | 835.73 |
| 4 | Haffkine Ajintha Pharmaceuticals Limited | 2021-22 | (26.07) | Prior to 2018-19 | More than 4 | 1.29 | 3.43 |
| 5 | Mahaguj Collieries Limited | 2021-22 | (13.75) | Prior to 2018-19 | More than 4 | 0.00 | 1.77 |
| 6 | Maharashtra State Powerlooms Corporation Limited | 2021-22 | (0.85) | Prior to 2017-18 | More than 5 | 16.33 | 16.57 |
| 7 | Aurangabad Power Company Limited | 2022-23 | (6.23) | Prior to 2018-19 | More than 5 | 0.01 | 0.29 |
| 8 | Mahagenco Renewable Energy Limited | 2021-22 | (1.58) | Prior to 2018-19 | More than 4 | 0.01 | 0.16 |
| 9 | Maharashtra State Financial Corporation | 2014-15 | (625.25) | Prior to 2012-13 | More than 3 | 9.47 | 29.08 |
| 10 | Dairy Development Corporation of Marathwada Limited | 2021-22 | (2.75) | Prior to 2017-18 | More than 5 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Ellora Milk Products Limited | 2021-22 | (1.48) | Prior to 2017-18 | More than 5 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Development Corporation of Vidarbha Limited | 2022-23 | (10.94) | Prior to 2018-19 | More than 5 | 0.09 | 0.09 |
| 13 | The Maharashtra Land Development Corporation Limited | 2020-21 | (16.01) | Prior to 2016-17 | More than 5 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Godavari Garments Limited | 2021-22 | (8.00) | Prior to 2017-18 | More than 5 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Kinwat Roofing Tiles Limited | 2021-22 | (1.03) | Prior to 2017-18 | More than 5 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Maharashtra Electronics Corporation Limited | 2017-18 | (389.88) | Prior to 2016-17 | More than 3 | 0.06 | 20.72 |
| 17 | Maharashtra State Textile Corporation Limited | 2021-22 | (1006.74) | Prior to 2016-17 | More than 6 | 6.40 | 43.38 |
| 18 | Marathwada Ceramic Complex Limited | 2021-22 | (6.55) | Prior to 2016-17 | More than 6 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | The Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited | 2021-22 | (40.75) | Prior to 2017-18 | More than 5 | 0.00 | 0.02 |
| 20 | Leather Industries Corporation of Marathwada Limited | 2021-22 | (6.01) | Prior to 2016-17 | More than 6 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Dhopave Coastal Power Limited | 2022-23 | (8.26) | Prior to 2017-18 | More than 6 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Maharashtra Power Development Corporation Limited | 2022-23 | (1013.63) | Prior to 2017-18 | More than 6 | 0.00 | 0.18 |

¹ Compilation based on the CAG's Audits Report on SPSUs/SFAR from 2017-18 onwards.

| Appendix 5.8 | | |
|---|---|-------------------------------------|
| <i>(Refer paragraph 5.16 ; Page 126)</i> | | |
| Statement showing list of SPSUs where Management Letters were issued | | |
| S. No. | Name of SPSUs | Year of latest finalised FSs |
| 1 | The Pratap Spinning, Weaving & Manufacturing Company Limited | 2021-22 |
| 2 | Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited | 2019-20 |
| 3 | Maharashtra State Handlooms Corporation Limited | 2021-22 |
| 4 | Maharashtra State Power Generation Company Limited | 2021-22 |
| 5 | Western Maharashtra Development Corporation Limited | 2021-22 |
| 6 | Development Corporation of Konkan Limited | 2021-22 |
| 7 | Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited | 2021-22 |
| 8 | Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited | 2021-22 |
| 9 | Leather Industries Corporation of Marathwada Limited | 2021-22 |
| 10 | Marathwada Development Corporation Limited | 2021-22 |
| 11 | Kinwat Roofing Tiles Limited | 2021-22 |
| 12 | Godavari Garments Limited | 2021-22 |
| 13 | Dairy Development Corporation of Marathwada Limited | 2021-22 |
| 14 | Maharashtra State Textile Corporation Limited | 2021-22 |
| 15 | Maharashtra Industrial Development Corporation | 2019-20 |
| 16 | Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited | 2020-21 |
| 17 | Maharashtra Film, Stage And Cultural, Development Corporation Limited | 2021-22 |
| 18 | Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Limited | 2019-20 |
| 19 | Shabari Adivasi Vitta Va Vikas Mahamandal Maryadit | 2019-20 |
| 20 | Maharashtra State Warehousing Corporation | 2021-22 |
| 21 | Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Limited | 2020-21 |
| 22 | Ellora Milk Products Limited | 2021-22 |
| 23 | Marathwada Ceramic Complex Limited | 2021-22 |
| 24 | Maharashtra State Road Transport Corporation | 2020-21 |
| 25 | Versova Bandra Sea Link Limited | 2020-21 |
| 26 | MSRDC Sea Link Limited | 2020-21 |
| 27 | Mumbai Pune Expressway Limited | 2020-21 |
| 28 | MSRDC Tunnels Limited | 2021-22 |
| 29 | Nagpur Mumbai Super Communication Expressway Limited | 2021-22 |
| 30 | Forest Development Corporation of Maharashtra Limited | 2021-22 |

©
Comptroller and Auditor General of India
www.cag.gov.in

www.agaumaharashtra1@cag.gov.in